

भाषाशास्त्र तथा हिन्दी भाषा की रूपरेखा

डॉ० देवेन्द्रकुमार शास्त्री,
साहित्याचार्य, एम० ए०, पी एच० डी०
प्राध्यापक, हिन्दी विभाग,
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
नीमन्च (मन्दासौर), म० प्र०



विश्वविद्यालय प्रकाशक, वाराणसी

© डॉ० देवेन्द्रकुमार शास्त्री
प्रथम संस्करण, १९७३
मूल्य - १२.५०

BHĀSHĀ SHĀSTRA TATHĀ
HINDI BHĀSHĀ KI RŪPREKHĀ
[An outline of Linguistics and Hindi Language]
by
Dr Devendra Kumar Shastri

First Published 1973
by Vishwavidyalaya Prakashan
Chowk, VARANASI-1

प्रकाशक विश्वविद्यालय प्रकाशन, विशालाक्षी भवन, चौक, वाराणसी ।
मुद्रक ओम्प्रकाश कपूर, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी (बनारस) ७१०४ २९ ।

पूर्व कथन

किसी भाषा का सम्यक् अध्ययन करने के लिए उस की विधि का ज्ञान करना आवश्यक होता है। आज के वैज्ञानिक युग में भाषा के अध्ययन की प्रणाली को भी वैज्ञानिक रूप मिल चुका है, इसलिए इसे भाषा विज्ञान कहा जाता है। भाषा विज्ञान में भाषा मात्र के सामान्य नियमों तथा उस की आकृति एवं प्रकृति का विवेचन किया जाता है। भाषा की प्रकृति का स्वरूप भाषण ध्वनियों में तथा आकृति-रूप पद एवं पदियों में लक्षित होता है। वर्णनात्मक भाषाशास्त्र में इन के अध्ययन विश्लेषण की वैज्ञानिक रूप से व्याख्या की जाती है। आज अमेरिका में ही नहीं, रूस तथा अन्य प्रगतिशील देशों में भी भाषाशास्त्र तथा भाषा विज्ञान के मुख्य केन्द्र स्थापित हो चुके हैं।

भाषा का सम्बन्ध समाज के प्रत्येक प्राणी से है। बिना भाषा के समाज नहीं चल सकता है। भाषण स्वयं गतिशील और प्रेरक है। केवल कवि, लेखक, कहानीकार, उप-न्यासकार, आदि साहित्यिकों, अध्यापकों और दार्शनिकों, आदि के लिए ही भाषा का विशेष महत्त्व नहीं है, किन्तु वैज्ञानिक, डॉक्टर और इंजीनियरों, आदि के लिए भी भाषा समान रूप से उपयोगी है। वैज्ञानिक आविष्कारों तथा अनुसंधानों के साथ-साथ भाषा में भी अनुसंधान के अनुगमन करने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। किसी नई वस्तु के हमारी आँखों के सामने आने के साथ ही उस के प्रतीक के रूप में शब्द उच्चारित होने लगता है। यही कारण है कि उड़नशील यंत्रों के आविष्कार के पूर्व हेलीकोप्टर (helicopter) तथा हॉवरक्राफ्ट (hovercraft) की बात कोई नहीं सोच सकता था। विज्ञान के सहयोग से भौतिक जगत् में ज्यों ज्यों प्रगति के चरण आगे बढ़ते जा रहे हैं, भाषा के नए शब्द रूपों की रचना और विकास के नए स्तर लक्षित होने लगे हैं। इसलिये प्रत्येक देश के जन सामान्य में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली तथा उस के उच्चारण में विशेष अन्तर आया है। यथार्थ में, वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण भाषा का क्षेत्र दिनोंदिन विकसित होता जा रहा है।

प्रत्येक युग का साहित्यकार नए शब्दों की तलाश में रहता है। नित नवीन भाव-भंगिमाओं के साथ अपनी संवेदनाओं तथा अनुभूतियों को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले कवि और जन साधारण की भाषा में सोचने और लिखने वाले कहानीकार की भाषा में अन्तर स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। जीवन के प्रत्येक क्रिया-कल्प का सम्बन्ध भाषा से जुड़ा रहता है। इसलिए उन की ठीक ठीक अभिव्यक्ति के लिए शब्दों की तलाश होना स्वाभाविक है। शब्दों की तलाश केवल साहित्यकार ही नहीं, किन्तु शिल्पी, वैज्ञानिक, यान्त्रिक और दार्शनिक भी करते हुए देखे जाते हैं। क्योंकि ज्ञान-विज्ञान के अनुभव तथा शोध-अनुसंधान को प्रकट करने के लिए भाषा ही एक मात्र

माध्यम है। मिचेल फेराडे ने विद्युत् के द्वारा रासायनिक परिवर्तन सम्बन्धी अपने खोज-परिणामों को वर्णित करने के लिए विलियम व्हेवेल से, जो केम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के प्राध्यापक थे, उपयुक्त शब्दों पर विचार करने के लिए प्रार्थना की थी। (देखिए, टी० एच० सेवोय लैंग्वेज ऑव सायन्स, पृ० ६५)

भाषा एक विज्ञान है, यह तथ्य प्रकट करने के लिए पिछले पचास वर्षों में कई महत्त्वपूर्ण पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। उन में से मुख्य उल्लेखनीय हैं—द स्टेटस् ऑव लिंग्विस्टिक्स एज ए सायन्स (एडव० सेपीर), फोनेमिक्स ए टेकनीक फार रिड्यु सिंग लैंग्वेजेज टु राइटिंग (के० एल० पाइक), लैंग्वेज (स्टूमपील्ड), मेथड्स इन स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स (भीमती जेड० एस० हेरिस), सायन्स एण्ड लिंग्विस्टिक्स द टेक्नालॉजी रिड्यु (बेन्जामिन ली हूर्फ), इत्यादि।

१८९० ई० के प्रारम्भ से ही, जब से विज्ञान जगत् में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं, तब से यह समझा जाने लगा है कि अब ससार में नये तथ्य अधिक नहीं रह गए हैं, वरन् तथ्यों को जानने के लिए नए ढंग से चिन्तन की आवश्यकता है। किन्तु नए ढंग से चिन्तन की अपेक्षा है, यह कहने की बजाय नए ढंग से कहने की आवश्यकता है, कहना अधिक उपयुक्त होगा। बेन्जामिन ली हूर्फ के ये विचार आधुनिक शोध अनुसंधान के सदर्भ में उचित ही प्रतीत होते हैं। क्योंकि आज सभी क्षेत्रों में अभि व्यक्त की शैली में पर्याप्त अंतर परिलक्षित होता है। अतः पुराने तथ्य नई भाषा में वर्णित होने पर अधिक आकर्षक और नवीन प्रतीत होते हैं। यह भाषा का चमत्कार है। भाषा की अभि व्यक्तता की दृष्टि से अत्यन्त प्राचीन काल से नवीनता और प्राचीनता को स्पष्ट रूप से देखा परखा जा सकता है।

अध्ययन काल से ही मेरे मन में यह धारणा बन चुकी थी कि हिन्दी भाषा में भाषा विज्ञान विषयक ऐसी कोई पुस्तक नहीं लिखी गई, जिस में सभी अंगों का तथा भाषातत्त्वों का विवेचन किया गया हो। मैं पिछले दस वर्षों से लगातार भाषाविज्ञान विषय का अध्यापन कार्य करता आ रहा हूँ। मेरे सामने हिन्दी के एम० ए० के छात्र रहे हैं। उन की कई प्रकार की कठिनाइयों का अनुभव करने का मुझे अवसर मिला है। मेरा अनुभव है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली सर्वथा भुक्तमान परम्परा के आबद्ध घेरे में चक्कर काट रही है, जिस के पाठ्यक्रम में लगभग चालीस वर्षों से कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो रहा है। विश्व के कोने-कोने में आज नया प्रकाश और नया तेज अत्यन्त वेग से संचार कर रहा है। किन्तु हम पुरानी परम्पराओं को पुराने सौंचे में ही अब तक ढाले हुए हैं। यह मेरी धारणा दिनोदिन दृढ़ होती गई। आज भी इस में कोई परिवर्तन हो, यही आकांक्षा है।

एक दिन जब मुझ से मेरे वरिष्ठ अध्यापकसाथी भाइ प्रमोद जी वर्मा ने मेरे सामने यह चर्चा की कि हिन्दी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए इस भाषाविज्ञान की क्या उपयोगिता है? तो तत्काल मैंने उत्तर में कहा कि उपयोगिता तो है और रहेगी, किन्तु जिस रूप में पाठ्यक्रम में है, वह विद्यार्थियों के लिए भार-स्वरूप ही है। हिन्दी साहित्य

का विद्यार्थी सत्कार की भाषाओं के परिवार रटता फिरे और हिन्दी तथा उस की बोलियों से अनभिज्ञ रहे, यह कैसी विडम्बना है ? एक तो भाषाविज्ञान उन के लिए नया विषय, फिर जर्मन की भाषाओं में लागू होने वाले ध्वनि नियमों का अध्ययन कर अपने समय और शक्ति का ही अपव्यय करते हैं। समय-समय पर होने वाले इस प्रकार के अनुभव मेरे मन में आज भी अच्छी तरह से जमे हुए हैं—भाषाविज्ञान पढ़ कर भी एम० ए० का छात्र शुद्ध हिन्दी नहीं लिख सकता, भाषा की भूलों को नहा समझ सकता, किसी दूसरी भाषा से हिन्दी में अनुवाद ठीक से नहीं कर सकता, स्नातकोत्तर अध्ययन के उपरान्त किसी प्राचीन या हस्तलिखित ग्रंथ का सम्पादन नहीं कर सकता, और न किसी साहित्यिक रचना की भाषा का सम्यक् अध्ययन ही कर पाता है। इतना ही नहीं, साहित्य की किसी भी प्रकार की रचना का वह भलीभाँति अनुशीलन एवं समालोचन करने में दक्ष नहीं बन पाता है। क्योंकि साहित्य की विभिन्न रचनाओं की मीमांसा तथा व्याख्या करने के लिए रचनाकार की उस मानसिक प्रक्रिया की प्रतीति आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है, जिस से कल्पना, शैली और विम्बविधान की सयोजना सहज ही अनुबद्ध होती है। किसी कवि, नाटककार या उपन्यासकार, आदि की रचना प्रक्रिया को समझ बिना उस की वास्तविक समीक्षा कैसे की जा सकती है ? केवल उसकी रचना से प्रभावित हो कर और अपनी मान्यताओं तथा धारणाओं के अनुसार प्रभाववादी आलोचना करना यथार्थ में समालोचना नहा कही जा सकती। भाषाविज्ञान और साहित्य के इस परिपूरक समालोचनात्मक पक्ष पर आज तक किसी ने हिन्दी भाषा में विचार नहीं किया था। प्रथम बार इस पुस्तक में भाषाविज्ञान से साहित्य का क्या सम्बन्ध है और इस शास्त्र की सहायता से हम वास्तविक समालोचना कैसे कर सकते हैं, इस पर सक्षित तथा भाषाशास्त्रीय विवचन किया गया है। इसलिये यह पुस्तक केवल परीक्षाथियो या विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, साहित्य समालोचक, भाषाविद् तथा अध्ययन अनुसंधान में प्रवृत्त एवं हिन्दी भाषा के सम्बन्ध में समस्त जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों के लिए भी समान रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकेगी।

प्रस्तुत पुस्तक में भाषा के समालोचनात्मक अध्ययन के अतिरिक्त कई नवीन विषयों पर भी विचार किया गया है। हिन्दी भाषा में भाषाविज्ञान विषय से सम्बन्धित किसी एक पुस्तक में आज तक हिन्दी भाषा की वर्तनी (Spelling) नए शब्दों की रचना, कोश-युत्पत्ति विज्ञान, अनुवाद और पाठालोचन, आदि का विवेचन नहीं किया गया है। इन सब का विचार करते हुए हिन्दी भाषा की एकरूपता और याकरणिक रचना का भी नए सिरे से विवेचन किया गया है। वास्तव में, वर्तनी का सम्बन्ध श्रुति एवं भाषा के रागात्मक पक्ष से है। अतएव हिन्दी जगत् में अब यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि प्रायः सभी नामाख्यातक रूपों में 'य' के स्थान पर स्त्रीलिङ्ग में 'ई' (जैसे नई, खाई) और क्रियापदों में 'ए' (जैसे जायँगे, चाहिए) का प्रयोग न केवल श्रुति की दृष्टि से, वरन् भाषाशास्त्रीय ध्वनिविषयक विश्लेषण तथा विकास की परम्परा में भी उचित सिद्ध होता

है। भाषागत ध्वनियों के इन नए परिवर्तनों को पुराने व्याकरण की दूरबीन से जाँचना अथवा परम्परागत जीर्ण रूढ़ियों के पैमाने से मापना उचित न होगा।

पुस्तक के लेखन में रचिदाकर विश्वविद्यालय, रायपुर के भाषा विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉ० रमेशचन्द्र मेहरोत्रा से समय-समय पर जो विमर्श मिलता रहा है, उस के लिए लेखक सदा उन का आभारी रहेगा। डॉ० मुरारीलाल उप्रैति, क० मु० हिन्दी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा का भी आभार है, जिन्होंने वाक्-इन्द्रियों का चित्र प्रदान कर मेरी सहायता की। केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के निदेशक डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा ने पुस्तक के कुछ अशों को पढ़ कर जो उत्साह और अभिहृत्ति प्रदर्शित की है वह सर्वथा स्मरणीय रहेगी। अन्त में उन सभी लेखकों का हृदय से कृतज्ञ हूँ, जिनकी पुस्तको व लेखो से सामग्री संकलित कर एक छोटा मोटा रूप दे सका हूँ। इस का मुझे खेद है कि पर्याप्त सावधानी रखने पर भी कहीं कहीं मुद्रण सम्बन्धी त्रुटियाँ रह गई हैं।

इस पुस्तक के प्रकाशन में श्री मोदी जी ने जिस तत्परता और स्नेह का परिचय दिया है, वह सच्चमुच्च सराहनीय है। उन की सजगता और लगन के फलस्वरूप ही पुस्तक इस नयनाभिराम रूप में शीघ्र ही मुद्रित हो सकी है। अतएव उन का विशेष आभार है।

—देवेन्द्रकुमार शास्त्री

२६ जनवरी, १९७२

विषयानुक्रमिका

१ भाषाशास्त्र : परिचय

१-३९

भाषाविज्ञान तथा भाषाशास्त्र, भाषाशास्त्र की उपयोगिता, व्याकरण तथा भाषाशास्त्र का अंतर, वाक् तथा भाषा, भाषा क्या है ? , भाषा की प्रकृति, भाषा के विविध रूप, उपबोली, बोली, भाषा, ग्राम्य भाषा, मानक भाषा, साहित्यिक भाषा, राष्ट्र भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, भाषा की उत्पत्ति, निष्कर्ष, सन्दर्भ सकेत, अध्ययन व विमर्श के लिए पठनीय पुस्तकें ।

२ भाषा के तत्त्व

४०-१०६

ध्वनि और ध्वनितत्त्व, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है ? , भाषा ध्वनि, भाषण ध्वनि, ध्वनि तथा ध्वनिग्राम, अक्षर, ध्वनि-यन्त्र, वाक् इन्द्रियों, ओठ, दाँत, वर्तु, कठोरतालु, कोमलतालु, अल्लिजिह्वा या कौवा, जीम, उपाल्लिजिह्वा या गलबिल, स्वरयन्त्रावरण, स्वरतन्त्री, साहित्यिक हिन्दी (खड़ी बोली) की मूल ध्वनियाँ, हिन्दी ध्वनियों का वर्गीकरण, स्वरध्वनियों का वर्गीकरण, मानस्वर, मध्य या केन्द्रीय स्वर, मूलस्वर, सयुक्तस्वर, सयुक्त ध्वनि, ध्वनि संयोग, ध्वनिनियम, यजन ध्वनियों का वर्गीकरण, ध्वनि गुण [मात्रा, सुर (लय) या स्वरलहर, बलाघात], हिन्दी में बलाघात, स्वरावस्थान, अपभ्रुति, अपिनिहिति, स्वरभक्ति, अभिभ्रुति, अभिनिहिति, भ्रुति, हिन्दी के स्वर ध्वनिग्राम तथा सध्वनियाँ, हिन्दी भाषा के उच्चार और वर्तनी, भाषा के रागात्मक तत्त्व, हिन्दी भाषा में उच्चारण और वर्तनी की एकरूपता, वर्तनी के सामान्य नियम, हिन्दी की प्रकृति तथा प्रवृत्ति, हिन्दी की एकरूपता का प्रश्न, हिन्दी में संस्कृत के प्रचलित शब्द प्रयोग, भाषागत भूलों के प्रयोग, हिन्दी के विशिष्ट ध्वनि नियम, ध्वनि परिवर्तन का स्वरूप और उस के कारण, सन्दर्भ सकेत, अध्ययन व विमर्श के लिए पठनीय पुस्तकें ।

३ हिन्दी की रूप रचना एवं वाक्य विन्यास

१०७-१६६

भाषा सघटना, व्याकरण तथा भाषा का आन्तरिक रूप, पद और पदिम, पदग्राम, मुक्तरूप तथा आवद्धरूप, पदग्रामिक विश्लेषण, पदध्वनिग्रामिक और संधि, रूपप्रक्रिया, आन्तरिक परिवर्तन, द्वित्वीकरण, पृथिकरण, शून्य रूपांतरण, समास-रचना, शब्दानुक्रम, बलाघात, क्रियापदों की रूप-रचना, रूप परिवर्तन, हिन्दी समास रचना, हिन्दी प्रत्ययों की संरचना, प्रत्यय और प्रयोग, शब्द-संरचना हिन्दी-संस्कृत प्रत्ययों से नए शब्दों की रचना, व्युत्पत्तिमूलक पद्धति, समासमूलक पद्धति, उधार लेने की पद्धति, वर्ण-

विपर्ययात्मक पद्धति, अर्थपरिवर्तनीय पद्धति, नए शब्दों की रचना प्रक्रिया, पारिभाषिक शब्द संरचना, वाक्य-रचना, वाक्य के प्रकार, वाक्य विन्यास के अध्ययन की पद्धतियाँ, सन्दर्भ संकेत, अध्ययन व विमर्श के लिए पठनीय पुस्तकें ।

४ अर्थतत्त्व तथा शब्दकोश विज्ञान

१६७-२५८

ध्वनि तथा अर्थतत्त्व, शब्दाथ विचार, संरचनात्मक अर्थतत्त्व, अर्थ की साकेतिक प्रक्रिया, शब्दशक्तियाँ तथा अर्थतत्त्व, अभिधा, लक्षणा, व्यजना, अविता, अर्थ परिवर्तन की दिशाएँ--अर्थ विस्तार, अर्थ-संकोच, अथादेश, बौद्धिक नियम (विशेष भाव का नियम, भेदीकरण का नियम, उद्योतन का नियम, विभक्तियों के भग्नावशेष का नियम, मिथ्या प्रतीति का नियम, उपमान या सादृश्य का नियम), अर्थ परिवर्तन के कारण, अनुवाद, अनुवादविषयक भूलें, अर्थ और शैली, शैलीतत्त्व, कल्पना, कल्पना की रचना प्रक्रिया, निम्ब और प्रतीक, बिम्बनिर्माण की प्रक्रिया, काव्यगत सौंदर्य का चिचिध रूप, चिम्बान्मक प्रयोग, प्रतीक-रचना, प्रतीको से अर्थोद्भावना, प्रतीका के विभिन्न प्रयोग, कोश विज्ञान, कोश प्रकार "युत्पत्ति विज्ञान, पाठालोचन, प्रतियों में दोष और उनके कारण, पुनर्निर्माण की विधि, पाठ की अर्थभंगगत समस्याएँ, सन्दर्भ-संकेत, अध्ययन व विमर्श के लिए पठनीय पुस्तक ।

५ राष्ट्रभाषा हिन्दी और देवनागरी लिपि

२५९-३३६

भारोपीय भाषाएँ, भारोपीय भाषा परिवार में हिन्दी, हिन्दी और उस का महत्त्व, खड़ी बोली और हिन्दी, हिन्दी और उस की बोलियाँ, हिन्दुस्तानी, उर्दू, बागूरू, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुन्देली, निमाडी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढी, राजस्थानी, मेवाती, मालवी, डिंगल, सौराष्ट्री, बजारी, भीली, पहाडी, बिहारी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, हिन्दी भाषा का विकास, प्राचीन भारतीय आय भाषाएँ, मध्यकालीन भारतीय आयभाषाएँ, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश, हिन्दी भाषा की सत्रैधानिक स्थिति, हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप में, हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाएँ, लिपि और भाषा, प्रतीकलिपि, चित्रलिपि, भावलिपि, वनि लिपि, देवनागरी लिपि का उद्भव एवं विकास, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, देवनागरी लिपि की मुट्टियाँ और सुधार, एक राष्ट्रीय लिपि के रूप में, सन्दर्भ संकेत, अध्ययन व विमर्श के लिए पठनीय पुस्तकें ।

पारिभाषिक शब्दावली

३३७-३४९

भाषाशास्त्र . परिचय

भाषाविज्ञान तथा भाषाशास्त्र

बतापि भारतवर्ष में अत्यन्त प्राचीन काल से वाक्, अक्षर, पद-पदार्थ आदि भाषा के विभिन्न अंगों का सूक्ष्म विवेचन होता रहा है, किन्तु भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन आधुनिक युग की देन है। केवल आन्तरिक रूप का ही नहीं, भाषा के बाह्य रूप का भी सम्यक् विश्लेषण, अध्ययन तथा अनुशीलन इस युग में किया गया है। अठारहवीं शताब्दी के पूर्व भाषा के अध्ययन के क्षेत्र में यूरोप में १७१६ ई० में डेबीस ने इसे 'ग्लसालॉजी' तथा सन् १८४१ में प्रिचर्ड ने 'ग्लोटालॉजी' नाम दिया था, किन्तु यह नाम लोकप्रिय नहीं हो सका। सामान्यतः 'फिलॉलॉजी' शब्द इसके लिए प्रचलित हुआ, जो आज तक भाषा विज्ञान के पर्याय के रूप में प्रचलित है। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में जो अध्ययन-कार्य किया गया, उसे ध्यान में रख कर 'तुलनात्मक भाषा-विज्ञान' का समानार्थी 'फिलॉलॉजी' शब्द समझा गया। भारतवर्ष में आधुनिक युग में भाषा-विज्ञान के अध्ययन का प्रारम्भ कलकत्ता विश्वविद्यालय में 'कम्पैरेटिव फिलॉलॉजी' विषय के रूप में हुआ। अध्ययन के विकास के साथ ही 'फिलॉलॉजी' शब्द का भी अर्थ विस्तार हो गया। अब यह इंग्लैण्ड में भाषा-सम्बन्धी सभी प्रकार के अध्ययन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ तक कि भाषा तत्त्व (Linguistics) के लिए भी वहाँ पर 'फिलॉलॉजी' शब्द प्रचलित है। किन्तु भाषा विज्ञान (Philology), तुलनात्मक भाषा विज्ञान (Comparative Philology), भाषातत्त्व या भाषाशास्त्र (Linguistics) शब्दों से विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण किया जाता है। भारतवर्ष में इसके लिए पुराना शब्द भाषाशास्त्र है, किन्तु आज इसके लिए 'भाषा तत्त्व' शब्द का प्रयोग उपयुक्त समझा जाता है। हिन्दी में 'विज्ञान' तथा 'शास्त्र' दोनों शब्द प्रायः पर्याय रूप में प्रयुक्त होते हैं। जिस प्रकार कुछ दशकों के पूर्व यूरोप में 'फिलॉलॉजी' और 'लिनिग्विस्टिक्स' शब्दों के अर्थ में कोई अन्तर नहीं माना जाता था, उसी प्रकार एक दशक पूर्व तक हमारे यहाँ भी भाषा विज्ञान और भाषाशास्त्र में कोई भेद नहीं समझा जाता था। परन्तु डॉ० उदयनारायण तिवारी ने 'भाषाशास्त्र की रूपरेखा' लिख कर यह स्पष्ट कर दिया है कि भाषाशास्त्र भाषा विज्ञान से एक अलग विषय है। भाषाशास्त्र में मुख्य रूप से जीवित भाषा या बोली का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। आज अमेरिका में भाषा के अध्ययन के दो मुख्य विभाग बन गये हैं—भाषा विज्ञान (Philology) और भाषाशास्त्र (Linguistics)। भाषा-विज्ञान के अन्तर्गत प्राचीन लिखित समग्री, साहित्यिक रचनाओं

तथा शिलालेखों की भाषा का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में, इसे सांस्कृतिक भाषा विज्ञान भी कहा जा सकता है, जिसका कार्य कोश निर्माण, प्राचीन ग्रन्थों का सशोधन व सम्पादन, लोक-कथाओं का विश्लेषण तथा विवेचन कर उनकी सांस्कृतिक व्याख्या प्रस्तुत करना है। इस प्रकार एक और भाषा विज्ञान जहाँ साहित्यिक अभिलेखों के अध्ययन में उपयोगी है वही दूसरी ओर सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक तथ्यों का विवेचन करना भी इसका कार्य माना जाता है। किन्तु भाषाशास्त्र (Linguistics) में केवल कथ्य भाषा का ही विवेचन किया जाता है। जीवित बोली का विश्लेषण करना ही इसका मुख्य कार्य है। लिखित सामग्री या साहित्य की भाषा की व्याख्या करना इसकी सीमा के बाहर का विषय है।

सामान्यतः भाषा विज्ञान का अर्थ किसी भाषा का साहित्यिक दृष्टि से अध्ययन माना जाता है। जर्मन में इसका अर्थ साहित्य का अध्ययन प्रचलित है। भाषा विज्ञान केवल भाषा की ही व्याख्या नहीं करता, अपितु भाषा में निहित साहित्यिकता के साथ सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक विवेचन भी प्रस्तुत करता है। परन्तु भाषाशास्त्र केवल भाषा पर केंद्रित रहता है। प्रसंगत सन्दर्भगत सांस्कृतिक तथा साहित्यिक मूल्यों का अधिग्रहण किया जाता है। क्योंकि मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा का—जो कि लिखित भाषा भी हो सकती है—विचार किया जाता है। इस प्रकार भाषाशास्त्र भाषा का अध्ययन है, जिसका व्युत्पत्तिमूलक अर्थ होता है—भाषा वह है 'जो मानवीय वाणी से समन्वित होती है।' किसी भी भाषा का या विभिन्न भाषाओं का जिसके अन्तर्गत वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसे भाषाशास्त्र कहते हैं। भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन नवीन शोध और अनुसंधानों पर आधारित है। भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किए जाने के कारण लगभग एक शताब्दी के पूर्व इसे 'सायन्स ऑफ लैंग्वेज' कहा जाता था और आज इसके लिए सर्वसाधारण प्रचलित शब्द है—लिंग्विस्टिक सायन्स। विज्ञान के अन्य विषयों की भाँति भाषा के अध्ययन की पद्धति भी एक विज्ञान है, जिसके लिए 'लिंग्विस्टिक' शब्द का प्रयोग एक विशेषण के रूप में किया गया है^१।

हिन्दी जगत में सामान्य रूप से भाषा के अध्ययन के लिए भाषा तत्त्व, भाषा विचार, भाषा मीमांसा, भाषालोचन, भाषाशास्त्र, भाषा विज्ञान तथा तुलनात्मक भाषा विज्ञान आदि अनेक शब्द प्रचलित हैं किन्तु भाषा विज्ञान सबसे अधिक प्रचलित शब्द है। यद्यपि 'भाषा विज्ञान' शब्द वाक्य अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है और इससे भाषा अध्ययन की लगभग सभी विधाओं का बोध हो जाता है, किन्तु भाषा विज्ञान में इसका अर्थ लिखित सामग्री का अध्ययन किया जाता है^२। भाषाविद् इसका उपयोग पाठ शुद्धि के लिए करते हैं। हस्तलिखित तथा शिलालेखों में प्राप्त होने वाली अशुद्धियों का परिभाजन, पाठ निर्धारण तथा छूटे हुए अशों तथा शब्दों की पूर्ति भाषा वैज्ञानिक अध्ययन से की जाती है। ऐतिहासिक अध्ययन में लिखित सामग्री अतीतकालिक होने के कारण भाषा विज्ञान का आश्रय लेकर चलना पड़ता है। किन्तु


किसी भाषा का तारिखिक अध्ययन करने के लिए अथवा विशिष्ट काल की भाषा के सर्वांगीण अध्ययन को प्रस्तुत करने के हेतु भाषाशास्त्र की उपयोगिता स्वभावसिद्ध है। भारतवर्ष में आदिवासियों की ऐसी कई बोलियों हैं, जिनमें कोई लिखित साहित्य उपलब्ध नहीं है। इसलिए उनका इतिहास जानना भाषा-विज्ञान के लिए सम्भव नहीं है। भाषावैज्ञानिक लिखित सामग्री के बिना किसी भाषा का ऐतिहासिक अध्ययन एवं विश्लेषण नहीं कर सकता। किन्तु भाषाशास्त्री ऐतिहासिक अध्ययन के द्वारा वर्तमान जीवित बोलियों की तुलना कर प्राचीन रूपों का पुनर्गठन कर सकता है। इस प्रकार भाषाशास्त्र में वर्तमान से अतीत की ओर पुरस्सर होने का अध्ययन-क्रम संरक्षित होता है, किन्तु भाषा विज्ञान में अतीत से वर्तमान तक आने का याथा विषयक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। हिन्दी भाषा के विशेष अध्ययन के लिए हमने 'भाषाशास्त्र' शब्द उपयुक्त समझा है और भाषा विज्ञान के आधुनिक सन्दर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया है। भाषाशास्त्र से हमारा अभिप्राय 'क्लिम्बिस्टिक्स' से है।

आजकल भाषाशास्त्र के मुख्य दो उप विभाग हो गये हैं—ऐतिहासिक भाषाशास्त्र और वर्णनात्मक भाषाशास्त्र। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ऐतिहासिक भाषाशास्त्र के अन्तर्गत भाषा में होने वाले परिवर्तनों तथा मौखिक सामग्री के रूप में प्राप्त भाषा-विकास का कालक्रमानुसार अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन व्यक्ति बोली के अन्तर्गत किया जाता है। वस्तुतः ऐतिहासिक अध्ययन भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के कारण प्रतिफलित हुआ। सन् १७८६ में सर विलियम जोन्स की इस घोषणा से कि संस्कृत ग्रीक से भी पूर्ण, लैटिन से भी प्रचुर तथा दोनों में पर्याप्त समानता होने पर भी (संस्कृत) अधिक संस्कारित भाषा है और इन तीनों भाषाओं का मूल उत्स एक ही है—यूरोप के भाषाविदों का ध्यान तुलनात्मक अध्ययन की ओर अग्रसर हुआ और परिणामस्वरूप 'तुलनात्मक भाषा विज्ञान' का जन्म हुआ। जब दो या दो से अधिक भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन कालक्रम के अनुसार किया जाता है तथा किसी भाषा की प्राचीनता का अनुसंधान किया जाता है तब तुलनात्मक अध्ययन होने पर भी उसे ऐतिहासिक कहना चाहिए। सम्भवतः इसीलिए ऐतिहासिक भाषाशास्त्र का एक पृथक् विषय ही बन गया है। इस शास्त्र में भाषा विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अतिरिक्त किसी भाषा विशेष के उद्भव और विकास का ऐतिहासिक विधि से अध्ययन किया जाता है। इस सन्दर्भ में यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि अब तुलनात्मक अध्ययन समकालिक तथा कालक्रमगत भाषा सामग्री के आक्षर पर किया जाता है, इसलिए अलग से तुलनात्मक भाषाशास्त्र विषय मानने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भाषाशास्त्र में ऐतिहासिक भाषाशास्त्र (Historical Linguistics) के लिए पर्याय के रूप में कालक्रमिक भाषाशास्त्र (Diachronic Linguistics) शब्द का भी प्रयोग किया जाता है।

वर्णनात्मक भाषाशास्त्र (Descriptive Linguistics) के पर्यायवाची रूप में समकालिक भाषाशास्त्र (Synchronic Linguistics) शब्द का भी प्रयोग किया

जाता है। भाषा के समस्त रूप तथा उसके अर्थों का विश्लेषण वर्णनात्मक रूप में प्रस्तुत किए जाने के कारण इसे वर्णनात्मक भाषाशास्त्र कहते हैं। ध्वनिप्राप्त तथा पद ग्राम को मूल इकाई के रूप में प्रयुक्त कर भाषावैज्ञानिक भाषा के अभिव्यक्तिपरक पक्ष को ज्ञातव्य सिद्धान्त के रूप में निर्मित करने में समर्थ हो सके हैं और विशिष्ट भाषाओं की अभिव्यक्ति पद्धतियों की विस्तृत व्याख्या कर सके हैं। सामान्य रूप से इसे वर्णनात्मक भाषाशास्त्र कहा जाता है। यह भाषीय विज्ञान (Linguistic Science) की मूल शाखा है। अन्य ऐतिहासिक भाषाशास्त्र है। ऐतिहासिक भाषाशास्त्र की पद्धति विवरणात्मक होती है। इस पद्धति में कालक्रमानुसार भाषा तत्त्वों की विभिन्न अवस्थाओं का उल्लेख किया जाता है। किन्तु वर्णनात्मक भाषाशास्त्र में भाषा के विभिन्न तत्त्वों का विश्लेषणात्मक वर्णन किया जाता है। यह वर्णन तीन भागों में किया जाता है व्याकरण (जिसमें ध्वनिविज्ञान और ध्वनितत्त्व भी सम्मिलित हैं), कोश-रचना और साहित्यिक शैली। इन सभी में शब्द-रूप, रूपों तथा शब्दार्थों का विचार किया जाता है। वस्तुतः एक प्रकार से वर्णनात्मक भाषाशास्त्र को 'अभिनव व्याकरण' कहा जा सकता है, क्योंकि व्याकरण के सभी उपादानों का विश्लेषण एवं वर्णन करने के कारण वर्णनात्मक भाषाशास्त्र ऐतिहासिक भाषाशास्त्र के लिए मूल आधार की रचना करता है। आधुनिक वर्णनात्मक भाषाशास्त्र की व्यावहारिक पद्धति में ही लगभग दार्द हजार वर्षों के पूर्व के भारतीय व्याकरण तथा पाणिनि की रूपात्मक अध्ययन विधि का आभास मिलता है और इसी के आधार पर उनकी वैज्ञानिकता सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है। किन्तु पाणिनीय पद्धति मूल आधार होने पर भी वर्णनात्मक भाषाशास्त्र आधुनिक युग की चरम उपलब्धि है। पाणिनीय पद्धति के विश्लेषणात्मक और सश्लेषणात्मक दोनों ही रूपों का चरम विकास इस पद्धति में परिलक्षित होता है। व्याकरण रुढ़ है किन्तु वर्णनात्मक भाषाशास्त्र जीवित। दूसरे अर्थ में वर्णनात्मक पुराणपथी रीति (प्रिस्क्रिप्टिव) या प्रतिमानक (नार्मेटिव) का विरोधार्थी है। भाषाशास्त्र कहता है कि क्या भाषा है, कौन सी भाषा है, कितनी भाषाएँ हैं और इस अवस्था तक कैसे पहुँची हैं, इस रूप को कैसे प्राप्त हुई हैं। वह यह नहीं बतलाता कि ठीक क्या है और गलत क्या है। तुलनात्मक भाषा विज्ञान एक ओर वर्णनात्मक भाषाशास्त्र का आधार लेता है तो दूसरी ओर ऐतिहासिक भाषाशास्त्र का। इस प्रकार भाषा विश्लेषण की दो पद्धतियाँ मुख्य मानी जाती हैं—ऐतिहासिक तथा वर्णनात्मक या समकालिक। ऐतिहासिक तथा समकालिक शाखाओं की अन्य दो दो उपशाखाएँ भी कही गई हैं—

भाषा विश्लेषण-पद्धति



ऐकाकी में एक व्यक्ति की बोली की विभिन्न अवस्थाओं या दो भिन्न कालों की भाषागत स्थिति का अध्ययन किया जाता है। किन्तु सामूहिक में दो या दो से अधिक भाषाओं का कालक्रमानुसार अध्ययन होता है। इसी प्रकार एक कालिक में एक भाषा की सम्पूर्ण इकाइयों का अध्ययन तथा भिन्न भाषात्मक उपशाखा में पारस्परिक भेदों के साथ दो भिन्न बोलियों की समानताओं का अध्ययन किया जाता है। वस्तुतः यह बोली विज्ञान का विषय है। यद्यपि अधिकतर शाखा उपशाखाओं में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, किन्तु वे सभी पद्धतियाँ किसी न किसी रूप में ऐतिहासिक और वर्णनात्मक भाषाशास्त्र में अन्तर्हित हो जाती हैं।

भाषाशास्त्र की अधुनातन शाखा वाक्यात्मक भाषाशास्त्र (Syntactic Linguistics) के नाम से अभिहित की गई है। इस शाखा के अन्तर्गत वाक्य विन्यास का विशिष्ट तथा सम्पूर्ण अद्ययन किया जाता है। अन्य पद्धतियों से इसमें निश्चित एवं स्पष्ट भेद यह है कि प्रत्येक भाषाई तत्त्व (प्रायः प्रत्येक शब्द) एक या एक से अधिक समान पदों में निर्दिष्ट किए जाते हैं, केवल एक सामान्य नियम तथाकथित गणितीय लक्षण देने की आवश्यकता नहीं होती, जो किसी भाषाई शृंखला (एक या एक से अधिक तत्त्वों का अनुक्रम) के प्रकरण में वाक्यात्मक लक्षण परिगणना करने में सहायक होते हैं¹⁰। यथार्थ में किसी भी भाषा का गठन मूलतः ज्ञात होने पर यन्त्र भी उसी रूप में सघटित कर सकता है। किन्तु 'कलम कट गई' तथा 'बतासाले' जैसे वाक्यों का अर्थ निम्न वाक्य विन्यास के विश्लेषण से ही सम्भव है। वस्तुतः प्रकरण या प्रसंगगत विवेचन वर्णनात्मक भाषाशास्त्र के विषय से बाह्य समझा जाता है। अतएव नोम चोम्स्की ने अपनी पुस्तक 'सिंटेक्टिक स्ट्रक्चर' में यह भलीभाँति प्रदर्शित किया है कि इस विषय में प्रवेश, जिसे कि वह शब्द समूह (Phrase) गठन का व्याकरण कहता है¹¹, प्राचीन आधार पर निर्मित नवीन रूपों की समस्या का पूर्णतया समाधान करने में सक्षम नहीं है, दूसरे शब्दों में वह कोई उत्पादक (जनरेटिव) व्याकरण प्रस्तुत नहीं करता, जो कि उन सभी को और केवल उन रूपों को जो भाषा में मिलते हैं बसा सकेगा¹²। यथार्थ में 'उत्पादक व्याकरण' की पद्धति का वास्तविक रूप 'गठनात्मक भाषाशास्त्र' (Structural Linguistics) में संकथित होता है।

भाषाशास्त्र की यह शाखा जैलिंग हैरिस की पुस्तक 'मिथड्स इन स्ट्रक्चरल क्रिबिस्टिक्स' से आरम्भ हुई। गणितीय आधार पर प्रस्तुत होने के कारण इसे भाषा के अध्ययन का गणित भी कहा जाता है। गणित की भाँति इसमें प्रत्येक भाषा-तत्त्व का वर्णन सूत्रों में किया जाता है। भाषाशास्त्र की इन दोनों शाखाओं का अन्तर्भाव किसी न किसी रूप में वर्णनात्मक भाषाशास्त्र में हो जाता है। क्योंकि भाषा का वास्तविक अध्ययन—जो कि प्रत्यक्ष है—शब्दोच्चार, उच्चारण विधि, ध्वनि, ध्वनि-ग्राम, पद, पद-ग्राह्य आदि भाषा का गठन करने वाले अवयवों का पूर्णतया विश्लेषण तथा वर्णन इस शास्त्र में किया जाता है। इस प्रकार भाषा के प्रत्येक उच्चरित रूप का अध्ययन वर्णनात्मक भाषाशास्त्र में किया जाता है।

भाषाशास्त्र की एक अन्य उप शाखा वंशानुक्रमिक भाषाशास्त्र (Genealogical Linguistics) मानी जाती है, जिसमें वंशावली को ध्यान में रख कर भाषा का ऐतिहासिक अध्ययन किया जाता है। वस्तुतः यह ऐतिहासिक भाषाशास्त्र में ही गर्भित हो जाती है। किसी भी भाषा या भाषाओं का अध्ययन कितने ही रूपों में किया जा सकता है, किंतु उनकी अध्ययन विधि दो ही हो सकती है—वर्णनात्मक और ऐतिहासिक। मुख्य रूप से वर्णनात्मक भाषाशास्त्र में विभिन्न रूपों का अध्ययन सन्निविष्ट होने से तथा भाषा के आन्तरिक और बाह्य रूप का विश्लेषण तथा वर्णन करने के कारण भाषाशास्त्र की मुख्य विधि मानी जाती है। दूसरी मुख्य विधि ऐतिहासिक है। अमेरिका के प्रसिद्ध भाषाशास्त्री ग्लिसन ने तुलनात्मक भाषाशास्त्र को दूसरा मुख्य स्थान दिया है¹³। वास्तव में 'कम्पैरेटिव' शब्द आरम्भ से ही भाषा विज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक अध्ययन का वाचक रहा है। लेमन ने स्पष्ट रूप से ऐतिहासिक भाषाशास्त्र के अन्तर्गत तुलनात्मक विधि का निर्देश करते हुए ऐतिहासिक तथ्यों का ही उल्लेख किया है¹⁴। इसी प्रकार हॉकेट ने तुलनात्मक विधि में पुराकालिक भाषाओं के शब्दों का विचार किया है। यथाथ में यह भाषाओं के ऐतिहासिक सम्बन्ध को प्रकट करने वाली होती है। समकालिक दो या दो से अधिक भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन वर्णनात्मक भाषाशास्त्र का विषय है। भाषाशास्त्र में लिखित भाषाओं की अपेक्षा जीवित बोलियों तथा भाषाओं का अत्यधिक महत्त्व है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि मौखिक एवं लिखित भाषा का अध्ययन भाषाशास्त्र में नहीं किया जाता। यथार्थ में किसी भी जीवित भाषा के मूल तथा शुद्ध रूप का परिज्ञान भाषाशास्त्र से होता है।

भाषाशास्त्र की उपयोगिता

एक भाषाशास्त्री के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह कई भाषाओं का जानकार हो। एक वैज्ञानिक की भाँति उसका विषय भाषा होता है, जिसकी वाग्ध्वनियों का विश्लेषण तथा वर्गीकरण करना मुख्य कार्य समझा जाता है। लिखित भाषा सामग्री को वह अपने आस पास के बोलने वालों से प्राप्त करता है। भाषा के आन्तरिक रूप का अध्ययन बिना भाषाशास्त्र के ज्ञान के सम्भव नहीं है। इसीलिए दौशब काल

से हम जिस भाषा का प्रयोग करते आ रहे हैं यदि उसके सम्बन्ध में कोई सामान्य-सा प्रश्न पूछ देता है कि—‘तुम आगरा से आ रहे हो’ यह वाक्य ठीक है अथवा ‘तुम आगरे से आ रहे हो’ इन दोनों में से शुद्ध क्या है तो उत्तर देना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार से जिन ध्वनियों से हम सर्वथा परिचित हैं और जिनका रात दिन प्रयोग करते हैं उनके सम्बन्ध में कोई पूछ बैठे कि ‘दश’ और ‘दस’ में से क्या लिखना चाहिए तो हम असमंजस में पड़ जाते हैं। ध्वनियों और शब्द-रूपों की भौति भाषा की अभिव्यक्ति-पद्धति की जानकारी के लिए भी भाषाशास्त्र का अध्ययन करना नितान्त आवश्यक है। मानव का सम्पूर्ण जीवन उसकी वाग्ध्वनियों में लिपटा रहता है और उनका अध्ययन करना ही भाषाशास्त्र का मुख्य कार्य है। संक्षेप में, भाषा-शास्त्र की उपयोगिता निम्न लिखित है —

- (१) भाषा के आन्तरिक तथा बाह्य रूप की वास्तविक जानकारी के लिए इसकी उपयोगिता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। भाषा के सम्बन्ध में सभी प्रकार की जिज्ञासाओं का समाधान भाषाशास्त्र से होता है।
- (२) किसी भी भाषा के सम्यक् शिक्षण के लिए भाषाशास्त्र एक निर्देशक के समान है, जिसकी सहायता से हम किसी भी प्रकार की भाषा की शिक्षा ठीक उच्चारों के साथ सम्यक् रूप में प्राप्त कर सकते हैं।
- (३) जीवित बोली तथा भाषा एव लिखित अथवा साहित्यिक भाषा के बीच का अन्तर भाषाशास्त्र के अध्ययन से विदित होता है। साधारण और शिष्ट लोगों के बीच जो अन्तर दिखलाई पड़ता है वही भाषा के क्षेत्र में भी लक्षित होता है।
- (४) हस्तलिखित ग्रन्थ के पाठ-संशोधन में तथा अर्थ निर्णय में भाषा विज्ञान और भाषाशास्त्र दोनों ही उपयोगी हैं। भाषाशास्त्र के नियमों को ध्यान में रख कर जो पाठ शोध किया जाता है वह सम्यक् तथा वैज्ञानिक माना जाता है।
- (५) ऐतिहासिक भाषाशास्त्र में भाषा के विकास के साथ ही ऐतिहासिक खोजों का विवरण भी मिलता है, जिससे पुराकालिक समाज तथा संस्कृति के सम्बन्ध में कई ज्ञातव्य तथ्यों की जानकारी मिलती है। मानव के विकास की कथा के स्पष्ट सूत्र भाषा में निहित रहते हैं। इसलिए कई शताब्दियों के बाद भी वे उस युग के परिचायक होते हैं।

सामान्यतः लोग भाषाशास्त्र को व्याकरण की भौति दुरूह तथा नीरस समझते हैं। बहुत कुछ अशोभे यह बात सच भी है। किन्तु ज्ञानार्जन में दुरूहता और जटिलता का प्रश्न नहीं होता। भले ही यह सामान्य रुचि का विषय न हो, किन्तु भाषा की ठीक ठीक जानकारी के लिए यह रुचिकर विषय अवश्य है। भाषा के सम्बन्ध में हमारी अज्ञानता और भ्रम का परिहार इस शास्त्र के अध्ययन से भली-भाँति हो जाता है। व्याकरण की अपेक्षा इस शास्त्र का विषय अधिक रोचक तथा विचरणात्मक है। इस लिए यह उतना कठिन नहीं है। एक साहित्य के विद्यार्थी के लिए किसी काव्य की सम्यक् व्याख्या और आलोचना एवं साहित्यशास्त्र समझने में जितना बौद्धिक श्रम

करना पड़ता है उससे अधिक इस शास्त्र को समझने के लिए आवश्यक नहीं है। इस प्रकार भाषाशास्त्र की उपयोगिता वक्ता की योग्यता तथा उसकी भाषाविषयक उपवीत-पद्धति पर निर्भर है।

व्याकरण तथा भाषाशास्त्र का अन्तर

प्राचीन काल में व्याकरण के लिए कई शब्द प्रचलित थे। शब्दानुशासन, शब्दशास्त्र, निर्वचनशास्त्र तथा शब्द-मीमासा आदि "व्याकरणशास्त्र के समानार्थवाचक शब्द हैं। व्याकरण शब्द का अर्थ है—जिस शास्त्र से शब्दों का अर्थ विस्तार जाना जाता है। व्याकरण के दो मुख्य कार्य हैं—सिद्ध शब्दों की रचना प्रक्रिया प्रस्तुत करना और शब्दों की व्याख्या करना। शब्दों की व्याख्या या विश्लेषण करने के कारण इसे व्याकरण कहा जाता है"। राजशेखर ने भी शब्दों की सिद्धि तथा व्याख्या करने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा है"। वस्तुतः शब्द का अन्वाख्यान और अर्थ की शब्दमूलक व्याख्या व्याकरण में विवेचित मिलती है। मूल में सभी प्रकार के अर्थों की व्याख्या करने के कारण इसे व्याकरण कहा जाता है"। शब्दों की शुद्धि अशुद्धि, साधु असाधुता का ज्ञान व्याकरणशास्त्र से होता है। इसी प्रकार शब्दों की व्युत्पत्ति, निरुक्ति, कोषगत अर्थ तथा शब्द सरचना करना व्याकरण का विषय है। व्याकरण में भाषा की रूप रचना तथा वाक्यगठन का विवेचन किया जाता है। यद्यपि भाषाशास्त्र में भी भाषण ध्वनियों का विवेचन, रूपरचना और भाषागठन की व्याख्या की जाती है, किन्तु दोनों में बहुत बड़ा अन्तर है।

प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। कहा जाता है कि चीनी भाषा का कोई व्याकरण नहीं है और न व्याकरण के लिए उस भाषा में कोई शब्द है। किन्तु भाषा की किसी न किसी रूप में व्यवस्था अवश्य है। हॉकेट के शब्दों में किसी भाषा का व्याकरण या व्याकरणिक व्यवस्था है—भाषा में प्रयुक्त होने वाले पदग्राम तथा पदग्रामों की वह व्यवस्था जिसमें उच्चारण एक दूसरे से सम्बंधित प्रकट होते हैं"। वस्तुतः अभिव्यक्त होकर मूर्त होने वाली भाषा किसी न किसी रूप में व्यक्त होती है। प्रत्येक भाषा में रूप पृथक्-पृथक् मिलता है। मुरय रूप से भाषा के रूप को दो बर्गों में विभाजित किया जाता है—(१) ध्वनिप्रक्रिया विचार और (२) व्याकरणिक विचार। यहाँ पर व्याकरण और भाषाशास्त्र के कार्य का स्पष्ट अन्तर परिलक्षित होता है। ससार में कुछ ऐसी भाषाएँ भी हैं, जिनके शब्दों में बलाघात का स्थान बदल देने से अर्थभेद हो जाता है। किन्तु अंग्रेजी भाषा में बलाघात का स्थान बदलने से व्याकरणगत भेद हो जाता है"। इस विषय का अध्ययन व्याकरण की सीमा के बाहर है। संक्षेप में, व्याकरण और भाषाशास्त्र में निम्नलिखित अन्तर हैं —

(१) व्याकरण एक शास्त्रीय ज्ञान है, जिसका प्रयोग सामान्य रूप से कवि और लेखक करते हैं। इसे शुद्ध वाग्विज्ञान भी कह सकते हैं, क्योंकि व्याकरण का उद्देश्य शुद्ध भाषा की शिक्षा देना है। व्याकरण ठीक बोलना और लिखाना सिखाता

है। किन्तु ध्वरत्तर् में यह बात शब्दों के सम्बन्ध में लागू होती है, भाषा के सम्बन्ध में नहीं। इसलिए व्याकरण की सहायता से भले ही हम किसी भाषा को ठीक से लिखना सीख लें, किन्तु ठीक उच्चारों के साथ भाषा को सीखने के लिए भाषाशास्त्र की धारण लेनी पड़ती है।

- (२) भाषाशास्त्र प्रयोगात्मक विज्ञान है और व्याकरण तैदान्तिक। इसलिए व्याकरण 'क्या होना चाहिए' पर बल देता है, जबकि भाषाशास्त्र लिखलाता है कि किस रूप में प्रयोग किया जाता है। भाषाशास्त्री कभी इस बात की चिन्ता नहीं करता है कि कोई बात किस रूप में कही जानी चाहिए या अनुक व्याकरण के शब्द-रूप का किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए अथवा शब्द विशेष का किस रूप में उच्चारण किया जाना चाहिए ? वह केवल इस बात का अध्ययन और विश्लेषण करता है कि वक्ता भाषा विशेष को किस रूप में उच्चरित करता है। मनुष्य के उच्चारों के वास्तविक रूप का अध्ययन करना ही भाषाशास्त्र का मुख्य विषय है। इस प्रकार भाषाविषयक 'क्या' और 'क्यों' का समाधान हमें भाषाशास्त्र में मिलता है।
- (३) व्याकरण में भाषा विशेष के काल विशेष की सीमाओं में निष्पन्न होने वाले रूप तथा वाक्यगठन आदि का विवेचन किया जाता है, किन्तु भाषाशास्त्र में विभिन्न कालों तथा देशों की भाषा की ध्वनि पद, शब्द, अय, लिपि आदि का विस्तृत विवेचन किया जाता है।
- (४) व्याकरण शास्त्र का विषय सीमित है किन्तु भाषाशास्त्र का विस्तृत। क्योंकि व्याकरण में भाषा के सिद्ध, निष्पन्न रूप का ही निर्वचन किया जाता है। परन्तु भाषाशास्त्र में भाषा के अनगढ़, विकारी, अयुक्त, अर्द्ध विकसित तथा पतनोन्मुख आदि सभी प्रकारों का अध्ययन तथा वर्णन किया जाता है। मनुष्य के मुख से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि का विचार भाषाशास्त्र का विषय है।
- (५) भाषाशास्त्र में कारण और कार्य के सम्बन्ध की व्याख्या की जाती है। किन्तु व्याकरण वर्णनप्रधान है, उसमें 'यावहारिक पक्ष' ही मिलता। इसलिए वह केवल सिद्ध शब्द रूपों के अपवादिक नियमों या लोकप्रसिद्ध शब्दों अथवा रूढ शब्द-रूपों की सिद्धि बता कर विराम ले लेता है। किन्तु भाषाशास्त्र संस्कृत के 'जरा' शब्द को 'जरस्' क्यों होता है—इस कारण का पता लगाता है और खोज बिन कर बतलाता है कि उस समय की बोली में या बोलियों में यह भी एक रूप चलता था, जिसका प्रयोग साहित्य में किया जाने लगा था।
- (६) व्याकरण में किसी एक भाषा के नियमों का वर्णन किया जाता है। किन्तु भाषाशास्त्र में भाषा के मूल उपादानों का विश्लेषण और उनकी व्याख्या से प्रतिक्रिा होने वाले सामान्य रूप से सार्वभौमिक और सार्वकालिक होते हैं। यद्यपि भाषा में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है, किन्तु परिवर्तनों के बीच कुछ ऐसे निश्चय या पदमार्गीय व्यवस्था लक्षित होती है, जो सभार की अधिकतर भाषाओं में

मिलती है। भाषा की इस व्यवस्था के आधार पर ही विश्व की भाषाओं को कई परिवारों तथा वर्गों में विभाजित किया गया है।

(७) भाषाशास्त्र एक विज्ञान है और व्याकरण केवल शास्त्र। इसलिए भाषाशास्त्र में भाषा के प्रत्येक अवयवों का विश्लेषण करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से कई प्रकार के साधन हैं। आज यंत्रों की सहायता से ध्वनि ही नहीं, ध्वनि लहरों को भी प्रत्यक्ष कर देखा जा सकता है, उनके चित्र लिए जा सकते हैं। किन्तु व्याकरण में इसका सर्वथा अभाव है।

वाक् तथा भाषा

वाक् से हमारा अभिप्राय भाषण मात्र (Speech) से है। भाषाशास्त्र में भाषित ध्वनियों का अत्यन्त महत्त्व है। किन्तु वाक् न ध्वनि मात्र है और न उच्चारणों से सर्वथा पृथक् ही। वाक् हमारे दैनिक जीवन का इतना महत्त्वपूर्ण और परिचित कार्य है कि उसकी व्याख्या करना भी कठिन है। चलने फिरने और श्वास लेने की भाँति वह एक मानवीय स्वाभाविक क्रिया है। साधारण मनुष्य को यह क्रिया स्वाभाविक रूप से करनी ही पड़ती है। एक छोटा बालक जो कि भाषा नहीं जानता भाषण क्रिया करता हुआ अवश्य दिखलाइ पड़ता है। किन्तु भाषा में यह बात नहीं होती। अतएव वाक् और भाषा में अंतर है। भाषाशास्त्र में वाक् का अर्थ श्रोत्रग्राह्य प्रतीकात्मक उस भाषण-व्यवस्था से है, जो भाषित शब्दों के प्रवाह में लक्षित होती है^{१०}। मनुष्य की स्वाभाविक क्रियाओं का अध्ययन भाषाशास्त्र का विषय नहीं है। प्राणी स्वाभाविक क्रियाओं के द्वारा अनेक प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करता है, जिनका अध्ययन भाषाशास्त्र में नहीं किया जाता। अतः वाक् ध्वनि से सर्वथा भिन्न है। वाक् को एक सांकेतिक क्रिया कल्पना माना गया है, किन्तु ध्वनि में कोई संकेत निहित नहीं होता। प्रायः यह देखा जाता है कि केवल एक ध्वनि स्वतंत्र रूप से सांकेतिक तत्त्व होती है, जैसे कि 'अ'—किन्तु व्यक्तिगत ध्वनि और सांकेतिक शब्द का वह साहचर्य मात्र कही जाती है। इसलिए भाषण का प्रथम तत्त्व 'शब्द' माना जाता है। शब्दों से वाक्य की निर्मिति होती है, और वाक्य भाषण की एक बहुत बड़ी इकाई है। किन्तु भाषा संस्कारगत सम्बन्ध, व्याकरणिक तत्त्व, शब्द और अर्थपूर्ण वाक्यों से सरचित होने वाली प्रक्रिया है। भाषा हमारी धारणाओं तथा विचारणाओं से सम्बद्ध रहती है। यह सच है कि भाषा भाषण से विकसित होती है, किन्तु वाक् भाषा के परिवेश में परिलक्षित होता है। इसलिए जब शिशु के मुख से वाग्ध्वनियाँ सहज प्रवाह में निःसृत होती हैं तब किसी न किसी शब्द के रूप में वह कोई न कोई भाव या अर्थ व्यक्त करना चाहता है, जो भाषा के अन्तर्गत होता है। दूसरे शब्दों में वाक् बोलने की प्रक्रिया मात्र है, जिसके दो पक्ष हैं—व्यक्तिगत और सामाजिक। ये दोनों ही पक्ष अन्योन्याश्रित हैं। एक के बिना दूसरे का विचार ही नहीं किया जा सकता। वाक् क्रिया इतनी सहज और सुपरिचित है कि कभी हमारा ध्यान उसकी ओर नहीं जाता

कि वह किस प्रकार की व्यावहारिक क्रिया है। वह एक मानवीय क्रिया है, जिसका खनिष्ठ सम्बन्ध उच्चारों से है। गार्डिनर के अनुसार “वाक् एक संक्षिप्त शब्द है, जिसका प्रयोग आदर्श तथा व्यवहार रूप में भाषक के उन उच्चारों के लिए किया जा सकता है, जिनकी निर्मिति श्रोता के लिए भी समान होती है”^{११} वस्तुतः वाक् की उत्पत्ति भाषा के लिए होती है। वाक् ही भाषा का जन्मदाता माना जाता है। किन्तु स्पष्ट रूप से दोनों भिन्न हैं। वाक् कहते ही वर्तमान उच्चारों का बोध होने लगता है, जबकि भाषा भाषक की अतीत वाक्धनियों की वाचक होती है। जिस प्रकार वाक् और भाषा में अन्तर है उसी प्रकार उच्चार तथा वाक् में भी भेद है। सामान्यतः उच्चार ध्वनि का फैलाव माना जाता है। प्रत्येक उच्चार में कम से कम एक पदग्रामीय खण्ड रहता है। कई भाषाओं में आपेक्षिक लघु उच्चारों में भी एक खण्डीय पदग्राम लक्षित होते हैं^{१२}। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति के भाषण या बोलचाल का किञ्चित् फैलाव उच्चार है और प्रत्येक उच्चार का भाषा में एक जैसा गठन होता है^{१३}। भाषा संस्कारगत प्रवृत्तियों की वह व्यवस्था है जो भाषक के मस्तिष्क में संचित रहती है। जब भाषा बोलने वाला उच्चारण करता है तब वह वाक् होता है और जब अपने यथायथ रूप में प्रकट होता है तब भाषातात्त्विक रूप होता है। प्रेक्षणीयता सिद्धान्त की पारिभाषिक शब्दावली में भाषा लक्षणिक सकेतों की व्यवस्था है और वाक् भाषा में एक चिह्न है^{१४}। उदाहरण के लिए—‘मैं गया’ यदि दो बार कहा जाय तो बिह्व दो होने पर भी लक्षणिक सकेत एक होगा। वाक् सहज अभ्यास होने के कारण भाषा जैसी आदर्श व्यवस्था के रूप में अभिव्यक्त नहीं होता और प्रायः अन्य संस्कारों के साथ मिल कर वाक् प्रकट होता है। इस प्रकार वाक् यवम्याहीन हो सकता है, किंतु बिना व्यवस्था के भाषा सम्भव नहीं हो सकती। क्योंकि भाषाशास्त्र में ‘भाषा’ से अभिप्राय समाज के द्वारा अर्जित ऐसी सामाजिक वस्तु से है जो क्रमबद्ध साधक ध्वनियों की राशि होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी स्वतंत्र तथा भिन्न कोई न कोई व्यवस्था होती है। इसलिए सासुर ने भाषा का विचार करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें भ्रम नहीं होना चाहिए कि मानवीय वाक् केवल भाषा का एक निश्चित अवयव है जो कि अनिवार्य भी है और वह सामाजिक उपज होने पर भी सामाजिक मनुष्य के द्वारा अधिगृहीत तथा व्यक्तिगत अभ्यास के लिए मान्य है^{१५}। अतएव वाक् प्राकृतिक और व्यक्तिगत है, किन्तु भाषा केवल भाषक की क्रिया ही नहीं, उपज भी है, जो वैयक्तिक होने पर भी सामाजिक है। वाक् के सामाजिक पक्ष से भाषा का जन्म माना जाता है और व्यक्तिगत पक्ष से भाषण तथा शब्दोच्चार का उल्लेख किया जाता है। डॉ० तिवारी के शब्दों में “डिससे वाक् (स्पीच) और भाषा (लैंग्वेज) में स्पष्ट अन्तर मानता है। उसके मतानुसार वाक् व्यक्तिगत भाषण से सम्बन्धित है और भाषा सामाजिक वस्तु है। इस प्रकार वाक् प्रकृत वस्तु है और भाषा समाज द्वारा अर्जित एवं मान्य वस्तु है। वाक् सार्थक भी हो सकता है और निरर्थक भी, उसका अपना गठन भी हो सकता है और नहीं भी, किन्तु भाषा सदैव सार्थक ध्वनियों की क्रमबद्ध प्रणाली ही होती है। इतना अन्तर

होते हुए भी वाक् तथा भाषा में काफी सम्बन्ध है। वाक् आधार है और भाषा विभिन्न वाकों की क्रमबद्ध उपज है^१। वाक् शब्द का प्रयोग प्रायः किसी न किसी सन्दर्भ में किया जाता है कि वह कौन विद्यमान है, क्या कर रहा है, क्या कह चुका है—इस प्रसंग में सुनने वाला यही समझना चाहता है कि क्या कहा जा रहा है। इस प्रकार वाक् का उद्देश्य प्रेषणीयता है, जो सुनने और बोलने वाली पर निर्भर होती है। अतः वाक् केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, जो गतिशील किसी यन्त्र की श्रृंखला भाषा की जन्मदात्री हो। इसलिए वाक् प्रक्रिया मनुष्य के चिन्तन में सन्निहित रहती है।

भाषा क्या है ?

भाषा से हमारा अभिप्राय लिखित भाषा से नहीं, जीवित बोली से है। क्योंकि विश्व में सैकड़ों ऐसी भाषाएँ हैं जो केवल बोली जाती हैं, जिनमें लिखित साहित्य नहीं मिलता अथवा जिनका लेखन में उपयोग नहीं होता। वस्तुतः बोलियों का भाषा शास्त्र में अत्यन्त महत्त्व है। यद्यपि यह स्पष्ट है कि एक ही बोली को बोलने वाले दो व्यक्ति कभी यथार्थ रूप में ठीक एक जैसा नहीं बोलते। उनकी उच्चरित ध्वनियों में कुछ न कुछ अन्तर लक्षित होता है, किन्तु भाषाशास्त्री उनके दोषों का अध्ययन न कर भाषा में प्रतिबिम्बित उनकी अनुभूतियों, भावों तथा संवेगों आदि को वैयक्तिक तथ्यों के रूप में देखना चाहता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वैयक्तिक भिन्नताओं के कारण अनेक भाषाएँ परिलक्षित होती हैं^२। यद्यपि वे विभिन्न सन्दर्भों के अनुसार 'भाषा' शब्द विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। भाषातात्त्विक सन्दर्भ में इसका प्रयोग उच्चरित भाषा के लिए किया जाता है, जिसके द्वारा वाक् का प्रभाव संचार होता है^३। लिखित भाषा के अर्थ में 'भाषा' शब्द का प्रयोग उचित नहीं है। क्योंकि लिखित भाषा का अर्थ 'लेखन व्यवस्था' किया जाता है, जो विन्मुक्त भिन्न है^४। किसी एक भाषा को बोलने वाला व्यक्ति जब किसी भाषक से सुन कर अन्य भाषा को समझ नहीं पाता तब कहा जाता है कि यह भिन्न भाषा है। बोली जाने वाली भाषा का लक्षण ध्वनिग्राम या ध्वनि श्रेणियों है। किन्तु लिखित भाषा की मूल इकाई वर्णग्राम है^५। भाषा यदि प्रतीक है तो लेखन प्रतीकों का प्रतीक है। क्योंकि लिखित भाषा बोली जाने वाली भाषा का ही प्रतिबिम्ब होती है। फिर, भाषा तो मानव के आदि काल से ही प्रचलित है, बिना भाषा के समाज का कोई काम नहीं चलता, किन्तु लेखन कला का विकास बहुत बाद में हुआ। मानव के आदि समाज के कार्य कल्पना बिना लेखन के ही चलते थे। इनके अतिरिक्त कई भाषाओं के बोले जाने वाले और लिखित रूप में बहुत अन्तर परिलक्षित होता है। सामान्यतः लोगों की यह धारणा है कि लिखित शब्द मानवीय वाक् का प्रतिमान या आदर्श है, क्योंकि लेखन का प्रयोग शिक्षित तथा शिक्षितों द्वारा किया जाता है। लिखते समय बहुत सावधानी से लिखा जाता है। इसलिए सामान्य वाक् से पुस्तक में लिखी जाने वाली

भाषा अमूर्त्य होती है। किन्तु यह विचार ठीक नहीं है। क्योंकि भाषा के इतिहास में तथा व्यक्तित्व भाषिक अनुभव से यह सिद्ध है कि बोली जाने वाली भाषा आधुनिक पक्ष है और लेखन उसी का न्यूनान्वित अपूर्ण प्रतिबिम्ब है। हम सभी लिखने के पहले बोलना और पढ़ना सीखते हैं। सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा लिखित भाषा से अधिक लचीली होती है^१। भाषा के इतिहास से यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव सम्बन्धों के विकास के साथ लेखन विभिन्न अवस्थाओं में विकसित होता हुआ विनात्मक और अक्षरत्मक अवस्थाओं से अब वर्णात्मक रूप को प्राप्त हो गया है। बोलने के लिए लेखन गौण तथा बाधनियमों पर निर्भर है। किन्तु टेलीफोनी, मोर्स कोड, स्पेक्टोग्राम्स, मेगनेटिक टेप और प्लास्टिक डिस्क की भाँति जो कि सभी अभिव्यक्ति की विभिन्न पद्धतियाँ हैं और जिनकी अपनी यान्त्रिक व्यवस्था है—लेखन गौण प्रतीकात्मक नहीं है^२। क्योंकि लिखित शब्द स्थाई और निरव्यय होता है। भले ही पत्र, पुस्तक, शिला या दीवारों आदि पर लिखे जाने वाले शब्द स्थाई माने जाते हों, किन्तु शत शताब्दियों तथा शत-सहस्राब्दियों से जनसामान्य में प्रचलित शब्द आज भी किसी न किसी रूप में समाज में प्रयुक्त होते हैं। अतः यह समझना भ्रम है कि विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा विविध प्रकार से उच्चरित होने के कारण भाषा में बहुत शीघ्रता से परिवर्तन होता है। लेखन में काल विशेष की धनियाँ अवश्य सुरक्षित रहती हैं, जो कि कथ्य भाषाओं में परिलक्षित होती हैं। परिवर्तन तो लिखावट में भी होता रहता है। भाषा की परम्परा निश्चित तथा स्थिर होती है। वैदिक भाषा अपनी निश्चित और स्थिर परम्परा के कारण किञ्चित् परिवर्तित रूप में ही ज्यों की त्यों आज भी लक्षित होती है। अतएव यह स्पष्ट है कि भाषा एक परम्परागत पद्धति है, जो लेखन से सर्वथा भिन्न है। इसी प्रकार अब भाषा से उसका ध्वनिमय रूप ग्रहण किया जाता है लिखित भाषा रूप नहीं। 'लिखित भाषा' शब्दों के स्थान पर 'लिखित अभिव्यक्ति' कहना उचित होगा। यद्यपि भाषा की सवमान्य परिभाषा देना बहुत ही कठिन है, किन्तु निम्नलिखित परिभाषाओं के आधार पर भाषा के मुख्य गुणों तथा कार्यों की धारणा एवं उसके स्वरूप का विवेचन किया जा सकता है।

“भाषा विशुद्ध रूप से एक मानवीय तथा अस्वाभाविक पद्धति है, जिसकी सहायता से इच्छानुसार विचारों, भावों तथा इच्छाओं को प्रेषणीय बनाने के लिए प्रतीकों की रचना की जाती है। ये प्रतीक श्रोत्रग्राह्य होते हैं तथा मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयवों से निरूपित होते हैं।” — एडवर्ड सेपीर (लेन्गेज, पृ० ८)

“भाषा अभ्यास (संस्कारगत प्रवृत्ति) की एक सरल पद्धति है। पद्धति को पूर्ण रूप में पाँच मुख्य उपपद्धतियों में विभाजित कर विवेचित किया जा सकता है, जिनमें से तीन केन्द्रीय हैं और दो परिधिगत हैं। तीन केन्द्रीय उपपद्धतियाँ हैं—(१) व्याकरणिक पद्धति : पदसमूह समूह और उनकी क्रमबद्ध रचना, (२) ध्वनिप्रक्रियात्मक पद्धति : ध्वनिप्रारंभों का समूह और उनकी क्रमबद्ध रचना, (३) पदध्वनिप्रारंभिक पद्धति : व्याकरणिक तथा ध्वनिप्रक्रियात्मक पद्धतियों को सम्बद्ध करने वाले संकेत।

इन्हें केन्द्रीय इसलिए कहा जाता है कि प्रत्यक्ष रूप से इनका कोई कार्य नहीं होता । अन्य दो परिधिगत उपपद्धतियाँ हैं—(४) अर्थविज्ञानीय पद्धति—जिसमें अनेक पदों का ससर्ग, सयोग तथा क्रमबद्ध रचना विभिन्न पदार्थों तथा स्थितियों पर निर्भर रहता है, (५) ध्वनिविज्ञानीय पद्धति जिस सरणि के द्वारा भाषक के उच्चार से ध्वनिप्रारंभों का अनुक्रम शब्द लहरियों में परिवर्तित होता है तथा श्रोता वाक् सकेत के द्वारा रहस्य को उद्घाटित करता है ।” —हॉकेट (ए कोर्स इन मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स, पृ० १३७-३८)

“भाषा वाक्युक्त वृत्ति की वह अभ्यासगत रूढ पद्धति है, जिसके माध्यम से समाज के सदस्य परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं” —युएन रेन चाओ ।

“भाषा एक मौखिक प्रतीकात्मक पद्धति है ।” —जोशुआ हाट्मो ।

“भाषा चिह्न की एक पद्धति है । चिह्नों से हमारा अभिप्राय उन प्रतीकों से है जो मानव-समाज के मध्य विचारों के आदान प्रदान के लिए माध्यम बन सकते हैं । चिन्ह कर्त प्रकार व हो सकते हैं और आवश्यक रूप से विभिन्न भाषाओं में कई प्रकार के होते हैं । विभिन्न इन्द्रियों के द्वारा ग्राह्य होने के कारण भाषा इन प्रतीकों की रचना कही जाती है । ये प्रतीक हैं—प्राणग्राह्य, स्पर्शग्राह्य, चक्षुग्राह्य तथा श्रोत्र ग्राह्य । श्रोत्रग्राह्य प्रतीकों की पद्धति या बोली अथवा उच्चरित भाषा को भाषा कहा गया है ।” —जे० वैड्रीज ।

“भाषा यादृच्छिक वाचिक प्रतीकों की एक पद्धति है, जिससे मनुष्य-समाज अपना काम चलाता है ।” —ब्लॉख और ट्रेगर ।

“मानवीय वाक् के समाजीकरण का नाम भाषा है ।”

“भाषा मनुष्य की सूक्ष्म संवेदनशील अभिव्यक्ति का प्रकटीकरण है ।”

इन सभी परिभाषाओं में एक बात अत्यन्त स्पष्ट है कि भाषा एक पद्धति है । यद्यपि ससार की कई भाषाओं में व्याकरण नाम की कोई अलग व्यवस्था नहीं है, विशेषकर चीनी, अनामी, स्यामी, बर्मा, तिब्बती तथा अफ्रीका की सूडानी भाषाएँ इसी प्रकार की मानी जाती हैं । चीनी भाषा में व्याकरण के लिए कोई शब्द ही नहीं है । परंतु इन सभी भाषाओं की कोई न कोई पद्धति या व्यवस्था है । बिना पद्धति या व्यवस्था के कोई भाषा नहीं होती ।

सामान्यतः भाषा ध्वनियों का समूह है । प्रत्येक भाषा में ध्वनियाँ मुख्य हैं । ध्वनियाँ भाषा की प्राण हैं । किसी भी भाषा में हम जो सुनते हैं वे सार्थक ध्वनियाँ ही होती हैं । भाषा का मूल रूप ध्वनिमय है । भाषा का निमाण ध्वनियों से होता है, वर्णों से नहीं । इसलिए भाषा ध्वनियों की प्रतीकात्मक पद्धति मानी जाती है । संक्षेप में, भाषा के निम्नलिखित विशिष्ट गुण कहे गए हैं^{१५}

(१) भाषा ऐच्छिक व्यवहार है । साँसने, छींकने, रोने या हँसने आदि से जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं वे शब्द नहीं हैं । क्योंकि उनका निःसरण स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार होता है । किंतु भाषा स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है ।

(२) भाषा अन्वयों का एक समूह है। इसलिए छोटा बालक अपनी पारिवारिक या किसी अन्य भाषा को सरलता से सीख लेता है और तदनुकूल बोलने की आदत पड़ जाती है; जबकि प्रौढ़ व्यक्ति को वर्षों तक प्रयत्न करने पर भी वैसा बोलना नहीं आता।

(३) भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का एक रूप है, जो पूर्णतया यादृच्छिक होता है तथा जिसका सम्बन्ध प्रेषणीयता से होता है।

(४) भाषा एक रूढ़, परम्परागत, सामाजिक तथा जन सामान्य के बीच विकासशील रहने वाली परम्परा है।

(५) अन्य सामाजिक सस्थानों की भाँति भाषा भी पुराने विचारों का रक्षण करने वाली तथा नवीन परिवर्तनों का अवरोध करने वाली होती है।

(६) भाषा एक रेखाक्रम है। यह एक आयतन वाली है। भाषा का यह रेखाक्रम व्याकरण और शैली में महत्वपूर्ण प्रभाव के रूप में परिलक्षित होता है।

(७) प्रत्येक भाषा में चमत्कृत करने वाली अल्पसंख्यक पृथक्कृत ध्वनियाँ परिलक्षित होती हैं, जिन्हें ध्वनिग्राम या स्वनिग्राम कहते हैं। मानवीय श्रोत्रेन्द्रिय हजारों प्रकार की विभिन्न ध्वनियों को सुन कर उनमें विभेद कर सकती है, किन्तु भाषागत ध्वनियाँ बहुत कम संख्या में होती हैं।

(८) भाषा एक क्रमबद्ध पद्धति (सिस्टेमेटिक) है और अक्रमबद्ध भी, नियमित है और अनियमित भी। भाषा की रचना करने वाले तत्त्वों की संख्या अल्प होने से भाषा एक नियमित तथा क्रमबद्ध पद्धति है, किन्तु भाषा की सामाजिक प्रवृत्ति तथा उसका स्वरूप कभी सरल और पूर्ण नहीं होता, इसलिए नियमों में भी अपवाद और उनमें उपनियम देखे जाते हैं।

(९) भाषा सीरी जाती है, जन्म से प्राप्त नहीं होती। बालक समाज से भाषा अर्जित करता है। वातावरण और समाज के अनुसार बालक वास्तविक रूप में किसी भी भाषा को सरलता से सीख लेता है।

इस प्रकार भाषा सर्वप्रथम विचारों और भावों की प्रेषणीयता का साधन है। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य मनुष्य में सम्बन्ध स्थापित होता है। इसलिए भाषा सामाजिक व्यवहार का भी एक रूप है। हम कई प्रकार की भाषाएँ बोलते हैं—मातृभाषा, सहवर्ती भाषा (सिस्टर लैंग्वेज), मृत भाषा और जीवित भाषा। भाषा केवल उच्चारणोपयोगी अवयवों से निरूपित होने वाली यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। वह एक प्रतीकात्मक पद्धति भी है। प्रतीक प्रतिस्थापक होता है। गणितीय प्रतीकों में जैसे कि x (एक्स) का प्रयोग हम किसी संख्या के लिए करते हैं उसी प्रकार भाषिक प्रतीकों का भी व्यवहार किया जाता है, जो कि रूढ़ तथा यादृच्छिक होते हैं और चिह्न से सर्वथा भिन्न होते हैं। चिह्न प्रधान कर्म से सीधा सम्बन्ध रखते हैं, जैसे कि पानी पेड़ से चूँ रहा है—वर्षा का वाचक चिह्न है। निश्चित रूप से प्रतीकों की पद्धति

बोली और भाषा दोनों में मिलती हैं। ये प्रतीक मौखिक होते हैं^{११}। भाषा प्रतीकात्मक पद्धति है, इसे हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि भाषा एक क्रम (आर्बैर), एक सॉचा (पैटर्न) और एक संहिता (कोड) है^{१२}। हम किन्हीं भी शब्दों में व्यक्त करें, यह निश्चित है कि भाषा एक पद्धति या व्यवस्था है, जो कि प्रतीकात्मक है।

भाषा की प्रकृति

‘भाषा’ शब्द से सभी विशिष्ट भाषाओं का बोध होता है, जिनका व्यवहार सभी प्रकार के समाज में होता है। जब हम भाषा को यादृच्छिक वाक्प्रतीकों की पद्धति कहते हैं तो हमारा अभिप्राय उसकी प्रकृति की चार महत्त्वपूर्ण बातों (आस्पेक्ट्स) से होता है^{१३}।

(१) भाषा एक पद्धति है। प्रत्येक समाज की रचना भाषा की क्रिया के द्वारा होती है। जीवन के अन्य भागों की भाँति भाषा भी सांस्कृतिक, धार्मिक तथा विधिकतयों आदि के समान जीवन से भिन्न नहीं है। किन्तु भाषा की पद्धति प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर नहीं होती। यह मनुष्य समाज के व्यवहार में परिलक्षित होती है। इसलिए भाषा समाजसापेक्ष होता है। पशु पक्षी तथा वनेचर प्राणियों का भाषा समाज सापेक्ष न होकर स्वाभाविक एवं स्वच्छन्द होती है। किन्तु भाषा मनुष्य की अजित सम्पत्ति है। प्रत्येक भाषा की बनावट का एक क्रम होता है, जिसके अनुसार वाक्यों में शब्दों का प्रयोग, स्थानापन्न उपयोग, परिवर्तन एवं रचना विधान किया जा सकता है। मनुष्य की भाषा में ही यह सम्भव है। अतएव भाषा एक पद्धति है।

(२) भाषा प्रतीकों की पद्धति है। भाषा बोलने वाला जो उच्चार करता है वे प्रतीकात्मक रूप से सम्बन्धित होते हैं और उनमें कई प्रकार के अनुभव तथा अर्थ गभित रहते हैं। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि शब्द केवल प्रतीकात्मक होते हैं। इसी प्रकार भाषिक रूप का अर्थ एक शब्द, श द का अर्थ या शब्दों का संयोग होता है। हमारी इस परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि साधारणतया भाषिक शब्द को सुन कर उसका अर्थ समझता है।

(३) जिन प्रतीकों से भाषा की रचना होती है वे वाचिक होते हैं। मानवीय काय कलापो में अन्य महत्त्वपूर्ण प्रतीक भी सम्भव हैं। चित्र, सांकेतिक ध्वज तथा आवागमन की सुविधा के लिए प्रयुक्त बच्चियाँ सामान्य चाक्षुष प्रतीक है। किन्तु प्रतीक का अर्थ यहाँ मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयवों से निरूपित वाक्प्रतीक है। लेखन गौण रूप से चाक्षुष प्रतीक है, जो वाक् का प्रतिफलन है। मनुष्यकृत सभी ध्वनियों इसके अन्तर्गत नहीं आतीं। छींकना, खाँसना, गुराना तथा चिल्लाना आदि का कोई प्रतीकात्मक मूल्य नहीं है।

(४) भाषिक प्रतीक यादृच्छिक होते हैं। वाक् उच्चारों तथा उनके अर्थ में कोई आवश्यक या दार्शनिक सम्बन्ध नहीं है। भले ही कोई कृत्ते के शब्द ‘भौं भौं’ या बिल्ली के ‘म्याउँ म्याउँ’ अथवा कौआ के ‘कॉव कॉव’ का अनुकरण करे—वे

सभी शब्द उचित हैं, क्योंकि सब समान रूप से यादृच्छिक हैं। इन वादृच्छिक प्रतीकों के प्रयोग में हम अभ्यस्त हो जाते हैं, इसलिए कोई कठिनाई नहीं होती।

इस अध्ययन से कई बातें स्पष्ट हो जाती हैं। गठन की दृष्टि से भाषा सार्थक ध्वनियों का समूह है, किन्तु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भाषिक कार्य का मूल्य प्रतीकात्मक चिह्नों में सनिहित है। इसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से मनुष्य की भाषा पशुओं से भिन्न है^{१८}। दोनों के संकेतों में भी भिन्नता परिलक्षित होती है। यद्यपि पशु पक्षियों के कुछ संकेतों का मानवीय भाषा में भावानुवाद किया जा सकता है, किन्तु पशु अपने आप को वाक्यों में अभिव्यक्त नहीं कर सकते^{१९}।

मुख्य रूप से हम भाषा में ध्वनियों को सुनते हैं और उनका अर्थ समझते हैं। ध्वनियों का उच्चारण वाक् की क्रिया है। किन्तु वाक् क्रिया या उच्चारण अभ्यास नहीं है, किन्तु एक ऐतिहासिक घटना है, जबकि भाषा अभ्यासों का समूह है। अन्य ऐतिहासिक घटनाओं की भाँति वाक् क्रियाएँ प्रत्यक्ष रूप से दृश्य हैं, किन्तु अभ्यास प्रत्यक्ष रूप में दृश्यमान नहीं है। एक उच्चारण में ध्वनिग्रामीय और व्याकरणिक संघटना होती है और वह ध्वनिग्रामीय संघटना भाषा के ध्वनिग्रामीय सँचे को या भाषा की पद्धति को प्रतिबिम्बित करती है^{२०}।

इस प्रकार संक्षेप में, भाषा एक पद्धति या व्यवस्था है। यह पद्धति या व्यवस्था वाक्प्रतीकों की है, जो सार्थक ध्वनियों से समन्वित रहते हैं और जिनका सम्बन्ध एक ओर वाक् प्रक्रिया से होता है और दूसरी ओर भाषा के सँचे से। भाषा के सँचे में आकार ग्रहण करने वाले वाक् हमारी स्कारगत प्रवृत्तियों या अभ्यासों से समन्वित होते हैं। अतएव भाषा के मुख्य उपादान—ध्वनि और अर्थ के पूर्णतया समन्वित या सश्लिष्ट होने पर भाषा का जन्म होता है। मनुष्य भाषा के रूप में सार्थक ध्वनि-समष्टि का ही व्यवहार करता है, किन्तु भाषा का सबसे मुख्य आन्तरिक सश्लिष्ट रूप है—मस्तिष्क और वाक् का सम्बन्ध। इन दोनों के समन्वय से ही भाषा की पद्धति का निर्माण होता है, और यही कारण है कि मनुष्य वही बोलता है जो वह बोलना चाहता है। वस्तुतः भाषा के उत्पादन-पक्ष की पूर्व प्रक्रिया मानसिक होती है। मस्तिष्क में संचित विचार इच्छा उत्पन्न होते ही ध्वनियों के सँचे में ढल कर शारीरिक क्रियाओं के द्वारा शब्दोच्चारण या उच्चारण के माध्यम से भाषा का आकार ग्रहण करते हैं। इसे दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि भाषा विचारों की वह प्रतीकात्मक पद्धति है, जो मनुष्य के स्कारगत अभ्यास का परिणाम है। भाषा की पद्धति भावों या विचारों तथा ध्वनियों से सम्बद्ध होती है। इसलिए वह किसी व्यक्ति की उत्तेजनात्मक शारीरिक क्रिया न होकर ध्वनि और विचारों की समन्वयात्मक प्रक्रिया होती है। भाषा अन्योन्याभित सम्बन्धों की पद्धति है, जिस में कि प्रत्येक सम्बन्ध का परिणाम पृथक् रूप से तथा अन्य सम्बन्धों के एक साथ विद्यमान रहने पर भी होता है^{२१}। किसी भी भाषा स्थिति में प्रत्येक वस्तु सम्बन्धों पर निर्भर रहती है। वे किस प्रकार कार्य करते हैं? भाषा की प्रकृति में शब्द क्रमबद्ध होने पर सम्बन्धों की स्थापना करते हैं। वाक्

श्रृंखला में भाषा-सम्बन्धी तत्त्व अनुक्रम रूप में लक्षित होते हैं। उनका संयोग तथा सम्बन्ध भाषा की पद्धति को द्योतित करता है^{५२}। प्रत्येक भाषा उच्चारणों के रेखा-क्रमों में प्रकट होती है, जिसे भाषित श्रृंखला (Spoken Chain) कहा जाता है।

सामान्य रूप से साहित्य में वाक्यों के समूह को भाषा कहते हैं और इसी अर्थ में भाषा शब्द का प्रयोग किया जाता है। सामान्य प्रयोग में प्रचलित होने पर भी समाज के सदस्यों के द्वारा अतीत, वर्तमान और भविष्य में भी उच्चरित उच्चारण भाषासंज्ञक होते हैं। वास्तव में इस प्रकार के समूह अपवाद रूप में ही भाषा कहे जाते हैं, अन्यथा उनके लिए उपयुक्त शब्द है—भाषा (कापस)^{५३}। इस प्रकार हम किन्हीं शब्दों में विवेचना कर भाषा वाक्यप्रतीकों की पद्धति सिद्ध होती है। भाषागत सभी वैयक्तिक प्रतीक समान आदर्श और बर्ग में निहित रहते हैं^{५४}।

भाषा के विविध रूप

भाषा एक सामाजिक अर्जित तथा सांस्कृतिक परम्परा है। स्वभावतः यह परिवर्तनशील है। यदि इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन न होते तो यह एक स्थिर पद्धति होती और तब भाषा का अध्ययन करना अत्यन्त सरल हो जाता। किन्तु यह एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में ही नहीं, एक युग से दूसरे युग में, एक स्थान से दूसरे स्थान में और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में परिवर्तित लक्षित होती है। भाषा के परिवर्तन के मुख्य दो कारण माने जाते हैं—भौगोलिक और ऐतिहासिक। इन दोनों कारणों में परिवर्तन होने के कारण प्रत्येक स्थान तथा प्रत्येक काल की भाषा में परिवर्तन होते रहते हैं। यथार्थ में समाज में भाषण ध्वनियाँ में एकरूपता नही मिलती। उनमें सदा स्थानीय बोलियों का सम्मिश्रण रहता है। इसी प्रकार से एक वर्ग की भाषा से दूसरे वर्ग की भाषा में भिन्नता लक्षित होती है। एक ही भाषा या बोली के बोलने वाले भिन्न-व्यक्तियों के कारण भी भाषा प्रभावित होती है और इसलिए समान वर्ग में ही नही, व्यक्तियों की शैलीगत भिन्नता के कारण विभिन्नता लक्षित होती है। क्षेत्रीय भिन्नताओं के कारण आज भाषा के क्षेत्र में 'बोली भूगोल' जैसे नवीन विषयों की रचना हो गई है। किसी भी क्षेत्र में भाषा विषयक अध्ययन करने वाला विभिन्न बोलियों के जब सूचक (Informant) सकलित करता है तभी उसका ध्यान उस एक बोली की विविधता की ओर सहज ही चला जाता है। किन्तु किसी एक समय में भाषा की व्यक्तिगत भाषण ध्वनियाँ सम्भवतः किसी क्षण की मस्तिष्क की स्नायविक प्रकृति के कारण सम्पूर्ण भाषा के लिए न्यूनाधिक प्रतीकात्मक हो सकती हैं^{५५}। इस दृष्टि से भी भाषाओं में भेद लक्षित होता है कि किसी भाषा की प्रतीकात्मक पद्धति अत्यन्त समृद्ध होती है और किसी की कम। अतएव व्यक्तिगत और सामाजिक भिन्नताओं के कारण प्रत्येक देश, प्रत्येक प्रान्त और संसार के लगभग सभी प्राचलिक क्षेत्रों में भाषा के विविध रूप दिखलाई पड़ते हैं। भाषाओं में प्राप्त होने वाले विविध रूपों का विचार व्यक्तित्व, शैली और बोली के विभिन्न स्तर पर किया जा सकता है। अब आगे इनका विवेचन किया जाएगा।

लेवीर ने वाक् के पाँच तत्व माने हैं, जो व्यक्तित्व के अनुबन्धों से सम्बन्धित हैं : वाणी का गुण, वाणी की गत्यात्मकता, उच्चारण, शब्दावली और शैली^{५६}। यह सभी जानते हैं कि किसी एक भाषा के बोलने वाले सभी व्यक्ति निकटतम ढीक एक जैसी भाषा नहीं बोलते। इस भिन्नता का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कारण—व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व का सर्वप्रथम अन्तर वाणी के गुण या स्वभाव में लक्षित होता है। प्रत्येक व्यक्ति की आवाज भिन्न होती है। वाणी की गत्यात्मकता में ध्वनि-कहर (intonation), लय, सम्पन्न अविच्छिन्नता या विच्छिन्नता और उच्चारणों की गति का समावेश हो जाता है^{५७}। उदाहरण के लिए, कुछ लोग अम्यासवद् एक विलुप्त शृङ्खला में तान (सुर) का प्रयोग करते हैं तथा अन्य लघु रूप में। सुर या तान का फैलाव स्वरतन्त्रियों के खिन्चाव तथा आरोह अवरोह के क्रम पर निर्भर होता है। इसी प्रकार लय आदि वक्ता के हाव भावों के अनुसार भी प्रतिफलित होते हैं, जो बोली के गठन के अंग-रूप माने जाते हैं। केवल भाषाई व्यक्तित्व के रूप में ही नहीं, समय और स्थान-भेद से भी भाषा के रूपों में अन्तर दिखलाई पड़ता है। एक ही व्यक्ति जब मन्दिर में पूजा या प्रार्थना करता है, किसी रंगमंच पर अभिनय करता है या प्रवचन अथवा भाषण देता है तो उसके बोलने के गुण में तथा शब्दावली में कुछ न कुछ अन्तर अवश्य होता है। यही नहीं, राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक भाषण करने की बोली तथा शब्दावली में अन्तर परिलक्षित होता है। अतएव एक ही व्यक्ति को अन्विषयक प्रवृत्तियों में विभिन्न अवस्थाओं में ही नहीं, भिन्न स्थानों में (घर-बाहर, बाजार-कचहरी में) भी बाल्क्रमानुसार भेद उत्पन्न होते रहते हैं।

उपबोली, बोली, भाषा

सामान्य बोलचाल के शब्दों में किसी व्यक्ति की निर्दिष्ट समय की समष्टिगत वाक्प्रवृत्तियों से उपबोली निर्मित होती है, किन्तु इसके कुछ अपवाद भी हैं^{५८}। उदाहरण के लिए, बुन्देलखण्ड का निवासी अध्यापक या व्यापारी जब छत्तीसगढ़ में आ कर काय क्षेत्र में सलग्न होता है तब वह अपने कार्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी का तथा घर में बुन्देली का व्यवहार करता है। इस प्रकार एक ही व्यक्ति एक समय में दो भिन्न बोलियों का उपयोग भी कर सकता है। व्यवहार में ग्राम और नगर की भाषा में ही नहीं, शिष्ट एवं शिक्षित तथा अनपढ़ लोगों की बोलियों में भी अन्तर लक्षित होता है। यह अन्तर हमें तब अधिक स्पष्ट दिखलाई पड़ता है जब हरिद्वार से बम्बई या कलकत्ता से मद्रास की यात्रा करते हैं। एक ही भाषा उच्चारण, व्याकरण तथा शब्दावली की भिन्नता से विविध रूपों में प्रयुक्त मिलती है। बोली उसी भाषा का पृथक्करण है, जिसे कुछ लोग बोलते हैं और जो भाषक की वास्तविक वाक् मूलक स्थिति के अधिक निकट होती है तथा बोली के वर्णन में प्रत्येक पृथक् तत्त्व वास्तविक भिन्न पदार्थ की न्यूनाधिक परंपरा में व्याप्त रहता है^{५९}। जैसा कि भलीभाँति पुष्ट हो चुका है कि भाषा कम या अधिक सट्टा उपबोलियों का समूह है। और बोली इस भिन्नता के साथ नहीं

है कि एक बोली में उपबोलियों की समानता भाषागत समस्त उपबोलियों की अपेक्षा अधिक मानी जाती है।^{१०} उपबोली को स्थानीय बोली भी कहा गया है। यह किसी क्षेत्र के सीमित भाग में बोली जाने वाली व्यक्ति भाषाओं का सामूहिक रूप है। अतएव एक बोली के अन्तर्गत कच्चे उपबोलियाँ मिलती हैं। किसी भी भाषा की बोलियों की संख्या निश्चित नहीं की जा सकती। फिर भी बोलियों की उनके वर्गों की संख्या अधिक कही जाती है। बोली विभाग की निम्न सीमा में व्यक्तिगत भाषक और उस सीमा की बोली का उपबोली (किसी एक व्यक्ति की वाक्प्रवृत्तियों) नाम कल्पित किया गया है।^{११} प्रत्येक व्यक्ति की वाक्प्रवृत्तियों स्थितियों की भिन्नता के कारण समाज में विभिन्न रूपों में लक्षित होती है। इस प्रकार उपबोली शब्द भाषागत बोलियों का वाचक है। अंग्रेजी में इसके लिए सब डायलेक्ट (Sub-dialect) तथा फ्रेंच में पैटवा (Patois) शब्द का व्यवहार होता है। यूरोप और अमेरिका के भाषा विज्ञान विदो ने "पैटवा" का जिस अर्थ में प्रयोग किया है, उसमें प्रायः चार बातें सम्मिलित हैं—(१) यह बोली से अपेक्षाकृत छोटा स्थानीय रूप है। (२) यह असाहित्यिक होता है। (३) यह असाधु हाता है। (४) यह अपेक्षया निम्न सामाजिक स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। कहना न होगा कि इनमें केवल पहली बात उपबोली में होती है। और बातें भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। राजस्थानी के अन्तर्गत ऐसी उपबोलियाँ हैं, जिनमें साहित्यिक रचनाएँ हुई हैं। ऐसी स्थिति में वे उपबोली तो हैं, किन्तु "पैटवा"^{१२} नहीं। कुछ विद्वान् उपबोली को बोली या उपभाषा तथा बोली को विभाषा कहते हैं। वस्तुतः जिन वाक्-रूपों की कोई लिखित पद्धति नहीं है या अशिक्षित लोगों के द्वारा प्रयुक्त होते हैं अथवा जो अनगण्य एव शिष्ट तथा शिक्षितों की भाषा के विपरीत अकृत्रिम भाषा है उसे बोली कहा जाता है। अंग्रेजी में बोली शब्द के लिए "डायलेक्ट" (Dialect) शब्द प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग किया जाता है—^{१३}

१ वाक् के उन रूपा के लिए जा भिन्न होने पर भी परस्पर बिना किसी प्रशिक्षण के समझने योग्य होते हैं।

२ राजनीति के द्वारा एकीकृत क्षेत्र में वर्तमान वाक्-रूप तथा

३ भाषक के वे वाक्-रूप जिनमें सामान्य लेखन पद्धति प्रचलित है एव जो उत्तम श्रेणी के साहित्यिक ग्रंथों का लिखित समूह है।

स्तुत्रबोध के शब्दों में "बोली वाक्काय है, जिसमें किसी प्रकार के भेद सन्निहित नहीं है और जो प्रयोक्ता के अनुसार जन-सामाज्य के द्वारा समझी जाती है।"^{१४} सामान्य रूप से वक्ता का प्रत्येक उच्चारण बोली है और इसलिए उनमें भेद होने पर भी समान होते हैं तथा जन-साधारण के द्वारा समान रूप से समझे जाते हैं। इससे पता चलता है कि बोली एक ठोस सत्य है। बोली की एकता ध्वनियों के उत्पादन पर नहीं, किन्तु ध्वनियों की बोधगम्यता पर निर्भर है। प्रचलित रूप में बोली शब्द प्रायः हीन गुण वाली भाषा के लिए प्रयुक्त किया

जाता है। बोली बोलने वाला इस अर्थ में आदर्श मानक भाषा से अपने को भिन्न समझता है, क्योंकि वह उस भिन्न अंचल का होता है जहाँ कि स्वतन्त्र रूप से बोली बोली जाती है।¹⁰ ऐसी ही कुछ बोलियों का समूह जिसमें निश्चित समानताएँ निहित रहती हैं भाषा कहल्यता है। अतएव भाषा (विचारों का) पृथक्करण है। एक क्षणिक उच्चार पूरे समुदाय की बोलियों से अभिन्न नहीं होता। यह सम्भव है कि उसमें ऐसे गुण हों जो सामान्य रूप से कह बोलियों में मिलते हों, किन्तु उसमें कुछ अन्य तत्व भी होते हैं जो किसी बोली के लिए विशिष्ट होते हैं।¹¹ वस्तुतः किसी भाषा वैज्ञानिक के लिए बोली और भाषा में कोई तात्त्विक अन्तर नहीं है। भले ही दूर से वे सम्बन्धित दिखलाए पड़ें, किन्तु बोली शब्द का प्रयोग वाग्ध्वनियों के उस रूप के लिए किया जाता है, जिसे कि बोली के परवर्ती रूप (भाषा) को बोलने वाले समझ नहीं पाते।¹² यथार्थ में कई दृष्टिकोणों से बोली शब्द के विभिन्न अर्थों को ग्रहण किया जाता है। किसी राजनीतिक की भाषा में वाग्ध्वनियों के उस रूप को भाषा कहते हैं जो कि आधिकारिक रूप से “राष्ट्रीय भाषा” स्वीकृत होती है, किन्तु बोली को यह मान्यता प्राप्त नहीं होती। साहित्यिक दृष्टि से भाषा वाणी का वह रूप है जो साहित्य को विकसित करता है, बोली में यह सामर्थ्य नहीं होती। भाषा का अस्तित्व तभी माना जाता है, जब कि वास्तव में वह बोली जाती हो, सुनी जाती हो, लिखी जाती हो और पढ़ी जाती हो। भाषा को सभी समझते हैं, किन्तु बोली अन्य स्थान वालों की समझ से बाहर होती है। इस प्रकार बोली और भाषा में अन्तर होने पर भी आन्तरिक रूप से दोनों में कोई अन्तर नहीं माना जाता। अन्तर केवल इतना ही है कि बोली किसी अंचल विशेष में बोली जाती है और भाषा व्यापक क्षेत्र में। किन्तु जब आञ्चलिक बोली शासकीय मुख्यता प्राप्त कर लेती है और राज-काज में प्रयुक्त होने लगती है तब वह भाषा का पद प्राप्त कर लेती है। भाषा सदा शिक्षितों एवं शिक्षितों की उच्चारण पद्धति तथा सस्कारगत प्रवृत्तियों पर आधारित होती है। सभी भाषाओं पर यह बात समान रूप से लागू होती है। किंग्स इंग्लिश लन्दन के शिक्षित वर्गों के उच्चारणों पर आधारित है। इसी प्रकार फ्रच भाषा भी फ्रांसीसियों की मुसस्कृत प्रवृत्तिगत स्तर के अनुरूप औदात्य की सूचक है।¹³ सभी भाषाओं की परिवर्तनशीलता की भाँति सघटनागत नये परिवर्तनों के कारण बोलियों में भी प्रत्यक्ष रूप से विभिन्नता लक्षित होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानान्तरित होने के क्रम में प्रत्येक स्तर पर बोलियों के विभिन्न विभिन्न वाक्प्रवृत्तियों की व्यापक प्रवृत्तिगत रचना के कारण देखे जा सकते हैं।¹⁴ आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बोलियों का विशेष रूप से प्रचलन है। केवल भारत में ही नहीं, अन्य देशों में भी नगरों की अपेक्षा गाँवों में (जहाँ आवासमन के साधन तथा गतिविधियाँ कम हैं) स्थानीय बोलियाँ पल्लवित-पुष्पित होती रहती हैं। सबसे अधिक आधुनिक कहे जाने वाले देशों में भी ग्रामीणों की अपेक्षा नगरनिवासी अपने क्षेत्रों की बोलियों¹⁵ का अन्तर कम समझते हैं। भाषिक परिवर्तनों के बीच सबसे अधिक तथा सुपरिचित एवं चमत्कृत करने वाले वाणी के भौगोलिक रूप हैं।

जब इनमें अन्तर कम होता है तब बोलियाँ कही जाती हैं और जब अन्तर अधिक होता है तब भाषाएँ कहलाती हैं। किसी भी प्रकार इन दोनों की बिल्कुल ठीक परिभाषा देना सम्भव नहीं है।¹¹ फिर भी, यह निश्चित है कि भाषा में कृत्रिमता लक्षित होती है, किन्तु बोली स्वाभाविक होती है। बोली की अन्य उपबोलीयों में परस्पर अत्यन्त समानता रहती है। केवल किसी विशेष स्थान के कारण उच्चारण तथा पद-रचना में किञ्चित् अन्तर परिलक्षित होने लगता है, अन्यथा उनका मूल रूप लगभग समान होता है।

ग्राम्य भाषा

ग्राम्य भाषा के लिए “अपभाषा” शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में इसका पर्यायवाची शब्द स्लंग (Slang) है। इसका अर्थ गँवारू भाषा है। भाषाशास्त्र में गँवारू भाषा का भी उतना महत्त्व है, जितना कि आदर्श भाषा का। यथार्थ में गँवारू भाषा से हमारा अभिप्राय ग्राम या गाँव की भाषा से नहीं है, क्योंकि विभिन्न ग्रामों में भिन्न भिन्न बोलियाँ बोली जाती हैं। ग्राम्य का एक अर्थ अश्लील भी है। गँवारूपन से जैसा मन में आया वैसा बोला और जैसा जो कुछ बन पड़ा वैसे ही शब्दों के प्रयोग को, जिनसे अर्थ में ही नहीं शब्द में भी भोडापन आ जाता है, ग्राम्य कहते हैं। साहित्य शास्त्र में वस्तुतः अश्लीलत्व दोष ग्राम्यत्व का पर्यायवाची है। उदाहरण के लिए—अपान वायु के निःसरण के लिए यह कहा जाय कि “पाद निकल रहा है” तो यह ग्राम्य प्रयोग कहा जायगा। जिस भाषा में ऐसे शब्द प्रयोगों की प्रचुरता होती है वह ग्राम्य भाषा कही जाती है। प्रायः विदेशी भाषाओं का शब्द ठीक से उच्चारित नहीं होते। इसलिए कोई ‘सिनेमा’ के लिए ‘सेनेमा’, ‘सनेमा’, ‘सनीमा’ तो कोई ‘सिनमा’, ‘सनुमा’ और कोई ‘सेलमा’, ‘सलीमा’ आदि न जाने क्या क्या उच्चारण करता है। यद्यपि इनमें से कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं है, किन्तु शिष्टों एवं शिक्षितों की दृष्टि में गलत है। जिस बोली में सहजता तथा स्वच्छन्दता के साथ ऐसे शब्दों की भरती रहती है वह ‘स्लैंग’ या ग्राम्यभाषा है। वेन्द्रीज सभी ग्राम्य रूपों वाली बोलियों को “विशिष्ट भाषाओं” के नाम से अभिहित करता है।¹² इस शब्द की इतनी अधिक दुर्दशा हुई है तथा व्यापक रूप से शब्दों में इतनी विविधता लक्षित होती है कि कौन-सा शब्द ग्राम्य है या नहीं, यह भेदक रेखा नहीं खींची जा सकती। ग्राम्य और अग्राम्य के बीच का अन्तर शब्दों के अर्थ में निहित नहीं है। क्योंकि हिन्दी में यातुनी का जो अर्थ है वही गाल का सन्दूक का जो अर्थ है वही बक्सा का। किन्तु गाल और बक्सा ग्राम्य शब्द माने जाते हैं। इसी प्रकार यातुनी के लिए बक्री, शक्री तथा बोल के लिए बकर, बकर आदि ग्राम्य शब्द हैं। अतएव ग्राम्य (Slang) शब्द निश्चित अर्थ के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता और यदि किसी प्रकार कहा जाए तो किन्हीं शब्दों में सन्निहित अनुभूति निर्दिष्ट होने की अपेक्षा अनुमानित होती है। और जब अशिष्ट हास्य के द्वारा वह अभिव्यक्त होती है तब हम उसे ग्राम्य कहते हैं।¹³ किञ्चित्

अस्यै उच्चारण वाले शब्द प्रायः प्रायः कहे जाते हैं। यद्यपि “लौकिक” का कोशगत अर्थ साधारण बोलचाल की भाषा, शब्द और प्रयोगों से युक्त—आप्रीत भाषा वा बोली होता है और उसे ‘न्यालोकुअल’ (Colloquial) का पर्यायवाची माना जाता है। किन्तु ‘न्यालोकुअल’ का अर्थ स्थानीय या निम्नस्तर की भाषा नहीं है, जैसा कि प्रसक्त समझा जाता है। वस्तुतः इस शब्द का प्रयोग उन शब्दों और वाक्य-विन्यास के लिए किया जाता है, जिनका प्रयोग मुख्य रूप से उच्चतम मनुष्य अपने निजी घरों और अनौपचारिक वाणी में करते हैं तथा जो लिखित से भिन्न होते हैं।¹⁴ इस प्रकार अपभाषा जन-साधारण वं शब्दों में गँवारू बोली, बर्ग बोली वा किसी समुदाय विशेष की बोली को भी कहा जाता है। इसमें कुछ ही ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, जिनसे भाषा में भद्रापन आ जाता है तथा सुनने-समझने वाले को अर्थ की हीनता का बोध होता है। उदाहरण के लिए, ऐसे ही कुछ शब्द हैं—लगाड़, धगाड़, लेड़ा, लौंडा-लौंडी, लौंडा लवडा, गल्लड-गल्लू, रोषा, भांषा, भोदू, घोषा, घेंचू, डुग्घू, खुडी, खुडी, खुडी, पगुरा, बागडबिल्ला, बमना, बांगडू, बहेतू, बलचिया, खूसट, भोचप्पा, भावइ, चोटा, पोटा, चुटियाना, चुरकना, चुषरयाना, चिरकना, अँगुरियाना, बढिया करना, बजमारा, बरबराना, बमकना, चुषियाना, चुदउ, घोदू, चट्टू, बट्टू, कट्टू, कटुआ, कटल्लू, बटल्लू, मटल्लू, छिनरा, छिनार, छिबरी, गू, चिज्जी, जट्टू, जडल्लू, जागाडू, जागाडू, मडहा, भडुआ, भेदू, भिखियारी, मटियारी, छटैल, लन्द फन्द इत्यादि।

मानक भाषा

बोलियों का समान वर्ग या काह बोली जब शिक्षित जागा के मुख्य नगर वा अन्य शिष्ट एव सभ्य सामाजिक वर्ग की भाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो जाती है तब वह मानक भाषा (Standard Language) कही जाती है।¹⁵ बोलियों का परिवर्तन की सहज प्रक्रिया जब सामाजिक, राजनीतिक वा अन्य किसी सांस्कृतिक कारण से अधिक विकसित होकर किसी बृहत् क्षेत्र की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है तब उसे सामान्य रूप से भाषा कहा जाता है। भाषा अपने आदर्श रूप में या शिष्ट जगत् की भाषा के रूप में टकसाली वा मानक भाषा कही जाती है। इसे परिनिष्ठित वा उच्च भाषा भी कहा जाता है। भाषा में लिखे जाने वाले सभी शास्त्र, कला, विज्ञान आदि विषयों की रचना इसी भाषा में होती है। इसका रूप एक प्रकार से स्थिर होता है और इसका अपना एक निश्चित व्याकरण होता है। हिन्दी लगभग एक शताब्दी के पूर्व एक बोली के रूप में खडी बोली थी, किन्तु आज विकसित होकर सांस्कृतिक एव राजकीय सम्मान प्राप्त कर एक मानक भाषा के रूप में व्यवहृत होती है। बोली वा भाषा के मूर्त रूप में जो परिवर्तन होते रहते हैं उनमें यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि किसी क्षेत्रीय वा वर्ग की बोली के स्थान पर मानक भाषा प्रतिस्थापित होती है।¹⁶ जब कोई बोली भाषा का पद ग्रहण करती है तो वह अपनी निकटवर्ती बोलियों को अत्यन्त प्रभावित करती है, जिनसे उनमें भी कुछ परिवर्तन लक्षित होने लगता है तथा नवीन शब्द-रूपों का व्यवहार

उनमें भी प्रचलित हो जाता है। जन-साधारण की भाषा का प्रयोग जब साहित्यिक रचनाओं के लिए होने लगता है तब वह बोलियों से श्रेष्ठ समझी जाने लगती है। कोई भी बोली जब बोलने वालों पर प्रभाव डालने लगती है तब अन्य बोलियों से भिन्न उसे मानक भाषा (Standard Language) कहा जाता है।¹⁵ मानक भाषा और बोलियों का अन्तर परस्पर सम्बद्ध है। फिर भी, बोली विकसित, सस्कृति का अनुशासन करने वाली और स्वदेशीय जनता की वाणी होती है। इसलिए जब देश के राज-काज में मानक भाषा का प्रयोग होने लगता है और उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है तब प्रायः समानान्तर रूप से जनता की भाषा के अन्य लिखित या बोली के रूप में जनबोली का व्यवहार होता रहता है।¹⁶ यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि बोली और उसके मानक रूप में कुछ निश्चित अन्तर परिलक्षित होते हैं। बोलियों का उदय स्वाभाविक प्रवाह के रूप में होता है। बोलियों के आधार पर प्रायः क्षेत्रों का विभाजन तथा नामकरण होता है। इस देश के विभिन्न प्रदेश तथा क्षेत्र भाषाई भिन्नता के आधार पर अभिहित किए जाते हैं। बोलियाँ सामाजिक और प्राकृतिक होती हैं। अपने स्वाभाविक विकास में बोली भाषा नहीं बन पाती। प्रायः बोली से मानक भाषा बनने में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक कारण देखे जाते हैं। इस प्रकार परिस्थितिवश विकसित होकर जब श्रेष्ठ साहित्य प्रसृत करने में बोली सक्षम हो जाती है तब वह मानक भाषा के नाम से व्यवहृत की जाती है। केवल एक भाषा से असंख्य लोगों के बीच सभ्यता का प्रसार किया जा सकता है।¹⁷ बोली भाषा के प्रतिमान के रूप में प्रतिष्ठित होने की प्रक्रिया में अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों से विच्छिन्न नहीं हो जाती, क्योंकि मानक भाषा न तो स्थिर भाषा होती है और न सतत विकासशील। उसमें स्थिरता और विकासशीलता के बीच एक प्रकार का साम्य तथा सदा परिवर्तन लक्षित होता है। इस प्रकार लिखित भाषा सदा मानक भाषा की अभिव्यक्ति होती है, जबकि साहित्यिक भाषा उससे बिल्कुल भिन्न होती है। इसलिए हमें लिखित और साहित्यिक भाषा को एक नहीं मान लेना चाहिए। साहित्य की भाषा धार्मिक या विशिष्ट भाषा होती है, जिसमें विशिष्ट भाषा के सभी गुण निहित रहते हैं।¹⁸ इस प्रकार बोली, मानक भाषा तथा साहित्यिक भाषा में पर्याप्त अन्तर है। लिखित भाषा लिखित वाणी के अतिरिक्त कुछ नहीं है, किन्तु साहित्य की भाषा में शुद्ध एवं सांस्कृतिक रूप निहित रहता है। मनुष्य के चिन्तन का विकास किसी मानक भाषा के माध्यम से ही अधिक स्पष्ट रूप में स्याद बनाने के हेतु लिपिबद्ध किया जाता है। मानक भाषा अपने प्रान्तों में ही नहीं, अन्तर्प्रान्तीय विचार विनिमय में तथा कभी कभी राष्ट्र के विभिन्न भागों में भी व्यवहृत होती है। एक आदर्श स्थान निर्मित कर लेने पर जब मानक भाषा का व्यापक रूप से प्रचलन तथा प्रसार हो जाता है तब आगे चल कर वह राष्ट्रभाषा का आसन ग्रहण कर लेती है।

साहित्यिक भाषा

जो साहित्य रचना के लिए प्रयुक्त की जाती है तथा जिसमें श्रेष्ठ साहित्य लिखा

गया हो उसे साहित्यिक भाषा कहते हैं। साहित्य के विविध रूपों (काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास, संस्मरण आदि) में साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह बोलचाल की भाषा से परिनिष्ठता, प्रौढ़ता तथा एकस्यता एवं सौन्दर्य में उसके निश्चित भिन्न होती है। साहित्य की भाषा शिष्ट एवं कलात्मक कही जाती है। साहित्य की विभिन्न विधाओं में विविध साहित्यिक रूपों की भाँति भाषा में भी भेद संलक्षित होता है। अतएव काव्य की भाषा से नाटक की भाषा तथा नाटक की भाषा से कहानी-उपन्यास की भाषा भिन्न होती है। काव्य में जो सौष्ठव, गम्भीरता, तथ्य संवेदनशीलता तथा विरुद्ध, अप्रचलित एवं समस्त शब्दों का विन्यास वाक्य रचना में परिलक्षित होता है वह कथा-साहित्य में प्रायः नहीं मिलता। कहानी-उपन्यास में बोलचाल की भाषा का प्रयोग होने पर भी एक प्रकार का काल्पित्य तथा सहज प्रवाह रहता है, किन्तु नाटक में एक ओर काव्यात्मकता और दूसरी ओर जनबोखियों का भाधुर्य साहचर्य रूप में सन्निवेशित होता है। इसी प्रकार गीतों तथा लोकगीतों की भाषा किञ्चित् भिन्न होती है, किन्तु इन सब भेदों के रहने पर भी साहित्यिक भाषा की शालीनता एवं गरिमा जनबोखियों से भिन्न होती है। सामान्य रूप से जन भाषा की भाँति साहित्यिक भाषा में भी परिवर्तन होता रहता है, किन्तु यह परिवर्तन सहज नहीं कृत्रिम होता है, और इसी कारण कालान्तर में साहित्यिक भाषा एक कृत्रिम भाषा का रूप ग्रहण कर लेती है। हिन्दी मानक भाषा ही नहीं, एक साहित्यिक भाषा भी है। हिन्दी के साहित्यकार या कवि की भाषा प्रायः इतनी कृत्रिम होती है कि नाटक लिखने का प्रयत्न करते ही उसकी अपर्याप्तता प्रकट हो जाती है। वस्तुतः काव्य के सम्बन्ध में यह धारणा बिल्कुल ठीक है। हिन्दी काव्य की भाषा स्पष्ट रूप से गढ़ी गढ़, कृत्रिमता लिए हुए लक्षित होती है। यथायत्न साहित्यकारों, विशेष रूप से कवियों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण ही किसी भाषा को साहित्यिक भाषा कहा जाता है। इस प्रकार साहित्यिक भाषा का आधार बोली होने पर भी वह किसी क्षेत्रीय या स्थानीय बोली से सर्वथा भिन्न होती है।

राष्ट्रभाषा

जो सम्पूर्ण राष्ट्र की भावात्मक एकता के लिए एक सामान्य अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में मान्य होती है तथा जिसमें समस्त राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना प्रतिबिम्बित होती है उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा किसी भी राष्ट्र की एक गौण रूप से संयुक्त करने वाली एकात्मिका शक्ति की प्रतीक होती है। वस्तुतः राष्ट्र का अर्थ ही भावात्मक एकता की संक्षिप्त चेतना का समूह है। यह चेतना अभिव्यक्त होकर जिससे प्रकाशित होती है, उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। यह समूचे राष्ट्र की परस्पर सम्पर्क की भाषा होती है। विभिन्न प्रदेशों के निवासी भाषानत भिन्नता होने पर भी राष्ट्रभाषा के माध्यम से केवल राजनीतिक कार्यों में ही नहीं, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक आदान प्रदान में भी इसका प्रयोग करते हैं। आज हिन्दी विभिन्न प्रदेशों

के बीच संयोजक भाषा के रूप में बहुत कुछ फैल चुकी है। उसका सम्पर्क इतना अधिक बढ़ चुका है कि अन्य प्रान्तों में एक सम्पर्क भाषा के रूप में विचित्र पठन पाठन होने लगा है। देश के कई भागों में हिन्दी भाषा का ही नहीं, उसके साहित्य का भी सम्पर्क-सम्बन्ध स्थापित हो चुका है। इसलिए हिन्दी आज भारत की राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग सभी विषयों के लिए समान रूप से किया जाता है। यद्यपि राष्ट्रीय भाषाई एकता का प्रतिमान 'एक राष्ट्र और एक राष्ट्रभाषा है', किन्तु विश्व में कुछ ऐसे भी राष्ट्र हैं जिनमें एक से अधिक साहित्यिक भाषाएँ ही नहीं, राष्ट्रीय भाषाएँ भी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत हैं।^१ परन्तु भारतवर्ष की भाषागत स्थिति सर्वथा भिन्न है। यहाँ पर हिन्दी के राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत होने पर भी सम्बद्ध प्रादेशिक भाषाओं में जो आधारभूत साम्य लक्षित होता है तथा उनमें जो साहित्य लिखा हुआ मिलता है उसके कारण उन्हें अराष्ट्रीय नहीं कहा जा सकता। पिर, मूल परम्परा का निर्वाह सभी में समान है। सांस्कृतिक दृष्टि से सभी सम्पन्न हैं। राष्ट्रीय जागरण के गीत भी समवत स्वरो में सभी में ध्वनित होते हैं। अतएव हिन्दी में कौन सा ऐसा तत्व है जो उस राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करता है? राष्ट्रीय चेतना की ऐतिहासिक परम्परा के साथ ही भाषा की सरलता और व्यापकता उसे राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन करने वाले तत्व हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय भाषा

जब राष्ट्रभाषा किसी आदर्श रूप में प्रतिष्ठित होकर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक स्तर पर विचारों के आदान प्रदान हेतु प्रयुक्त होने लगती है तब उसे अन्तर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। कुछ लोगों का विचार है कि किसी विशिष्ट भाषा के अतिरिक्त किसी ऐसी भाषा का निमाण होना चाहिए, जो अन्तर्राष्ट्रों में समान रूप से वाणी विनिमय के माध्यम के रूप में भाषा का स्थान ले सके। अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी या एस्परन्तो की चर्चा की जाती है। अंग्रेजी विश्व के विभिन्न भूभागों में बोली और समझी जाती है तथा उसका क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। एस्परन्तो एक कल्पित भाषा है, जिसका जन्म अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुसार हुआ। साधारणतः यह विचार प्रतिपादित किया जाता है कि किसी भी भाषा व अन्तर्राष्ट्रीय भाषा होने के लिए यह आवश्यक है कि ससार के अधिक से अधिक लोग उसे समझते हों और सभी प्रकार से प्रयोग के लिए उपयुक्त हो। भाषा सरल और सक्षम होनी चाहिए। भाषाशास्त्री इस विषय में एक मत रहे हैं कि सामाजिक संचार के लिए ससार की कोई एक सामान्य भाषा भी बननी चाहिए या किसी भाषा का अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में व्यवहार होना चाहिए। इस आवश्यकता को ध्यान में रखकर भाषाविज्ञान जगत् में अन्तर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक लिपि को जन्म दिया गया। यद्यपि भाषा के सम्बन्ध में कई समस्याएँ हैं तथा कठिनाइयाँ भी। किन्तु भाषावैज्ञानिकों ने इस पर ध्यान दिया है और इससे सहमत हैं कि कोई-न-कोई सन्तोषजनक अन्तर्राष्ट्रीय वाणी का माध्यम निर्मित होना

चाहिए, जो बोलने-वाक्यों के लिए उच्चारण में सरल, सघटन में लचीली तथा सरल एवं अनुवाद करने में स्पष्ट अर्थ देने वाला और भाषार्थ प्रवृत्तियों के अनुसार तर्कपूर्ण ढंग से विकसित, किन्तु सभी प्रणालियों के लिए सरल पद्धति वाला तथा टेपिकोम (दूरभाष), रेडियो (आकाशवाणी) एवं फोनोग्राफ (स्वचालित वाद्य) के लिए उपयुक्त हो ।^१ यथार्थ में अन्तर्राष्ट्रीय भाषा ससार की जनता और भाषा के बीच एक आन्तरिक मूँसला है, जो मुख्य रूप से सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करती है^२ और जो पूर्ण रूप से सस्कृति की स्पष्टतम अभिव्यक्ति है । अतएव अन्तर्राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग सांस्कृतिक संचार के निमित्त किया जाता है, और इसीलिए इसकी आवश्यकता का निषेध नहीं किया जा सकता ।

भाषा के इन रूपों के अतिरिक्त जीवित भाषा, मृत भाषा, प्रायोगिक भाषा, कल्पित भाषा तथा जाति-भाषा आदि अनेक भाषा रूप मिलते हैं । जीवित भाषा का अर्थ बोलचाल की जन साधारण की भाषा है । किंतु जो आज बोलचाल की भाषा नहीं है, केवल लिपिबद्ध है उसे मृतभाषा कहा जाता है । संस्कृत अत्यन्त प्राचीन काल में जीवित तथा बोलचाल की भाषा थी । परन्तु आज दैनिक जीवन में उसका व्यवहार नहीं होता, इसलिए लिखित रूप में अस्तित्व होने पर भी मृत भाषा मानी जाती है । मृत भाषा का अर्थ सर्वथा अस्तित्वहीन नहीं है, केवल जो साधारण जनता के प्रयोग में न हो वह मृत भाषा है । मृतभाषा सर्वथा परिवर्तनहीन होती है । उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन या विकास सम्भव नहीं होता । वह एक अत्यन्त स्थिर और रुढ़ भाषा होती है, जिसका प्रयोग केवल साहित्य में किया जाता है ।

प्रायोगिक भाषा का प्रयोग प्राय तकनीकी तथा वैज्ञानिक साहित्य में प्रयुक्त विशिष्ट शब्दावली से युक्त भाषा के लिए किया जाता है । ऐसी भाषा में प्रयुक्त शब्द विशिष्ट तथा निश्चित अर्थवान होते हैं । कितने ही सरल तथा प्रचलित शब्दों का प्रयोग क्यों न किया जाए, किन्तु वे जन साधारण के शब्दार्थों से भिन्न अर्थ वाले होते हैं । इस भाषा में प्रयुक्त संकेत भी गणितीय संकेतों की भाँति साधारण शिक्षित व्यक्ति की समझ के परे होते हैं ।

कल्पित भाषा की रचना प्राय अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार की सुविधा या भाषाविषयक ऐतिहासिक अध्ययन के लिए की जाती है । डॉ० जमोनहॉप द्वारा निर्मित एस्पेरन्तो एक ऐसी भाषा है, जिसका व्यावहारिक जगत् में कोई अस्तित्व नहीं है, किन्तु विश्व की सामान्य भाषा के रूप में उसका व्यवहार किया जा सकता है । इसी प्रकार भारतवर्ष में दरबारीलाल सत्यभक्त ने “सत्यभाषा” नामक ऐसी भाषा की रचना की है, जो ससार की माध्यम बनने के लिए उपयुक्त है ।

जाति भाषा आज ही नहीं, प्राचीन काल से विविध रूपों में प्रचलित है । धीवर, मकुओं, भील तथा वनेचरो की भाषाएँ जाति-भाषा के रूप में ईसा की कई शताब्दियों के पूर्व से ही प्रसिद्ध रही हैं । आचार्य भरतमुनि ने विस्तार से इनका उल्लेख किया है । जैन तथा बौद्ध आगमों में भी इनका उल्लेख मिलता है ।

डॉ० सिवारी ने गुप्त भाषा का पृथक् रूप से उल्लेख किया है।^{१००} तत्कर, डक् तथा क्रान्तिकारी आदि इस भाषा का प्रयोग करते हैं। सीमान्त प्रदेश तथा अन्य घुमन्तू पेशावर लोगों की भाषा में प्रायः ऐसे शब्दों की भरती रहती है, जिसे जन साधारण नहीं समझ पाता। केवल शब्द ही नहीं, पुराने शब्दों को कुछ तोड़-मरोड़ कर अथ भी नया पहना देते हैं।

भाषा के अन्य रूपों में स्त्री भाषा, पुरुष भाषा आदि का भी उल्लेख मिलता है।^{१०१} वास्तव में इसके अनेक रूप हो सकते हैं, जिन सबका विवरण देना सम्भव नहीं है, क्योंकि अभी तक सभी बोलियों और भाषाओं का सर्वांगीण अध्ययन नहीं हो सका है।

भाषा की उत्पत्ति

भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों की परम्परागत पद्धति कही गई है। विभिन्न मानव समाज में देश, काल और समाज की भिन्नता की अपेक्षा से अल्पा-अलग ध्वन्यात्मक प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। इन प्रतीकों का व्यवहार करने वाला मनुष्य सामाजिक प्राणी है। प्रकृति से मिली हुई अन्य वस्तुओं की भाँति भाषा भी मन और शरीर की भाँति हमारे जीवन की अभिन्न उपलब्धि है। इसलिये भाषा भी उतनी ही स्वाभाविक है, जितना कि चलना फिरना और खाना पीना। अन्तर केवल इतना ही है कि स्वाभाविक प्रवृत्तियों जन्म से ही प्रकट हो जाती हैं, किन्तु बोलने की शक्ति या प्रवृत्ति जन्म से होने पर भी समाज के आलाप कलाप से परिचित होने पर प्रकट होती है। अतएव कोई भी प्राणी जन्म लेते ही भाषा नहीं बोलने लगता। प्रत्येक बच्चे को अपनी मातृभाषा के रूप में कोई न कोई भाषा सीखनी पड़ती है, क्योंकि प्राणी बोलने की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण बिना बोले रह सकता। इसलिये जन्म लेने के पश्चात् शिशु चार पाँच वर्षों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण जिस उपलब्धि को प्राप्त करता है वह है—भाषा। भाषा को प्रत्येक प्राणी समाज में सीखता है। मानव शिशु जिस समाज के बीच में अपने बचपन के प्रारम्भिक चार पाँच वर्षों को बिताता है उसी की भाषा का सरलता से प्रयोग करने में अभ्यस्त हो जाता है। आप किसी भी छोटे बालक को जिस भाषा को सिखलाना चाहते हैं उस भाषा के सामाजिकों के बीच उसे रख दीजिए वह उस भाषा को अच्छी तरह से बोलना चाहे कर देगा। बालक अनुकरणप्रिय होते हैं, इसलिए बड़े लोगों की अपेक्षा किसी विदेशी भाषा को वे अच्छी तरह सीख लेते हैं। केवल ध्वनियों का उच्चारण ही नहीं, हाव भावों तक का अनुसरण करने की उनमें क्षमता होती है। यह सब समाज में प्रत्यक्ष देखने के बाद भी वह सोचना और मानना कि ईश्वर, शिव या अल्लाताला आदि अवतारी महापुरुषों ने भाषा को बनाया है, इस वैज्ञानिक युग में अपना उपहास कराना होगा। इसी प्रकार यह मानना कि किसी एक भाषा से सब भाषाएँ निकली हैं, उचित न होगा क्योंकि सिद्धान्ततः कोई भी भाषा किसी अन्य भाषा को जन्म देने में समर्थ नहीं है। सभी

भाषाओं की अपनी अलग-अलग प्रकृति तथा अस्तित्व है। अपने स्वतन्त्र रूप और भिन्न गठन के कारण साम्य होने पर भी वे परस्पर भिन्न लक्षित होती हैं।

वर्धमान में मानव भाषा की उत्पत्ति सब से महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आज तक के आविष्कारों में सबसे महान् भाषा का आविष्कार है, क्योंकि भाषा के बिना कोई समाज अपने सामाजिक रूप को प्रकट नहीं कर सकता। जीवन-व्यवहार के समस्त सम्पर्क सूत्र भाषा से जुड़े हुए हैं। ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धि का कोई इतिहास आज तक प्राप्त नहीं हो सका है। भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में आज तक जो कुछ कहा गया है वह सब अनुमान और अटकलों पर आधारित है। इसलिए इस विषय को भाषाशास्त्र की सीमा के बाहर माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से अनुमानित विषय का विवेचन सम्भव नहीं है। जब तक किसी भी घटना का कार्य कारण भाव विदित नहीं होता तब तक उसकी ठीक से व्याख्या नहीं की जा सकती। भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में देवी सिद्धान्त से लेकर डार्विन के विकासवाद तक कई सिद्धान्तों की स्थापना की गई, किन्तु आज तक कोई भी स्थिर विचार सामने नहीं आ सका। वास्तव में भाषाशास्त्र तथा भाषाविज्ञान में यही एक ऐसा विषय है, जिस पर आज तक मत भेद बना हुआ है और जिस पर सभी विद्वान् सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि भाषा एक प्रतीकात्मक पद्धति है और इसलिए प्रतीक-रचना की भाँति यह अनादि निश्चय है।

संस्कृत को 'देववाणी' कहा जाता है। देववाणी का यह अर्थ नहीं है कि किसी महादेव ने संस्कृत भाषा की सृष्टि की थी, किन्तु देववाणी का अर्थ है— श्रेष्ठ आर्यजनो की भाषा, शिशुजनों की भाषा एव सत्कार की गई भाषा। अतः भाषा को उत्पन्न करने वाला कोई एक महापुरुष हो नहा सकता, क्योंकि भाषा समाज से बनती है और सामाजिक परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। यदि भाषा ईश्वरप्रदत्त होती तो स्थिर, तर्कसम्मत तथा अपवादरहित होती, किन्तु भाषा की प्रकृति और प्रवृत्तिगत नियमों का भलीभाँति देखने से स्पष्ट हो जाता है कि उसके नियम बड़े लचीले हैं। भाषा बीणा के तारों की भाँति ढीली और लचीली जड़ वस्तु है। भाषा को उत्पन्न करने वाला ईश्वर नहीं है, स्वयं मनुष्य है। भाषा का प्रयोग करने वाला प्रत्येक प्राणी अपने प्रयत्न और इच्छाओं के दबाव से भाषा की ध्वनियों को उत्पन्न करता है। अपने सहज संस्कार और अभ्यास के वशीभूत हो कर मनुष्य भाषा को उत्पन्न करता है। सत्कार के अनेकों देशों में व्यवहृत होने वाली भाषाएँ स्वतन्त्र रूप से उत्पन्न होकर विकसित हुई हैं। इसलिए यह कहना कि भाषा व सकेतों को उत्पन्न करने वाला कोई ईश्वर या देवी शक्ति है, उचित न होगा।

इसी प्रकार प्रसिद्ध समाज-विचारक रुसो (Rousseau) भाषा की उत्पत्ति मनुष्य से हुई मानता है। आवश्यकता के अनुसार समाज में मनुष्य ने भाषा को जन्म दिया। इसे सकेतिक उत्पत्ति का सिद्धान्त कहा जाता है, किन्तु प्रश्न यह है कि बिना भाषा के समाज बना कैसे? यदि समाज बाद में बना और भाषा का जन्म पहले हो

गया तो ध्वनि संघेता का निमाण किसने किया, यह प्रश्न उत्पन्न हो जाता है और समस्या ज्यों की त्यों बनी रह जाती है।

भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के परिणामस्वरूप जर्मन विद्वान् हेज और मैक्समूलर आदि विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि आदि मानव ने चार पाँच सौ धातुओं का निमाण किया होगा। उन्ही धातुओं के आधार पर भाषा-रचना हुई। यह धातु सिद्धान्त कहा जाता है। यह सिद्धान्त भी भ्रमपूर्ण है, क्योंकि आदि मानव ने ऐसा किया क्यों? फिर, विश्व में चीनी जैसी एकाक्षरी भाषाएँ भी हैं, जिनमें धातुएँ नहीं हैं। तीसरे, सभी २८ धातुमूलक नहीं होते। अतः यह मत मान्य नहीं हो सकता।

शब्दानुक्ति के आधार पर हर्डर ने जिस मत का प्रस्थापन किया था वह अनुकरणमूलकतावाद का सिद्धांत कहा जाता है। किन्तु इसके अनुसार किसी भी भाषा में म्याऊँ म्याऊँ, काँव काँव, कुहू-कुहू, कँ-कँ जैसे शब्द परिमाण में बहुत कम होते हैं। फिर, इनसे अन्य शब्दों की रचना कैसे हो सकती है? सम्भवतः यही विचार कर स्वयं हर्डर ने कालान्तर में यह मत त्याग दिया।

डाविन ने भावावेगों की अभिव्यजना का विचार करते हुए भावावेगों को उत्पन्न करने वाले सहज तथा अनिवार्य शारीरिक कारणों का विवेचन किया। उनका यह सिद्धान्त मनोभावाभिव्यजकतावाद (पृहपृहवाद) कहा जाता है। इन आवेगमूलक भावों का न तो विश्लेषण सम्भव है और न इन्हें भाषा का आदिजनक माना जा सकता है, क्योंकि ये विशिष्ट दशा में उत्पन्न होते हैं। विस्मयादिबोधक ध्वनियों और शब्दों के बीच गहरा अन्तराल होता है। आवेग आकस्मिक होते हैं, किन्तु भाषा आकस्मिक नहीं है।

इसी प्रकार नुइर (Noire) श्रमपरिहारमूलक ध्वनियों से भाषा की उत्पत्ति मानते हैं। इनका मत श्रमपरिहारमूलकतावाद (यो हे हो वाद) कहा गया है। यह मान्यता भी मूल स भरी हुई है। कुछ ऐसी ध्वनियों हो सकती हैं जो श्रम को दूर करने के क्षणों में उत्पन्न होती हैं, किन्तु भाषा के लिए भी यह मानना उचित नहीं है।

जेस्पसन के अनुसार भाषा की उत्पत्ति आदिम मानव की सगीतात्मक प्रवृत्ति के कारण हुई। भाषा पहले पद्यात्मक बनी, अर्थहीन ध्वनियों आगे अक्षर के रूप में परिणत होकर अर्थ देने लगीं। यह मत कोई महत्त्व नहीं रखता, क्योंकि यह एक विचार है, न कि समस्या का समाधान।

अनुरणन सिद्धान्त (डिग डेग वाद) के रूप में मैक्समूलर ने अपने जिस व्यापक नियम का प्रतिपादन किया, उसके अनुसार प्रत्येक पदार्थ पर आघात होने पर एक विशिष्ट ध्वनि सुनाई पड़ती है। आदिम मानव में वह सहजात प्रतिभा थी, जिसके कारण सहज रूप में व्यव्यात्मक अभिव्यक्ति होती थी, आगे चलकर वह शक्ति नष्ट हो गई। ये विचार कल्पित और स्वाभाविक प्रवृत्ति से सम्बद्ध हैं। इनसे समस्या पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता।

इसी तरह का एक अन्य सिद्धान्त है—इंगित सिद्धान्त । इसके अनुसार भाषा अभिव्यञ्जक इंगितों से उत्पन्न हुई । ये इंगित ध्वन्यात्मक से और आंगिक भी । मनुष्य इनका विकास करके भाषा निर्माण में समर्थ हुआ । लेकिन यह सिद्धान्त भी मान्य नहीं हो सका, क्योंकि व्यञ्जक इंगित आन्तरिक प्रवृत्ति से अभिभूत होते हैं । ये इंगित सहज रूप से सभी प्राणियों में मिलते हैं, किन्तु भाषा के सक्त इनसे सर्वथा भिन्न होते हैं, जो समाज के सम्पर्क से ही सीखे जा सकते हैं ।

स्वीट ने अपने समन्वय सिद्धान्त में उक्त सभी सिद्धान्तों को अनुकरणात्मक, मनोभाषाभिव्यञ्जक और प्रतीकात्मक रूपों में समेट कर कल्याणों के आधार पर एक समन्वित कल्याण की, जो किसी भी रूप में मान्य नहीं हो सकती ।

एक अन्य सिद्धान्त है—सम्पर्क सिद्धांत । इसके प्रतिपादक जी० रेवेल् है । वे मनोवैज्ञानिक आधार पर भाषा को मानव मस्तिष्क की सबसे आश्चर्यजनक सृष्टि मानते हैं । इस सिद्धान्त को उन्होंने मनोविज्ञान के त्रिक्रियात्मक रूप से सम्वद्ध किया है, जिसके अनुसार मानवीय भाषा में आदेश, कथन और प्रश्न तीनों का समावेश है । भाषा का आदिम रूप उन सहज प्रवृत्ति और आवश्यकताओं से निर्मित हुआ था, जिसमें भावात्मक और बौद्धिक दोनों प्रकार के सम्पर्क का क्रियात्मक योग था । मनुष्य की सहज प्रवृत्ति का विकास भावात्मक सम्पर्क के रूप में हुआ और इसलिए सम्पर्क की दृष्टि से भाषा के तीन रूप हो सकते हैं—अभाषात्मक चिह्नादित, उद्देश्यपूर्ण पुकार और शब्द । इसे भाषा की पूंजावस्था कहा गया है । इस सिद्धान्त में समाज-सम्पर्क को अधिक महत्त्व दिया गया है, किन्तु इससे भी समस्या नहीं सुलझती ।

मेरियो पेइ (Mario Pei) ने ठीक ही कहा है कि भाषाविद् जिस एक बात पर सहमत है वह है—मानव भाषा की उत्पत्ति की समस्या अभी तक नहीं सुलझ पाई है । इस दिशा में आज तक जो भी प्रयत्न किए गए हैं उनमें से अधिकतर डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को ध्यान में रख कर सामाजिक विकास की चिंतना से किसी न किसी प्रकार सम्वद्ध है । क्योंकि अमुक वस्तु के लिए अमुक शब्द का व्यवहार क्यों हुआ, मनुष्य को मनुष्य शब्द से अभिहित क्यों किया गया, इस पर कोई विचार नहीं किया गया । डॉ० बाबूराम सक्सेना के शब्दों में—“भाषा और विचार के आदिर्भाव का प्रश्न मनुष्य समाज के विकास की समस्या के साथ अनिवार्य रूप से उलझा हुआ है । और जब तक विकासवाद के उपस्थापक डार्विन आदि विद्वानों के खोए हुए पूर्वजों का पता नहीं चलता और विकासवाद की मूलला की टूटी हुई कड़ी नहीं मिलती तब तक भाषावैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, भाषा और विचार के आदि स्रोत तक पहुँचने में नितान्त असमर्थ हैं, और रहेंगे ।”

विज्ञान के क्षेत्र में समय और अन्तरिक्ष के सिद्धान्त के रूप में आर० ए० विल्सन ने जो मत स्थापित किया है उससे भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में नया विचार करने में बहुत कुछ सहायता मिलती है । क्योंकि उनके इस सिद्धान्त से डार्विन के विकासवाद

की वह धारा स्खण्डित हो जाती है, जिस में यह मान लिया गया था कि मनुष्य की भाँति पशु की भी अपनी भाषा प्रवृत्ति होती है। दोनों की भाषा में कोई व्यवहारिक अन्तर नहीं है।

आर० ए० विल्सन के अनुसार सम्पूर्ण सृष्टि दो मूल तत्त्वों पर आधारित है—समय और अन्तरिक्ष। मानव समय और अन्तरिक्ष के बाह्य जगत् को भाषा के ध्वनि-सकेतों के माध्यम से अन्तर्जगत् में निमित्त करता है। अतएव अन्तर्जगत् बाह्यजगत् का ही प्रतिरूप है। प्रत्येक वस्तु के लिए मनुष्य को इसी कारण मानसिक प्रतीक अथवा सकेतों को ग्रहण करना पड़ता है, और इनके कारण ही मनुष्य तथा पशु की भाषा में मौलिक अन्तर विदलेषित किया जा सकता है। यह अन्तर निम्नलिखित रूपों में लक्षित होता है

(१) पशु-पक्षियों की ध्वनियाँ स्वाभाविक होने के कारण न तो स्पष्ट हैं और न कोई उनका निश्चित अर्थ है। उनकी ध्वनियाँ वाद्ययन्त्र की भाँति स्पन्दनशील होती हैं।

(२) मानव उनकी वाणी का अनुकरण मानवीय प्रयत्नों द्वारा सरलता से कर लेता है, किंतु पशु पक्षी मानवीय वाणी का पूर्ण अनुकरण नहीं कर पाते हैं।

(३) यद्यपि डार्विन मानव और पशु पक्षी की भाषा में प्रकार का अन्तर मानता है, किन्तु यह प्रकार का अन्तर न होकर मात्रा का अन्तर है।

(४) मानव की स्वतंत्र चेतना शक्ति का विकास आज तक पशु पक्षी जगत् में नहीं हो सका है। मानव इस दिशा में सतत विकासशील है।

() मानव और पशु की मानसिक शक्तियों में बहुत अन्तर है। यही कारण है कि बनमानुष वर्षों तक नगर में रहने पर भी सम्यक् नहीं बन पाता।

(६) पशु-पक्षियों के मानसिक विकास में सबसे बड़ी बाधा समय और अन्तरिक्ष की मानी गई है। पशु-पक्षियों में स्मृति तो है, किन्तु समय का ज्ञान नहीं है। वे जितने स्थान तक घूम फिर पाते हैं उतने तक का ज्ञान होता है। किन्तु मनुष्य बहुत दूर दूर तक के स्थानों से भी मानसिक सम्बन्ध स्थापित कर लेता है। इसी प्रकार मानव मन अपनी इन्द्रियों की सीमा में बंध कर नहीं रह पाता, जो उसे पशु-पक्षी से नितान्त भिन्न सिद्ध करता है। परंतु अब प्रश्न यह है कि इस अन्तर से भाषा की समस्या को किस प्रकार सुलझाया जा सकता है ?

मनुष्य का सम्बन्ध आन्तरिक तथा बाह्य-भौतिक जगत् दोनों से है। भौतिक जगत् की विभिन्न रूपात्मक वस्तुओं को वह मानसिक रूप प्रदान करता है। अतएव उस मानसिक सृष्टि के विभिन्न पदार्थों को अभिव्यजित करने के हेतु मानसिक प्रतीकों या सकेतों की आवश्यकता का अनुभव कर मनुष्य ने भाषा की सृष्टि की। पशु पक्षियों को इस प्रकार के प्रतीकों की आवश्यकता नहीं पड़ती। मानव ने इन प्रतीकों का आविष्कार भौतिक जगत् की रूपात्मक रचना को ध्यान में रख कर किया। अतः

आन्तरिक की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति आकृति है और समय की स्वाभाविक अभिव्यक्ति ध्वनि है। दोनों का संबंध पूर्वापरपक्षी है, जो चिन्तनपूर्वक प्रकट होता है। चिन्तन स्वतः एक समय-पद्धति है। ध्वनियों को चाक्षुष बनाने के लिए और स्वाधित्य प्रदान करने के लिए ध्वनि-संकेतों का आविष्कार लिपि के रूप में किया गया, जो परवर्ती विकास है। भाषा पहले बनी और लिपि उस के विकसित होने पर बहुत बाद में उत्पन्न हुई।

निष्कर्ष

भाषा मूल में यादृच्छिक वाकप्रतीकों की एक ऐसी पद्धति है, जिस के माध्यम से बच्चा और भोला के बीच भावों तथा विचारों का आदान-प्रदान होता है। भाषा प्रतीकात्मक होने से सदा साथक ध्वनियों से निर्मित होती है। साथक ध्वनियाँ मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयवों से निःसृत होती हैं। ये ध्वनियाँ ऐच्छिक होती हैं। भाषा प्रतीकात्मक पद्धति होने से पशु पक्षियों की बोली से भिन्न होती है। पशु-पक्षी वाक्यों में नहीं बोलते, जब कि मनुष्य वाक्यों में भाषा का व्यवहार करता है। मनुष्य मात्र से उच्चरित अनायास या सहसा निःसृत ध्वनियाँ तब तक भाषा का रूप नहीं लेती जब तक वे ऐच्छिक एवं नियत स्थान और निश्चित प्रयत्न द्वारा उत्पन्न नहीं होतीं। वस्तुपरक रूप में भाषा के स्वरूप की निर्मालसित संरचनात्मक कोटियाँ मानी जाती हैं।

- | | |
|----------------------------------|--|
| ० आचार (Matrix) | मानवीय वाक्-तन्त्रीय, मानसिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि |
| १ स्वन (Phonation) | स्वनिम-व्यवस्था |
| २ सहस्वन (Allophonic) | तद् अध्ययन |
| ३ स्वनिम (Phonemics) | स्वनिम विज्ञान (Phonology) |
| ४ रूप स्वनिम (Morphophonemics) | भाषा में घटित आन्तरिक रूप स्वन विकार, तद् अध्ययन, सन्धि-विज्ञान |
| ५ पद (Morphology) | स्वनिम, पद (शब्द), पदवच एव वाक्यों और उनके तत्त्वों में आन्तरिक सम्बन्धगत अध्ययन |
| ६ वाक्य (Syntax) | व्याकरण |
| ७ संनिवेशन (Collocation) | अर्थ |
| ८ संकेत (Notation) | तद् अध्ययन |
| ९ सन्दर्भ (Reference) | अर्थ विज्ञान (Semantics) |
| १० पदार्थ सर्वस्व (Makter) | भाषा में प्रतिबिम्बित या अभिव्यक्त सर्वस्व |

इन रूपों में भाषा का अध्ययन तथा विश्लेषण किया जाता है।

व्यापक रूप से भाषा की परिभाषाएँ विभिन्न धारणाओं तथा दृष्टिकोणों पर आधारित हैं। इसलिए विचारों में वैविध्य व्यक्त होता है। भारतवर्ष में अत्यन्त प्राचीन काल से भाषा के सम्बन्ध में विभिन्न ऋषि-भूषिण तत्त्वचिन्तन करते रहे हैं। वेदों का ऋषि-द्रष्टा ज्ञान राशि के सञ्चित भण्डार के रूप में वाणी (भाषा) का उद्घोष करता है कि विद्वानों ने प्रत्येक शब्द को सत्त्व की भाँति चकनी से छान कर तथा परस्पर विमश कर भाषा का निर्माण किया है। अतएव उन की वाणी में ज्ञानराशि का सञ्चित भण्डार निहित है।^{१०} किन्तु प्रातिशाख्यों में शारीरिक प्रक्रिया की स्वाभाविक परिणति के द्वारा प्राणवायु की विभिन्न स्थितियों से भाषा-रचना का उल्लेख मिलता है।^{११} वस्तुतः जिस समय वाक्-योग के द्वारा कहा जाने वाला विषय उच्चरित होता है उसी समय भाषा है। भाषित व्यापार सम्पन्न होने पर भाषा अभाषा ही है।^{१२} दूसरे शब्दों में, भाषित (वाग्-ध्वनियों के उच्चरित) होने के पूर्व भाषा नहीं है और भाषित होने के अनन्तर भाषा की अवस्थिति नहीं है। केवल भाषित होने के समय में ही भाषा भाषा कही जाती है, अन्य समय में उसे अभाषा ही समझना चाहिए। और इसीलिए भाषा एक द्वन्द्व है। तीर्थंकर महावीर का यह चिन्तन जैन-दर्शन के नय तथा प्रमाणवाद को प्रतिफलित करता है। इसी प्रकार भाषा शरीर तथा मानसिक प्रक्रिया से प्रकट होती है। दो समय में भाषारूप परिणमन करने वाले पुद्गल (वर्गणाओ) को भाषा कहते हैं।^{१३} भाषा को पर्याप्तिसञ्ज्ञक भी कहा गया है। संक्षेप में, भाववाक्-रूप शक्ति से युक्त क्रियावान् आत्मा के द्वारा प्रेरित पुद्गल ही वचनरूप परिणमन करते हैं। किन्तु वैदिक विचारधारा के अनुसार “जगत् का चिन्मय प्रकाशन भाषा है।” भाषा सम्पूर्ण चिन्तन और नाम रूप तथा दृश्यमान जगत् की पूर्व स्थिति है। अतएव वह नित्य है। औपनिषदिक विचार धारा के अनुसार आत्मा देह-यापी है। जब वह श्वास लेता है तो प्राण कहते हैं और जब वह बोलता है तो भाषा (वाक्) कहते हैं।^{१४} मीमांसकों के मत में विधि निषेधात्मक वाक्य को भाषा कहते हैं। वाक्य अयमूलक होता है और अय अदृष्ट तथा अदृष्ट अपूर्व कहा गया है। नैयायिकों को यह मत इष्ट नहीं है। वस्तु रूप में भाषा साधक होती है शेष अनुमान है। ऐतिहासिक या समाजशास्त्री के लिए “भाषा एक सामाजिक धर्म है।” हर्मन पाल का स्पष्ट कथन है कि भाषा को ऐतिहासिक सन्दर्भ से भिन्न किसी अन्य सन्दर्भ में देखा ही नहीं जा सकता। यहाँ तक कि भाषा का भौतिक और मानसिक पक्ष भी इस के अधीन होकर चलता है। वेदान्त के अनुसार भाषा एक द्वैतमूलक स्थिति की अभिव्यक्ति है। सोसुर, ड्रोखाइन और मेहये ने भाषा के सामाजिक रूप को स्वीकार करते हुए इस पर भी बल दिया कि भाषा एक दूसरे से अलग तथ्यों की राशि मात्र नहीं है, वह एक अपने में पूर्ण सञ्चटना है और भाषा में जो मूलभूत द्वैत है, सामान्य और विशेष के बीच, सन्देश और सन्देशवाहक के बीच तथा भाषा के प्रतिरूप और भाषा के तथ्य के बीच, उस द्वैत के कारण ही भाषा भाषा है।^{१५} किन्तु भाषा के सम्बन्ध में साहित्यकार और विशेष कर कवि की मान्यता भिन्न होती है। उस की भाषाविषयक प्रवृत्ति सृजन-प्रक्रिया से सम्बद्ध रहती

हैं। कवयित्री कवि के शब्दों में "भाषा एक जीवित सन्ध्या है। शब्दों में एक संस्कार है। शब्दों में जो अर्थ-सन्ध्या है वह कैप्टेसी (कल्पना) के द्वारा उद्भूत होकर नई भावधारणें बहा देता है। ये भावधारणें कैप्टेसी की सभी परवर्ती भावधारणें हैं।" कवि भावप्रवणता तथा कल्पनानुपग से कल्पना की शब्दबद्ध प्रक्रिया से लेकर भाषा और भाषा के मूल इन्द्र का सम्बन्ध सृजन-प्रक्रिया से जोड़ सकता है, किन्तु नाटककार की भाषा उस से निश्चित भिन्न होती है। "श्रेष्ठ नाटक की भाषा ऐसी होती है कि उस में भाव, विचार और चित्र तीनों को बहान करने का सामर्थ्य तो हो, पर वह बोलचाल की भाषा से बहुत दूर न हो। यही कारण है कि नाटक-रचना से भाषा को नया संस्कार, नई गति और जीवन्तता मिलती है।" इसी प्रकार एक उपन्यासकार या कथा-कहानीकार के लिए भाषा एक ऐसी परम्परा है, जो सहज प्रवाह के साथ भावों के अनुरूप शब्दों में ढलती जाती है। अपने भावों को अभिव्यक्ति का मूल रूप देने के लिए उसे कोई आयास या प्रयत्न नहीं करना पड़ता। भाषा अभ्यासवश सहज संस्कारों के साथ लिपिरूप में चित्रित हो जाती है। इस प्रकार विभिन्न साहित्यकारों के लिए ही नहीं, मनोवैज्ञानिकों के लिए भी भाषा अवचेतन मन के सचित रूपों का प्रकाशन, चेतनता का प्रतिबिम्ब तथा यथार्थ मूर्त रूपों का अभिव्यक्तिकरण है। भाषा के द्वारा ही मानव मन का विकास किया जा सकता है। किन्तु अठारहवीं शताब्दी के जर्मन दार्शनिक हेम्मन (जिन का गेटे पर बहुत प्रभाव था) का विचार है कि भाषा समस्त विचारों की नींव ही नहीं, वह केन्द्रबिन्दु भी है, जिस से भ्रान्ति की ओर बढ़ सकती है और जिस के कारण स्वयं उसमें विग्रहमान हैं। यथार्थ में भाषा विचारों की वाहिनी है। विचारों की अभिव्यक्ति में भाषामत चिह्न अनिवार्यरूप से सहायक होते हैं। यथार्थ में भाषा का महत्त्व इस में निहित है कि हम अपने कथन को देखें कि किस प्रकार से विचार करते हैं। क्योंकि भाषा एक चिर प्रवाह है और उसे बिना देखे-समझे हम अपने विचारों को वास्तविक रूप से नहीं समझ सकते। साहित्यकार के लिए भले ही भाषा शब्दावली की कमी के कारण अडचन उत्पन्न कर सकती है, किन्तु वैज्ञानिकों, चित्रकारों और संगीतज्ञों को प्रायः अपने विचारों को मौखिक पद्धति का मूर्त रूप देने में कठिनाई उत्पन्न होती है। वैज्ञानिक के लिए भाषा एक भिन्न प्रकृति की वस्तु है। भाषा की प्रकृति से वह सर्वथा अनभिज्ञ रहता है। इसलिए मौखिक रूप देने की अपेक्षा ठीक यथार्थ अभिव्यक्ति तथा रहस्यगत अनुबन्धों को प्रकट करने में कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए, ध्वनि, काल तथा धर्म एवं प्रकृति शब्द सामान्यरूप से प्रचलित होने पर भी दर्शन, विज्ञान और समाजशास्त्र में भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। लेखक कभी भी ऐसे शब्दों को ओझल कर नए शब्दों की सृष्टि नहीं करता, वरन् इन शब्दों को ही विभिन्न सन्दर्भों में नया अर्थ पहना देता है। साहित्यकार की भाँति वैज्ञानिक का सम्बन्ध चिन्तन की सृजन प्रक्रिया से नहीं होता। इस युग के महान् तथा प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइन्स्टीन का कथन है—लिखित या बोले जाने वाले शब्द या भाषा में चिन्तन की सृजन प्रक्रिया में सक्रिय स्थिति नहीं होती।

विचारों के तत्त्वों के रूप में जो प्रतीत होता है उस की भौतिक सत्ता है और निश्चित प्रतीक तथा कम या अधिक स्पष्ट विम्ब हैं, जो ऐच्छिक रूप से पुनः उत्पन्न तथा संयुक्त किए जा सकते हैं। भाषा विम्बप्रधान होती है, किन्तु विषय के अनुकूल विम्बों का चित्रण किया जाता है। साहित्यकार के विम्बों से वैज्ञानिकों की भाषा में प्रयुक्त विम्ब तथा वैज्ञानिकों से गणितज्ञों के विम्बों की रचना भिन्न होती है। गणित-शास्त्री सदा निश्चित प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, जिनमें विम्ब अस्थिर तथा मानस चित्रात्मक एव प्रायः दृग्वात्मक होते हैं। दूसरे शब्दों में, गणित की भाषा मानसिक चित्रों की भाषा कही जा सकती है। इस प्रकार सभी तरह से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि भाषा एक प्रतीकात्मक पद्वति है। मानव-जीवन की वह एसी जीती जागती प्रक्रिया है कि उसमें जितनी सचेदनशीलता सञ्चित है उतनी ही सामाजिक चेतना भी। समाज का सम्पूर्ण परिस्पन्दन भाषा के द्वारा अभिव्यजित होता है। और यही कारण है कि वर्तमान जीवन में सामाजिक जटिलताओं के साथ भाषा के स्तर और भाषिक रूप भी दिनोदिन जटिल होते जा रहे हैं। इसी प्रकार जीवन का दुहरापन भी आज भाषा में प्रतिबिम्बित लक्षित होता है। इसलिये परिवार में या सीमित कुटुम्ब में हम जिस मातृभाषा या बोली का व्यवहार करते हैं, सामाजिक परिवेश की भाषा निश्चित ही किसी न किसी रूप में यत्किञ्चित् उससे भिन्न होती है।

सन्दर्भ-सकेत

- १ पी० डी० गुणे (अनु — डॉ० भोलानाथ तिवारी) तुलनात्मक भाषाविज्ञान की भूमिका, पृ० १।
- २ मेरियो पेह इन्विटेशन टु लिन्विस्टिक्स, १९६५, पृ० १।
- ३ ई० एच० स्तुत्रवाँ एन इन्ट्रोडक्शन टु लिन्विस्टिक सायन्स, पृ० १।
- ४ वहाँ, पृ० ७।
- ५ आइ० जे० एस० तारापुरवाला एलीमेन्ट्स ऑव द सायन्स ऑव लैंग्वेज, तृतीय संस्करण, १९६२, पृ० ४४८।
- ६ एच० ए० ग्लोसन एन इन्ट्रोडक्शन टु डिस्क्रिप्टिव लिन्विस्टिक्स, १९६१, पृ० ११।
- ७ ई० एच० स्तुत्रवाँ एन इन्ट्रोडक्शन टु लिन्विस्टिक सायन्स, पृ० ५२।
- ८ थुएन रेन चाउ लैंग्वेज एण्ड सिम्बोलिक सिस्टम्स, केम्ब्रिज, १९६८, पृ० ६।
- ९ वहाँ, पृ० ६।
- १० येहोशुआ वार हिलेक लैंग्वेज एण्ड इन्फर्मेंशन, जेरुसलम, १९६४, पृ० ६१।
- ११ चास्तै एफ० हॉकेट ए कोर्स इन मॉडर्न लिन्विस्टिक्स, १९६५, पृ० १२९।
‘A form consisting of two or more words is a phrase’
- १२ थुएन रेन चाउ लैंग्वेज एण्ड सिम्बोलिक सिस्टम्स, १९६८, पृ० ६४।
A syntactic construct is a construct of words; a construct is a recurring same of order—language (what) ” p 145 ff.
- १३ एच० ए० ग्लोसन एन इन्ट्रोडक्शन टु डिस्क्रिप्टिव लिन्विस्टिक्स, १९६१, पृ० ४४९।

- १४ किन्कीड वी० कैमन हिस्टारिकल लिग्विस्टिक्स एन इन्ट्रोडक्शन, १९६३, पृ० २३-२८ ।
- १५ "व्याक्रियन्ते वाच्यः अनेन इति ।" परतंजलिबुद्ध संज्ञानाम्बु, पद्यशास्त्रिक ।
- १६ "शब्दानामन्वास्तानं व्याकरणम् ।" काव्यमीमांसा (राकेश्वर), अ० ८ ।
- १७ महाभारत, उद्योगपर्व, ४३, ६१ ।
- सर्वाधानां व्याकरणात् नैवाकरणमुच्यते ।
तन्मूलं तु व्याकरणे व्याकरोतीति तस्यथा ॥
- १८ चार्ल्स एफ० हॉकेट ए कोर्स इन माडर्न लिग्विस्टिक्स, १९६५, पृ० १२९ ।
- १९ गोलोक विशारी बल ध्वनिविज्ञान, १९५८, पृ० २१७ से उद्धृत ।
- २० एडवर्ड सेपीर लेंग्वेज, १९४९, पृ० २४ ।
- २१ सर एलेन गाडिनर द थ्योरी ऑव स्प्रीच एण्ड लेंग्वेज, द्वितीय संस्करण, ऑक्सफोर्ड, १९६०, पृ० ८७ ।
- २२ जेफिथ एस० हेरिस स्ट्रक्चरल लिग्विस्टिक्स, चतुर्थ संस्करण, १९६०, पृ० १५८ ।
- २३ वही, पृ० १४ ।
- २४ युएन रेन चाउ लेंग्वेज एण्ड मिम्बोलिक सिस्टम्स केम्ब्रिज, १९६८, पृ० ११ ।
- २५ फर्दिनांद डिमासे कोर्स इन जनरल लिग्विस्टिक्स, अनूदित, लन्दन, द्वितीय संस्करण, १९६४, पृ० ९ ।
- २६ डॉ० उदयनारायण तिवारी भाषाशास्त्र की रूपरेखा, पृ० ३४ से उद्धृत ।
- २७ जे० वान्द्रिएज लेंग्वेज, लन्दन, पञ्चम संस्करण १९५९, पृ० २३३ ।
- २८ एच० ए० ग्लोसन एन इन्ट्रोडक्शन टु डिस्क्रिप्टिव लिग्विस्टिक्स, १९६१, पृ० ४०८ ।
- २९ वही, पृ० ४०८ ।
- ३० वही पृ० १० ।
- ३१ ई० एच० स्तुन्नर्वा, लिग्विस्टिक चेन्ज, १९६१, पृ० १ ।
- ३२ जोशुआ ह्याटमो लेंग्वेज १९५६, पृ० ११८ ।
- ३३ ए० एच० मैस इन्ट्रोडक्शन टु द मायन्स ऑव लेंग्वेज, जिह्द २, १९००, पृ० ३३९ ।
- ३४ युएन रेन चाउ लेंग्वेज एण्ड मिम्बोलिक सिस्टम्स, १९६८ पृ० १-३ ।
- ३५ जोशुआ ह्याटमो लेंग्वेज, १९५६, पृ० ८-१२ ।
- ३६ वही, पृ० ११ ।
- ३७ बर्नार्ड ब्लाख एण्ड जाज एल० ट्रेगर आउट लाइन ऑव लिग्विस्टिक एनेलेसिस, १९४२, पृ० ५-६ ।
- ३८ जे० वान्द्रिएज लेंग्वेज, १९५९, पृ० ११ ।
- ३९ वही, पृ० १२ ।
- ४० चार्ल्स एफ० हॉकेट ए कोर्स इन मॉडर्न लिग्विस्टिक्स, १९६५, पृ० १४१-४२ ।
- ४१ फर्दिनांद डिमासे कोर्स इन जनरल लिग्विस्टिक्स, १९६४, पृ० ११४ ।
- ४२ वही, पृ० १२३ ।
- ४३ योशुआ बार हिलेल लेंग्वेज एण्ड इन्फर्मेसन, १९६४, पृ० २०६ ।
- ४४ वही, पृ० ३० ।
- ४५ युएन रेन चाउ लेंग्वेज एण्ड मिम्बोलिक सिस्टम्स, पृ० १२३ ।
- ४६ वही, पृ० १२४ ।
- ४७ वही, पृ० १२५ ।
- ४८ चार्ल्स एफ० हॉकेट ए कोर्स इन मॉडर्न लिग्विस्टिक्स, पृ० ३२१ ।

- ४९ आर० एच० रॉबिन्स जनरल लिग्विस्टिक्स एन इन्ट्रोडक्टरी सर्वे, लन्दन, १९६७, पृ० ५१ ।
- ५० चार्ल्स एफ० हॉके ए कोर्न इन मॉडर्न लिग्विस्टिक्स, पृ० ३२२ ।
- ५१ आर० एच० राबिन्स जनरल लिग्विस्टिक्स एन इन्ट्रोडक्टरी सर्वे, पृ० ५१ ।
- ५२ डॉ० भोलानाथ तिवारी भाषा विज्ञान कोश, प्रथम संस्करण, पृ० ४५९ ।
- ५३ आर० एच० रॉबिन्स जनरल लिग्विस्टिक्स एन इन्ट्रोडक्टरी सर्वे, पृ० ५८ ।
- ५४ ई० एच० स्तुत्रवाँ लिग्विस्टिक चे जे, १९६१ पृ० १४६ ।
- ५५ युएन रेन चाउ लैंग्वेज एण्ड सिम्बोलिक सिस्टम्स पृ० ११० ।
- ५६ ई० एच० स्तुत्रवाँ लिग्विस्टिक चे जे, पृ० १४७ ।
- ५७ एडवर्ड सेपीर सल्टेकटेड राइजिंग्स इन लैंग्वेज, कल्चर एण्ड पर्सनालिटी, पृ० ८३ ।
- ५८ मेरियो पेइ द स्प्री ऑव लैंग्वेज, लन्दन, १९५७, पृ० ४९ ।
- ५९ आर० एच० रॉबिन्स जनरल लिग्विस्टिक्स एन इन्ट्रोडक्टरी सर्वे, पृ० ६० ।
- ६० वहाँ पृ० ६२ ।
- ६१ एच० ए० ग्लोसन एन इन्ट्रोडक्शन टु डिस्क्रिप्टिव लिग्विस्टिक्स, परिचित संस्करण, पृ० ३९८ ।
- ६२ जे० वान्द्रिएज लैंग्वेज, लन्दन १९५९, पृ० २४९ ।
- ६३ डीन एण्ड विल्लिन (स०) एसेज आन लैंग्वेज एण्ड यूमेज, द्वि० सं०, १९६३, पृ० २७६ ।
- ६४ वहाँ पृ० २७६-७७ ।
- ६५ आर० एच० रॉबिन्स जनरल लिग्विस्टिक्स एन इन्ट्रोडक्टरी सर्वे, पृ० ५७ ।
- ६६ ई० एच० स्तुत्रवाँ लिग्विस्टिक चे जे, पृ० ८१ ।
- ६७ वहाँ पृ० १५७ ।
- ६८ युएन रेन चाउ लैंग्वेज एण्ड सिम्बोलिक सिस्टम्स, पृ० १३३ ।
- ६९ जे० वान्द्रिएज लैंग्वेज लन्दन १९५९ पृ० २६१ ।
- ७० वहाँ पृ० २७१ ।
- ७१ वहाँ, पृ० २७२ ।
- ७२ जोशुआ हार्टमा लैंग्वेज ए मॉडर्न सि थोमिस, १९५६, पृ० ५९ ।
- ७३ मेरियो पेइ वाइसेस ऑव मेन लन्दन, १९६४ ।
- ७४ डॉ० भोलानाथ तिवारी भाषा विज्ञान कोश, पृ० ४६३ ।
- ७५ वहाँ, पृ० ४६४ ।
- ७६ डॉ० बाबूराम सक्सेना सामान्य भाषाविज्ञान, सातवाँ संस्करण १९६५, पृ० ३१ ।
- ७७ अनुवाद पत्रिका अंक २१-२२, पृ० १९-२० से उद्धृत ।
- ७८ ऋग्वेद, १०, ७१, २
- सक्तुमिब नितउता पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत ।
अश्रा सखाय सख्यानि जानते भद्रैषा लक्ष्मीनिहिताधि वाचि ॥
- ७९ ऋक० प्रातिशाख्य १३-१ ।
वायु प्राण कोष्ठमनुप्रदान कण्ठस्थ खे विवृते सवृते वा ।
आपद्यते श्वाभता नादता वा वक्त्रोहायाम् ॥
- ८० भगवतौ सूत्र १३ श०, ७ उ० ।
भासा भासिज्जभाषी भासा, भासाममयवीहकता भासा ? गोयमा ।
पा पुन्वि भासा भासिज्जभाषी भासा, णो भासासमयवीहकता भासा ॥
- ८१ पत्रव्यासूत्र, ११ २४ ।

“सरोरम्भका भासा, दीर्घ समरहि आसहभास भासा चउ पनारा, दीर्घ भासा अणुभयाम्बो।”

- ८२ इन्द्र उद्यनिषद्, १-४।
 ८३ भासा धविवा, वर्ग ५, अक १ के पृ० ११ से उद्धृत।
 ८४ गजानन-भगव-मुक्तिबोध एक साहित्यिक की कावरी, १९६४, पृ० २६ से उद्धृत।
 ८५. नेमिचन्द्र जैन रंग दर्शन, १९६७, पृ० ३८ से उद्धृत।
 ८६ आर्थर कौइस्टर द फक्त ऑव क्रिएशन, १९६४, पृ० १७३।
 ८७. वही, पृ० १७४।
 ८८ वही, पृ० १७१।
 ८९ वही, पृ० १७२।

अध्ययन व विमर्श के लिए पठनीय पुस्तकें

- (१) फदिनाद बिसामे कीर्स इन जनरल लिग्विस्टिक्स।
- (२) एडवर्ड सेषीर लेंगेज।
- (३) जे० वान्द्रिण्ज लेंगेज।
- (४) सर एलन गार्डिनर द थ्योरी ऑव स्पीच एण्ड लेंगेज।
- (५) आर० एच० रॉबिन्स जनरल लिग्विस्टिक्स एन इन्ट्रोडक्टरी मर्गे।
- (६) ए० एच० सैस इन्ट्रोडक्शन टु द सायन्स ऑव लेंगेज।
- (७) लियोनार्ड ब्लूमफील्ड लेंगेज।
- (८) ऑगे जेस्पर्सन लेंगेज इन्स नेचर, डेवल्पमेन्ट एण्ड ओरिजिन।
- (९) मेरियो पेइ ऑल् अबाउट लेंगेज।
- (१०) ई० एच० स्तुत्रबाँ एन इन्ट्रोडक्शन टु लिग्विस्टिक सायन्स।
- (११) डॉ० उदयनारायण तिवारी भाषाशास्त्र की रूपरेखा।
- (१२) डॉ० बाबूराम सकसेना सामान्य भाषाविज्ञान।
- (१३) डॉ० हरीश शर्मा भाषा विज्ञान की रूप रेखा।
- (१४) रॉबर्ट ए० हॉल जे० इन्ट्रोडक्टरी लिग्विस्टिक्स।
- (१५) डॉ० मोलानाथ तिवारी भाषा विज्ञान।

भाषा के तत्त्व

ध्वनि और ध्वनितत्त्व

यह पहले ही कहा जा चुका है कि भाषा ध्वनियों का समूह है, जिस में ध्वनियों की श्रेणी अन्वित रहती है। ध्वनि भाषा का मूल रूप है। हम जो भी उच्चरित करते हैं वह सब ध्वनिमय है। इसलिए भाषा की रचना वर्णों से नहीं, ध्वनियों से होती है।¹ मानव-जीवन के लिए ध्वनि की शक्ति अपरिमित है। मन्त्र-तन्त्र, यन्त्र, संगीत, साहित्य तथा विज्ञान आदि में इस की विशिष्ट शक्तियों का उल्लेख निहित है। सम्पूर्ण वायुमण्डल में ध्वनि अव्यक्त रूप से व्याप्त रहती है। केवल वाह्य जगत् में ही नहीं, आन्तरिक लोक में भी एव तीनों लोक में ध्वनि का अस्तित्व किसी न किसी रूप में पाया जाता है। सामान्यतः ध्वनि शरीर व्यापार की वह क्रिया है, जिसे श्वासोच्छ्वास लेने की क्रिया कहा जाता है। ससार की लगभग सभी भाषाओं (अफ्रीकी तथा वहाँ की आदिवासी लोगों की भाषाओं को छोड़ कर) में फेफड़े से निःसृत होने वाली वायु ध्वनि का निर्माण करती है। प्रसिद्ध ध्वनिविद् पाइक के अनुसार एक ध्वनि या तो भाषण ध्वनि, एक स्वन हो सकती है अथवा एक ध्वन्यात्मक अंश, यह शब्द अस्पष्ट है, पर सुविधाजनक।² यथार्थ में ध्वनि विभिन्न प्रसंगों में भिन्न-भिन्न अर्थ की वाचक है। यदि कोई ध्वनि की परिभाषा बुद्धि द्वारा उत्पन्न तथा श्रोत्र-गृहीत संवेदन शीलता के रूप में करे तो वहाँ कोई ध्वनि नहीं होगी। किन्तु यदि उस की परिभाषा संवेदनशीलता को उत्पन्न करने में सक्षम के रूप में की जाती है तो वहाँ ध्वनि होगी, किन्तु यह सत्य है कि वहाँ सुनने के लिए कान नहीं होंगे। भौतिकशास्त्र के अनुसार द्रव्य गति में ध्वनियों को उत्पन्न करता है। इसलिए घण्टा या किसी वाद्य के ध्वनित होने के पूर्व उस पर टोका या आघात किया जाना आवश्यक होता है। जिस स्थान से ध्वनि उत्पन्न होती है, यदि उस का स्पर्श किया जाए तो हम उस की गति का अनुभव कर सकते हैं, जिसे कम्पन कहते हैं। ध्वनि कम्पनशील गति के अतिरिक्त कुछ नहीं है।³ इसे हम जब किसी माध्यम के द्वारा निदिष्ट करना चाह तो कह सकते हैं कि यह वायु के सक्षोम तथा श्रोत्र इन्द्रिय के मध्य एक माध्यम है। ध्वनि कहीं से भी और किसी भी रूप में उत्पन्न हो सकती है। वह मन्त्रात्मक हो सकती है, संगीतात्मक तथा प्राकृतिक भी। किन्तु हमारा यहाँ अभिप्राय भाषण ध्वनि (Speech sound or Phon) से है। यथार्थ में भाषण में परिलक्षित होने वाली कई ध्वनियों भाषा में नहीं मिलतीं। स्फुट होने पर भी भाषा में स्वच्छन्दता से उन की उपेक्षा की जाती है। सामान्य कथन के लिए भाषण ध्वनि वाक् (Speech) का वह पृथक्कृत

उच्चारणात्मक अर्थ है, 'जो क्रम से क्रम शब्द और अत्रिक से अत्रिक दो शब्दों से निर्मित होता है तथा एक ध्वनि-सम के रूप में संश्लिष्ट हो सकता है।' जब कभी दो शब्द, चाहे वे सार्वभौमिक हों या चाहे असार्वभौमिक, उन्हीं उच्चारणात्मक विधि से उत्पन्न किए जाते हैं और भौतिक श्रोत-सृष्टि में समान होती हैं तब उन्हें ध्वन्यात्मक इकार्ड या स्वन कहा जाता है।^१ भाषाशास्त्री को इस प्रकार के मानवीय व्यवहार का अध्ययन करना पड़ता है—विशेषरूप से ध्वनि-संज्ञापकों की पद्धति का, जो ऐच्छिक रूप से प्रयुक्त होकर ग्रहण की जाती है। इस प्रकार के ध्वनि-संज्ञापकों को वैयक्तिक ध्वनियों या अकेले उत्पन्न स्वीकार्य पुनरावृत्त अथवा मूर्त रूपों में दर्शाया जा सकता है। एक ध्वनिविद् का तात्त्विक तथा मुख्य कार्य यही होता है कि इन पुनरावृत्त भाषण ध्वनियों की पहचान कर वर्णन करे। ध्वनि विज्ञान के अन्तर्गत इन भाषण-ध्वनियों का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है।^१

भाषाशास्त्र में भाषिक तत्त्वों का सम्बन्ध मुख्य रूप से वाक्-व्यवहार-रूपों से है। प्रत्येक भाषा के तत्त्वों की व्याख्या करते समय भाषाशास्त्री उन का सम्बन्ध शरीर-व्यापार की क्रियाओं से या वाक् की ध्वनि-तरंगों से विस्तार रूप में नहीं, बल्कि कुछ विरलक्षणा के साथ यान्त्रिक ढंग से स्थापित करता है। प्रत्येक तत्त्व भाषा में प्रथमवाचक रूप में कुछ वाक्-रूपों के साथ पहचाना जाता है।^२ ध्वनिविज्ञानी इससे सहमत हैं कि वाक् की रचना श्वासोच्छ्वास के बगों में सतत ध्वनि प्रवाहों से होती है, और ध्वनि इन का पृथक्कृत रूप है।^३

भौतिक विज्ञान के अनुसार ध्वनि मात्र प्रकम्पन की प्रक्रिया है। बिना कम्पन की क्रिया के ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती, किन्तु ध्वनि वायु तरंग मात्र नहीं है। वयार्थ में ध्वनियाँ केवल कम्पन से सम्बन्धित नहीं हैं, किन्तु प्रायः प्रत्येक ध्वनि या तो कम्पन से उत्पन्न होती है अथवा किसी प्रकार की आकस्मिक क्रिया से।^४ इसका उत्पादन-पक्ष श्रवण पक्ष से संयुक्त है। ध्वनियाँ तो अनन्त उत्पन्न होती हैं और क्षण भर में अनन्त आकाश में विलीन हो जाती हैं, किन्तु भाषाशास्त्र में श्रोत्रगृहीत ध्वनि ही वास्तविक ध्वनि है। ध्वनि सुनाई कैसे पड़ती है? इस का भी सिद्धान्त है। जिस श्रोत्र इन्द्रिय के द्वारा हम ध्वनि सुनते हैं उसमें अवस्थित शिल्लि की अधिकतम उत्तेजना तथा 'काल रूप' (Time pattern) जो बहने कर उस उत्तेजना को नाड़ियों के द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचाता है—की स्थिति पर बहुत कुछ निर्भर है।^५ जब ध्वनि कर्ण में स्थित नली के द्वारा शिल्लि में पहुँच कर टकराती है तब मस्तिष्क में फैले हुए ज्ञानतत्त्व उसे ग्रहण कर लेते हैं। किसी कारणवश यदि कान का पर्दा फट जाए तो मनुष्य बहरा हो जाता है। उस दशा में ज्ञानतन्तुओं के रक्षित होने पर भी ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती। इसी प्रकार ध्यान या उपयोग के विकेंद्रित होने पर अथवा उसके अभाव में भी सुनाई नहीं पड़ता। जैन-दर्शन के अनुसार सुनने में भी एक क्रम रहता है। इन्द्रियों प्रथम स्थूल रूप को पकड़ती हैं, फिर क्रमशः सूक्ष्म रूप को। ध्वनि को पौद्गलिक कहा गया है। प्रकम्पनशील शरीर पौद्गलिक वर्गीयों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे

ध्वनि-सृष्टि होती है। ध्वनियों के सुनाइ पढने वाले क्रम को अक्षरग्रह, ईडा, अक्षरान और धारणा के संकेतों में स्पष्ट किया गया है। इन्द्रिय और परार्थ का संयोग दर्शन है। इसे बौद्धदर्शन में “सामीप्य” तथा नैयायिक दर्शन में “सन्निकष” कहा जाता है। ध्वनि हमारे कानों तक कैसे पहुँचती है, इस का भी सिद्धान्त है। जीवाणुविषयक सिद्धान्त (Corpuscular theory) के अनुसार ध्वनि उत्पादक स्थान से छोटे-छोटे टुकड़े निकलते हैं, जो इन आँखों से नहीं दिखलाई पड़ते, लेकिन हमारे कानों को झू कर ध्वनि का अनुभव कराते हैं। किन्तु लहर का सिद्धान्त (Wave theory) है— ध्वनि उत्पादक शक्ति केन्द्र के समान कार्य करता है। वह वायु में लहरें उत्पन्न करता है, लहरें कानों में टकरा कर ध्वनि का अनुभव कराती हैं। ध्वनि में आवर्तन, परावर्तन (प्रतिध्वनि) और विवर्तन (लहरों के मोड़) की सृष्टि होती है। ध्वनियाँ उत्पन्न होते समय चारों ओर लहरें बनती हैं। ये वायु की तरंगों में कम्पन करती हुई आगे बढ़ती हैं। इन लहरों से कम्पित वायु की तरंग जब कान के पर्दों से टकराती हैं तब उनमें कम्पन होता है और ध्वनि सुनाई पड़ती है। ध्वनि की स्थूलता और सूक्ष्मता कम्पनकाल, कम्पनांक तथा कम्पनविस्तार पर निर्भर है। स्वस्थ मनुष्य के कान प्रति सेकेण्ड २० कम्पन की ध्वनि सुन सकते हैं। कुछ १६ कम्पन की ध्वनि सुन पाते हैं। इस की अधिकतम सीमा ४० हजार कम्पन तक प्रति सेकेण्ड है। इस प्रकार ध्वनि तरगात्मक होने के साथ ही श्रोत्र ग्राह्य कम्पनात्मक अनुभूति है।

विज्ञान की दृष्टि में प्रकाश से ध्वनि की गति अत्यन्त मन्द है। अतएव भाषक के द्वारा उच्चरित मूल रूप हमें कभी सुनाइ नहीं पड़ता। हम मिश्रित और वासित शब्दों को ही सुनते हैं। ये सभी दिशाओं में फैलते हुए सम श्रेणी में गतिमान होते हैं।^{११} फिर, स्वर ध्वनियाँ एक-दूसरे से भिन्न क्यों जाती हैं? इसका भी एक सिद्धान्त है। स्थिर सुर सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक स्वर प्रतिबिधित सुर क्षेत्रों की अपेक्षा एक या एक से अधिक गुण दोषदर्शक लक्षण माना जाता है, जो कि मूलतः स्वर-तान के रूप में स्वतंत्र होते हैं। सापेक्षित सुर सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक स्वर के गुण-दोषदर्शक लक्षण तानों की विशेष श्रेणियों पर आधारित हैं, जिनकी शिप्रता निश्चित एवं नियत मौलिक सम्बन्ध पर निर्भर है।^{१२} इस प्रकार स्वर ध्वनियों की भिन्नता का कारण निश्चित एवं नियत और कम अधिक सुर तथा तानों से सम्बन्धित है। इन का विशेष विवरण इसी अध्याय में आगे दिया गया है।

ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है ?

यह ऊपर कहा जा चुका है कि ध्वनि तरगात्मक होती है। तरंग वायु के आश्रित रहती है। वायु की क्रिया या प्रतिक्रिया तरंग को उत्पन्न करती है। मुख्य रूप से वायु दो प्रकार की कही गई है—शरीरस्थ और लोकगत। शरीरस्थ प्राण, उदान, समान, व्यान तथा अपान के भेद से पाँच प्रकार की है। सृष्टि में प्रवाहित होने वाली लोकगत वायु सात प्रकार की मानी गई है^{१३}—प्रवह, आवह, उदह, संवह, विवह, परिवह तथा परावह। इन वायु भेदों में से प्राण-वायु प्राणी मात्र के अस्तित्व का

कारण है। प्राणवायु ही जीवन का प्राण है और अर्थ, वर्तमान तथा भविष्य सभी कुछ प्राण के अग्रिम हैं। महाभारत में प्राणवायु के समान, अग्नि, उदान और व्यन ये चार भेद कहे गए हैं।¹² शरीरस्थ वायु से ही प्राणी मात्र की चेष्टा होती है। वायु शरीर की प्रत्येक क्रिया में प्रेरक है। वायु की क्षीणता तथा अभाव में शरीर निष्क्रिय एवं जड़ हो जाता है। प्राचीनों के अनुसार प्राणवायु ही मूल में ध्वनि को उत्पन्न करने वाली है। शारीरिक क्रिया क पूर्व ध्वनि को उत्पन्न करने वाला व्यापार मग्नसिक कहा गया है। जब आत्मा बुद्धि के साथ कुछ कहने की इच्छा से मन से संयुक्त होता है तब मन शरीरस्थित जठराग्नि को उद्दीप्त करता है, जिस से वायु का संचरण होता है। वायु अक्षन-संस्थान में संचरित होता हुआ वर्ण या ध्वनि को उत्पन्न करता है।¹³ शरीर विज्ञान के अनुसार ध्वनियों का उत्पादन अक्षन-क्रिया की निषमितता से सम्बन्धित है। श्वासोच्छ्वास दो प्रकार के कहे गए हैं—शान्त और सद्यक। शान्त श्वासोच्छ्वास जीवन के लिए सतत एव अनिवार्य है। किन्तु सद्यक और ध्वन्यात्मक श्वासोच्छ्वास गौण व्यापार है, जिस का विकास अभिव्यक्ति के संचार के लिए हुआ है। अतएव ध्वन्यात्मक श्वासोच्छ्वास सहज ही भावात्मक प्रभावों से संकुच हो जाता है।¹⁴ मनोविज्ञान के अनुसार उत्तजना तथा प्रतिक्रिया क द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। भौतिक विज्ञान के अनुभव के अनुसार ध्वनि वायु के दबाव से उत्पन्न होने वाली विविध आकाशीय तरंगों का आवर्तन विवर्तन है। प्रयोगात्मक व्यवहार के लिए मानवीय उच्चारण—उपयोगी अवयवों से उत्पन्न ध्वनि को ग्रहण किया जाता है। जो ध्वनियाँ पश्चात् श्रोत्रमार्ग तथा शारीरिक प्रक्रिया से स्वेच्छा से नाम-रूप ग्रहण करती हैं उन्हें ध्वनि विज्ञान के अन्तर्गत तीन वर्गों में कहा गया है—स्पर्शी, कम्पित तथा सघर्षी। भौतिकीय दृष्टि से उनके वर्ग हैं—नाडीय, सामयिक एवं आकस्मिक। सामान्यरूप से ये ध्वनियाँ उच्चारण-गुहाओं के बाहर गतिशील वायु से निगत होकर या उच्चारण-गुहाओं में प्रविष्ट होकर संचरण करती हुई वायु से उत्पन्न होती हैं।¹⁵ अधुनातन अमेरिकन हस्किन की प्रयोगशाला में प्रायोगिकों के एक दल ने यह प्रयोग किया है कि उच्चारणगत सन्दर्भ में वाक् (Speech) इन्द्रियगोचर होता है। वस्तुतः वह उच्चारणिक क्रियाओं तथा मस्तिष्क सम्बन्धी प्रभावों का भौतगत उत्तेजन एव घट (event) के बीच मध्यवर्ती है, जिसे हम इन्द्रियविषय कहते हैं।¹⁶ इस प्रकार ध्वनि एक भौतिक घटना है। हमारे विभिन्न उच्चारणोपयोगी अवयवों तथा श्वासोच्छ्वास की क्रियाओं से वायु संचरणशील हो संकुच होता है, जिस से ध्वनि-तरंगें निकलती हैं, जो कि श्रोत्रमार्ग होती है। ध्वनि तरंगें पदार्थ की भौतिक क्रियाएँ हैं। प्रायः ये वायु कण होते हैं, जिन का अस्तित्व शून्य में नहीं होता।¹⁷ इन ध्वनि तरंगों के कम्पन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है।

प्राणा-ध्वनि

ध्वनियाँ वे कम्पन हैं जो क्षिप्रता, तीव्रता तथा समय परिमाण में कर्णेंद्रिय से टकरा कर अपने गुणों के साथ श्रोत्रमार्ग होते हैं तथा निश्चित इन्द्रियजनित अनुभव

आज हम ध्वनि-विज्ञान का अध्ययन स्पष्टरूप से तीन विभिन्न शाखाओं के अन्तर्गत कर सकते हैं। पिछले एक दशक में इन शाखाओं में पर्याप्त विकास हो चुका है। ये इस प्रकार हैं—

(१) स्वन विज्ञान या ध्वनि विज्ञान (Phonetics) इसके अन्तर्गत भाषण ध्वनियों का पृथक् पृथक् विश्लेषण कर अध्ययन किया जाता है।

(२) स्वनिम विज्ञान या ध्वनिप्राय विज्ञान (Phonemics) इसमें विभिन्न ध्वनियों के परस्पर के अन्तर को निर्दिष्ट कर स्वनिम या संस्वन का अध्ययन किया जाता है।

(३) रूपस्वनिम विज्ञान या पद ध्वनिग्राभीयविज्ञान (Morphology) यह रूपगत ध्वनियों के अध्ययन की विधा है।

सभी प्रकार के वैयक्तिक रगीन वाक्—व्यक्तिगत रूप से दबाकर उच्चार करना, गति, व्यक्तिगत लय तथा अतात्त्विक भाषिक हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि इच्छा और भाव की आकस्मिक अभिव्यक्ति। इस के अतिरिक्त ध्वनि का भौतिक गुण उच्चारण पर निर्भर है। भाषातत्त्व में गुण मुख्य वस्तु है, गौण नहीं। गुण से यहाँ अभिप्राय स्वाभाविक प्रकृति और ध्वनि की प्रतिध्वनि से है।* किसी भी निर्दिष्ट भाषा की ध्वन्यात्मक प्रवृत्ति की परिभाषा नहीं दी जा सकती—विशेषकर यह बताते हुए कि ये ध्वनियाँ सभी ध्वनियों में विशिष्ट है। इस में महत्त्वपूर्ण तथ्य इन ध्वन्यात्मक तत्त्वों की सचरणशीलता का है, क्योंकि किन्ही दो भाषाओं की रचना स्वर और व्यञ्जनो की समान श्रेणियों में होने पर भी उच्चारणगत भिन्नता में परिलक्षित होती है। किन्तु उनमें से किसी एक क ध्वन्यात्मक परिमाण की भिन्नता पहचानी नहीं जा सकती।^{१८}

ध्वनि तथा ध्वनिग्राय

ध्वन्यात्मक विवेचन में भाषण ध्वनियों के अन्तर्गत एक ही भाषा में प्राप्त होने वाली सभी ध्वनियों का विचार किया जाता है, जो एक परिवार की होती हैं। यह पहले ही कहा जा चुका है कि भाषण ध्वनि एक ध्वन्यात्मक इकाई है। इस में किसी प्रकार का परिवर्तन सम्भव नहीं है। अतः ध्वनि से हमारा अभिप्राय भाषण ध्वनि या भाषा-सात्त्विक ध्वनि से होता है, जो अपने आपमें स्वतन्त्र होती है। वाग्ध्वनियों के विशाल परिवार में ध्वनि एक लघुतम इकाई है। शब्द में ध्वनियों का प्रयोग पृथक्-पृथक् न होकर सयोगरूप में होता है। विभिन्न सयोगों के कारण एक ही ध्वनि अन्य ध्वनियों से सन्निष्ठ होकर वहाँ भिन्न स्थान से उच्चरित होने के कारण पृथक् नाम से अभिहित की जाती है। उदाहरण के लिए हिन्दी के 'नदी' तथा 'दिन' शब्द के उच्चारण में 'दू' दन्त्य-नासिक्य ध्वनि है, किन्तु 'दल' और 'दम' में सघोष अल्पप्राण, कण्ठ्य-स्पर्श ध्वनि है। डॉ० धल के शब्दों में हिन्दी भाषा के 'किया' और 'कुओं' इन दो शब्दों में पाई जाने वाली कण्ठ्य ध्वनि, जिसे हम साधारणतया। क। (आई० पी० ए० [K])

कहते हैं, समान प्रकीर्त होने पर भी भिन्न है।^{१०} ऐसी व जाते कितनी ध्वनियों का उच्चारण हम प्रतिदिन के व्यवहार में करते हैं। वयार्थ में यह भिन्नता इतनी सूक्ष्म और जल्प होती है कि सामान्य रूप से हम उसे समझ नहीं पाते। इतना ही नहीं, किन्हीं दो व्यक्तियों के द्वारा उच्चारित ध्वनियाँ कभी पूर्णतः समान नहीं होतीं, किन्तु उन्हें हम साधारणरूप से कभी लक्ष्य नहीं कर पाते। वास्तव में उच्चारित ध्वनियाँ इतनी गतिशील और सवेदनीय होती हैं कि हम उनसे अभिप्राय जान कर तुष्ट विरत हो जाते हैं, किन्तु वे ध्वनियाँ भरस्पर सम्बद्ध रहती हैं। इन ध्वनियों के परिवार को ध्वनिग्राम कहा जाता है। ये ध्वनियाँ किसी एक परिधि या परिवेश तक उच्चारण अर्थ की दृष्टि से भिन्न प्रतीत नहीं होतीं। इसलिए सुनने वाला परिचित ध्वनि के रूप में ही उसे सुनता है। कहा जाता है कि उच्चारण का विस्तृत क्षेत्र एक परिधिगत होता है। उसमें असंख्य बिन्दु होते हैं, जो उस से सम्बद्ध रहते हैं। किन्तु डॉ० द्विवेदी मिस्त्री-जुलती देवी ध्वनियों या ध्वनिगुणों के भावानयन को स्वनिम या ध्वनिग्राम मानते हैं।^{११} कार्थ की दृष्टि से नेल्सन फ्रान्सिस की यह परिभाषा अधिक महत्त्वपूर्ण है कि “ध्वनिग्राम ऐसे स्वनप्रकारों का समूह है जो ध्वन्यात्मक दृष्टि से समान तथा ‘परिपूरक वितरण’ या ‘मुक्त परिवर्तन’ में होते हैं।”

प्राचीनों के अनुसार वाणी के चार रूप माने गये हैं—परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी। परा और पश्यन्ती वाणी योगियों की समाधि की दशा में क्रमशः निर्विकल्पक तथा सविकल्पक ज्ञान के रूप में प्रकट होती है। मध्यमा इन दोनों तथा वैखरी के बीच की स्थिति का नाम है। वैखरी ‘विखर’ अर्थात् मुख में उत्पन्न होने के कारण वैखरी कही जाती है। परावाक् को परमतत्त्व या शब्दब्रह्म अथवा साक्षात् ब्रह्म माना गया है। ध्वनि से हमारा अभिप्राय वैखरी से होता है। परावाणी की सर्वोत्कृष्ट, सूक्ष्म तथा नित्य स्थिति है। जब शब्द उत्पन्न होता है तब वैखरी की स्थिति होती है। जब शब्द श्रुतिगोचर हो जाता है तब मध्यमा होती है और जब शब्द से अर्थ द्योतित होने लगता है तब पश्यन्ती की स्थिति कही जाती है।^{१२} वाक् तत्त्व उतना ही व्यापक माना गया है, जितना कि ब्रह्म।

वैयाकरणों के मत में ध्वनि स्फोटमूलक है। स्फोट शब्द है, क्योंकि उस से अर्थ स्फुटित होता है और ध्वनि शब्द का गुण है। दोनों में व्यग्य-व्यञ्जक सम्बन्ध है। ध्वनि व्यञ्जक है और शब्द व्यग्य। शब्द कर्ण से उपलब्ध होने वाला, बुद्धि से ग्राह्य, ध्वनि से प्रकाशित होने वाला और आकाश में व्याप्त रहने वाला है।^{१३} आचार्य फतलिक के अनुसार लोक व्यवहार में ध्वनि शब्द से भिन्न नहीं है। जिस के उच्चारण से गलककक, पूँछ, ककुद, खुर और सींग वाले प्राणी का ज्ञान होता है उसे शब्द कहते हैं। अथवा व्यवहार में पदार्थों का ज्ञान कराने वाली जो ध्वनि है, उसे लोक में शब्द कहा जाता है। जैसे कि—शब्दोच्चार करो। शब्दों का उच्चारण मत करो। वह वाक्य शब्दोच्चार करने वाला है इत्यादि वाक्यों में ध्वनि करने के सम्बन्ध में

कहा गया है। इसलिए ध्वनि या वर्णोच्चारण शब्द है।¹⁴ वैयाकरण शब्द को नित्य मानते हैं और इसी अपेक्षा से शब्द को ब्रह्म कहते हैं। शब्द में स्फोट और ध्वनि दोनों तत्त्व निहित रहते हैं। जिन ध्वनिरूप शब्दों का उच्चारण किया जाता है, वे वैखरी बाणी के अंग होते हैं।

वैयाकरण और मीमांसकों के अतिरिक्त जैनदर्शन भी शब्द को ध्वनिरूप मानता है, किन्तु वह ध्वनियों को क्षणिक, स्फोटमूलक और नित्य नहीं मानता। उस के अनुसार—जैसे मूर्त और क्रियावान् दीपक के द्वारा मूर्त और सक्रिय बट आदि अभिव्यक्त होते हैं वैसे न तो ध्वनियाँ मूर्त और क्रियाशील हैं और न स्फोटमूलक ही। उन शब्द ध्वनिरूप ही हैं। वह नित्यानित्यात्मक है। वस्तु की दृष्टि से ध्वनि पुद्गलरूप है, इसलिए नित्य है। किन्तु ध्वनि कानों से ग्रहण की जाती है, जिस क्षण ग्रहण की जाती है उस क्षण ध्वनि है, शेष समय में ध्वनि नहीं है। अतः पर्याय की अपेक्षा से वह क्षणिक है।¹⁵

इस प्रकार प्राचीनों का विचार ध्वनिग्राम के अधिक निकट है, क्योंकि उन के अनुसार स्फोट अथमूलक होता है। ध्वनि से उनका आशय 'वर्णस्फोट' प्रतीत होता है। अतः उस में ध्वनि और अथ दोनों गमित रहते हैं। किसी शब्द को सुनकर प्रकृतरूप में हमारे मानस में जो नित्य रूप वर्तमान रहता है, वह वर्ण-समूह को सुन कर उद्बुद्ध हो जाता है। इसे वर्णस्फोट कहा जाता है। अतः प्राचीन वैयाकरण जिसे वर्ण-स्फोट कहते हैं, उसे आधुनिक भाषातत्त्वज्ञ 'ध्वनिग्राम' नाम से पुकारते हैं।¹⁶ किन्तु भाषाशास्त्र में ध्वनि से तात्पर्य वाक्यत्व या भाषण ध्वनि से है, न कि वर्ण या शब्द से। वर्ण लिखित ध्वनि का प्रतीकात्मक रूप है। ध्वनि में अर्थतत्त्व प्रधान नहीं होता, किन्तु ध्वनिग्राम में अर्थ की प्रेदकता स्पष्ट रूप से लक्षित होती है। इसलिए शक और शाक, मन और मान एव धन और धान आदि युग्मों में ध्वनियाँ समान होने पर भी ध्वनिग्राम भिन्न भिन्न हैं।

वैयाकरण की भाँति साहित्यशास्त्री भी ध्वनि को भाषातत्त्वज्ञ से भिन्न मानता है। जहाँ पर शब्द तथा उसका अर्थ व्यञ्जक होता है, उसे ध्वनि कहते हैं। काव्यशास्त्र में ध्वनि से अभिप्राय व्यंग्य से है।¹⁷ अतएव ध्वनिमूलक काव्य व्यंग्यार्थ या उत्तम काव्य (Suggestive poetry) कहलाता है। पण्डितराज जगन्नाथ ने भी ध्वनिकार आनन्दवदन का समर्थन किया है। उन का यह भी कथन है कि जिन शब्दों से या अर्थों से अन्य अर्थ ध्वनित होते हैं, वे व्यञ्जक अर्थ सामान्य रूप से साधारण होते हैं। इसलिए लक्षणा से बोध्य अर्थ व्यंग्य नहीं कहलाता, किन्तु गम्यमान अर्थ व्यंग्य कहा जाता है।¹⁸ ध्वनिवादियों ने रस, गुण, अलंकार तथा वाच्य आदि सभी के मूल में व्यंग्य की अवस्थिति मानी है। इस प्रकार काव्य की अर्थवत्ता तथा स्वात्मकता के मूल में व्यंग्य की चारुता तथा उत्कृष्टता को स्वीकार कर साहित्यशास्त्रियों ने भाषा के मूल तत्त्व ध्वनि को सर्वमान्यता प्रदान की है। यद्यपि दार्शनिक, वैयाकरण तथा काव्यशास्त्री ध्वनियों को सार्थक मानते हैं, किन्तु वे भाषा का मूल ध्वनि को

किसी-किसी रूप में अक्षर मानते हैं। आज की भाषा में हम इसे 'ध्वनिप्रवाह' कह सकते हैं।

अक्षर

'अक्षर' शब्द प्राचीन तथा पारिभाषिक है। वेदों में कई स्थलों पर यह दृष्टिगत होता है। अक्षर का सामान्य अर्थ अकारादि वर्ण है।¹⁵ प्राचीनतम वैयाकरणों ने अक्षर को अक्षर कहा है। अक्षर का शब्दार्थ है—जो घटता नहीं है अथवा नष्ट नहीं होता है।¹⁶ अक्षर को अविनाशी मान कर जहाँ उसका स्वतन्त्र अस्तित्व दर्शाया गया है वहीं लिखित रूप में वर्ण एवं व्यापक रूप में स्फोटरूप माना गया है।

आधुनिक भाषा-तत्त्वज्ञों के अनुसार अंग्रेजी में जिसे 'सिलेबिल' कहते हैं उसके लिए ही 'अक्षर' शब्द का प्रयोग किया जाता है। 'सिलेबिल' ग्रीक शब्द 'सिलेब' (Syllabē) से विकसित हुआ है। उसका अर्थ है—जो एक में बाँधा या रखा गया हो। उच्चारण की दृष्टि से एक या एक से अधिक ध्वनियों की वह अव्यवहित इकाई, जिसका उच्चारण एक झटके में किया जा सके, अक्षर कहलाती है। इस दृष्टि के अनुसार एक ध्वनि एक अक्षर भी हो सकती है। किन्तु ऐसा तभी होता है जबकि वह ध्वनि स्वर या स्वरवत् आक्षरिक ध्वनि हो। उदाहरण के लिए—'आ' एक ध्वनि है, 'जा' दो ध्वनि हैं, 'काम्' तीन ध्वनि हैं, 'क्रम' चार ध्वनि हैं, 'प्रश्न' पाँच और 'स्वास्थ्य' छह ध्वनियाँ हैं। कभी कभी ध्वनियाँ और अक्षर बराबर भी हो सकते हैं, जैसे कि—अ, ओ में दो ध्वनि और दो अक्षर हैं तथा आ, इ, ए में तीन ध्वनि, तीन अक्षर हैं।¹⁷

देवनागरी लिपि आक्षरिक है। क, ख, ग आदि अक्षर हैं और कू, खू, गू आदि व्यजन हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार 'अक्षर' स्वाभाविक लघुतम ध्वनि-इकाई या गह्वर (Coda) से सयुक्त अथवा रहित मुखर शीर्ष हैं। ब्रूम फील्ड ने अक्षर में मुखरता शीर्ष (Crest of Sonority) को अनिवार्य रूप से माना है और उसी को उन्होंने आक्षरिक कहा है। स्टेड्सन की मान्यता है कि अक्षर एक गत्यात्मक इकाई (Motor Unit) है। साधारण रूप से हम अक्षर से यह समझते हैं कि 'यह ध्वनि अथवा ध्वनि-सयोगमूलक इकाई है। इसका उच्चारण बिना किसी व्यवधान के एक झटके में होता है।'¹⁸ हेफनर ने कार्य-कलाप की दृष्टि से भाषण-ध्वनियों को दो वर्गों में विभाजित किया है। प्रथम भाषण ध्वनियों आक्षरिक हैं और द्वितीय अनाक्षरिक। आर० एच० स्टेड्सन की मान्यता को दुहराते हुए वे उसे वास्तविक और गतिमूलक मानते हैं।¹⁹ मुखरशीर्षता ध्वनि का एक गुण है, जिसके आधार पर उसकी पूर्णता, दीर्घता आदि लक्षित होती है। मुखरता सापेक्षिक सत्य है। इसके कारण ही अक्षर में किसी एक स्वर का होना अनिवार्य माना जाता है। निरुक्त के प्रसिद्ध व्याख्याकार भी दुर्गाचार्य के अनुसार अक्षर का अर्थ स्वर है। ऋग्वेदशास्त्र में भी 'स्वरों अक्षरम्' अर्थात् स्वर को अक्षर कहा गया है। वस्तुतः स्वर अक्षर का एक अनिवार्य सत्य है। दूसरे शब्दों में स्वर ही अक्षर का आधार है। भारतीय

वैयाकरणों ने अक्षर का उच्चारणगत आधार सम्पूर्ण ध्वनि को माना है। इसलिये यदि व्यंजन का पूर्ण प्रबलता के साथ उच्चारण किया जाए तो वह भी एक स्वतंत्र अक्षर हो सकता है। सामान्यतया 'स्वय राजन्तेति स्वरा' अर्थात् जो अपना शासन स्वयं करते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। नारदशिक्षा में स्वर को अत्यन्त संबल और व्यंजन को दुर्बल कहा गया है।¹⁴ अक्षर का मूलाधार अत्यन्त महत्वपूर्ण माना गया है। उसकी महत्ता केवल मुखरता में न होकर दीर्घता, श्वास के वेग और मुखरता में निहित है। व्यंजन में स्वर की अपेक्षा मुखरता कम होती है। स्वर स्वतन्त्र होता है और व्यंजन स्वर पर आश्रित।¹⁵ यथार्थ में वैयाकरणों के विचारों के अनुसार अक्षर से अभिप्राय आक्षरिक ध्वनि से है, न कि उच्चरित ध्वनि से।¹⁶ स्वर और व्यंजन का भेद निम्नलिखित रूपों में उल्लिखित किया गया है।¹⁷—

अक्षर की रचना स्वर से होती है

स्वर व्यंजन के साथ अथवा कभी कभी अकेले भी अक्षर की सृष्टि करता है, अक्षर की संरचना स्वर से होती है, जो कि आदि के व्यंजन या व्यंजनों के साथ अन्वित होते हैं, व्यंजन स्वर के आश्रित रहता है


व्यंजन स्वतन्त्र रूप से अवस्थित नहीं रहता, किन्तु स्वर स्वतन्त्र रहता है। तैत्तिरीयप्राति शारव्य में व्यंजन को सापेक्ष और स्वर को निरपेक्ष कहा गया है। उसमें व्यंजन की यह व्युत्पत्ति की गई है कि जो स्वर के द्वारा गतिशील होता है उसे व्यंजन कहते हैं।¹⁸ व्यंजन की व्युत्पत्ति वृद्ध प्रकार से की गई है। उ-वट के अनुसार 'वि' पूर्वक 'अज्' धातु से यह शब्द बना है, जिसका अर्थ है—प्रकट करना।¹⁹ प्रत्येक भाषा की शिक्षा प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम उस भाषा के स्वर और व्यंजनों को सीखना पड़ता है। स्वर भाषा के मूल हैं, प्राणशक्ति के समान हैं और व्यंजन प्राणों के आश्रित रहने वाले शरीर के समान है। अतः व्यंजन की स्थिति सयोगमूलक है। स्वतन्त्र तथा निरपेक्ष केवल स्वर हैं।

आधुनिक भाषातत्त्वज्ञों की विचारणा में तथा प्रयोग की वैज्ञानिक विधि में वस्तुतः अक्षर का सम्बन्ध गति से है। प्रसिद्ध भाषावैज्ञानिक पाइक के अनुसार अक्षर श्वास-संस्थान की क्रिया आरम्भ करने वाले की स्पन्दनशील वह पृथक् इकाई है जो गति के किसी एक उच्च शीर्ष पर लक्षित होती है।²⁰ शरीर विज्ञान के अनुसार कहा जा सकता है कि अक्षर वक्षस्थल की नाडियों हैं। किन्तु भाषाशास्त्र में वास्तविक अक्षर कहे जाते हैं, जिनमें श्रवणोद्भूत के द्वारा अन्तर निर्दिष्ट किया जा सकता है। केवल शारीरिक क्रिया के द्वारा ही नहीं, मानसिक प्रक्रिया में भी ध्यान की स्थिति में अक्षर की सृष्टि हो सकती है।²¹ किन्तु व्यवहार में हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है।

ध्वनियन्त्र

माषण ध्वनियों का मूल आधार वायु है। श्वास के रूप में निकलने वाली वायु से भाषा की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। किन्हीं ध्वनियों के उत्पादन में कुण्डल से

मुहयन्त्र में से होकर बाहर निकलने वाली वायु स्वाभाविक रूप से और किन्हीं ध्वनियों में विकृत होकर तथा संघर्ष करती हुई बाहर निकलती है। वायु की इन विभिन्न क्रिया-प्रतिक्रियाओं के द्वारा विभिन्न ध्वनियों की सृष्टि होती है। शरीर के जिन अंगों में वायु सक्रिय होकर ध्वनियों का सर्जन करती है उनका वर्णन ध्वनियन्त्र के अन्तर्गत किया जाता है। मनुष्य और पशु-पक्षियों की भाषा में बड़ा अन्तर है। इस अन्तर का मूल ध्वनियों में रुक्षित होता है। इन ध्वनियों की भिन्नता का कारण ध्वनियन्त्र की भिन्नता है। ध्वनियन्त्र की भिन्नता में भी मुख्य रूप से जिह्वा की आकृति तथा



उसकी अवस्थिति है। मनुष्य का ध्वनियन्त्र एक अल्प परिधि में सीमित है—मुख, नासिकाविवर तथा स्वरयन्त्र। यह ध्वनियन्त्र श्वास के भीतर जाने और फुफ्फुस से श्वास के बाहर निकलने पर संश्लिष्ट होता है। वायु ध्वनियन्त्र के किस स्थान से किस प्रकार निकलती है और किस प्रकार विभिन्न ध्वनियों की सृष्टि करती है, यह जानने के लिए ध्वनियन्त्र के विभिन्न विभागों का परिचय माना आवश्यक है। ध्वनियन्त्र के विभागों का परिचय निम्नलिखित है —

वाक्-इन्द्रियाँ

(Organs of Speech)

स्थान उच्चारण बिन्दु POINTS OF ARTICULATION

उत्तरोष्ठ ऊपर का होंठ	-UL-	Upper Lip
दन्त	-TT-	Teeth
वर्ष्व या वर्त्स	-A-	Alveolum (tooth ridge)
ताडु कठोर	-HP-	(hard) Palate
कोमल ताडु	-V-	Velum (soft palate)
प्रसनी का पिछला पृष्ठ	-PW-	Pharyngal Back Wall

करण उच्चारण सहायक अवयव ARTICULATORS

अधरोष्ठ नीचे का होंठ	-ll-	lower lip
जिह्वा की नोक	-ap-	apex
जिह्वाफलक	-bl-	blade
जिह्वाग्र	-ft-	front of tongue
जिह्वा-पश्च	-bt-	back of tongue
जिह्वा-मूल	-rt-	root of tongue
अलिजिह्वा	-u-	uvula
स्वरतन्त्री	-tv-	true vocal fold*

अन्य अवयव OTHERS

स्वरयन्त्रावरण	-E-	Epiglottis
मिथ्या स्वरतन्त्री	-FV-	False Vocal Fold *

चित्र में प्रदर्शित अन्य अवयव

नासिका विवर	-	Nasal Cavity
मुख विवर	-	Mouth
जिह्वा	-	Tongue
प्रसनी	-	Pharynx
भोजन नालिका	-	Food pipe
स्वास नालिका	-	Wind-pipe
स्वर-यन्त्र	-	Larynx
मुख मार्ग	-	Faucal Passage

* केवल दायीं तन्त्री दिखाई दे रही है - Only the right hand fold is shown



(१) ओंठ

वाग्ध्वनियों के उत्पादन में सबसे बाहरी अंग ओंठ हैं। ओंठ के दो विभाग हैं— ऊपर का ओंठ और नीचे का ओंठ। ओंठ से हमारा यहाँ अभिप्राय नीचे के ओंठ से है, जिसे संस्कृत में अधर कहते हैं। ध्वनियों के उत्पादन में नीचे का ओंठ ही विशेष कार्य करता है। ओष्ठ तो केवल आच्छादन एवं आवरण के लिए है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि ऊपर का ओंठ बेकार है। अधर की क्रियाशीलता एवं निष्क्रियता में उसका भी योग रहता है। क्योंकि ओंठों के खुलने और बन्द होने में दोनों क्रियाशील रहते हैं। परन्तु ध्वनियों को उत्पन्न करने में ओष्ठ की अपेक्षा अधर अधिक क्रियाशील परिलक्षित होता है। इसलिए भाषाशास्त्र में 'ओंठ' से अभिप्राय नीचे का ओंठ तथा 'दौँत' से आशय ऊपर की दन्तपंक्ति माना जाता है।^{५३} वाग्ध्वनियों के उत्पादन में ओंठ का व्यवहार मुख्य रूप से निम्नलिखित परिलक्षित होता है —

(क) पहली स्थिति वह है, जिसमें दोनों ओंठ पूरी तरह से खुले हुए रहते हैं। यह संस्कृत वैयाकरणों के अनुसार ओष्ठ की विवृत (पूर्ण उन्मुक्त) स्थिति कही जाती है। हिन्दी 'अ' के उच्चारण में ओंठ की यह स्थिति देखी जा सकती है।

(ख) दूसरी स्थिति में ओंठ पूरी तरह से बन्द रहते हैं। यह सञ्चुत (सकुचित या बन्द) की स्थिति कही जाती है। इसमें दोनों ओंठ पूरी तरह से मिले रहते हैं तथा स्पोट के साथ ध्वनि उत्पन्न करने में सक्रिय होते हैं। हिन्दी में 'प' का उच्चारण इसी स्थिति में होता है।

(ग) तीसरी स्थिति में ओंठ सकुचित रहते हैं। यह अर्द्ध सञ्चुत की स्थिति मानी जाती है। संस्कृत 'इ' के उच्चारण में यही स्थिति कही जाती है।^{५४} किन्तु हिन्दी में इस स्थिति में 'ए' का उच्चारण होता है। आधुनिक भाषाशास्त्री 'ए' को अग्र सञ्चुत स्वर कहते हैं।

(घ) चौथी स्थिति में ओंठ कुछ खुले रहते हैं। यह ओंठों की अर्द्ध उन्मुक्त स्थिति कही जाती है। इसमें ह्रस्व 'ए' का उच्चारण होता है।

इनके अतिरिक्त ओंठों की गोलाई तथा विस्तार की दृष्टि से तीन भागों में विभक्त किया जाता है। स्वर विभाजन के प्रकरण में आगे चलकर इसका विवरण दिया गया है।

(२) दौँत

यह पहले ही कहा जा चुका है कि वाग्ध्वनियों को उत्पन्न करने में नीचे की दन्तपंक्तियों की अपेक्षा ऊपर की दन्तपंक्ति अधिक कार्य करती है। ऊपर की दन्ताबन्धि में सम्मिलित दौँत ही विशेष रूप से क्रियाशील लक्षित होते हैं। ये दौँत नीचे के ओंठ और जीभ की नोक के साथ मिलकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं।

(३) वर्त्स

ऊपर के दाँतो के मूल से लेकर कठोर तालु के प्रारम्भिक तक फैला हुआ खुरदरा भाग वर्त्स कहा जाता है। यह स्थान विषम और जड़ कहा जाता है। क्योंकि यह स्वयं क्रियाशील होकर ध्वनियों को उत्पन्न करने में सहायक नहीं है। जीभ इसके विभिन्न भागों का स्पर्श कर तथा इसकी ओर अभिमुख होकर ध्वनि उत्पन्न करती है।

(४) कठोरतालु

वर्त्स या जबड़े के अन्तिम भाग से कोमलतालु के आरम्भ तक फैले हुए मुखरन्त्र के ऊपरी भाग को कठोर तालु कहा गया है। यह एक कड़ा भाग है और मुखरन्त्र में एक मेहराब के समान स्थित है। वर्त्स की भाँति यह भी एक स्थिर तथा निष्क्रिय अंग माना जाता है।

(५) कोमलतालु

कठोरतालु के अन्तिम भाग में कोमलतालु स्थित है। यह भाग कोमल मासखण्ड से व्याप्त होने के कारण कोमलतालु कहा जाता है। यह ध्वनियन्त्र का महत्वपूर्ण तथा क्रियाशील अवयव माना जाता है। कोमलतालु मुखविवर और नासिकाविवर के बीच में किवाड़ के समान द्वार को बन्द करने और खोलने का कार्य करता है। जागते समय कोमलतालु पर नियन्त्रण रहता है, परन्तु सुप्त अवस्था में इस पर से नियन्त्रण हट जाने के कारण साँस रेंते समय यह पडकने लगता है, जिससे खराटे की आवाज सुनाई देती है। ध्वनिशास्त्र में यह एक प्रकार की कुण्ठित ध्वनि मानी जाती है।^{११}

(६) अलिजिह्वा या कौवा

अलिजिह्वा या कौवा कोमलतालु के अन्तिम भाग में स्थित है। यह एक लटकता हुआ छोटा-सा गोलाकार मासपिण्ड है। यह जीभ के साथ मिलकर तथा अन्य स्थितियों में अरबी तथा फ्रांसीसी ध्वनियों को विशेष रूप से उत्पन्न करता है।

(७) जीभ

भाषा के उच्चारणोपयोगी अवयवों में जीभ का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। उच्चारण क्रिया में जीभ का प्रमुख योग होने से ध्वनियन्त्र का यह प्रमुख अंग माना जाता है। बिना जीभ के उच्चारण क्रिया सम्भव नहीं है। जिन शिशुओं की जीभ में किसी प्रकार की खराबी होती है वे स्फुट रूप में बोल नहीं पाते। जो बच्चे देर से बोलना प्रारम्भ करते हैं उनकी जीभ प्रायः अशक्त रहती है अथवा किसी नस या झिल्ली से जुड़ी रहने के कारण वे बोल नहीं पाते। अतः डॉक्टर शल्य क्रिया से उस आवरण को दूर कर देते हैं, जिससे बच्चा बोलने लगता है। इससे स्पष्ट है कि बोलने में जीभ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सम्भवतः इसी कारण भाषाशास्त्र में भाषातत्त्व के

दोषक 'कैंबोज' का 'किंगुमा' अथवा 'किंग्विस्टिजस' आदि किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे मूल में जीभ से सम्बन्धित हैं। संस्कृत में बाहू, बाष्पी आदि शब्द जो बौद्धों के अर्थ में प्रचलित हैं वे जीभ से सम्बन्ध रखते हैं। अंग्रेजी में मातृभाषा को 'मदर टंग' कहते हैं। इसमें 'टंग' जीभ का परिचायक है। बोलते समय अन्त उच्चारणोपयोगी ध्वनियों की अपेक्षा जीभ सबसे अधिक क्रियाशील रहती है। सम्झने के लिए यह कहा जा सकता है कि जीभ मुख्यरूपी धर की मालकिन है। इसलिए धर का पूरा काम नीचे-ऊपर, आगे पीछे, दौं-बाँये घूम कर सब कुछ उठे करना पड़ता है। वह जीभ से लेकर कठोर तालु के अन्त तक प्रत्येक स्थान पर अपना कार्य सम्पन्न करती है। जीभ सुकुमार और लचकदार है। वह अपने धर में से बाहर की ओर दो इंच निकल सकती है और पीछे एक या डेढ़ इंच तक हट सकती है।^{५४} जीभ स्वयं को ही नहीं, अधिकांश व्यक्तियों को भी उत्पन्न करने में सबसे अधिक कार्य करती है।

जीभ के कई भाग हैं। वे सभी ध्वनियों के उत्पादन में क्रियाशील रहते हैं। जीभ का सबसे पहला भाग उसकी नोक है, जिसे जिह्वा का अग्रविंदु या जिह्वानीक कहा जाता है। जीभ का दूसरा भाग जिह्वाफलक है, जो सहज रूप से कभी-कभी बाहर निकल हुआ देखा जा सकता है। इसके बाद का भाग जिह्वाग्र कहा गया है। वास्तव में जीभ का मध्य भाग जिह्वाग्र है, किन्तु जीभ के पिछले भाग की अपेक्षा से अग्रस्थित होने के कारण जिह्वाग्र कहा जाता है और इनकी दृष्टि में जिह्वामध्य जिह्वाग्र से कुछ भिन्न है।^{५५} जिह्वाफलक के अन्त से लेकर लगभग डेढ़ इंच लम्बा भाग जिह्वाग्र कहलाता है। इसके बाद का डेढ़ इंच लम्बा शेष भाग जिह्वापरच कहा गया है। अन्त में जिह्वामूल है।

उपालिजिह्वा या गलबिल

जिह्वामूल के पीछे और नासाविवर तथा स्वरयन्त्रावरण के बीच में जो खाली स्थान है उसे उपालिजिह्वा या गलबिल कहते हैं। यह वह स्थान है, जहाँ पर भीतर से स्वास के रूप में बाहर आने वाली वायु मुख या नासिका किसी भी मार्ग से बाहर निकल सकती है। इसकी विभिन्न अवस्थाओं से ध्वनियों पर प्रभाव पड़ता है।

स्वरयन्त्रावरण

जिह्वामूल के नीचे एक पेड़ के पत्ते के समान उठा हुआ मांसल भाग स्वरयन्त्रावरण है। सामान्यतया इसका कार्य भोजन-नली में जाते हुए पदार्थों को स्वासनली में जाने से रोकना है। यह ऐसे स्थान पर स्थित है, जहाँ पर स्वास और भोजन-नली दोनों का एक केन्द्रीय तथा निकटतम स्थल है। जब कभी असावधानी से खाद्य वस्तु स्वासनली में चली जाती है तो स्वरयन्त्र उसे तत्काल ऊपर फेंक देता है, जो मुख या नाक के मार्ग से बाहर निकल जाता है। कभी-कभी भोजन में असावधानी से पिया

हुआ पानी उसके के साथ नासिका-मार्ग से बाहर निकल आता है। जब तक वह बाहर नहीं निकलता चैन नहीं पड़ती। अतः शरीररक्षा की दृष्टि से इसका कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यदि यह अवयव किसी कारण से इस क्रिया को ठीक से करने में असमर्थ रहे और श्वासनली में भोजन का एक कण भी रह जाए तो तुरन्त मृत्यु हो सकती है। यद्यपि यह अग ध्वनि के उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से सहायक नहीं है, किन्तु स्वरयंत्र की रक्षा करने के कारण ध्वनि प्रक्रिया को अक्षत बनाए रखने में सहायक है। इसका किसी मासल अवयव से प्रत्यक्ष अनुबन्ध नहीं है, इसलिये निकटवर्ती अवयवों से प्रेरित होने पर ही यह गतिशील होता है। यह स्वयं गतिशील नहीं है। इसके भाषण ध्वनियों की गुणात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ता ही है।^{५६}

स्वरतन्त्री

ध्वनियों के उच्चारण में सर्वाधिक क्रियाशील अवयव स्वरतन्त्री कहा जा सकता है। इसकी इस विशेषता को ध्यान में रखकर उत्स्कार रसेल ने इसे मानवीय ध्वनिप्रसारक केन्द्र कहा है। यह गलग्रथिस्थित वह मासपेशी है जो तन्त्री के रूप में श्वासनली के अन्तिम भाग में अवस्थित है। स्वरतन्त्री का एक पतला युगल है जो शिखर रूप में विस्तृत है। प्रत्येक उच्च तथा निम्न दो भागों में विभक्त है। ये दोनों तन्त्रियाँ श्वासनली को ढँकने या खोलने का कार्य करती हैं। इनके बीच के भाग को भाषाशास्त्र में कण्ठ कहा जाता है। साधारण भाषा में इसे टेंडुआ कहते हैं। यह दुर्बल व्यक्तियों में अधिक उभरा हुआ दिखलाई पड़ता है। कण्ठ के पिछले भाग में यह एक छोटी पेट्टी के समान है। इसमें आगे से पीछे तक विस्तृत दो तन्त्रियाँ हैं। ये दोनों तन्त्रियाँ श्वासनलिका के ढक्कन का काम करती हैं। इनको रगमच के दो परदों के समान समझना चाहिए। जिस प्रकार परदे सङ्कुचित होकर रगमच के भीतरी दृश्य को आवृत्त कर देते हैं और फिर खुल जाने पर उसे प्रदर्शित कर देते हैं उसी प्रकार ये स्वरतन्त्रियाँ विस्तृत होकर श्वासमाग को रोक देती हैं और सङ्कुचित होकर उसे उन्मुक्त कर देती हैं।^{५७} ये स्वरतन्त्रियाँ मकड़ी के जाले की भाँति बहुत महीन तथा लचीली होती हैं। इनका उपरी भाग भाषण की दृष्टि से गौण तथा महत्वहीन है। इसका मुख्य कार्य शरीर में शक्ति बनाए रखना है। स्वरतन्त्रियों का निम्न भाग स्वरात्मक ध्वनियों के उच्चारण में महत्वपूर्ण क्रिया सम्पन्न करता है।

स्वरतन्त्रियों के मध्य के भाग को काकल या कण्ठबिल (गलबिल) कहते हैं। इसे भी दो भागों में विभक्त किया जा सकता है।^{५८} सामान्य रूप से श्वास लेते समय यह भाग पूरी तरह से खुला रहता है और काम करते समय पूरा बन्द हो जाता है।

साहित्यिक हिन्दी (खड़ी बोली) की मूल ध्वनियाँ

स्वर—अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ऑ।

व्यंजन—क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ ।
 ष, ष, श, ष, ष ।
 ट, ठ, ड, ढ, ण, त, द, द् ।
 त्र, थ, द, ध, न, न्ह ।
 प, फ, ब, भ, म, म्, म्, म् ।
 य, र, ल, व, (व) ।
 श, स, ह, ः ।

इस प्रकार वर्तमान में जो हिन्दी ध्वनियाँ प्रचलित हैं उनकी संख्या है—११ स्वर और ४१ व्यंजन, कुल ५० ध्वनियाँ हैं। संस्कृत की ऋ, ॠ, ल, ष, ञ ध्वनियों का प्रयोग पूर्णतया समाप्त हो चुका है। स्वरों में 'ओं' ध्वनि अंग्रेजी से हिन्दी में आगत है और ऐ (ऐ), औ नये विकसित स्वर हैं। व्यंजनों में क, ख, ग, ध्वनियाँ अरबी से और ज, फ् ध्वनियाँ फारसी से आई हुई हैं। हिन्दी की अपनी नई विकसित ध्वनियाँ हैं—इ, ट, व, न्ह, म् ।

डॉ० सुमन के शब्दों में व्, व् (दत्योष्ण और द्रयोष्ण) को हम एक ध्वनिग्राम के दो सहस्वन मान सकते हैं।^{११} जब गुच्छक के द्वितीय सदस्य के रूप में 'व' आता है तब द्रयोष्ण (व्) हो जाता है जैसे कि—क्वार, ग्वाला, ग्वारपीली आदि। अतः 'व्' को हिन्दी की नई विकसित व्यंजन ध्वनि मानना उचित है।

हिन्दी ध्वनियों का वर्गीकरण

ध्वनियों का वर्गीकरण उनके उच्चारण स्थान और प्रयत्न के आधार पर किया जाता है। पहले बताया जा चुका है कि भाषणोपयोगी अवयवों से भाषण ध्वनियाँ निमित्त होती हैं। बोलने वाला जब अपनी इच्छा में किसी प्रकार का प्रयत्न उन भाषणावयवों के स्थान पर करता है तब ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। सर्वप्रथम ध्वनियों का वर्गीकरण भीतर से बाहर की ओर निकलने वाली श्वास के आधार पर किया जाता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में निकलती हुई श्वास जब बिना किसी रुकावट के मुख के बाहर आती है तब वे स्वर ध्वनियाँ कहलाती हैं। स्वरों की भिन्नता का कारण जीभ का कइ प्रकार से ऊपर-नीचे की ओर उठना है। इसलिए स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण जीभ के भागों की दृष्टि से किया जाता है।

जिन ध्वनियों के उच्चारण में निकलती हुई श्वास में जब रुकावट होती है तब वे व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती हैं। जिस दशा में निकलती हुई श्वास में बहुत कम रुकावट होती है उसमें अर्द्धस्वर (य्, व्) ध्वनियाँ या अर्द्धव्यंजन ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। य् और व् व्यंजन की अपेक्षा स्वर के अधिक निकट होते हैं, इसलिए इन्हें अर्द्धस्वर कहा जाता है। सम्प्रसारण (पैलाब) की अवस्था में ये स्वर में 'इ' और 'उ' में परिवर्तित हो

जाते हैं। स्वर और व्यंजन का मुख्य अन्तर उनकी मुखरता में निहित है। हिन्दी में य्, व् व्यंजन इसलिए हैं कि इनकी कार्यकारिता हिन्दी के अन्य व्यंजनों की भाँति है, स्वरों जैसी नहीं है, जैसे कि—यार, वार, दया, दवा, चाय, चाव, इत्यादि में। य्, व् को हिन्दी के अन्य 'व्यंजनों' से परिवर्तित कर हम सरलता से कितने ही शब्द बना सकते हैं जैसे—दया, दवा, चाट, चार, इत्यादि। परन्तु य्, व् के स्थान पर यदि 'स्वर' रख कर शब्द बनाना चाहेंगे तो बड़ी कठिनाई होगी, जैसे—चाउ, इआर आदि। इससे स्पष्ट है कि य्, व् व्यंजनों की सी प्रवृत्ति और व्यवहार दिखाते हैं।

स्वरध्वनियों का वर्गीकरण

स्वरध्वनियों का वर्गीकरण मुख्य रूप से तीन आधारों पर किया जाता है—
(१) जिह्वा के विभागों की दृष्टि से, (२) जिह्वा की ऊँचाई की दृष्टि से और
(३) ओठों की आकृति की दृष्टि से।

१ जिह्वा के विभागों की दृष्टि से

स्वरध्वनि के उच्चारण के समय ध्यानपूर्वक यह देखा जाता है कि जीभ का अगला, बीच का या पिछला कौन सा भाग किस ऊँचाई तक उठता है। उसकी इस क्रिया के आधार पर स्वरो को वर्गीकृत किया जाता है जैसे कि—

- (१) जीभ के अग्रभाग द्वारा निर्मित होने वाले अग्रस्वर—इ, ई, ए, ऐ।
- (२) जीभ के पिछले भाग द्वारा निर्मित होने वाले पश्चस्वर—ओ, आ, उ, ऊ, ओ, औ।
- (३) जीभ के मध्य भाग द्वारा निर्मित होनेवाले केन्द्रीयस्वर—अ।

२ जिह्वा की ऊँचाई की दृष्टि से

स्वरो की एक सीमा मानी गई है। जीभ के जिन विभिन्न भागों तक उठने में निकलती हुई श्वास में कहीं रोक टोक नहीं होती वह स्वर सीमा कहलाती है। उस से अधिक ऊँचे उठने पर श्वास में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इसलिए जीभ स्वरो के उच्चारण में सीमा विशेष तक ही उठ सकती है। इस दृष्टि से स्वरो को चार भागों में विभाजित किया गया है।

(१) **संवृत स्वर**—जब जीभ के ऊपर उठने पर जीभ और स्वरसीमा के बीच कम से कम स्थान खाली रहता है तब संवृत स्वर उत्पन्न होता है।

अग्र संवृत—इ, ई

पश्च संवृत—उ, ऊ

(२) **अर्द्ध संवृत**—जब जीभ के ऊपर उठने पर स्वरसीमा के बीच संवृत की अपेक्षा स्थान कुछ अधिक खाली रहता है तब अर्द्ध संवृत स्वर उत्पन्न होता है।

अग्र अर्द्ध संवृत—ए

पश्च अर्द्ध संवृत—ओ

(३) अर्द्ध विवृत—जब जीम और स्वरलीमा के बीच में खुले हुए की जगहों कुछ कम स्थान रखी रहता है तब अर्द्ध विवृत स्वर उत्पन्न होता है।

अग्र अर्द्ध विवृत—ऐ

पश्च अर्द्ध विवृत—औ

(४) विवृत—जब जीम और स्वरलीमा के बीच में अधिक से अधिक स्थान खाली रहता है तब विवृत स्वर उत्पन्न होता है।

पश्च विवृत—आ। अग्र विवृत हिन्दी में नहीं है।

३ ओठों की आकृति की दृष्टि से


ओठों की आकृति की दृष्टि से स्वरों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है—
वृत्ताकार तथा अवृत्ताकार।

(१) वृत्ताकार स्वर—जिन स्वरों के उच्चारण करने में ओंठ गोलान्ताकार हो जाते हैं उस स्थिति में उत्पन्न स्वरों को वृत्ताकार स्वर कहते हैं, जैसे कि—उ, ऊ, ओ, औ, ऑ।

(२) अवृत्ताकार स्वर—जिन स्वरों के उच्चारण करते समय ओंठ गोल न होकर मुख के दोनों कोणों में कुछ विस्तृत हो जाते हैं वे अवृत्ताकार स्वर कहे जाते हैं, जैसे कि—इ, ई, ए, ऐ।

मानस्वर

किसी भी विदेशी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा के स्वरों के उच्चारणस्थानों की जानकारी आवश्यक होती है। यदि उच्चारणस्थान का ज्ञान न हो तो हम भाषा की ध्वनियों का ठीक से उच्चारण करने में सक्षम नहीं हो सकते। इसलिए मानस्वर के अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। मानस्वर मापे हुए स्वर हैं, जो विभिन्न भाषाओं के स्वरस्थानों को निर्धारित करने में मानदण्ड स्वरूप हैं। अतः इन्हें मापित स्वर भी कहा जा सकता है। इनकी संख्या आठ कही गई है। इनके अनुसन्धान करने वाले प्रो० डेनियल जोन्स तथा उनके सहयोगी विद्वान् कहे जाते हैं। इसे रेखा चित्र में इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है—



मध्य या केन्द्रीय स्वर

जिह्वा के मध्य भाग के द्वारा जो स्वरध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उन्हें मध्य या केन्द्रीय स्वर कहा जाता है। प्रसिद्ध भाषाविद् जेस्परसन ने इनको यथार्थत (mittelzungen Vokale) कहा है। ये कह प्रकार की होती हैं और ससार की अनेक भाषाओं में मिलती हैं। हिन्दी में केवल 'अ' की स्थिति मध्यस्वर में मानी जाती है।

मूलस्वर

मध्य या केन्द्रीय स्वरों से भिन्न मूलस्वर नहीं पहचाने जाते। उन्हें भिन्न करना बहुत कठिन है। अत एक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत (जिसे डेनियल जोन्स ने प्योर वावेल—शुद्ध स्वर कहा है) इनको मूल स्वर कहा जा सकता है।^{१९} ये मूल स्वर इसलिए कहे जाते हैं कि इनके उच्चारण में जिह्वा की स्थिति आदि से अन्त तक एक सी बनी रहती है। इसमें प्रायः प्रयत्न भी एक-सा रहता है। ये बोलने की स्थिति पर भी निर्भर रहते हैं। हिन्दी में मूल स्वर आठ माने गए हैं। ये हैं—अ, अऽ, आ, इ, उ, ऊ, ए, ओ।

सयुक्तस्वर

सयुक्त का अर्थ दो मिले हुए होता है। किन्तु यहाँ सयुक्त स्वर से अभिप्राय उन स्वरध्वनियों से है, जिनके उच्चारण में जिह्वा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ता है। अतएव सयुक्त स्वर केवल एक स्वरध्वनि है जो अक्षराधार के रूप में उच्चरित होती है। इसमें उच्चारण में केवल श्वास का एक आघात पड़ता है। उदाहरण के लिए, हिन्दी की बोलियों में 'ए' का उच्चारण एक श्वासाघात के साथ किया जाता है। वास्तव में सयुक्त स्वर को श्रुति कहा जा सकता है, जिसके उच्चारण में जिह्वा एक स्वरस्थिति से दूसरी स्वरस्थिति तक सरलता से बटती है।^{१९}

सयुक्त ध्वनि

दो ध्वनियों में मेल को सयुक्त ध्वनि कहते हैं, जैसे कि--कच्चा, पक्का इत्यादि। यह मेल समान और असमान दोनों प्रकार की स्वरव्यंजन ध्वनियों का हो सकता है।

ध्वनि-संयोग

इसमें दो ध्वनियों का मेल नहीं होता, किन्तु संयोग होता है, जैसे कि—कमल (क् + अ + म + अ + ल् + अ)।

ध्वनि-नियम

यदि किसी श्वासध्वनि के आगे नादध्वनि हो तो सयुक्त ध्वनि नहीं बन सकती। क्योंकि यह ध्वनि नियम है कि इन दोनों में मेल नहीं होता। उदाहरण के लिए—वाक् + जाल। इन दोनों में यदि हम मेल करना चाहते हैं तो श्वास (क्) ध्वनि के आगे नाद (जा) ध्वनि होने के कारण श्वास 'क्' को भी नाद ध्वनि 'ग' बना देंगे,

किससे 'वाग्वाक्य' शब्द बन जाएगा। किन्तु यदि श्वासध्वनि के आगे स्वासध्वनि होमी तब भी वह मेल नहीं होगा। भारतीय आर्यभाषा के विकास के अनुसार प्राचीन प्राकृत भाषा-बोलियों में व्यजन के बाद व्यजन नहीं आता। वह एक प्राकृत भाषा का नियम है। किन्तु किसी भी स्वर के बाद स्वर आ सकता है, जैसे कि—पाउ (प + आ + उ)। 'पाउ' पाद या पाँव का वाचक है।

परवर्ती प्राकृतों में व्यजन के पश्चात् व्यजन का और स्वर के पश्चात् स्वर का प्रयोग लक्षित होता है। उदाहरण के लिए—अघ (अर्घ), विज्जुय (विद्युत्), राउल (राजकुल), रिच्छ (रीछ), उक्का (उल्का), सह (शब्द), इत्यादि। परन्तु संस्कृत भाषा में स्वर के पश्चात् स्वर का प्रयोग नहीं होता। हिन्दी में अवश्य स्वर के बाद स्वरसयोग मिलता है, यथा—ओह (वहो), कउआ (कौवा), हुआ, कुआ, नाई, माई, कोई, इत्यादि।

व्यजन-ध्वनियों का वर्गीकरण

व्यजन ध्वनियों का वर्गीकरण मुख्य रूप से तीन प्रकार से किया जा सकता है—

(१) घोषत्व की दृष्टि से, (२) उच्चारण प्रयत्न की दृष्टि से और (३) उच्चारण स्थान की दृष्टि से।

घोषत्व की दृष्टि से व्यजन ध्वनियों 'अघोष' तथा घोष या 'सघोष' इन दो वर्गों में विभाजित की गई हैं।

(क) अघोष—जिन व्यजन ध्वनियों के उच्चारण करने के समय में स्वरतन्त्री में कम्पन नहीं होता वे अघोष कही जाती हैं।

(ख) घोष या सघोष—जिन व्यजन ध्वनियों के उच्चारण करने में स्वरतन्त्री में कम्पन होता है वे घोष या सघोष कही जाती हैं।

उच्चारण प्रयत्न की दृष्टि से व्यजनों के उच्चारण करने में ध्वनियन्त्र के विभिन्न भागों में कई प्रकार के प्रयत्न किए जाते हैं, जिनसे किञ्चित् तथा पूर्ण अवरोध की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। इनका विवरण निम्नलिखित है—

(१) पूर्णत अवरोधी—निकलने वाली श्वास जब पूरी तरह से किसी भाषणावयव के स्थान पर रुक जाती है और उस दशा में जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, उन्हें पूर्णत अवरोधी कहा जाता है। उच्चारण-प्रयत्न की दृष्टि से इन ध्वनियों को भी दो वर्गों में विभक्त किया गया है—स्पर्श और स्पर्शसघर्षी। जब निकलने वाली श्वास एक स्फोट के साथ बाहर निकलती है तब स्पर्शध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। स्पर्शसघर्षी ध्वनियों के उच्चारण में निकलने वाली श्वास क्षण भर के लिए किसी भी स्थान पर पूरी तरह रुक कर रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है।

(२) आशिक अवरोधी—इन व्यजन ध्वनियों के उत्पन्न होने में निकलने वाली श्वास को थोड़ा रुकना पड़ता है, इसलिए इन्हे आशिक अवरोधी कहा जाता है। इनके कई वर्ग हैं—सघर्षी, पार्श्विक, छुण्डित, नासिक्य, उल्लसित, अर्द्धस्वर।

संघर्षी ध्वनि—संघर्षी ध्वनि के उत्पन्न होने के समय मुख द्वार इतना संकीर्ण हो जाता है कि निकलने वाली श्वास को रगड़ खाकर निकलना पड़ता है, जैसे कि—
फ, व, घ, ज, घा, ख, ष, इ तथा (विसर्ग) । संघर्षी ध्वनि तथा स्पर्शसंघर्षी ध्वनि में अन्तर यह है कि संघर्षी में श्वास निकलने का मार्ग किंचित् खुला रहता है, किन्तु स्पर्शसंघर्षी में वह बन्द हो जाता है । ऐसी दशा में श्वास धक्का दे कर रगड़ के साथ बाहर निकलती है जैसे कि—च, छ, ज, झ ।

पार्श्विक—इस में जिह्वा का अग्र भाग तालु से लग जाने के कारण श्वास जीभ के अगल-बगल से हो कर मुख के बाहर निकल जाती है । इसका उदाहरण है—ल ।

लुण्ठित—जब जिह्वा की नोक वर्तुल हो कर तालु को छूती है और उससे छिपटती है तब लुण्ठित 'र' ध्वनि उच्चरित होती है ।

नासिक्य—निकलने वाली श्वास जब कौवा के नीचे झुक जाने पर नासिकाविवर से हो कर बाहर निकलती है तब नासिक्य या अनुनासिक ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे कि—ङ्, ञ, ण, न, म, ।

उत्क्षिप्त—जब जिह्वा की नोक उलट कर झटके के साथ तालु को छू कर हट जाती है तब 'ड' और 'ढ' उत्क्षिप्त ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं ।

अर्द्धस्वर—जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख द्वार के संकीर्ण होने पर भी किंचित् स्पर्श कर वायु बिना रगड़ के बाहर निकल जाती है तब 'य' और 'व' अर्द्धस्वर उत्पन्न होते हैं । सस्कृत के वैयाकरणों के अनुसार अर्द्धस्वर अतस्थ माने जाते हैं । किन्तु वे इस में य, र, ल और व चारों को अतस्थ मानते हैं । वस्तुतः इनकी प्रकृति व्यजनात्मक होती है । स्वर होने पर भी व्यजनात्मक प्रकृति के कारण यू और वू को अर्द्धस्वर माना जाता है । उच्चारण की दृष्टि से भी ये स्वरों की भौति मुखर नहीं हैं, बल्कि व्यजनों की भौति स्वल्पमुखर हैं । यह पहले ही बता चुके हैं कि आधुनिक भाषाशास्त्रियों के अनुसार विशिष्ट मुखरता ही स्वर की मूल प्रकृति है । इसी प्रकार इन में स्वरो की भौति बलाघात वहन करने की शक्ति नहीं है । ये बलाघातहीन होते हैं ।

उच्चारण स्थान की दृष्टि से निकलने वाली श्वास जिस स्थान पर रुक जाती है और ध्वनियाँ उत्पन्न कर देती है उनके नाम हैं—काकल्य, अलिजिह्वीय, कोमल तालव्य, तालव्य, मूधन्य, बर्त्स्य, दत्य और ओष्ठ्य ।

काकल्य—इस प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण में निकलने वाली श्वास रगड़ खाती हुई मुख के बाहर निकलती है । इस में मुख द्वार खुला रहता है ।

अलिजिह्वीय—इन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा के पिछले भाग का अलिजिह्वा के पार्श्व प्रदेश से संस्पर्श होता है ।

कोमल तालव्य—जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग कोमल

तालु के खाल पर बाहर निकलने वाली श्वास को रोक कर निःस्वरण करता है, उस स्थिति में उच्चरित ध्वनियों को मूल तारुण्य या कण्ठ्य कहव्यती है।

तालुण्य—जिस समय जिह्वा का अग्र भाग कठीर तालु को स्पर्श कर श्वास को रोक देता है उस दशा में उच्चरित ध्वनि तारुण्य कही जाती है।

मूर्धन्य—जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा की नोक उलट कर मूर्धा को स्पर्श कर निकलने वाली श्वास को रोक देती है उस दशा में उच्चरित ध्वनि मूर्धन्य कहव्यती है।

वर्त्य—जब ध्वनिशों के उच्चारण में जिह्वा की नोक मसूड़ों से सम्बद्ध हो कर निकलने वाली श्वास को रोक देती है तब उच्चरित ध्वनि वर्त्य कही जाती है।

दन्त्य—जब ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा की नोक ऊपरी दन्तपत्रि से सम्बद्ध हो कर निकलने वाली श्वास को रोक देती है तब उच्चरित ध्वनि दन्त्य कहव्यती है।

ओष्ठ्य—जिन ध्वनियों के उच्चारण में नीचे का ओठ ऊपरी दन्तपत्रि के सामने वाले दाँत से सम्बद्ध हो निकलने वाली श्वास को रोक देता है उस दशा में उच्चरित ध्वनि दन्त्योष्ठ्य तथा अधर ओष्ठ से सम्बद्ध हो निकलने वाली श्वास को रोकने की दशा में द्योष्ठ्य ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं।*

ध्वनिगुण

ध्वनि के मुख्य तीन गुण माने जाते हैं—मात्रा, सुर (ल्य) और बलाघात। प्रत्येक भाषा की ध्वनियों में ये तीन गुण प्राप्त होते हैं।

(क) मात्रा—ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है उसे समय का परिमाण या मात्रा कहते हैं। यह तीन रूपों में पाई जाती है—ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व के लिए अंग्रेजी में कोई चिह्न नहीं है। अर्द्ध दीर्घ स्वर के लिए अंग्रेजी में (—) चिह्न है। दीर्घ स्वर के लिए (=) चिह्न है। हिन्दी में केवल ह्रस्व और दीर्घ ध्वनियों का प्रचलन है। वास्तव में बोली जाने वाली भाषा के सभी लक्षण लिखित रूप में नहीं मिलते। अतः कई लक्षण अप्रकाशित ही रह जाते हैं। ध्वनियों की वास्तविक दीर्घता, बलाघात तथा स्वरलहर कभी लिखित रूप में सामने नहीं आते। सम्भवतः इसीलिए अंग्रेज ध्वनिचिद् इन सब को राग तत्व (Prosody) और अमेरिकी ध्वनिचिद् खण्डेतर ध्वनिग्राम या खण्डेतर स्वनग्राम मानते हैं। इनको खण्डेतर मानने का मुख्य कारण अर्थ भेद है। संसार में ऐसी अनेक भाषाएँ हैं, जिन में अर्थ भेद प्रकट करने के लिए केवल दीर्घता का उपयोग किया जाता है। जिस ध्वनि के उच्चारण में समय की जितनी मात्रा लगती है वही उस ध्वनि की दीर्घता कही जाती है। यथार्थ में दीर्घता, स्वरलहर तथा बलाघात के रूप को देख कर किसी भाषा के बोलने वाले के स्वाभाविक या विदेशी होने का पता चलता है। भाषागत ध्वनियों का ठीक से उच्चारण करते

* ध्वनियों के वर्गीकरण का प्रकरण अधिकांश में डॉ० उदयनारायण तिवारी की पुस्तक 'भाषाशास्त्र की रूपरेखा' की सहायता से लिखा गया है।

रहने पर भी केवल स्वरलहर से व्यक्ति पहचाना जा सकता है कि किस देश के किस अचल का है। भाषा पर क्षेत्रीय प्रभाव कुछ ध्वनियों के साथ बोलने के स्वरलहर के रूप में अधिक स्पष्ट लक्षित होता है। भारतीय प्राचीन भाषाविशारदों के अनुसार ध्वनि शब्द का गुण माना गया है और उसके दो भेद कहे गए हैं—प्राकृत तथा वैकृत।

(ख) सुर (लय) या स्वरलहर—स्वरयंत्र में उत्पन्न घोष के आरोह अवरोह के क्रम को स्वरलहर कहते हैं। इसका सम्बन्ध स्वरतन्त्री से है। स्वरतन्त्री में कम्पन होने के कारण सगीतात्मक उतार चढ़ाव को सुर या स्वरलहर कहा गया है। विदेशी भाषा की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इसका ज्ञान होना अनिवार्य है। इसके बिना भाषागत ध्वनियों का अध्ययन व उच्चारण भलीभाँति सम्पन्न नहीं हो सकता। हिन्दी की बोलियों में जो भिन्नता दिखलाई पड़ती है वह मूल रूप में स्वरलहरों की भिन्नता है। इस भिन्नता के कारण ही भोज, अवध और ब्रज के निवासी हिन्दी को अलग अलग ढंग से बोलते हैं। सार की प्रत्येक भाषा में अपने विशेष प्रकार के स्वरलहर मिलते हैं। इनके सम्यक् प्रयोग से ही हम अपनी भाषा से उनकी भाषा की भिन्नता का बोध करते हैं।

यद्यपि ध्वनियों के अन्य लक्षणों की अपेक्षा स्वरलहर का भलीभाँति उच्चारण करना बहुत कठिन है, किंतु ध्वनियों की प्रकृति के अनुसार अपनी ओर से परिवर्तन न कर ज्यों का त्यों अभ्यास करने से कठिनाई दूर हो सकती है। शिशु अपने घर में माता पिता के द्वारा उच्चरित ध्वनियों का ही नहीं, घर में ब्रियाओ का भी ज्यों का त्यों अनुकरण करने का प्रयत्न करता है। प्राचीन भाषाशास्त्रियों ने उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का तथा सगीतविशारदों ने आरोह, अवरोह और सम का जो सूक्ष्म विचार किया है, वह वास्तव में एक प्रकार से स्वरलहर का सामान्य अध्ययन है। इसके दो भेद किए जाते हैं—शब्दस्वरलहर तथा वाक्यस्वरलहर। शब्द या वाक्य में आरोह अवरोह क्रम के अनुसार यह भेद किया गया है। किंतु अथ के आधार पर सार्थक और निरर्थक तथा चल अचल स्थिति के आधार पर चलतान और अचलतान भेद किए जाते हैं। तान भाषाओं में शब्द तथा वाक्य दोनों सार्थक होते हैं, किन्तु अतान भाषाओं में केवल वाक्य ही सार्थक होता है। भाषाशास्त्र की पुस्तकों में कई प्रकार की बिन्दु रेखाओं के द्वारा स्वरलहर को संकेतित किया जाता है। प्रायः सभी अमेरिकन ध्वनिविद् अट्टर रेखा के द्वारा स्वरलहर व उतार-चढ़ाव को प्रदर्शित करते हैं।¹⁴ इसी प्रकार सामान्य रूप से दीर्घ ध्वनियों के लिए दो बिन्दु () और अर्द्ध दीर्घ ध्वनियों के लिए एक बिन्दु () का प्रयोग किया जाता है। भाषागत ह्रस्व से भी ह्रस्व ध्वनि को द्योतित करने के लिए (~) चिह्न से संकेतित किया जाता है। किन्तु ह्रस्व ध्वनि को प्रदर्शित करने के लिए किसी संकेत की आवश्यकता नहीं पड़ती। दीर्घ, अर्द्धदीर्घ और अतिह्रस्व ध्वनि को अवश्य क्रमशः (:), (।) और (।) संकेतों से चिह्नित किया जाता है।¹⁵

बलाघात (Stress)—बोकेते समय किसी ध्वनि या अक्षर का बलपूर्वक उच्चारण करने को बलाघात कहा जाता है। इसका सम्बन्ध निकलने वाली स्वास से है। स्वास को सटका देने से इसके कई रूप देखे जाते हैं। सामान्यतः भाषा में आघात (Accent) दो प्रकार के मिलते हैं—स्वराघात (Pitch) तथा बलाघात (Stress)। स्वराघात को ही कलात्मक या गीतात्मक स्वराघात कहते हैं। काकक के उच्चारण के समय जो आरोह-अवरोह तथा कम्पन होता है उसे गीतात्मक स्वराघात कहा जाता है। किन्तु जिस स्वर के उच्चारण में स्वास धक्का दे कर बाहर निकलती है उसे बलात्मक स्वरसंचार कहते हैं। संचार के अधिकतर लोग अपनी बात को बलपूर्वक कहते समय प्रतिदिन की भाषा में इसका व्यवहार करते हैं। यही नहीं, भावावेश के समय लोग सिर ऊँचा करते हैं, हाथ हिलाते हैं, आँखें तरेते हैं या नचाते हैं और अँगुलियाँ चटकाते हुए या पाँव पटकते हुए तरह तरह की भाव भंगिमाओं के साथ बलाघात वाली ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। भाषागत इन सकेतों का सीधा सम्बन्ध बलाघात या बलात्मक स्वराघात से होता है।

बलाघात या स्वराघात दो प्रकार का होता है—“प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष बलाघात में जिन ध्वनियों पर बलाघात का प्रयोग किया जाता है वे अन्य पाश्र्वती ध्वनियों की अपेक्षा अधिक मुखर सुनाई पड़ती हैं। हिन्दी, उडिया, भोजपुरी आदि के शब्दों की अपेक्षा अंग्रेजी शब्दों में यह आपेक्षिक मुखरता अधिक स्पष्ट मालूम पड़ती है, क्योंकि अंग्रेजी एक बलाघातप्रधान भाषा है। भाषा में मुखरता कई कारणों से प्राप्त होती है। ऊपर कहे गए ध्वनि-गुण (दीघता, स्वरलहर) तथा एक ही अक्षर के बार-बार उच्चारण करने पर भी जो मुखरता लक्षित होती है वह सदा बलाघात का परिणाम नहीं होती। हिन्दी बलाघातहीन भाषा कही जाती है। कुछ भाषाओं में बलात्मक स्वराघात और कुछ भाषाओं में वाक्य-बलाघात भी पाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक भाषा में बलाघात का प्रयोग अपनी प्रकृति और प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न है।

हिन्दी में बलाघात

हिन्दी में बलाघात की विशेष स्थिति है। यद्यपि अंग्रेजी, रूसी या ग्रीक की भाँति हिन्दी में इसका प्रयोग लक्षित नहीं होता, किन्तु किसी भी ध्वनि पर जोर देने के लिए या भेद प्रकट करने के लिए इसका व्यवहार किया जाता है। हिन्दी में यह केवल स्वराघात के रूप में मिलता है। यह स्वराघात ध्वनि, अक्षर, शब्द, पद, उपवाक्य तथा वाक्य इन सभी रूपों में प्रयुक्त देखा जाता है। किन्तु हिन्दी में इसके व्यवहार से न तो अर्थ में परिवर्तन होता है और न स्वर ही बदलता है। अर्थ या ध्वनि-ग्राहिकता की दृष्टि से हिन्दी में बलात्मक स्वराघात दो प्रकार का कहा गया है—“निरर्थक या अध्वनिग्राहिक और सार्थक या ध्वनिग्राहिक। अक्षरगत बलात्मक स्वराघात का एक उदाहरण है—

ए एक जा, सज्ञा को मत जा । देखा जाएगा ।

इसी प्रकार—मुझे तो ऐसा करना ही पड़ेगा ।

कई स्थानों पर हिन्दी में बलाघात के कारण सामान्य अर्थ विशेष अर्थ में परिवर्तित हो जाता है । उदाहरण के लिए—हूँ मैं । हूँ । मैं । कमी कमी वाक्य में केवल एक ही शब्द बलाघात से अन्वित होता है, जैसे कि—बह । बहुत । सुन्दर । है । इसमें केवल बहुत पर बल दिया गया है । किन्तु कमी-कमी एक वाक्य में एक से अधिक शब्दों में बलाघात का प्रयोग देखा जाता है, यथा—तुम । कमी । पास । नहीं । हो । सकते । तथा—मैं । नहीं । या । सामान्यतः स्वराघात दीर्घ शब्दों में कथित होता है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि ह्रस्व या उपान्त्य शब्द पर बल नहीं दिया जाता । वस्तुतः हिन्दी में अंग्रेजी, रूसी भाषाओं की भाँति बलाघात न तो बहुत महत्त्वपूर्ण है और न सर्वत्र बहुत स्पष्ट । इसी कारण इस पर लोग विशेष ध्यान नहीं देते और न इसके प्रति विशेष सतर्क ही रहते हैं ।^{१८} अतः इसके सामान्य नियमों की चर्चा करनी भी उचित नहीं होगी, क्योंकि प्रयोक्ता के भाव और प्रयोग पर ही हिन्दी का बलाघात निर्भर है, जो एक विशेष स्थिति में स्पष्ट परिलक्षित होता है ।

स्वरावस्थान (Vowel gradation)

एक स्वर का अन्य स्वर के रूप में परिवर्तित होने को स्वरावस्थान कहते हैं । स्वर की दो श्रेणियाँ मानी गई हैं—इ और उ ।

इ श्रेणी—इ, ई, ए, ऐ, य

उ श्रेणी—उ, ऊ, ओ, औ, व

इन दोनों श्रेणियों के स्वरों में पारस्परिक परिवर्तन को गुणात्मक स्वरावस्थान (Qualitative Vowel gradation) कहते हैं । परन्तु एक ही श्रेणी के स्वरों का दूसरी श्रेणी के स्वरों में परस्पर परिवर्तन परिमाणात्मक स्वरावस्थान (Quantitative gradation) कहा जाता है । हिन्दी में परिमाणात्मक स्वरावस्थान ही अधिक पाया जाता है । संस्कृत भाषा में दोनों प्रकार का स्वरावस्थान मिलता है । उदाहरण के लिए—'नी' धातु से बनने वाले शब्द—नायक, नेता, नीति, नेत्र, इत्यादि । इसी प्रकार—'जी' धातु से सम्पन्न होने वाले जेता, जय, जैत्र, आदि । और—'बुध्' धातु से बनने वाले शब्द—बुद्धि, बोध तथा बौद्ध, आदि । हिन्दी में इसके उदाहरण हैं—खिलना, खुलना और खोलना । संस्कृत की 'खोल' धातु से इन तीनों का विकास हुआ है । इसी प्रकार संस्कृत—'पिच्छिल' से फिसलना, फिसलाना, और फुसलाना का विकास क्रम देखा जा सकता है । इसे श्रेणीगत परिवर्तन भी कहते हैं । डॉ० तारारपुरवाला ने भारोपीय भाषा में उपलब्ध इस स्वरावस्थान को एक विशिष्ट प्रवृत्ति के रूप में माना है ।^{१९} उनके अनुसार ह्रस्व तथा दीर्घ स्वरों की कई श्रेणियाँ हैं और उनके भी कई प्रकार हैं ।^{२०}

अपभ्रुति (Ablaut)—सामान्य रूप से स्वरध्वनि के परिवर्तन को अपभ्रुति

कहा जाता है; इनके उदाहरण अर्थात् परिवर्तन वाली भाषाओं में अधिक मिलते हैं; जैसे कि—अरबी भाषा में—कितब, किताब, कुतुब आदि। अंग्रेजी और हिन्दी में भी यह प्रवृत्ति बड़ीमति मिलती है। डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी इसे ह्रस्वता-दीर्घताक अपभ्रुति कहते हैं। वस्तुतः प्राचीनों ने जिसे गुण-वृद्धि कहा है उसे आधुनिक भाषाशास्त्री स्वर परिवर्तन के सन्दर्भ में अपभ्रुति मानते हैं। यह अपभ्रुति मात्रिक और गुणिक दोनों प्रकार की कही गई है। स्वर की मात्रा बदल जाने से मात्रिक अपभ्रुति और गुण की दृष्टि से होने वाले परिवर्तन को गुणीय अपभ्रुति कहते हैं। हिन्दी में मात्रिक अपभ्रुति के उदाहरण हैं—चलना, चलाना, लिखना, लिखाना, गूदना, गुदाना, गोदना, खुलना, खोलना आदि। गुणीय अपभ्रुति के उदाहरण हैं—खिलना, खुलना, फिसलना, फुसलाना, टिकना, टोकना, इत्यादि।

अपिनिहिति (Epenthesis)

यह एक प्रकार का स्वरागम है। कभी-कभी शब्दोच्चार की सुविधा से किसी शब्द के मध्य में स्वर के आगम को स्वरागम कहा गया है, जैसे कि—छत्तीसगढ़ी बोली में 'बैल' (बइल) को 'बहल' कहते हैं। हिन्दी में 'क्रिया' को 'किरिया' बोलते हैं। मे और पेह आदि कुछ भाषाशास्त्री अपिनिहिति शब्द का प्रयोग केवल 'आगम' के अर्थ में करते हैं और उस के व्यञ्जन तथा स्वरअपिनिहिति ये दो भेद मानते हैं। वस्तुतः यह एक तरह से आदि और मध्य स्वरागम है। आदि स्वरागम के उदाहरण हैं—उपुरोहित (रामचरितमानस), इस्कूल उस्कूल, इल्ली अल्ली, अस्तबल इस्तबल, इत्यादि। अपिनिहिति अवेस्ता भाषा की मुख्य विशेषता मानी जाती है। अवेस्ता में 'र' से आरम्भ होने वाले शब्दों में सवत्र अपिनिहिति दिखलाई पड़ती है, जैसे कि—इरिनिहिति (रिणक्ति), इरिस्यति (रिष्यति), उरोपयति (रोपयति), आदि।

स्वरभक्ति (Anaptyxis)

दो संयुक्त व्यञ्जनों के मध्य स्वरागम को स्वरभक्ति कहते हैं, जैसे कि—मर्म का मरम (तोर मरम न जाना), धर्म का धरम, मक्त का मगत, पक्ति का पगत, शक्ति का सक्त, तथा कीर्ति का कीरत, इत्यादि। प्राकृत वैयाकरणों के अनुसार स्वरभक्ति या विप्रकर्ष का मुख्य कार्य दो संयुक्त ध्वनियों को अलग कर देना है। ग्रीक, लेटिन, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में ये ध्वनियाँ अधिक हैं। संस्कृत व्याकरण में स्वरभक्ति का प्रयोग कई अर्थों में मिलता है। महर्षि पाणिनि ने इसे 'अज्भक्ति' (अच् स्वर) कहा है। इसे मध्य स्वरागम भी कहा गया है। वास्तव में प्राचीनों और नवीनों की मान्यता में कोई भेद नहीं है, केवल कहने के शब्द या शब्दों में अन्तर हो सकता है—दोनों की बात एक है।

कुछ विद्वानों के अनुसार स्वरभक्ति और अपिनिहिति में अन्तर यह है कि स्वरभक्ति संयुक्त व्यञ्जनों में होती है और अपिनिहिति असंयुक्त व्यञ्जनों में। परन्तु इन दोनों में सूक्ष्म

अन्तर यह है कि मध्य में स्वरागम होना स्वरभक्ति है और इकारान्त तथा उकारान्त शब्दों के पूर्व स्वरागम होना अपिनिहित है।

अभिभ्रुति (Umlaut)

अपिनिहित के कारण जो स्वर परिवर्तन होता है उसे अभिभ्रुति कहते हैं। यह एक प्रकार का स्वर का पैलाव है। इसे अंग्रेजी में उम्लाउट (Umlaut) कहते हैं। उम्लाउट नाम प्रसिद्ध भाषावैज्ञानिक ग्रिम का दिया हुआ है। इसका अर्थ है—शब्द के किसी आन्तरिक स्वर में बाद के किसी अथ अक्षर के स्वर (गुणीय) के कारण होने वाला परिवर्तन। ब्लूमफील्ड इसे पश्चिमी समीकरण मानते हैं। हिन्दी में इसके उदाहरण हैं—सन्धि से सेध, चचु से चौच, लुच से लौच और शुष्ठी से सौठ।

अभिनिहिति

इसका शब्दार्थ है—पाश्वर्ती। जब सन्धि स्थान में कोई ध्वनि निकटवर्ती ध्वनि में समाहित हो जाती है तब अभिनिहिति कहलाती है। यह विशेष रूप से संस्कृत भाषा में मिलती है। आ० पाणिनि के अनुसार सन्धि के अन्तर्गत अच्सन्धि में एकादेश का जो विधान किया गया है, उस में पूर्व तथा पर के स्थान में एकादेश होना अभिनिहिति कहा जाता है। उसे स्पष्ट करने के लिए ऽ चिह्न का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि—पुरुषोअत्र—पुरुषोऽत्र। सूर्योअनिल—सूर्योऽनिल।

श्रुति (glide)

जिहा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के मध्य काल में जो फुसफुसाहट के रूप में ध्वनि सुनाई दे जाती है उसे श्रुति कहते हैं, जैसे कि—प्राकृत में गत से गअ और हिन्दी में कलकटर से कलट्टर सुन कर बोला जाता है। इसी प्रकार 'मेक्सम्युलर' का उच्चारण 'मेक्समुइलर' किया जाता है। वस्तुतः यह श्रुति दोष का परिणाम है, जिसे श्रुति कहते हैं।

हिन्दी के स्वर ध्वनिग्राम तथा संध्वनियाँ

हिन्दी में कुछ ऐसी ध्वनियों का भी व्यवहार होता है, जो केवल जनसामान्य के प्रयोग में हैं और रात दिन जिन्हे हम सुनते हैं, पर जो साहित्य में प्रयुक्त नहीं होतीं। वस्तुतः हिन्दी में ऐसी ध्वनियाँ अधिकतर परम्परा से चली आ रही हैं, जिन का अभी तक ठीक से विचार नहीं किया गया। सामान्य रूप से ह्रस्व ए और ओ हिन्दी में और उसकी बोलियों में प्रयुक्त होते हैं, किन्तु साहित्य में उनका व्यवहार नहीं है और इसलिए साहित्य के विद्यार्थी नहीं जानते कि इस तरह की भी कोई ध्वनियाँ हैं। हिन्दी की स्वरध्वनियों के उच्चारण में 'ऐ' को सदा 'अइ' कहा जाता है। इसका उच्चारण किन्हीं विशिष्ट ध्वनियों के संयोग में केवल य् और ह् के पूर्व कहा जाता है, जैसे कि—तैयार और नैहर में। इसी प्रकार 'औ' को सदा 'अउ' कहा जाता है। किन्तु यह उच्चारण केवल 'व' (अर्द्धस्वर) के पूर्व संयोगी शब्द में होता है, यथा—चौवन,

जोबर (जोबर), भौवा (भौआ) इत्यादि । अपभ्रंश में तथा पुरानी हिन्दी में इसके प्रयोग विरल नहीं हैं । यदि ध्वनियों के विकास के इतिहास की दृष्टि से विचार किया जाए तो यह एक प्रकार का 'ओ' का ह्रस्वीकरण 'उ' है, जो ध्वनियों की विकासगत जटिलता से सरलता की ओर की प्रवृत्ति की सूचक है । अतः ऋग्वेद में प्राप्त होने वाला 'एषो' (१, ४६, १) प्राकृत काल में 'एहो' हो गया और परवर्ती विकास में एहु, इह होता हुआ हिन्दी में 'यह' हो गया । हिन्दी में बोलने और लिखने की पद्धति में अन्तर है । बोलने में और बोलियों में आज भी परम्परागत ध्वनि प्रवृत्तियों का व्यवहार प्रचलित है, किन्तु लेखन पद्धति का विकास सस्कृत-वर्णमाला को ध्यान में रख कर उसके अनुकरण पर होने के कारण अनेक ऐसी ध्वनियों का उच्चारण हम कर लेते हैं किन्तु लिखते समय हम बचा जाते हैं । उदाहरण के लिए हिन्दी में 'वह' के लिए 'ओ' शब्द भलीभाँति प्रचलित है । इसी प्रकार से प्राय 'वही' के लिए हम 'ओही, ओह' बोल जाते हैं, किन्तु लिखते 'वही' हैं । अपभ्रंश में 'ओह' प्रचलित रहा है । यथा—

तो बड़ा घर ओह । अर्थात् तो बड़ा घर वही है ।

वास्तव में अपभ्रंश भाषा भी साहित्य के रूप में देखने को मिलती है । उसमें भाषा का ठेठ बोली का रूप नहीं है । किन्तु हिन्दी की बोली में आज तक वह सुरक्षित है । इसीलिए 'अउ' (अरु, और), इह (है), कह (कही), नह (नहीं) और दओ (दियो, बुदेही), आदि में यह प्रवृत्ति भलीभाँति लक्षित होती है । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अपभ्रंश की अपेक्षा हिन्दी में कई प्रकार की ध्वनियों का उद्योतन तथा विकास हुआ है । क्योंकि प्रत्येक भाषा की मिलाता उसकी ध्वनियों के आधार पर परिलक्षित होती है । ध्वनियों के विकास प्रवाह में सस्कृत की ऋ और ल ध्वनियों का व्यवहार वैदिक युग में ही अधिक प्रचलित था । सस्कृत में इसके प्रयोग साहित्य में कम मिलते हैं । प्राकृतों में इनका व्यवहार नहीं है । किन्तु हिन्दी में इनका ही नहीं, ऋ और ल का भी अभाव है । किन्तु देवनागरी वर्णमाला में आज भी 'ऋ' को हिन्दी स्वर समझ कर विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है । भाषाशास्त्र की दृष्टि में इसके लिए हिन्दी में कोई ध्वनि चिह्न नहीं है । हो भी कैसे सकता है ? क्योंकि यह एक स्वर और एक व्यंजन का संयोगी रूप है । ऋ की भाँति हिन्दी के स्वरों में अ और अ को भी नहीं बताना चाहिए । क्योंकि ये स्वर नहीं हैं, बल्कि नासिक्य व्यंजन ध्वनियों के बढ़ले विशेष स्थितियों में प्रयुक्त होने वाले लिपि चिह्न मात्र हैं ।^{१२} इनका प्रयोग स्वर के लिए न हो कर केवल व्यंजनों के लिए होता है । विशेष स्थिति से हमारा अभिप्राय यह है कि स्वर के पश्चात् इनका व्यवहार किया जाता है जैसेकि—अंक, कधा, आकाक्षा, आलिंगन, चोंच, सेंध, भोंगा, भोंपू, ईंट, ऊट, छींट, इत्यादि । इसी प्रकार विसर्ग का प्रयोग भी स्वर के अनन्तर होता है । स्वयं विसर्ग स्वर नहीं है । यह तो व्यंजन की विशिष्ट स्थिति को द्योतित करने वाला ध्वनि चिह्न है । इसे अघोष काकस्व

संघर्षी ध्वनि कहा गया है, जो अवोष 'ह' का रूपान्तर है। अतः यह व्यंजन है; स्वर नहीं। क्योंकि स्वर सघर्षी नहीं होते। फिर, स्वर जैसी मुखरता भी इसमें नहीं है। इसके अतिरिक्त विसर्ग 'ह' (पूर्व 'स' ध्वनि) या 'स' (परवर्ती 'ह' ध्वनि) के लिए प्रयुक्त होता है, जो व्यंजन है। व्यंजन के स्थान पर प्रयुक्त होने से इसे भी व्यंजन का स्थानापन्न व्यंजन ही कहा जाएगा। इस प्रकार ङ, अ और अ ये तीनों ही स्वर नहीं हैं। अतएव हिन्दी के स्वरों के साथ इनको गिनाना उचित नहीं है। वर्ण माला में भी इनको स्वर का स्थान नहीं मिलना चाहिए।

हिन्दी में अनुनासिकता (ँ) एक ऐसा ध्वनि-गुण है, जो प्रत्येक स्वर ध्वनि के साथ मिल कर स्वरों की संख्या दस से बीस कर देता है।^{११} उदाहरण के लिए अ और अँ पूणत भिन्न भिन्न दो स्वर हैं। हिन्दी में स्वरों की संख्या दस ही है। स्वर हैं—अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ग्यारहवीं अनुनासिकता है, जो अ के साथ समुक्त हो कर आँकड़ा, आँसू, आँच, हँसी, लँटी और रहँट, आदि में प्रयुक्त परिलक्षित होती है। इस प्रकार अ और अँ (ँ) ये दोनों पृथक् इकाइयाँ हैं। मूलस्वरों की भाँति सभी अनुनासिक स्वरों का व्यवहार शब्दों में सर्वत्र नहा मिलता। यथार्थ में अनुनासिक स्वर को निरनुनासिक स्वर से बिल्कुल भिन्न मानना चाहिए,^{१२} क्योंकि अनुस्वार और अनुनासिक के भेद से शब्द भेद ही नहीं अर्थ भेद भी हो जाता है। उदाहरण के लिए कुछ शब्द हैं—नींद (निद्रा), नींद (निन्दा), हसी—हँसी, हडा—हँडा, कास—(कस पात्र, ताबे और जस्ते को मिला कर बनाई हुई धातु)—काँस (शरद् ऋतु में फूलने वाली लम्बी घास, कास), उचास (उनचास, ४९), उँचास (ऊँचाई), अँधेर (अन्याय), अँधेर (अधकार), अटा (बड़ी गोली), अँटा (पूरा पडा, समाया), इत्यादि।

हिन्दी में ए और ओ सध्यक्षर नहीं हैं किन्तु मूल स्वर हैं। संस्कृत में ये दोनों सघिस्वर (diphthong) हैं। परन्तु हिन्दी ये दोनों स्वतन्त्र मूल ध्वनियाँ हैं। यह पहले ही कहा जा चुका है कि अपभ्रंश में ह्रस्व ए, ओ का व्यवहार मिलता है। आधुनिक साहित्यिक हिन्दी में ये ध्वनियाँ अधिक शब्दों में व्यवहृत नहीं होतीं। किन्तु हिन्दी की कुछ बोलियों में इनका व्यवहार बराबर मिलता है। प्राय उच्चारण की दृष्टि से कौल्लिज, हौल और औरत की 'औ' ध्वनियों में कोई अन्तर नहीं है। किन्तु 'चैन' और 'पैन' के ऐ में दीर्घता और ह्रस्वता का भेद है। इसलिए हिन्दी में निम्ना कित स्वर ध्वनिग्राम माने जा सकते हैं —

ई (ईद)		ऊ (ऊन)
इ (इस)		उ (उस)
ए (एक)	अ (अब)	औ (और)
अ (अक)		
ऐ (ऐब)		औ (और)
	आ (आस)	

इसके अन्तर्गत सन्धनियों वा उपध्वनियों इस प्रकार हैं—

- इ की दो—एक अग्र (श्रुति में) और दूसरी मध्य (वृद्ध में)
 ए की दो—एक दीर्घ (बैल में) और दूसरी ह्रस्व (नेहरू में)
 ओ की दो—एक दीर्घ (मोह में) और दूसरी ह्रस्व (मोहरा में)
 औ की दो—एक दीर्घ (और में) और दूसरी ह्रस्व (जोहरी में)
 अ की चार—एक ह्रस्व ए (यह में), दूसरी ह्रस्व ओ (वह में), तीसरी
 ह्रस्व ऐ (बहन में) और चौथी सन्धनि अ (व में) है ।

अन्य ई, अँ, ऐ, आ, उ और ऊ ध्वनिग्रामों में एक-एक सन्धनि मानना पर्याप्त है । जो लोग 'मइया' और 'कउवा' में अ इ तथा अ उ के संयोग न बोल कर (मइआ और कउआ में) अह और अउ को सन्ध्यक्षरवत् बोलते हैं—मैया और कौआ । उनके ऐ में एक मूल (ऐसा में) और दूसरी सन्ध्यक्षर (तैयार और नैहर में) तथा औ में एक मूल (औरत में) और अगली सन्ध्यक्षर (जीवन में) सन्धनियाँ भी कही जा सकती हैं । क्योंकि ये स्वरों के भेदों के अतिरिक्त मुख्य उपध्वनियाँ हैं ।

हिन्दी में ध्वनिग्रामों की सूची को देखने से पता लगता है कि स्वरध्वनिग्रामों में सब से अधिक क्षिप्रता है । इस क्षिप्रता का कारण यह है कि वे स्वयमेव व्यंजनों की सहायता से अथवा बिना किसी सहायता के अक्षरों की रचना कर सकते हैं । इस के अतिरिक्त देवनागरी वर्णमाळा में वर्णिक लिपि होने से व्यंजनों की अपेक्षा स्वरों को मूर्द्धन्यता प्राप्त है । स्वरों में भी अ, आ और ए मूर्द्धन्य हैं ।

हिन्दी भाषा के उच्चार और चर्तनी

यह पहले ही कह चुके हैं कि भाषा की अपनी पद्धति और व्यवस्था होती है । प्रत्येक भाषा का निर्माण ध्वनियों से होता है । ध्वनियों का व्यवहार करने वाले लाखों और करोड़ों लोग भिन्न भिन्न प्रकृति, व्यवहार और रुचि के होते हैं । उनमें कुछ गँवार, शिक्षित, सभ्य और चोटी के विद्वान भी होते हैं । उनके अपने अपने ढंग के उच्चारण होते हैं । एक 'टिकिट' शब्द का उच्चारण टिकट, टिकट, टिकस और टिककस आदि कई रूपों में सुनने को मिलता है । यही हाल सिनेमा, स्कूल, साइकिल, रेस्टोरेन्ट, लाइब्रेरी और होटल (हॉटल) आदि का है । जनता सामान्य रूप से अपना काम चलाने के लिए सभी प्रकार के प्रचलित शब्दों का व्यवहार करती है और प्रत्येक स्थिति में अपने भावों को प्रकट कर लेती है । सुनने वाला भी अस्पष्ट और पूरी तरह से प्रकट नहीं होने पर भी व्यक्त ध्वनियों से संकेत प्राप्त कर लेता है । अतः भाषा व्यवहार में काम चलाने के लिए एक माध्यम है । यह माध्यम ध्वनियों के उच्चारों से स्थापित होता है । शिक्षित और शिक्ष लोग भाषा की अभिव्यक्तता के प्रति सजग और सतर्क रहते हैं । इसलिए वे अपने उच्चारों को भलीभाँति प्रकट करने के लिये सचेष्ट रहते हैं । किन्तु साधारण जन इस ओर से उदासीन रहते हैं । वे इसकी आवश्यकता का अनुभव नहीं करते । किन्तु साहित्य का अध्ययन करने वाले भाषा की सचेदनात्मकता के साथ उच्चारों के

प्रति भी सतर्क रहते हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध भाषावैज्ञानिक ह्रिट्जी का यह कथन कि उच्चारण पृथक् पृथक् ध्वनियों को उत्पन्न करने वाली नहीं, बरन् भाषा की पूर्ण पद्धति है—भाषा और उसके उच्चारणों के सन्दर्भ में बिल्कुल ठीक व्याख्या है। बिना उच्चारण के हम किसी भाषा को उसके ठीक रूप में तभी समझ पाते हैं, जबकि ध्वनि विश्लेषण की प्रक्रिया हमें ज्ञात हो। किन्तु इस दृष्टि में पड़े बिना और बिना अधिक समय दिए हम सरलता से किसी भाषा के उच्चारणों को सुन कर उसे अपने निकट या दूर पा लेते हैं। अतएव व्यवहार में उच्चारण की बहुत उपयोगिता है। लेखन में भी आज से लगभग पचास वर्षों के पूर्व हिन्दी जगत् में आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी के सामने—सरस्वती के सम्पादक के रूप में यह चिन्तनीय समस्या उत्पन्न हुई थी कि हिन्दी में 'गये', 'हुये' में य और व ध्रुति का प्रयोग किया जाए अथवा प्रचलन के अनुसार गए, हुए लिखना उचित होगा ? जो गए और हुए लिखना उचित समझते थे उनका तर्क था कि हिन्दी की यह विशेषता है कि जैसा इसमें बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, इसलिए बोल-चाल को ध्यान में रख कर ऐसा लिखना उचित होगा। उस समय आचार्य द्विवेदी जी के प्रभाव से प्रायः गए, हुए रूप ही हिन्दी में मान्य हो गए, जो तब से आज तक भलीभाँति प्रचलित हैं। जिस प्रकार विभक्तियों को ले कर हिन्दी में एक बार बहुत विवाद चला था और फलस्वरूप दो खेमे ही बन गये थे—एक कलकत्ता वालों का और एक बनारस वालों का, लगभग वही स्थिति क्रियापदों की भी कहीं-कहीं बनी हुई है। इसलिए जब एक ही लेखक एक अनुच्छेद में कहीं 'जाएगा', कहीं 'जायेगा', किसी स्थल पर 'जायगा' और वही कहीं पर जब 'जावेगा' लिख देता है तो एक हास्यास्पद असंगति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई प्रकार के विद्वान् हमसे पूछते हैं कि आपकी हिन्दी क्या यही है ? उस समय यह कह कर बचा नहीं जा सकता है कि उच्चारण की भिन्नता के कारण ऐसा होता है, इसलिए सभी तरह से लिखना ठीक है। वास्तव में जब तक बोलने वाले का भाव विशिष्ट न हो तब तक सामान्य उच्चारण और उसके अर्थ में एकरूपता होनी चाहिए। कम से कम साहित्य में तो इस प्रकार के विकल्प की अवस्थिति नहीं है, क्योंकि बोलियों में या बोलने वालों की रुचि और प्रवृत्ति में यदि भेद है तो उच्चारणगत भेद साहित्य में भी ग्रहण किया जाना चाहिए। उच्चारण में जब तक स्वराघात, रागात्मकता, अक्षमता या विशिष्ट भावप्रवर्तन की रुचि न हो तब तक उच्चारण और वर्तनी में एकरूपता रहनी ही चाहिए। यहाँ पर हम भाषाशास्त्र के नियमों के अनुसार इस सम्बन्ध में भलीभाँति विचार करेंगे। इस विषय में विचार करने के पहले हमें भाषा के रागात्मक तत्त्व का परिचय प्राप्त कर लेना बहुत आवश्यक है। 'रागात्मक तत्त्व' का अर्थ है—ध्वनिगुण और सध्व यात्मक रूप। व्यापक अर्थ में यह सभी ध्वनिगुणों और सभी सध्वन्यात्मक अतरों को अपने में समेट कर चलता है। इनके संयोगपरक अतरों के कारण रागात्मक तत्त्व अनेक होते हैं, किन्तु संयोगपरक अन्तरो की विविधता न तो लिखी जाती है और न सुनी पड़ी जाती है।

उच्चारण के रागात्मक तत्त्व

भाषा और उसके उच्चारण केवल ध्वनियों का समूह मात्र नहीं है। उच्चारण के रूप में जो भी प्रकाशित होता है उससे सबलित अर्थ या भाव भी भाषा तथा उच्चारण के अन्तर्गत निहित है। किसी भी बोली जाने वाली भाषा के सभी लक्षण उसके लिखित रूप में लक्षित नहीं होते। प्रायः बहुत कुछ अप्रकाशित ही रह जाता है। केवल बोलते समय कुछ ध्वनियों की ह्रस्वता और दीर्घता भलीभाँति परिलक्षित होती है, शेष वास्तविक मात्रा, बलाघात और स्वरलहर अप्रकट ही रहते हैं। लेखन में उनके सकेत चिह्नों का कहीं प्रयोग नहीं किया जाता। इससे भी अधिक भाषा का वह रागात्मक या छान्दस् पक्ष है, जिसके अन्तर्गत स्वरों के आरोह अवरोह, सन्धियाँ तथा विरामादि (बलाघात, मात्राएँ) का लक्षण निहित रहता है। इसलिए व्यावहारिक दृष्टि से किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए सब से पहले इन रागों को ध्यान में रख कर सीखना पड़ता है। बालक स्कूल में जाने के पहले घर में, परिवार में राग सीखते हैं, स्वर और व्यंजन की शिक्षा उसके बाद ही ग्रहण कर पाते हैं। इसी प्रकार सगीत सीखने वाले को सगीतज्ञ पहले आरोह अवरोहमूलक राग सिखाता है, सरगम की शिक्षा बाद में देता है। किसी भी भाषा को पकड़ने और सीखने के लिए उसके रागतत्त्व का ज्ञान होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। प्रायः बलाघात से अर्थ में भेद हो जाता है, जैसे कि—

मैं । आप से यह पूछना चाहता हूँ ।
 आप से । मैं यह पूछना चाहता हूँ ।
 आप से मैं । यह पूछना चाहता हूँ ।
 आप से मैं यह । पूछना चाहता हूँ ।

इन सभी वाक्यों में उच्चारण की भिन्नता के कारण अर्थ भेद निहित है। इसी प्रकार स्वरों के आरोह और अवरोहों से सगीत की ध्वनि लहरी में ही नहीं, भावों में भी अन्तर लक्षित किया जाता है। कभी कभी दो ध्वनियों के मिलने (सयोग) से एक तीसरा ही ध्वनि राग उत्पन्न हो जाता है। सम्भवतः इसीलिए अनुस्वार को शिक्षा प्रथो मे रग माना गया है। रग राग का जनक होता है। मात्राओं की कमी और बढ़ोतरी से जनसाधारण भी अर्थ भेद को अच्छी तरह जानता है। किंतु प्रयोगगत भूलों का कारण असावधानी, उच्चारण की पूर्ण क्षमता न होना, प्रमाद तथा अज्ञान कहा जा सकता है। अधिकतर अज्ञानता के कारण भूलें होती हैं। कभी कभी भ्रम के कारण भी भूल हो जाती है, पर उसे अज्ञानमूलक ही समझना चाहिए।

हिन्दी भाषा में उच्चारण और वर्तनी की एकरूपता

यद्यपि 'अन्धा, कन्धा और चण्ट' आदि शब्द रूपों को लिखने से उच्चारण में कोई अन्तर नहीं पड़ता है, किन्तु वर्तनी की दृष्टि से इन्हें 'अश, कंश और चंट' लिखना

ठीक होगा। इसी प्रकार बोलते हैं—पोंहचना, नोकरी, ओरत, बहोत, बो, बहख और लिखते हैं—पहुँचना, नौकरी, औरत, बहुत, वह और बैठा। अतएव समस्या न उच्चारण की है और न वर्तनी की। किन्तु समस्या है—इन दोनों के निश्चित सम्बन्ध की। क्योंकि बोलने वाले अपने ढंग से बोलते रहते और लिखने वाले अपने प्रयोग और लेखन अभ्यास के अनुसार लिखने में बहुत कम परिवर्तन करना चाहेंगे। किन्तु व्याकरण, कोश और साहित्य में उच्चरित शब्दों के निश्चित हिप्जे होने चाहिए और उनका एक निश्चित उच्चारण। प्रत्येक भाषा के लिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी माना जाता है कि उसके शब्दों के उच्चारण और वर्तनी में एकरूपता हो। भाषा का ठीक तथा शुद्ध ज्ञान बहुत कुछ उच्चारण और वर्तनी के प्रयोग पर निर्भर है। कभी कभी एक मात्रा या अक्षर के इधर से उधर हो जाने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उदाहरण के लिए, 'बेंडी' बोला गया था—वेणी के लिए, किन्तु सुनने वाले ने समझ लिया 'बेडी' (इथकडी)। इसी प्रकार बोलने वाले ने 'सुबह' के लिए 'सुभा' शब्द का उच्चारण किया था, पर सुनने वाले ने उसे 'सन्देह' समझ लिया। यही नहीं, अनुस्वार के अभाव में 'हस' हस, 'डाक' डाक, 'भाग' भाग, 'रग' रग, 'भग' भग और 'चोंगा' चोगा हो जाता है। इससे अर्थ का ही अनर्थ नहीं हो जाता है, वरन् भाषा का लक्षण खण्डित हो जाता है और अव्यवस्था पैल जाती है।

हिन्दी में उच्चारण और वर्तनी की एकरूपता का प्रश्न श्रुति, स्वराघात और भाषा के रागात्मक तन्वों से सम्बद्ध है। वास्तव में उच्चारण महत्त्वपूर्ण तभी माना जाता है जब वह श्रवणीय या श्रवणगत होता है। उच्चारण की अनेकरूपता में किसी प्रकार का सदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि जीवित बोली का यह स्वभाव होता है। इसलिए वर्तनी की एकरूपता के लिए हमें श्रुति और साहित्य में प्रयुक्त या अधिकतम प्रचलित रूप को मान्य करना होगा। उदाहरण के लिए—गिरस्थी, जबरजस्ती, स्थिति सवेरा, स्नान, विस, श्वसुर आदि के स्थान पर गृहस्थी, जबरदस्ती, स्थिति सवेरा, स्नान, विष और श्वशुर जैसे सर्वाधिक प्रचलित प्रयोग ठीक माने जाएँगे। यद्यपि 'पिजडा' और 'पिजरा', टोकडी टोकरी, बूटा बूटा और सोडा सोडा कहने में अर्थ में कोई भेद नहीं होता, किन्तु लिखते समय इनका प्रयोग पिजरा, टोकरी, बूटा, और सोडा रूप में ही करना चाहिए। इसी प्रकार लायी, लाई, लायी आदि में से 'लाई' लिखना उचित होगा। क्योंकि उच्चारणगत 'लाई' शब्द प्रायः श्रवणीय होता है, लायी नहीं। इस का कारण यह है कि 'लायी' शब्द में स्वराघात न होने के कारण उसका उच्चारण प्रायः ह्रस्व होता है।

वर्तनी के सामान्य नियम

हिन्दी में उच्चारण और वर्तनी की एकरूपता के प्रकरण में यह कहा जा चुका है कि सब से अधिक अन्तर हमें अर्धस्वरों के प्रयोग में दिखलाई पड़ता है। हिन्दी और उर्दू में आद्यस्थानों को छोड़ कर अन्यत्र अर्धस्वरों का उच्चारण इतना क्षीण होता है

कि किसी भी भाषा की सम्बद्ध ध्वनियों के बीच उसे ठीक से पकड़ पाना प्रायः कठिन होता है। इसलिए कुछ विद्वानों ने 'य' और 'व' को ध्वनिमापीय रूप माना है। जॉर्ज एल० ट्रेजर ने इन्हें कुछ सवृत स्वरों का संस्वन (Allophone) या विभिन्न परिस्थितियों में उच्चारित स्वतन्त्र स्वनप्राप्त स्वीकार किया है।^{१०} यद्यपि में प्राकृत ध्वन्यन्त तथा हिन्दी में 'य' और 'व' भुतिरूप रहे हैं। आचार्य हेमचन्द्र ने इनका भुतिरूप विधान किया है।^{११} उनके अनुसार लघु प्रयत्न वाले 'य' का उच्चारण तभी होता है, जबकि वह अ या आ के पूर्व या पर से संयुक्त हो कर प्रयुक्त होता है। आधुनिक भाषाविज्ञान की दृष्टि से ये सभी प्रयोग अर्धस्वरों की तरह रागात्मकता के कहे जा सकते हैं। हिन्दी के उच्चारण का प्रश्न वस्तुतः भाषा के रागात्मक तत्त्वों से सम्बद्ध है, इसलिए उच्चारण और वर्तनी की एकरूपता में इन का ध्यान रखना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी होगा।

दूसरे, हिन्दी के स्वनिक (Phonemic) में उच्चारणगत सन्धिरूपों को भी समझ लेना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, हिन्दी में 'हट जाओ' के ध्वन्यात्मक रूप को देखा जाए तो 'हड् जाओ' में 'ड्' हलन्त है और 'ज' सच्चि रूप है, जो संस्कृत शब्दों या तत्सम रूपों को छोड़ कर अन्यत्र कम मिलता है। अतः यहाँ पर 'ड्' और 'जू' ध्वनियों का समान भाषा की रागात्मकता के अन्तर्गत माना जाएगा। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण हैं—बतासा ले, घुस जाओ, जल जा री, चुक जाने दो, इत्यादि।

तीसरे, उच्चारण के अनुसार उच्चारण और वर्तनी का सम्बन्ध निश्चित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, हिन्दी के कुछ प्रचलित शब्द हैं—बिना, चन्द्र, चिह्न, महान, विस्तार, कगन, एकाकी, पण्डित, सगम, कुज, दस, शुदि, वदि, सुख-दु ख, बिल्कुल, इत्तमीनान, तुम्हे, हमें, भगवान, आवश्यकता, मृण्मय, ब्रूटक, सतरह, ब्राह्मण, सीरा, राष्ट्रीय, राजनैतिक, घटा, चौधरी और अधीन आदि शब्दों के स्थान पर बिना, चन्द्र, चिह्न, महान्, विस्तर, कङ्कन, एकाङ्की, पण्डित, सङ्गम, कुङ्क, दश, सुदी, वदी, सुख-दु ख, बिलकुल, इत्तमीनान, तुम को, हम को, भगवान्, आवश्यकता, मृन्मय, ब्रूटक, सत्रह, ब्राह्मण, शीरा, राष्ट्रिय, राजनीतिक, घण्टा, चौधुरी तथा अधीन शब्दों को ही शुद्ध मानना हिन्दी की रागात्मकता के साथ अन्याय करना होगा। यह ठीक है कि संस्कृत के शब्दों और उसके व्याकरण की दृष्टि से गंगा, कंचन, कठ, शख, दण्ड आदि में अनुनासिक्य (वर्ण का पञ्चम) वर्ण का प्रयोग किया जाना चाहिए, किन्तु हिन्दी में जो शब्द वर्षों के प्रयोग से सिद्ध हो चुके हैं—क्या उन शब्द प्रयोगों को आज संस्कृत व्याकरण की दूरबीन से जाँचना उचित होगा ? प्रत्येक भाषा की निजी प्रकृति तथा प्रवृत्ति होती है। उस पर ध्यान दिए बिना यदि हम हजार वर्षों पुरानी भाषा और उसकी पद्धति के प्रतिमानों के आधार पर आज किसी अन्य भाषा की जाँच-पड़ताल करने बैठें तो क्या वह संगत होगा ? हिन्दी भाषा संस्कृति तथा संस्कृत की

अग हो सकती है, किन्तु उसकी अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति ही नहीं, अभिव्यञ्जकता भी सर्वथा भिन्न है।

हिन्दी की प्रकृति तथा प्रवृत्ति

व्यवहार में प्रवृत्ति के साधन शब्द ही हैं। भर्तृहरि के वचन हैं

‘अर्थप्रवृत्तितत्त्वाना शब्दा एव निबन्धनम्।’ (वाक्यपदीय)

शब्द सिक्के की तरह चलते हैं। वे ढलते हैं और बिगड़ते हैं तथा परिष्कृत होते हुए विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी टकसाल होती है, जहाँ ये सिक्के पुराने और नए दोनों रूपों में मिलते हैं। प्रायः प्रत्येक इतिहास के युग में कुछ न कुछ अभि व्यक्त के साधन नए शब्दों की आवश्यकता होती है। अधिकतर नए शब्द पुराने शब्दों को चलन से बाहर कर देते हैं। जो शब्द घिस जाते हैं, जिन की अर्थ बोधकता क्षीण हो जाती है और जो ढले हुए सिको से दब जाते हैं वे अपना अस्तित्व अधिक समय तक बनाए रखने में समर्थ नहीं होते। किन्तु जो कुछ परिवर्तन के साथ अपने सामर्थ्य को बढ़ा लेते हैं वे युग की धारा में सबसे अधिक गतिशील हो जाते हैं। भाषा की इस गतिशील प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति को नहीं समझने के कारण संस्कृत को हिन्दी की माता समझने वाले न जाने किस उमग में आकर ‘लगन’ को ‘लग्न’ लिख बैठते हैं और ‘कथा बॉचने’ को संस्कृत के प्रभाव में आकर ‘कथा वाचने’ गये थे, कह उठते हैं। इसी प्रकार उनके लिखने में ब्रजभाषा का रूप ‘ब्रजभाषा’ बन जाता है और ‘षष्ठ’ को ‘षष्ठम’ होते देर नहीं लगती। यही नहीं, ‘अगरबत्ती’ उनके पास पहुँच कर ‘अग्रनत्ती’ बन जाती है और ‘बचना जी’ की बात तो पृथो ही नहीं, सीधे वह ‘बचना जी’ बन जाते हैं। इसी प्रकार ‘हँसी’ की ‘हसी’ उड़ने लगती है और ‘सिंगार’ एकदम ‘शृंगार’ बन जाता है। कहाँ तक कह ‘सॉस’ का दम घुट कर ‘सास’ रह जाता है और भोजपाल का बसाया हुआ ‘भापाल’ अपने ‘भूपाल’पन पर रोता हुआ नजर आता है। किन्तु देखते ही देखते ‘बनारस’ अतीत की नगरी ‘वाराणसी’ को भेंट हो गया, भले ही भारत के अन्य नगरों की भाँति वहाँ भी अब पुरानी सभ्यता भग्ने के लिए न मिले।

हिन्दी की एकरूपता का प्रश्न

यह अब भलीभाँति प्रकट हो गया है कि हिन्दी का दिनादिन प्रचार, प्रसार तथा विकास होता जा रहा है। केवल भाषा और साहित्य में ही नहीं, विभिन्न विज्ञान तथा तकनीकी एव अन्य व्यवहार में उपयोगी विषया पर प्रतिदिन बहुत कुछ लिखा जा रहा है। इस विकास को देखते हुए यह कहने में कोई सकोच नहीं है कि हिन्दी भाषा का अभी तक पयास विचार नहीं हुआ। इस छोटी सी पुस्तक में जो कि छात्रों को ध्यान में रख कर लिखी गई है, सभी प्रकार से विचार करना सम्भव नहीं है। फिर भी, हिन्दी की वर्तमान अनेकरूपताओं को देखते हुए प्रमुख रूप से तीन प्रकार से चिन्तन किया जा सकता है। क्योंकि मुख्यतः लेखन, शब्द रूप और प्रयोग सम्बन्धी विषयताएँ परिलक्षित होती हैं। अतः इन तीनों पर सक्षिप्त विचार करना आवश्यक है।

(१) लेखनसम्बन्धी एकरूपता—लेखनसम्बन्धी विचार का प्रबन्ध मुख्यतः देवनागरी लिपि से सम्बद्ध है। लिपि के अनेक रूप आज प्रचलित हैं। कोई शिरोरेखाविहीन लिखता है तो कोई शिरोरेखासहित। कोई मात्राओं का प्रयोग वर्णसहित करता है तो कोई वर्णरहित अर्थात् कुछ लोग वर्णों से मात्राओं का काम चलाते हैं और कुछ मात्राओं का निवृत्त प्रयोग करते हैं, जैसेकि—कोई वि, व्यु, अं आदि लिखता है तो कोई इ, उ, ए, आदि। इसी प्रकार कुछ दो तरह के समान वर्ण लिखे जाते हैं—ण-न्, ल-ल्, क्ष-क्ष, त्र-त्र, आदि। इसी तरह कोई भगवान्, महान्, विद्वान्, भीमत्, भीमान् आदि में हलन्त का प्रयोग करता है तो कोई उन्हें स्वरान्त बना कर बिना हलन्त किए लिखता है। अनुनासिक्य और अनुस्वार सम्बन्धी प्रयोगों में तो और भी अधिक गड़बड़ी है। जिसके जो समझ में आता है लिख देता है। यह प्रयोग करने वाले को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि भले ही हमारे आप के नियम वैज्ञानिक प्रभाव के कारण टूट गए हों, किन्तु भाषा के नियम टूटने में भी नए बन जाते हैं। बिना नियम की कोई भाषा नहीं होती। इन नियमों का समझना और उसके अनुसार भाषा का प्रयोग करना, हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। कुछ सामान्य नियमों की चर्चा किए बिना केवल अनेकरूपता का राग आलापने से एकरूपता स्थापित नहीं हो सकती। बड़ से बड़ा वैयाकरण या भाषाशास्त्री भाषा के नियमों पर अपना अनुशासन नहीं चला सकता। भाषा अपनी प्रकृति से स्वयं अनुशासित है। उस अनुशासन को देखना समझना हमारा काम है। हमें केवल उसकी चाल को देख कर चलना है। अपनी ओर से किसी प्रकार की कार्यवाही नहा करनी है।

भाषा की चाल को समझने के लिए परम्परा ही नहीं, आज के अधिकतर प्रयोग और भाषाशास्त्र विशेष सहायक सिद्ध होते हैं। कई वर्षों के पूर्व ही हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान् डा० बाबूराम सक्सेना ने अपने प्रबन्ध में यह तथ्य भाषा जगत् के सामने रखा था कि हिन्दी तथा अवधी में सज्ञाएँ व्यजनान्त भी होती हैं, जैसे कि—नोक्, नींद, कान्, लाज् इत्यादि। क्या ये व्यजनान्त सज्ञाएँ इस रहस्य को प्रकट नहीं करतीं कि हिन्दी में अभी तक कहीं कहीं हलन्त प्रयोग अवशिष्ट हैं। फिर, हिन्दी में हम जिन संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते हैं उनका यदि हिन्दी में हिन्दीकरण नहीं किया गया है तो वे अपने साधु रूप में ही लिखे जाने चाहिए। इस पर आगे विचार किया जाएगा। यहाँ पर पहले परम्परा का सन्दर्भ-सूत्र खोजना है। अपभ्रंश की यह व्यवस्था—क्या हिन्दी में परम्परागत नहीं चली आ रही है कि सज्ञा का अन्य स्वर प्रायः दीर्घ से ह्रस्व और ह्रस्व से दीर्घ हो जाता है। उदाहरण के लिए—श्यामल से साँवळ, गौर से गोरा, परशु से परसा, शय्या से सेज, आषाढ से असाढ, भगिनी से बहिन, गोधा से गोह और बाराणसी से बनारस इत्यादि। हिन्दी की चाल में ढकी हुई दो प्रवृत्तियाँ मुख्य रूप से दिखलाई पड़ती हैं। पहली है—संस्कृत के तत्सम शब्दों की भरती की प्रवृत्ति, और दूसरी है—ह्रस्वादेश की प्रवृत्ति। ये दोनों प्रवृत्तियाँ भिन्न भिन्न

हैं। हिन्दी के शब्द भण्डार का विचार किया जाए तो सब से अधिक शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द मिलेंगे। उनकी संख्या लगभग पचास प्रतिशत होगी। उन शब्दों की प्रचुरता के कारण सामान्य रूप से जब भाषा का विचार किया जाता है तो संस्कृत के व्याकरण के आधार पर हिन्दी के शुद्धाशुद्ध का निर्णय दिया जाता है। बर्तनी की समस्या भी इससे सम्बद्ध है। उदाहरण के लिए—स्थायी और स्थाई, खायी और खाई, जायी और जाई, खायी और खाई, गयी और गई तथा सोयी और सोई, आदि क्रियापदों में कौन-सा रूप ठीक है—यह विचार करने के लिए एक ओर परम्परागत तथा श्रुतिरूप ध्वनियों का रूप है और दूसरी ओर संस्कृत व्याकरण के नियम हैं। संस्कृत में 'स्था' धातु है, जिसका अर्थ 'ठहरना' है। हिन्दी में केवल 'या' धातु का प्रयोग वहाँ नहीं किया जाता है, जिसका क्रियापद रूप है—थापना (गोबर थापना, मूर्तिथापना आदि)। स्था धातु में य मिला देने से वह टिकने का भाव देने लगती है। 'स्थायी' के लिए हिन्दी में 'टिकाऊ' शब्द है। किन्तु आज उसका प्रयोग बहुत ही कम होता है। क्योंकि हिन्दी में तत्सम शब्दों को अपनाने की प्रवृत्ति चली आ रही है।

भाषा में जाने अनजाने सादृश्य की प्रवृत्ति बहुत कार्य करती है। सादृश्य (analogy) रचना के आधार पर अनेक शब्दों की सृष्टि देखी जाती है। हिन्दी के भूतकालिक कृदन्तों की रचना 'या' जुड़ कर होती है, इसलिए खाया, पिया, लिया, दिया, सोया, रोया, आदि रूप बनते हैं। सज्ञा रूपों में भी लिखाई, छपाई, तिलाई, कटाई, बुनाई, चुनाई, मिठाई, दिखाई, सिखाई, हसाई, रुलाई, जगाई, पढाई, बढ़ाई, दिटाई, सिधाई तथा टिटाई, आदि भी समान रचना के स्रोतक हैं। इनके अन्त में 'ई' प्रत्यय लगता है। अतएव 'यी' (मिठायी, दिखायी, बुनायी) जोड़ कर नहीं लिखना चाहिए। केवल रचना के आधार पर ही नहीं, श्रुति के अनुसार भी हिन्दी में इनके उच्चारण में शब्द के अन्त में 'ई' सुनाई पड़ता है। इसलिए भी शब्द के अन्त में 'यी' के बजाय 'ई' लिखना ठीक होगा।

वास्तव में हिन्दी में बतनी की अनेकरूपता क्रियापदों में विशेष रूप से देखी जाती है। रूसी विद्वान् डॉ० दीमशिल्ल ने 'हिन्दी व्याकरण की रूपरेखा' में (पृ० १६१) सम्भावनार्थक क्रियारूपों में एक ही रूप के लिए (जाएँ) कई रूप (जावें, जायें, जायँ) लिखे हैं। यह पहले ही बता चुके हैं कि व्याकरण के नियम के अनुसार यदि किसी धातु के अन्त में 'आ', 'ई', 'ऊ' और 'ए', में से कोई स्वर हो तो सामान्य भविष्यत्काल के अन्य पुरुष में भविष्यत्कालबोधक 'गा' प्रत्यय के पूर्व 'य' व्यंजन का आगम हो जाता है। किन्तु भाषाशास्त्र के अनुसार यहाँ 'य' व्यंजन का आगम न हो कर 'ए' स्वर आगम होता है। इसलिए जाएगा, जाएगी, जाएँगे, जाएँगी, जाएगा, जाएगी, जाएँगे, जाएँगी, जाएगा, जाएगी, जाएँगे, जाएँगी, जाएगा, जाएगी, जाएँगे, जाएँगी, जाएगा, जाएगी, जाएँगे, जाएँगी और जाएगा, जाएगी, आदि रूप बनेंगे।

सामान्य रूप से किन किशोपदों के अन्त में 'अ' स्वर होता है, स्त्रीलिङ्ग में उन किशोपदों के अन्त में 'य' से सहित 'आ' के (या के) स्थान पर 'ई' का प्रयोग किया जाता है; जैसेकि—आई, पाई, दिखलाई, बरई, बनारई, गरई, मिटाई, सिकाई, जटाई, सुताई, बुवाई, सुवराई, सिन्धुई, सफाई और निराई, इत्यादि । किन्तु किया, किया, दिया, आदि इसके अपवाद हैं । उनके स्त्रीलिङ्ग में रूप बनते हैं—की, ली, दी । इसी प्रकार चला से चली, खेला से खेली, ठना से ठनी, धुना से धुनी, छना से छनी तथा रमा से रमी, आदि में स्त्रीलिङ्ग का वाचक 'ई' प्रत्यय साहस्य-रचना से ही सम्बन्धित है । अतएव इनके लेखन में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए ।

हिन्दी में लेखनसम्बन्धी एकरूपता की दृष्टि से अन्य भाषाओं से हिन्दी में अनुवाद करते समय मूल पाठ की बर्तनी के सम्बन्ध में भी कुछ आवश्यक बातें ध्यान में रखने योग्य हैं । हिन्दी में संस्कृत पाठ के लिए जिस बर्तनी को प्रयोगार्ह माना जाता है, प्राकृत और अपभ्रंश पाठों के लिए वह वाञ्छनीय नहीं होगी । इसी प्रकार से हिन्दी पाठ की अपनी बर्तनी होगी । वर्णविन्यास की एकरूपता के लिए सबसे पहले संस्कृत शब्दावली तथा संस्कृत पाठ के लिए बर्तनी के सामान्य नियमों का निर्देश किया जाता है ।

(१) समासरहित शब्द के मध्य में तथा अन्त में दन्तव न् के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग न कर पञ्चमाक्षर लिखना चाहिए । जैसेकि—अङ्क, दण्ड, अनन्त, अञ्जन, कम्पन, चम्पक तथा गच्छन्, सम्मिलन्त, इत्यादि । परन्तु, किंतु, किंचित्, आदि रूप इसके अपवाद हैं । इन में अनुस्वार का प्रयोग करना उचित होगा ।

(२) यदि वाक्य या पद्य के अन्त में जब तक अत्य 'म्' के पश्चात् कोई स्वर या व्यंजन न हो तब तक उसके स्थान पर अनुस्वार नहीं होता । यथा—भूतागमन कारणम् ।

(३) यदि किसी उपसर्ग या पद के अन्त में 'म्' का प्रयोग किया जाता है तो उसके स्थान पर पञ्चमाक्षर न लिख कर अनुस्वार लिखना उचित होगा । उदाहरण के लिए—'सम्पद्, सङ्गच्छते' के स्थान पर 'सपद्, सगच्छते' तथा 'त्वङ्करोषि' के स्थान पर 'त्वं करोषि' लिखना चाहिए ।

(४) सवर्ण सन्धि में 'अ' या 'आ' के लोप के हेतु एक या दो अवग्रह चिह्नों का प्रयोग करना उचित नहीं होगा । केवल 'ए' या 'ओ' के पश्चात् 'अ' के लोप के सूचक अवग्रह चिह्न का प्रयोग करना उचित होगा । जैसेकि—सगच्छतेऽधुना, आगतोऽनन्त में, न कि विद्याधिवास में अवग्रह चिह्न होगा ।

(५) रोमन लिपि के प्रश्नवाचक (?), आश्चर्यवाचक (!) तथा अर्द्धविराम (,) का प्रयोग करना उचित नहीं होगा । पूर्णविराम और अल्पविराम के लिए क्रमशः ।, इन दोनों चिह्नों का प्रयोग किया जा सकता है । इसी प्रकार ग्रन्थ की समाप्ति की सूचना के लिए दो खड़ी पाई (||) का प्रयोग करना उचित होगा । परन्तु समस्त पदों के बीच किसी रेखा या अर्द्धविराम का प्रयोग उचित नहीं होगा ।

(६) किसी वाक्य या समस्त पद को वही तक एक रेखा के नीचे लिखना चाहिए, जहाँ तक कि शिरोरेखा के नीचे लिखे गये शब्द संधि के नियमों के अनुरूप हैं। यथा—श्रीपतिर्भगवान्पुष्याद्भक्ताना व समीहितम्। अथवा 'भगवान् पु०' इस रूप में भी।

(७) संस्कृत गद्य में किसी के कहे हुए वचनों को लिखने के लिए रेखा (—) या विरामों अथवा दोनों का प्रयोग करना चाहिए। अन्त में 'इति' शब्द के द्वारा निर्देश करना आवश्यक होगा। किन्तु कथित वचन-संधि के असामान्य नियमों के अनुसार उद्धरण के अन्तिम शब्द के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। उद्धरण का समाप्ति के लिए संकेत तथा स्पष्टता आवश्यक है। किसी प्रकार यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि कथित प्रवाह में ही यह वाक्य लिखा जा रहा है, किसी अन्य का कहा हुआ नहीं है।

(८) पद्य के सभी चरणों को एक समान स्थान दिया जाना चाहिए। ऐसा न हो कि कोई चरण लेखन में छोटा हो और कोई बड़ा। सभी पंक्तियाँ सुन्दरता की दृष्टि से बराबर होनी चाहिए। बीच की बराबरी को बनाने के लिए रेखा (—) का प्रयोग करना उचित नहीं होगा।

(९) संस्कृत को रोमन लिपि में प्रकट करने के लिए निम्नलिखित ध्वनिचिह्नों का प्रयोग करना अपेक्षित होगा —

a	a	i	i	u	u	r	r	lr
अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ऋ	ॠ	ल
e	ai	o	au	am	ah			
ar	ऐ	ओ	औ	अ	अ			
k	kh	g	gh	n				
क	ख	ग	घ	ङ				
o	ch	j	jh	n				
व	छ	ज	झ	ञ				
t	th	d	dh	ṇ				
ट	ठ	ड	ढ	ण				
t	th	d	dh	n				
त्	थ	द्	ध	न्				
p	ph	b	bh	m				
प	फ	ब	भ	म्				
y	r	l	v					
य	र	ल्	व्					
ś	s	s	h	l	ks	gū		
श्	ष्	स्	ह	ल्	क्ष	गु		

प्राकृत तथा अपभ्रंश में निम्न ध्वनिचिह्नों का विशेष रूप से प्रयोग करना उचित होगा।

ठ ai ठ ai
प्र [ए] अइ ओ [ओ] अउ

प्राकृत तथा अपभ्रंश में ही नहीं, हिन्दी की बोलियों में भी ह्रस्व ए, ओ मिलता है। इसलिए उनको भी उक्त रूप से व्यवहार करने पर लिखा जा सकता है। हिन्दी में देवनागरी लिपि में उन्हें कैसे लिखना चाहिए, यह आगे कहा जाएगा।

प्राकृत तथा अपभ्रंश पाठों के लिए वर्तनी सम्बन्धी कुछ नियम इस प्रकार हैं—

(१) नियमानुसार प्राकृत तथा अपभ्रंश के शब्दों में सर्वत्र अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए, यथा—बंक, अक, विब, चचु, रकु, कंडु, दंड, इत्यादि।

(२) प्राकृत तथा अपभ्रंश में प्रयुक्त संयुक्त व्यंजनों को ज्यों का त्यों एक शिरोरेखा के नीचे लिखना चाहिए, जैसे कि—कण्ण, कण्ह, कन्न, कम्म, छम्म, पाण्ह, देक्क, उण्णाह, इत्यादि।

(३) प्राकृत में स्वररहित व्यंजन का प्रयोग नहीं होता, इसलिए 'धम्म' लिखना चाहिए, धम्मम् नहीं। इसी प्रकार प्राकृत तथा अपभ्रंश में पिम्म, जं, तं, ण, णेत्तं, छत्त, पवित्त, विचित्तं, पत्त, सत्थ, केस, आदि में अनुस्वार का प्रयोग करना उचित होगा।

(४) सामान्य रूप से प्राकृत और अपभ्रंश में सर्वत्र 'ण' का प्रयोग होता है।

(५) ह्रस्व 'ए' के लिए—(̣) तथा ह्रस्व 'ओ' के लिए—(̣) ध्वनि चिह्नों का प्रयोग करना चाहिए, जैसेकि—वे ̣ल्लि, वे ̣ल्लु, मो ̣ल्लु, तो ̣ल्लु।

(६) छन्द-रचना की दृष्टि से लघु मात्रा को सूचित करने के लिए अर्धचन्द्र चिह्न (̣) का प्रयोग करना उचित होगा, यथा—तिहिँ, बहिँ, एहिँ, एत्तहिँ, आदि।

(७) संयुक्त व्यंजनों को इस प्रकार लिखना चाहिए—पक्ख, वग्घ, कच्छ, जुज्झ, गट्ठ, बट्ठ, आदि। इनको परक्ख, वग्घ, कच्छ, जुज्झ, गट्ठ, बट्ठ, लिखना गलत होगा। इसी प्रकार अत्थ, सत्थ, सवच्छर, गिग्घ, बग्घ, गिण्ह, चिण्ह, रूप में ही लिखना उचित है।

(८) शब्द के बीच उद्धृत स्वर अ और आ के साथ 'य' भुक्ति का प्रयोग बिना किसी पूर्ववर्ती स्वर के विचार किए करना चाहिए। क्योंकि कहीं कहीं संस्कृत का 'य' भी मध्य में प्रयुक्त हो सकता है, जैसेकि—पयोयण (पयोहण)। 'व' के स्थान पर 'य' का प्रयोग केवल स्वर के पश्चात् होता है। अनुस्वार के पश्चात् 'व' ज्यों का त्यों रह सकता है, यथा—सचिय, खचिय, अचिय, आदि।

(९) हस्तलिखित पाण्डुलिपियों में अनुस्वार और अनुनासिक दोनों के लिए केवल एक ही अनुस्वार-चिह्न (̣) का प्रयोग मिलता है। इसलिए अपभ्रंश प्रश्नों का

सम्पादन करते समय आवश्यकता के अनुसार लिपिगत अनुनासिक चिह्न का (५) भी प्रयोग करना उचित कहा जा सकता है।

(१०) प्राकृत में संस्कृत के 'खलु' शब्द के लिए तीन रूप प्रयुक्त मिलते हैं—खु, नखु और हु। इनमें से हु और नखु का प्रयोग स्वर के पश्चात् किया जाना चाहिए। किन्तु खु का प्रयोग सदा अनुस्वार के पश्चात् होना चाहिए। छन्दगत मात्रा की दृष्टि से नखु के पूर्व का स्वर ह्रस्व होता है।

(११) अपभ्रंश में हु और हो के प्रयोग बहुत मिलते हैं। शब्द के अन्त में जुड़ने वाले इन हु और हो के प्रयोग हैं—णयरहु, नयरहो, हसहो, आयहो, दियहो (दिजस्य), आदि। 'हो' प्रत्यय षष्ठी विभक्ति के एकवचन का है। कहीं-कहीं काव्य में छन्द के अनुरोध से हो का ह्रस्व रूप 'हु' भी मिलता है। अतः छन्द का लक्षण ध्यान में रख कर हु या हो का प्रयोग करना चाहिए।

(१२) प्राकृत में संस्कृत 'अपि' के कई रूप मिलते हैं—पि, मि, वि, अवि। पि और मि के पूर्व निश्चय से अनुस्वार होता है। उदाहरण के लिए—खण पि, खण मि। किन्तु तह वि, किमवि, अवि, तथा किसी वाक्य या पक्ति के आरम्भ में णाम, किं वि, का प्रयोग उचित नहीं है। अपभ्रंश में भी पि, मि, वि, अवि, के प्रयोग मिलते हैं।

(१३) संस्कृत के इव के भी कई रूप मिलते हैं—व, व्व, विव, पिव, मिव, इव। इन में से कही कही पर पिव और मिव अनुस्वार के पश्चात् प्रयुक्त होते हैं, शेष नहीं। पक्ति या वाक्य के आरम्भ में इनका प्रयोग उचित नहीं है। इन को किसी शब्द से संयुक्त न कर अलग से लिखा जाना चाहिए।

(१४) संस्कृत के इति शब्द के भी कई रूप देखे जाते हैं—इय, इ, इदि, ति, त्ति, इत्ति। इन में से 'ति' का प्रयोग अनुस्वार के पश्चात् होता है और 'इ' का स्वर के पश्चात् 'त्ति' के पूर्व प्रायः 'इ' आता है। कभी कभी 'इत्ति' का प्रयोग सन्धि में भी होता है जैसे कि—तहेत्ति तथा किमिदि।

(१५) प्राकृतों में सामान्य रूप से किसी शब्द के आरम्भ में अथवा अनुस्वार के पश्चात् संयुक्त व्यञ्जन का प्रयोग नहीं होता। इसलिए वाक्य का प्रारम्भ 'य्वेव' से न ही कर 'एव' से हाना चाहिए। इसी प्रकार अनुस्वार के पश्चात् 'त च्वेव' लिखना चाहिए, न कि त च्वेव।

(१६) पि, ति, नखु, व्व, आदि अव्ययों को पूर्व शब्द से संयुक्त न कर अलग लिखना चाहिए।

हिन्दी में प्राचीन पाठ के सम्पादन में प्रायः अपभ्रंशसम्बन्धी उक्त नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। अन्य वर्तनीसम्बन्धी कुछ नियम निम्नलिखित हैं—

(१) ढोला मारू रा दूहा, कुत्तबशतक, आदि रचनाओं में प्रयुक्त मइ और मइ, इन दोनों में से 'मइ' का प्रयोग करना उचित होगा। क्योंकि अपभ्रंश तथा पुरानी दक्खिनी में आज तक 'मइ' का प्रयोग बना हुआ है। इस 'मइ' को फारसी लिपि

में लिख कर षडा जाए तो 'मै' परन्तु में जाता है। अतः इसी से हिन्दी में 'मै' प्रचलित हो गया।

(२) हिन्दी में परसगों कु, को, के, का, आदि को किसी शब्द से समुक्त न कर सबंधा अलग लिखना चाहिए।

(३) हिन्दी के पुराने गद्य में तथा अन्यत्र मिलने वाले में, मै, मे, रूपों में से 'मै' का प्रयोग करना उचित है। किन्तु मैं और कौं प्रयोग उचित ही हैं। इसी प्रकार 'सौं' का प्रयोग उचित मान्य होगा। परन्तु कै, कौ और के, में से पाठानुसार सन्धान कर लिखना चाहिए।

(४) हिन्दी में पुरानी हिन्दी तथा राजस्थानी में समान रूप से प्रयुक्त स्वार्थिक प्रत्यय 'रा' और 'डा' दोनों का प्रयोग होता है। किन्तु यदि 'जिय' से जियरा और 'हिय' से हियरा बनता है तो जियडा और हियडा लिखा जाना चाहिए। राजस्थानी की भाँति हिन्दी में जिवडा और हिबडा लिखना उचित नहीं होगा।

(५) ब्रजभाषा के किर्यारूपों में हस्तलिखित ग्रंथों में 'ओ' और 'औ' दोनों रूप मिलते हैं। इन में से 'ओ' लिखना उचित होगा, जैसे कि—सुन्यो, रझो, बर्यो, लिख्यो आदि।

(६) अपभ्रंश की भाँति हिन्दी में भी पचम वर्णों के लिए सामान्य रूप से अनुस्वार (ः) का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(७) हिन्दी में शुक्लपक्ष के लिए 'शुदि' और कृष्णपक्ष के लिए 'बदि' शब्द लिखना उचित होगा। क्योंकि सस्कृत के शुक्लपक्ष शब्द का सक्षित 'शु' और 'दिवस' का सक्षित 'दि' से मिल कर शुदि बना है। इसी प्रकार बहुलदिवस का सक्षित 'बदि' है। हिन्दी में और विशेषकर उत्तर भारत में 'श' का उच्चारण प्रायः 'स' होता है, इसलिए शुदि को सुदि लिखना तो उचित कहा जा सकता है, कि तु सुदी, वदी लिखना उचित नहीं होगा।

(८) अन्य भाषाओं से ग्रहण किए गए शब्दों को हिन्दी प्रकृति के अनुसार प्रयुक्त कर उन के एकवचन, बहुवचन आदि रूप बनाए जा सकते हैं जैसेकि—मेजें, मेजों पर, लालटेन, चिमनियों से, हेल्मीकाप्टरों में, बुझटों पर, इत्यादि। किन्तु भ्रम व अज्ञान के कारण अपनी भाषा के शब्द जब अंग्रेजी उच्चारणों के साथ उच्चरित होते हैं तब वे तागा से टागा, किधर से किधर, इक्का से एक्का, घोड़ी से घोड़ी और घोती से टोटी एव सत से सट बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें तागा, किधर, इक्का, घोड़ी, घोती तथा सन्त शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए।

वर्तनी की दृष्टि से हिन्दी के शुद्धशुद्ध शब्दों की सूची इस प्रकार है—

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
प्रसित	प्रस्त	सन्मान	सम्मान
क्रियोपयोगी	स्थुपयोगी	जियोचित	स्थुचित

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
सुजन	सर्जन	एकत्रित	एकत्र
महत्त्व	महत्त्व	उज्ज्वल	उज्ज्वल
स्वादिष्ट	स्वादिष्ठ	बलिष्ठ	बलिष्ठ
घनिष्ठ	घनिष्ठ	गरिष्ठ	गरिष्ठ
जैनी	जैन	सुसोभित	सोभित
आवश्यकीय	आवश्यक	सन्मुख	सन्मुख
प्रगट	प्रकट	पृष्ट	पृष्ठ
गृहस्थी	गृहस्थ	वानप्रस्थी	वानप्रस्थ
उपरोक्त	उपर्दुक्त	सुभ्रूषा, सुभ्रूषा	शुभ्रूषा
वैसे ही	वैसे	उसी प्रकार	उस प्रकार
जागृत	जाग्रत	आधीन	अधीन
सराहनीय	श्लाघ्य, श्लाघनीय	निर्भर	अवलम्बित
औषधि	औषध, ओषधि	सिंचित	सिक्त
उपरान्त	अनन्तर, पश्चात्	महानता	महत्ता
अनुवादित	अनूदित	अहर्निश	अहर्निशि
अताक्षरी	अन्त्याक्षरी	रोचात्मक	रोचक
क्रपाण	कृपाण	अह्लिया	अह्ल्या
अतर्प्यान	अन्तर्धान	अतरप्रातीय	अन्त.प्रान्तीय
स्वीज	स्वीक्ष	अधोपतन	अध पतन
क्षत्र	छत्र	उपाहार-गृह	उपाहार गृह
घटा	घण्टा	क्रोधित	क्रुद्ध
धैर्यता	धीरता, धैर्य	सौन्दर्यता	सुन्दरता, सौन्दर्य
वैमनस्यता	वैमनस्य	स्थार्ई	स्थायी
निरोगी	नीरोग	श्रंगार	शृंगार
फिजूल	फञ्जूल	बारात	धरात
मनोकामना	मन कामना	पूज्यनीय	पूज्य, पूजनीय
ऐक्यता	एकता, ऐक्य	अनुग्रहीत	अनुग्रहीत
रसायण	रसायन	पाण्डेय	पाण्डेय
बाजपेयी	बाजपेयी	प्रदर्शनी	प्रदर्शनी
सुस्वागत	स्वागत	व्योहार	व्यवहार
लुडकना	लुडकना	ठढा	ठढा
आधृत	आधारित	राजनयिक	राजनैतिक
सत्त्व	सत्त्व	तत्त्व	तत्त्व
लढायी	लढाई	नयी	नई

असुख	असुख	असुख	असुख
अभी ही	अब ही, अभी	अभी ही	अब ही, अभी
खाइये, दीखिये	खाइए, दीखिए	खोइये, उठिये,	खोइए, उठिए
छात्राये	छात्राएँ	उपनिषद्	उपनिषद्
सन्धासी	सन्धासी	उत्सव	अनृण
क्रिया	कृपया	शब्दकोष	शब्दकोष

(९) हिन्दी में संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग संयुक्त रूप में ही करना चाहिए । संयुक्त व्यंजन के स्थान में अनुस्वार (ँ) का प्रयोग करना उचित नहीं होगा । अतएव नन्हा, कन्हैया, चिहित आदि शब्दों को नहा, कइया, चिहित आदि रूपों में लिखना ठीक नहीं है ।

(१०) संस्कृत के शब्दों को उनके रूपों में ही लिखना चाहिए, जैसेकि—स्थायी, विषयायी, सदाशायी, शेषशायी, अनुदायी, जन्मदायी, विधायी, इत्यादि । इन शब्दों के अन्त में 'यी' लिखना चाहिए, न कि 'ई' ।

(११) संस्कृत के चिह्न, ब्रह्म, कर्ता, शुद्ध, प्रवृत्ति, उत्तर, पद्धति, आदि शब्दों को चिन्ह, ब्रम्ह, कर्ता शुध्ध, प्रवृत्ति, उत्तर, उत्तर, पध्धति आदि रूपों में लिखना उचित नहीं होगा ।

(१२) विराम चिह्नों के प्रयोग में कुल लोग हिन्दी के पूर्णविराम '।' के स्थान पर अंग्रेजी के पूर्णविराम ' ' का प्रयोग करते हैं, जो उचित नहीं है । इसी प्रकार उर्दू के पूर्णविराम '—' का प्रयोग भी उचित नहीं कहा जा सकता ।

(१३) हिन्दी में विभक्तियाँ तथा परसग शब्दों से हटाकर ही लिखना चाहिए, क्योंकि वे स्वतन्त्र कारक चिह्न हैं । सर्वनामों में भी परसगों का प्रयोग अलग से लिखा जाना चाहिए, जैसेकि—उस में, उस ने, उस का, आदि । मैंने, मुझे, हमें आदि इस के अपवाद हैं ।

(१४) मुद्रण की दृष्टि से अब 'अ—अ' में से 'अ' को अपनाना उचित होगा । किन्तु 'ल—ल' में से 'ल' का लिखना ही ठीक होगा । परन्तु 'ण—ण' में से 'ण' का प्रयोग उचित कहा जा सकता है । क्योंकि 'ख' के लिखने से कभी-कभी 'र' का भ्रम हो जाता है । फिर, टंकन तथा मुद्रण की दृष्टि से 'ण' सरल है । इसी प्रकार 'झ—श' में से 'श' लिखना चाहिए ।

(१५) मुद्रण तथा टंकन (टाइपराइटर) में निम्नलिखित चिह्नों को सम्मिश्रित करना आवश्यक होगा । क्योंकि अनुनासिक चिह्न कुजीपटल में नहीं होने से कहीं कहीं अर्थ का बड़ा अनर्थ हो जाता है, जैसेकि—साँचे को साचा, माँग को भाग, हँसी को हंसी आदि । केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने भी इन चिह्नों को मानक देवनागरी में सम्मिश्रित करने का निदेश दिया है । ये चिह्न हैं—

(), + × ÷ * = ~ % “ ” ~

(२) शब्दरूप सम्बन्धी एकरूपता

उच्चारण के भेद के कारण हिन्दी-शब्दों के कई रूप लेखन में भी प्रचलित दिखाई पड़ते हैं। एक अस्पताल शब्द को कोई हॉस्पिटल लिखता है तो कोई हस्पताल। दिल्ली का 'हस्पताल' बनारस तक पहुँचते पहुँचते 'अस्पताल' हो जाता है। वास्तव में अस्पताल हिन्दी का शब्द बन गया है। आगरा का हास्पिटल रोड अथवा दिल्ली का हस्पताल 'होस्पिटल' शब्द का अधानुकरण मात्र है। इसे समझने के लिए कुछ अन्य शब्दों के उदाहरण हैं—बम को बूम, अलमारी को एलमिरा, स्यूटनिक को स्पूटनिक और लालटेन को लेटन कहना जिस प्रकार ठीक न होगा, उसी प्रकार अस्पताल को हस्पताल। इसी प्रकार स्तुर्त्वा को स्टुर्टावेन्ट, रोजर्स को रोगर्स, व्हिटमेन को व्हाइटमेन, लेमन को लेहमन तथा चटर्जी को चाटुर्ज्या लिखना उच्चारण की दृष्टि से ठीक नहीं है। इस प्रकार की सब से अधिक गड़बड़ी सरयावाचक शब्दों में देखी जाती है। भिन्न भिन्न प्रान्तों के क्षेत्रीय अचलों में बोली भेद के कारण पचहत्तर को पिचत्तर, पिचहत्तर, पचोत्तर, पिचोत्तर, तथा पचहत्तर, आदि अनेक रूपों में बोला लिखा जाता है। इसी प्रकार उनचालीस को गुनचालीस, गुणचालीस तथा सतत्तर, सतहत्तर, सतहतर, सत्रोत्तर, आदि रूपों में लिखा हुआ मिलता है। अकेले मध्यप्रदेश में मालवी, निमाडी, बुन्देली, छत्तीसगढ़ी, हल्बी, आदि बोलियों का उच्चारणगत पूरा प्रभाव इन सरयावाचक शब्दों पर परिलक्षित होता है।

संस्कृत की भाँति हिन्दी के शब्दों में भी मात्रा तथा ध्वनि भेद से अर्थ में बहुविध परिवर्तन देखा जाता है। इसलिए प्रत्येक शब्द को अपने ठीक रूप में लिखना चाहिए, जैसेकि—पैठ और पैठ, पैड और पैड, पग और पैग, गड़ना और गठना, नसीला और नशीला, गठीला और गठीला, गसीला और गसीला, गधीला और गधीला, त्रसित और तमित, सेंट और सेट, पेंट और पेट, सेंक और सेक, इत्यादि।

हिन्दी में जो शब्द अंग्रेजी से अपनाए गए हैं, उन में नुक्के का प्रयोग बेंजीन, बेंजोल, सिंजोल आदि में हिन्दी में 'जेड' (Z) ध्वनि न होने के कारण किया जा रहा है। इसी प्रकार से फारसी ध्वनियों के प्रचलन में अभी तक कहीं कहीं हिन्दी में नुक्के का प्रयोग होता है। प्रायः अन्य भाषाओं के शब्दों को उच्चारण करते समय उन की ध्वनि के सम्यक् उच्चारण के लिए ऐसा करना आवश्यक होता है। हिन्दी में डॉक्टर, ऑफर, कॉलेज, शॉर्ट और कौंटज आदि में शिरोरेखा के ऊपर एक चन्द्र चिह्न (°) का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि वह ध्वनि अय भाषा की है और उसका उच्चारण 'आ' से किञ्चित् भिन्न है। अतएव इन नई ध्वनियों के लिए ध्वनिविषयक संकेत चिह्नों का प्रयोग उचित ही कहा जाएगा।

(३) प्रयोगसम्बन्धी एकरूपता

प्रयोगविषयक अनेकरूपता का कारण जहाँ क्षेत्रीय प्रभाव बतलाया जाता है, वहीं भ्रम और अज्ञान भी है। हिन्दी में संस्कृत के अनेक प्रचलित शब्द प्रयोग अशुद्ध मिलते

हैं। वर्तनी के कारण नहीं, शब्द-रचना की दृष्टि से भी देखा-देखी कई शब्दों के एक बार चलन में आ जाने पर आज उनका बोलबाला हो गया है। यही नहीं, आजकल परिभाषा करने, धन्यवाद करने, आशीर्वाद करने और भगल करने की प्रथा बढ़ती आ रही है। दरअसल के लिए दरअसल में, दर हकीकत के लिए दर हकीकत में और सचमुच के लिए सचमुच में बोलना, लिखना साधारण-सी बात हो गई है। इसी प्रकार लोब खालिस को निखालिस बोलते हैं और अरमूद को अमरूद। महानका और याञ्चा की तो बात ही मत पूछिए। सम्भव है कि संस्कृत वाले भी भविष्य में कभी हिन्दी की 'महानता' से प्रेरित हो कर 'महत्ता' और 'याञ्चा' का परित्यग कर दें। यही नहीं, हिन्दी के अच्छे विद्वान् भी जब 'छठा' के लिए छठवाँ और संस्कृत में 'षष्ठ' की बजाय 'षष्ठम' लिख देते हैं तो देख कर आश्चर्य होता है। यही हाल जागरित, सगृहीत, सौदामिनी, द्रष्टव्य, सर्जन, सृष्टा और छन्दोविधान का है। इन के स्थान पर हिन्दी में षड्वले से जागृत, सप्रहीत, सौदामिनी, दृष्टव्य, सृजन, सृष्टा और छन्दविधान शब्द प्रयोग चलते हैं। यथार्थ में ये संस्कृत के शब्द-प्रयोग हैं।

हिन्दी में संस्कृत के प्रचलित शब्द-प्रयोग

हिन्दी में संस्कृत के प्रचलित शब्द प्रयोगों पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है कि अनेक शब्द प्रयोग शुद्ध रूप में प्रयुक्त नहीं होते। इसीलिए जब तथाकथित विद्वान् भी 'महत्तम' की जगह पर 'लघुत्तम' और 'बृहत्तर' के सादृश्य पर 'लघुत्तर' जैसे अशुद्ध प्रयोग करते हैं तो आश्चर्य नहीं होता। यही नहीं, अब 'लब्धप्रतिष्ठित' विद्वानों को आमन्त्रित किया जाने लगा है और उनकी उपस्थिति 'प्रार्थनीय' लिखी जाती है। संस्कृत में मूल शब्द है—महत्। उस के साथ 'तम' प्रत्यय जोड़ कर (महत् + तम) महत्तम शब्द बनता है। किन्तु 'लघुत्तम' में मूल शब्द है—लघु। 'तम' जोड़ने से (लघु + तम) 'लघुतम' बनेगा, न कि लघुत्तम और इसी तरह लघुतर होगा। इसी प्रकार शुद्ध शब्द प्रयोग है—लब्धप्रतिष्ठ। इस का अर्थ है—प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठा प्राप्त। 'प्रार्थनीय' के स्थान पर 'प्रार्थित' लिखना उचित होगा। क्योंकि प्रार्थनीय का अर्थ है—प्रार्थना के योग्य।

हिन्दी में प्रचलित संस्कृत शब्द रूपों में सचि सम्बन्धी गडबडी विशेष रूप से पाई जाती है। उदाहरण के लिए—संस्कृत का एक शब्द 'पुनर्विबेचन' है। संस्कृत के व्याकरण की दृष्टि से यह शुद्ध शब्द है। हिन्दी में इसी के दरें पर कुछ लोग 'पुनसशोधन' और 'पुनसोध' लिखने लगे हैं, जो कि अशुद्ध हैं। इस सम्बन्ध में व्याकरण का सामान्य नियम यह है—यदि पहले शब्द के अन्त में 'अ' और 'आ' हो तो उन्हें छोड़ कर शेष स्वरों से आगे विसर्ग तथा अन्य शब्द में व्यञ्जन हो तो विसर्ग को रेफ हो कर ऊर्ध्वगामी होती है, उदाहरणार्थ—पुनर्जन्म। पुन + जन्म में पुन के अन्त में 'अ' और विसर्ग हैं और जन्म शब्द का पहला अक्षर व्यञ्जन है, इसलिए विसर्ग को रेफ हो गया। परन्तु पुनः + सम्भव में 'अ' के पश्चात् विसर्ग होने पर भी उसे रेफ नहीं होता। क्योंकि विसर्ग सम्बन्धी विशेष नियम यह है कि क,

श, ष तथा षों के प्रथम, द्वितीय वर्षों के (क, ख, घ, ङ) आगे विसर्गों की सन्धि या उन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। अतएव पुनःसम्भव, यद्य-कीर्तन रूप ही शुद्ध माने जाते हैं। इसी प्रकार अन्तःस्थाप्य लिखना चाहिए, न कि अन्तर्स्थाप्य।

मूल शब्दों का ज्ञान न होने से प्रायः गड़बड़ी देखी जाती है। 'सुस्वागतम्' का प्रयोग इसी प्रकार का है। यह शब्द 'गम्' धातु में 'आ' उपसर्ग जोड़ कर कृदन्त रूप 'आगत' के प्रारम्भ में 'सु' प्रत्यय लगा कर 'सु + आगत' से मिल कर बना है। 'सु' का अर्थ है—अच्छा, भला। आगत का अर्थ है—आए। स्वागत का अर्थ है—भले पधारे। 'स्वागत' का 'सु' सन्धि के कारण 'स्व' हो जाता है। अतः जब एक सु पहले से विद्यमान है तब दूसरे 'सु' को जोड़ने की क्या आवश्यकता है? ये प्रयोग भले ही जनता की जुबान पर चढ़ गए हों, किन्तु भाषा की दृष्टि से अशुद्ध ही कहे जाएँगे। यही हाल अभी भी, सभी भी आदि का है। कुछ लोग कह सकते हैं कि किसी शब्द पर बल देने के लिए ऐसा बोला, लिखा जाता है। परन्तु क्या अब भी, सभी में बलपूर्वक कहने की सामर्थ्य नहीं है? ये शब्द प्रयोग ऐसे ही समझने चाहिए, जैसेकि—रामगिरि पहाड़, विंध्याचल पर्वत, मलयगिरि आदि। इन सब में पुनरुक्ति स्पष्ट है।

हिन्दी में संस्कृत से आए हुए शब्दों में भाववाचक सज्ञा की भी गड़बड़ी बहुत मिलती है, जैसेकि—सुन्दर शब्द से भाववाचक सज्ञा बनती है—सौन्दर्य। किन्तु कुछ लोग उस में 'ता' प्रत्यय जोड़ कर शायद विशेष 'सौन्दर्यता' निहारते हैं। सुन्दर की सुदरता तो ठीक है, पर सौदर्यता कहाँ से आ गई सो समझ में नहीं आती। इसी प्रकार 'चतुर' से 'चातुर्य' और 'उदार' से 'औदार्य' भाववाचक सज्ञा शब्द बनते हैं, किन्तु हम 'चातुर्यता' और 'औदार्यता' से काम चलाने लगे हैं। तब क्या यह समझा जाए कि चतुरता और उदारता में चतुराई तथा उदात्तता नहीं रह गई है? हिन्दी में नैपुण्यता, दाक्षिणात्यता, कार्माण्यता, कार्पण्यता और भ्रामिकता आदि ऐसे ही शब्द हैं, जिन में 'ता' प्रत्यय केवल हिन्दीपन बताने के लिए जोड़ दिया है। सही रूप में ये शब्द हैं—निपुणता या नैपुण्य, दाक्षिणात्य, कार्मण्य, कृपणता या कार्पण्य, भ्रामिक आदि।

हिन्दी में 'भवत्' शब्द से बना हुआ 'भवदीय' का जैसा चलन है वैसे 'यावदीय' प्रयोग भी देखने में आया है। वास्तव में संस्कृत व्याकरण के अनुसार 'यावतीय' बनता है, यावदीय नहीं।

आजकल स्पन्द और निस्पन्द जैसे प्रयोग बहुत चल रहे हैं, किन्तु व्याकरण के अनुसार 'नि + स्पन्द' से निस्पन्द शब्द सम्पन्न होता है। अतः निस्पन्द शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए। उसके स्थान पर निष्पन्द या स्पन्द लिखना उचित नहीं होगा।

संस्कृत के मूल शब्द की अनभिन्नता के कारण होने वाली भूलें इस प्रकार हैं—
मूल शब्द है—पृथक् । किन्तु भस्मीभूत, पिप्पीभूत, ऋषीभूत आदि की बनावट पर
पृथकीभूत, अन्तरीभूत और बहोभूत आदि अशुद्ध शब्दों का भी प्रचलन हो गया है ।
व्याकरण के अनुसार 'पृथक्' से 'पृथग्भूत', 'अन्त' से 'अन्तर्भूत' और 'यश्च' से
'यश्च भूत' बनेगा । इसी प्रकार कुछ लोग 'बाह्येन्द्रिय' की जगह पर 'अन्तरेन्द्रिय' का
प्रयोग करने लगे हैं । किन्तु अन्त + इन्द्रिय इन दोनों शब्दों को संयुक्त करने पर
'अन्तरिन्द्रिय' बनता है, न कि अन्तरेन्द्रिय । इसी तरह से 'अन्तर्प्रान्तीय' शब्द भी
भ्रामक है । अन्त + प्रान्तीय का संयुक्त रूप 'अन्त प्रान्तीय' ही बनेगा । हाँ,
अन्तर्देशीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय लिखना तो ठीक है, परन्तु अन्त-प्रान्तीय अर्थ की दृष्टि
से लिखना उचित न होगा ।

हिन्दी में संस्कृत के शब्दों के अपनाने की अधानुकरण प्रवृत्ति तथा मिथ्या सादृश्य
के कारण इस प्रकार के असाधु प्रयोग प्रचलित हो गए हैं । कम से कम इन शब्दों
को अपनाने में मूल शब्द का ज्ञान तो होना ही चाहिए । यद्यपि किसी भी समृद्ध
भाषा से शब्दों को ग्रहण कर अपनी प्रकृति के अनुसार ढालना बुरा नहीं है, किन्तु
अधानुकरण व मिथ्यासादृश्य की प्रवृत्ति उचित नहीं होगी । उदाहरण के लिए—
संस्कृत में 'पक' शब्द से 'इल्लिच्' प्रत्यय का मेल होने से 'पकिल' शब्द निष्पन्न होता
है । इसी प्रकार पेनिल और धूमिल भी बनाए जा सकते हैं, किन्तु रोमिल नहीं
बनता है । क्योंकि मूल शब्द 'रोमन्' है, 'रोम' नहीं । हिन्दी में हलन्त शब्द नहीं
हैं, किन्तु संस्कृत में हैं और इनकी विशेष व्यवस्था है । हिन्दी वालों को इस का ज्ञान
नहीं है, इसलिए प्रायः ऐसी भूलें होती हैं ।

इसी प्रकार संस्कृत शब्द-रचना में एक मात्रा का भी अन्तर आ जाने से अर्थ-भेद
हो जाता है जैसेकि—पिगल—पिंगला । यहाँ पर 'पिंगला', पिंगल शब्द का स्त्रीलिंग
रूप नहीं है । उसका अर्थ दिग्गज की स्त्री है । इसी तरह का सिध्मल और सिध्मल
है । 'सिध्मल' सेहुए रोग को कहते हैं, और 'सिध्मला' सूखे मांस का वाचक है ।
हिन्दी में भी कुछ इस प्रकार के शब्द प्रचलित हैं—गद गदा, फन-फना, मन मना,
घन घना, नाम-नामा, जन जना, कम कमा, इत्यादि ।

हिन्दी में संस्कृत के अशुद्ध प्रयोग केवल कहानी-उप-यासों में ही नहीं, कविताओं
और काव्यों में भी सरलता से मिलते हैं । उन सब की चर्चा करना उचित नहीं होगा ।
यहाँ केवल हरिऔषधी के प्रिय प्रवास की एक पक्ति है—

आके पूरा सदन उसने सौरभीला बनाया ।

संस्कृत में 'सुरभि' शब्द से भाववाचक सश शब्द निष्पन्न होता है—सौरभ ।
किन्तु उक्त पंक्ति में 'सुरभि' से 'सुरभिला' (पनीला, लकीला, गँठीला की भाँति) न
होकर 'सौरभीला' का प्रयोग हुआ है, जो अशुद्ध है । इसी प्रकार 'वातुल' शब्द का
प्रयोग है । संस्कृत का शुद्ध शब्द 'वात्ल' है । 'वात्ल' का अर्थ बचकर या वायु

सहने वाला है। हिन्दी में यह संयुक्त, अनुकूल, अभिमूल आदि के अनुकरण पर प्रचलित ज्ञान पड़ता है। ऐसे और भी कई शब्द प्रयुक्त मिलते हैं, जो संस्कृत के व्याकरण के अनुसार हिन्दी में अशुद्ध रूप में प्रचलित हैं।

भाषागत भूलों के प्रयोग

पत्रिका में प्रकाशित एक वाक्य है—

‘हमें विश्वास है डॉ० कोठिया के मन्त्रीत्व में ग्रन्थमाला इसी तरह के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन करेगी।’ इस में लेखक का भाव यह है कि उन के मन्त्री बने रहने के समय में ग्रन्थमाला से महत्त्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित होंगी। किन्तु समयवाचक शब्द न होने से वाक्य में अधूरापन है।

एक पुस्तक में प्रकाशित वाक्य है—

‘मगर देवीजी मर जाना जितना आसान समझती थीं और लोग न समझते थे।’ इस वाक्य में लेखक के भाव के अनुसार ‘जितना आसान समझती थीं उतना और लोग न समझते थे’ होना चाहिए। क्योंकि जितना का सम्बन्ध उतना से है। वाक्य में दोनों का प्रयोग आवश्यक रूप से होता है। यदि ऊपर के वाक्य में ‘उतना’ शब्द न जोड़ा जाए तो अर्थ यह निकलता है कि और लोग मरना ही नहीं समझते थे। ‘जितना’ शब्द सरयावाचक विशेषण है और इसका सम्बन्ध आसान से है, इसलिए उतना आसान नहीं समझते थे, यह भाव प्रकट होना चाहिए।

इसी प्रकार एक वाक्य यह भी देखने में आया—‘मैंने जाना है।’ वास्तव में ‘मुझे जाना है’ लिखना चाहिए। क्योंकि हिन्दी में जाना, आना, ले जाना, ले आना इत्यादि एव अकर्मक क्रियाओं के सामान्य भूत काल में ‘ने’ का प्रयोग नहीं होता। इसलिए वह गया, मैं आया लिखा जाता है न कि उसने गया, मैंने आया। जानने के अर्थ में ‘मैंने जान लिया है’—होगा।

कहीं कहीं भ्रमपूर्ण वाक्य भी लिखे हुए मिलते हैं, जैसेकि—‘इस पुस्तक के बीच बीच में सतों के जीवन के मानवीय प्रसंग भी दिये गये हैं।’ इसका मतलब यह निकला कि सतों के जीवन में कुछ अमानवीय प्रसंग भी थे, किन्तु उन को छोड़ कर और बातों के साथ मानवीय प्रसंग भी दिए गए हैं। ‘मानवीय’ और ‘प्रसंग’ दोनों ही शब्द भ्रम उत्पन्न करने वाले हैं।

इसी प्रकार ‘वे हिन्दी आलोचना के धूमकेतु हैं। उनकी विशाल हृदयता के अनर्घ्य को हम लोग कभी नहीं भुला पायेंगे।’ धूमकेतु का अर्थ है—पुच्छल तारा। यह शब्द अमंगल का सूचक है। अतः धूमकेतु कहना ठीक नहीं है। ‘विशाल हृदयता’ भी चित्त प्रयोग है। क्योंकि हृदय का विशेषण ‘विशाल’ लिखना पर्याप्त है। और फिर, ‘अनर्घ्य’ का पूछना ही क्या—मूल्यहीन अर्थ का वाचक है। पूरा वाक्य ही भ्रमपूर्ण है।

हिन्दी के विद्वान् का एक वाक्य है—‘हाँ, स्मर के बाण—मुलमुहर, मडिका, शिरीष, अमलतास और जूही, चमेली, बेला से गुँथी अलकों में से बराबर त्पीरित दिखायी पड़ते थे।’ इसमें ‘त्पीरित’ प्रयोग चिन्व है। त्पीर का अर्थ है—तरक़ा। जिसमें बाण भरा जाता है उसे त्पीर कहते हैं। त्पीर से विशेषण त्पीरित नहीं बनता। फिर, त्पीरित कहने का अभिप्राय क्या ? तरक़ा जैसे दिखलाई पड़ रहे थे। समान अर्थ में ‘इत्तच्’ प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है यह तो शब्द से शब्दित जैसा बनाया गया कोई प्रयोग है, जैसे कि—पुरवैया से दखिनैया।

भाषा अक्षति के कई उदाहरण पुस्तकों में मिलते हैं। ऐसा ही एक प्रयोग है—वे करोड पर करोड हैं और दूर दूर देशों में फैले हुए हैं। ‘क्या करोडों पर करोड’ कहने से ही भाव निकलता है—केवल करोडों कह देने से बात स्पष्ट नहीं हो जाती है। इसी प्रकार का एक वाक्य है—‘नील मसृण पत्तियाँ और सूख्यम शिखान्त।’ वाक्य में न कोई क्रियापद है और न शिखान्त को बतलाने वाला कोई उपमानवाचक शब्द। अतः यह वाक्य कविता की कोई पत्ति बन कर रह गया है। इसी प्रकार का एक वाक्य और है—‘जब मनुष्य के हृदय और बुद्धि की परिधि परिवार ही था तब उसी के सुसाधन संरक्षण तक उसकी आस्था सीमित थी।’ यहाँ पर ‘परिवार ही थी’ के स्थान पर ‘परिवार तक थी’ और ‘तक’ के स्थान पर ‘में’ होना चाहिए। इसी तरह का एक अन्य वाक्य है—‘अनेकों परम प्रचलित शब्दों के रूप भी स्थिर नहा है।’ इस में ‘अनेकों’ शब्द ठीक नहीं है। हिन्दी में ‘अनेक’ शब्द बहुवचन है। अतः बहुवचन सूचक विभक्ति चिह्न जोड़ना उचित नहीं है। आजकल कुछ लोग ‘अनेकानेकों’ भी लिखने लग गए हैं, जो बिल्कुल अशुद्ध है। क्या अनेक लिखने से काम नहीं चल सकता है ?

कभी कभी भाषा में अनावश्यक शब्द प्रयोगों से भी कह प्रकार की भूलें हो जाती हैं। उदाहरण के लिए—‘इस पुस्तक में अन्दर लिखा है।’ इस वाक्य में अन्दर शब्द का प्रयोग निरर्थक है। मे का अर्थ है—अन्दर, भीतर। इसी प्रकार—‘मेरे विचारों के अन्दर फक है’ के स्थान पर शुद्ध वाक्य होगा—‘मेरे विचारों में फक है।’ तथा—‘इस गली पर कूड़े का ढेर है’ की बजाय होना चाहिए—‘इस गली में कूड़े का ढेर है, अथवा इस गली के नुक्कड़ पर कूड़े का ढेर है।’

यद्यपि हिन्दी में ‘कलकत्ते’ और ‘आगरे’ की बात पुरानी पड़ गई है, पर मालवे की बात नई है। इसलिए जन्न यह कहा जाता है कि ‘यह मालवे का प्रसिद्ध गेहूँ है’ तो इसका अर्थ होता है कि मालवे की भूमि में उत्पन्न गेहूँ है इस वाक्य में सम्बन्ध कारक नहीं है, किन्तु षष्ठी विभक्ति अवश्य है। इसी प्रकार के प्रयोग ‘मालवा’ जैसे आकारान्त शब्दों के देखे जाते हैं और सामान्य रूप से उन शब्दों के अन्त का ‘आ’ विभक्ति के कारण (न कि सम्बन्ध कारक से) ‘ए’ में परिवर्तित हो जाता है। अतएव यदि यह कहा जाए कि ‘पटने में बाढ़ आइ है’ तो क्या अनर्थ हो जाएगा ?

इसी प्रकार ‘आगरे की दालमौठ’ कहने का अभिप्राय होता है—आगरा में बनी

सूई दारुमोंट । वास्तव में वे सविभक्तिक प्रयोग हैं । हिन्दी में कर्ता कारक में प्रायः निर्विभक्तिक प्रयोग होते हैं । इसलिए 'पटना एक औद्योगिक नगर है' में पटना शब्द का व्यवहार होता है । हिन्दी में लगभग सभी आकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों की यही स्थिति है । अतएव यह कहना कि 'कलकत्ते' कहना ठीक है पर 'आगरे का पेठा' और 'मालवे का गेहूँ' कहना उचित नहीं है, केवल बुद्धि भ्रम का परिचय देना होगा । भाषा के चलते हुए प्रयोगों को कोई नकार नहीं सकता । हाँ, कारण की छान-बीन अवश्य करनी चाहिए । 'दतिए की मिठाइ' और 'खजुराहे की मूर्तियाँ' तथा 'दिलवारे के प्रसिद्ध मन्दिर' जैसे प्रयोग हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं । तो क्या ये सब गलत हो जाएँगे ? भाषा को हम अपनी चाह से नहीं चला सकते ? यह तो स्वाभाविक रूप से गतिशील है ।

हिन्दी में एक विभक्ति या परसर्ग के बाद दूसरा परसर्ग आ सकता है । इसलिए यह सोचना उचित नहीं है कि इस प्रकार के प्रयोग कैसे बन सकते हैं ? उदाहरण के लिए—'मैं अभी भीड़ में से आया हूँ ।' इसका मतलब है कि मैं इसी समय भीड़ के भीतर से आया हूँ । इसी प्रकार 'ऊपर जाने के लिए इस कमरे के भीतरी भाग में से हो कर जाइये । इत्यादि ।

'किसी उन्नतशील राष्ट्र की पहिचान है—सांस्कृतिक चेतना का प्रसार ।' यहाँ समास की भूल है । 'उन्नतशील' के स्थान पर 'उन्नतिशील' होना चाहिए । इसी प्रकार 'मानव, तुम सब से सुन्दरतम हो ।' इस वाक्य में 'सब से सुन्दरतम' के स्थान पर सब से सुन्दर या सुन्दरतम होना चाहिए । तथा—'वे बड़े अच्छे अध्यापक हैं'—इस में 'बड़े' के स्थान पर 'बहुत' का प्रयोग ठीक होगा । एव—'मैंने उसे दौड़ में जीत लिया' कहने की बजाय पराजित कर दिया, या पछाड़ दिया, कहना ठीक होगा । इसी तरह—'ऐसा करने पर कोई हानि नहीं है ।' 'पर' परसर्ग के स्थान पर 'में' का प्रयोग उचित होगा ।

'मैं प्रातःकाल के समय उसके साथ घूमने जाता हूँ ।' में 'समय' शब्द के लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है । इसी प्रकार के प्रयोग हैं—'कृपया उत्तर शीघ्र देने की कृपा करें । यही कारण है कि देश की भाषा एक न होने के कारण भावात्मक एकता नहीं लक्षित होती । वे उपाधिवितरणोत्सव के समारोह में नहीं पहुँच सके । आज की वर्तमान स्थिति में अनुशासनहीनता दिनोदिन बढ़ती जा रही है । केवल इसीलिए वह नहीं आया ।

वाक्य योजना में भी कई प्रकार की भूलें मिलती हैं, जैसेकि—'उन के आसन ग्रहण करने पर उसने एक फूल की माला पहिनाई ।' इस में 'एक फूल की माला' न कह कर 'फूल की एक माला' कहना चाहिए था । इसी प्रकार—'एक वसन्त की बात सुनाता हूँ ।' वाक्य यों होना चाहिए—'वसन्त की बात सुनाता हूँ ।' 'अजी ! विदेशी सिलार्ह के धागे लेंते आना ।' कहने की बजाय 'सिलार्ह के

विदेशी भाषाओं से कहे जाने लगे हैं। इसी प्रकार 'स्वतन्त्रता के पञ्चाद' भारत को जिस इतिहास की आवश्यकता थी, वह बीस वर्ष बीस जाने पर भी हमें नहीं मिला सका। 'इतिहास' शब्द के स्थान पर 'इतिहास-लेखन' तथा 'बीस वर्षों' के स्थान पर 'बीस वर्षों' होना चाहिए। पूरा वाक्य ही लम्बर है। इस तरह के अनेक वाक्य पुस्तकों तथा सत्र-पत्रिकाओं में पढ़ने को मिलते हैं।

कुछ पुस्तकों में विषयगत शीर्षकों में अर्थ की अशुद्धता लक्षित होती है। उन नाम से पूर्ण अर्थ अभिव्यक्त नहीं होता। उदाहरण के लिए—'भीली और भाषाई अपवस्थीकरण', 'हिन्दी समास और व्याकरण के चिह्न', 'भारत और कोरिया की सन्धि-वार्ता', 'पारिवारिक वर्गीकरण और हिन्दी', 'काया उसकी नस्वरता', यहाँ 'और' शब्द के स्थान पर विसमात्मक या समानसूचक चिह्न () का प्रयोग उचित नहीं है। इसी प्रकार 'प्रतिशास्त्रों में प्राप्त भाषावैज्ञानिक कार्य', 'भाषावैज्ञानिक कार्य' के स्थान पर 'भाषाविषयक अध्ययन' उचित होगा। इसी तरह से 'पाणिनि के उपरान्त वैयाकरण' में 'उपरान्त' के स्थान पर 'पश्चात्' होना चाहिए।

कुछ शिथिल और अपूर्ण वाक्य भी देखने को मिलते हैं, जैसेकि—शिक्षा की जितनी दुदशा हो रही है पहले कभी नहीं हुई। उन्होंने विश्वास दिखाया कि पहले भी यह प्राप्त हुआ था और आगे होता रहेगा। राजनीति में पढ़ने वाले आलोचना के पात्र होते हैं। समय से लाभ उठाकर देशवादी भक्त कहलाते हैं। बगला का सर्वनाश याह्या खों के वक्तव्यों का परिणाम है। सूचना और शक्ति के भाषा के रूप में हिन्दी अंग्रेजी के सामने टिक नहीं सकती। हिन्दी साम्राज्यवाद, भाषावाद और उसका राष्ट्रीयता विरोधी प्रभाव, आदि।

हिन्दी के विशिष्ट ध्वनि-नियम

(१) प्राचीन भारतीय आर्यभाषाओं से हिन्दी में आगत संस्कृत शब्दों का आद्य संयुक्त 'अ' स्वर हिन्दी में दीर्घ 'आ' हो जाता है। जैसेकि—आग, आस, आस, आत, आग, आंक, आकना, आगन, आगुल, आगुरी, आन्वल, आजन, आखर, आधरा, आंव (अम्र, आम्र), आतरा आदि।

यह नियम केवल संयुक्त स्वरों में लागू होता है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, यथा—अद्य, अम्बर, अन्त, इत्यादि। इनका कारण अज्ञात है।

उक्त स्वर अधिकतर अनुनासिक होते हैं। इनकी अनुनासिकता का कारण पूर्व व्यञ्जन की सत्ता का सर्वथा अभाव होना है। अतः हिन्दी में ये स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। इस नियम से यह भी पता चलता है कि उक्त शब्द संस्कृत से हिन्दी में अपनाए गए हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषाओं की ध्वनियों से इनकी ध्वनियाँ मिली हैं। इसे दीर्घीकरण का नियम कहा जा सकता है।

(२) अनुनासिकीकरण का नियम

डॉ० धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार हिन्दी में प्रायः प्रत्येक स्वर अननुनासिक और

अनुनासिक (काटा, काटा, छोट छोट आदि) दोनो रूपों में व्यवहृत होता है । अनुनासिक स्वर प्रायः उन शब्दों में पाए जाते हैं, जिन के तत्सम रूपों में कोई अनुनासिक व्यञ्जन रहा हो और उसका लोप हो गया हो; जैसेकि—संस्कृत कम्पन से हिन्दी में कापना, कटक से काँटा आदि । इसके अपवाद भी मिलते हैं—भण्डक से भटा या भटा, वचक से बच्चू और लुचक से लुच्चा, आदि । इस अपवाद का कारण यही है कि यह देशी शब्दों और प्रत्ययों से निष्पन्न शब्दों में लागू नहीं होता है । यह संस्कृत के तत्सम रूपों से सम्बन्धित है ।

यद्यपि यह अनुनासिकीकरण का नियम है, किन्तु भाषागत प्रवृत्ति एव कार्य की दृष्टि से इसे क्षतिपूर्ति का नियम मानना चाहिए । क्योंकि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अनेक शब्दों में पाई जाने वाली अनुनासिकता के रूप प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में नहीं हैं, जैसेकि—सर्प, उर्ध्व, भ्रमर, यूक (जू), भ्रू (मौह), सत्य (साच), कास (खासी), हास्य (हसी), धूजनी (धौकनी), इत्यादि । किन्तु ऐसे शब्दों की सख्या शब्द-समूह की हजारों की सख्या में लगभग एक शतक होगी । अतः यह कोई कारण नहीं है, जिस से भाषाविषयक प्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ता हो । अनुनासिकता स्वयं एक प्रवृत्ति है, जिसका कारण निदिष्ट है और जिसके कारण हिन्दी में अनेक शब्द संस्कृत से अप्रत्यक्ष अपना लिए गए हैं । उक्त नियम के अनुसार 'सर्प' से 'साँप' और 'उर्ध्व' से 'ऊँट' बनने में समीकरण की वह प्रक्रिया कार्य करती है, जिससे पहले संस्कृत के शब्द प्राकृत आदि में सावर्ण्यभाव को प्राप्त हुए, फिर हिन्दी में सयुक्त व्यञ्जन में से एक का लोप हो जाने के कारण क्षति को पूरा करने के लिए अनुनासिक या दीर्घ कर देना एक प्रवृत्ति मात्र है । वास्तव में यहाँ यह नियम तद्भव शब्दों में लागू होता है । इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि हिन्दी में अनुनासिक स्वरों के कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जो अकारण ही अनुनासिक हो गये हैं, और जिनके तत्सम रूपों में कोई अनुनासिक ध्वनि नहीं पाई जाती।^{६०} उदाहरण के लिए, आँसू (अश्रु), साँस (श्वास) और भौ (भू), आदि ऊपर कहे गए कारण के प्रतीक हैं, जिन्हें अकारण अनुनासिक ध्वनि नहीं कह सकते । इन का कारण ध्वनि का क्षतिपूरण है । अतएव इस नियम को क्षतिपूर्ति का नियम भी कह सकते हैं ।

भाषाशास्त्र में ध्वन्यात्मक परिवर्तनों की व्याख्या करने के लिए भाषाविशेष के नियमों का उल्लेख करना महत्त्वपूर्ण माना जाने लगा है । क्योंकि इन से न केवल ध्वनियों का इतिहास कुछ नियमों में आवद्ध हो जाता है, वरन् परिवर्तन विषयक सूत्र भी ज्ञान हो जाते हैं । ये सूत्र अतीत के इतिहास से सम्बद्ध होते हैं । इसलिए इन्हें नियम कहते हैं । ये ध्वनिसम्बन्धी अनिदिष्ट कारणों पर प्रकाश डालते हैं । ये युग तथा काल की सीमा में नियत एव निश्चित होते हैं । ये देश, काल की सीमा में होने वाले किसी भाषा अथवा सम्बद्ध किन्हीं भाषाओं में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या के सम्बन्ध में कार्य-कारण भाव को प्रकट करने वाले होते हैं ।

ध्वनिपरिवर्तन दो प्रकार के कहे गए हैं—आदेशात्मक (Substitutive) और विकासात्मक (evolutive) । भाषा में जब स्वाभाविक गति और प्रवृत्ति के कारण ध्वनियों का विकास युग-युगों में प्रवाहशील होता हुआ कोई निश्चित रूप ग्रहण कर लेता है तब वह विकासात्मक कहा जाता है । उदाहरण के लिए, वैदिक काल की मूर्धन्य ध्वनियों मध्यकाल में घर्ष भाव को प्राप्त हो कर आधुनिक युग में विक्षुब्ध हो गईं । ध्वनियों के इस इतिहास को हम विकास क्रम के आधार पर समझ सकते हैं, संस्कृत का 'लवण' शब्द प्राकृत में 'लोण तथा अपभ्रंश में 'लोन' होता हुआ हिन्दी में 'नोन' हो गया । ध्वनियों के इस विकास-क्रम की व्याख्या जिस नियम के अनुसार की जाती है वह विकासात्मक कहा जाता है । आदेशात्मक बुद्धिगत होता है, जैसेकि—पारसी और अंग्रेजी ध्वनियों के सूचक चिह्न हमारे यहाँ न होने से हम समान ध्वनि चिह्नों का प्रयोग करने लगते हैं । ये परिवर्तन स्वाभाविक अथवा स्वतःप्रवर्तित नहीं होते । ऐसे ही परिवर्तनों के लिए सम्भवतः बैयाकरणों ने 'आदेश' और विकासात्मक के लिए 'आगम और लोप' के नाम निर्दिष्ट किए थे ।

हिन्दी में सामान्य रूप से शब्द के आदि के व्यञ्जन में परिवर्तन नहीं होता । किन्तु मध्य व्यञ्जन का लोप एक साधारण प्रवृत्ति है । मध्यग व्यञ्जन का लोप भाषाशास्त्र में स्वरीभवन (Vocalization) कहा जाता है । इसके कारण नियत कहे जा सकते हैं, इसलिए यह स्वरीभवन का नियम कहा जा सकता है । संस्कृत-काल में जिन व्यञ्जनों का पूर्ण उच्चारण होता था प्राकृत-काल में उन में शिथिलता आ गई थी । इस शिथिलता की या सरलीकरण की प्रवृत्ति के कारण परवर्ती काल में दो स्वरों के मध्यवर्ती ख, घ, थ, ध, फ और भ को सामान्य रूप से 'ह' हो जाता था । इस परिवर्तन का कारण विभिन्न जातियों का संगम तथा सघर्ष कहा जा सकता है । मध्यकालीन घर्ष भाव की प्रवृत्ति आगे चल कर क्षय भाव को प्राप्त हो गई । इस प्रकार विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया में 'मदकल' से 'मथगल' तथा 'मयगल' से हिन्दी में 'मैगल' स्थिति को प्राप्त हुआ । प्राकृत में मध्य के 'क, ग, च, ज, त, द, प, य और व' के लोप की सामान्य प्रवृत्ति थी । हिन्दी में 'कोकिल' से 'कोइल', 'नकुल' से 'नेवला', 'राजकुल' से 'रावल' (बप्पा रावल), 'राजपुत्र' से 'राउत व राबत', 'धन्याक' से 'धनिया', 'कृत' से 'किया', 'नयन' से 'नैन', 'रजनी' से 'रैन', 'अमृत' से 'अमिब', 'हृदय' से 'हिया', 'दीपक' से 'दिया', 'उपाध्याय' से 'ओझा', 'कुम्भकार' से 'कुम्हार', 'अन्धकार' से 'अधेरा', 'कटकारी' से 'कटेरी', इत्यादि ।

(३) घोषीकरण का नियम

इस नियम के अनुसार संस्कृत की अघोष ध्वनियों हिन्दी में घोष हो जाती हैं । आ० हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में इस का उल्लेख किया है । ध्वनियों के घोषीकरण से उन के उच्चारण और प्रयोग में सरलता आ जाती है । प्रयत्न-आघव तथा मुख सुविधा इस के मूल में निहित है । अतएव संस्कृत के एकादश, मकर,

आकार, शाक, प्रकाश, विकास, आदि क्रमशः हिन्दी में ग्वारह, मगर, आगार, लाग, पदमास, विगास हो जाते हैं। उसी प्रकार 'घूक' से 'घुग्घू', 'नेक' से 'नेग' और 'काक' से 'कागा' शब्दों का विकास हुआ है।

(४) महाप्राणीकरण का नियम

उच्चारण के क्रम में कभी-कभी वर्णों का परस्पर ऐसा विनिमय हो जाता है कि उन में सहज परिवर्तन हो जाता है जैसे कि—'स्कम्भ' से 'खम्भा', 'स्कन्द' से 'खन्द या खन्धा', 'परुष' से 'फालसा', 'कील' से 'खील', 'पाश' से 'फास', 'स्तन' से 'थन', 'ज्वाला' से 'झाल', आदि।

(५) ऊष्मीकरण का नियम

इस नियम के अनुसार ख, घ, थ, ध और भ वर्णों को प्रायः 'ह' हो जाता है। सस्कृत के निम्नलिखित शब्दों—मेघ, मुख, साधु, नाथ, कुम्भकार, चिबुर और पतिग्रह—के स्थान पर हिन्दी में क्रमशः मेघ, मुंह, साहू, नाह, कुम्हार, चिहुर और पीहर हो जाते हैं। ऊष्मीकरण की प्रवृत्ति अत्यन्त प्राचीन जान पड़ती है, जो लगभग सभी भारतीय आर्यभाषाओं में प्रत्येक युग में देखने को मिलती है।

इसी प्रकार कुछ अन्य ध्वनि नियम भी प्रतिपादित किए जा सकते हैं, जिनका प्राकृत, अपभ्रंश विकास धारा से सीधा सम्बन्ध है, किन्तु विस्तार के भय से उन की चर्चा करना उचित न होगा। इस प्रकार के नियमों में वर्ण-आगम, वर्ण विपर्यय, वर्ण-लोप, वर्ण विनिमय आदि से लेकर समीकरण (पुरोगामी, पश्चगामी), विषयीकरण (पुरोगामी, पश्चगामी), स्वरागम, व्यञ्जनागम आदि एव घोषी-अघोषीकरण, तथा अल्पप्राणीकरण, महाप्राणीकरण आदि का विचार किया जा सकता है।

ध्वनिपरिवर्तन का स्वरूप और उसके कारण

भाषा का स्वभाव है—परिवर्तन। भाषागत रूप, शब्द गठन, पद पदांश विषयक जो भी परिवर्तन होते हैं उन सब के मूल में ध्वनि परिवर्तन परिलक्षित होता है। यथाथ में भाषा की गतिशीलता का महत्त्वपूर्ण कारण ध्वनि परिवर्तन है। प्रत्येक भाषा में ध्वनि परिवर्तन नियत, सतत और अप्रत्यक्ष रूप से होते रहते हैं। अप्रत्यक्ष कहने का अर्थ यह है कि ये परिवर्तन समय की रम्बी सीमा में लक्षित होते हैं। ये द्रुतगामी परिवर्तन नहीं होते। और ये परिवर्तन तभी प्रतीत होते हैं जबकि वे भाषा की ध्वनि रचना पर प्रभाव डालते हैं। अतएव कोई दो भाषाएँ समान स्वर व्यञ्जनों की श्रेणियों से निमित्त हो सकती हैं, किन्तु वर्णमाला समान होने पर भी उच्चारण करते समय भौतिकी प्रभाव से वे दोनों भिन्न लक्षित होंगी। दोनों की ध्वन्यात्मक प्रवृत्तियाँ अलग अलग होंगी। मात्रा, सुर, बलाघात और रागात्मक तत्त्वों के कारण ध्वन्यात्मक तत्त्वों में प्रायः गतिशीलता परिलक्षित होती है। इन में होने वाले परिवर्तनों के कारण भाषागत परिवर्तन के अन्तर्गत निदिष्ट किये जाते हैं।

व्यंगमीश्वर ने ठीक कहा है कि इस प्रकार के ध्वनिविषयक परिवर्तन सब एक महत्वपूर्ण नहीं माने जाते हैं, जब तक कि वे कभी समय में ध्वन्यात्मक पद्धति को प्रभावित नहीं कर देते। भाषाशास्त्र के इतिहास में ध्वनि-परिवर्तन एक महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी भाषा के इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि जो ध्वनिप्रयुक्त शब्दों में प्रथम से, वे ही वर्तमान में किस प्रकार विभिन्न रूपों में या शब्दों में विकसित हो गए। केवल शब्दों में ही नहीं, यह परिवर्तन ध्वनियों में भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्व तक यह विचार प्रस्थापित नहीं हो सका था कि इन ध्वनि-परिवर्तन विषयक कारणों का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण किया जा सकता है। किन्तु ध्वनि सम्बन्धी होने वाला कोई भी परिवर्तन अब ऐसा नहीं है, जिस का कारण नहीं बताया जा सकता है। ध्वनिविषयक प्रत्येक परिवर्तन का कोई न कोई वैज्ञानिक कारण अवश्य है। उन कारणों का पता लगाना और उन की सम्यक् विवेचना करना भाषाशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है।

ध्वनिप्रक्रियात्मक विकास दो अंगों में विभक्त किया जाता है ध्वन्यात्मक परिवर्तन और ध्वनिप्राणीय परिवर्तन। प्रथम परिवर्तन वक्ता की उच्चारणगत प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है। वाक्-ध्वनियों का प्रयोग करने वाला अपने उच्चारणों के अभ्यास के अनुरूप ही उच्चारण करता है। दूसरा परिवर्तन ध्वनि की संघटनात्मक इकाइयों में परस्पर संयोग-सम्बन्धों में लक्षित होता है। ये दोनों ही प्रकार के परिवर्तन भाषा की ध्वनिप्राणीय संघटना का प्रभावित करते रहते हैं। इन से अर्थ में कोई विशेष अन्तर परिलक्षित नहीं होता। ये केवल ध्वनिप्रक्रिया से सम्बन्धित हैं।^{१९}

अधुनातन भाषावैज्ञानिक निष्पत्तियों से यह सिद्ध हो चुका है कि ध्वन्यात्मक और ध्वनिप्राणीय परिवर्तन परस्पर सम्बद्ध हैं। ध्वनिप्राणीय परिवर्तन किसी अनुक्रम के बदलने से, उच्चारणगत नहीं, किन्तु क्रियाशील ध्वनियों में लक्षित होता है, जबकि ध्वन्यात्मक परिवर्तन उन ध्वनिप्राणीय परिवर्तनों से आगे अनभिध्यजनात्मक, अक्रियाशील च्युति से सम्बद्ध होते हैं जो वक्ता के अभ्यासजन्य उच्चारणों की प्रवृत्तियों में संलक्षित होते हैं। डब्ल्यू० एफ० टॉडेल का कथन उचित ही है कि प्रत्येक परिवर्तन चाहे वह उच्चारणगत हो और चाहे संघटनात्मक, स्थिर रहता है। सस्वनों के विकासशील होने पर उच्चारणगत परिवर्तन तो हो जाते हैं, किन्तु ध्वनिप्राणीय संघटना ज्यों की त्यों बनी रहती है। संस्वनों के कारण उच्चारण में भी किञ्चित् परिवर्तन आता है। इस परिवर्तन के पश्चात् उच्चारण भी स्थिर हो जाता है।^{२०} इस प्रकार यह परिवर्तन एक ओर भाषा के आन्तरिक रूप से जुड़ा हुआ है, जो सतत एक-सा बना रहता है और दूसरी ओर उस की बाह्य पर्याय (परिवर्तनशील) से तादात्म्य है, जिस में किसी स्थिति विशेष में परिवर्तन घटित होते हैं और कुछ समय के लिए वे स्थिर हो जाते हैं।

भाषा में ध्वनि परिवर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं—स्वयम्भू (Unconditional) और परोद्भूत (Conditional)। भाषा एक सतत प्रवाह,

झीक धारा है। इस में किसी स्थिति या अवस्था अथवा घटना की अपेक्षा किए बिना कदाही परिवर्तन घटित हो जाते हैं। इन में कार्य-कारण भाव अवश्य होता है। भाषाशास्त्रियों ने ऐसे सभी कारणों को खोज लिया है, जिन्हें अज्ञात कारण कहा जाता था। परोद्भूत परिवर्तन में भाषागत ध्वनियों में दिखलाई पड़ने वाले स्वर और व्यंजनों के लोप, आगम, समीकरण और घोष अघोषीकरण आदि अनेक बाह्य सहेतुक परिवर्तन लक्षित होते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन दो प्रकार की सम्भावनाओं के कारण माने गए हैं—(१) एक पीढी से दूसरी पीढी तक वैयक्तिक रूप से भाषा के पहुँचने के कारण होने वाले परिवर्तन, (२) स्वतन्त्र रूप से घटित होने वाले ऐसे भाषा विषयक स्थानान्तरण के कारण होने वाले परिवर्तन। ये दोनों ही प्रकार के परिवर्तन के कारण भाषा की सक्रमणशीलता के द्योतक हैं।

यथार्थ में ध्वनि परिवर्तन का सम्बन्ध भाषा के नित्य और अनित्य स्वरूप से बहुत कुछ संयुक्त है। इसलिए यह कथन उचित होगा कि ध्वनि परिवर्तन का कारण उस के स्वरूप में निहित है। यह स्वरूप आन्तरिक भी हो सकता है और बाह्य भी। दोनों ही रूपों में परिवर्तन का सूत्र अन्तर्निहित है। आन्तरिक स्वरूप से हमारा अभिप्राय ध्वनि-उत्पादन के साधनों, ध्वनितत्त्वों और ध्वन्यात्मक प्रक्रिया से है। किन्तु बाह्य स्वरूप का सम्बन्ध ध्वनियों के अनुकरण और उन की प्रेषणीयता से है। आन्तरिक रूप मानसिक, जटिल और भावात्मक होता है। परन्तु बाह्य रूप स्थान और प्रयत्न तथा भौतिकीय साधनों से सम्बन्धित होता है।

भाषाशास्त्रियों ने ध्वनि परिवर्तन के कारणों की खोज में जो तथ्य एकत्र किए हैं, वे शाश्वत नहीं कहे जा सकते। क्योंकि वे देशविशेष तथा युगविशेष में प्रभावशील किसी भाषाविशेष की गतिशीलता को ध्यान में रख कर खोजे गए हैं। अतएव ध्वनि-परिवर्तन की उस मूल प्रवृत्ति को खोजना उचित होगा, जो सब ओर क्रियाशील लक्षित होती है। दूसरे शब्दों में, हमें सार्वदेशिक, सार्वकालिक ऐसी शाश्वत प्रवृत्तियों को ढूँढना चाहिए, जो सभी भाषाओं में समान रूप से कार्य करती हैं। वास्तव में परिवर्तन की ऐसी मूल प्रवृत्तियाँ सर्वत्र व्याप्त होती हैं। ये प्रवृत्तियाँ हैं—प्रयत्न-साधन (Economy of efforts) और श्रुतिमधुरता (Euphony)। इन प्रवृत्तियों का सम्बन्ध मुख्य रूप से ध्वनियों की उच्चारण प्रक्रिया से है। इसलिए परिवर्तन का सूत्र उसके हाथ में है, जैसेकि—अधकार से अंधेरा, उपवास से उपास और रामेण, रामेन राम ने, इत्यादि। भाषा परिवर्तन का मूल भी यही ध्वनि परिवर्तन है। वास्तव में इन प्रवृत्तियों का सम्बन्ध सुविधा से है। सुविधाओं में भी मानसिक सुविधा प्रमुख है। सब से बड़ा आलस्य मानसिक होता है। मन का आलस्य ही सब तरह के आलस्यों को जन्म देने वाला होता है। यही कारण है कि मनुष्य शारीरिक कष्ट की अपेक्षा मानसिक परेशानी से बचने में अधिक सुख का अनुभव करता है। और इसीलिए किसी से बार बार पूछे जाने पर हम उत्तर में छटाँक भर जीभ न हिला कर सेर भर का सिर हिला कर 'हाँ' या 'ना' कह देते हैं। लेकिन यह परिवर्तन किसी एक सीमा

तक हीका है, वहाँ तक भाषा के सत्व संविकृत या सम्पन्न रहते हैं। और इसलिये वे परिवर्तन मूलतः मूल्यामी नहीं होते। किसी घटना या परिस्थिति से प्रभावित होने वाले वे आश्रित परिवर्तन भाषा के मूल रूप को कभी नहीं बदलते। किन्तु भाषा के स्वी के स्वी बने रहने पर भी इस में किञ्चित् परिवर्तन होता ही रहता है। इस प्रकार के परिवर्तन भाषा की अज्ञात या अनित्य दशा से सम्बद्ध होते हैं। जगत की दृष्टि से भाषा अपनी क्रिया पूर्ण कर समाप्त हो जाती है। वह भाषिक रूप में अधिक समय तक हमारे बीच नहीं रह पाती। अतएव भाषा अनित्य जान पड़ती है। किन्तु सामाजिक दृष्टि से विचार करने पर भाषा नित्य और स्थिर दिखलाई पड़ती है। क्योंकि भाषा ही एक ऐसा प्रमुख सत्व हमारे जीवन में है, जिसे हम सामाजिक हैं। यदि भाषा न होती तो हम गँगे और क्रियाहीन होते। मनुष्य की सामाजिक अभिव्यक्ति का एक मात्र सर्वोत्तम साधन भाषा है। अतएव जब किसी ने डेनिस दार्शनिक से पूछा था कि मनुष्य अपने जीवन में सब से महत्वपूर्ण क्या सीखता है तो उस का उत्तर था कि मनुष्य अपने जीवन में सब से महान् और आश्चर्यपूर्ण जो उपलब्धि प्राप्त करता है— वह है बोलना। डार्विन ने भी यही बतलाया था कि मनुष्य अपने बचपन के प्रारम्भिक तीन वर्षों में सब से महत्वपूर्ण 'बात करना' सीखता है। अतएव यह भाषा समाज में सतत बनी रहती है, जिसे शिशु अपने माता पिता और परिवार से सीखता है। इस प्रकार सामाजिक सन्दर्भ में भाषा नित्य है।

मानसिक सुविधा के अतिरिक्त प्रयत्न-लाघव के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं - (१) प्रमाद या आलस्य, (२) शिथिलता, (३) शक्तिहीनता और (४) रोग-प्रस्तता, आदि। इसी प्रकार मुख सुख के कारण हमारी कोमल जीभरानी कठिन शब्दों के उच्चारण में अथवा व्यंजन गुच्छों के उच्चारण में सुख-सुविधा बरतती हैं। अतएव हम 'पर्व' को 'परव्', 'जन्म' को 'जन्म्', 'कौआ' को 'कउआ' और 'मिथी' को 'मिसरी' बोलते हैं। इसी प्रकार पैसा, रजिस्टर्ड पार्सल, रेल्वे स्टेशन, बाइसिकिल, पोस्टकार्ड और रजिस्ट्रेशन फी, को क्रमशः पइसा, रजिस्ट्री, इस्टेशन, साइकिल, पोस्टकार्ड या कार्ड और रजिस्ट्री फीस, कहते हैं। इस प्रकार परिवर्तनों में ध्वनिविषयक आगम और कोप, आदि की प्रचुरता लक्षित होती है।

बोलने में शीघ्रता के कारण भी सघटना के अन्तर्गत ध्वनियाँ एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं, जिस से परिवर्तन होना स्वाभाविक है। यह परिवर्तन सन्धिमूलक तथा समीकरणात्मक होता है, जिस में ध्वनियाँ एक आवेग के साथ उच्चरित होने के कारण पैल जाती हैं, जैसेकि—'छेता ज्य' से 'छेज्जा', 'बता साले' से 'बताशाले', 'कल बाना' से 'कलाना', 'किल कर आ' से 'किलकर आ', इत्यादि।

भावावेग के कारण भी प्रायः ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। मनुष्य जाने-अनजाने किसी भी भाव के आवेग में आ कर कुछ ऐसे शब्दों का सहज प्रयोग करता रहता है, जो ध्वनियों में समान होने पर भी किञ्चित् भिन्न होते हैं, यथा—येमा

(प्रेमा), बिट्टी (बेटी), चाबाछ (शाबास), मौत (मृत), आछी है (अच्छी है) ।

अति सजगता के कारण भी बौद्धिक वर्ग के लोग जान बूझ कर जब बन कर बोलते हैं अथवा विशुद्धता के अभिमान में आ कर बोलना चाहते हैं तो प्रायः ध्वनियों में कुछ न कुछ परिवर्तन कर देते हैं । इन में से कुछ लोग शास्त्रीय परम्परा की झोंक में आ कर करते हैं और कुछ लोग अज्ञानता के कारण । उदाहरण के लिए 'दस' को 'दश', 'असाढ़' को 'आषाढ़' और 'बिना' को 'बिना' और 'भोपाल' को 'भूपाल' संस्कृत के अतिशय प्रेम के कारण शिष्ट विद्वान् बोलते हुए देखे जाते हैं । महाराष्ट्र के पण्डित घरानों में आज भी 'संस्कृत' को 'संस्कुरत' बोलते हैं । इसी प्रकार 'खालिस' को 'निखालिस', 'रोटी' को 'पावरोटी' और 'सज्जन' को 'सज्जनपुरुष' कहते हैं । शुद्धता के आवेश में आकर बड़े से बड़े विद्वान् भी 'स्वच्छ' को 'स्वक्ष' और 'इच्छा' को 'इक्षा' कह बैठते हैं । इसी प्रकार 'कभी' का उच्चारण 'कभी' और 'कवि' भी 'कवि' हो जाता है । अज्ञानता के साथ कभी कभी असावधानी भी लक्षित होती है । कभी तो इतनी अधिक सजगता कि शास्त्रीय शब्दों के प्रयोग से ही भाषा को शुद्ध समझना और कभी-कभी अज्ञानता व शिथिलता के कारण ऐसी असावधानी से ('उद्घाटन' के लिए उद्घाटन करना) शब्दों के प्रयोग के कारण ध्वनियों में प्रायः कई प्रकार के परिवर्तन परिलक्षित होते हैं । ये सभी प्रकार की परिवर्तनमूलक प्रवृत्तियाँ ध्वनि परिवर्तन की अन्तरंग कारण कही जाती हैं ।

ध्वनि परिवर्तन के बाह्य कारणों में भौगोलिक, ऐतिहासिक और विभिन्न जातियों का सगम कहा जाता है । ये भाषा परिवर्तन के कारण भी कहे जाते हैं । किन्तु भाषा में इन से जो परिवर्तन होता है, वह ध्वनि परिवर्तन के माध्यम से होता है । ये बाह्य कारण पहले वातावरण पर प्रभाव डालते हैं, फिर उनका प्रभाव ध्वनियों के उच्चारण तथा अनुकरण पर पड़ता है । कभी कभी प्रयोग की अतिशयता और स्वर संचार से भी ध्वनियों में परिवर्तन देखा जाता है । परन्तु इन परिवर्तनों की दिशा सदा एक समान नहीं रहती । इसलिए प्रत्येक स्थिति में उनकी याख्या करना सम्भव नहीं है । कुछ विद्वानों ने ध्वनि परिवर्तन के कारणों में (१) उच्चारण की अशुद्धता, (२) वाग्यन्त्र की भिन्नता, (३) अपूर्ण अनुकरण और (४) केवल अज्ञान, को भी माना है, किन्तु ये ध्वनि परिवर्तन के कारण तभी माने जा सकते हैं, जबकि ये किसी भाषा में स्पष्ट रूप धारण कर लेते हैं और इन के कारण अलग ध्वनिप्राम का निर्माण हो जाता है । यदि ऐसा नहीं है तो व्यक्तिगत संकेत या भिन्नता के कारण होने वाले किसी सामाजिक परिवेश में ध्वनिविषयक परिवर्तन क्षणिक होंगे, जो किसी भाषा की आन्तरिक संघटना से कालांतर में सम्बद्ध नहीं हो सकते । अतएव ऐसे परिवर्तन अधिक महत्त्व नहीं रखते । यही कारण है कि ध्वनि परिवर्तन के सन्दर्भ में इस प्रकार की जो व्याख्या की गई है, वह उसी रूप में मान्य नहीं हो सकती । ऑटो जेस्पर्सन ने इन कारणों का विशेष रूप से विचार किया है । जेस्पर्सन उच्चारणो-

भौगोलिक अवस्थाओं की शारीरिक रचना की भिन्नता के कारण माने जाने वाले परिवर्तन की ध्वनि-परिवर्तन का कारण नहीं मानते, क्योंकि इस प्रकार के परिवर्तन किंचित् प्रभावकारी होते हैं। इन से भाषा की पद्धति पर या उस में घटित होने वाले उच्चारणों में विशेष अन्तर लक्षित नहीं होता। अतएव ये बहुत ही साधारण तरह के परिवर्तन होते हैं। इन से भाषा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता।

दूसरा कारण भौगोलिक माना गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार जर्मन की बोलियों में घटित होने वाला ग्रिम नियम (वर्ण-परिवर्तन का नियम) पहाड़ी प्रदेश से सम्बन्ध रखता है। द्वितीय वर्ण-परिवर्तन के अनुसार लगभग सातवीं शताब्दी में उच्च जर्मनी निम्न जर्मन बोलियों से अलग हो रही थी। अलग होने का कारण अपने मूल निवासस्थान को छोड़ कर अन्यत्र जा कर लोगों का बसना था। जर्मन दो भागों में विभक्त है—पूर्व जर्मन और पश्चिम जर्मन। द्वितीय वर्ण-परिवर्तन पश्चिम जर्मनी की बोलियों से सम्बन्धित है। जो लोग पहाड़ी प्रदेश में रह गए और जो लोग उतर कर नीचे चले आए, उन की भाषा में कालान्तर में अन्तर दिखलाई पड़ने लगा। इसलिए उच्च जर्मन में जो शक्ति महाप्राण ध्वनि के उच्चारण में देखी जाती है, वह निम्न पर्वतवासियों में कुण्ठित होती जाती है। लेकिन इसे मुख्य कारण नहीं मानना चाहिए, क्योंकि महाप्राण ध्वनि का सम्बन्ध फेफड़े से नहीं, कंठ से है। श्वास लेने से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। अतएव इस प्रकार के परिवर्तन पर्वतवासियों में ही नहीं, मैदानों में रहनेवालों की भाषा में भी भिन्नते हैं। ग्रिम महोदय ने इसे भौगोलिक कारण से न मान कर राष्ट्रीय मनोविज्ञान के कारण माना है। उन का कथन है कि जर्मन की बोलियों में जो ध्वनि-परिवर्तन हुए, वे जर्मन-जनता की प्रगतिशील मनोवृत्ति और स्वतन्त्रता की तीव्र इच्छा के परिणाम हैं। ये उन के उत्साह और गौरव को व्यक्त करते हैं। 'क, त, प' को 'ख, य, फ' इसी मनोवृत्ति के कारण परिवर्तनशील एव प्रचलित हुआ। लेकिन ये दोनों ही सर्वमान्य कारण नहीं कहे जा सकते। भले ही पंजाब और राजस्थान के अधिकतर व्यक्ति भौगोलिक प्रभाव के कारण 'स' का 'ह' उच्चारण करते हों और 'सात' को 'हात' तथा 'असाइ' को 'हाइ' बोलते हों, किंतु उनके उच्चारण से भाषा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार राष्ट्रीय मनोवृत्ति में किन्हीं विशिष्ट शब्दों का प्रचलन वा प्रयोग विशेष भावों की अभिव्यक्ति के लिए हो सकता है, किन्तु भाषा की सघटना में उन से कोई अन्तर नहीं पड़ता। फिर, इस प्रकार के परिवर्तन भारतीय आर्यभाषाओं में भी देखे जाते हैं, जिन में कोई राष्ट्रीय मनोवृत्ति कार्य नहीं करती (हिन्दी में कई लोग 'कील' को 'खील' तथा 'पोशाक' को 'पोसाख' या 'पोशाख' कहते हैं—विशेषकर मारवाड़ी)।

इसी प्रकार युग की संक्रमणशीलता के कारण भी ध्वनि-परिवर्तन सम्भव है। किन्तु कभी-कभी युग के युग बदल जाते हैं और उस अन्तराल में ध्वनियों में किंचित्, अत्यल्प या नहीं के बराबर परिवर्तन हो पाता है। कुछ शब्द तो शत छहसाब्दियों से

ज्यों के त्यों बहते आ रहे हैं। उन के लिखने और उच्चारण में आज तक कोई परिवर्तन हुआ, प्रतीत नहीं होता। उदाहरण के लिए, ऐसे कई वैदिक शब्दों (चरु, वर्ण, सुसल, मेह, शूर्प, आदि) को गिनाया जा सकता है। अतएव ये उतने वैज्ञानिक कारण नहीं हैं। यथायत्न, महत्त्वपूर्ण ध्वनि-परिवर्तन न हो कर यह आश्चर्य की बात है कि ध्वनि सतत स्थिर क्यों नहीं रहती, ध्वनियों में परिवर्तन क्यों होता है? प्रश्न करना सरल है, किन्तु उत्तर देना कठिन है। सभ्यता की प्रत्येक वस्तु की माँति भाषा का स्वभाव भी परिवर्तनशील है। भाषा का स्वाभाविक परिवर्तन भी कभी-कभी ध्वनि-परिवर्तन में लक्षित होता है। यह तो वस्तु की बात हुई। किन्तु समाज के सन्दर्भ में यदि विचार करें तो हमें इस में दो मुख्य कारण दिखलाई पड़ते हैं—(१) अभिभावकों या सयानों, गुरु शिक्षकों का प्रभाव, और (२) सामाजिक उन्नति। अभिभावकों, शिष्ट जनों, सयाने लोगों और गुरु शिक्षकों का प्रभाव समाज में बहुत कार्य करता है, जिस से ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता करता है। कभी-कभी समाज मूल परम्परा को बनाए रह कर भी सामान्य प्रतिबंधों को भंग कर देना चाहता है। यह इसलिए भी आवश्यक होता है, क्योंकि सामाजिक क्रान्ति किसी चौराहे पर खड़ी होती है अथवा युवा आक्रोश इतना उग्र तथा प्रबल होता है कि बाहरी दौंचे में परिवर्तन करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी हो जाता है। अतएव ऐसी परिस्थितियों में ध्वनि-परिवर्तन पर भी प्रभाव पड़ता है। हमारे देश में चौदहवीं पंद्रहवीं शताब्दी में इस प्रकार के अनेक परिवर्तन हुए। आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं के उदय-काल में भी यही भारतीय सामाजिक मनोवृत्ति क्रियाशील थी। इस मनोवृत्ति के परिणामस्वरूप एक बार पुन आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं पर प्राचीन भारतीय आर्यभाषाओं का प्रभाव लक्षित हुआ। अतएव हिन्दी पर भी संस्कृत का प्रभाव पड़ा और अप्रत्यक्ष रूप से भाषा में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहे, जो सदियों के पश्चात् मान्य हो गए। प्रत्येक भाषा में घटित होने वाले ध्वनि-परिवर्तन में मुख्य रूप से दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ कार्यशील परिलक्षित होती हैं प्रेरक शक्ति (Moving power) और अवरोधक शक्ति (Curving power)। भाषा के विकास में प्रेरक शक्ति सहायक होती है। अनेक प्रकार के परिवर्तनों के मूल में यही शक्ति कार्य करती है। किन्तु अवरोधक शक्ति शब्दों को काट-छाँट कर रूप देती रहती है। काटते रहना ही इस प्रवृत्ति के मूल में है। यह एक प्रकार से भाषा के स्वाभाविक विकास में अवरोधक होती है। इस प्रकार भाषा का पूर्ण इतिहास इन्हीं दो प्रवृत्तियों के मध्य गतिशील परिलक्षित होता है।

भाषा विज्ञान की पुस्तकों में कुछ अन्य कारण भी गिनाए गए हैं। ध्वनि-परिवर्तन के इन बाह्य कारणों में शब्दों की तोड़-मरोड़, सादृश्य, विदेशी ध्वनियों का प्रभाव, बलाघात और अन्धविश्वास, आदि हैं। इन का कोई विशेष महत्त्व नहीं है। शब्दों में तोड़-मरोड़ कविता में प्रायः छन्द के अनुरोध से की जाती है, जो सख्या में अत्यल्प होते हैं। इसी प्रकार सादृश्य एक प्रकार का समीकरण है, जिस का मूल प्रयत्नलक्ष्य

में वर्णित है। विदेशी ध्वनियों का प्रभाव सदा विभिन्न जातियों के समाज के सम्बन्ध ही प्रभावशील होता है। अतएव वे कारण किसी न किसी रूप में जल कार्यों में अन्तर्हित हो जाते हैं।

भाषा में, मानव-जीवन के कई रूपों से सम्बन्ध होने के कारण भाषा का कई दृष्टिकोणों से अध्ययन किया जाना चाहिए। किसी भाषाशास्त्री ने ठीक ही कहा है कि सब से अधिक कठिन बात यह है कि भाषा में घटित होने वाले वे नियत परिवर्तन पूरी तरह से स्वचालित होते हैं। इस स्वचालित प्रक्रिया के कारण ध्वनि-परिवर्तन सरल और स्वाभाविक होते हैं।

सन्दर्भ-संकेत :

- १ लैस इन्ट्रोडक्शन टु द सायन्स ऑफ लैंग्वेज, पृ० ३२९, ओ गोलोकविहारी बल ध्वनि-विज्ञान, पृ० ४ से उद्धृत।
- २ के० एल० पाश्क फोनेटिक्स, १९६६, पृ० ११६।
- ३ जे० एल० ग्लायडर्ट फोलीज कॉलेज फिजिक्स, चतुर्थ संस्करण, १९४७, पृ० १८३।
- ४ के० एल० पाश्क फोनेटिक्स, १९६६, पृ० ११६।
- ५ वही, पृ० ११५।
- ६ आर०एम० एस० हेफनर जनरल फोनेटिक्स, १९६०, पृ० १।
- ७ जेलिग एस० हेरिस ब्लूकचरल लिगिबिस्टिक्स, चतुर्थ संस्करण, १९६०, पृ० १६।
- ८ के० एल० पाश्क फोनेटिक्स, १९६६ पृ० ४२।
- ९ ए० टी० जोन्स साउण्ड, १९४२, पृ० ५।
- १० वही, पृ० २७८।
- ११ विशेष आवश्यक निर्गुक्ति भाष्य, ५।३।५१-५४।
- १२ ए० टी० जोन्स साउण्ड, १९४२, पृ० ३६२।
- १३ चरक, सूक्तस्थान, अ० १२।
- १४ महाभारत, शान्तिपर्व, २।३।७-१४।
- १५ पाणिनिशिक्षा—
 आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान् मनो बुक्ते विवक्षया ।
 मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मास्तम् ॥
 मास्तस्त्प्रासि चरन् मन्द्रं जनयति स्वरम् ।
- १६ एल० कैसर मैन्युअल ऑफ फोनेटिक्स १९५७, पृ० ३५।
- १७ वही, पृ० १५७।
- १८ आर्थर क्रोस्टकर द एन्ट ऑफ क्रिएशन, १९६४, पृ० ५३४।
- १९ आर०एम० एस० हेफनर जनरल फोनेटिक्स, १९६०, पृ० ४२।
- २० के० एल० पाश्क फोनेटिक्स, १९६६, पृ० ८५।
- २१ वही, पृ० ४२।
- २२ वही, पृ० ४२-४३।
- २३ डॉ० उदयनारायण विहारी : भाषाशास्त्र की रूपरेखा, पृ० १०० से उद्धृत।
- २४ डैनियल जोन्स दन आउट लाइन ऑफ इंग्लिश फोनेटिक्स, केम्ब्रिज, १९३४, पृ० ३।
- २५ जे० कार्ल कार्ल : द टॉन्स ऑफ मेन एण्ड स्पीच, कन्दन, १९६६, पृ० २९।

- २६ वहीं, पृ० २८ २९।
- २७ एडवर्ड सेपीर लैन्गेज, १९४९, पृ० ४६, ४७।
- २८ वहीं पृ० ५३।
- २९ गोल्लोक बिहारी धल ध्वनिविज्ञान, आगरा, १९५८, पृ० ३४।
- ३० डॉ० देवीशंकर द्विवेदी भाषा और भाषिकी, आगरा १९६४, पृ० ४८।
- ३१ डॉ० उदयनारायण तिवारी भाषाशास्त्र की रूपरेखा, पृ० १०३ से उद्धृत।
- ३२ कुमारसम्भव (नालिदास) २, १७ की महिनाथ कृत टीका, तथा—“यद् वै प्रजापते परमस्ति वगैक तद्” शतपथ ब्राह्मण ५।१।१२८
- ३३ महाभाष्य (पतञ्जलि), अ० १ पा० १, आह्निक २। ‘श्रोत्रोपलब्धिर्बुद्धिनिर्माणा प्रयोगेणाभिन्वलित आकाशशब्द शब्द एक च पुनराकाशम्।’
- ३४ वहीं, अ० १, पा० १, आ० १।
- ३५ प० महेन्द्रकुमार जैन (सं०) भट्टाकलकदेव विरचित तरनाथवार्तिक द्वितीय भाग, अ० ५, सू० २४।
- ३६ डॉ० अम्बाप्रसाद ‘सुमन’ हिन्दी भाषा (अतीत और वर्तमान), आगरा, १९६५, पृ० १६ से उद्धृत।
- ३७ इदमुत्तममतिशयिनि व्यग्ये वाच्याद् ध्वनितुधै कथित। काव्यप्रकाश (सम्मत)। वाच्यातिशयिनि व्यग्ये ध्वनिस्तत्काव्यमुत्तमम्। साहित्यदर्पण (विश्वनाथ)। यत्राथ शब्दो वा तमथमुपपन्नोऽनौकृतस्वार्थो। व्यङ्ग्य-काव्यविशेष स ध्वनिरिति सूत्रिभि कथित ॥ ध्वन्यालोक १ १३ (आनन्दबर्धन)।
- ३८ पण्डितराज जगन्नाथ रसगगाधर, काव्यभेद, प्रथम आनन।
- ३९ अक्षराणां स्वर अच्छा जानती गात्। यजुर्वेद, ३३, ५९।
- ४० महाभाष्य (पतञ्जलि), अ० १ पा० १ आ० २। ‘अक्षर न क्षर विधात्। अइनेतेर्वा सरो क्षरम। वर्ण बाहु पूवसूत्रे। अथवा पूवसूत्रे वर्णस्याक्षरमिति सङ्गा क्रियते।’
- ४१ हिन्दुस्तानी, भाग २८ अक १-४, जन० लि० १९६७ में प्रकाशित डॉ० भागिया के लेख से, पृ० ५८ से उद्धृत।
- ४२ डॉ० हरीश शर्मा भाषाविज्ञान की रूपरेखा, गाजियाबाद १९६८, पृ० ९३ से उद्धृत।
- ४३ आर-एम० एस० हेफनर जनरल फोनेटिक्स, १९६०, पृ० ७४।
- ४४ दुबलस्य यथा राष्ट्र हरते बलवान् नृप दुर्बल व्यजन तद्वद् हरते बलवान् स्वर।
- ४५ अन्वक भवतीति व्यजनम्।
- ४६ डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा क्रिटिकल स्टडीज इन द फोनेटिक आब्जर्वेशन्स ऑव इण्डियन ड्रैमेरियन्स, दिल्ली, १९६१, पृ० ५८।
- ४७ डब्ल्यू० सिङ्गनी एलन फोनेटिक्स इन एशिये इण्डिया, लन्दन, १९६५, पृ० ८० से उद्धृत।
- ४८ वहीं, पृ० ८१।
- ४९ ‘व्यजयन्ति प्रकम् कुर्वन्ति अर्षान् इति व्यजनानि।’ वहीं से उद्धृत।
- ५० के० एल० पाश्क फोनेटिक्स, १९६६, पृ० ११६ से उद्धृत।
- ५१ वहीं से उद्धृत।

५२. ईराक जहाँगीर तारापुरवाला एलीमेंट्स ऑव द सायन्स ऑव लैंग्वेज, १९६२, पृ० १०८ ।
५३. एच० ए० ग्लीसन एन इन्ट्रोडक्शन टु डिस्क्रिप्टिव लिन्ग्विस्टिक्स, परिमर्षित स०, १९६६, पृ० ९४ ।
५४. डॉ० अंगलदेव झाकी 'तुलनात्मक भाषाशास्त्र अथवा भाषा-विज्ञान, प्रयाग, १९५६, पृ० २२३ ।
५५. श्रीगोलोकविहारी धल ध्वनिविज्ञान, पृ० ५१ से उद्धृत ।
५६. वही, पृ० ५२ ।
५७. वही, पृ० ५४ ।
५८. आर एम० एस० हेफनर जनरल फोनेटिक्स, तृतीय संस्करण, १९६०, पृ० १९ ।
५९. श्री गोलोकविहारी धल ध्वनिविज्ञान, पृ० ५८ से उद्धृत ।
६०. आर एम० एस० हेफनर जनरल फोनेटिक्स, १९६०, पृ० १८ ।
६१. डॉ० अन्नाप्रसाद 'सुमन' हिन्दी भाषा (अतीत और वर्तमान), पृ० २८ ।
६२. श्री गोलोकविहारी धल ध्वनिविज्ञान, १९५८, पृ० ११६ ।
६३. वही, पृ० ११७ से उद्धृत ।
६४. वही, पृ० २४२ ।
६५. वही, पृ० २१९ ।
६६. वही, पृ० २३२ से उद्धृत ।
६७. डॉ० भोलानाथ तिवारी हिन्दी भाषा, इलाहाबाद, १९६६, पृ० ११२ ।
६८. वही, पृ० ११५ ।
६९. डॉ० आइ० जे० सोराकजी तारापुरवाला एलीमेंट्स ऑव द मायन्स ऑव लैंग्वेज, तृतीय संस्करण, कलकत्ता, १९६२ पृ० १७४ ।
७०. विशेष विवरण की जानकारी के लिए वही द्रष्टव्य है ।
७१. डॉ० भोलानाथ तिवारी भाषा विज्ञान, षष्ठ संस्करण, १९६७, पृ० ४२२ ।
७२. डॉ० रमेशचन्द्र मेहरोत्रा का लेख 'हिन्दी के स्वर-ध्वनिग्राम और सध्वनियाँ', प्रकाशित 'मध्यभारती' वर्ष ४, अंक ४, पृ० १५ ।
७३. वही, पृ० १६ ।
७४. डॉ० धीरेन्द्र वर्मा हिन्दी भाषा का इतिहास, तृ० स०, १९४९, पृ० १०८ से उद्धृत ।
७५. वही, पृ० १४१ ।
७६. मध्यभारती, वर्ष ४, अंक ४, पृ० १९ २० से उद्धृत ।
७७. जॉज एल० ड्रेग द फोनेटिक ट्रीटमेंट ऑव सेमी वावेल्स, लैंग्वेज, जिल् १८, स० ३, सितम्बर, १९४९, पृ० २२० २३ ।
७८. अथर्णासरो लघुप्रयत्नर अकारश्रुतिर्भवति । सिद्धहेमशब्दानुशासन, १, १५० ।
७९. स्यादौ दीर्घह्रस्वौ । सिद्धहेमगत अपभ्रंश व्याकरण, अ० ८, पा० ४, सू० ३३० ।
८०. डॉ० धीरेन्द्र वर्मा हिन्दी भाषा का इतिहास, पृ० १४० से उद्धृत ।
८१. जे० बान्द्रिएज भाषा (अनु० जगबंश किशोर बलबीर), पृ० ५५ ।
८२. राबर्ट ए० हॉल इन्ट्रोडक्टरी लिन्ग्विस्टिक्स, पृ० २९५ ।
८३. वही, पृ० २९७ ।

अध्ययन व विमर्श के लिए पठनीय पुस्तकें

(१) डॉ० एल० पावक फोनेटिक्स ।

(२) डेनिथल जोन्स द आउट लाइन ऑव इंग्लिश फोनेटिक्स ।

- (३) आर-एम० एस० हेफनर अनरक फोनेटिक्स ।
- (४) एच० ए० ग्लीसन एन इन्ट्रोडक्शन टु डिस्क्रिप्टिव लिपिबस्टिक्स ।
- (५) डब्ल्यू० सिङ्गर्नी एलन फोनेटिक्स इन एन्ड्रियेन्ट इण्डिया ।
- (६) श्री गोलोकबिहारी शर्मा ध्वनिविज्ञान ।
- (७) डॉ० उदयनारायण तिवारी भाषाशास्त्र की रूपरेखा ।
- (८) डॉ० हरीश शर्मा भाषाविज्ञान की रूपरेखा ।
- (९) डॉ० अम्बाप्रसाद 'सुमन' हिन्दी भाषा (अतीत और वर्तमान) ।
- (१०) डॉ० कीरेन्द्र वर्मा हिन्दी भाषा का इतिहास
- (११) डॉ० भोलानाथ तिवारी भाषा विज्ञान ।
- (१२) " " " हिन्दी भाषा

हिन्दी की रूप-रचना एवं वाक्य-विन्यास

भाषा-संघटना

ध्वनिप्रक्रियात्मक दृष्टि से भाषा का विश्लेषण करते समय उन मूलभूत उपादानों का वर्णन किया जाता है, जिन में ध्वनितत्त्व संश्लिष्ट रहते हैं। हम प्रतिदिन अर्धस्व स्वर्णों (ध्वनितत्त्वों) का उच्चारण करते हैं। किन्तु वे ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो व्यतिरेकी सॉचों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। इन व्यतिरेकी स्वरूपों को 'क्रियात्मक इकाइयों' (Functional Units) के नाम से अभिहित किया जाता है। इन के अन्तर्गत स्वर्णों का वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण के निणय के तीन सिद्धान्त माने गए हैं—वितरण (distribution), सादृश्य (Similarity) और क्रियासाम्य (identity of function)। वितरण से हमारा अभिप्राय उस स्थिति से है, जिस के अन्तर्गत विभिन्न तत्त्व घटित होते हैं। वास्तव में यह यह स्थिति है, जिसमें सव्वन (allophones) तथा सहपद (allomorphs), आदि परस्पर भिन्नते हैं। इन के अध्ययन के आधार पर भाषा के गठन का विचार किया जाता है। किसी भी भाषा की क्रियात्मक इकाई के तत्त्व की जानकारी के लिए उक्त तीन सिद्धान्तों के आधार पर एक तत्त्व से दूसरे तत्त्व की भिन्नता का पता लगाया जा सकता है। यदि समान स्थिति में रहने वाले दो तत्त्व परस्पर भिन्न क्रिया या अर्थ वाले होते हैं तो वे परस्पर व्यतिरेकी (Contrast) कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए, हिन्दी में 'पळ्' और 'फळ्' समान स्थिति में होने पर भी पदरूपों में भिन्न हैं। इसी प्रकार 'छाळा' और 'जाळा' में, 'आळा' दोनों में समान है, किन्तु ये 'छ' और 'ज' की भिन्नता के कारण समान ध्वनिप्रामीय नहीं हैं। इस प्रकार परस्पर व्यतिरेकी होने के कारण ये ध्वनिप्रामीय रूप-रचना में समान नहीं होते। इस प्रकार जब कभी ये परस्पर इस पद्धति में घटित होते हैं तब उन्हें व्यतिरेकी वितरण वाला कहा जाता है।

जब दो या दो से अधिक तत्त्व परस्पर अव्यतिरेकी दशा में घटित होते हैं तब हम उन्हें अव्यतिरेकी वितरण (Noncontrastive distribution) कहते हैं। अंग्रेजी में 'ए' और 'एन' का प्रयोग इसी प्रकार का है। हिन्दी में इसे यों समझाया जा सकता है—'मुझे जाना तो है' और 'मुझे तो जाना है' इन दोनों वाक्यों में 'तो' समान है, उसमें रूपगत भिन्नता नहीं है। अतः दोनों स्थानों पर 'तो' की स्थिति परस्पर अविकरुद् होने के कारण अव्यतिरेकी वितरण कहा जाएगा। वास्तव में, इसका सम्बन्ध भाषा के उस आन्तरिक गठन से है, जिस में इस प्रकार के उच्चार घटित होते

हैं। अव्यतिरेकी वितरण एक प्रकार से तत्त्वों के वर्गीकरण करने की यह पूर्वावश्यकता है, जिस से वे समान क्रियात्मक इकाई के परस्पर सदस्य निर्धारित किए जाते हैं।

यदि कोई तत्त्व किस स्थिति में घटित होता है, उस स्थिति में या उसके विपरीत दशा में भिन्न घटित होता है तो वे परिपूरक वितरण (Complementary distribution) वाले कहे जाते हैं। कभी कभी हम यह भी पाते हैं कि वे व्यतिरेकी स्थिति में नहीं हैं और इसलिए वे पूणतया परिपूरक वितरण नहीं होते। प्रायः तत्त्वों में परस्पर मुक्त परिवर्तन होता है, जैसे कि—‘छत्तीसगढी’ बोली में ‘जन’ को ‘जन’ कहते हैं। यह परिवर्तन बलाघात के कारण लक्षित होता है। यह उच्चारणगत होता है। इस से अर्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। इस के कुछ अन्य उदाहरण हैं—सडक्। सरक्, प्राण्। प्रान्, बाणी। बानी, धणी। धनी, नही। नन्नी, गुड। गुल्, इत्यादि। इन में से ‘नन्ही’ और ‘नन्नी’ बुन्देली में तथा ‘गुड’ और ‘गुल्’ राजस्थानी बोलियों के प्रयोग हैं। डॉ० उदयनारायण तिवारी के अनुसार साधु हिन्दी में केवल एक ‘ज’ ध्वनि परिपूरक वितरण की स्थिति में है। यह केवल शब्दों के मध्य में ताल्प्य या चवर्गीय व्यञ्जनों के पूर्व में प्रयुक्त होती है।

सादृश्य का सिद्धान्त ध्वन्यात्मक लक्षण की स्थिति में ध्वन्यात्मक समानता के लिए तथा अन्य रूपों में अथ के लिए लागू होता है। उदाहरण के लिए, ‘कान’ और ‘गान’ में स्थित ‘क्’ और ‘ग्’ में ध्वन्यात्मक समानता है। दोनों कथ्य ध्वनियाँ हैं। इनमें अन्तर केवल इतना ही है कि ‘क्’ अघोष और ‘ग्’ घोष ध्वनि है। सापेक्षिक दृष्टि से इन ध्वनियों की समानता प्रायः प्रदर्शित की जाती है। इस प्रकार व्यतिरेकी का अर्थ भेद के साथ एक परिवेश में आना और परिपूरक वितरण का अर्थ परस्पर परिवेश की भिन्नता है। जब दो या दो से अधिक ध्वनियाँ ध्वन्यात्मक समानता के साथ भिन्न परिवेश में रहती हैं तभी ध्वनिग्राम की रचना करती हैं। ये ध्वनियाँ ध्वनिग्राम की संस्वन कहलाती हैं। ‘अव’ की ‘अ’ ध्वनि और ‘बहन’ में ‘ब’ के पश्चात् की ‘अ’ ध्वनि एक-दूसरे से परस्पर अत्यन्त भिन्न हैं। पहली मध्य, केन्द्रीय (अर्ध सवृत और अर्धविवृत की मध्यवर्ती), उदासीन, ओठों से बोली जाने वाली ह्रस्व स्वरध्वनि है और दूसरी अग्र, अर्धविवृत और नमित्त, अल्प विस्तृत ओठों से बोली जाने वाली ह्रस्व स्वरध्वनि है।

क्रियासाम्य की आवश्यकता इसलिए होती है कि परिपूरक वितरण के आधार पर केवल ध्वनि या अर्थ के साम्य को देख कर वर्गीकरण में आने वाले परस्पर असमान तत्त्वों को रोकना होता है, जैसे कि—सन्मति और सम्मति। इस में किस ध्वनि को किस ध्वनिग्राम के संस्वन के रूप में आश्रित रहना पड़ता है, यह क्रियासाम्य के सिद्धान्त से निश्चित करना पड़ता है। यह निश्चित होने पर कि ‘सन्’ अलग है, जो मूल में ‘सत्’ है और ‘सम्’ अलग है, हम भिन्न भिन्न वर्गीकरण कर सकेंगे। इसी प्रकार अलग अलग पदग्रामों को छाँटा जाता है।

भाषा की मूलभूत दो इकाइयाँ हैं—ध्वनिग्राम तथा पदग्राम। प्रथम का सम्बन्ध

त्रिविध रूप से अभिव्यक्ति से है और वृत्तों का वस्तु से। प्रत्येक वाक्य में दो प्रकार के विशिष्ट तत्त्व होते हैं—एक तो भावों के अनुरूप विषय की अभिव्यक्तिमूलक तत्त्व और दूसरे भावों के परस्पर सम्बन्ध के चोत्क तत्त्व। इसलिए जब मैं यह कहता हूँ कि 'मंच पर अभिनय हो रहा है' तो तुरन्त मस्तिष्क में यह भाव उद्बुद्ध हो जाता है कि कोई राजा हुआ समभव है और उस पर कोई नाटक खेला जा रहा है। इस प्रकार भाषा को सुन कर मानसिक क्रिया-व्यापार द्वारा जो भाव-प्रतिमा मानस-प्रत्यक्ष होती है, उस का विश्लेषण किया जा सकता है। इस प्रकार अभिव्यक्ति का सम्बन्ध अर्थतत्त्व से है। अर्थतत्त्व से हमारा अभिप्राय भाषा के उन तत्त्वों से है, जो प्रतिमाओं के भावों की अभिव्यक्ति करते हैं अथवा विचारों को उद्बुद्ध करते हैं। उदाहरण के लिए, रंगमंच और उस पर अभिनय का भाव अर्थतत्त्व का उद्बोधक है। केवल इतना ही नहीं, रंगमंच पर अभिनीत हो रहे अभिनय की अभिव्यक्ति का सम्बन्ध वर्तमान काल तथा अन्य पुरुष से है। इस वस्तुतत्त्व का सम्बन्ध सम्बन्धतत्त्व से है। यह सम्बन्धतत्त्व अर्थतत्त्व का भावक होता है। इसलिए बुद्धि दोनों के परस्पर सम्बन्ध और अर्थ का भावन करती है। सम्बन्धतत्त्व का सम्बन्ध व्याकरण का विषय है। व्याकरण में मुख्य रूप से पद और पदार्थ का सम्बन्ध निरूपित किया जाता है। धातु, प्रत्यय, रचना, आदि और पद पदादि तथा वाक्य में उनका क्रम, सम्बन्ध, आदि व्याकरण का विषय है। भाषा के गठन का विचार करते समय हमें भाषा की विषय-वस्तु और उस की अभिव्यक्ति दोनों का विश्लेषण करना पड़ता है। सामान्यतया पद ग्राम ध्वनिग्रामों का लघु अनुक्रम है। ध्वनिग्रामों से हम अर्थ का पता नहीं लगता। क्योंकि उनका विषय-वस्तु से सीधा सम्बन्ध नहीं है। वे केवल इकाइ (Unit) हैं, जिन से बोलने वाला और सुनने वाला पद-ग्रामों का अध्याहार कर लेता है। इस प्रकार पद ग्राम लघुतम सार्यक इकाई है। लघुतम इकाई का अर्थ है कि जो बिना खण्ड किए ही अर्थ देती है। इस तरह भाषा का तात्त्विक विश्लेषण मुख्य रूप से केन्द्रीय तीन गठनात्मक स्तरों से सम्बद्ध है ध्वनि प्रक्रियाविज्ञान (Phonology), पद विज्ञान (Morphology) और वाक्यविज्ञान (Syntax)। प्रत्येक भाषा का गठन ध्वनि, पद और वाक्य विन्यास के समासात्मक योग का परिणाम है। क्योंकि प्रत्येक ध्वनि का कोई न कोई अर्थ सन्निहित होता है और वह किसी न किसी क्रम में तथा रूप में सम्बद्ध होता है। अधतत्त्व और सम्बन्धतत्त्व ये दोनों भाषा के योजक तत्त्व हैं। इसलिए ध्वनि, पद और वाक्य का विचार करते समय उन में गमित अर्थ तथा सम्बन्ध तत्त्व का समाहार हो जाता है।

प्रत्येक युग में भाषा-संघटना में सतत परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन केवल व्यक्तिगत प्रयोगों तक ही सीमित नहीं होते, वरन् प्रति दिन के व्यवहृत नए शब्द, नए रूप, नए उच्चारण और पुराने प्रयोगों के लुप्त होना बाहर भी होते हैं। इन नवीन प्रयोगों में भी विशिष्ट परिवर्तन देखे जाते हैं। शताब्दियों के अन्तराल में भाषाविषयक इन परिवर्तनों के परिवर्तनस्वरूप हम विभिन्न युगों की भाषा की अलग अलग नामों से

बोधित करते हैं। अतएव भाषिक पद्धति का वर्णन करने के लिए ऐसी विधि अपमाननी पड़ती है, जिसमें समय का कोई बन्धन हो अथवा जो विशिष्ट या समयसम्बन्ध हो। भाषा तत्त्वों का जो वर्णन किया गया है उस से पता चलता है कि वर्णनात्मक भाषाशास्त्र के भी दो सम्प्रदाय हैं—एक तो वे विश्लेषक हैं, जो सभी प्रकार से समय के बन्धन से निर्मुक्त हो कर विचार करने में विश्वास रखते हैं और दूसरे वे हैं, जो समय की सीमा में बँध कर चलते हैं। पहले प्रकार का विचार करने वालों का वर्णन किसी एक सीमा में स्वन, सस्वन, ध्वनिग्राम तथा पद एवं पदग्रामादि के यथाक्रम अनुबद्धता अथवा उन परिणामों के रूप में होता है, जिन में कि वे पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, बह घोड़ा से घोड़े कैसे बन जाता है, इन दोनों में एकवचन और बहुवचन का भेदक तत्त्व क्या है, 'ए' किस प्रकार के शब्दों में जोड़ देने से एकवचन के स्थान पर बहुवचन का अर्थ देने लगता है, आदि बातों का विचार करते हैं, जो समय की सीमाओं से परे है। दूसरे, जो इतिहास के किसी काल से सम्बन्धित होते हैं, वे विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक पद्धति के विश्लेषक होते हैं, जो सामग्री का विचार करते समय उस के विकास क्रम पर ध्यान देते हैं। यद्यपि इस में विकास की व्याकरणिक प्रक्रिया अथवा परिवर्तन सर्णि सयुक्त होती है, किन्तु तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए यह पद्धति निर्देशिका के समान होती है। भाषा सघटना का विचार करते समय विश्लेषक ध्वनि विज्ञान से लेकर वाक्य विज्ञान तक यथाक्रम रूप से अथवा वाक्य विज्ञान से लेकर ध्वनि विज्ञान तक ऊपर से ले कर नीचे तक या नीचे से ले कर ऊपर तक किसी भी प्रकार से विश्लेषण कर सकता है।

व्याकरण तथा आन्तरिक रूप

प्रायः प्रत्येक भाषा का कोई न कोई व्याकरण होता है। यह कथन हमारे प्राचीन भाषाओं के व्याकरण के व्यामोह का द्योतक है। क्योंकि हम इस से यह समझते हैं कि भाषा का व्याकरण एक ही प्रकार का होता है। अतः प्राचीन भाषा का जो व्याकरण प्राचीनतम पद्धति पर लिखा हुआ मिलता है, वही एक व्याकरण की पद्धति है और उस के सिवाय किसी पद्धति पर व्याकरण लिखा नहीं जा सकता है। वस्तुतः व्याकरण का जन्म 'स्वीकार्य सामाजिक प्रयोगों' के निमित्त हुआ था। इसलिए संस्कृत में 'भृगुमय', 'गेह', 'कतिपय' (कतिपद), तथा 'मलयाचल' अशुद्ध होने पर भी साहित्य में प्रयुक्त मिलते हैं, क्योंकि वे असाधु नहीं हैं। जो समाज के द्वारा प्रयोग में स्वीकार्य होते हैं, वे साधु कहे जाते हैं। हिन्दी में 'समाचार' जिस अर्थ में चलता है, वास्तव में, शब्द से उस अर्थ का तनिक भी सम्बन्ध नहीं है। संस्कृत में 'समाचार' का अर्थ है—सम्पक् आचार। यह समाचारी अर्थ में भी प्रचलित है (सामूहिक आचार)। किन्तु हिन्दी में न जाने कितने समाचार-पत्र निकलते हैं, जो खबरें देने का काम करते हैं। हिन्दी में इसका प्रथम प्रयोग गोस्वामी तुलसीदासजी के 'रामचरितमानस' में मिलता है। सम्भव है वहीं से यह शब्द अपना लिया गया हो। हिन्दी में ऐसे अनेक शब्द

प्रचलित हैं जो रूप और अर्थ की दृष्टि से कुछ नहीं हैं, किन्तु समाज में प्रचलित होने के कारण मान्य हो चुके हैं। ऐसे कुछ शब्द इस प्रकार हैं—तुल्य (तुल्य), मोन्य (भन्ते), महर, महरा (भद्र), पालम्बी (धार्मिक सम्प्रदाय), मेहतर (महत्तर), देवर (द्वितीय वर), विषाह (विशेष रूप से ले जाना), बाकिन (काली की उपासिका), किन्नर (कुत्सित नर), इत्यादि। अतएव व्याकरण अनुशासन मान्य है। यदि हम कहते हैं 'नहीं है' तो यह व्याकरण की दृष्टि से ठीक है और 'है नहीं' कहते हैं तो अशुद्ध है, क्योंकि यह असाधु प्रयोग है।

प्रत्येक भाषा का अपना गठन होता है और अपना व्याकरण होता है। सघटना के अनुसार ही व्याकरण की निर्मिति की जाती है। भाषा पहले बनती है और व्याकरण बाद में। व्याकरण के कई प्रकार कहे गए हैं। प्रो० राबर्ट ए० हॉल के अनुसार रीत्यात्मक व्याकरण (Prescriptive grammar), वर्णनात्मक व्याकरण (descriptive grammar), व्यतिरेकी व्याकरण (Contrastive grammar), ऐतिहासिक व्याकरण (Historical grammar) और तुलनात्मक व्याकरण (Comparative grammar), जैसे बहुत-से भेद होते हैं। 'रीत्यात्मक व्याकरण 'हमें किस प्रकार बोलना चाहिए और किस प्रकार नहीं', इस प्रकार का आदेश प्रदान करता है। किन्तु वर्णनात्मक व्याकरण में भाषा-सघटना का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। भाषा के गठन का विस्तार के साथ इस में वर्णन किया जाता है। भाषा की गठनात्मक रूपरेखा को स्पष्ट करना ही इसका उद्देश्य होता है। यदि किसी भाषा की व्याकरणिक सघटना को दूसरे से भेद करके बताया जाता है, अथवा यह जानने के लिए कि अमुक भाषा की बनावट में क्या अन्तर है, जिस से भाषा सीखने वाले दूसरे लोगों को कठिनाई होती है तो इसे व्यतिरेकी व्याकरण कहा जाता है। जिस में भाषा के गठन का ऐतिहासिक विकास बताया जाता है, वह ऐतिहासिक व्याकरण है। यदि किसी भाषा की बोलियों में या किसी एक प्राचीन स्रोत से विकसित होने वाली भाषाओं के समझने में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो तुलनात्मक व्याकरण में उन के विभिन्न रूपों की तुलना कर हम वास्तविकता को जान सकते हैं।

किसी भी भाषा की व्याकरणिक पद्धति उस के क्रियाशील तत्त्वों से निर्मित होती है। उन के परस्पर सम्बन्ध और सांकेतिक क्रम में स्थापन व्याकरणिक तत्त्वों के लक्षण कहे जाते हैं। यह पद्धति और अभिव्यक्तिमूलक अर्थ 'व्याकरणिक हार्द' कहा जाता है, दूसरे लोग इसे ही भाषा का 'आन्तरिक रूप' कहते हैं। 'हार्द' कहते ही हमारा ध्यान गठनात्मक तत्त्वों पर केन्द्रित हो जाता है और 'आन्तरिक रूप' कहने से अर्थ का बोध होता है। यद्यपि गठनात्मक तत्त्वों के अर्थ कह कर उस को परिभाषित करना प्रायः कठिन होता है, किन्तु वास्तव में उसका अस्तित्व है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और जिस से हम किसी उच्चार के वास्तविक अर्थार्थ सम्बन्ध को निर्मित करते हैं। उच्चारण के लिए, कुछ उपाहास विशेष रूप से अर्थ से सम्बन्ध होते हैं।

इसलिए यदि हम कहते हैं कि 'भीमान्खी क्या रंग है', 'जनाब, क्या बात है' तो व्याकरणिक रचना की दृष्टि से ये अर्थतन्त्र से सम्बन्धित हैं।

भाषा का विश्लेषण करने वाला किसी भी भाषा के व्याकरणिक हार्द का वर्णन करते समय सबसे पहले अर्थ का विनिश्चय करने के लिए नामाख्यातकों (Functors) को धृत करता है और वस्तुरूप्यमान तथा नाम रूपों के विभिन्न सम्भावित संबन्धों का अर्थपूर्ण क्रम में परिचय प्राप्त करता है। इतना होने पर वह रूपों के वर्गों का अन्य रूपों के साथ सयोगगत अध्ययन करता है कि वे नाम रूप है अथवा वस्तु रूप्यमान। भाषा की व्याकरणिक कोटियाँ (वचन, पुरुष, काल, आदि) इस सन्दर्भ में रूपों के वर्गों में स्थापित की जाती हैं। किन्तु रीत्यात्मक व्याकरण के अनुसार उन के नामनिर्देश करना आवश्यक नहीं होता क्योंकि वे प्रायः भ्रमपूर्ण होते हैं। इसलिए विभिन्न सन्दर्भों का विचार कर हमें नए नाम ही देना चाहिए। सुविचारित नए नामों से किसी प्रकार के भ्रम की सम्भावना नहीं रह जाती।¹

केवल एक स्वरलहर से समन्वित कोई भी अर्थपूर्ण उच्चार भाषिक रूप (Linguistic form) कहा गया है। इस में एक शब्द से ले कर बड़े लम्बे वाक्य तक आ सकते हैं। किन्तु अभी हमारा प्रयोजन भाषिक रूपों से केवल इतना ही है कि भाषा के गठन के न्यूनतम इकाइयों के रूप, पदग्रामों का विचार किया जाए। वास्तव में भाषिक उच्चार ही भाषिक सामग्री का वाय या समुदाय होता है। उसके आधार पर ही किसी भाषा का वर्णन या विवेचन किया जाता है।

पद और पदिम (Morph and Morpheme)

जिस प्रकार ध्वनिग्रामीय आधारभूत इकाई स्वनिम होती है, उसी प्रकार पदग्रामीय आधारभूत इकाई पदिम है। पद स्वनों का वह सयोग कहा जाता है, जिस में अर्थ तथा रूप निहित रहता है। हमारे वाग्व्यवहार के उच्चारों में भाषणध्वनियों एक गठनात्मक पद्धति में क्रियाशील लक्षित होती हैं। किन्तु हमारी ध्वनि प्रवृत्तियों से प्रतिफलित होने वाले ध्वनिग्राम अर्थवान नहीं होते। इसलिए विस्तृत अर्थ में भाषिक रूप का अर्थ होता है—स्वनिमों का वह अर्थपूर्ण अनुक्रम, जो एक ओर आकार तथा रूप से सम्बद्ध होता है और दूसरी ओर ध्वन्यात्मक वाक्य से। प्रो० हॉल ने इस सन्दर्भ में ध्वन्यात्मक (Phonetic) और ध्वनिग्रामीय (Phonemic) दोनों का समाहार करते हुए ध्वन्यात्मक को अक्रियाशील और ध्वनिग्रामीय को क्रियाशील माना है।² भाषिक रूप में इन दोनों का अन्तर्भाव हो जाता है। उनकी मान्यता के अनुसार भाषिक रूप में पद अक्रियाशील हैं और पदग्राम सक्रिय है। दोनों के अपने अपने रूप हैं।

प्रत्येक स्वन की भाँति पद भी केवल एक बार उच्चरित होता है। पद अर्थधान होता है। अधुनातन भाषावैज्ञानिकों के अनुसार पद का अर्थ तथ्य (Concept) है। यथार्थ में, पदरचनात्मक वृत्तियों की विविधता के कारण प्रत्येक भाषा में पद की परिभाषा भिन्न होती है। यदि किन्हीं भाषाओं में पद की व्याख्या स्वतन्त्र तथा अविभाज्य समष्टिरूप कह कर की जाती है तो किन्हीं में संपृक्त एव संश्लिष्ट रूप में

विकीर्ण की जाती है। पद के अन्तर्गत विभेदक तत्त्व रहते हैं। पद अपनी व्यापकता पूर्ण तथा स्पष्ट होना चाहता है। श्री मेहरोत्रे के अनुसार जब ध्वनिधर्मों के किसी समूह में व्याकरणिक प्रयोग के अनुसार अर्थ का बोध कराने की शक्ति होती है तब उस ध्वनि-समूह को पद कहते हैं। हम किसी भी प्रकार से क्यों न कहें, पद में सम्बन्ध और अर्थतत्त्व दोनों अन्वहित रहते हैं। सम्बन्धतत्त्व की प्रधानता के कारण पद साक्षात् होता है। अर्थतत्त्व को संकेतित करनेवाली ध्वनियाँ प्रकृति कहलाती हैं और सम्बन्ध-तत्त्व को संकेतित करने वाली प्रत्यय कही जाती हैं। अर्थ का सम्बन्ध वाक्य बनाने से है और प्रत्यय का आन्तरिक मन या विवक्षा से। कहने वाला अपनी इच्छा से भाषा का व्यवहार करता है। प्राचीनों के अनुसार 'सुप्' और 'सिक्' से युक्त पद होते हैं। पद में नाम (संज्ञादि) और आख्यात (क्रियापद) दोनों का मेल होता है। दूसरे शब्दों में, प्रकृति और प्रत्यय के मेल को पद कहते हैं। पद के इसी आधार पर मुख्य दो भेद माने जाते हैं—नामपद और क्रियापद। अन्य पदों का अस्तित्व बहुत कुछ इन्हीं पर अवलम्बित है। इस प्रकार पाणिनि के अनुसार प्रातिपदिक, विभक्ति और प्रत्यय, आदि से मिल कर 'पद' बनता है। किन्तु अधुनातन भाषाशास्त्री ध्वनिग्रामों के न्यूनतम अर्थवान तत्त्व को पद मानते हैं। उन के अनुसार पदों की रचना ध्वनि-ग्रामों के अनुक्रम से होती है। ध्वनिग्रामों के संयोग से अक्षर और अक्षरों के योग से शब्द की रचना होती है। एक क्रम बताने के लिए कहा जा सकता है कि उच्चारण के प्रवाह में स्वनिध्वनिग्रामों में और ध्वनिग्राम अक्षर तथा शब्दों में और शब्द पद एवं पदग्रामों में तथा पदग्राम वाक्यों में सन्निहित रहते हैं। इस दृष्टि से पद उच्चारण की अर्थवान इकाइयाँ निरूपित किए गए हैं। उदाहरण के लिए, 'कपड़ों' एक उच्चारण है, किन्तु इसमें दो अर्थवान इकाइयाँ हैं—(१) कपड़, (२) ओं। इस प्रकार उच्चारण की दृष्टि से पद तथा पदियों का विचार किया जाता है।

पद-ग्राम

पदिम को पदग्राम भी कहते हैं। पदग्राम का विचार करते हुए अधुनातन भाषाशास्त्रियों ने उसे अलग-अलग रूपों में विवेचित किया है। यद्यपि कुछ भाषाविद् पद को अर्थवान नहीं मानते हैं, किन्तु में हैरिस तथा हिल का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है, किन्तु होकेट, स्टीसन और हॉल आदि व्याकरणिक अर्थवान तत्त्वों वा अर्थपूर्ण भाषिक रूपों को 'पदग्राम' मानते हैं। यह भाषा की अभिव्यक्तिमूलक इकाई कही जाती है, जिस का वस्तु से पूरा पूरा सम्बन्ध रहता है। ध्वनिग्राम से भिन्न मानने का मुख्य कारण यही है कि ध्वनिग्राम अर्थमूलक नहीं होते, किन्तु पदग्राम सार्थक होते हैं। अभिव्यक्ति पद्धति में इसे द्वितीय मूलभूत इकाई माना गया है।

यद्यपि शब्द को व्याकरणिक विवेक्षण के समय मूलभूत व्याकरणिक इकाई मान लिया जाता है, किन्तु वास्तव में वह स्वतन्त्र व्याकरणिक इकाई नहीं है। अनेक शब्द-रूपों में, जैसे कि—बोझों, गधों, कुत्तों, बाघों और चीतों, आदि को विभक्त

क्रम से हो व्याकरणिक अर्थवान् तत्त्व विश्लेषित किए जाते हैं। इनमें 'ओं' कुछ शब्द से पृथक् है। इसके आगे इन शब्दों को स्वल्पतर इकाइयों में बाँटना सम्भव नहीं है। ध्वनिप्रक्रियात्मक रूप से इन को (बोड़ा, मधा, कुप्ता, बाध, धीता, को) आगे शब्द और व्यञ्जन तत्त्वों के रूप में विभक्त किया जा सकता है, किन्तु यह विभाव किसी प्रकार के व्याकरणिक उपयुक्त अंशों की दृष्टि से पृथक्कृत नहीं किया जाय। अतः ये स्वल्पतर व्याकरणिक इकाइयों पदग्राम कही जाती हैं।

पदग्राम के इस सन्दर्भ में शब्द का बहुत विचार किया गया है। सामान्य रूप से शब्द भाषा का एक पृथक् तथा स्वतन्त्र तत्त्व माना गया है। किन्तु भाषातात्त्विक विश्लेषण में उस का कोई सर्वव्यापक रूप निश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ उदाहरणों में वह एक न्यूनतम मुक्त रूप में भी बताया जा सकता है। किन्तु जो शब्द पृथक् लिखे जाते हैं और जो कि मुक्तरूप नहीं हैं (जैसे कि—अग्नेजी के ए, एन), वे इस व्याप्ति में अन्तर्हित नहीं होते। कुछ लोगों ने शब्द के सम्बन्ध में विचार करते हुए 'ध्वनिग्रामीय शब्द' और 'पदग्रामीय शब्द' के रूप में इस का परिचय दिया है, किन्तु वैयक्तिक भाषाओं के लिए यह उपयोगी हो सकता है, परन्तु सार्वभौमिक रूप से जो उपयोगिता ध्वनिग्राम, पदग्राम और वाक्य विन्यास की है, वह ध्वनिग्रामीय तथा पदग्रामीय शब्द की नहीं है।

पदग्रामीय तथा वाक्यविन्यासात्मक विश्लेषण के अन्तर्गत उच्चारणों के मध्य संबंधों में प्रकट होने वाली सार्थक ध्वनियों का वर्गात्मक रूपों में अध्ययन किया जाता है। अपवाद के रूप में एक दो भाषाओं को छोड़ कर सामान्यतया ऐसी भाषाएँ नहीं दिखलाई पड़ती, जिन में सयोगगत सभी रूप केवल मुक्तरूप हों।¹ अधिकतर इन रूपों में, विशेष कर आवद्ध रूपों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिन से रूपवर्ग निश्चित किए जाते हैं। ये मुक्त तथा आवद्ध रूपवर्ग उपवर्गों में भी विभाजित किए जाते हैं। सामान्य रूप से किसी विशिष्ट रूप का अन्य रूपों के साथ सश्लिष्ट रूप में विचार किया जाता है। रूपों के परस्पर सम्बन्धों का वर्णन करते समय अधिकतर विश्लेषक व्याकरणिक पद्धति अपनाते हैं। व्याकरणिक पद्धति से पता चलता है कि रूप अकेला है अथवा संयोगी होने से एक से अधिक है। इस प्रकार उच्चारण के वे स्वतन्त्र अर्थवान् स्वच्छरूप, जिन से शब्द रचना हो सकती है मुक्तरूप (Free forms) कहे जाते हैं। जो किसी शब्द में अकेले प्रयुक्त नहीं होते अर्थात् जिनका उच्चारण स्वतन्त्र रूप से नहीं किया जाता, वे आवद्धरूप (Bound forms) होते हैं।

मुक्तरूप तथा आवद्धरूप

पदग्रामों को कई प्रकार से विभक्त किया गया है। इनका सर्वप्रथम वर्गीकरण मुक्तरूप तथा आवद्धरूप में किया गया है। मुक्तरूप वे हैं जो स्वतन्त्र रूप से शब्द रचना की क्षमता रखते हैं। शब्द में आवद्धरूप किसी अन्य पदग्राम के साथ प्रकट होता है। वह अकेले प्रयुक्त नहीं होता। पदग्राम के मुक्तरूपों से अनिवार्य रूप से मूक

पदप्रामाणिक (Monomorphemic) शब्दों की स्थिति होती है। केवल निम्नलिखित जैसी एक दो भाषाओं की छोड़ कर कोई ऐसी भाषा नहीं है, जिस में सभी पदप्रामाणिक मुक्तरूप में रहते हों। किन्तु वे भाषाएँ अपवाद रूप में गिनाई जाती हैं। पहले कहा जा चुका है कि 'सङ्को' में उच्चारण एक है, किन्तु पद दो हैं। इसी प्रकार 'मुक्तरूपों' में मुक्तरूप 'मुक्ताङ्क' और आवद्धपद 'ओं' है। मुक्तरूप के अन्य उदाहरण हैं—शब्द-शास्त्र, कलिपुत्र, बोलचाल, डाकघर, भागदौड़, इत्यादि। इन उदाहरणों में दो मुक्तरूप पद हैं। वे स्वतन्त्र हैं और अर्थवान भी। स्वतन्त्र रूप से इन्हें इस प्रकार लिखा जायगा—शब्, शास्त्र, कलि, पुत्र, बोल, चाल, डाक, घर, भाग, दौड़। इस प्रकार मुक्तरूप किसी शब्द के उच्चरित होने वाले वे उच्चारण होते हैं, जिन का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व और अर्थ होता है। किन्तु आवद्धरूप स्वतन्त्र तथा अर्थवान रूप में उच्चरित नहीं होते, जैसे कि—हीनता, दीनता, बेलें, पेड़े, छोटे में, सखिल्ल 'ता, ता, ए, ए, ए।' इसी प्रकार दो आवद्धरूप वाले पद हैं—वैषम्य, निर्मापित, ताटस्थ, तारतम्य, व्यस्त, आदि। जिन में एक या एक से अधिक आवद्धरूप पद होते हैं, वे 'संकर' शब्द कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए—पड्डितार्थ, मानवता, हीनता, दुर्बलता, बचपन, कालिमा, अविरोधिता, असहिष्णुता, आदि सफल आवद्धरूप हैं। इन में संयुक्त अन्तिम प्रत्यय आवद्धरूपता के चोत्कर्ष हैं। किंचि प्रकार आवद्धरूपों की अपनी विशिष्ट स्थिति होती है और वे एक या एक से अधिक भी एक साथ प्रयुक्त होते हैं, उसी प्रकार जब कोई शब्द दो या दो से अधिक मुक्तरूपों से निर्मित होता है तब उसे 'सखिल्ल' कहा जाता है। यह शब्दों की सामासिक स्थिति होती है। समास में आने वाले इस प्रकार के शब्द हैं—

स्तानघर, डाकघर, पानदान, तिलचट्टा, दारुरोटी, नलकूप, पथभ्रष्ट, देशसेवक, बारहमासी, कामचोर, आदि।

द्वितीय प्रकार से पदप्रामाणिकों को धातु (Roots) और प्रत्ययों (Affixes) में विभक्त किया जाता है। धातु मूल शब्द है, जो सभी प्रत्ययों को हटा देने के बाद अपने मूल रूप में स्वतन्त्र अस्तित्व रखती है। धातु और प्रत्ययों के भी मुक्त रूप तथा आवद्धरूप कहे जाते हैं। धातु पदप्रामाणिक आवद्धरूप तथा मुक्तरूप दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये किसी भी भाषा में असीमित संख्या में मिलते हैं। किन्तु प्रत्यय आवद्धरूप पदप्रामाणिक होते हैं। वे संख्या में सीमित होते हैं। प्रत्ययों से विभिन्न प्रकार के शब्दों की रचना होती है। यह कहा जा सकता है कि सभी शब्दों में धातु-पदप्रामाणिक निहित रहता है, और इसलिये मूल पदप्रामाणिक शब्दों में एक धातु (मूल शब्द) समाहित रहती है। किन्हीं-किन्हीं शब्दों में एक से अधिक मूल शब्द होते हैं। सभी भाषाओं में प्रत्यय भिन्न पाए जाते हैं। संस्कृत के प्राचीन वैयाकरणों के अनुसार सभी प्रकार के नाम (संज्ञा) और आख्यात (क्रियापद) के मूल में कोई न कोई धातु अवश्य होती है। यहाँ में नाम और आख्यात ही मुख्य होते हैं। इसलिये संस्कृत में प्रत्यय भी

मुख्य रूप से दो प्रकार के माने गए हैं—व्युत्पादक प्रत्यय (Derivative Suffix)
और विभक्ति-प्रत्यय (Inflexional Suffix) ।

पदभ्रामिक विश्लेषण (Morphological analysis)

पदभ्रामिक विश्लेषण में हमारा मुख्य कार्य आबद्धरूप तथा न्यूनतम मुक्तसूरी के साँचों को निश्चित कर बर्गों तथा उपवर्गों में विभाजित करना होता है। साधारण रीति में यह पता लगाने के लिए कि पदभ्रामीय समूहों में सम्बन्धित रूप आरम्भ से अन्त तक किस प्रकार रूप तथा अर्थ में सतत बने रहते हैं, यह अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन में पदों के रूप समूह में से किसी एक को ले कर या मूल रूप को ले कर विश्लेषण करना पड़ता है। सामान्य मनुष्य अपने भावों को प्रकट करने के लिए तथा अन्य उच्चारों का अर्थ समझने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। इस प्रकार काम चलाना ही उसका प्रयोजन होता है। किन्तु भाषाविद् या भाषाशास्त्री उच्चारों तथा पदों को समझ कर अर्थवान खण्डों में विभक्त कर उन का विश्लेषण करता है। यद्यपि हैरिस, हिल आदि भाषाशास्त्री पदभ्रामिक विश्लेषण में अर्थ को आधारभूत नहीं मानते, किन्तु अधिकतर भाषातत्त्ववेत्ता जिन में ब्लूमफील्ड, ब्लॉख तथा ट्रेगर, ग्लिसन, रॉबिन्स तथा हॉल आदि भी हैं, अर्थ को ध्यान में रख कर पदभ्राम का विश्लेषण करते हैं। सभी यह मानते हैं कि पदभ्रामिक विश्लेषण का आधार शब्द रूप है, किन्तु रूप मात्र का विनिश्चय तथा अर्थवान एव भिन्न रूपों का बटन अर्थ को ध्यान में रख कर ही किया जाता है। मूल शब्द का पता भी अर्थ से ही लगता है। अतः अर्थ को ही आधारभूत मानना चाहिए। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित वाक्य हैं—

मोहन बड़ा हटा-कटा है।

राम बड़ा गट्टा पट्टा है।

इन वाक्यों के खण्डों में विभक्त रूप होंगे—

। मोहन । बड़ा । हटा । कटा । है ॥

। राम । बड़ा । गट्टा । पट्टा । है ॥

ऊपर लिखे हुए शब्दों । हटा । कटा । गट्टा । पट्टा । में कुछ अशों में रूपगत ही नहीं, अर्थगत भी समानता है। इन चारों शब्दों को इस प्रकार खण्डों में विभाजित किया जा सकता है

हटा—हट् + आ

कट्टा—कट् + आ

गट्टा—गट् + आ

पट्टा—पट् + आ

इसी तरह भुक्कड़, बुक्कड़, सुक्कड़, भिखमगा, सतरगा, हथकड़ी, कुदकड़, कमेरा, छटेरा, कटैया, गवैया, रचैया, मोटिया, गोठिया, तंबेरा, कसेरा, घनेरा, बड़ेरा, लोनिया, इत्यादि में निम्नलिखित विभक्त खण्ड हैं—

भूख—भुक् + अक्कड़

बूख—बुक् + अक्कड़

सौ—सु + अक्कड़

भीख, माग—भिक् + मंगा

काट, रंग—कट् + रंजा
 कुट—कुट् + अक्कट्
 खट—खट् + एरा
 गाव—गव् + ऐया
 सोटा—मोट् + हया
 ताबा—तव + एरा
 घना—घन् + एरा
 लोन—लोन + हया

हाथ, कड़ी—हथ् + कड़ी
 क्रमा—कम् + एरा
 काट—कट् + ऐया
 रत्न—रत् + ऐया
 मोठ—मोट् + हया
 कासा—कस + एरा
 बड़ा—बड् + एरा

वस्तुतः इन शब्दों का विभाजन मूल शब्द और प्रत्ययों को विभक्त कर किया गया है। इन मूल शब्दों के साथ प्रत्ययों के संयोग काल में जो परिवर्तन कथित होते हैं, जैसेकि—‘सो’ के ‘ओ’ का ‘उ’ ह्रस्व हो जाना, ‘बूझ’ का दीर्घ ‘ऊ’ ह्रस्व ‘उ’ में बदल जाना, आदि परिवर्तन—वे सन्धि तथा समास के कारण होते हैं। कहीं कहीं शब्द के मध्य में ‘य’ अथवा ‘व’ श्रुतिरूप का आगम भी देखा जाता है, यथा—‘पियक्कड’ में ‘पी + अक्कट्’ (य आगम) तथा ‘सुवक्कड’ में ‘सु + अक्कट्’ (व आगम) क्रमशः ‘य’ और ‘व’ का आगम श्रुतिरूप है। इस प्रकार मूलरूप के साथ जो भी आवद्धरूप संयुक्त हैं, वे सब प्रत्यय हैं। प्रत्यय का अपना कोई स्वतन्त्र अर्थ नहीं होता और न स्वतन्त्र रूप से प्रयुक्त होने की क्षमता रखते हैं। प्रत्यय सदा प्रकृति के आश्रित रह कर अर्थवान होता है। अतः एष प्रकृति का व्युत्पत्तिपरक अर्थ है—अनुसरण करने वाला। संस्कृत के वैयाकरणों के अनुसार प्रत्यय प्रकृति के पश्चात् संयुक्त होने वाला माषिक अक्षर है, जो धातुओं की भाँति प्रायः एकाक्षरी होता है। इनका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं होता। आधुनिक भाषाशास्त्री प्रत्यय को व्यापक अर्थ में ग्रहण करते हैं। उनके अनुसार मूलरूप को अलग कर देने पर जो अवशिष्ट रहता है, वह प्रत्यय है। वह मूलरूप से सरल हो कर रहता है। प्रत्यय मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं—उपसर्ग (Prefix), पदप्रत्यय (Suffix) और अन्त प्रत्यय (Infix)। उपसर्ग मूलरूप या प्रकृति के पूर्व में संयुक्त होते हैं। पाणिनि का कथन है—‘ते प्राग्धातो’ अर्थात् वे धातु के पूर्व में जुड़ते हैं। मूलशब्द के पूर्व में संयुक्त होने के कारण इन्हें पूर्वप्रत्यय भी कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण में उपसर्ग की गति तीन प्रकार की कही गई है—१ उपसर्ग से धात्वर्थ में परिवर्तन हो जाता है, जैसेकि—प्र + हार (प्रहार), वि + हार (विहार), आ + हार (आहार), परि + हार (परिहार), स + हार (संहार), निः + आहार (निराहार), उप + हार (उपहार), उप + आहार (उपाहार), अन + आहार (अनाहार), पर + आहार (पराहार) और प्र + आहार (प्राहार), इत्यादि। २ मूल अर्थ में कुछ वैशिष्ट्य अंकित होने लगता है, उदाहरणार्थ—सुमति, विमति, कुमति, अमति, आदि। ३ कहीं-कहीं उपसर्ग के जुड़ने से मूल शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे—अभिमत, सम्मत, आदि। परप्रत्यय पद के अन्त में जुड़ने वाले प्रत्यय हैं, जैसेकि—सुन्दरता, चतुर्धाई, अक्षयकाल और सुमक्कड, आदि। अन्तःप्रत्यय को मध्यप्रत्यय भी कहा जाता है। वे

शब्द के मध्य में प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत में विकरण के रूप में मध्य में कहीं-कहीं इन का प्रयोग किया जाता है। हिन्दी में प्रेरणार्थक रूप बनाते समय इनका प्रयोग किया जाता है; यथा—इच्छना से इच्छाना, चञ्चलता से चलवाना, लिखाना से लिखवाना, इत्यादि। क्रियाशीलता की दृष्टि से प्रत्यय के दो अन्य मुख्य भेद भी किए जाते हैं—शब्दरचनात्मक (Derivational) और पद-रचनात्मक (Inflectional)। रूपविकार से मुक्त होने के कारण प्रत्यय को अव्यय की भाँति माना जाता है। यद्यपि शब्दरचनात्मक और पद-रचनात्मक दोनों प्रकार के प्रत्यय प्रकृति के पूर्व, मध्य और अन्त में कहीं भी प्रयुक्त हो सकते हैं, किन्तु भारतीय आर्यभाषाओं का प्रयोग करने वाले उन्हें केवल परप्रत्यय के सश्लिष्ट रूप में ही जानते हैं। क्रिया एव कार्य की दृष्टि से एक शब्दात्मक है तो दूसरा पदरचनात्मक। एक अर्थात्मक है तो दूसरा व्याकरणिक। एक का सम्बन्ध अर्थतत्त्व से है तो दूसरे का सम्बन्धतत्त्व से। दोनों के अपने भिन्न भिन्न कार्य हैं। प्रकृति के साथ शब्दसाधक प्रत्ययों का एक साथ दो का भी संयोग हो सकता है, किन्तु पदसाधक प्रत्यय केवल एक ही संयुक्त हो कर कार्य कर सकता है।

पदध्वनिप्राप्तिक और सन्धि

पदप्रारंभों की विविधता के कारण वे परस्पर भिन्न होते हैं। जहाँ तक उन के ध्वनिप्राप्तिक आकार का प्रश्न है यदि किसी पदप्रारंभ में एक ध्वनिप्राप्तिक आकार है तो वह एक सहपद के साथ संयुक्त होगा और इसलिए विविधता का प्रश्न नहीं उठेगा। यह सदा ध्यान देने योग्य है कि सहपदों के बीच ध्वनिप्राप्तिक भेद तभी लक्षित होता है, जबकि पदप्राप्तिक साँचे की सघटना का विचार करने के पूर्व किसी के वर्णन को सावधानी से देखने का यत्न करें। ध्वनिप्राप्तिक भेद में सहपदों के रूप होते हैं। जो ध्वनिप्राप्तिक एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उन्हें परस्पर परिवर्तनीय कहा जाता है, जैविक—हिन्दी की बोलियों में 'न्' तथा 'ण्'। पानी, पाणी प्रान्, प्राण्, चना, चणा, कन्, कण्, क्षण, लण, खन्, इत्यादि। इस परस्पर परिवर्तन के लिए सावैतिक चिह्न '~' का प्रयोग किया जाता है। ध्वनिप्राप्तिक परिवर्तन के अन्तर्गत आगत पदप्राप्तिक पदविज्ञानीय और ध्वनिप्राप्तिक स्तरों के मध्य अवकाश को पूरने वाले सेतु के समान होते हैं, और इसी कारण उन्हें पदध्वनिप्राप्तिक (Morphophonemic) कहा जाता है। पदध्वनिप्राप्तिक परिवर्तनों के सन्दर्भ के बिना भी किसी भाषा-सघटना का विश्लेषण करना पूर्णतया सम्भव है। किन्तु पदविज्ञानीय और वाक्यविज्ञानीय विस्तृत वर्णन के लिए उन के विभिन्न स्तरों के निर्धारण के अनन्तर ही परस्पर सम्बन्ध बतलाया जा सकता है। अतएव व्यापक अर्थ में 'पदध्वनिप्राप्तिक' शब्द में पदप्रारंभों के अन्तर्गत सभी प्रकार के ध्वनिप्राप्तिक परिवर्तन, चाहे वे स्वचालित हों या नहीं और चाहे वे अर्थवान् हों या नहीं, का अन्तर्भाव हो जाता है।

सन्धि शब्द भारतीय व्याकरण से भाषाशास्त्र के क्षेत्र में पहुँचा है। सन्धि का अन्वयार्थ है—जोड़। दो ध्वनियों के संयुक्तीकरण को सन्धि कहा जाता है। भाषाशास्त्र

में इसे अन्तर्गत 'असंगतता' ही कहा गया है। 'राकट' एवं 'लौह' के अक्षरों का प्रायः विवृति (Insertion) के कारण बटित होती जाती है। यह सन्धि-कारण उचीतार्थी सहाय्यी में संस्कृत से उधार किया गया, जिसका अर्थ है—असंगतता (असंगत मिलान)। सन्धि-रों प्रकार की हो सकती है—आन्तरिक और बाह्य। जो पदप्राम के अन्तर्गत बटित होती है उसे आन्तरिक सन्धि कहते हैं और जो पदप्रामों की सीमा से बाहर बटित होती है उसे बाह्य सन्धि कहते हैं। सन्धिगत ध्वनिप्रामों की विविधता को सन्धि-वैविध्य (Sandhi Variations) और परिणामस्वरूप पदप्रामीय परिवर्तनों या सहपदों को सन्धिक-परिवर्तन (Sandhi-alternants) कहा गया है।

स्वचाकित सन्धिक-वैविध्य ध्वनिप्रामीय स्तर पर विवृति के ध्वनिप्रामीय परिवर्तनों के अन्तर्गत भी व्यवहृत किया जाता है। अंग्रेजी तथा आधुनिक यूरोपीय भाषाओं में वैयक्तिक पदप्रामों के अन्तर्गत (आन्तरिक सन्धि में) इस प्रकार के परिणाम प्रचुरता से रुक्षित होते हैं, लैटिन और ग्रीक से उधार लिए गए उन शब्दांशों में यह प्रक्रिया परिरुक्षित होती है, जो विशेष रूप से व्युत्पत्ति के रूप में पदप्रामों में अज्ञ लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, अंग्रेजी में 'न'। सामान्य रूप से संवृत विवृति में 'प, ब, म' के पूर्व में प्रयुक्त नहीं होता, किन्तु स्वचाकित स्थिति में उसके स्थान पर 'म'। हो जाता है, जैसेकि—improbable (इम्प्रोबेबल), निषेधवाचक उपसर्ग में तथा अन्य प्रत्ययों के प्रयोग में यह बात स्पष्ट है। संस्कृत में भी 'अन' से अनाहारक, अनाचार, अनावश्यक आदि, इसी तरह के उदाहरण कहे जा सकते हैं। इसी प्रकार ध्वनियाँ परस्पर बदल जाती हैं, एक-दूसरे का प्रतिस्थापनीय रूप ग्रहण कर लेती हैं। हिन्दी में भी इसके कई उदाहरण मिलते हैं; जैसेकि—'अम्मा' से 'अम्मा', 'कम्मा' से 'कम्मा', 'नम्बरदार' से 'रम्बरदार', 'निम्बु' से 'लिम्बु', 'नौधना' से 'लौधना', 'नीलना' (निगरण) से 'लीलना'। इसी प्रकार 'ड' के स्थान पर प्रायः 'र' प्रयुक्त देखा जाता है, उदाहरण के लिए—पाड़ा—पारा, हड़ताड़—हरताड़, सड़क—सरक, खिड़की—खिरकी, ककड़—ककर, सडना—सरना, इत्यादि। 'र' के स्थान पर 'ल' भी देखा जाता है, यथा—रोम—लोम, बारी—बाली, बाल—बार, फरना—फरना, ओखली—ओखरी, पीतल—पीतर, बादल—बादर, मरहम—मरहम, आदि। यही नहीं, 'ङ' ध्वनि 'ज' में बदल जाती है, जैसेकि—चुनड़ी—चुनी, बनड़ी—बनी, बनड़ा—बना, आदि। ध्वनिप्रामीय प्रतिस्थापन की अन्य विधियों में भी होने वाले पदध्वनिप्रामिक परिवर्तनों में ऐतिहासिक ध्वनि-विकास के लक्षण स्पष्ट रूप से रुक्षित होते हैं, जो ऐतिहासिक ध्वन्वात्मक परिवर्तन के परिणामस्वरूप बटित होते हैं, जैसे कि—समीकरण (assimilation), तालव्यीकरण (palatalization), विषम्यीकरण (dissimilation), वर्णविपर्यय (metathesis), इत्यादि।

इन स्वचाकित प्रतिस्थापनों की अपेक्षा परचाकित (non automatic) पद-ध्वनिप्रामिक परिवर्तन अधिक महत्त्वपूर्ण हैं, जो अर्थ-परिवर्तन के साथ अक्षर विना

अर्थ बदले घटित होते हैं, उदाहरण के लिए—पमार—पंवार (एक बरसाती पौषा, चक्रवर्द्ध), छिमा—खिमा (क्षमा), कागद—कागज, छिलका—छुलका, भिनसारा—भुनसारा, आदि । अर्थ भेद वाले उदाहरण इस प्रकार हैं—बाबन—बाभन, बाबन—घोबन, दीवाल—दीवाली, चमचा—चरचा, आमली—आबली, माटी—मटकी, धरती—धँलती, सज्जन—साज्जन, इत्यादि । इसी प्रकार 'मिथी' से 'माटी' तथा 'बचु' से 'चोच' एवं 'मुण्ठी' से 'सोंठ' आदि में 'इ' को 'आ' तथा 'उ' को 'ओ' होना स्वचालित नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये समानांतर उदाहरण हैं । इस प्रकार की समानता रखने वाले कई प्रकार के उदाहरण ढूँढ़े जा सकते हैं ।

इस प्रकार पदध्वनिग्राहिक प्रतिलेखन में तिरछी दो पक्तियों में // विविध ध्वनिग्राहीय आकारों को प्रकट किया जाता है, जैसेकि—/बरसा/, /बरखा/, /पक्षी/, /पंछी/, /बच्छा/, /बाछा/, /वत्स/, /बच्चा/, इत्यादि । केवल भारोपीय भाषाओं में ही नहीं, कई भाषाओं में कई प्रकार के पदध्वनिग्राहिक परिवर्तन केवल कुछ ही रूपों में मिलते हैं, जो विशेष पदध्वनिग्राहिक प्रतीक भी कहे गए हैं ।^६ कहीं-कहीं ये परिवर्तन विभक्ति और व्युत्पत्ति के लक्षण के रूप में दिखलाई पड़ते हैं । कहीं कुछ स्थलों पर यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि कोई विशिष्ट रूप ध्वनिग्राहीय का है वा मूल रूप में पदध्वनिग्राहीय है । प्रोफेसर हॉल ने फ्रेंच भाषा की ऐसी दो समस्याओं का विस्तार के साथ उल्लेख किया है ।^७ वास्तव में, भाषिक विश्लेषण के क्षेत्र में प्रायः वर्तमानकालिक महत्वपूर्ण घटित विषय को पदध्वनिग्राहिक विश्लेषण में उद्घाटित किया जाता है, जो भाषा के परम्परागत व्याकरण में सदा उपेक्षित रहता है । इस से भाषा की प्रवृत्ति के साथ-साथ सम्बन्धित क्षिप्रता तथा अनित्यता के बीच सीमा निर्धारित करने में सहायता मिलती है । क्योंकि यह पदग्राहीय और ध्वनिग्राहीय दो स्तरों के बीच की स्थिति है, जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है । इस प्रकार पदविज्ञानीय सघटना में इन ध्वनिग्राहीय परिवर्तनों का विवेचन करना अत्यन्त उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है ।

रूप प्रक्रिया

पदग्राहीय प्रक्रिया (Morphological process) के अन्तर्गत शब्दरूपावली के शब्दों के मूल अर्थों को विधियों के द्वारा परस्पर शब्दों से पृथक् किया जाता है । ब्लॉख और ट्रेगर ने पाँच प्रकार की प्रक्रियाओं का वर्णन किया है । उनके नाम इस प्रकार हैं ^{१०}

- (१) प्रत्ययीकरण (Affixation),
- (२) आन्तरिक परिवर्तन (Internal change),
- (३) द्वित्वीकरण (Reduplication),
- (४) पूर्तिकरण (Suppletion),
- (५) शून्य रूपान्तरण (Zero Modification) ।

भाषा की रूप-रचना का विचार करते हुए सेपीर ने भाषा की आकृति को एक व्याकरणिक प्रक्रिया के रूप में चित्रित किया है। यथार्थ में, भाषा के रूप का प्रश्न ही दृष्टिकोणों से सम्बन्ध है—या तो इस व्याकरणिक प्रक्रिया से किसी भाषा का विचार कर सकते हैं अथवा अमिव्यञ्जा के सन्दर्भ में तथ्यों के वितरण का विनिश्चय कर सकते हैं।^{१२} भाषा के व्यावहारिक सौंचे क्या हैं? और किस प्रकार के तथ्यों से व्यावहारिक सौंचों की वस्तु का निर्माण होता है? ये दोनों ही दृष्टिकोण एक दूसरे से विलकुल मिल हैं। यह निश्चित है कि प्रत्येक भाषा में आन्तरिक ध्वन्यात्मक पद्धति का एक निश्चित सौंचा होता है। भाषावैज्ञानिक खोजों के आधार पर कई व्याकरणिक प्रक्रियाएँ स्थापित की गई हैं। वे छह प्रकार की कही गई हैं।^{१३}

(१) शब्दानुक्रम, (२) समास-रचना, (३) प्रत्ययीकरण, (४) आन्तरिक परिवर्तन, (५) द्वित्वीकरण, और (६) बलाघात।

सभी व्याकरणिक प्रक्रियाओं में अधिकतम प्रयुक्त होने वाली प्रक्रिया प्रत्ययीकरण है। यद्यपि चीनी और स्यामी जैसी भाषाएँ भी हैं, जिनमें यह व्याकरणिक प्रक्रिया प्रयुक्त नहीं होती, किन्तु ऐसी भाषाएँ असामान्य हैं। प्रत्यय तीन तरह के होते हैं उपसर्ग (पूर्व प्रत्यय), अन्त प्रत्यय, और पर प्रत्यय। इन में से पर प्रत्यय सब से अधिक प्रयुक्त देखा जाता है। यथार्थ में, यह अनुमान सत्य है कि भाषा रचना का सब से अधिक काय पर प्रत्यय से होता है। उपसर्ग या पूर्व प्रत्यय प्राथमिक स्थिति में प्रयुक्त होता है जैसेकि—अ—असमान, अकाल, असहनशील, अविनय, अज्ञान अन—अनजाने, अनसुना, अनपद, अनसोया, दुस्—दुष्कर्म, दुष्काल, दुर—दुर्गति, दुर्जन, दुरभिमान, नि—निबर, निघडक, निकाम, निर्—निर्जन, निर्माण, निर्वाचन, निर्धन, निर्मल, सस्कृत के प्र, परा, अप, सम्, अनु, अब्, निस्, वि, आड्, अभि, अधि, इत्यादि। अ-त-प्रत्यय माध्यमिक स्थिति का रूप है। मध्य में प्रयुक्त होने के कारण इसे अ-त-प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए—खिलना—खिलाना, खेलना—खिलवाना, फूँकना—फूँकवाना, सुनना—सुनवाना, आदि में 'आ' और 'वा' मध्यवर्ती होने से अन्त-प्रत्यय के उदाहरण हैं। तीसरा रूप अन्तिम स्थिति में, शब्द के अन्त में प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय अथवा पर-प्रत्यय है। हिन्दी में 'लिखाई, पढ़ाई' के अन्त में प्रयुक्त, आई, ई, ऊ, ता, पा, पन, उआ, अकड़, एरा, वाळा, कारी, खोर, बाज, मार, साज, हारा, ऐया, आदि प्रत्यय हैं। ई—तेली, माली, भंगी, ऊ—कमाऊ, खाऊ, उडाऊ, ता—नेता, निर्धनता, दासता, कुटिलता, पा—बुढ़ापा, मोटापा, पन—बचपन, छुटपन, लडकपन, उआ—मछुआ, खटुआ, कटुआ, अकड़—सुमकड़, पियकड़, बुझकड़, एरा—छुटेरा, कमेरा, ठटेरा, मडेरा वाळा—दूधवाळा, पानीवाळा, पानवाळा, कारी—क्रांतिकारी, विध्वंसकारी, निर्माणकारी, अन्धकारी, खोर—गोवाखोर, टुकड़खोर, सुनापाखोर, बाज—धोखेबाज, अकड़बाज, हवाबाज, मार—छापामार, बिड़ीमार, गोतामार, साज—घडीसाज, रससाज, हारा—पनिहाप, ककड़हार, राखनहार, येया—कटैया, गवैया, खवैया, हँसेया, इत्यादि।

आन्तरिक परिवर्तन

ध्वनिग्राम या ध्वनिग्रामों के अन्तर्गत जब दो या दो से अधिक शब्दरूप और अर्थ में मिलावट होने पर भी वे परस्पर सम्बन्धित होते हैं तब यह कहा जाता है कि उसी शब्द-तालिका के अन्तर्गत मूल रूप आन्तरिक परिवर्तन के कारण व्युत्पन्न या विभक्तिसमन्वित हुए हैं। ये परिवर्तन स्वर और ध्वजन दोनों में पाए जाते हैं, जो कि संसार की लगभग सभी भाषाओं में मिलते हैं। आन्तरिक परिवर्तन का प्रभाव स्वरिय या व्यंजनीय परिवर्तन होने पर या बिना परिवर्तन हुए भी मूल शब्द या शब्द पर लक्षित होता है। यह आन्तरिक परिवर्तन सभी प्रकार के प्रत्ययों के साथ होता है। ध्वनिग्रामीय और पदग्रामीय सम्बन्धी परिवर्तन का यह अध्ययन जो कि परस्पर आन्तरिक परिवर्तन से सम्बद्ध है, 'पदध्वनिग्रामिक' कहा जाता है।

द्वित्वीकरण

बिना आन्तरिक परिवर्तन के या आन्तरिक परिवर्तन होने पर भी मूल शब्द या शब्द के पहले या पश्चात् होने वाली पुनरावृत्ति द्वित्वीकरण है। यह प्रवृत्ति भारोपीय भाषाओं में विशेष रूप से मिलती है। ग्रीक में ही नहीं, संस्कृत में भी इस के उदाहरण भूतकालिक क्रियापदों के रूप में मिलते हैं, यथा—ददर्श, चंचाल, पपाठ, लुलोप, इत्यादि। हिन्दी में सामान्य रूप से सहा शब्दों में द्वित्वीकरण की प्रवृत्ति मिलती है, जैसे कि—खोटा-बोटा, लोटा ओटा, खिचड़ी बिचड़ी, घोड़ा बोड़ा, घर वर, आदि। सामासिक रूप में भी द्वित्वीकरण के कुछ उदाहरण मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं

इकली (एक आना), दुपल्ली (दो पल्ले वाली), दुतल्ला (दो तल्ला), चटाचट, तडातड, गटागट, सटासट, खिलखिलाना, हिनहिनाना, इत्यादि।

पूर्तिकरण

पूर्तिकरण एक प्रकार का चरम आन्तरिक परिवर्तन है जिस में केवल मूल शब्दांश ही नहीं, बरन् पूरा रूप बदल जाता है और एक शब्द-रूप के स्थान पर दूसरा शब्द-रूप हो जाता है, यथा—जाता गया जाएँगे। मूल शब्दांश ही नहीं, प्रत्यय भी पूर्तिकरण के मूल रूप होते हैं और इसलिए उन में भी परिवर्तन हो जाता है, जैसेकि—भागना भागे, जागे जागगे, खाए खाएगे, इत्यादि।

शून्य रूपान्तरण

किसी भाषा के रूप का वर्णन करते समय शून्य रूपान्तरण, शून्य प्रत्यय, शून्य परिवर्तन, आदि की चर्चा करना विशेष उपयोगी माना जाता है। यद्यपि अधिकतर शब्द रूपावली (paradigm) में वचन, काल, क्रियापदों, आदि की कोटियों पाई जाती हैं, किन्तु यदि किसी भाषा-सघटना में कोई कमी हो तो इस प्रकार के वर्णन से उसका पता लगाना सरल हो जाता है। शून्य प्रत्यय एक प्रकार का ऐसा प्रत्यय है, जिस में कुछ भी नहीं है। उदाहरण के लिए, हिन्दी में एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए कई प्रत्यय हैं और उनका प्रयोग भी होता है, किन्तु 'भाट' शब्द

का बहुवचन का रूप बहुवचन में भी समान रहता है। 'रु' की शक्ति बहुवचन में 'रुई' के समस्त पर 'मारुई' बन सकता है; किन्तु बनता नहीं है। इसी प्रकार 'हाथी आता है', और 'हाथी आ रहे हैं', इन दोनों वाक्यों में 'हाथी' शब्द-रूप एक-वचन और बहुवचन में समान है। यहाँ पर बहुवचन 'हाथी' शब्द-रूप में हल् प्रत्यय है, किन्तु का मिलनेका निम्नलिखित रूप में किया जाएगा—

एकवचन—हाथी,

बहुवचन—हाथी ।

इसी प्रकार लक्ष्मीनदी में भी कई रूप एकवचन और बहुवचन में समान प्रयुक्त होते हैं। 'लहका' का प्रयोग बहुवचन में होने पर 'लहका मन' करते हैं। हिन्दी की बोलियों में ऐसे अनेक उदाहरण मिल सकते हैं।

समास-रचना

भाषा-रचना में शब्द तथा शब्दार्थों का योग किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है। दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहा जाता है। जिस प्रकार शब्द एक इकाई है, उसी प्रकार एक इकाई के रूप में जब समस्त पद का प्रयोग किया जाता है तब वह समास कहलाता है। समास एक प्रकार से शब्दों का संक्षेपीकरण करने हेतु प्रयुक्त होता है। समास का अर्थ ही संक्षेप है। हिन्दी की समास-रचना पूर्णतः संस्कृत का अनुसरण नहीं करती। यही कारण है कि हिन्दी में न तो लम्बे समास मिलते हैं और न बन सकते हैं। यही नहीं, संस्कृत के कतिपय सामासिक रूप हिन्दी में शब्द मात्र माने जाते हैं, जैसे कि—आकण्ठ, आयरण, आलोचना, विसवाद, विविधा, विनाश, अप्सरा, इत्यादि। इसी प्रकार हिन्दी में समास करने पर संधि होना आवश्यक नहीं है, किन्तु संस्कृत में अनिवार्य है।

वास्तव में हिन्दी समास-रचना का अभी तक गम्भीरता के साथ विचार नहीं किया गया। अतएव विद्वानों में परस्पर बहुत मत-भेद है। ऐसे सामासिक शब्द हैं—दुतहा, दुपहड़ी, सिखड़ा, तिमजिहा, सतलरी, खटामिह्या, मिठबोला, रसमरी, आदि। जिस प्रकार संस्कृत के समस्त शब्द हिन्दी में शब्द मात्र समझे जाते हैं, उसी प्रकार सम्भव है कि हिन्दी के कुछ समस्तशब्द केवल शब्द समझे जाते हों। ऐसे समस्त रूप इस प्रकार हैं—पीहर (पिता का घर), पिय + घर, नकटा (नाक कटा हुआ), नाक + कटा, हथकड़ी, हाथ + कड़ी, रुपड़ा (वस्त्र), दो + पड़ा, इकसी, एक + असी; इकरस, एक + रस, चौपाया, चार + पाया, इत्यादि। इस प्रकार विभिन्न शब्दों के योग से केवल भारतीय भाषाओं में ही नहीं, ससार की लगभग सभी भाषाओं में सामासिक रूपों की रचना होती है। इन सामासिक रूपों की प्रकृति को समास-रचना कहते हैं।

शब्दात्मकत्व

भाषा में शब्द-विन्यास से ही सम्बन्धित्व प्रकट होता है। एक ही शब्द के आगे-पीछे कर देने से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए—सोहन ने मोहन को मारा। मोहन ने सोहन को मारा।

वाक्य में प्रत्येक शब्द का स्थान विशेष पर घटित होने से भाव में अन्तर हो जामा स्वाभाविक है। यह परिवर्तन सम्बन्धतत्त्व के कारण होता है। अतएव वाक्य में शब्दानुक्रम का विन्यास भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

बलाघात

इस रूप प्रक्रिया को अन्य रूपप्रक्रिया की भाँति अलग से निरपेक्ष रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता। क्योंकि यह प्रायः औच्चारिक प्रक्रिया में परस्पर परिवर्तनीय भाविक अथवा गुणीय उच्चारों से सम्बन्धित है, जो कि अन्तःप्रत्ययों के घटित होने पर शौण रूप से प्रकट होती है। उदाहरण के लिए, ग्रीक भाषा में यह वास्तविक क्रियापद रूपों में परिभाषित किया जाता है, जिन का सम्बन्ध उच्चार से होता है। स्पष्ट रूप से शब्दविशेष पर आघात पड़ने से उस का अर्थ बदल जाता है। व्यंग्य में अथवा क्रोधादि मनोविकारों की अभिव्यजना में बलाघात के कारण ही शब्दगत भिन्न अर्थ स्रोतित होता है। सुनने वाला शब्द से ही नहीं, वक्त की भावमुद्रा से भी भाव समझ लेता है। बलाघात के कारण शब्द के भीतर छिपा हुआ भाव जो कि सामान्य रूप से प्रकट नहीं होता, एक आघात के साथ निहित अर्थ को अभिव्यजित कर देता है। केवल बलाघात ही नहीं, सगीतात्मक सुर भी भावाय को अपनी प्रक्रिया से अभिव्यक्त करते हैं। अतः इनका भी महत्त्वपूर्ण काय माना जाता है।

इस प्रकार भाषा के रूप को प्रकट करने वाली ये व्याकरणिक प्रक्रियाएँ अत्यन्त उपयोगी और महत्त्वपूर्ण निरूपित की गई हैं। इन प्रक्रियाओं से किसी भी भाषा का वास्तविक रूप में अध्ययन किया जा सकता है।

क्रियापदों की रूप रचना

महर्षि पतञ्जलि का कथन है—'नापि केवला प्रकृति प्रयोक्तव्या, नापि केवल प्रत्यय' अर्थात् न केवल प्रकृति (मूल शब्द) का प्रयोग करना चाहिए और न केवल प्रत्यय का। पद रचना में दोनों का संयोग होना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, प्रकृति और प्रत्यय के योग से ही पद निष्पन्न होता है। पद में सम्बन्ध और अर्थतत्त्व दोनों निहित होते हैं। शब्द के प्रयोग में कभी मूल शब्द प्रयुक्त नहीं होता। मूल शब्द या प्रकृति के साथ संयुक्त होने वाले प्रत्यय विभिन्न रूपों में समन्वित होते हैं। कहीं-कहीं शब्द का प्रयोग अविकारी रूप में होता है और कहीं-कहीं विकारी रूप में। यह विकार या परिवर्तन शब्द के अग में होने के कारण इसे तिर्यक् या अगविकारी रूप कहा जाता है। हिन्दी के शब्दों में यह तिर्यक् या अगविकारी रूप (oblique form) प्रायः आकारान्त शब्दों में बहुवचन रूपों में देखा जाता है। इन शब्दों के अपादान कारक में भी इनका प्रयोग स्पष्ट रूप से किया जाता है, यथा—राम थोड़े से उतर रहा है। श्याम आगरे से बाहर जा रहा है। नरेन्द्र कलकत्ते से वापिस आ रहा है। वह ब्यावरे से लौट कर अभी तक नहीं आया है। इन उदाहरणों में 'थोड़े', 'आगरे', 'कलकत्ते', 'ब्यावरे' शब्दों में निहित 'ए' अगविकारी रूप है। क्रियापदों के

अन्तर्गत शब्द किसी न किसी व्यापार वा अवस्था को अभिव्यक्त करते हैं। और यही कारण है कि व्यापार वा अवस्था को उचित करने के लिए क्रिया और काळ का वनित सम्बन्ध देखा जाता है। यही नहीं, क्रिया जिस विधेयक का कार्य करती है वह वृत्ति (Mood), काळ (Tense), वचन (Number) और पुरुष (person), आदि से सम्बन्ध रहती है।

सामान्य रूप से क्रियापदों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है (१) सामान्य क्रियापद और (२) सप्रत्यय क्रियापद। सामान्य क्रियापदों में 'बह जा रहा है। मैं चक्का हूँ। तुम चटना नहीं जानते। वह हँस-हँस कर बात कर रही थी। अब तो पहचानना कठिन हो गया है।' इन क्रियापदों में प्रयुक्त क्रियाएँ हैं—जाना, चकना, चटना, बात करना, पहचानना। इन क्रियाओं की स्थिति क्रियापदों से प्रकट हो रही है। वाक्य में क्रियापद प्रधान माना जाता है। क्रियापद के साथ ही सब भाव संयुक्त होते हैं। क्रिया का सामान्य रूप सकर्मक और अकर्मक दोनों रूपों में प्रकट होता है। अकर्मक क्रियाएँ सकर्मक तभी बनती हैं जब उनके साथ प्रयुक्त सज्ञा शब्द प्रधान कर्म का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए—देना, करना, पढ़ना, भेजना, पीना, लिखना, आदि सकर्मक क्रियाएँ हैं, किन्तु होना, जाना, पहुँचना, मारना, आदि अकर्मक क्रियाएँ हैं। सकर्मक क्रियाओं में कर्म प्रधान होता है, क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, परन्तु कर्म की प्रधानता जहाँ नहीं होती, केवल सामान्य अवस्था या व्यापार का द्योतन जहाँ होता है, वह अकर्मक क्रिया कही जाती है। डॉ० दीमशित्स ने सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं का भेद स्पष्ट करते हुए लिखा है—'अकर्मक क्रियाएँ सकर्मक क्रियाओं का अर्थ प्रायः तब ग्रहण कर लेती हैं जब उन के साथ ऐसे सज्ञा शब्द प्रयुक्त होते हैं जो प्रधान कर्म का कार्य करते हैं। जैसे 'बोलना' अकर्मक क्रिया है, किन्तु 'धावा बोलना' में 'बोलना' सकर्मक क्रिया है। अनेक बार अकर्मक क्रियाओं के प्रधान कर्म ऐसे भाववाचक सज्ञा शब्द होते हैं जो क्रियाओं जैसे व्यापार व्यक्त करते हैं। जैसे 'खेलना' अकर्मक क्रिया है, किन्तु 'खेल खेलना' में 'खेलना' सकर्मक क्रिया है। 'लड़ना' अकर्मक क्रिया है, किन्तु 'कड़ाई कड़ना' में 'कड़ना' सकर्मक क्रिया है।' इस प्रकार सकर्मक-अकर्मक भेद क्रिया के अर्थ पर आधारित है। क्रिया का अर्थ बदलने पर सकर्मक अकर्मक हो जाती है और अकर्मक सकर्मक के रूप में प्रयुक्त होने लगती है। वास्तव में यह भेद क्रिया के सामान्य रूप में विशेषण विधेयक विशिष्टता होने के कारण है। अतएव 'बोलना' और 'बोली बोलना' में अन्तर हो जाता है।

सर्वेक्षण-पद्धति के अन्तर्गत सर्वप्रथम आना, जाना, घूमना, उड़ना, होना, रहना, चलना, मारना, दौड़ना, चटना, कूटना, तैरना, गाना, सोना, हसना, पढ़ना, बोलना, आदि अकर्मक क्रियाओं का विचार किया जाता है। अनन्तर 'खाना, देखना, सँभलना, भेजना, करना, सुनना, मारना, चाहना, पहचानना, देना', आदि सम्भावित सकर्मक क्रियाओं का विचार क्रिया के अर्थ व परिणाम को ध्यान में रख कर किया जाता है। इनके

रखने पर वाक्य का अर्थ बिना कर्म के पूर्ण हो जाता है। इस अव्ययन के सम्बन्धी क्रिया के सामान्य रूप के वाचक कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य भी स्पष्ट ही जाते हैं। क्रिया का सीधा सम्बन्ध कर्ता से होता है। इसलिए कर्तृवाच्य में क्रिया का पद कर्ता पर पड़ता है। किन्तु जहाँ कर्म प्रधान होता है और क्रिया कर्म का अनुगमन करती है वहाँ क्रिया का पद कर्मगामी होता है और ऐसा वाच्य कर्मवाच्य कहल्यता है। हिन्दी में वर्तमान काल की क्रियाएँ सदा कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होती हैं। इसी प्रकार 'ने' परस्मै का प्रयोग प्रायः कर्मवाच्य में होता है जैसे—'हम ने लडकी देखी। यह कर्मवाच्य का उदाहरण है। इस के स्थान पर यह कहना कि 'हमारे द्वारा लडकी देखी गई' अशुद्ध प्रयोग होगा, क्योंकि हिन्दी में कर्मवाच्य की व्यवस्था संस्कृत और अंग्रेजी से भिन्न है। इसलिए हिन्दी में 'मैंने किया' कर्मवाच्य का प्रयोग है। किन्तु 'मुझे से नहीं किया जाता' यह न तो कर्तृवाच्य है और न कर्मवाच्य। इन दोनों से भिन्न यह 'भाव वाच्य' है। अतएव 'हमने लडकी देखी' यह कर्मवाच्य है। क्योंकि देखने का पद—लडकी पर पड़ रहा है, और इस का अर्थ है कि हम ने लडकी को देखा। किन्तु जब हम कहते हैं कि 'हम ने लडकी को देखा' तो यह भाववाच्य कहा जाता है। भाववाच्य में सदा भूतकालिक क्रियापद का प्रयोग होता है, जैसे—'मुझे से खाया नहीं जाता। उस से विद्या नहीं जाता। वे सदा लिखा करते थे। लडके से छुआ नहीं जाता।

सप्रत्यय अथवा प्रत्यययुक्त क्रियापदों का विचार निम्नलिखित रूपों में किया जाता है (१) पुरुष, (२) काल, (३) नकारात्मक भाव, (४) प्रश्नसूचक भाव। पुरुषवाचक सर्वनाम हैं—मैं, हम, तू, तुम और आप। अन्य सर्वनाम हैं—यह, वह, ये और वे। 'इतना सुनते ही वह बोल पड़ी कि हम तुरन्त आ रहे हैं'—इस वाक्य में 'हम' के स्थान पर 'मैं' का प्रयोग ठीक होगा। किन्तु 'वह मुझे बहुत मानते हैं'—यहाँ पर आदरभाव प्रकट करने के लिए बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार 'सूरदासजी कवि थे और भक्त भी। वे शृंगार के अद्वितीय कवि थे।' यहाँ पर आदरभाव प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग हुआ है।

काल का सम्बन्ध क्रिया से है, क्योंकि क्रिया अथवा कार्य किसी न किसी समय में घटित होता है। और इसलिए क्रिया के स्वरूप को देख कर काल का ज्ञान तुरन्त हो जाता है। अबस्था की मूर्ति जीवन और क्रिया के काल के भी मुख्य तीन भेद कहे जाते हैं—वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत्काल। वर्तमान काल के भी चार भेद माने गए हैं सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, सदिग्ध वर्तमान और सम्भाव्य वर्तमान। वर्तमान काल कहे जाने की अबस्था का द्योतक है। किन्तु भूतकाल कहने के पूर्व की अबस्था या व्यापार का निर्देश करता है। भविष्यत्काल कहे जाने के बाद घटने वाली अबस्था का द्योतन करता है। सब से अधिक भेद भूतकाल के माने गए हैं, जो इस प्रकार हैं—(१) सामान्य भूत—उस ने लिखा, (२) आसन्न भूत—उस ने लिखा है, वह लिख चुका है, (३) पूर्ण भूत—उस ने लिखा था, वह लिख चुका था, (४) अपूर्ण भूत—वह लिखता था, वह लिख रहा था, (५) सन्दिग्ध भूत—उस

ये क्रिया-रूप, (१) **विभक्त-रूप**—वह क्रिया, उस में क्रिया होता। **व्यभिचार-रूप** के केवल दो भेद हैं—**सामान्य व्यभिचार-रूप**—है क्रिया, वह आदेश। **सम्बन्धी व्यभिचार-रूप**—दो संज्ञा है कि एक कल ही आए। सम्भव है कि वह आगे और भी रहे। **अन्य शब्द में वहाँ पहुँचेंगा तब तक वह चला जाएगा।**

सहायकक भाव हिन्दी में मातृभाष्य में बलपूर्वक प्रकट किए जाते हैं, जैसे—**तुम से श्लेषा नहीं जाता। उस से पढ़ा नहीं गया। तुम से मारा नहीं जाता। भूतकाक का बोधक 'या' प्रत्यय है, जैसेकि—'खाया, गया, आया, मनाया' में 'या'। भविष्यत्कारक का निश्चयार्थक प्रत्यय 'गा' है, जैसेकि—'लिखेगा, होगा, बरसेगा, आएगा, पड़ेगा, सोएगा, कहेगा' आदि में 'गा'।**

प्रत्ययक भाव सदा प्रश्नों के रूप में प्रकट किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, **देखा करना क्या ठीक होगा? यह में किस की विजय होगी? भविष्य का भरोसा किसे है? क्या वह उस के हाथ विक गया है?**

क्रियापदों के उक्त विविध रूपों से भाषा का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। भाषा के गठन की जानकारी के लिए इन रूपों का अध्ययन करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। भाषा के ढाँचे को हम इन विभिन्न रूपों में विभाजित कर सकता से उस की कोटियाँ निर्धारित कर सकते हैं। सूचक (Informants) के रूप में भाषा की जो सामग्री हमें प्राप्त होती है, वह सज्ञा तथा क्रियापदों के रूप में होती है। इसलिए उन का अध्ययन और विश्लेषण करना हमारा मुख्य कार्य होता है।

क्रियापदों की रूप-रचना में धातु या मूल शब्दों से प्रत्यय जुड़ कर एक ही ढाँचे के रूप में क्रियापदों की निश्चित रचना देखी जाती है, जैसे—**खाता, पीता, लड़ता, हँसता, रोता, दौड़ता, गिरती, चकती, पढ़ती, बैठती, मारा, पीटा, बसीटा, आदि। डॉ॰ हॉर्नबी के अनुसार हिन्दी—धातुओं की संख्या लगभग पाँच सौ है। ये धातुएँ मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित की गई हैं—मूलधातु और यौगिक धातु। मूलधातु वे हैं जो संस्कृत से हिन्दी में आई हैं। हॉर्नबी के कथनानुसार इन की संख्या ३९३ है। हिन्दी में क्रिया-रूपों में वर्तमान और भूतकाल में दृढन्त रूपों का तथा सहायक क्रिया का विशेष प्रयोग होता है। संस्कृत में भी सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। किन्तु हिन्दी के प्रयोग संस्कृत से भिन्न हैं। संस्कृत में सहायक क्रिया के रूप में 'भू' और 'अस्' धातु का प्रयोग होता है—भवति और अस्ति के रूप में। प० किशोरीदास वाजपेयी का कथन है कि हिन्दी की 'ह' और 'हो' धातु का विभाजन व कार्य संस्कृत के समान है। संस्कृत की 'अस्' धातु से 'है' और 'भू' धातु से 'हो' का विकास हुआ। संस्कृत में इन दोनों धातुओं में वर्तमान काल में लिच् प्रत्यय संयुक्त होते हैं, किन्तु 'अस्' धातु के साथ भूत और भविष्यत् के प्रत्यय नहीं लगते। इन का प्रयोग केवल सहायक क्रियाओं के रूप में होता है, मातृभाष्य आदि में नहीं। हिन्दी में सामान्य वर्तमान काल में 'ता' प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे—**बढ़ता, लिखता, गाता,****

आदि । परन्तु 'हता' का प्रयोग नहीं किया जाता । पुरानी हिन्दी में सामान्य सूत्रकारक को कृतने के लिए 'हता' का प्रयोग प्रचलित था, जो कि आगे चल कर प्रसभाष में 'हतो' रूप में शताब्दियों तक प्रचलित रहा । अतएव हिन्दी में सहायक क्रियाओं का उपयोग संस्कृत की चाल पर हुआ है । संस्कृत में तीनों प्रकार की क्रियाएँ मिलती हैं— तिङन्त, कृदन्त और तिङन्त-कृदन्त । परन्तु तिङन्त की अपेक्षा कृदन्त रूपों में सरलता अधिक है । इसलिए संस्कृत में ही बाणभट्ट की 'कादम्बरी' के समय से, लगभग सातवीं शताब्दी से कृदन्त रूपों का विशेष रूप से प्रचलन हो गया था । हिन्दी में भी तिङन्त रूप बहुत कम हैं, कृदन्तों की बहुलता है । हिन्दी की वर्तमानकालिक सभी क्रियाएँ तिङन्त-कृदन्त हैं । भूतकाल में तो कृदन्त क्रियापदों का ही प्रयोग होता है । केवल सामान्य अस्तित्व सूचित करने के लिए तिङन्त 'है' (यह आम है, वह खाली है, वह नेता है) का प्रयोग किया जाता है । इस प्रकार हिन्दी की क्रियाओं की गति त्रिधा है

- (१) तिङन्त (विधि, आज्ञा, प्रार्थना, प्रश्नवाचक, सत्तार्थक),
- (२) कृदन्त (सामान्य भूतकाल में),
- (३) तिङन्त कृदन्त (अवशिष्ट रूप) ।

हिन्दी के सभी धातु-रूप स्वरान्त होते हैं, व्यजनान्त नहीं । केवल संस्कृत में ही धातुएँ व्यजनान्त होती हैं । उन के रूपों में भी जटिलता है । किन्तु हिन्दी के धातु रूप सरल हैं । इन की सब से बड़ी विशेषता यह है कि अकारात्तादि सभी क्रिया-रूपों में अधिक अंतर नहीं है । हिन्दी की क्रिया में जो लिंग भेद दिखाई पड़ता है उस का मुख्य कारण कृदन्त क्रियाएँ हैं । अधिकांश हिन्दी क्रियाओं का विकास कृदन्त रूपों से होने के कारण उन में कर्ता के अनुसार लिंग और वचन का प्रयोग होता आया है । किन्तु काल का बोध कराने के लिए संस्कृत और हिन्दी दोनों में ही सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है । हिन्दी में प्रायः सहायक क्रिया तिरुत होती है । यद्यपि संस्कृत में संयुक्त क्रिया के सन्धिष्ठ और विश्लिष्ट दोनों रूप पाए जाते हैं, किन्तु हिन्दी में केवल विश्लिष्ट रूप हैं । हिन्दी में 'लाना'—'ले आना' केवल अपवाद रूप है । क्योंकि मुखसुख के कारण बोलने की शीघ्रता में 'ले आना' का 'लाना' बन गया । मूल में 'लाना' कोई शब्द नहीं है । यदि 'लाना' मूल शब्द होता तो 'ले जाना' के लिए भी इस प्रकार का कोई सन्धिष्ठ शब्द अवश्य होता । परन्तु संस्कृत की माँति जिज्ञासा, सिद्धासा, विवक्षा, बुभुक्षा, आदि सन्धिष्ठ शब्द हिन्दी में नहीं हैं । हिन्दी वियोगावस्था में है ।

रूप-परिवर्तन

व्याकरण के अन्तर्गत सहस्र—शताब्दियों से भाषा के रूप का विचार होता आया है । रूप से हमारा अभिप्राय आकृति से है । भाषा की आकृति को देख कर उस का विचार, विश्लेषण किया जाता है । व्याकरण में भाषा का विचार पदों के रूप में किया जाता है । पदों से वाक्य बनता है और वाक्यों से भाषा की रचना होती है । पद में दो मूल रूप होते हैं—प्रकृति और प्रत्यय । इसलिए ये दोनों ही भाषा के

अर्थ-रूप का सम्बन्ध होते हैं। प्रकृति से अर्थ-रूप का जोड़ होना है और प्रत्यय से सम्बन्ध-रूप का। अर्थ ही प्रकृति से सम्बन्धित होता है—वैदिक और प्राकृत। प्रत्यय के भी दो रूप होते हैं—वाक्य में उन का स्थान, और अर्थ-रूप से उन का सम्बन्ध। वाक्य में, जो ध्वनि-विह्व माथा की प्रकृति को रूप देते हैं वह रूप कहा जाता है।

प्रत्येक भाषा के अपने अलग ध्वनि चिह्न होते हैं और उन का कोई न कोई रूप होता है। दो समान भाषाओं का रूप समान होने पर भी किसी न किसी रूप में भिन्न होता है। इस भिन्नता का कारण ध्वनि चिह्नों की भिन्नता है। भाषा-परिवर्तन का मूल कारण ध्वनि-परिवर्तन है। रूप परिवर्तन में भी ध्वनि विकार या परिवर्तन मुख्य है। ध्वनियों के परिवर्तन से रूप में परिवर्तन हो जाता है। जहाँ कहीं एक ध्वनि बदलती है, वह सारे ढाँचे को बदल देती है। यही नहीं, वह प्रत्यय को भी बदल देती है। इस प्रकार ध्वनि-परिवर्तन ही रूप-विचार के मूल में है।

ध्वनि परिवर्तन की भाँति रूप-परिवर्तन का भी मुख्य कारण प्रयत्न-लाघव है। प्रयत्न-लाघव के कारण संस्कृत का 'उपाध्याय' शब्द 'ओझा' हो गया, और 'ओझा' से 'झा' बन गया। कन्दोल के जमाने का 'लॉग ब्लॉय' 'लकलाट' हो गया, 'काटन-चूल' 'काटसूल' बन गया और 'रजिस्टर्ड लेटर' 'रजिस्ट्री' बन कर रह गया। संस्कृत-काल में प्रचलित 'शुक्ल दिवस' प्राकृत-युग में 'शुदि' हो गया और 'बहुल (कृष्ण) दिवस' 'वदि' हो गया। इसी प्रकार 'बाइ-साइकिल' न कह कर 'साइकिल', 'रेल्वे स्टेशन' न कह कर 'स्टेशन' और 'राजनादगाँव' कहने की बजाय 'नादगाँव' कह कर ही काम चला लेते हैं। संस्कृत के ऐसे अनेक शब्द संक्षिप्त रूप में आज भी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में प्रचलित हैं। उदाहरण के लिए—पोसाला (पौषधशाळा), पीहर (पितृग्रह), मौसी (मातृष्वसा), लोन (लावण्य), अखाड़ा (अश्ववाटक), समई (सामायिक), कछोटी (कक्षपट्टिका), भंडारी (भाण्डागारिक), अढाई, ढाई (अर्धतृतीय), फूफी (पितृष्वसिका), इत्यादि। वास्तव में, शब्दों के संक्षिप्त रूप ध्वनियों के संकोच के कारण लक्षित होते हैं, और शब्दों के संकोच से रूप में परिवर्तन हो जाना स्वाम्भाविक है।

रूप-परिवर्तन भाषा का व्यावहारिक पक्ष माना जाता है। भाषा में जो भी परिवर्तन होते हैं वे या तो ध्वनिगत होते हैं अथवा अर्थगत या फिर रूपगत। रूपगत परिवर्तन में सहा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, आदि सभी व्याकरणिक रूपों का विचार किया जाता है। सहाओं की अपेक्षा सर्वनामों में परिवर्तन अधिक मन्द गति से होता है। इसलिये भाषा का विश्लेषण करते समय सर्वप्रथम सर्वनामों का विचार करना चाहिए। फिर, परेल् वस्तुओं तथा खेती बाड़ी के शब्दों का विचार करना उपयोगी होगा। भाषा के तत्कालीन शब्द रूपों की अपेक्षा भाषा प्रवाह को ध्यान में रखना चाहिए। पॉट महोदय ने इस परिवर्तन के मुख्य तीन कारण बताए हैं—

(१) पुराने संस्कारों की आवृत्ति न होने से भाषागत रूप में परिवर्तन हो जाता है।

(२) भाषण की स्थिरता के कारण, अज्ञानधानी से बोलते रहने के कारण तथा साम्प्रतिक में अन्तर हो जाने से भाषा के रूप में भी अन्तर हो जाता है।

(३) वस्त्र तथा श्रम के विचारों में विकास हो जाने के कारण एव भाषा-सम्बन्धि के वैभव में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप रूपों में परिवर्तन हो जाता है।

ऐतिहासिक, राजनैतिक और भौगोलिक कारणों से भी भाषा में प्रायः परिवर्तन हो जाता है। भारतीय सम्पर्क और विभिन्न सस्कृतियों के सगम से भाषा सब से अधिक प्रभावित होती है। यही कारण है कि मुगल-युग में और अंग्रेजी शासन के अधीन इस देश की भाषाओं में सब से अधिक परिवर्तन हुए। वैदिक काल से ले कर आज तक की भाषाओं का ऐतिहासिक अध्ययन किया जाए तो यह तथ्य अधिक स्पष्टता के साथ हमारे सामने प्रकट हो सकता है।

रूप परिवर्तन में सादृश्य की प्रवृत्ति बहुत कार्य करती है। जब कई रूप समान होने पर भी कहीं कुछ भिन्न होते हैं तो स्वाभाविक रूप से बौद्धिक व्यक्ति एकता स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। यह सादृश्य जहाँ नवीन अर्थों में शब्द प्रयोग की प्रवृत्ति का प्रसार करता है, वहीं नए रूपों को भी जन्म देता है। यही कारण है कि हिन्दी में सस्कृत के मातृ, दातृ, नप्तृ, शब्दों से विकसित माई, दाई, नाई के आधार पर 'बाई' शब्द भी गढ़ लिया गया है। इसी प्रकार भूतकालिक वृद्धन्त रखा, धरा, मरा, भरा, आदि के सादृश्य पर हिन्दी की बोलियों में 'वरा' प्रयोग भी चलने लगा है। वस्तुतः सस्कृत से सीधे आगत गया, पिया, आया की भाँति 'किया' रूप ही उचित है, परन्तु अज्ञान के कारण इस रूप में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार व्याकरण का ज्ञान न होने से सौन्दर्यता, औचित्यतावन्त, अनेकानेकों, दुरभिमानताई, अनेकों, मक्याचल पर्वत, सज्जन लोग, पार्वत्य प्रदेश, महानता, सज्जनताई, पुलिग, कैशोर्यता, घाष्टर्षता, लघुत्तम, सुस्वागतम्, आदि प्रयोग लक्षित होते हैं।

रूप-परिवर्तन का एक कारण नवीनता की प्रवृत्ति भी कही जाती है। पुराने शब्दों में सुन्दरता की कमी देख कर नित नए नए शब्दों का उपयोग भी भाषा को प्रभावपूर्ण एव सुन्दर बनाने के लिए किया जाता है। यही कारण है कि उच्च हिन्दी का प्रयोग करने वाले 'कल्पना' की बजाय 'परिकल्पना' और 'प्रयोग' के स्थान पर 'संप्रयोग' तथा 'रचना' के लिए 'संरचना' शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। इसी प्रकार 'गोष्ठी' शब्द अब पुराना पड़ गया है। उस के स्थान पर 'परिगोष्ठी' शब्द लिखा जाने लगा है। इसी प्रकार 'बगाल देश' अब 'बागल देश' हो गया है और 'निर्वाण' के लिए 'परिनिवाण' शब्द का प्रयोग भी चल पड़ा है। यही नहीं, 'स्त्रालिस' के लिए 'निस्त्रालिस' और 'पजूल' के लिए 'त्रिपजूल' जैसे प्रयोग भी चलते हैं। ऐसे प्रयोग प्रायः अज्ञान के सूचक होते हैं।

अज्ञान के कारण भाषा के रूप में परिवर्तन हो जाना स्वाभाविक है। शब्द तथा रूपों की वास्तविक जानकारी न होने से प्रायः शब्द-भेद और अर्थ-भेद हो जाता है।

उदाहरण के लिए, 'दुर्ग' और 'दुर्ग' मिलना ठीक है, किन्तु 'दुर्ग' और 'दुर्ग' मिलना ठीक नहीं है। इसी प्रकार 'तेक' का अर्थ 'शिकार' और 'तक' तक या, किन्तु कागज़ पर सभी वस्तुओं से तेक निकाला जाने लगा और उन्हें भी 'तेक' ही कहा जाता है। अब पैसा निकालने से ही नहीं, मिट्टी से भी तेक निकाला जाता है और मनुष्य का भी तेक निकाला जाता है। 'तेक' शब्द भी अज्ञानवश 'तेक' लिखा जाता है। अन्य भाषाओं से उधार लिए गए शब्दों में जोड़ उन के प्रयोग में इस तरह की कई भूलें मिलती हैं। यही कारण है कि 'पार' (पूर्व, रोड़ी) जबकि रोड़ी को जोड़ 'दरिया' (फा०, नदी) समुद्र की कहते हैं। इसी प्रकार 'तेक' का अर्थ 'पटती' है, किन्तु वह विशेष प्रकार से कोयला और पानी से चकने वाली आड़ी के लिए प्रयुक्त होता है। 'रजिस्टर' का अर्थ भी 'रजिस्टर में दर्ज' की हुई वस्तु से है, पर रजिस्टरी का अर्थ 'सुरक्षित' समझ लिया जाता है। अज्ञान के कारण शब्द और उन के प्रयोगों तथा अर्थों में कई प्रकार की भूलें जन-सामान्य में प्रचलित हैं। कुछ लोग स्पष्टता ब्यक्त या बख देने के कारण भी रूप-परिवर्तन मानते हैं। हमारी समझ में बिना प्रकार सादृश्य के अन्तर्गत मिल्पा सादृश्य गमित हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञान में स्पष्टता तथा बख अन्तर्हित हो जाते हैं। लोग 'हम' के स्थान पर 'हम लोग' का प्रयोग इसीलिए करते हैं कि वे समझते हैं 'लोग' शब्द जोड़ देने से बहुवचन बन जाता है। हिन्दी की लगभग सभी बोलियों में 'लोग' से मिलता जुलता 'जन' या 'जने' आदि शब्दों का इसी प्रकार प्रयोग किया जाता है। अतएव मूल प्रवृत्ति अज्ञानमूलक है। इसी तरह 'अनेक' शब्द को बहुवचन न समझने के कारण 'बहुतों' की तरह अज्ञान वश 'अनेकों' का प्रयोग करने लगे हैं। इसी प्रकार 'एकरूप की प्रधानता' का विषय 'सादृश्य' में गमित हो जाता है। अतएव उन कारणों का अन्त से विचार करना उचित न होगा।

हिन्दी समास-रचना

समास पद जिस से अन्वित रहता है, उसे समास करते हैं। पद में दो या दो से अधिक शब्दों का योग रहता है। शब्दों और पदों की एकरूपता समास में परिलक्षित होती है। सूरे शब्दों में, अनेक रूपों को एक रूप प्रदान करना समास-रचना का कार्य है। समास में विभिन्न शब्दों के योग में एकरूपता और अन्वितता रहती है। इसीलिए 'काका मुँह' समास में 'ककमुँहा' और 'पूष का मुँह' 'पुषमुँहा' हो जाता है।

समास की रचना स्वतन्त्र शब्द-रूप, रूपाधी या शब्दों के योग से होती है, किन्तु बद्ध रूपों या शब्दार्थों के यौगिक शब्द समास नहीं कहे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, 'नरुधर' एक सामासिक रूप है, क्योंकि इस में दो स्वतन्त्र रूपाधी हैं। परन्तु 'साहित्य' या 'साहित्यिक' शब्द समास-रूप नहीं हैं, क्योंकि ये यौगिक शब्द हैं। इनके रूपाधी स्वतन्त्र न हो कर बद्ध हैं। इन में दो स्वतन्त्र शब्द नहीं हैं। समास में दो स्वतन्त्र शब्दों का एक रूप प्रदान करना आवश्यक माना जाता है। इसीलिए दो स्वतन्त्र

शब्दों के बोध से निर्मित होने पर भी वाक्य-व्यापार में समास एक शब्द की भाँति कार्यशील रहता है। उस का समस्त विग्रह शब्द की भाँति होता है। रचना में वह शब्द से तनिक भी भिन्न नहीं होता। किन्तु वह स्वतन्त्र दो शब्दों के अस्तित्व का बोध होता है।

समास वाक्य-रचना का एक अंग है। वाक्य रचना के लिए ही उस का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए—'बैलगाड़ी' दो शब्दों के यौगिक से मिल कर एक ऐसे शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जिस का अर्थ 'बैल' और 'गाड़ी' न हो कर बैलों के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी है। इस प्रकार स्पष्ट ही समास-रचना में दो स्वतन्त्र शब्दों का योग होता है।

वाक्य में समास-रचना की प्रक्रिया प्रयोग पर निर्भर रहती है। यदि वाक्य में दो स्वतन्त्र शब्दों की यौगिक रचना होती है तो वह समास-रचना बनती है, अन्यथा एक वाक्यांश मात्र रह जाता है जैसेकि—

वह घर बाहर है।

वह घरबाहर है।

प्रथम वाक्य में 'वह घर बाहर है' वाक्यांश है, किन्तु दूसरे में 'वह घरबाहर है' एक समास है। वास्तव में प्रत्येक भाषा की समास रचना की प्रक्रिया भिन्न भिन्न होती है। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि जो समास-रचना की प्रक्रिया संस्कृत में है, वही हिन्दी में हो। हिन्दी और संस्कृत की समास रचना की प्रक्रिया भिन्न भिन्न है। संस्कृत भाषा में मधुरफल, हरितपत्र, समास है, परन्तु हिन्दी भाषा में ये समास न हो कर वाक्यांश हैं। यहाँ तक कि एक ही भाषा में शब्दों का योग किसी स्थिति में समास है और किसी स्थिति में समास नहीं है।^{१५} उदाहरण के लिए—१—वह घर घुसा है। २—वह घरघुसा है। किन्तु आज तक हिन्दी भाषा के समासरूपों का जो विवेचन किया गया है, वह अधिकतर संस्कृत के नपने के आधार पर विवेचित हुआ है। इसलिए यह स्वाभाविक भी है कि दिए गए विभिन्न उदाहरणों में एक रूपता नहीं है। कोई 'मिठबोला' को बहुव्रीहि कहता है तो कोई कर्मधारय। कोई 'आशानुसार' को अव्ययीभाव बताता है तो कोई तत्पुरुष। वास्तव में, हिन्दी की प्रवृत्ति के अनुसार ही समास रचना का विचार किया जाना चाहिए। हिन्दी में समास के मुख्य रूप से चार वर्ग परिष्कृत होते हैं। अतएव समास के चार भेद माने जा सकते हैं (१) अव्ययीभाव समास, (२) तत्पुरुष समास, (३) बहुव्रीहि समास, और (४) द्वन्द्व समास।

अव्ययीभाव समास में पूर्वपद अव्यय होने के साथ ही प्रधान भी होता है, यथा—प्रतिदिन, अनुरूप, यथाशक्ति, बेसटके, इत्यादि। कभी कभी सज्ञा और अव्यय-शब्दों की पुनरावृत्ति से भी अव्ययीभाव बन जाता है, जैसेकि—दिनोंदिन, बीचों-बीच, खड़ेखड़े, पासपास, आदि। अव्यय न होने पर भी जो अव्यय जैसे बन जाते हैं,

उन्हें अन्य-धीमाव समास कहते हैं। इन में पहला पद संज्ञा और दूसरा पद अन्येव होता है। उदाहरण के लिए—आज्ञानुसार, बुद्धि-अनुसार, बुद्धिबानुसार, आदि।

तत्पुरुष समास में उच्चरपद प्रधान होता है, जैसे—रेलगाड़ी, राकदरवार, सम्भाषित, देशमक्त, इत्यादि। तत्पुरुष में प्रायः विभक्ति का लोप हो कर स्वतन्त्र शब्दों का भोग हो जाता है, जैसे कि—घन में बास न कह कर 'घनबास' कहना, शोक से आकुल न कह कर 'शोकाकुल' कहना, तथा बात से पीड़ित न कह कर बातपीड़ित कहना। तत्पुरुष का एक भेद कर्मधारय है। जहाँ विशेषण और विशेष्य तथा उपमान और उपमेय समान विभक्तिक होने के कारण समस्त होते हैं, वहाँ कर्मधारय समास होता है। उदाहरण के लिए—घनश्याम (घन की भाँति जो श्याम है), श्यामसुन्दर (श्याम की भाँति जो सुन्दर है), परमात्मा (परम, श्रेष्ठ है जो आत्मा), नीलगगन (नीला है जो आकाश), इत्यादि।

जिस समास का पहला पद सूख्यावाचक होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं, जैसेकि—त्रिवेणी, चौराहा, पंचवटी, पंसेरी, आदि।

जिस समास में पहला पद निषेधवाचक होता है, उसे नष् समास कहते हैं, यथा—अनजाना, अनास्था, अनाचार, अनादि, अनन्त, अघर्म, अखिर, अखण्ड, इत्यादि।

बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। दोनों पद सामान्य होने पर भी वे विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसेकि—

- चतुर्मुख—चार मुख हैं जिस के (ब्रह्मा),
- चतुर्भुज—चार हैं भुजाएँ जिस की (विष्णु),
- चन्द्रशेखर—चन्द्र है शेखर पर जिस के (शंकर),
- दामोदर—दाम है उदर पर जिस के (कृष्ण),
- दशानन—दश हैं आनन जिस के (रावण)।

जिस समास में दो पदों को संयुक्त करने वाला 'और' शब्द प्रयुक्त नहीं होता तथा दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे द्वन्द्व समास कहते हैं। और की भाँति योजक-शब्दों में एव और तथा शब्दों का भी लोप हो जाता है, जैसेकि—

माँ और बाप के लिए 'माँ-बाप' का प्रयोग करना। इसी प्रकार अन्य उदाहरण हैं—रोटी बेटी, खेती-बाड़ी, नोन तेल, दूध-दही, दाल भात, घन धान्य, लेन-देन, पाप-पुण्य, मला-बुरा, इत्यादि।

हिन्दी में सामासिक रूपों के प्रयोग की स्वतन्त्र व्यवस्था है। हिन्दी की सामासिक प्रवृत्ति संस्कृत से भिन्न है। संस्कृत में दो सामासिक पदों में सन्धि करने का नियम है, किन्तु हिन्दी में ऐसा नियम नहीं है। यद्यपि संस्कृत भाषा के प्रयोग के अनुसार हिन्दी में भी 'राममहोले' और 'हाथबटायऊ' जैसे सामासिक पदों का उच्चारण किया जाता है, परन्तु इस तरह के शब्दों के बीच में जो अत्रिक रूपे हों या जिन के उच्चारण में कठिनाई हो, उन के बीच में समास का चिह्न (—) लगा कर काम चलाया जाता है, जैसेकि—माता-पिता, मर-पहसी, घन-दौलत, आदि।

सामासिक रूपों का अर्थ समझने के लिए विग्रह करना आवश्यक होता है। बिना विग्रह किए जो विकार किया जाता है, उस से कभी-कभी बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। उदाहरण के लिए, 'पीताम्बर' और 'चतुर्भुज' ऐसे ही शब्द हैं।

पीताम्बर—पीत है जो अम्बर (कर्मधारय)।

—पीत है अम्बर जिसका (बहुव्रीहि)।

चतुर्भुज—चार हैं जो भुजाएँ (द्विगु)।

—चार हैं भुजाएँ जिस की (बहुव्रीहि)।

हिन्दी में संस्कृत के समान लम्बे समास नहीं होते। महाकवि कालिदास के 'मेघदूत' में तथा बाणभट्ट की 'कादम्बरी' में दीर्घ समास मिलते हैं। 'मेघदूत' का एक समस्तपद है—

बाह्याद्यानस्थितहरशिरश्चन्द्रिकाशौतहर्म्या । पूर्व० ७,

हिन्दी में 'साकेत' की कुछ पक्तियाँ हैं—

जन्म भूमि ममत्व कृपया छोड़ कर,

चार चिन्तामणि कला से होड़ कर,

हिन्दी में समस्त पदावलि का प्रयोग निराला जी की 'राम की शक्ति-पूजा' नामक कविता में परिलक्षित होता है यथा—'जागी पृथ्वी-तनया-कुमारिका लुबि', शत-बाहु वेग-बल, विष्व विजय भावना, इत्यादि।

उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि हिन्दी की सामासिक प्रवृत्ति संस्कृत से भिन्न है। हिन्दी में कम से कम दो और अधिक से अधिक तीन शब्दों के समास मिलते हैं, जबकि संस्कृत में सात सात, आठ-आठ शब्दों के समास सरलता से प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत में समास और संधियों के भेद प्रमेदों का भी विस्तार के साथ विवेचन किया गया है। किन्तु हिन्दी में उस तरह के सामासिक रूपों का प्रयोग नहीं होता। ध्वनि, रूप, शब्द और अर्थ सभी दृष्टियों से हिन्दी की समास-रचना संस्कृत से भिन्न है। ध्वन्यात्मक दृष्टि से हिन्दी के समास मुख्य रूप से दो बर्गों में विभक्त किए जाते हैं— अविकारी समास और विकारी समास। संस्कृत में अविकारी समास-रचना नहीं है। विकारी-समास रचना भी प्रश्लिष्ट या सश्लिष्ट है, जो हिन्दी समास-रचना से भ्रूयक् है। अविकारी समास-रचना में ध्वनि के आगम, लोप, ह्रस्वीकरण, दीर्घीकरण, द्विस्वीकरण और घोषी-अघोषीकरण, आदि में किसी भी प्रकार की ध्वनि का रूपान्तरण नहीं होता। इसी प्रकार संस्कृत की भाँति हिन्दी के समासों में सन्धि-योग अनिवार्य रूप से नहीं मिलता। कहीं विभक्तियों का लोप हो जाता है तो कहीं सम्बन्ध तत्त्व का और कहीं असमान शब्दों में समास हो जाता है। डॉ० रामेशचन्द्र जैन ने ध्वन्यात्मक दृष्टि से हिन्दी समासों का विश्लेषण करते हुए उन्हें निम्न लिखित रूपों में वर्गीकृत किया है—(१) अविकारी समास, (२) विकारी समास। विकारी समासों के तीन भेद किए गए हैं—(१) प्रथम पद विकारी समास, (२) द्वितीय पद विकारी समास, (३) सर्वपद विकारी समास। समासगत पदों के ध्वन्यात्मक योग को ध्यान में रख कर पुनः दो

क्यों विभक्त किया है—(१) विभक्त समास, (२) निमित्त समास। इस प्रकार हिन्दी में समास-रचना मुख्यतः संज्ञा, विशेषण और क्रिया-विशेषण के योग से होती है। इस में कभी-कभी शब्द की और कभी-कभी पद की प्रधानता रहती है। हिन्दी में ऐसे शब्द और पदों में समास-रचना का भेद कर्तव्यता के आधार पर किया जाता है। प्राकः दो पदों या शब्दों में से किसी एक पर बकायाता होता है, जैसेकि—परजुम, किट्टूयाम, बरुण्य, इत्यादि।

हिन्दी प्रत्ययों की संरचना

जो शब्दाद्य मूल शब्द के साथ संयुक्त हो कर उस के अर्थ में तथा अवस्था में परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्ययों का स्वतन्त्र अर्थ और प्रयोग नहीं होता। केवल प्रकृति (मूल शब्द) से जुड़ कर ही वे मिला अर्थ के प्रतिपादक होते हैं। प्रत्यय सभी प्रकार के शब्दों के साथ संयुक्त हो सकते हैं। किन्तु शब्द या शब्दाद्यों का धातु के पूर्व प्रयोग होता है उन्हें, उपसर्ग (ते प्राग्धातोः पाणिनि) कहते हैं। किन्तु जिनका शब्द के अन्त में प्रयोग होता है, वे प्रत्यय कहे जाते हैं। संस्कृत और हिन्दी में शब्द के साथ प्रत्यय का संयोग प्रायः अन्त में होता है। प्रकृति और प्रत्यय के योग से ही शब्द का निर्माण होता है।

हिन्दी में प्रत्यय विभिन्न शब्दों के साथ संयुक्त हो कर संज्ञा-शब्दों की संरचना करते हैं। डॉ० ब० स० दीमशिल्ल ने हिन्दी में दो प्रकार के संज्ञा शब्द माने हैं— अव्युत्पन्न तथा व्युत्पन्न। अव्युत्पन्न संज्ञा शब्द प्रत्ययहीन होते हैं, जैसे—फल, कल, नल, घर। व्युत्पन्न संज्ञा शब्द प्रत्यय या उपसर्ग के योग से निर्मित होते हैं, जैसे कि—लेख से लेखक, पाठ से पाठक, घूम से घूमकड़, माल से माकी, तेल से लेडी, पहाड़ से पहाड़ी, काम से कमाऊ, साहित्य से साहित्यकार, वाक् से बक्ता, कुम्भ से कुम्भार, कुम्हार, पान से पानवाला, शाक से सागवाला, लकड़ी से लकड़हारा, इत्यादि।

शब्द में दो प्रकार के तत्त्वों की संखिति मानी गई है। वे तत्त्व हैं—प्रकृतितत्त्व तथा प्रत्ययतत्त्व। प्रकृतितत्त्व भाषा का मूल अंग माना जाता है। प्रकृतितत्त्व से वस्तुओं के भावों तथा व्यापारों का बोध होता है। प्रकृतितत्त्व भाषा का मूल उपादान है। उस के बिना शब्द की निर्मिति सम्भव नहीं है। प्रकृति से ही वस्तुतत्त्व का परिचय होता है। प्रत्यय केवल भाव और क्रिया के बीच का सम्बन्ध बतलाने वाला होता है। डॉ० मुखरीलाल उग्रैति के अनुसार प्रत्ययों के यौगिक विधान की दृष्टि से प्रकृतितत्त्वों को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है—मूल प्रकृति, व्युत्पन्न प्रकृति, और पद प्रकृति। मूल प्रकृति से अभिप्राय शब्दों के उन चरम रूपों से है जो शब्द की दृष्टि से अभिमान्य होते हैं, किन्तु अर्थ की दृष्टि से किसी प्रकार विभाजन कल्पना सम्भव नहीं होता। उदाहरण के लिए, नगर, घर, कल, जल, इत्यादि शब्दबोधक शब्दाद्यों हैं। 'नगर' का 'न-गर' अथवा 'न-ग-अ-र' जैसा विभाजन करना सम्भव नहीं है। मूल प्रकृतितत्त्वों के अन्तर्गत मूल धातु तथा मूल प्रातिपदिक की

गणना की जाती है। मूल धातु से अभिप्राय क्रियार्थक उन चरम रूपों से है जो दूसरे रूपों से व्युत्पन्न नहीं कहे जा सकते। उदाहरणार्थ—‘बल, कर, खा’, इत्यादि मूलधातुएँ हैं, जो किसी भी दूसरे रूप से व्युत्पन्न नहीं ठहराई जा सकतीं। मूल प्रातिपदिकों से अभिप्राय उन सत्त्वप्रधान चरम रूपों से है जो दूसरे रूपों में व्युत्पन्न नहीं होते जैसे—मकान, दौलत, आदि। इसी प्रकार व्युत्पन्न प्रकृति से तात्पर्य उन रूपों से है जो मूल प्रकृति अथवा व्युत्पन्न प्रकृति से व्युत्पन्न होते हैं, जैसेकि—नख, बल, घर, आदि। व्युत्पन्न प्रकृतियों के अन्तर्गत व्युत्पन्न धातु, समास तथा व्युत्पन्न प्रातिपादिक का भी उल्लेख किया जाता है। व्युत्पन्न धातुओं के अन्तर्गत नामधातु, सकर्मक धातु, प्रेरणार्थक धातुएँ आती हैं। पदप्रकृति से अभिप्राय शब्दों के प्रयोजनीय रूपों से है, जिन से अर्थ प्रकट होता है। इन पदों में मूल धातु या मूल प्रातिपदिकरूप प्रयुक्त होते हैं।

हिन्दी के प्रत्ययों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—व्युत्पादक प्रत्यय अथवा व्युत्पत्तिमूलक प्रत्यय एवं व्याकरणिक प्रत्यय अथवा विभक्ति प्रत्यय। ‘लघु’ एक शब्द है। इस में ‘ता’ प्रत्यय के योग से ‘लघुता’ एक दूसरा शब्द बन जाता है, जो भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर ‘ता’ व्युत्पत्तिमूलक प्रत्यय है, जो पृथक् शब्द का निर्माण करने वाला है।

जो व्याकरणिक स्थिति में काल, पुरुष, वचन, आदि के बोधक होते हैं, वे व्याकरणिक प्रत्यय कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए—‘घोड़ों ने नदी पार की।’ ‘घोड़ा’ शब्द का विकारी रूप ‘घोड़े’ एकवचन में बनता है और बहुवचन में उस का रूप ‘घोड़ों’ निष्पन्न होता है। यहाँ पर ओं (घोड़् + ओ) विभक्ति प्रत्यय है। भाषाविज्ञान में इसे अगविकारी रूप कहा जाता है। इसे विभक्तिक तिर्यक् रूप भी कहा जाता है।

हिन्दी में शब्द-रचना चार प्रकार से की जाती है—सन्धि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग के द्वारा। यद्यपि सस्कृत में प्रत्यय मध्य और अन्त में संयुक्त होते हैं, किन्तु हिन्दी में केवल शब्द के अन्त में ही प्रत्यय लगते हैं। शब्द से लगने वाले प्रत्यय स्वतन्त्र शब्दों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के शब्दों के दो वर्ग कहे जाते हैं—तद्धित और कृदन्त। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय से पृथक् शब्द-रचना की प्रक्रिया को तद्धित कहते हैं। धातु या अगख्यात में जो प्रत्यय लगते हैं, वे ‘कृत्’ प्रत्यय कहलाते हैं और कृत् प्रत्यय से निर्मित शब्द कृदन्त कहलाते हैं।

ई (मारी, मानी), ईला (रगीला, छबीला), आ (प्यासा, भूखा), ऊ (मोड़, छोड़), हला (रुपहला, सुनहला), दार (बजनदार, आबदार), एल (रखेल, उन्हेल), एला (विषैला, कुटेला), उआ (गेदआ), आना (हिन्दुआना), एकी (विषैकी, मटमैकी), इत्यादि।

विशेषण से संज्ञा बनने वाले प्रत्यय—

आई (चतुराई, मलाइ), आस (मिठास, लयस), इट (विकनाइट, कडवाइट), ता (मधुरता, निपुणता), ई (सदी, गर्मी), फन (बड़फन, खराफन),

क (उल्लस, कटुला), मा (कालिमा, मधुरिमा), ई (नवासी, कलनसी), इ (विभक्ति), आदि ।

स्वार्थिक प्रत्यय—किसी भी भाषा के शब्दों को अपना देने के लिए स्वार्थिक प्रत्यय मुख्य द्वार के समान होता है । इस के योग से शब्द में अन्तर के साम ही अर्थ में कुछ कोमलता आ जाती है । 'मुख' की बजाय 'मुखड़ा' कहने से कुछ कोमलता लक्षित होती है । इसी प्रकार 'मुखड़ा' रोने-गाने में भी कोमलता का भाव प्रकट होता है ।

स्वार्थिक प्रत्यय हैं—इया (बुदिया, खटिया), डा (मुखडा, दुखडा), डी (बीरवडूटी), डी (खूँटकी, टिकली), ई (टोककी, डोरी), ओका (खटोका, पटोका), डी (टंगडी, पगडी), री (कोठरी, पाटरी-ली), आ (बन्धा), वा (बछवा), टा (कट्टा, चोटा, छिनटा), ला (चुड़वा, घुड़वा), रा (हियरा, जियरा), आ (नाभा, दाभा) ।

सम्बन्धवाचक प्रत्यय—एरा (ममेरा, फुफेरा), आल (ननिहाल, ससुराल), आन (समधियान), आना (समधियाना), यारा (ममियारा, फुकियारा), एरी (ममेरी), आदि ।

सर्वनाम से सर्वनाम बनने वाले प्रत्यय—स (आपस), ना (अपना) ।

सर्वनाम से अव्यय बनने वाले प्रत्यय—आँ (यहाँ, कहाँ), व (अब, जब, कब), ज्यों (ज्यों, त्यों, यों) ।

वृद्धन्त प्रत्यय वृद्धन्त विशेषण (क्रिया से विशेषण बनने वाले प्रत्यय)—हुआ (खाता हुआ, पीता हुआ), हुई (रखी हुई, पडी हुई), गया (लिखा गया, पढा गया), चरुता (चरुते चरुते, पढते पढते) ।

कृद्धन्त संज्ञाएँ अंत (रटत, लडत मिडत) आ (पेरा, घेरा), आई (लड़ाई मिड़ाई), आपा (पुजापा), औती (मनौती), आप (मिलाप), औता (समझौता), आन (उठान, लगान), आव (घुमाव, बनाव), आस (प्यास, मिठास), ई (खोली, रोली), औनी (पौनी, पठौनी), त (बचत, पडत), ती (उठती, गिरती), न (देन-लेन), ना (मरना, लिखना), नी (करनी, भरनी), र (ठोकर), आवट (अमावट, लिखावट), आहट (बबराहट, चिल्लाहट), री (कटारी), का (उचक्का), ना (धबेना, लिखना), नी (मगनी, ओढ़नी), आ (झोला, ठेला), आनी (कहानी, मथानी), ऊ (झाड़ू, साड़ू), औटी (कसौटी, कडौटी), अन (टक्कन, बेकन), यी (खुरपी), पा (खुरपा), इत्यादि ।

इस प्रकार प्रत्यय नियम से वद्धप्रकृति के होते हैं । इन का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है । ये धातुओं की भाँति एकेश्वरी तथा लघु कहे जाते हैं । आधुनिक भाषा तत्त्वविद् प्रत्यय को क्लिप्ति व्यापक रूप में ग्रहण करते हैं । यह मूल-रूप के आदि, मध्य अथवा अन्त में संयुक्त होने वाला वद्ध भाविक अंश कहा जाता है । प्रत्यय संयुक्त होने वाला अंश है । दूसरे अर्थों में, मूल रूप को प्रयुक्त कर देने पर प्रत्यय अंश अवशिष्ट रह जाता है; जैसेकि—'मट' मूल रूप से 'मटक, मटकाव, मटकना, मटकाना, मटका, मटकावा', इत्यादि

शब्द-बन्धनियम होते हैं। यथार्थ में, मूल रूप सामान्य अक्षर हैं और प्रत्यय अव्ययिक अक्षर। प्रत्यय कई मूल रूपों के साथ मिल कर सम्बन्धित शब्दों का एक समूह निर्मित करता है, जिसे रूपवाकिका (Paradigm) कहा जाता है। यह शब्द-बन्ध शब्दरचनात्मक हो सकता है और पदरचनात्मक भी। उदाहरणार्थ—चटकीला, मड़कीला, इठीला, चमकीला, में जो समान अक्षर 'ईला' है, वह अपने भावबोधक स्वरूप के कारण चठक, मड़क, इठ, चमक, को एक प्रकार के सम्बन्ध में आवद्ध कर देता है। इस से सिद्ध होता है कि किसी भाषा में कितने प्रकार के सजीव प्रत्यय वर्तमान होते हैं, उतने ही शब्द-बंध बनते हैं। इन शब्द-बन्धों के समान अक्षर को निकाल देने पर जो अवशिष्ट रह जाता है, वही मूल रूप कहा जाता है।

हिन्दी में विभक्तियों की स्थिति यौगिक एव सरलित है। मूल शब्द तथा प्रत्ययों के बीच उन में अगविकार भी परिलक्षित होते हैं। अतएव प्रत्यय विधान के अन्तर्गत प्रकृति तथा प्रत्ययों के अनेक सपरिवर्तक हो जाते हैं। ये सपरिवर्तक ध्वनिप्रक्रियात्मक अथवा रूपात्मक दृष्टि से प्रतिबंधित (Conditioning) होते हैं। ध्वनिप्रक्रियात्मक सपरिवर्तक ध्वनि-नियमों के अन्तर्गत तथा रूपात्मक सपरिवर्तक रूपरचना-संबंधी नियमों के अन्तर्गत आते हैं, परन्तु उन के अर्थ विभिन्न नहीं होते, अपितु एक ही आधारभूत अर्थ को उद्दिष्ट करते हैं। उदाहरणार्थ, लोह। प्रातिपदिक में जब ।—आर। प्रत्यय का योग होता है तो इस प्रक्रिया में। लोह। का। लुह—। हो जाता है। इस प्रकार। लुहार। प्रातिपदिक व्युत्पन्न होता है। लोह। तथा। लुह—। एक ही अर्थ को द्योतित करते हैं तथा प्रत्यय की यौगिक प्रक्रिया में। ओ। स्वर का। उ। में परिवर्तन हो जाना हिन्दी के ध्वनि नियम के अनुसार है।। काम। प्रातिपदिक में जब ।—आ। व्युत्पादक प्रत्यय का योग होता है तो। कमा। चातु व्युत्पन्न होती है।। काम। तथा। कम। एक ही अर्थ को द्योतित करते हैं तथा। आ। स्वर का। अ। में परिवर्तन हिन्दी ध्वनि नियमानुसार है।। साठ। प्रातिपदिक में जब। उन—। पूर्व प्रत्यय का योग होता है तो। उनसठ। प्रातिपादिक व्युत्पन्न होता है।। साठ। तथा। सठ। एक ही अर्थ का द्योतन करते हैं।" इसीप्रकार दुभारू, सुहावना, विट्वा, खटोला, मुटापा, और टुकड़ी, आदि प्रतिबंधित समझने चाहिए। ये ध्वन्यात्मक और रूपात्मक दोनों ही दृष्टियों से प्रकृति सपरिवर्तक और प्रत्यय-सपरिवर्तक कहे जा सकते हैं। जब। चम, हाम, तम, गम, डम। इत्यादि में।—क। स्वार्थिक प्रत्यय का योग होता है तब। चमक, हामक, तमक, गमक, डमक। आदि रूप व्युत्पन्न होते हैं। ये प्रत्यय-सपरिवर्तक के उदाहरण कहे गए हैं। प्रत्यय-सपरिवर्तक भी ध्वनि नियमों के अनुसार प्रतिबंधित कहे जाते हैं। सपरिवर्तकों में से आधारभूत सपरिवर्तक उसे माना जाता है, जिस का प्रयोग अन्य की अपेक्षा बहुलता से होता है। सक्षेप में, आधारभूत सपरिवर्तक या प्रधान सपरिवर्तक के अन्तःस्थल में व्याकरणिक कौटिक के ध्वन्यात्मक तथा रूपात्मक सपरिवर्तक समाहित रहते हैं। भाषा के वर्णनात्मक अध्ययन में हम विभिन्न दृष्टियों से उन का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं। यथार्थ में, सपरिवर्तकों

के विनाशकारक मिलनेवाले विभक्तियों की लक्षण-प्रक्रिया का समुचित अध्ययन नहीं किया जा सकता। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत ही प्रत्यय-संरचना का प्राथमिक नियम होता है।

प्रत्यय और प्रयोग

यह पहले ही कहा जा चुका है कि प्रत्यय मूल से आकर अलग होता है। इस दृष्टि से हिन्दी में पञ्चीय पूर्वप्रत्यय मिलते हैं। हिन्दी के पूर्वप्रत्यय हैं—अ, अन-, अल-, उ १-, उ २-, उन-, औ-, कु-, दर-, हु-, नि-, पर-, शिल्-, व-, वर-, वा-, वे-, वै-, ल-, ल-, लव-, लर-, लु-, हम-, बहर।

(१) अ—हिन्दी में (अ-) पूर्वप्रत्यय का प्रयोग अभाव और हीनता के अर्थ में होता है, जैसे कि—अनाथ, अकाल, अछूत, अज्ञान, अचल, अटक, अथाह, इत्यादि।

(२) अन—इस पूर्वप्रत्यय का प्रयोग निषेध तथा अभाव अर्थ में किया जाता है, यथा—अनमना, अनमोल, अनविद्या, अनचाहा, अनमेल, अनपढ़, अनबोला, इत्यादि।

(३) अल—इस का व्यवहार निश्चय के अर्थ में संज्ञा तथा विशेषण के पूर्व में किया जाता है, जैसेकि—अलमस्त, अलगरज, अलगरजी, अल्योजा, आदि।

(४) उ १—‘उमर’ के अर्थ में इस पूर्वप्रत्यय का व्यवहार किया जाता है, यथा—उमर, उमर, उपट, उबट, उमड़, उतर, उपर, उछाल, उड़ेल, इत्यादि।

(५) उ २—इस प्रत्यय का प्रयोग ‘अभाव’ अर्थ में संज्ञाओं के पूर्व होता है, जैसेकि—उधार, उनींदा, उथला, उगाळ, उचाट, उदास, उपास, आदि।

(६) उन—इस प्रत्यय का प्रयोग ‘एक कम’ अर्थ में होता है, जैसेकि—उनचास, उनसठ, उनहत्तर, उन्नासी, इत्यादि।

(७) औ—इस पूर्वप्रत्यय का व्यवहार संज्ञाओं और क्रियाओं के पूर्व ‘हीनता’ के अर्थ में होता है, जैसेकि—औषट, औषद, औपर, औचक, औचट, औजद, औजद, आदि।

(८) कु—‘हीनता’ के अर्थ में इस प्रत्यय का व्यवहार किया जाता है, यथा—कुचाल, कुमार्ग, कुबोल, कुटोत्र, कुठौर, कुसमय, कुटेक, कुदंग, कुबौग, इत्यादि।

(९) दर—इस पूर्वप्रत्यय का प्रयोग ‘निश्चय’ के अर्थ में किया जाता है, जैसेकि—दरअसल, दरहकीकत, दरअसल, दरखत, दरकार, दरहाक, आदि।

(१०) हु—‘हीनता’ तथा ‘कठिनता’ के अर्थ में इस प्रत्यय का प्रयोग किया है, जैसेकि—हुकाक, हुबरा-हुबरा, हुमाक, हुंरत, हुसद, हुगुल, इत्यादि।

(११) नि—इस प्रत्यय का प्रयोग ‘रहित’ अर्थ में होता है, यथा—निकर, निकलक, निकाम, निचन, निपूर, निषटना, निवेरना, निमान, आदि।

(१२) पर—इस का व्यवहार 'पूर्व' के अर्थ में किया जाता है; जैसेकि—परबारादा, परनावा, परप्रपौत्र, परसाल, परपोता, आदि ।

(१३) फ़िर—इस प्रत्यय का प्रयोग निश्चय के अर्थ में किया जाता है, यथा—फ़िरहाल, फ़िरहकीकत, फ़िरफ़ौर, इत्यादि ।

(१४) व—'साथ' के अर्थ में इस प्रत्यय का व्यवहार किया जाता है, जैसेकि—बख़ुद, बख़्शी, बरतैर, बतौर, बदस्तूर, बनाम, बरग, बहुक़म, आदि ।

(१५) बर—'निश्चय' के अर्थ में इस प्रत्यय का प्रयोग सज़ा और विशेषण के पूर्व होता है, जैसेकि—बरकरार, बरख़िलाफ़, बरख़ुरदार, बरवक्त, इत्यादि ।

(१६) बहर—इस प्रत्यय का व्यवहार 'निश्चय' के अर्थ में होता है, यथा—बहरहाल, बहरकिस्मत, बहरबाग, आदि ।

(१७) बा—'सहित' के अर्थ में यह प्रत्यय प्रयुक्त होता है । जैसेकि—बाकायदा, बाअदब, बाआवरू, बामजाक, बामुराद, बासलीका, इत्यादि ।

(१८) बे—'बिना' के अर्थ में इस प्रत्यय का प्रयोग सज़ा और क्रियाविशेषण के पूर्व होता है यथा—बेख़बर, बेचैन, बेकरार, बेतकल्लुफ़, बेधडक, बेपीर, बेबस, बेभाव, बेलिहाज, बेबक़ूफ़, बेवफ़ा, बेहद, आदि ।

(१९) बै—'अभाव' के अर्थ में सज़ा शब्द के पूर्व इस प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसेकि—बैराग, बैदेह, बैवर्ण, बैधर्म्य, बैमनस्य, इत्यादि ।

(२०) ला—इस प्रत्यय का प्रयोग 'निषेध' के अर्थ में होता है, यथा—ला इलाज, ला इत्म, लाचार, लापता, ला मिसाल, ला वारिस, आदि ।

(२१) स—'सहित' के अर्थ में इस प्रत्यय का व्यवहार किया जाता है, जैसेकि—सजीव, सदेह, समान, सधूम, सनाथ, सपक्ष, सपर्ण, सफलक, इत्यादि ।

(२२) सब—इस प्रत्यय का व्यवहार 'लघुता' के अर्थ में किया जाता है यथा—सब जज, सब डिवीजन, सब पोस्टऑफिस, सब रजिस्ट्रार, सब ओवरसियर, आदि ।

(२३) सर—'मुख्यता' के अर्थ में इस प्रत्यय का प्रयोग होता है जैसेकि—सरहद, सरकार, सरताज, सरनामा, सरबुल्द, सरकोह, सरराह, इत्यादि ।

(२४) सु—इस प्रत्यय का व्यवहार श्रेष्ठता के अर्थ में होता है, यथा—सुराज, सुब्बन, सुजस, सुफल, सुकर, सुकुल, सुघड, सुगुप्त, सुग्रीव, सुवोष, सुचार, आदि ।

(२५) हम—'समान' के अर्थ में इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है जैसेकि—हम जोली, हम उग्र, हम पेशा, हमसिन, हमवतन, हमराही, इत्यादि ।

हिन्दी में शब्दों के साथ संयुक्त होने वाले प्रत्ययों के असम्यक् प्रयोग से कई प्रकार की अशुद्धियाँ परिलक्षित होती हैं । सज्ञा-शब्दों में एक साथ दो प्रत्ययों को संयुक्त कर देने से भी शब्द निर्माण में अशुद्धि लक्षित होने लगती है, यथा—धैर्यता, चातुर्यता, वैमनस्यता, सौन्दर्यता, दारिद्र्यता, उत्कर्षता, साम्यता, आदि । विशेषण से सज्ञा शब्दों की रचना करते समय भी कई तरह की अशुद्धियाँ देखने को मिलती हैं;

जैसेकि—उपयोगिता (उपयोगिता), महानता (महत्ता), नियमितता (नियमितता)
स्वाधीनता (स्वाधिनता), विधवाई (वैधव्य), पराजितता (पराजय), बृहत्पन
(बृहत्ता), दीक्षितता (दीक्षा), संयुक्तता (संयुक्ति), बहुताया (बहुतायत),
दीर्घता (दीर्घाई) और विद्युत् (विद्युत्), इत्यादि ।

इसी प्रकार संज्ञा से विशेषण बनाने के समय प्रत्ययों का सम्यक् प्रयोग न करने से कई प्रकार के अशुद्ध शब्दों का निर्माण हो जाता है । इसलिए प्रत्ययों से समुचित शब्द-निर्माण एवं रचना प्रक्रिया को जान लेना अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है । उदाहरण के लिए, हिन्दी में विशेषण लिंग और लिंग के अनुसार बदल जाते हैं । उर्दू में विशेषण सदा एकलिंग रहता है, जैसेकि—ताजा पानी, ताजा खबर, ताजा चाय, ताजा हवा, इत्यादि । किन्तु हिन्दी में 'ताजी रोटी' अच्छी मानी जाती है और 'जाजे पकोड़े' किसे अच्छे नहीं समते ? यही नहीं, 'ताजी हवा' स्वास्थ्यप्रद मानी जाती है और 'ताजा समोसा' खाने में अच्छा लगता है । इसी प्रकार गाड़ी की 'तेज चाल' अच्छी कही जाती है, किन्तु 'भावों की तेजी' अच्छी नहीं मानी जाती । 'अजी, आप निरे साहब हैं !', 'तू तो निरा गँवार है', 'तेरी निरी गँवारी किसे अच्छी लगती है ?' इसी प्रकार 'यह काला घोडा है' और 'वे काले घोड़े हैं' तथा 'वे काली साड़ियाँ पहने हुए हैं ।' विशेषण से संज्ञा शब्द निर्माण में होने वाली भूल कुछ इस प्रकार हैं—

- (१) मूल शब्द में प्रत्यय न जोड़ कर विशेषण के साथ प्रत्यय जोड़ कर भाववाचक संज्ञा-शब्दों के निर्माण में प्रायः अशुद्धियाँ देखी जाती हैं, जैसेकि—महानता, बृहत्पन, विधवाई, स्वाधीनता, आमावट, पराजितता, इत्यादि । इन के शुद्ध रूप हैं—महत्ता (महत्ता), बृहत्ता, वैधव्य, स्वाधिनता, आमावट, पराजय ।
- (२) उच्चारण की असावधानी से लेखन में भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं, जिन में अधिकतर मात्राओं की भूलें होती हैं, यथा—उपयोगिता, नियमितता, व्यस्ता, बपोती, मनोती, राष्ट्रियता, प्रामाणिकता, ऐक्य, पोरुष, चुनोती, आदि । इनके शुद्ध लिखित रूप हैं—उपयोगिता, नियमितता, व्यस्तता, बपौती, मनौती, राष्ट्रीयता, प्रामाणिकता, ऐक्य, पौरुष, चुनौती, आदि ।

संज्ञा शब्द से विशेषण-शब्दों के निर्माण में भी इस प्रकार की भूलें देखी जाती हैं । इन में प्रायः दुहरी भूलें होती हैं । उदाहरण के लिए, 'सघात' संज्ञा शब्द से 'इक' प्रत्यय जोड़ने पर विशेषण रूप निष्पन्न होता है । किन्तु इस प्रक्रिया तक पहुँचने के पूर्व 'साघात' शब्द बनता है और तब उस के साथ 'इक' प्रत्यय संयुक्त होता है । अतः शुद्ध रूप साघातिक है, न कि संघातिक । इसी प्रकार आश्विक, पारिवारिक, पैसाचिक, पाषाणिक, प्रादेशिक, नैसर्गिक, याज्ञिक, बौद्धिक, चारित्रिक, तान्त्रिक, तान्त्रिक, गार्हपत्यिक, प्रारम्भिक, सामरिक और सैदान्तिक, आदि शब्द रूप शुद्ध माने जाते हैं । कभी-कभी प्रत्ययों की भूल से भी अशुद्ध शब्द-निर्माण सम्बन्धी भूलें देखी जाती हैं, जैसेकि—'देशिक' शब्द गलत है, शुद्ध शब्द है—देशीय । इसी प्रकार 'आश्विक'

न होकर 'आमैव' होना चाहिए; 'हैमिक' न होकर 'हैमीय' तथा 'मृगारीय' न होकर 'मृगारिक' होना चाहिए ।

हिन्दी में संज्ञा-शब्दों का निर्माण जिन प्रत्ययों के योग से होता है, वे शब्द के मूल रूप के साथ संयुक्त होते हैं; जैसेकि—'उड़ान' शब्द धातुमूलक शब्द 'उड़ने' के साथ 'आन' प्रत्यय के संयोग से निष्पन्न होता है। इसी प्रकार भूल, पी, खेरु और बूस धातु-रूपों के साथ 'अककड़' प्रत्यय के संयोग से भुलककड़, पियककड़, खिलककड़ तथा बूसककड़ शब्दों का निर्माण होता है। पुस्लिम नर और पशुवाचक शब्दों में इन, इया, ई और नी प्रत्यय संयुक्त कर स्त्रीलिंग शब्दों की रचना होती है। उदाहरण के लिए—पनहारिन, चोबिन, बाबिन, रीछिन, बन्दरिया, बछिया, बुटिया, चोड़ी, मानवी, सिंहनी, मंगनी, इत्यादि। इसी प्रकार 'आ' प्रत्यय के संयोग से भी व्यक्ति-वाचक स्त्रीलिंग शब्दों की रचना होती है, वथा—छात्रा, वृद्धा, महोदया, सुषमा, आदि। 'आ' के अतिरिक्त आइन, आनी, इका और 'त्री' स्त्रीलिंगवाचक प्रत्यय हैं। 'आइन' प्रत्यय के संयोग से पडिताइन, ठकुराइन और मिश्राइन, तथा 'आनी' प्रत्यय के योग से सेठानी, देवराणी और जेठानी, एव 'इका' प्रत्यय से परिचारिका, सेविका और लेखिका तथा 'त्री' प्रत्यय से दात्री, धात्री, अभिनेत्री और कारयित्री, आदि शब्दों का निर्माण होता है। स्त्रीलिंग से पुस्लिम बनाने के लिए भी 'आ' प्रत्यय के संयोग से मैसा, बकरा, मेड़ा, मेड़ा और हिरना, जैसे शब्दों की रचना होती है।

हिन्दी में परप्रत्ययों का व्यवहार सज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाविशेषण, प्रातिपादिकों तथा धातुओं के पश्चात् होता है और इन के योग से बहुविध नाम धातुरूपों की रचना होती है। जिन सर्वनामों का व्यवहार हिन्दी में होता है, वे मूल प्रातिपादिक होते हैं। उन में जुड़ने वाले परप्रत्यय नहीं होते।^{१०} कुछ मूल सर्वनाम प्रातिपादिकों से सज्ञा, विशेषण तथा क्रियाविशेषण एव प्रातिपादिक रूप अवश्य व्युत्पन्न होते हैं, जैसे—/आप-आ-आपा /स०/, यह (इ)-तन/ आ-इतन/आ/ वि०, /यह (इ) घर इ घर /क्रि०वि०/ इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि हिन्दी /आप/ (निज० वाचक) सर्वनाम को छोड़ कर शेष सभी सर्वनामों से धातुएँ व्युत्पन्न नहीं होतीं। /आप/ से /अपना/ सकर्मक धातु इस प्रकार व्युत्पन्न होती हैं। आप (अप) -आ-अपना। उदाहरण के लिए, मैं उसे नहीं अपनाता। डॉ० उप्रेति ने हिन्दी में उपलब्ध परप्रत्ययों तथा संपरिवर्तकों के मध्य का अन्तर स्पष्ट करते हुए उन का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया है। सस्कृत की भाँति हिन्दी में भी परप्रत्ययों की सिद्धि का आधार मूल शब्द रूप ही है, न कि पद रूप।^{११} धातु या मूलशब्द-रूपों के जाने बिना न तो हम प्रातिपादिकों का वर्गीकरण कर सकते हैं और न संपरिवर्तकों का। अतएव लिंग, वचन, विभक्ति तथा क्रियापदों के अर्थ को शब्द से अलग कर देने पर प्रातिपादिक अवशिष्ट रह जाता है। इन प्रातिपादिकों के साथ ही प्रत्यय संश्लिष्ट होता है। हिन्दी में मूल शब्द तथा परप्रत्यय के बीच कोई ऐसा तत्व विभक्ति या प्रत्यय प्रयुक्त नहीं होता, जो इन दोनों के बीच विभजन प्रस्तुत करता हो। अतः मूल शब्दों और परप्रत्ययों

में यौगिक सम्बन्ध होता है। इन यौगिक शब्दों को अपने से देखते-देखते यह स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत में जो स्थिति पूर्वशब्दों अथवा उपशब्दों की है, हिन्दी में वही स्थिति परप्रत्ययों की है। इन प्रत्ययों को अपनाते समय हिन्दी की अपनी साक सम्बन्ध ही दिखाई देती है; जैसेकि—कहावत, भिखार, पंचायत, मेरजा, पैदावार, पंजिवाक, झगड़, मुकामकड़, प्रहियसन, चौथार, जलज, दुरवीन, गुंजार, सदांज, चिन्नीक, कहुआइत और उपजाक, इत्यादि। इन में से मुकामकड़, दुरवीन, गुंजार, और चौथार शब्दों के यौगिक रूप अन्य शब्दों से कुछ भिन्न हैं। म्युत्पन्न शब्दों के यौगिक न होकर मूल शब्दों से निष्पन्न होते हैं।

शब्द-संरचना : हिन्दी-संस्कृत प्रत्ययों से नए शब्दों की रचना

शब्द-संरचना का अर्थ है—शब्द की बनावट। शब्द जिन मूल तत्त्वों से मिल कर बनता है, उन्हें प्रकृति और प्रत्यय कहते हैं। प्रकृति शब्द का मूल अंश शब्द या मूल शब्द होता है। मूल शब्द के आधार पर ही अनेक शब्दों की रचना होती है। शब्द-रचना की अपनी स्वतन्त्र विधि होती है, जिस के अनुसार नाम-रूपों की संरचना होती है। प्रायः नए शब्दों की रचना आवश्यकता के अनुसार होती है। अधिकतर नए शब्दों की रचना किसी पुराने मॉडल पर होती है। इन शब्दों को बनाने वाले जनसामान्य या बौद्धिकवर्ग के लोग होते हैं। ये शब्द किसी न किसी रूप या ढाँचे पर निर्मित होते हैं। कभी-कभी इन की रचना और प्रयोग का पता सहज रूप से नहीं लगता। इनका उपयोग किसी भी देश या जाति के सांस्कृतिक विकास में स्पष्ट रूप से संलक्षित होता है। देश की स्वतन्त्रता के पूर्व की हिन्दी में और आज की हिन्दी में उच्चारणगत ही नहीं, लेखन में भी स्पष्ट अन्तर आया है। हिन्दी में दीर्घ शब्दों के ह्रस्व उच्चारण की प्रवृत्ति दिनोंदिन बलवती होती जा रही है। आज अनेक शब्दों का प्रचलन हिन्दी और अंग्रेजी के मिश्रित ढाँचे पर प्रयुक्त दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए—अंग्रेजी 'आन्ट' (aunt) शब्द से हिन्दी अटी, रजिस्टर्ड से रजिस्ट्री, कनस्टर से कनस्तरी, रंग से रगदारी और सूत से सूती, इत्यादि।

एक बार किसी शब्द के बन जाने पर उस के रूप में बहुत कम परिवर्तन होता है—और जो परिवर्तन होता है, वह प्रायः उच्चारण के कारण। इसलिए बरेख ही नहीं, उपयोग में आने वाले सभी शब्द हजारों-कालों वर्षों तक टिकते हैं। एक एक ध्वनि परिवर्तन के मूल में शताब्दियों का इतिहास सुरक्षित रहता है। अतएव प्राचीन इतिहास और संस्कृति के अध्ययन में शब्द-संरचना का अत्यन्त महत्त्व है। वह एक ऐसा अक्षिप्त इतिहास है, जो शत-सहस्राब्दियों तक अपने मूल रूप में संरक्षित रहता है। शब्द-संरचना की कई प्रवृत्तियाँ हैं। किन्तु मुख्य प्रवृत्तियों में से कुछ हैं—
म्युत्पत्तिमूलक प्रवृत्ति, समासमूलक प्रवृत्ति, उपधा देने की प्रवृत्ति, वर्णपरिवर्तनमूलक प्रवृत्ति और अर्धपरिवर्तनीय प्रवृत्ति।

(१) व्युत्पत्तिमूलक पद्धति—

इस पद्धति के अन्तर्गत मूलशब्द की खोज कर उपसर्ग तथा प्रत्ययों के द्वारा शब्द-रचना का निर्देश किया जाता है। इस जानकारी से मूल शब्द का पता लगाना सरल हो जाता है और नए शब्दों की रचना करने में भी सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए, हिन्दी में एक शब्द है—दाम। किन्तु कहावत है—‘चमड़ी जाय, पर दमड़ी न जाय।’ दाम और दमड़ी कैसे बने हैं और इस तरह के शब्दों की रचना कैसे की जा सकती है—यह एक महत्वपूर्ण तथा मनोरंजक विषय है। जैसाकि डॉ० भाषाधी ने उल्लेख किया है कि यह ‘दाम’ और ‘दमड़ी’ शब्द आजकल का नहीं है। बादशाह शेरशाह और अकबर के समय में ‘दाम’ एक ताँबे के सिक्के के रूप में प्रचलन में था। दाम का चौथाई भाग ‘दमडो’ और आठवाँ भाग ‘दमड़ी’ कहा जाता था। परन्तु इसे प्राचीन काल में ‘द्रम्म’ नाम से व्यवहृत किया जाता था। द्रम्म नाम का रजत का सिक्का नवम शताब्दी से ले कर तेरहवीं शताब्दी तक उत्तर भारत में प्रचलित रहा है। दाम शब्द का इतिहास इस से भी प्राचीन है, क्योंकि दाम शब्द का मूल ‘द्रम्म’ संस्कृत का शब्द नहीं है। संस्कृत में यह शब्द ग्रीक भाषा से आगत है। प्राचीन काल में ग्रीक में एक रुपये के सिक्के का नाम ‘द्रम्म’ (drachma) था। यह प्राचीन ईरान में सासानी युग तक इसी नाम से प्रचलित था। वहाँ से भारत में आने वाले लोग इसे साथ में लेते आए। परवर्ती काल में यह द्रम्म, दाम नाम से प्रचलित रहा।^{१२} ‘दाम’ से ‘दमड़ी’ शब्द का विकास हो गया। इस विकास का आधार सादृश्य कहा जा सकता है। दाम कहने की अपेक्षा दमड़ी में लघुवत्ता का भाव है। दाम के साथ स्वार्षिक ‘ड’ प्रत्यय जोड़ देने से ‘दमड़ी’ शब्द निष्पन्न होता है। जिस प्रकार चर्म से चाम और फिर चमड़ी, पपट से पापट और फिर पपड़ी, पण से पान और फिर पनड़ी, आदि शब्दों का निर्माण होता है, उसी प्रकार द्रम्म से दाम और दमड़ी शब्द की रचना सादृश्य के आधार पर हुई है।

हिन्दी के शब्द भण्डार में व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दावली विषयक विभिन्न स्तर हैं। यही कारण है कि शब्दनिर्माणकारी प्रत्यय भी विभिन्न स्तरों के हैं। डॉ० ज० म० दीमशित्त के अनुसार अन्य भाषाओं से गृहीत निर्माणकारी प्रत्यय प्रायः गृहीत शब्दों में समाविष्ट होते हैं, लेकिन आधुनिक भाषा में अन्य भाषाओं से गृहीत कतिपय प्रत्यय तथा प्रत्ययाभास हिन्दी के शब्दों के साथ भी प्रयुक्त हो कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं,^{१३} जैसे—बेसमझ, घूँसेबाज।

(२) समासमूलक पद्धति—

इस पद्धति के अनुसार दो शब्दों को मिला कर एक शब्द का निर्माण किया जाता है। हिन्दी भाषा में ऐसे अनेक शब्द मिलते हैं, जो अन्य विदेशी भाषाओं के शब्दों से या प्रत्ययों से मिलकर बनाए जाते हैं, जैसेकि—रेलगाड़ी, रजिस्टर्डपत्र, हजारीप्रसाद, पचहजारी, लगाड़ा, पत्तीदार, पार्टीबाजी, तोपची, बादशाहत, और कम्पनी,

आदि । दो मूल शब्द समस्त हो कर जब इन्द्र समास का रूप धारण करते हैं तब सामासिक शब्दों का निर्माण होता है, जैसे : आशा-निराशा, छानबीन, खैल-कूद, छीना-झपटी, कमी-बेशी, ऊँच-नीच, धरा-उठार, इत्यादि । इन दिनों हिन्दी में सामासिक शब्दों की रचना पारिभाषिक शब्दावली के रूप में विशेष रूप से की जा रही है । उदाहरण के लिए, विद्युत्शक्ति, विद्युत्चालक, विद्युत्मापी, विद्युत्धार, विद्युत्वेग, विद्युत्संचारक, विद्युत्चालक, विद्युत्-तडाग, विद्युत् चुम्बक, आदि ।

यथार्थ में, नाभिक शब्दों का निर्माण मूल में धातुओं से या शब्दों के मूल अंश से होता है । जब दो नाभिक शब्द परस्पर मिल कर एक रूप हो जाते हैं तब सामासिक शब्द का निर्माण होता है, जैसेकि—घुड़सवार, विमानचालक, हाथीघोड़ा, लेखकपत्नी, भारतसेवक, माता पिता, राम रावण, गोपाचल, हिमालय, आदि । केवल संज्ञा शब्दों के संयोजन से ही नहीं, संज्ञा शब्दों के साथ क्रिया-पदों के संयोग से भी समास में नए शब्दों की रचना होती है, यथा—घुड़चढ़ा, पीठासीन, नयनोन्मीलन, अक्षि-सकोच, पाठ लेखन, उड़नतन्त्री, उड़नखटोला, इत्यादि । इसी प्रकार दो समान क्रियापदों के संयोग से भी सामासिक शब्दों का निर्माण किया जाता है, जैसे लेन देन, कहा-सुना, आया-गया, भूला बिसरा, सोचा विचार, धरा उठाया, पढाया लिखाया, आदि ।

शब्दों के समस्त होने का भाव शब्द में स्वतः निहित है । पॉल्मर आदि भाषा वैज्ञानिकों ने शब्द को ऐसी लघुतम भाषण इकाई माना है, जो पूर्णतया उच्चारण देने में समर्थ है । अधिकतर विद्वानों के विचारों में सामान्य रूप से शब्द में कोशगत अर्थ तथा संरचना संलक्षित होती है । अतएव इसे वॉक्स (Vox), डिक्टो (Dicto) और पार्स ओरेशन (Pars oration) आदि नाम देने का प्रयत्न भी किया गया है ।¹⁰ यद्यपि ध्वनिविज्ञान शब्द को ध्वन्यात्मक मानता है, लेकिन शब्द ध्वनियों का वह सम्बद्ध रूप होता है, जिस से अर्थ व्यक्त होता है । जहाँ अर्थ है वहाँ कोई-कोई चित्र तथा आकार पहले से ही निहित है । इसलिए शब्द में संरचना और समस्त होने का भाव निरर्ग है, स्वाभाविक है । इस में प्राचीन तथा आधुनिक दोनों ही प्रकार के विद्वान् एक मत हैं ।

(३) उधार लेने की पद्धति

अन्य भाषाओं से सम्पर्क के कारण, जातीय प्रभाव तथा सगम होने के कारण प्रायः कई प्रकार के शब्दों को अपना लिया जाता है । शब्द ग्रहण करने के मुख्य तीन प्रकार कहे गए हैं । प्रथम वे शब्द ज्यों के त्यों दूसरी भाषाओं से ग्रहण कर लिए जाते हैं जो हमारी भाषाओं में नहीं हैं, किन्तु आवश्यकता पड़ने के कारण जो हमारे बोल-चाल में आ गए हैं । उदाहरण के लिए, आकमारी, पीपा, फाल्क, मिस्तौक, सम्बाक, मोदाम, चाबी, गोमी, काजू, कमरा, कनस्तर, मिर्चा, गमका, लौकिया, मस्तक, मिस्त्री, संतरा, आदि धूर्तगाकी शब्द हिन्दी में मस्तीभौति अपना लिए गए

हैं। अंग्रेजी और फारसी शब्द तो इतने अधिक हैं कि हिन्दी में प्रचलित हलवा, रोटी, बर्फी, इजिन, स्कूल, पासक, गिलास, रजिस्ट्री, डायरी, सिगरेट, आदि शब्दों को देख कर यह सोचना तक कठिन हो जाता है कि ये विदेशी शब्द हैं।

विश्व में आज ज्यों ज्यों वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रगति होती जा रही है त्यों-त्यों नवीन वस्तुओं का आविष्कार होता जा रहा है। उन नई वस्तुओं और कार्यों के लिए भाषा-सम्पदा में नित नए शब्दों की वृद्धि होना भी स्वाभाविक है। यद्यपि जन सामान्य नए शब्दों की रचना अनायास ही अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया से कर लेते हैं, किन्तु भाषा पद्धति में नए शब्दों का निमाण होना एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। यह केवल इस देश की भाषा के लिए ही नहीं, मानव मात्र की भाषा के लिए महत्त्वपूर्ण तथ्य है। जापानी भाषा में 'मिरक' शब्द का अर्थ है—दूध। इस मिरक शब्द का जापान के साथ पहले कोई सम्बन्ध नहीं था। जापान में प्राचीनकाल में न गाय थी और न भैंस। इसलिए दूध के लिए भी कोई शब्द प्रचलन में नहीं था। जब पहली बार अंग्रेजों के सम्पर्क से 'मिल्क' का पता चला तो उस का जापानीकरण कर उसे 'मिरक' बना लिया। इसी प्रकार उन्होंने 'टैक्सी' को अपने साँचे में ढाल कर 'ताकशी' बना लिया।

प्रत्येक भाषा में उधार लिए जाने वाले शब्दों को अपनाने की एक विधि होती है जिसे ग्रहण पद्धति' कहा जा सकता है। इस के अनुसार सभी भाषाएँ अपने स्वभाव और साँचे के अनुरूप विदेशी शब्दों को ग्रहण करती हैं। हिन्दी में 'सेन्टन' से लालटेन, 'ग्लास' से गिलास, 'केटरी' से केतली, 'कोल्डर' से कोल्डर, 'लेफ्टिनेन्ट' से लफट्ट, 'लार्ड' से लाट, 'ट्रेजरी' से तिजोरी, 'अल्मुनियम' से अलमोनियम, 'बायरन' से बेरग, 'समन' से सम्मन, आदि इसी प्रकार के शब्द हैं। इसी प्रकार गुजरातियों ने 'पोटेटा' से 'बटाटा' और 'टामेटो' से 'टमाटर' शब्द बना लिए। लगभग सभी भाषाओं में इस तरह के उधार लिए हुए शब्द मिलते हैं। इन में केवल भाषागत साँचे की छाप और कहीं कहीं कुछ भिन्न अर्थ लक्षित होता है।

कभी कभी अन्य भाषाओं से उधार शब्द भी ज्यों के त्यों अथवा अपनी भाषा के शब्द से मेल कर उधार रूप में प्रचलित हो जाते हैं। जैसेकि—रगमहल (पा० अ०), शीशमहल (पा० अ०), रेलगाडी (अ० हि०), टिकिटघर (अ० हि०), पाकिटमार (अ० हि०), पासलघर (अ० हि०), ऑटोरिक्शा (अ० ज०), नम्बरदार (अ० पा०), मिडलची (अ० तु०), उर्दूबाज (तु० पा०), मिल्मालिक (लै० अ०), इत्यादि। ससार की कई भाषाओं में विदेशी शब्दों की संख्या बहुत अधिक है। अंग्रेजी, फ्रेंच तथा फारसी भाषा में विदेशी शब्दों की संख्या पचास प्रतिशत से भी अधिक है। इन में भारतीय शब्दावली भी सम्मिलित है। वास्तव में, विभिन्न देशों के सम्पर्क के कारण जहाँ संस्कृत से कई भाषाओं ने शब्दों को उधार ले कर अपनी भाषाएँ सम्पन्न बनाई हैं, वहीं संस्कृत ने भी ग्रीक, लैटिन, फारसी, आदि से कई शब्दों को ग्रहण किया है। अंग्रेजी में लगभग तीन लाख शब्दों में एक

संस्कृत भारतीय शब्द हैं। इसी प्रकार संघटी, बंगला, गुजराती तथा दक्षिण की भाषाओं में भी हिन्दी भाषा के शब्द पहुँच गए हैं। हिन्दी में भी इन सभी प्राचीन भाषाओं के शब्दों का भलीभाँति प्रचलन है। वर्तमान काल में विदेशी शब्दों के उधार लेने की प्रवृत्ति दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि इस से भाषा में लचीलापन आता है और भाषा की विकास क्षमता भी वृद्धि होती है। जो भाषा दूसरी भाषाओं के शब्दों और प्रयोगों को पचाने की जितनी अधिक क्षमता रखती है, वह उतनी अधिक विकासशील होती है। अंग्रेजी भाषा के सम्बन्ध में यह बात पूर्णतया सचितीय होती है।

(४) वर्णविपर्ययात्मक पद्धति

वर्णों के उलट-फेर से भी नए शब्दों की रचना होती है। यह शब्द-रचना जान बूझ कर नहीं की जाती, बरन् अनजाने में ही हो जाती है। उदाहरणार्थ, संस्कृत के हिसावाचक 'हिस' शब्द के उलट जाने से हिन्दी में—सिंह, संस्कृत 'इत' से तर्क, संस्कृत 'क्षार' से हिन्दी में शरक और अरबी के 'अरमूद' शब्द से हिन्दी में अमरूद शब्द बन गया। इसी प्रकार वाराणसी से बनारस, लखनऊ से नखलऊ, इधु से ऊख, रिठ से रत, मृत्यु से मुवा, कृष्ण से कान्ह, आदि शब्दों का विकास हुआ है।

वास्तव में, शब्द में सकोच होने की प्रवृत्ति स्वामयिक है। लक्ष्मण से लखन, सीता से सीय, घृत से घी, पुत्रवधू से बहू, मातृत्वसा से मौसी, भ्रातृजाया से मौजी, पितृग्रह से पीहर, मातृग्रह से मायका, देवालय से दिवाला (बुदेकी), सौमन्य से सुहाग और चतुर्वेदी से चौबे, आदि शब्दों के विकास में यही मनोवृत्ति लक्षित होती है। यह प्रवृत्ति केवल संस्कृत और हिन्दी में ही नहीं, संसार की सभी भाषाओं में न्यूनाधिक पाई जाती है। इस के परिणामस्वरूप ही भाषा में समास या संक्षेप परिलक्षित होता है।

यह पहले ही कहा जा चुका है कि हिन्दी में कई प्रकार की समास-रचना मिलती है। इन सामासिक शब्दों में भी वर्ण विपर्यय के उदाहरण प्रचुरता से मिलते हैं, जैसेकि—कनफटा (फटा कान), पतसख (खड़े पत्ते), मुँहफट (फटा मुँह), नीबू निचोड़ (निचोड़ा नीबू), हीनमनि (मनिहीन), हीनस्वास्थ्य (स्वास्थ्यहीन), आदि इसी प्रकार के सामासिक शब्द हैं। श्री माईदयाल जैन का कथन उचित ही है कि हिन्दी में विदेशी शब्द संस्कृत शब्दों के समान या तो अपने मूल रूप में आए हैं या वर्णों के उलट फेर तथा लोप आदि के साथ आए हैं।^१ अरबी, फारसी, अंग्रेजी, आदि शब्दों को हिन्दी वर्णमाला की ध्वनियों के साँचे में ढाल कर उन शब्दों का अनेक तरह से विकास किया गया है। हिन्दी के उपसर्गों तथा प्रत्ययों की सहायता से और समासों से अनेक शब्द बना कर भाषा को समृद्ध बनाया है। जनता और विद्वानों ने इस विषय में एक ही नीति से काम किया है। उन्होंने अस्पृहक, अरदखी, हस्तरी, कनस्तरी, कस्तान, गरीब, गारह, गोदाम, करनैल, टमाटर, बोतल, मचीत या महजद, वास्कुट, आदि अनेक शब्द बनाये हैं। इन शब्दों के प्रयोगों तथा भाषा में

आगत शब्दों के अपनाने की प्रवृत्ति दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही है। आज की हिन्दी पत्र पत्रिकाओं में प्रयुक्त भाषा से यह तथ्य और भी अधिक स्पष्ट हो जायगा। कहानी और उपन्यासों में तो ऐसे शब्दों की भरमार मिलेगी।

(५) अर्थपरिवर्तनीय पद्धति

प्रायः प्रत्येक युग में शब्द और उन के अर्थ में कुछ-न-कुछ परिवर्तन होता रहता है। इसी प्रक्रिया में फारसी 'दरिया' (नदी) शब्द गुजराती और हिन्दी में समुद्र का वाचक हो गया। संस्कृत 'अव' शब्द अपभ्रंश में 'आम' अर्थ देने लगा और 'साहसिक' (ढाकू) शब्द उर्दू हिन्दी में 'साहसी' (हिम्मती) अर्थ का वाचक हो गया। अत्यन्त प्राचीन काल में संस्कृत में 'दृणा' का अर्थ पिघलना था, बाद में 'दया' हो गया और अब वह 'नफरत' का अर्थ देने लगा है। इसी प्रकार 'पाषण्ड' पहले एक सम्प्रदाय था। बाद में शब्द में कुछ परिवर्तन हुआ तो वह 'पाखण्ड' पाप का खड्डन करने वाला अर्थ देने लगा और आज उस का अर्थ 'दोग' आडम्बर है। इस अर्थ-परिवर्तन की प्रक्रिया से यद्यपि शब्द और अर्थ सदा किसी न किसी सदभ में परिस्थितिबद्ध बदल जाते हैं, किन्तु वे अपने मूल अर्थ को नहीं छोड़ते। इसलिए हजारों वर्षों के बाद भी उनका मूल स्रोत खोज लिया जाता है और उनकी वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है। इस प्रकार अर्थपरिवर्तनीय पद्धति से शब्द के इतिहास की जानकारी मिलती है। आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं की वास्तविक जानकारी में भी यह पद्धति सहायक है। मराठी भाषा में 'हाल' शब्द का अर्थ कष्ट है। सम्भवतः तत्कालीन मुगलशासक महाराष्ट्र पर अत्याचार कर रहे थे। अतएव महाराष्ट्र निवासी हिन्दुओं के लिए 'हाल' का अर्थ बेहाल या कष्ट हो गया होगा। मराठी भाषा में 'हरकत' शब्द का अर्थ है आपत्ति या एतराज। हरकत शब्द का सीधा अर्थ 'गति' है, किन्तु आपत्ति अर्थ न जाने कैसे हो गया? इसी प्रकार 'शिक्षा' का अर्थ मराठी में 'दण्ड' और 'राजीनामा' का अर्थ 'त्यागपत्र' है। परन्तु शिक्षा का मूल अर्थ सिखाना और राजीनामा का अर्थ झगड़े के पश्चात् परस्पर मिल जाना रहा है, जो अन्य भाषाओं में अब भी प्रचलित है।

नए शब्दों की रचना प्रक्रिया

प्रत्येक भाषा में प्रायः नए शब्दों की रचना नई वस्तु, स्थिति, भाव या कार्य को ध्यान में रख कर की जाती है। शब्द का निर्माता जन सामान्य होता है, जो अपने आस-पास की वस्तु और उस के कार्य आदि को ध्यान में रख कर सहज ही सादृश्य के आधार पर शब्द-रचना करता है। भाषा में सादृश्य की प्रवृत्ति केवल नियमित ध्वनि-परिवर्तनों के कारण ही नहीं, वरन् नए शब्दों की रचना के कारण भी परिलक्षित होती है। जिस प्रकार किसी स्वतन्त्र भाषा में ही विदेशी शब्द उधार लिए जाते हैं, उसी प्रकार शब्द निर्माण की क्षमता रखने वाली भाषाओं में सादृश्य के आधार पर निर्मित शब्द-समूह भी देखा जाता है। जिस भाषा में शब्द निर्माण की जितनी अधिक क्षमता होती है, वह उतनी सक्षम एवं सम्पन्न मानी जाती है। इस दृष्टि से हिन्दी एक समृद्ध

भाष्य है। क्योंकि इसमें शब्द-निर्माण की वैज्ञानिक शक्ति है। उदाहरण के लिए, संस्कृत में एक शब्द कई वस्तुओं का वाचक रहा है, किन्तु हिन्दी में भिन्न-भिन्न वस्तुओं के लिए अलग ही कई शब्दों का निर्माण हुआ, जो भली-भाँति प्रचलित हैं। संस्कृत के 'पत्र' से पत्ता, पत्तर, पत्तक, पत्त (पत्तझड), पत्तई, पत्ती, पतय (पत्ती), पतरा, पतराई (पतकापत्र), पतका, पताई (सूखी पत्तियाँ), पतरी (पत्तक), पतको (सरकडा), पताबर (सूखे पत्ते), पतीक, पतीका (पतका), पत्त (पत्र), पत्रक, पत्रकार, पत्रकारी और पत्रभारक या पत्रचाप (पेपरवेट), आदि शब्दों का विकास हुआ है। इतना ही नहीं, क्रियापदों के रूप में भी हिन्दी आख्यातों की रचना की गई, जैसेकि—पतहरने (पत्ते झडने), पतझर, पतझाड, आदि। इसी प्रकार 'चूर्ण' से चून, चूना, चूरन, चूरण, चूर, चूरा, चूरमा, चुकी, चूनी, चूनर और चुनरी, आदि शब्दों का तथा चूरना, चूरा और चूरित क्रियापदों का विकास हुआ है। इसी तरह से पानी से पन (सम्भवतः जिसका विकास संस्कृत 'पर्ण' से हुआ है), पान, पनकटा, पनकपडा, पनकाल, पनकुटी, पनकुटा, पनकौवा, पनगाचा, पनगोटी, पनघट, पनचक्की, पनबोर, पानवान, पनडब्बा, पनहुब्बा, पनहुब्बी, पनवारी, पनवाडी, पनसाळ, पनसाळा, पनहरा, पनहारा, पनहारिन, इत्यादि शब्दों का निर्माण हुआ है। अन्य शब्द-रचना की जानकारी के लिए 'तुल्सी' शब्द और उससे बने हुए तुल्सीदर, तुल्सीदाना, तुल्सी-धुंदावन और तुल्सीवन तथा संस्कृत 'द्विगुण' से हिन्दी दुगुन, दून, दूना, दूनर और दुहरा, एवं संस्कृत 'नन्द' से हिन्दी ननद, नदवंश, नदकिशोर, नंदकुँवर, नंद-नदन, नंदगोप, नंदरानी, नदलाल और नदरूख एवं संस्कृत 'विद्युत्' से बिजु, बिजुल, बिजली, बिजुरी, बिजलीघर, बिजलीबचाव, बिजलीमार, आदि शब्दों का निर्माण किया गया है। शब्द-निर्माण की इस रचना को ध्यान से देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि किसी एक शब्द के आधार पर अनेक शब्दों की रचना आवश्यकतानुसार होती रही है। कारण भी स्पष्ट है। शब्द सीमित हैं और अर्थ अनंत हैं। अतएव एक ही शब्द में कुछ परिवर्तन के साथ अनेक शब्दों का निर्माण कर लिया जाता है। किन्तु अधिकतर मूल शब्दों की रचना किसी सादृश्य के आधार पर की जाती है। उदाहरण के लिए, 'गिरती हुई पत्ती' को देख कर 'पत्र' कहना और फिर ताड़पत्र, भोजपत्र ही नहीं, कटकबेची पत्र और चाँदी, ताँबे तथा पीतल, आदि धातुओं के पत्तर भी पत्र और पत्रों (पत्तों) से बनी हुई पत्तल को भी तथा लेखन के आधार पर कागज को भी पत्र कहना सादृश्यमूलक प्रवृत्ति है। यह बात एक उदाहरण से और भी स्पष्ट हो सकेगी। मान लीजिए, विद्युत् की शक्ति से दी जाने वाली फाँसी के लिए हमें किसी शब्द का निर्माण करना है तो संस्कृत के दो शब्दों को मिला कर 'विद्युत्पाश' का निर्माण कर सकते हैं अथवा हिन्दी के बिजली और फाँसी शब्दों को मिला कर 'बिजलीफाँस' बनाया जा सकता है। जहाँ शब्दों के सम्मेलन की समस्या है, वहाँ समास के नियमों का ध्यान रखना होगा और जहाँ मूल शब्द का प्रश्न है, वहाँ उसे भी ध्यान में लेना होगा। दोनों को ही ध्यान में रख कर शब्द गढ़ना होगा, नहीं तो भाषा का उपहास हो जाएगा।

नए शब्द की रचना करते समय मुख्य रूप से भाषा की प्रकृति के अनुरूप शब्द-निर्माण की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है और उसी के अनुरूप मूल शब्दों को ग्रहण कर नए शब्दों की रचना करनी होती है। यहाँ मूल शब्द से हमारा अभिप्राय संस्कृत या संस्कृत के पूर्व की बोली से न हो कर किसी भी भाषा में प्रयुक्त धातुमूलक शब्द से है। अतएव हिन्दी में जब भी तिकोन या तिकोनी वस्तु के विषय में कुछ कहना होगा अथवा सम्बन्धित वस्तु के लिए किसी नए शब्द की रचना करनी होगी तब 'तिकोन' से ही तिकोनिया या तिकनोता जैसे शब्दों का सरलता से निर्माण किया जा सकेगा। संस्कृत के 'त्रिकोण' शब्द को अपनाते समय निश्चय ही हिन्दी की प्रकृति के अनुसार उसे ठीक से नहीं ढाला जा सकता है। फिर, संस्कृत व्याकरण के अनुसार ही 'त्रिकोणीय' या 'त्रिकोणात्मक' जैसे बने बनाए शब्दों का ही प्रयोग करना होगा। अपने मन का भाव लाने के लिए हम यथास्थिति सब प्रकार से परिवर्तन नहीं कर सकते। क्योंकि संस्कृत पूर्ण तथा व्याकरणबद्ध भाषा है। हिन्दी में परिवर्तनशीलता अधिक है, क्योंकि यह जीवन्त भाषा है। भाषा का चलता प्रवाह सभी ओर दिखलाई पड़ता है। इसलिए नए शब्दों की रचना करते समय इस के प्राणों की गति पर भी भलीभाँति ध्यान देना चाहिए, अन्यथा यह भी कालांतर में शीघ्रता से संस्कृत की भाँति मृतप्राय हो जाएगी।

डॉ० दौलतसिंह कोठारी का यह कथन उचित ही है कि नए शब्दों का निर्माण करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उसके सहयोगी शब्द भी बन सके। उदाहरण के लिए, अंग्रेजी में एक शब्द 'टु क डकट' है, जिससे प्रयुक्त होने वाले कई पारिभाषिक शब्द बनते हैं— कन्डकशन, कन्डक्टर, नॉनकन्डक्टर, सेमीकन्डक्टर, सुपरकन्डक्टर, कन्डक्टिविटी, सुपर कन्डक्टिविटी और कन्डक्टेंस। इन के लिए हिन्दी में क्रमशः चालन, चालक, अचालक, अर्द्धचालक, सुचालक, चालकता, सुचालकता और चालकत्व का प्रयोग किया जा सकता है। केवल नए शब्दों का निर्माण करते समय ही नहीं, वरन् पारिभाषिक शब्दों की रचना करते समय भी इस प्रकार के सहयोगी शब्द बनाने आवश्यक हैं। सहयोगी शब्द बनाने के पूर्व मूल शब्द का विनिश्चय या रचना ज्ञान होना अनिवार्य है, जिस से अनेक शब्दों का निर्माण सम्भव है जैसे कि—'टु क डकट' के लिए एक बार 'चलन' (चाल-चलन) अर्थ सुनिश्चित हो जाने पर चालन, चालक, आदि शब्दों की निर्मित सरल हो जाती है। अतएव नए शब्दों की रचना से सर्वप्रथम मुख्य कार्य धातुमूलक शब्दार्थ का भलीभाँति निश्चय करना है। यह कार्य दो रूपों में सम्भव है—पहले से ही प्रचलित मूल शब्द की जानकारी होना या फिर समानधर्मी नए शब्द की रचना कर लेना। उदाहरण के लिए, कन्डक्ट के वास्ते 'चलन' शब्द आप के पास पहले से ही विद्यमान है, किन्तु 'रिकार्ड' के लिए कोई बना-बनाया शब्द नहीं है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले रिकार्ड के लिए कोई शब्द खोजना या बनाना होगा, फिर रिकार्ड से बनने वाले शब्दों के अनुरूप हिन्दी में भी सहयोगी शब्द विनिश्चित करने होंगे। 'रिकार्ड' के

लिए समानार्थी शब्द 'लेख' विद्यमान है। लेख, प्रलेख, आलेख, या अभिलेख, जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। किन्तु 'अभिलेख' शब्द 'रिकार्ड' के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। इसके सहयोगी शब्द रिकार्ड ऑन, रिकार्ड प्लेस ऑन, रिकार्डेबिल, रिकार्डेड, रिकार्डर, रिकार्डिंग और रिकार्डेशन हिन्दी में क्रमशः अभिलिखित, अभिलेखबन्धन, अभिलेख्य, अभिलेखक, अभिलेखन और अभिलेखकरण बनते हैं। इसी प्रकार अन्य शब्दों का निर्माण तथा शब्दों की निर्माण प्रक्रिया की जाँच सहयोगी शब्दों के सन्दर्भ में की जा सकती है। शब्दों की एकरूपता के स्थापन में भी इस से बहुत सहायता मिलती है। हमारे विचार में शब्द निर्माण में शब्दों की एकरूपता की ओर ध्यान देना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। क्योंकि इस से शब्द और अर्थ के विनिश्चय के साथ ही अनुवाद में भी स्पष्टता आती है और किसी प्रकार की भूल नहीं होती। इस के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा के शब्द के लिए भिन्न भिन्न शब्दों के प्रयोग तथा प्रचलन की सम्भावना भी समाप्त हो जाती है।

पारिभाषिक शब्द-संरचना

प्रत्येक भाषा की निर्मिति के दो ही मुख्य उपादान हैं—शब्द और अर्थ। विश्व में जिस प्रकार भिन्न भिन्न वस्तुएँ हैं, उसी प्रकार विभिन्न प्राणी हैं और उनके कार्य तथा अनुभव भी भिन्न हैं। व्यावहारिक जीवन में हमारे जगत की रचना अनुभवों से होती है। नया विज्ञान, नया भाषा और नया धर्म सभी के मूल में अनन्त काल से समाहित प्राणी मात्र के अनुभव निहित हैं। मनुष्य अपने अनुभवों को व्यक्त करने के लिए भाषा का और विशेष कर शब्दों का सहारा लेता है। नए अनुभव को व्यक्त करने के लिए नए शब्द का प्रयोग किया जाता है। अपने आप में नया शब्द क्या होता है? किसी पुराने शब्द का ही वह रूप, जो हमारे अनुभव को व्यक्त करने के लिए वर्तमान शब्द का समानार्थी होता है, प्रायः उसे ही हम नया शब्द कहते हैं अथवा किसी पुराने शब्द के सादृश्य पर नए अर्थ को द्योतित करने के लिए गढ़ा हुआ शब्द नया होता है। इसी प्रकार पहले से विद्यमान, किन्तु अप्रचलित तथा अज्ञात शब्द भी नए शब्द की सज्ञा को प्राप्त होते हैं। इन नए शब्दों की रचना प्रायः पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में विशेष रूप से देखी जाती है। वर्तमान युग में निरन्तर गतिशील चिन्तन और वैज्ञानिक परिणामों के फलस्वरूप नित नए अनुभवों को स्पष्ट और सुनिश्चित ढंग से प्रकट करने के लिए पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता नितान्त अपरिहार्य है। प्रत्येक पारिभाषिक शब्द में भिन्न भिन्न अनुभव निहित रहता है। इसलिए प्रत्येक शब्द का अर्थ निश्चित रहता है। भाषा केवल शब्द ही निश्चित करती है। भाव के अनुरूप शब्द को अर्थ प्रदान करने का कार्य सम्बन्धित विषय का होता है। पारिभाषिक शब्द में वही अर्थ सुनिश्चित हो जाता है। अर्थ के विनिश्चय का कार्य आज तक किसी वैयाकरण या भाषाशास्त्री ने नहीं किया। वह तो हमारे प्रयोगों और व्यवहारों से प्रतिफलित होता है। इसलिए प्रायः पारिभाषिक

शब्द के निर्माण में विषय की स्पष्टता का ज्ञान और भाव पूर्णतया समाहित होना चाहिए। केवल शब्दिक अर्थ के अनुसार नया शब्द गढ़ लेना उचित नहीं है।

पारिभाषिक शब्दावली बोलचाल के निकट होनी चाहिए। यदि वैज्ञानिक या तकनीकी शब्दावली आम बोलचाल की भाषा से भिन्न होती है तो सामान्य जनता विज्ञान—तकनीक, आदि विषयों की जानकारी ठीक से नहीं प्राप्त कर पाती। जो लोग उन विषयों का अध्ययन या प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं वे भी भाषा की कठिनाई के कारण पूरी रूचि विकसित नहीं कर पाते। इसलिए भाषा की अव्यक्तता किसी भी विषय या कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए बाधक सिद्ध होती है। इस सम्बन्ध में केवल भाषाविज्ञ ही नहीं, विज्ञानवेत्ता भी सहमत हैं कि निपुण कारीगरों, दस्तकारों और व्यापारियों का प्रशिक्षण उन के क्षेत्र की भाषा के माध्यम से ही सरलता से दिया जा सकता है। डॉ० कोटारी के शब्दों में “दूसरी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने पर, तोते की तरह रट कर, दिमाग को आवश्यकता से अधिक जोर देकर जहाँ हमारी प्रतिभा मद होती है, वहाँ बुनियादी बात भी पूरी तरह समझ नहीं पाते।”

अक्टूबर, १९६२ में वैज्ञानिक शब्दावली का भाषाविज्ञान सम्बन्धी एक सम्मेलन दिल्ली में किया गया था। इस सम्मेलन ने एकता की दृष्टि से इस बात पर बल दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को हिन्दी या प्रादेशिक भाषाओं में लिप्यन्तर करते समय उच्चारण की अपेक्षा वर्तनी पर अधिक जोर दिया जाए और दक्षिणी भारत एवं पूर्वी भाषाओं की सुविधा के लिए सभी वैज्ञानिक शब्द पुष्टिग माने जाएँ (अपवाद वहाँ हो, जहाँ कि इस नियम में व्याकरण का नियम भग हा)। भारत शासन की ओर से पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की कई योजनाएँ केन्द्रीय तथा प्रांतीय स्तर पर चालू हैं। इनके अन्तर्गत विश्वविद्यालयीन स्तर के मानक और सन्दर्भ ग्रन्थ, पाठ्यपुस्तक और महत्वपूर्ण तथा लोकोपयोगी पुस्तकों के अनुवाद और कुछ मौलिक ग्रन्थ भी प्रकाशित हो रहे हैं। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय से ‘पारिभाषिक शब्द-संग्रह’ नाम से विज्ञानकोश और भाषाविज्ञानकोश, आदि प्रकाशित हो चुके हैं। इन में भौतिकी, रसायन, गणित, वनस्पति, जल और भूगर्भविज्ञान, भूगोल, आदि विषयों के पारिभाषिक शब्दों की संकलना हो चुकी है। इसी प्रकार वाणिज्यशास्त्र की भी अलग से शब्दावली बन चुकी है। इस दिशा में भारत सरकार का वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्दावली स्थायी आयोग महत्वपूर्ण कार्य निपन्न करने में सफल है। यद्यपि कई दिशाओं में और कई प्रकार का पारिभाषिक शब्दावली का कार्य देश में चल रहा है, पर यह कहना अब भी कठिन है कि हमने इस समस्या को हल कर लिया है। क्योंकि आज भी मानक और सन्दर्भ-ग्रन्थों तथा मूल ग्रन्थों की कमी प्रतीत की जाती है। वस्तुतः यह समस्या दुहरी है, जिस में हमें एक ओर दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली घस्तुओं, उन के कार्यों तथा अनुभवों से सम्बन्धित शब्दावली की आवश्यकता है और दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली की भी अनिवार्य आवश्यकता है। जहाँ तक दैनिक व्यवहार की शब्दावली का प्रश्न है कोई विशेष कठिनाई नहीं

है। क्योंकि संस्कृत और उस से विकसित या प्रभावित कहीं भाषाओं में उन वस्तुओं, कार्यों तथा अतुल्यों को व्यक्त करने के लिए शब्द विद्यमान हैं। किन्तु अहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय शब्दों का प्रश्न है, जो बहुत समय से प्रत्येक भाषा में प्रयुक्त होते रहे हैं और जो वैज्ञानिक सम्मेलनों की अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् की कार्यसूची में समाविष्ट हैं, उन शब्दों को क्यों-क्यों अपनाना पड़ेगा।

इस प्रकार एक ओर पारिभाषिक शब्दावली की सरलता के लिए क्षेत्रीय भाषाओं के व्यवहार का विमर्श दिया जाता है तो दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली के प्रयोग और उपयोग की समस्या है। इसी से सलग्न भारतीय भाषाओं के लिए समान वैज्ञानिक शब्दावली का निर्माण है। इसलिए डॉ० निहालकरन सेठी शब्दों के कठिन होने की समस्या को अस्थायी और केवल नए शब्दों को अपनाने की कठिनाई मानते हैं। उन का कथन है कि हमें पारिभाषिक शब्दावली के लिए संस्कृत भाषा को अपनाना चाहिए। संस्कृत धातुओं से बने शब्दों को अपनाने का एक और काम यह है कि विज्ञान में अनेक बुनियादी शब्द हैं, जिन की नींव पर व्याकरण की सहायता ले कर प्रत्यय और उपसर्ग लगा कर अनेक पारिभाषिक शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे—Reflection (रिफ्लेक्शन)—परावर्तन एक बुनियादी शब्द है।^० इस में प्रत्यय और उपसर्ग जोड़ कर अंग्रेजी भाषा ने अनेक शब्द बना लिए। इस पद्धति को अपना कर हमें भारतीय भाषाओं में विज्ञान की अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली के भी केवल बुनियादी शब्द ही लेने होंगे, उन से व्युत्पादित शब्दों को प्रत्येक भाषा अपनी प्रकृति और व्याकरण के अनुसार बना लेगी। यह बात सच है कि हमारे देश की क्षेत्रीय भाषाएँ सजीव और गतिशील हैं। वे अब भी विकास के पथ पर हैं। उन में अभी तक बहुत कम साहित्य लिखा गया है। इसलिए पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में वे केवल शब्दों का योगदान कर सकती हैं। स्वतन्त्र रूप से सभी प्रकार के बुनियादी और सहयोगी शब्दों के निर्माण की स्थिरता अभी उन में नहीं है। फिर, सभी प्रान्तों के पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के लिए भी किसी आदर्श (मॉडल) की आवश्यकता है, जो सांस्कृतिक एकता बनाए रखने में भी समर्थ हो। इस दृष्टि से संस्कृत भाषा की शब्दावली का उपयोग पारिभाषिक शब्दावली के लिए किया जा रहा है। भारतीय भाषाओं के लिए संस्कृत आकरभाषा के समान है। संस्कृत का शब्द कोष धातुओं से सम्पन्न है। आचार्य पाणिनि ने धातुओं से शब्द निर्वचन की पद्धति को अपनाया था। पाणिनि से पूर्व आचार्य शाकटायन का भी यही मत था कि शब्द धातुओं से बनते हैं। संस्कृत भाषा में सभी शब्द धातु प्रत्ययों से निष्पन्न होते हैं। उपसर्गों और प्रत्ययों के योग से धातुओं के द्वारा अपरिमित शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। कहा जाता है कि ओषधिशाला के शब्दकोश में लगभग तीस हजार शब्द हैं, जो १०० उपसर्गों और ३० प्रत्ययों के योग से निर्मित हैं।

पारिभाषिक शब्द का निर्माण करते समय विषय के मूल भाव और उस के वाचक शब्द का पूरा अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द की ही रचना की जानी चाहिए। उदाहरण

के लिए, क्लोरीन एक हरे पीले रंग की गैस होती है, जो मूल तत्व है। इतना स्पष्ट होने पर हम उसे क्लोरीन ही कहेंगे। उस के लिए कोई दूसरा शब्द नहीं गढ़ सकते। इसी प्रकार ट्रान्सफॉर्मर, टेलीविजन, न्युट्रान, इलेक्ट्रॉन, डाइनामेट, प्रोटॉन, प्लुटोनियम, पॉस्पोरस, युरेनियम, रेडार, रेडियम, जनरेटर, हाइड्रोजन, पाजीट्रॉन, नाइट्रोजन, साइक्लोट्रॉन क्वेटम, आदि शब्दों को ज्यों-का-त्यों ग्रहण करना होगा। क्योंकि इन का अनुवाद नहीं हो सकता।

विज्ञान के जगत में कुछ अदृश्य किरणों का उल्लेख किया गया है। एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें या गामा रश्मियाँ इसी जाति की किरणें हैं। इन नामों में से एक्स के लिए कोई शब्द नहीं दिया जा सकता, इसलिए 'एक्स-रेज' को एक्सकिरणें या एक्स रश्मियाँ ही कहेंगे। किन्तु अल्ट्रावायलेट के लिए 'परा बैंगनी' शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, जो शब्दार्थ मात्र है। परन्तु 'आल्फा रेज' या 'आल्फा पार्टिकल' के लिए सकरशब्द ही बनाना पड़ेगा—आल्फा किरण या आल्फाकण, जो कि हीलियम परमाणु का नाभिक कहा जाता है। परन्तु मोटिव पावर (किसी यन्त्र या मशीन को चलाने वाली शक्ति) के लिए 'चालक शक्ति', 'एटम' के लिए 'परमाणु', 'डायटोमिक' के लिए 'द्वि परमाणुक', 'एनर्जेटिक्स' के लिए 'ऊजा विज्ञान', 'मालिक्युल' के लिए 'अणु', 'इन्द्रा न्युक्लर' के लिए 'अन्त नाभिक', 'माइक्रोस्कोप' के लिए 'अणुवीक्षण यन्त्र या खुरदरीन', 'बैलिस्टिक' के लिए 'कण प्राक्षेपिक', 'मेटेरियल वेव' के लिए 'द्रव्य तरंग', 'रेडिएशन' के लिए 'विकिरण' 'एलेक्ट्रिक चाज' के लिए 'विद्युत् आवेश', 'अल्केमी' के लिए 'कीमियागरी', 'सब्लिमेशन' के लिए 'ऊर्ध्वपातन', 'रिपल्सन' के लिए 'विकर्षण', 'फगी' के लिए 'कवक' (फफूँद), 'फगस' के लिए 'कुकुरमुत्ता', 'डायथामी' के लिए 'ऊति विद्युत्तापन', डिक्टाफोन के लिए 'श्रुतभाष', 'यूनिसेक्सल' के लिए 'एकलिंगी', 'परीमीटर' के लिए 'परिधिमापक यन्त्र', 'कॉस्मिक रेज' के लिए 'ब्रह्माण्ड रश्मि', 'केप्सूल' के लिए 'सपुट' और 'वेस्कुलर' के लिए 'सबहनी' शब्द उपयुक्त हैं। जिन शब्दों को ज्यों का त्यों अपनाने के लिए कहा गया है, उन के लिए भी प्रयत्न करने पर कुछ शब्द गढ़े जा सकते हैं किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली में अंग्रेजी शब्द भी चलते रहे तो कोई आपत्ति नहीं होगी। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव विद्युत् की इकाइ कही गई है। इस के लिए 'ऋणविद्युत्कण', 'प्रोटॉन' के लिए 'वनविद्युत्कण', 'डायटम' के लिए 'समुद्री नरसल', 'डायफॉर्म' के लिए 'मध्यावरण', 'कैलोरी' के लिए 'ऊष्मा', 'क्लाइनोमीटर' के लिए 'ढालनापी यन्त्र', 'नैंग' के लिए 'मिट्रीबाल परत', 'मेस्मेरिज्म' के लिए 'समोहन विद्या' शब्द का प्रयोग भलीभाँति किया जा सकता है।

डॉ० सत्यप्रकाश ने शब्दावली निर्माण में होने वाली विविध कठिनाइयों और विभिन्नार्थों के कारणों की समस्या पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि हिन्दीभाषी साधारण जनता मनीऑडर, लाउडस्पीकर, रजिस्टर्ड पासल, आदि शब्दों का प्रचुर व्यवहार करने लगी है। जिन विदेशी शब्दों को ज्यों का-त्यों अपना लेने का परामर्श

दिया है, उन को देवनागरी लिपि में लिखना भी साधारण कार्य नहीं है। जैसे शुद्ध प्लेकोस है, ग्लूकोस नहीं। एथिल, मेथिल है, इथाइल, मिथाइल नहीं, ऑक्सिजन है, ऑक्सीजन नहीं, प्रोटीन का शुद्ध उच्चारण प्रोटीइन है और आक्सिडेस है, न कि आक्सिडेज। इसी प्रकार ऐकेन्थेसी नहीं, ऐकेन्थेसीइ है। शुद्ध उच्चारण के लिए वेब्स्टर की पुरानी डिक्शनरी देखनी चाहिए। अंग्रेजी लिपि में उच्चारण की अनिश्चितता के कारण विदेशी नामों के ठीक उच्चारण का पता चलना भी सरल नहीं है। वास्तव में, अंग्रेजी हिन्दीकोशों में ये सभी सावधानियाँ बरती जानी चाहिए। क्योंकि विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए शब्दकोश सब से बड़ा सहारा होता है।¹¹ पारिभाषिक शब्दावली की सब से बड़ी निष्पत्ति शब्द भेदों के अर्थ में परिलक्षित होती है। शब्द भेद से हमारा अभिप्राय पर्यायवाची शब्दों में बुद्धि के द्वारा किया गया अन्तर है। ऊष्मा, ताप और गर्मी पर्यायवाची शब्द होने पर भी विशेष अर्थ के वाचक हैं। विज्ञान में ऊष्मा को heat और ताप को temperature के लिए रूढ़ मान लिया गया है। इसी प्रकार फोर्स के लिए बल, या सैन्य, पावर के लिए शक्ति, विन्ड के लिए वायु, जकन्वर के लिए सन्धि, फेबल के लिए आख्यायिका और 'गैस' शब्द 'द्रववात' के लिए रूढ़ हैं।¹²

गत दो दशकों में हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावली का महान् कार्य कई रूपों में सम्पन्न हुआ और अब यह माना जाने लगा है कि यह कार्य लगभग समाप्त हो चुका है। बीसवीं शताब्दी के प्रकाशित कतिपय अंग्रेजी हिन्दीकोश निम्नलिखित हैं—
गणेश काशीनाथ काले—इंग्लिश हिन्दीकोश, प्रकाशक-गंगा विष्णु श्रीकृष्णदास, बबई, १९०८

सी० फिनौल—इंग्लिश हिन्दी वोकेबुलरी आव् ३,००० वड्स, कलकत्ता, १९११

पापुलर इंग्लिश हिन्दी डिक्शनरी, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, १९३६

रेवर्सेड एम० टी० एडम—इंग्लिश एण्ड हिन्दी डिक्शनरी, कलकत्ता, १९३०

एस० डब्ल्यू० फेलन—इंग्लिश हिन्दुस्तानी डिक्शनरी, नया संस्करण, दिह्री, १९५३

डॉ० रघुवीर और लोकाेशचंद्र—बृहत् अंग्रेजी हिन्दीकोश, १९५५

डॉ० हरदेव बाहरी—बृहत् अंग्रेजी हिन्दीकोश, प्रकाशक-ज्ञानमण्डल लि०, वाराणसी, १९६०

फादर बुल्के—अंग्रेजी हिन्दीकोश, प्रकाशक—कैथोलिक प्रेस, राँची, १९६८

राजमूर्ति सिंह—मानक हिन्दी-अंग्रेजीकोश।

डॉ० सत्यप्रकाश और बलभद्र मिश्र—मानक अंग्रेजी हिन्दीकोश, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, १९७१

इन सभी शब्दकोशों में 'मानक अंग्रेजी हिन्दीकोश' कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण तथा अब तक के प्रकाशित सभी कोशों में उत्तम है। इस में सभी अंग्रेजी शब्दों का सकलन प्रामाणिक स्रोतों से किया गया है। केवल सामान्य ही नहीं, विशिष्ट तथा पारिभाषिक शब्दों की भी संकलना इस कोश में की गई है। अर्थ करने में पर्याप्त सावधानी व सजगता

कल्पित होती है। अर्थ को व्योक्त करने के लिए पर्याप्त शब्दों का भी उपयोग किया गया है। अन्य कोशों में मोनियर विलियमस का 'अंग्रेजी-संस्कृतकोश' अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पारिभाषिक शब्द-रचना के लिए अब भी यह कोश उपादेय है। अन्य शब्दकोश इस प्रकार हैं—

जगदीशशरण अग्रवाल—न्यायालय शब्द-संग्रह, १९४८

न्यायालय शब्दकोश, हिन्दी सभा, सीतापुर, १९४८

राहुल सांकृत्यायन, विद्यानिवास मिश्र और प्रभाकर माचवे—शासन शब्दकोश, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, स० २००५

रामचन्द्र वर्मा और गोपालचन्द्र सिंह—आरक्षिक (पुलिस) शब्दावली, स० २००५
डॉ० रघुवीर और जी० एस० गुप्त—इंग्लिश हिन्दी डिक्शनरी आर्ब एडमिनिस्ट्रेशन, १९५८

मेफ्रेड मेयोपर—ए कन्साइज इटिमोलॉजिकल संस्कृत डिक्शनरी, हेल्डिडलबर्ग, १९६३

डॉ० रघुवीर और प्रो० अघेलिया—वाणिज्य शब्दकोश

डॉ० बासुदेवशरण अग्रवाल—ग्रामोद्योग शब्दावली

गोरखनाथ—राजकीय शब्दकोश, प्रकाशक सेण्ट्रल बुकडिपो, इलाहाबाद

जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी—विधि शब्दकोश

हरिहरनाथ द्विवेदी—शासन शब्द संग्रह, विद्यामन्दिर प्रकाशन, मुरार

डॉ० धीरेन्द्र वर्मा—हिन्दी साहित्यकोश, प्रकाशक ज्ञानमण्डल, वाराणसी।

ओमप्रकाश—सामान्यज्ञानकोश, १९७२

वाक्य-रचना

भाषा व्यवहार की वस्तु है, शास्त्र की नहीं। इसे हम परम्परा से सीखते हैं। शिशु जब अस्फुट ध्वनियों में कुछ बोलने का प्रयत्न करता है तब भले ही शब्द का उच्चारण करता हो, किंतु उस का भाव वाक्य के रूप में प्रकट करना होता है। इसलिए वाक्य भाषा की इकाई है। व्यावहारिक दृष्टि से भाषा वाक्यों का समूह है। भाषा में ध्वनि, पद और वाक्या का समुच्चय समाहित होता है। भाषा के इस रूप का सम्बन्ध व्याकरण से है। प्रो० हॉल के अनुसार परम्परागत व्याकरण में 'वाक्य विन्यास' अध्ययन की उस पद्धति के लिए अभिहित किया जाता है, जिस में शब्दों का प्रयोग रूप विशान के प्रतिद्वंद्वी के रूप में किया जाता है और जो उस पद्धति का विश्लेषण करते हैं जिससे उनका निमाण हुआ है।¹² यथाथ में वाक्य रचना का घनिष्ठ सम्बन्ध व्याकरण से है। वाक्य में पदों, शब्दों और ध्वनियों का क्या स्थान है, इसकी जानकारी हमें व्याकरण की सहायता से मिलती है। प्रो० रॉबिन्स ने ठीक ही कहा है कि व्याकरण वाक्यविन्यासात्मक आयाम से सम्बद्ध है, जो सवटनाजों का वर्णन तथा विश्लेषण करता है तथा उच्चार के पैलावों से जो पृथक् है। व्याकरणात्मक स्तर पर सवटनाएँ पुनरावर्तक तत्त्वों और सौचों के रूप में पृथक्कृत तथा विश्लेषित हैं, जो केवल ध्वन्यात्मक कोटियों के सन्दर्भ में ही व्याख्या करने योग्य हैं। परम्परागत

रूप से दीर्घ रचनन का ही व्याकरणात्मक विश्लेषण सम्भव है, जिसे वाक्य या सङ्घन पूर्ण उच्चार कहा जाता है।¹⁰ सामान्य रूप से वाक्य-रचना के अन्तर्गत शब्दों के व्याकरणात्मक विन्यास का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि वाक्यों की व्याकरणात्मक संघटना शब्दों से निर्मित होती है। परम्परागत व्याकरण शब्द की मूलभूत इकाई से निर्मित होता है। यही कारण है कि वाक्य सरलता से व्याकरणात्मक विश्लेषण की दृष्टि से दीर्घतम इकाई है और व्याकरणात्मक स्तर पर संघटना की उच्च सीमा है। वाक्य-रचना में शब्द-योजना का ही मुख्य रूप से विचार किया जाता है। शब्दानुक्रमों के सार्थक योजन को ही संघटन कहा जाता है। उदाहरण के लिए—‘राम ने फल खाया, श्याम ने भात खाया’ इन दोनों वाक्यों की संघटना एक है। किन्तु सभी संघटन तत्त्वों का पारस्परिक सम्बन्ध समान नहीं होता। जिन तत्त्वों से संघटना की रचना होती है, उन्हें संघटक कहते हैं। जिन संघटकों से सीधे आन्तरिक लघु संघटनों की रचना सज्जित रहती है, उन्हें समीपी संघटक कहते हैं। किसी एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी, जैसे—राम ने रोटी नहीं खाई थी। यह पूरा वाक्य एक संघटना है। इसके दो समीपी संघटक हैं—‘राम ने’ तथा ‘रोटी’। क्योंकि ‘खाई थी’ क्रियापद है। वाक्य में प्रायः क्रिया प्रधान होती है। इस क्रियापद का प्रथम सम्बन्ध रोटी से है और दूसरा राम से है, जिस ने रोटी नहीं खाई थी। वाक्य का सम्पूर्ण विश्लेषण क्रियापद के केन्द्रानुवर्त में होता है। क्रिया का कर्ता अथवा कर्म से सम्बन्ध और योजक तत्त्वों से उनके सयोग सम्बन्ध का विश्लेषण किया जाता है। इस दृष्टि से ऐसे ही वाक्यों में समानता ढूँढकर उन्हें वर्गों में नियोजित करना रचना प्रकार का निर्धारण करना कहा जाता है। प्रत्येक भाषा में ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जिन से वाक्य में शब्दों की स्थिति और उनके सयोग-सम्बन्ध का मूलीभाँति अध्ययन किया जा सकता है।

डॉ० द्विवेदी ने मुख्य रचना के दो प्रकार माने हैं—अन्तःकेन्द्रिक और बहिर्केन्द्रिक। यदि कोई संघटन उसी वाग्भाग के अन्तर्गत आता हो, जिसके अन्तर्गत उस का कम-से-कम एक समीपी संघटक आता है, तो उस संघटन का रचना प्रकार अन्तःकेन्द्रिक होगा।¹¹ उदाहरण के लिए—कौए और बगुले लड़ रहे हैं। इस वाक्य में ‘कौए और बगुले’ उच्चार में दोनों निकटवर्ती संघटक शब्द हैं और सम्पूर्ण संघटना सज्ञात्मक है। किन्तु जब वाग्भाव के अन्तर्गत कोई भी समीपी संघटक न आता हो तब उस संघटना का रचना प्रकार बहिर्केन्द्रिक होगा, जैसे—फल खा रहा हूँ। इस वाक्य में पहला संघटक सज्ञा और दूसरा क्रिया है। यह संघटना वाक्य-व्यवहार में अपने निकटवर्ती किसी संघटक का स्थानापन्न नहीं हो सकती। जब दो या दो से अधिक शब्दों में कोई तत्त्व दुहराया जाता है तो वह अन्विति का उदाहरण माना जाता है। अन्विति उद्देश्य और विधेय में बँटी हुई मिलती है। इसलिए प्राचीन विद्वान् उद्देश्य और विधेय को वाक्य के दो मुख्य तत्त्व मानते हैं। उद्देश्य में जिसके सम्बन्ध में कहा जाता है वह ज्ञात रहता है। किन्तु विधेय में जिसके सम्बन्ध

में कहा जाता है वह पहले से अज्ञात रहता है। इसलिए उद्देश्य पहले कहा जाता है और विषय बाद में। उद्देश्य का सम्बन्ध कर्त्तापद से और शेष पदों का सम्बन्ध विषय से होता है। वाक्य में अय पदों के रहते हुए भी क्रिया की प्रधानता रखी है। वाक्य का भेद कर्त्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के रूप में लक्षित होता है। इसलिए हिन्दी वाक्य की रचना कर्त्ता, कर्म और क्रिया के क्रम में होती है। वाक्य में क्रिया, कर्म, सज्ञा, आदि का जो व्यतिक्रम कहीं कहीं लक्षित होता है, वह हिन्दी पर अंग्रेजी वाक्य-रचना का प्रभाव है। हिन्दी के वाक्य का सीधा सम्बन्ध क्रिया से है और क्रिया का सम्बन्ध कर्त्ता से। इसलिए 'मुझ से उठा नहीं जाता' और 'उससे लिखा नहीं जाता' भाववाच्य के उदाहरण हैं। इन में क्रिया की प्रधानता है। 'उस ने पुस्तक को पढ़ा' अथवा 'उस ने रोटी को खाया' ये दोनों ही वाक्य कर्मवाच्य हैं। इसलिए क्रिया कर्म के अनुसार होनी चाहिए। यहाँ पर कर्म 'पुस्तक', 'रोटी' स्त्रीलिङ्ग हैं, इस कारण क्रिया भी स्त्रीलिङ्ग में होनी चाहिए। इस प्रकार वाक्य की अशुद्धता की बोधक मुख्य रूप से क्रियापद रचना है। शुद्ध वाक्य होगा—उस ने पुस्तक पढ़ी, उस ने रोटी खाई। भारतीय वैयाकरणों ने वाच्य से अर्थ-परिवर्तन हो जाने के कारण वाक्य में अर्थ सामञ्जस्य को अनिवार्य रूप से माना है। उन का मत है कि वाक्य से ही अर्थ ज्ञान होता है, पद या पदों से नहीं। वाक्य साधक होता है। वाक्य में एक शब्द दूसरे शब्द की और दूसरा शब्द तीसरे शब्द की आकाक्षा रखता है। इसी प्रकार वाक्य में सज्ञा शब्द क्रिया की और क्रिया सज्ञा की आकाक्षा रखती है। इन शब्दों में समीपता और योग्यता भी आवश्यक है। क्योंकि बिखरे हुए शब्द और अर्थहीन पद कोई अर्थ-बोध नहीं करा सकते। इस प्रकार व्याकरण भाषा की उच्च सीमा वाक्य और निम्न सीमा रूपभ्राम के मध्य गतिवान रहता है। वाक्य शब्दों और प्रत्ययों से अवित्त होते हैं। प्रत्यय के मुख्य दो रूप हैं—वाक्य में स्थान और प्रत्यय का वाक्य से सम्बन्ध। प्रकृति और प्रत्यय दोनों के मेल से पद बनता है। कुछ भाषाओं में प्रकृति समान होने पर भी प्रत्यय भेद होने के कारण भिन्नता परिलक्षित होती है। भाषाओं के भेद का मूल कारण प्रकृति से प्रत्यय जोड़ने का ढंग है। जब एक ही शब्द सम्बन्ध या अर्थतत्त्व को व्यक्त करने में सक्षम होता है तब हम उसे निरवयव भाषा कहते हैं। वास्तव में भाषा के आधारभूत तत्त्व हैं—अथतत्त्व और सम्बन्धतत्त्व। सम्बन्धतत्त्व को आधार मान कर किया जाने वाला विभाजन आकृतिमूलक या वाक्यमूलक वर्गीकरण कहा जाता है। यह वर्गीकरण अधिक विश्वसनीय और निरापद है, क्योंकि यह वाक्य की इकाई पद के आधार पर किया जाता है। वाक्य के मुख्य दो भेद हैं—सावयव (Organic) और निरवयव (Inorganic)।

निरवयवी भाषा में प्रकृति, प्रत्यय का पृथक् अस्तित्व नहीं होता। वाक्य में शब्द की स्थिति ही सम्बन्ध तत्त्व को सूचित करती है। शब्द की विभिन्न स्थितियाँ ही उस में प्रत्यय का काम करती हैं। इसलिए स्थान और प्रयोग के अनुसार ही एक शब्द

बिना किसी प्रत्यय के शब्दों के संज्ञा, क्रिया, विशेषण और पदों में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार की भाषा का सर्वोत्तम उदाहरण चीनी भाषा है। ऐसी भाषा में एकप्रकार शब्दों की अधिकता होती है। उसमें शब्द का विभाजन अर्थवान और अर्थहीन दोनों प्रकार से सम्भव है। वाक्य में शब्दों के स्थान का तथा सुर भेद का विशेष महत्त्व होता है। क्योंकि एक ही शब्द के सुर प्रकार के कारण कई अर्थ हो सकते हैं। इस भाषा का सबसे जटिल तत्त्व यही है। ऐसी भाषा में व्याकरण का तथा रूपात्मक विकार का अभाव होता है। उदाहरण के लिए—'मैं तुम्हें मारता हूँ' इस वाक्य को चीनी भाषा में 'निो त नि' कहेंगे। किन्तु तुम मुझे मारते हो, इसे यों कहेंगे—नि त निो। केवल स्थान-परिवर्तन से ही सम्बन्धतत्त्व को प्रकट किया जाता है। इन भाषाओं में चीनी के अतिरिक्त अनामी, स्यामी, मलय, आदि की वाक्य-रचना भी इसी तरह की होती है। अफ्रीका की सूडानी भाषा भी इसी वर्ग के अन्तर्गत आती है।

सावयव भाषाओं में अथतत्त्व और सम्बन्धतत्त्व को व्यक्त करने के लिए प्रकृति (अर्थतत्त्व) और प्रत्यय (सम्बन्धतत्त्व) भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन प्रकृति और प्रत्यय के मिलन की प्रक्रिया सभी योगात्मक सावयव भाषाओं में समान नहीं होती। प्रत्येक भाषा अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार प्रत्यय से संयुक्त होती है। कमी-कमी प्रकृति और प्रत्यय परस्पर मिल कर नया रूप ग्रहण कर लेते हैं और कमी विभिन्न वाक्यांश प्रकृति और प्रत्यय से मिल कर समूह बना लेते हैं। इसी प्रकार प्रत्यय प्रकृति से सन्निकट हो जाता है तथा कमी चिपक जाने पर भी उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं करता। इन्हीं प्रवृत्तियों के आधार पर सावयव भाषाओं में समासप्रधान, प्रत्ययप्रधान, और विभक्तिप्रधान, इस प्रकार तीन प्रकार के वाक्य मिलते हैं।

वाक्य के प्रकार

डॉ० ज० म० दीमशित्स ने कथन के लक्ष्य के अनुसार हिन्दी में तीन प्रकार के वाक्य माने हैं—(१) प्रेरणात्मक, जैसे—अचानक वह जोर-जोर से हँसने लगी। (२) वणनात्मक वाक्य स्वीकारार्थक तथा नकारार्थक होते हैं, जैसे बिना एक शब्द बोले मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गया। नकारार्थक न उसे नींद आती है, न भूख लगती है। (३) दो अंगों वाले वाक्य, जिन में उद्देश्य तथा विधेय दोनों होते हैं, जैसे चन्दना लिखती है। सामान्य रूप से वाक्य के तीन भेद किए जा सकते हैं—(१) साधारण वाक्य, (२) मिश्र वाक्य और (३) संयुक्त वाक्य। साधारण वाक्य उद्देश्य और विधेय से अन्वित होता है, जैसे—चन्दनवाला पढ़ती है। मिश्र वाक्य में साधारण वाक्य के आश्रित एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य विशिष्ट अर्थ देने में समर्थ होते हैं। क्योंकि उपवाक्य (जो कि साधारण वाक्य के आश्रित होता है) शब्द भेद में निहित अर्थ पर बल देते हैं। इसलिये जहाँ जहाँ जोर दे कर कहना होता है तो ऐसे ही वाक्यों का प्रयोग किया

जाता है, जैसे मैं कहता हूँ, तुम ऐसा मत करो। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण या मिश्र वाक्य जुड़े हुए रहते हैं, जैसे वह पढ़ता है और मैं खेलता हूँ। इस में दोनों साधारण वाक्य हैं। किन्तु उस का लिखना खराब है, इसलिष्ट अध्यापक उसे बार-बार सुन्दर लेखन के लिए प्रेरित करता है, पर वह कोई ध्यान नहीं देता है। इस में एक साधारण वाक्य है और एक मिश्र वाक्य संयुक्त है।

क्रिष्टता के आधार पर वाक्य के तीन भेद किए जा सकते हैं—अक्रिष्ट, विक्रिष्ट और अविक्रिष्ट। अक्रिष्ट को वियोगात्मक भी कह सकते हैं। हिन्दी और अंग्रेजी इसी प्रकार की भाषाएँ हैं। इन में योजक पद अलग-अलग रहते हैं, जैसे—वह उस पुस्तक को लेकर कल ही गाँव से लौटा है। इस में सभी विभक्ति पद अलग अलग हैं। विक्रिष्ट भाषाएँ समासप्रधान होती हैं। इन में योजक पद सन्धि-रचना से समस्त हो जाते हैं और इन का विशेषण विग्रह के द्वारा अलग-अलग योजक इकाइयों में किया जाता है। संस्कृत में एक ही पद का समास होता है, जैसे बाह्योद्यानस्थित हरशिरश्चन्द्रिकाधौतहर्म्या। किन्तु ग्रीनलैण्ड की भाषाओं में सब शब्दों को मिला कर बोला जाता है। दक्षिण और उत्तर अमेरिका की आदिम जातियों इसी प्रकार की भाषाएँ बोलती हैं। लेकिन इस प्रकार के विरल प्रयोग प्रायः सभी भाषाओं में उपलब्ध हो जाते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में से गुजराती में 'मकुजे' मकुजे = मे कह्यु जे, बगला में—तानले = ताहा ना हले (ऐसा नहीं है)। ऐसे ही प्रयोग हैं। अविक्रिष्ट भाषाओं में योजक पद अशत खण्डित हो कर इस प्रकार मिल जाते हैं कि उनके मूल रूपों की पहचान करना सम्भव नहीं है। इन भाषाओं में दक्षिणी अमेरिका की चैरोकी भाषा, यूरोप की बास्क भाषा और ग्रीनलैण्ड की एस्कमो पूर्ण प्रक्रिष्ट अवस्था में हैं। चैरोकी भाषा का एक उदाहरण है—

नातेन = लाओ

आमोखल = नाव

निन = हम

इन तीनों शब्दों के संयोग से एक शब्द बनता है—'नाधोलिनिन', जिस का अर्थ है—हमारे पास नौका लाओ।

अर्थ के आधार पर वाक्य के अनेक भेद माने गए हैं—विधानार्थी, निषेधार्थी, प्रश्नार्थी, आज्ञार्थी, इच्छार्थी, सदेहार्थी, सकेतार्थी, विस्मयार्थी, आदि। इसी प्रकार क्रिया पद के आधार पर भी क्रियापदयुक्त और क्रियापदहीन (नहीं, क्यों, हाँ, आदि) के भेद से वाक्य के दो भेद किए जाते हैं। यद्यपि सामान्य रूप से दार्शनिक, वैयाकरण और मीमांसक वाक्य में क्रिया का महत्त्व प्रतिपादित करते हैं और उसे वाक्य में एक अनिवाच्य तत्त्व के रूप में मानते हैं, किन्तु नैयायिक उन से सहमत नहीं हैं। तात्त्विक दृष्टि से नाम और आख्यात ये ही दो पद के मुख्य विभाग हैं। अरस्तू तथा उनके युग के अर्थ दार्शनिकों ने नाम, आख्यात और संयोजक के रूप में पद का विभाग

क्रिया था। परन्तु दार्शनिकों में स्टोइक सभ्यता के विद्वानों ने संयोजकों की दो रूपों (लैंग्जिक और आटिकल) में विभक्त कर पदों की संख्या चार यानी थी। किन्तु क्रिया के अस्तित्व को प्राचीनों और नवीनों ने मज़ी-भौंति स्वीकार किया है।

वाक्य-विन्यास के अध्ययन की पद्धतियाँ

वाक्य विन्यास में अध्ययन की कई पद्धतियाँ हैं। कुछ पद्धतियाँ तो केवल विशिष्ट भाषाओं के सन्दर्भ में ही प्रयुक्त होती हैं। उन के लिए नए पारिभाषिक शब्द भाषा विशेष के सन्दर्भ में गढ़े गए हैं, जैसे कि ब्लूमफील्ड और प्रो० हॉल ने 'वाक्य-विन्यासात्मक सहस्रयोग' के लिए 'टेक्सिम' (taxeme) शब्द का प्रयोग किया है। वाक्यविन्यासात्मक सहस्रयोग उस व्याकरणात्मक रूप को प्रकट करता है, जिस से द्रुत षटक रूप व्यवस्थित किए जाते हैं। इस शब्द का सन्दर्भ व्यापक होने से सामान्य रूप से यह प्रयोग में नहीं आ सका है। इसी प्रकार प्रो० हॉल ने एक दूसरे शब्द 'एलोटैक्स' (allotax) का प्रयोग 'वाक्यविन्यास की स्थानिक भिन्नता' के लिए किया है। यह एक नए सिक्के की भाँति गढ़ा हुआ शब्द है, जो व्याकरणिक रूप-भेद के स्थानिक विनिश्चय के लिए एक विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ये दोनों ही पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी भाषा तथा यूरोपीय भाषाओं के वाक्य विन्यास को ध्यान में रखकर रचे गए हैं। इस प्रकार के सभी पारिभाषिक शब्द वाक्यविन्यासात्मक सघटना के सूचक हैं, क्योंकि आधुनिकपद्धतियों में सघटनात्मक इकाइयों का वाक्यविन्यासात्मक विश्लेषण किया जाता है। हमारे परम्परागत व्याकरण में वाक्य का विश्लेषण अन्वय के रूप में किया जाता रहा है। अन्वय में शब्दों की वाक्य विन्यास क्रम में प्रतिस्थापित कर अर्थबोध किया जाता है। संस्कृत काव्य को समझने की यही पद्धति प्रचलित रही है। संस्कृत एक समास प्रधान भाषा है, इसलिए उस में समस्त पदावली का प्रयोग किया जाता है। इन समासों को खण्डित कर विग्रह के रूप में अन्वय के एक क्रम से प्रस्तुत किया जाता है, जो किसी वाक्य से सम्बन्धित होते हैं। कई भाषाओं में एक विशिष्ट प्रकार के वाक्यविन्यासात्मक आदर्श शब्द मिलते हैं, जिन्हें व्यवस्था (government) कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि कुछ विभक्तिमूलक रूप प्राथमिक रूप से यह सूचित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं कि वाक्य-रचना में शब्द का क्या स्थान है। जब नामिक रूप इन से संयुक्त होते हैं तब वे कारक बहे जाते हैं।^{१०} संस्कृत में कारक आठ हैं। प्राचीन भाषाओं में सज्ञा के रूप अटिल होते थे। संस्कृत की अपेक्षा हिन्दी के रूप सरल हैं। हिन्दी एक प्रकार से संक्रमणशील परिदृशित होती है। यह बात निम्नलिखित साँचों के विचार करने से स्पष्ट हो जाती है।

१ हिन्दी में संज्ञा शब्दों के दो रूप मिलते हैं, जो सघटना के अनुसार भिन्नित होते हैं। परस्पर के पूर्व। लड़के। तथा अन्य रूपाभंग सभी स्थानों पर। लड़का। प्रयुक्त होता है। परम्परा के अनुसार इन्हें तिर्यक तथा कर्त्ता कहा जाता है।

२ कुछ परसर्ग सीधे संज्ञा शब्दों के पश्चात् प्रयुक्त होते हैं; जैसे : वह खिड़की में से निकल कर आया । मैं । से । पर । को । का । की । के । इत्यादि । इन सर्गों के प्रयोग में सङ्घटना व्यक्त करने के लिए दीर्घ तत्त्व समाहित है ।

३ अधिकतर परसर्गों की स्थिति कारक की है । जहाँ पर वे भिन्न स्थिति में कल्पित होते हैं, वहाँ वे व्याकरणात्मक शब्द हैं ।

इस प्रकार ग्लीसन ने हिन्दी वाक्य रचना के तीन प्रकार माने हैं ।^{१५} इन में से पहला स्पष्ट रूप से कारक पद्धति वाला है और दूसरा व्याकरणात्मक शब्द की स्थिति में है, जहाँ शब्द ही पूरी पद्धति को प्रभावशील बनाए रखता है तथा तीसरा इन दोनों के मध्य की स्थिति वाला है ।

। वे० पे० लिपरोव्स्की ने हिन्दी भाषा की वाक्य-रचना का विचार करते हुए विभिन्न काल-सम्बन्धों को व्यक्त करने वाले कुछ ऐसे वाक्यों का उल्लेख किया है, जो समुच्चयबोधक अव्यय 'कि' से आरम्भ होते हैं ।^{१६} उदाहरण के लिए—

- १ वह कुर्सी से उठा ही था कि किसी के पैरों की आहट मालूम हुई ।
- २ वह थोड़ी ही दूर गया था कि उसे एक बहुत बड़ी भीड़ आती दिखाई पड़ी ।
- ३ निन्नी अरने को छोड़ कर पीछे हटी कि नगी तलवार लिए हुए मानसिंह को आते देखा ।
- ४ सिपाही लौट कर नहीं आ पाए थे कि घायल का प्राणान्त हो गया ।
- ५ निन्नी और लाखी गाँव में पहुँची नहीं कि चर्चा हो उठी ।
- ६ मैं लौटने ही वाला था कि आप लौटे हुए नजर आए ।
- ७ किसी मरीज को देख कर लौट रही थी कि यह अघट घटित हुआ ।

इन में से प्रथम वाक्य सातत्यबोधक व्यापार का निर्देशक है, जो क्रियापद के बाद 'ही' निपात से संयुक्त है । वाक्य-रचना की दृष्टि से प्रथम और दूसरे वाक्य में बहुत कम अन्तर है । एक अन्य वाक्य की रचना को देख कर अन्तर स्पष्ट हो सकेगा, जैसे वह अभी बाहर ही निकला था कि सामने से जीजी आती हुई दिखाई पड़ी । इस में जो आकस्मिकता का भाव है, वह प्रथम प्रकार के वाक्य में नहीं है । इसी प्रकार 'ही' का सम्बन्ध दोनों वाक्यों में भिन्न भिन्न है । तीसरे वाक्य में 'कि' एक योजकपद की भाँति प्रयुक्त लक्षित होता है । इस वाक्य को हम यों भी कह सकते हैं—निन्नी अरने को छोड़ कर पीछे हट गई । इतने में ही नगी तलवार को लिए हुए मानसिंह दिखाई पड़ा । इन दोनों वाक्यों को 'कि' योजकपद के द्वारा जोड़ा गया है । चौथे वाक्य में स्वीकारात्मक तथा नकारात्मक कथन एक ही प्रकार के अर्थ देते हैं । असादजी के एक वाक्य से यह स्पष्ट हो जाएगा—'भूल की पहली लहर वह अभी दबावने में पूरी तरह समर्थ न हो सकी थी कि राधे आकर उसे सुरेने लगा ।' पूरी तरह समर्थ न हो सकी थी 'इसे यों भी कहा जा सकता है—पूरी तरह समर्थ ही हुई थी । इन दोनों का भाव समान है । किन्तु पाँचवाँ प्रकार इस से भिन्न है । इस में घटित होने का भाव नकारात्मक अव्यय के द्वारा व्यक्त किया गया है । छठे वाक्य में 'लौटने ही

‘लौटने का’ वा ‘लौटने वाला ही का’ के स्थान पर ‘लौटने को ही का’ वा ‘लौटने ही को का’, लौटना ही चाहता था, लौटने लगा था, लौटने का, रहा था और लौटकर आये को था, इस प्रकार की वाक्य-रचनाएँ भी हो सकती हैं। इन सभी में कार्यान्विति की अपूर्णता है। सातवें प्रकार के वाक्यों में ऐसे क्रिया-रूप का प्रयोग होता है, जिस से पूर्णता का लक्षण नहीं होता। एक आठवें प्रकार का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिस में ‘ज्यों ही’, ‘उसी समय’, के स्थान पर दो क्रियापदों के बीच ‘कि’ का प्रयोग किया जाता है, जैसे किसी कर्म के सम्बन्ध में जहाँ आनन्दपूर्ण सत्परता दिखाई पड़ी कि हम उसे उत्साह कह देते हैं। (रामचन्द्र शुक्ल)

इस प्रकार उक्त सभी वाक्यों में मिला मिला घटनाएँ हैं। कहीं भी पुनरावृत्ति नहीं है। शैली की भिन्नता के कारण वाक्य-रचना भी अलग-अलग है। अतएव ये अलग अलग विभिन्न वाक्य-रचनाओं के द्योतक हैं।

हिन्दी में जहाँ बिना क्रियापदों के वाक्य दिखालाई पड़ते हैं, वहीं वाक्य विपर्यय के उदाहरण भी बहुत मिलते हैं। प्रसादजी की ‘तितली’ में दोनों प्रकार के प्रचुर उदाहरण मिलते हैं, जैसे

और मन में सोच रही थी अतीत जीवन की घटनाएँ। यह भला कौन-सी बात है इतनी सोचने विचारने की। मैं तुम्हारे समीप आने का प्रयत्न कर रही हूँ—तुम्हारी सत्कृति का अध्ययन करने। उन्हीं के साथ दो तीन कहारों के भी घर बच रहे—उस छोटी-सी बस्ती में।

उर्दू ढंग की वाक्य रचना है —इस पोखरी का झगडा बिना पहले का कागज देखे समझ में नहीं आवेगा।

अंग्रेजी से प्रभावित वाक्य रचना है —यह गुरु कुल इस जीवन-यात्रा का पहला पत्थर है। जो नई भूमि तोड़ी जा रही है।

यद्यपि में विषय के अनुसार ही वाक्य विन्यास की संयोजना परिलक्षित होती है। हिन्दी के विभिन्न उपन्यासों में विविध प्रकार की वाक्य-रचनाएँ मिलती हैं, जैसे मैना कहती है—‘जानते हो प्रधान, जब पहले-पहल महाराज को देखा तो रक्त के प्रत्येक कण से ध्वनि निकलती जान पड़ी थी—यही तेरी चरितार्थता है।’

इसी प्रकार निराला के उपन्यास ‘अप्सरा’ से उद्धृत वाक्य विन्यास है — अपनी देह के वृन्त पर अपलक खिली हुई, ज्योत्स्ना के चद्रपुष्प की तरह सौन्दर्योज्ज्वल पारिजात की तरह एक अज्ञात प्रणय की बायु से डोल उठती है।

इसी प्रकार पं० मास्तरलाल चतुर्वेदी के ‘साहित्य-देवता’ के वाक्य हैं — सूरज और चँद को, अपने रथ के पहिए बना, सूरज के घोड़ों पर बैठे, बड़े ही लो चले जा रहे हो प्यारे। —पितृसर्पण करने वाले अरुहड़ों को ले कर युग इस कुटी का कूड़ा साफ करने में लगा जाना चाहता है।

महादेवी वर्मा के वाक्य विन्यास का नमूना है—
जीवन के गूढ़ रहस्यों को अज्ञात भ्रमण करने के लिए मनुष्य ने बिन माया-शक्तियों का

आविष्कार किया है वे प्रायः अपनी रूढ़ परिभाषाओं की सीमा पार कर हृदय और बुद्धि के अनेक स्तरों तक पैल जाते हैं।

इस प्रकार एक ओर मिश्र, जटिल और सयुक्त वाक्य विन्यास हैं, जिन से विभिन्न गल-शैलियाँ प्रस्फुटित होती हैं और दूसरी ओर विनोदपूर्ण तथा सरल शैली में आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का वाक्य विन्यास है —

आसमान में निरंतर मुक्का मारने में कम परिश्रम नहीं है और मैं निश्चित जानता हूँ कि रहस्यवादी आलोचना लिखना कुछ हँसी खेल नहीं है। पुस्तक को छुआ तक नहीं और आलोचना ऐसी लिखी कि त्रैलोक्य विकम्पित। यह क्या कम साधना है ?
(अशोक के फूल)

उनके ही वाक्य विन्यास का एक दूसरा नमूना है—

‘ब्राह्मण है न ?’

‘हाँ, आर्य !’

‘तेरी जाति ही डरपोक है। क्यों रे, महावराह पर तेरा विश्वास नहीं है ?’

‘है आर्य !’

‘शूटा। तेरी जाति ही शूटी है।’

(बाणभट्ट की आत्मकथा)

इस तरह सूक्ष्म भेदों के साथ कई प्रकार के वाक्य विन्यास हिन्दी भाषा में प्रयुक्त परिलक्षित होते हैं। उन सभी का यहाँ पर विवेचन करना सम्भव नहीं है। इस सम्बन्ध में केवल इतना ही उल्लेखनीय है कि कहीं क्रिया रूपों, समुच्चयबोधक अव्यय तथा निपात एवं योजक पदों के द्वारा सयुक्त विशेषण उपवाक्य सहित मिश्र और जटिल ही नहीं, सरल वाक्य भी अनेक प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। ग्लॉ० इ० गोर्युनोव ने ‘जो’ योजक शब्द द्वारा सयुक्त विशेषण उपवाक्य सहित मिश्र वाक्यों का वर्गीकरण करते हुए सात वर्ग निर्दिष्ट किए हैं।^{१०} उन सब के अध्ययन से यही पता चलता है कि भाषा के रूप में प्रयुक्त अधिकांश वाक्य एक समान नहीं होते। उन सभी को अलग अलग वर्गों में विभक्त करने के उपरान्त ही उन में भलीभाँति अन्तर स्पष्ट किया जा सकता है।

सन्दर्भ-सकेत

- १ डॉ० उदयनारायण तिवारी भाषा शास्त्र की रूपरेखा, पृ० १०९।
- २ प्रो० राबट ए० हॉल फ्र० इन्ड्रोडक्टरी लिग्विस्टिक्स, पृ० १२५।
- ३ वही, पृ० १२८ से अनूदित।
- ४ वही, पृ० २८।
- ५ मेरियो ए० पेई ए डिक्शनरी ऑफ लिग्विस्टिक्स, न्यूयार्क, १९५४।

- ३ आर० एच० रॉबिन्स जनरल लिग्विस्टिक्स, पृ० ३०६ ।
७. प्रो० राबर्ट ए० हॉल फ्र० इन्ट्रोडक्टरी लिग्विस्टिक्स, पृ० १३९ ।
- ८ वही, पृ० १५० ।
- ९ वही, पृ० १५२ ।
- १० बर्नार्ड ब्लॉक एण्ड जॉर्ज एल० ट्रेगर आउटलाइन ऑव लिग्विस्टिक एनेलेसिस, पृ० ५३-५९ ।
- ११ एडवर्ड सेपीर लैंग्वेज, पृ० ५७ ।
- १२ वही, पृ० ६१ ।
- १३ डॉ० ज० म० दीमशित्स हिन्दी व्याकरण की रूपरेखा, पृ० ९६ से उद्धृत ।
- १४ प्र० किशोरीदास वाजपेयी हिन्दी शब्दानुशासन, पृ० ३९५ ।
१५. डॉ० रामेश्वर द्र जैन हिन्दी समास-रचना का अध्ययन, पृ० ११ ।
१६. डॉ० रामेश्वरलाल खण्डेलवाल जयशंकर प्रसाद वस्तु और कला, पृ० ३७३ ।
- १७ डॉ० ज० म० दीमशित्स हिन्दी व्याकरण की रूपरेखा, पृ० २२८ ।
- १८ डॉ० सुरारीलाल जैति हिन्दी में प्रत्यय विचार, पृ० २१ ।
- १९ वही, पृ० ३२-३३ से उद्धृत ।
- २० वही, पृ० ६९ ।
- २१ वही, पृ० ७४ ।
- २२ डॉ० हरिवल्लभ मायाणी शब्दकथा, पृ० १५-१६ ।
- २३ डॉ० ज० म० दीमशित्स हिन्दी व्याकरण की रूपरेखा, पृ० २२७ से उद्धृत ।
- २४ मेरियो पेह एण्ड गेफर ए डिक्शनरी ऑव लिग्विस्टिक्स, यूयार्क, १९५४, पृ० २३३ ।
- २५ बर्ड, जर्नेल ऑव लिग्विस्टिक सविल ऑव न्यूयार्क, जिल्द २१, स० २ पृ० २५३ ।
- २६ माईदयाल जैन हिन्दी शब्द रचना पृ० १४६ ।
- २७ ओमप्रकाश शर्मा (स०) भारतीय भाषाएँ और वैज्ञानिक शब्दावली, पृ० ४१ से उद्धृत ।
- २८ वही पृ० ४० से उद्धृत ।
- २९ वही, पृ० ५७ से उद्धृत ।
- ३० वही, पृ० ७३ से उद्धृत ।
- ३१ डॉ० सत्यप्रकाश बलभद्र मिश्र मानक अंग्रेजी हिन्दी बोध, प्रयाग, १९७१, पृ० ४३ ४४, भूमिका से उद्धृत ।
- ३२ वही पृष्ठ ४३ भूमिका से उद्धृत ।
- ३३ राबर्ट ए० हॉल फ्र० इन्ट्रोडक्टरी लिग्विस्टिक्स, पृ० १९१ ।
- ३४ आर० एच० रॉबिन्स जनरल लिग्विस्टिक्स एन इन्ट्रोडक्टरी सर्वे, पृ० १९० ।
- ३५ डॉ० देवीशंकर द्विवेदी भाषा और भाषिकी, पृ० ७९, ८० ।
- ३६ डॉ० ज० म० दीमशित्स हिन्दी व्याकरण की रूपरेखा, पृ० २७३ ।
- ३७ एच० ए० ग्लोसन, ज० एन इन्ट्रोडक्शन टु डिक्लिण्टिव लिग्विस्टिक्स, पृ० १५९ ।
- ३८ वही, पृ० १६१ ।
- ३९ 'भाषा', वर्ष ८, अंक २, दिसम्बर, १९६८, पृ० ४९ ५२ ।
- ४० वही, पृ० ५४-६९ ।

अध्ययन व विमर्श के लिए पठनीय पुस्तकें :

- १ डॉ० उदयनारायण तिवारी भाषाशास्त्र की रूपरेखा ।
- २ डॉ० ज० म० दीमशित्स हिन्दी व्याकरण की रूपरेखा ।

- ३ डॉ० देवीशंकर द्विवेदी भाषा और भाषिकी ।
- ४ डॉ० मुरारीलाल उग्रैति हिन्दी में प्रत्यय-विचार ।
- ५ डॉ० रमेशचन्द्र जैन हिन्दी समास-रचना का अध्ययन ।
- ६ माईदयाल जैन हिन्दी शब्द-रचना ।
- ७ प्रो० राबर्ट ए० हॉल इन्ट्रोडक्टरी लिग्विस्टिक्स ।
- ८ आर० एच० रॉबिन्स जनरल लिग्विस्टिक्स एन इन्ट्रोडक्टरी सर्वे ।
९. क्लाक एण्ड ट्रेगर आउटलाइन ऑव लिग्विस्टिक्स एनेलैसिस ।
- १० एच० ए० ग्लीसन एन इन्ट्रोडक्शन टु डिस्क्रिप्टिव लिग्विस्टिक्स ।
- ११ एडवर्ड सेपीर लैंग्वेज ।
- १२ मारग्रेट एम० अनेस्ट मोर अवाउट वर्ड्स ।
- १३ डी० एस० कोठारी प्राब्लेस ऑव साइन्टिफिक एण्ड टेक्निकल टर्मिनॉलॉजी इन इण्डियन लैंग्वेजेज ।
- १४ अनेस्ट विफली वड स एशियेट एण्ड मॉडर्न ।
- १५ ए० मार्टिनेट एलीमेन्ट्स ऑव जर्नल लिग्विस्टिक्स ।
- १६ एन० चोम्स्की सिंटेक्टिक स्ट्रक्चर्स ।
- १७ ई० ए० नीडा सिंटेक्स ।
- १८ सी० एफ० हॉके ए कोर्स इन मॉडर्न लिग्विस्टिक्स ।

अर्थतत्त्व तथा शब्दकोश-विज्ञान

ध्वनि तथा अर्थतत्त्व

भाषा के सन्दर्भ में ध्वनि से अभिप्राय भाषण ध्वनि से है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि ध्वनियों या ध्वनिश्रेणियों सार्थक होती हैं। समाज के सन्दर्भ में भाषा केवल अर्थ के कारण सार्थक और महत्त्वपूर्ण है। यदि भाषा अर्थहीन होती तो अनुष्य वेमत्स्व इतनी जटिल वाचिक अभ्यास की पद्धति को कभी नहीं अपनाता। यद्यपि कुछ भाषाविदों के अनुसार सिद्धान्त रूप से बिना अर्थ-सन्दर्भ के किसी भी भाषा की रूप-रचना का विचार करना सम्भव है, किन्तु यदि यह सम्भव होता तो अनुष्य को बहुत अधिक श्रम और शक्ति नष्ट करनी पड़ती। वास्तव में ध्वनियों के माध्यम से ही प्राणी मात्र भाव प्रेषण करता है। ध्वनियों का सीधा सम्बन्ध अर्थतत्त्व से है। यदि वक्ता भाषा के ध्वनि-सयोगों के रूप और अर्थ-सादृश्य पर अवलम्बित न रहे तो एक क्षण से दूसरे क्षण में भाव प्रेषण असम्भव हो जाएगा।¹ इसलिए भाषा-जगत में केवल श्रोत्रग्राह्य ध्वनियों का ही विचार किया जाता है, जो भाषण ध्वनियों के अनुक्रम में अर्थ से सम्बद्ध होती हैं। सभी मानवीय भाषिक पद्धतियाँ मुख्य रूप से अपनी प्रकृति में मौखिक और श्रोत्रग्राह्य होती हैं। फिर, हमारा यह अनुभव है कि भाषण-समाज में कुछ उच्चारण रूप और अर्थ में समान होते हैं। हिन्दी में केवल 'उ, ओ' और 'घो' के उच्चारण रूपों में ही साम्य नहीं है, बल्कि अर्थ में भी सादृश्य है। व्यवहार में भाषण ध्वनियाँ एक प्रवाह रूप हैं। अतएव वक्ता को एक सादृश्य धारा पर अवलम्बित रहना होता है। भाषा की यह सूक्ष्म धारा इतनी सचेदनशील और अभ्यासगत होती है कि ध्वनि-सयोगों के उच्चारणों को सुनते ही अर्थगत भाव-धारा प्रवाहित हो उठती है। इसलिए भाषाओं को अभ्यासों की पद्धतियाँ कहा गया है। जिस प्रकार भाषा समाज के बीच जीती है, उसी प्रकार उस का सङ्गम भी ध्वनि और अर्थ के रूप में होता है, जिसे उसका व्यक्तित्व कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में ध्वनि और अर्थ सखिल रूप से रहते हैं, इसलिए भाषा में परिवर्तन इन्हीं दो रूपों में होता है।

शब्द ध्वनि का पूर्ण रूप अथवा चित्र है। शब्द में अर्थ कहीं से आता नहीं है, बल्कि उस में से ही उद्भूत होता है। यथार्थ में शब्द की सत्ता अर्थ-बोध में निहित है। 'गुल्लान' शब्द कहने से केवल गुल्लान के फूल का ही नहीं, बल्कि गुल्लानी रंग का भी बोध होता है। यह अर्थ-बोध स्वयं शब्द में निहित है। वाक् और अर्थ दोनों

ही सपुत्त हैं—एक-दूसरे से अभिन्न । सामान्यतया शब्द के शब्दत्व को कान सुनता है और उस के साधुत्व को व्याकरण देखता है, किन्तु अथ तिल में तेल की भौति शब्द में ही व्याप्त है ! शब्द में अर्थ का महत्त्व है । जिस प्रकार अग्नि के बिना सूखा ईंधन प्रज्वलित नहीं होता, उसी प्रकार अर्थ विज्ञान के बिना शब्द-विज्ञान प्रतिभासित नहीं होता । इसीलिए कहा है कि जो मनुष्य वेदों को पढ़कर भी उन का अर्थ नहीं जानता, वह बोझ ढोने वाला ठूँठ मात्र है ।^१

शब्द का ज्ञान उस के अर्थ में है । इसे वाक्यशक्ति कहा गया है, जो जागृति में ही नहीं, स्वप्नावस्था में भी विद्यमान रहती है । आचार्य शंकर के अनुसार^२—शब्दों का सम्बन्ध विचारों से है, मानसिक क्रिया से नहीं । क्योंकि मानसिक क्रियाएँ अनन्त हैं, इसलिए उनका सम्बन्ध स्थापित होना सम्भव नहीं है । भाषा के सम्बन्ध में मनोविज्ञान और भौतिकशास्त्र ने स्पष्ट कर दिया है कि मनुष्य की भाषण क्रिया के तीन भाग हैं—भाषण ध्वनियाँ, ध्वनि-तरंगों और शब्द रूप में श्रोता द्वारा ग्रहण । मनो विज्ञान की शिवावली में भाषा में कुछ व्यावहारिक घटनाएँ आगे पीछे घटित होती हैं । प्रथम वक्ता के मस्तिष्क में वस्तु प्रत्यय विद्यमान रहता है । वह कहने की इच्छा से प्रेरित होता है और भाषण ध्वनियों को उत्पन्न करता है, जो ध्वनि-तरंगों के रूप में प्रवाहित हो कर शब्द रूप में श्रोता के द्वारा अधिग्रहीत की जाती हैं । इस प्रकार वक्ता की उत्तेजना की प्रतिक्रिया श्रोता तक पहुँच जाती है । भाषण क्रिया अर्थवान होने से ही प्रयुक्त होती है, और इसी कारण वह महत्त्वपूर्ण है । इस प्रकार ध्वनि सयोगी ही नहीं, अर्थवान भी होती है ।

पाणिनिशिक्षा में पाणिनि ने शब्द के दो रूप माने हैं—आन्तरिक और बाह्य । इसी आधार पर भट्टहरि ने कहा कि प्राण में अधिष्ठित और बुद्धि में अधिष्ठित दोनों से अभिव्यक्त शब्द अर्थ का बोधक है । तब प्रश्न यह है कि अर्थ क्या है ? अथ का बुद्धि और प्राण से घनिष्ठ सम्बन्ध है । सभी शब्द अपने भाव में रहते हैं, जो उन का अर्थ कहा जाता है (सर्वे शब्दा स्वेन भावेन भवन्ति, स तेषामर्थ) । कैयट और नागेश ने अर्थ की परिभाषा इस प्रकार की है—“जिस प्रवृत्तिनिमित्त से शब्द का प्रयोग किया जाता है, वही उस का अर्थ है ।” अर्थ की गति या बोध के लिए ही वास्तव में शब्द का प्रयोग होता है । अर्थ का बोध कराजेंगा, यह भाव शब्द प्रयोग में निहित रहता है । शब्द से शब्द और अर्थ दोनों की प्रतीति होती है, परन्तु अर्थ पहले से ही सृष्टि में विद्यमान है । इसलिए शब्द अर्थ का उत्पादक न हो कर शापक या प्रतीति कराने वाला है ।

शब्दाथ विचार

अर्थ विज्ञान (Semantics) भाषा विज्ञान की अन्य शाखाओं की अपेक्षा एक नई शाखा है । आधुनिक युग में अर्थ विज्ञान के प्रसिद्ध विचारक ब्रील (Breal) हैं । प्राचीन काल में प्लेटो, यास्क और भट्टहरि ने विस्तार से शब्दार्थ सम्बन्ध का

विचार किया था। अर्थ विज्ञान के बिना शब्द-विज्ञान निरर्थक है। अर्थ-विज्ञान के विश्लेषण के तीन बिन्दु हैं: (१) शब्द और अर्थ का सम्बन्ध शब्द नित्य है या अनित्य? (२) अर्थ कितने कहते हैं? अथ विकास के क्या कारण हैं? (३) किन दिशाओं में अर्थ-परिवर्तन होता है और इन दिशाओं का आधार क्या है—भौतिक या बौद्धिक? यह भी विचारणीय है कि वे दिशाएँ वास्तव नियमों पर चलती हैं या बुद्धि के सहारे। यदि वे बौद्धिक नियमों के अनुसार गतिशील है तो वे नियम क्या हैं? एक प्रश्न यह भी है कि अर्थ शब्द तक सीमित हैं या आगे भी उन की गति है? इस गति का नियन्त्रण करने वाली शक्तियाँ कितनी तथा किस प्रकार की हैं?

बर्ट्रेण्ड रसेल ने चार प्रकार के शब्द कहे हैं—कथित, श्रुत, लिखित और पठित। जब मनुष्य कोई शब्द कहता है तो हम उसे 'मौखिक उच्चार' कहते हैं। जब कोई शब्द सुनता है तो उसे हम 'मौखिक कोलाहल' कह सकते हैं। जब हम शारीरिक क्रिया के द्वारा किसी शब्द को लिखते या मुद्रित करते हैं तो वह 'मौखिक आकृति' कही जाती है। इससे यह स्पष्ट है कि शारीरिक प्रवृत्तियों के द्वारा जो भी किया जाता है, वह किसी भाव या अर्थ से क्रियात्मक रूप में किया जाता है। उच्चरित शब्द की एक निर्वच सत्ता नहीं है। उस के साथ जिह्वा, कण्ठ और श्वसन नलिका की क्रियाएँ भी संयुक्त हैं। संक्षेप में, भाषा तीन प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति करती है (१) वास्तविकता का निर्देशन, (२) वक्ता की मनोदशा की अभिव्यजना, (३) श्रोता की दशा का परिवर्तन होना। इस प्रकार शब्द एक ओर शारीरिक क्रियाओं से सम्बद्ध है और दूसरी ओर विचार से। जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने केवल शब्द होते हैं, किंतु शब्दों को पढ़ना हमारा उद्देश्य नहीं होता। हम शब्दों को पढ़ते हैं—अथ जानने के लिए। यही कारण है कि एक ही शब्द से वक्ता भिन्न-भिन्न अर्थ व्यक्त करता है। क्योंकि शब्द प्रयोग में शब्द सुरचना हो कर भाव या अर्थ ही प्रधान होता है। अर्थ के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए अशुद्ध या अपूर्ण शब्द के उच्चरित होने पर भी सुनने वाला कभी कभी भाव पूरी तरह समझ लेता है, और इसीलिए वह फिर से कहने के लिए वक्ता से आग्रह नहीं करता। वास्तव में शब्द और अर्थ एक ही सिक्के के दो भाग हैं। दोनों का उद्देश्य एक है। वक्ता बोलता है—अपना भाव सुनाने के लिए और श्रोता सुनता है—उस अभिप्राय को समझने के लिए। पहले में ज्ञान शब्द बनता है और दूसरे में शब्द ज्ञान। इसलिए शब्द और अर्थ दोनों ज्ञान से बंधे हुए हैं। वाणी और विचार में जो सम्बन्ध है, वही शब्द और अर्थ में। शब्द विचारों का प्रतीक है। यह पूरी सृष्टि उन विचारों से अथात् अर्थों से सम्बद्ध है। वे सभी अर्थ शब्दों से व्यक्त होते हैं। इस तथ्य को हम भर्तृहरि की दार्शनिक भाषा में इस प्रकार कह सकते हैं—'अर्थरूप शब्दरूप का विकास है।' अर्थ की शक्ति विचित्र है। वह अनेक अर्थों का बोध कराने में समर्थ है। इसीलिए एक शब्द अनेकार्थक होता है और अनेक शब्द एकार्थक। वैयाकरणों ने शब्द और अर्थ को

एक ही आत्मा के दो रूप माने हैं।¹³ पतञ्जलि का कथन है कि शब्दार्थ सम्बन्ध प्रकृति से ही विद्यमान है। इस की प्रतीति लोक से होती है। शब्द और अर्थ का सम्बन्ध नित्य है। शब्द वह है, जिस का कोई अर्थ है। लोक में अर्थ की प्रधानता है, शब्द की नहीं। अर्थ लोक से जाना जाता है। इस प्रकार शब्द के दो रूप हैं—उस का अपना रूप और साकेतिक अथ।

कात्यायन और पतञ्जलि अर्थ को नित्य मानते हैं, परन्तु कैयट और जगद्वेद उन्हे अनित्य मानते हैं। वे अथ की बजाय अथ प्रवाह को नित्य मानते हैं। क्योंकि उन का तर्क है कि यदि एक शब्द एक ही अर्थ देता हो तो नित्य माना जा सकता है, अन्यथा नहीं।¹⁴ व्यवहार में ऐसा नियम नहीं है। एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, इसलिए शब्द नित्य नहीं हो सकता। फिर, प्रश्न यह है कि नित्य शब्द का अनित्य अर्थ से सम्बन्ध कैसे होता है? क्योंकि एक ही शब्द विभिन्न स्थितियों में मानसिक दशा के कारण भिन्न भिन्न अर्थों में प्रकट होता है। इस के उत्तर में यही कहा जाता है कि योग्यता के सम्बन्ध से नित्य शब्द अनित्य अर्थ से सम्बन्धित हो जाता है। शब्द में अर्थबोध कराने की नित्य और अनादिकालीन योग्यता है। इसीलिए कुछ वैयाकरण शब्दार्थ सम्बन्ध को नित्य मानते हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रख कर पतञ्जलि ने प्रश्न उठाया था कि पाणिनि ने शब्द और अर्थ को नित्य मान कर व्याकरण बनाया या अनित्य मान कर? दूसरे शब्दों में भाषा पहले थी या व्याकरण? उत्तर सीधा-सादा सा है कि शब्दार्थ सम्बन्ध पहले से ही चला आ रहा है। क्योंकि लोक में जब अर्थ सहित शब्द का प्रयोग होता है तभी व्याकरण से उस का अनुशासन सम्बन्ध स्थापित होता है। भाषा पहले से है, व्याकरण सदा बाद में बनता है। व्याकरण भाषा का शासन नहीं, वरन् अनुशासन करता है। भाषा के सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उस में दो प्रकार के प्रतीक हैं। दोनों ही उच्चार के सम्पूर्ण अर्थ को व्यक्त करने के लिए क्रियाशील रहते हैं। ये दो प्रकार के प्रतीक हैं—शब्दकोष और व्याकरणिक तत्त्व। इन प्रतीकों के पारस्परिक सम्बन्ध के अध्ययन और उन के अर्थ को ही कभी कभी अर्थ विज्ञान कहा जाता है।¹⁵ अथविज्ञान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग महाभारत में मिलता है।¹⁶ वहाँ इसका अथ अर्थतत्त्व का विवेचन है। किन्तु अथ क्या है?

अथ से हमारा अभिप्राय इन्द्रिय व विषयभूत पदार्थ से न हो कर बुद्धिगत भाव से है। शब्द जिस बुद्धिगत भाव को व्यक्त करते हैं, उसी को अर्थ कहते हैं। अर्थ बौद्धिक है और शब्द अर्थवान। अर्थ प्राण है और शब्द शरीर। अर्थ शब्द का निमाता है और शब्द अर्थ के प्रत्यायक। यथार्थ में शब्द-बोध की प्रक्रिया में ही अर्थबोध के बीज निहित है। प्रतिभा, ज्ञान, अनुभव और ग्रहण-शक्ति भिन्न भिन्न होने के कारण अथ का स्वरूप निश्चित करना कठिन हो जाता है। यह कठिनाई अर्थ के व्यावहारिक होने के कारण और भी अधिक बढ जाती है। क्योंकि एक ही शब्द

विभिन्न प्रकारों या सम्बन्धों में अलग-अलग अर्थ का वाचक होता है। जब हम नहीं से कहते हैं कि 'कलम काट दो' तब इस का अर्थ है—सुन्दरता के लिए कनपटी पर कुछ दिपले कम्बे बाल काटना, किन्तु जब यही वाक्य किसी उद्यान के माली या अपने मित्र से कहते हैं तो प्रकरण या सन्दर्भ के अनुसार इस का अर्थ होता है—नवा पौधा तैयार करने के लिए किसी पेड़ वा चौड़े की टहनी काटना, और जब यही वाक्य गोंध के किसी विद्यार्थी से कहा जाता है तो उसका अर्थ निकलता है कि सरफंडे या नरकल की कलम को किलने के लिए लोक सुन्दरता से काटना। इसी प्रकार 'कलम' का अर्थ कहीं कलम और लेखनी है तो कहीं धान है और कहीं कनपटी के कटे हुए बाल और कहीं पेड़-चौड़े की टहनी है। अतएव शब्द का अर्थ वक्ता के अभिप्राय और प्रकरण या सन्दर्भ से सम्बद्ध होता है। बर्ट्रेण्ड रसेल ने वाक्य के अर्थ तक पहुँचने के लिए तीन मनोवैज्ञानिक तत्त्व माने हैं^{१०} वातावरण, उच्चारण के कारण और सुनने के परिणाम। वक्ता जिस प्रभाव की आकांक्षा करता है, वह श्रोता से सम्बन्ध रखता है। अतएव शब्द और अर्थ का सम्बन्ध दृष्टि और स्पर्श की मॉति अभ्यासगत होता है।^{११} अर्थ केवल किसी उद्देश्य से उच्चरित शब्दों को सुन कर ही सीखा जा सकता है। किसी शब्द के अर्थ को सुनने और समझने में वक्ता की इच्छा का अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य निहित रहता है। यदि हम मनोवैज्ञानिक रीति से विचार करें तो अर्थ एक उद्देश्य है, जो संतुष्ट करता है। फिन्डले ने तीन महत्वपूर्ण विचारों का सम्बन्ध निर्दिष्ट करते हुए बताया है कि हम एक ऐसे युग से गुजर चुके हैं, जिस में अर्थ से हमारा अभिप्राय सभी प्रकार की वस्तुओं से था। किन्तु इस युग में जो हम ने सीखा है, वह अर्थ के सन्दर्भ में अभिव्यक्ति है, जो उद्देश्य से सयुक्त होती है।^{१२} वास्तव में अर्थ में अभिव्यक्ति की ही प्रधानता है। अभिव्यक्ति के प्रयोग सभी ओर लक्षित होते हैं। अभिव्यक्ति उद्देश्यहीन भी हो सकती है। यही कारण है कि आगे चल कर लेखक ने शब्द के भाव और प्रकटीकरण को पर्याय रूप में स्वीकार करते हुए एक अर्थोद्बोधन की पद्धति में प्रकट होना माना है।^{१३} क्योंकि एक ही शब्द से समझ में आने वाली एक वस्तु के अनेक कार्य या विभिन्न उपयोग होने से हम उन में से किसी एक अर्थ का भावन करते हैं। काव्यशास्त्र की भाषा में अभिव्यञ्जना के हेतु शब्द का प्रयोग किया जाता है। शब्द जिस लिए प्रयुक्त होता है, वह उस का अर्थ कहा जाता है। इस प्रकार अर्थ बुद्धिगत होता है, वह पहले से ही मानव के मस्तिष्क में विद्यमान रहता है। अर्थ निरपेक्ष या अमूर्त नहीं होता। मूर्त रूप में कोई न कोई भाव या प्रतिमा बौद्धिक रूप में पहले अप्रकट रहती है, बाद में शब्द का साहचर्य प्राप्त कर प्रकट हो जाती है।

संक्षेप में, शब्द से अर्थ भिन्न नहीं है। जिस प्रकार शिव से शक्ति भिन्न नहीं है, उसी प्रकार शब्द और अर्थ एक-दूसरे से भिन्न नहीं हैं।^{१४} हमें अर्थ का पता शब्द से ही चलता है। शब्द से ही अर्थ समझ में आता है।^{१५} कुमारिल का कथन है कि जब सर्व किसी एक व्यवस्था में होते हैं तब वे अर्थ के उद्बोधक होते हैं।^{१६} प्रत्येक

लघुतम इकाई वाले शब्द, धातु, रूप या पद का जो अर्थ होता है, उसे अर्थतत्त्व कहते हैं। बेली (Bally) ने अर्थतत्त्व को छुट्ट कोशगत अर्थ देने वाला एक प्रतीक माना है। वास्तव में यह श्रोत्रग्राह्य प्रतीक ही है, जो शब्द सुनते ही एक स्फोट की भाँति अपने भाव को प्रकट कर देता है। शब्द के ध्रुतिगत होते ही हमें उसके अर्थ या भाव ज्ञान की जो तात्कालिक उपस्थिति होती है, उसे स्फोट कहते हैं। स्फोट को अर्थ का जातिरूप कहा है और ध्वनि को अर्थ का व्यक्त रूप।

सरचनात्मक अर्थतत्त्व

भाषाविज्ञान की सभी शाखाएँ दिनोंदिन विकसित होती जा रही हैं। अब एक ही विषय का कई दृष्टिकोणों से कई रूपों में अध्ययन किया जा रहा है। इन सभी प्रकार के अध्ययन के लिए अनेक पद्धतियों का विकास हो चुका है। भाषा की सरचना की भाँति अर्थ की सरचना का भी विचार किया गया है। सरचनात्मक अर्थतत्त्व के अन्तर्गत अर्थविज्ञान के यावहारिक पक्ष वाक्य और बौद्धिक पक्ष विचार का परस्पर अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन के सम्बन्ध में चोम्स्की के विचार हैं भाषाविज्ञानमूलक अध्ययन का कोई पक्ष इतना जटिल और अस्यष्ट नहीं है, जितना वाक्य विचार और अर्थविचारगत अध्ययन का विवेचन करना है। यह स्पष्टतया स्वीकार्य है कि भाषा के आकृतिमूलक पक्ष और आर्थी पक्ष परस्पर सम्बद्ध है, वैसे ये सम्बन्ध अपूर्ण ही होते हैं।^० वाक्य के अन्तर्गत उच्चार अर्थपूर्ण होते हैं। इसलिए किसी शब्द का अर्थ वाक्य का ही कोई भाग समझा जाता है। वाक्य कई शब्दों से मिल कर बनता है। इसलिए केवल आंगिक शब्दों से ही वाक्य की पूर्णता नहीं मान लेनी चाहिए। यह तीन कारणों से महत्वपूर्ण कहा गया है^{१६} (१) वाक्य या उच्चार में कई प्रकार के वाक्य अन्तर्हित रहते हैं, (२) व्याकरणिक सघटना और ध्वनिप्रक्रियात्मक आकृति, जैसे सुर-लहर व अश का अर्थ वे स्वयं प्रकट कर देते हैं, (३) कई शब्दों का अर्थ विशेष रूप से तभी प्रकट होता है जब वे संयोगी होते हैं, असंयुक्त दशा में उन का कोई अर्थ नहीं होता। इस प्रकार अर्थ का विचार वाक्य के सन्दर्भ में किया जाता है, जिसे सरचनात्मक अर्थतत्त्व (Structural Semantics) कहा जाता है। वस्तुतः यह भाषा का आन्तरिक रूप है। इस के आन्तरिक रूप के अध्ययन से ही भाषा का मूल तत्त्व प्रकट होता है। रुसार् की सभी भाषाओं में अनेक शब्दों के सन्दर्भ और उनकी वाचकता स्पष्ट रूप से अर्थ का ही एक भाग है।^{१७} यद्यपि शब्द अर्थवान होते हैं, किन्तु शब्द और जो कुछ कहा जा रहा है उन के बीच का सम्बन्ध निदिष्ट करना सरल नहीं है। सरचनात्मक अर्थविज्ञान में अर्थ से सम्बन्धित सभी तथ्यों का व्याकरणिक स्तर पर विचार किया जाता है। इस प्रकार अर्थविज्ञान का जहाँ एक ओर कोशगत शब्दार्थ की समस्याओं से सम्बन्ध है, वहीं दूसरी ओर वाक्यगत योजना से। प्रत्येक शब्द—इकाई का कोई न कोई अर्थ माना जाता है, किन्तु यदि हम कहें कि 'वह चमसूँ चमसता है' तो व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य-

बोझना साधु होने पर भी अर्थपूर्ण नहीं होगी। यह बात अद्वय है कि काखान्तर में 'प्रमत्त' शब्द निर्बोध रूप से लोक और साहित्य में लड़कू, पापक या किसी अन्य स्वल्प पर्याय के लिए प्रयुक्त होने लगे। परन्तु अभी तो वह केवल कोशगत अप्रसिद्ध शब्द है। साधारणतया लोग यह समझ भी नहीं सकते कि वास्तव में वह कोई शब्द है। हिन्दी वाले इसे कृत्रिम शब्द ही कहेंगे। इसी प्रकार कोई 'हिरा' शब्द का प्रयोग करे तो कोश में भी इस का कोई अर्थ नहीं मिलेगा या मिलेगा तो अभिप्रेत अर्थ नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है कि हम 'शिरा' के पुराने संस्कृत नाम के लिए इस शब्द का प्रयोग न कर किसी वस्तु के खो जाने के लिए 'हिरा गई' शब्दों का प्रयोग करते हों। इन शब्दों को सुनते ही सुन्देल और ब्रज के लोगों को तुरत अर्थबोध हो सकता है। परन्तु यह भी सम्भव है कि ऐसा कोई शब्द हो, जिस का अर्थ हम भी न जानते हों तो व्याकरण की दृष्टि से वह ठीक होने पर भी अर्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण न होगा। व्याकरण केवल शब्द के नाम रूप का ही विचार कर सकता है। कोश अपनी सकलना में लोक तथा साहित्य से संकलित शब्दाथ को व्यक्त कर सकता है। किन्तु अर्थ व्याकरण और कोश के सम्बन्ध, उस के मूल तथा गौण अर्थ, शब्दार्थ और उस के सम्बन्ध आदि का सचिनात्मक अथतत्त्व के अन्तगत विचार करता है।

अर्थ की साकेतिक प्रक्रिया

प्रत्येक शब्द में अर्थ का कोई चित्रात्मक रूप या संकेत निहित रहता है। इस संकेत की प्रक्रिया मानसिक या बौद्धिक होती है। क्योंकि वस्तु को देख कर उस की चित्रात्मक रचना मानस पटल पर होती है। एक अवोध शिशु जो बोलना नहीं जानता, वह भी विभिन्न वस्तुओं के सम्पर्क में आता है और उसे भी उन वस्तुओं का एक प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। किन्तु उसका सम्पर्क वस्तु का वस्तु से दृश्यात्मक सर्म होता है। वह आँखों से देखता है और मन में वस्तु का चित्र बना लेता है। इसलिए उस की भाषा चित्रात्मक और वाक्यहीन होती है। किन्तु शब्दों को बोलने और समझने में समर्थ बालक की भाषा प्रतीकात्मक, उच्चारयुक्त और सार्थक होती है। इसलिए 'आनन्दभवन' कहते ही प्रयागस्थित प० मोतीलाल नेहरू की उस इमारत का ही स्मरण नहीं होता है, बरन् नेहरूजी की भी स्मृति साकार हो उठती है। इसी प्रकार 'रवीन्द्र नाथ्यगृह' कहते ही सांस्कृतिक कार्यों से सम्बद्ध सुन्दर भवन ही आँखों के सामने नहीं छा जाता, बरन् उसके साथ सयुक्त विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर भी स्मृति पथ पर आ जाते हैं। इसी प्रकार किसी का नाम सुनते ही उस से सम्बन्ध रखने वाली वस्तु का भी ज्ञान हो जाता है। यह शब्द तथा अर्थ के पारस्परिक विशेष सम्बन्ध के कारण प्रतिफलित होता है। काव्यशास्त्र में इसे ही अभिधा नाम की शब्द शक्ति माना गया है। अभिधा को समझने के लिए शास्त्र में षाठ साधन बतलाए गये हैं—व्याकरण, उपमान, कोश, आतवाक्य, व्यवहार, वाक्यशेष, विवरण और सिद्धपद का साक्षिण्य। इन सब में व्यवहार को सब से मुख्य साधन कहा गया है। व्यवहार वा अनुभव से

ही शब्द को सुन कर अर्थ का संकेत होता है, जैसे कोई मेरे पास आ कर कहता है कि मैं गवय खया हूँ, क्या तुम खरीदना चाहते हो ? यह वाक्य सुनते ही मैं बिम्बार में पढ़ जाता हूँ कि 'गवय' किस वस्तु का नाम है। यह शब्द ही आज सुना है। किन्तु यदि वह 'गवय' शब्द के स्थान पर 'गाय' कहता है तो तुरन्त अर्थ संकेतित हो जाता है, क्योंकि गाय को प्रतिदिन देखते हैं। उस का शब्दात्मक चित्र पहले से ही मन में विद्यमान है। इसलिए बुद्धि उस के अर्थ का भावन करने में समर्थ है, किन्तु 'गवय' शब्द में किसी प्रकार का शब्द प्रतीक उद्बुद्ध नहीं होता। अतएव यह कहा जाता है कि 'गवय' शब्द में अर्थ संकेतित नहीं होता। कभी-कभी वस्तुओं को देखे बिना भी उनके सम्बन्ध में जानकारी मिल जाती है। इस जानकारी को भी अनुभव कहा जाता है। इसीलिए 'हाइट हाउस' का नाम सुनते ही हमारे सामने केवल वाशिंगटन का सुसज्जित राष्ट्रपतिभवन ही स्पष्ट नहीं हो उठता है, वरन् पहली बार अमरीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति केनेडी के साथ मिलते हुए भारत के स्व० प्रधान मन्त्री प० जवाहरलाल नेहरू की स्मृति भी सजीव हो जाती है, जिस चित्र में दोनों महान् नेताओं को एक साथ उस हाइट हाउस की वीथियों में चलते हुए देखा था। दूसरे शब्दों में हमारा अनुभव भी शब्दों के साथ चित्र की भाँति सम्पृक्त रहता है। इसे हम शास्त्र की भाषा में 'बोध्यबोधकभाव' और आधुनिक भाषा में अर्थ की साकेतिक प्रक्रिया कहते हैं।

अर्थ की साकेतिक प्रक्रिया तीन प्रकार की कही गई है—अभिधा, लक्षणा और व्यजना। इन्हें शब्दशक्ति भी कहा जाता है। शब्द अर्थ-बोध का साधन मात्र है। इसलिए वह अर्थ का प्रतीक है। अर्थ भेद से शब्द भेद भी हो जाता है। अतएव तीन प्रकार की अर्थों की कल्पना के आधार पर शब्द भी तीन प्रकार के माने जाते हैं, जैसे वाचक, लक्षक और व्यजक। जिन वृत्तियों के द्वारा इन अर्थों की प्रतीति होती है, वे भी तीन हैं। नागेश के अनुसार इन के नाम हैं—अभिधा, लक्षणा और व्यजना। नागेश भट्ट अभिधा को ही शक्ति मानते हैं। परंतु आचार्य विश्वनाथ का कथन है कि वृत्ति ही शक्ति है। सामान्यतया अभिधा, लक्षणा और व्यजना के कल्पित सम्बन्धविशेष को शक्ति कहते हैं।

शब्द-शक्तियों तथा अर्थतत्त्व

शब्द और अर्थ में जो वाच्य वाचक सम्बन्ध है, उसे नियमित करने वाली शक्ति का नाम अभिधा है। अल्कारशास्त्र में 'शक्ति' शब्द का प्रयोग केवल अभिधा के लिए हुआ है। शब्द शक्ति कहते ही यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि यह शक्ति शब्द में ही क्यों मानी जाती है, अर्थ में क्यों नहीं ? इस के चार पाँच कारण कहे जा सकते हैं। प्रथम अर्थ स्वयं शब्द में रहता है। शब्द शरीर है और अर्थ प्राण। शब्द पार्वतीस्वरूप है और अर्थ शिवरूप। एक शक्ति प्रधान है तो दूसरा चैतन्यप्रधान। शब्द अर्थ को धारण करता है, इसलिए वह शक्ति रूप है। दूसरे, अर्थ किसी अर्थ के भीतर से नहीं निकलता। शब्द ने ही अर्थ स्फुटित होता है। उच्चार की दृष्टि से

इसी शब्द का उच्चारण किया जाता है तब अर्थ का बोध होता है। तीसरे, अर्थ अनुभूति प्रधान है, किन्तु शब्द स्फोट मात्र है। स्तोत्रमय श्रांति व्यक्तियों से ही शब्द-शक्ति होती है। इस प्रकार सुदृढत्व में शब्दस्वरूप पहले से ही प्रतीक वा चिह्न रूप में विद्यमान रहता है। चौथे, व्यवहार शब्द का होता है, अर्थ का नहीं। पठन या श्रवण के रूप में शब्द पड़े-सुने जाते हैं, अर्थ नहीं। अर्थ तो हमारे मन में पहले से ही विद्यमान रहता है, केवल शब्दों को सुन कर उत्सृष्ट हो जाता है। पाँचवें, अर्थ से शब्द के उत्पन्न होने पर भी शब्द को अर्थ का उत्पादक माना जाता है। जिस प्रकार जननी पुत्र को उत्पन्न करती है, किन्तु लोक में पुत्र का जन्म-दाता पिता माना जाता है, इसी प्रकार लोकप्रसिद्धि है कि शब्द अर्थ को उत्पन्न करता है।

यद्यपि प्राचीनों ने शब्द-शक्तियाँ तीन प्रकार के अर्थों के कारण तीन ही मानी हैं, किन्तु ये शक्तियाँ चार माननी चाहिए। अमिधा, लक्षणा और व्यञ्जना के अतिरिक्त हम अन्विता नाम की एक चौथी शब्द-शक्ति भी मानते हैं। क्योंकि जितने तरह के अर्थ माने जाते हैं, उन के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे वचन-व्यापारों का व्यवहार किया जाता है, जो मिला शब्द शक्ति से अन्वित होते हैं।

अमिधा

साक्षात् सकेतित अर्थ को अमिधा कहते हैं। अमिधा से जिस अर्थ का सम्बन्ध होता है, वही उस शब्द का मुख्य अर्थ या सकेतित अर्थ कहा जाता है। यह भी ज्ञान में रहने योग्य है कि जिस अर्थ से अमिधा का सम्बन्ध होता है, उस की ही उस से प्रतीति होती है, अन्य अर्थ की नहीं। अमिधा इच्छा आदि रूप नहीं है। यह एक शब्द शक्ति है। इस से जिस अर्थ का बोध होता है, उसे वाच्य अर्थ कहते हैं। अमिधाशक्ति के द्वारा अर्थ का बोध कराने वाला शब्द वाचक कहलाता है। वास्तव में अमिधा में तीन तत्व हैं अमिधान (शब्द), अमिधेय (अर्थ) और अमिधा (शक्ति)। इन तीनों का सम्युक्त रूप अमिधा है। अमिधा शक्ति शब्दार्थ-सम्बन्ध को नियन्त्रित करती है। इसलिए अमिधा का जिस अर्थ से सम्बन्ध होता है, उसे ही वक्ता और श्रोता समझता है। इस में शब्द का अर्थ से जो सम्बन्ध है, वही उस का नियामक है। यदि ऐसा न हो तो सभी शब्द सभी अर्थों के वाचक हो जायेंगे। तब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि शब्द में अर्थ का नियन्त्रण कैसे हुआ ? यथार्थ में प्रत्येक पदार्थ में अनादिकाळ से कोई न कोई योग्यता विद्यमान है। द्रव्य गुण से अमिध है। शब्द में भी अर्थ-बोध कराने की शक्ति योग्यता वर्तमान है। इसलिए हम जिस शब्द का उच्चारण करते हैं, वह उसी अर्थ वाच्य नहीं होता, जिस अर्थ में हम उसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, 'वह गुलाब के समान है' कहने पर न तो वह सुख-दुःख दोनों देने वाला है, जैसे गुलाब के फूल के साथ झोंटे भी रहते हैं और न वह गुलाब के जैसा हँसमुख है और न ही उस जैसे आकार का है, किन्तु वह गुलाब जैसे रंग का है—वह अर्थ अमिधा से प्रकट होता

है। जिस समय अभिधा इस नियत अर्थ को बताती है उस समय दूसरे अर्थों की प्रतीति कराने की शक्ति पर प्रतिबन्धन लगा कर उसे गौण कर देती है। इसे ही हम यों कहते हैं कि अभिधा मुख्य साकेतिक अर्थ का अभिधान करती है। इसी साकेतिक अर्थ को मुख्यार्थ कहते हैं। अभिधा शक्ति योग्यता सम्बन्ध के आधार पर निश्चय अर्थ को प्रकट करती है। जिस प्रकार शरीर में हस्त, पाद, आदि अंगों के रहने पर भी मुख पहले लक्षित होता है, उसी प्रकार दूसरे अर्थों के विद्यमान रहने पर भी अभिधा से पूर्व साकेतिक अर्थ का बोध होता है। यही मुख्यार्थ कहलाता है। इस मुख्यार्थ के सम्बन्ध में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होता। 'चिडिया चहक रही है' सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता है। परन्तु प्रश्न यह है कि यह सकेत किस में होता है? महर्षि पतञ्जलि का कथन है कि यह सकेत जाति, गुण और क्रिया में होता है।^१ इसीलिए उन्होंने तीन प्रकार के शब्द माने हैं—जातिवाचक, गुणवाचक और क्रियावाचक। परन्तु इन के अतिरिक्त ऐच्छिक शब्द भी हैं, जिन में सकेत होता है। ये दो प्रकार के हैं—जातिवाचक और यक्तिवाचक। हर्मन पॉल का मत है कि शब्द का जनक यक्ति है। किन्तु कात्यायन और पतञ्जलि ऐच्छिक शब्दों को नहीं मानते। वास्तव में प्रत्येक शब्द में मुख्य रूप से दो ही अंश रहते हैं—गुण और क्रिया। गुण या क्रिया के सादृश्य पर ही हमारा वचन यापार चलता है। इसलिए जब हम यह कहते हैं कि 'वह मुख चन्द्रमा के समान है' तो हमारा उस से अभिप्राय न तो श्वेत वर्ण के मुख से होता है, न चन्द्र की भौति पूर्ण वर्तुलता से होता है और न उसकी गमनशीलता में ही कोई अर्थ होता है। केवल गुण की समानता के आधार पर चन्द्रमा के समान शीतलता या सुख प्रदान करने के कारण उसे चन्द्र की भौति कहते हैं। इस प्रकार अर्थ बोध में गुण या क्रिया की मुख्यता रहती है। यहाँ पर यह प्रश्न करना उचित न होगा कि गुण और क्रिया दोनों अदृश्य हैं इसलिए इन से अर्थबोध कैसे हो सकता है? गुण से यहाँ आभ्रप्राय 'रसविद्राष्ट गुण' अर्थात् आत्मा का गुण न हो कर शब्दार्थ में रहने वाला सामान्य धर्म है। अतएव हमारे कहने के जितने दृग् हो सकते हैं, उतने ही अलंकार। अलंकार के मूल में गुण और क्रिया में से किसी एक का सादृश्य वर्णित या व्यञ्जित रहता है। इस सकेत को हम मुख्य रूप से लोक व्यवहार, व्याकरण कोश तथा काव्यशास्त्र से प्राप्त जानकारी के आधार पर पहचानते हैं।

लक्षणा

शब्द शक्तियों में लक्षणा का अत्यन्त महत्त्व है। लक्षणा अभिधा से विपरीत कही जाती है, किन्तु लक्षणा में अभिधा का योग रहता है। अभिधा में शब्दार्थ का सम्बन्ध वाच्यार्थ रूप में कहा जाता है। लक्षणा में वाच्यार्थ का सम्बन्ध लक्ष्य रूप में निरूपित किया जाता है। इस में मुख्य अर्थ की प्रतीति नहीं होती। इसलिए लक्षणा का मुख्य लक्षण है—मुख्य अर्थ का बाधित होना। जिस अर्थ के सम्झने में मुख्य अर्थ बीच में पड़ता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। जिस प्रकार अभिधा से शत अर्थ वाच्यार्थ कहा

अर्थात् है, उसी प्रकार लक्षणा से ज्ञात अर्थो-लक्ष्यार्थ कहलाता है। लक्ष्यार्थ के लक्ष्य में अन्य अर्थों का जो कल्पित होना है, उसे ही लक्षणा कहते हैं। यह अन्य अर्थ अनिरोधित होता है। वास्तव में मुख्य अर्थ में बाधा पड़ती है, यह केवल प्रतीति मात्र है। अतएव पण्डितराज जगन्नाथ अभिषा के द्वारा बोध्य अर्थ के पदार्थ के साथ सम्बन्ध को लक्षणा कहते हैं।^१ यह सम्बन्ध भिन्न-भिन्न स्थान पर भिन्न-भिन्न प्रकार का हो सकता है। यह सम्बन्ध शब्द और अर्थ दोनों में रहता है। 'कौओं से दही की रसक करें' इस का अर्थ यह नहीं है कि केवल कौओं से दही को बचाएँ, कुत्ते विहारी आदि से नहीं। यहाँ पर कार्य-कारण सम्बन्ध माना जाता है। अतएव रुढ़ि से या प्रयोजन से अथवा अन्य अर्थ के आरोप से या कार्य कारण सम्बन्ध से मुख्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति जो वृत्ति कराती है, उसे लक्षणा कहते हैं। उदाहरणार्थ—

शशा शकोर गलन था
विजली थी नीरद माका,
पाकर इस शून्य हृदय को
सब ने आ डेरा डाला।

(आँसू) —जयशकर 'प्रसाद'

यहाँ पर कवि यह वर्णन कर रहा है कि मेरे हृदय को शशाभात, विजली और बादलों ने घेर लिया है, किन्तु हृदय को घेरने का काम इन प्राकृतिक उपमानों से नहीं हो सकता। इसलिए 'शशा शकोर' का लक्ष्यार्थ तीव्र वेदना से उत्पन्न भावों का वह स्फूर्णन है, जो हृदय को शकशोर ग्राह है। इसी प्रकार 'विजली' का अर्थ उद्वेग या कलक और 'नीरदमाला' का आक्षेपिक अर्थ निराशा का वातावरण है। इस प्रकार अभिषा के द्वारा हम पहले वाच्य अर्थ को समझते हैं, किन्तु जब तात्पर्य स्पष्ट नहीं होता तब परम्परा-सम्बन्ध से या वाच्य अर्थ के सम्बन्ध से लक्ष्यार्थ को जानते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि किन कारणों से लक्षणा होती है? पहला कारण है—वक्ता का अभिप्राय न निकलना। दूसरा कारण है—रुढ़ि (प्रसिद्धि) और तीव्र कारण है—प्रयोजन। इस प्रकार वक्ता के तात्पर्य के अनुकूल मुख्यार्थ न होने से और उस अर्थ में शब्द की 'प्रसिद्धि' तथा 'प्रयोजन' इन दोनों में से किसी एक के न होने से लक्षणा नहीं हो सकती।

व्यंजना

अभिषा और लक्षणा किसी प्रसिद्ध अर्थ को ही साक्षात् या परम्परा-सम्बन्ध से समझाती हैं, किन्तु अप्रसिद्ध अर्थ का बोध कराने में वे समर्थ नहीं हैं; परन्तु व्यंजना का सुहरा कार्य है। यह दोनों प्रकार के अर्थों की बोधक है। व्यंजना के द्वारा प्रसिद्ध शब्द और अर्थ व्यंजक कहलाते हैं। व्यंजक को ध्वनि भी कहते हैं। काव्यशास्त्र में ध्वनि-काव्य को उत्तम-काव्य माना जाता है। यहाँ पर लक्ष्यार्थ की अपेक्षा व्यंज्यार्थ प्रधान होता है, उसे ध्वनि-काव्य या उत्तम-काव्य कहते हैं।^२ किन्तु

शब्दों से या अर्थों से अन्य अर्थ ध्वनित होते हैं, वे व्यक्त अथ सभी पक्षों में समान होते हैं। व्यंग्य में चमत्कार की मुख्यता होती है। चमत्कार को ही काव्य की रमणीयता कहा गया है। रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य कहते हैं।^{१६} जिस के ज्ञान से लोकोत्तर आनन्द मिलता है, वह अर्थ रमणीय है। आचार्य आनन्दबर्द्धन के अनुसार जिस शक्ति के द्वारा वाच्य अर्थ से रमणीय अर्थ प्रतिभासित होता है, उसे व्यञ्जना कहते हैं।^{१७} यह रमणीय अर्थ दो रूपों में प्रतिभासित होता है—वाच्य और प्रतीयमान। यद्यपि अर्थालंकारों में भी व्यंग्य होता है, किन्तु वह गुणीभूत होता है। इसलिए उन में उतना चमत्कार नहीं पाया जाता। यहाँ पर यह ध्यान में रखने योग्य है कि अभिव्यञ्जना अलंकार, विम्ब और प्रतीक से भिन्न है। जहाँ वाच्य के साथ व्यंग्यार्थ ध्वनित होता है, वहीं अभिव्यञ्जना होती है। 'प्रसाद' जी के लहर काव्य का एक उदाहरण है—

ले चल वहाँ भुलावा देकर, मेरे नाविक ! धीरे धीरे !
जिस निजन में सागर लहरी, अम्बर के कानों में गहरी—
निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनरी रे !

यहाँ पर कवि का वाच्यार्थ है—'हे नाविक ! इस शोर गुल से भरे हुए स्थान को छोड़ कर ऐसे शान्त और एकान्त स्थान में मुझे ले चल, जहाँ केवल सागर की लहरें आकाश की ओर उछलती हुई अपना प्रेम सगीत सुनाती हों।' किन्तु वास्तविक अर्थ इस से भिन्न है, जो केवल प्रतीयमान है। विधाता की इस अपूर्ण सृष्टि से विरक्त हो कर कवि की कल्पना उस आनन्दलोक की ओर सकेत करती हुई कहती है कि हे मनुआ ! इस लोक के उस पार ले चल, जहाँ सदा विशुद्ध प्रेम और आनन्द की सृष्टि होती रहती है। यह व्यंग्यार्थ है।

अन्विता

शब्द में अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना के अतिरिक्त एक अन्य वृत्ति भी रहती है, जिसे अन्विता कहते हैं। इस अन्विता शक्ति से अन्वयार्थ का बोध होता है। अन्वयार्थ का सम्बन्ध पूरे वाक्य और उस के सन्दर्भ से होता है। यह सभी अर्थों से भिन्न प्रकार का है। उदाहरण के लिए

सूग रही है बोटी-बोटी,
मिलती नहीं घास की रोटी।

(हुंकार)

राष्ट्रकवि दिनकर जी ने इन पक्तियों में 'घास की रोटी' कह कर जिस अभिप्रेत अर्थ की ओर सकेत किया है, वह न तो अभिधा और लक्षणा से सकेतित हो रहा है और न व्यञ्जना से ही अभिव्यक्त, क्योंकि सामान्यतया घास की रोटी कहीं बनती नहीं है। इसलिए वाच्य अर्थ प्रकट नहीं होता। लक्ष्याय के रूप में यदि यह समझा जाए कि उन्हे खाने के लिए अनाज की रोटी तो दूर रही, घास तक की रोटी नहीं मिलती तो यह अर्थ कवि रचना के विपरीत है, क्योंकि घास की रोटी के साथ

इतिहास की एक कल्प अर्थ मार्मिक घटना संयुक्त है। जब अकबर की सेनाओं ने पारो और से इस्वीघाटी को घेर लिया, तब अराबवी की कन्दराओं में विद्यमान हुए खद्दायमा प्रताप ने खाने-पीने की सभी सामग्री के चुक जाने पर घात की रीटिबों का कर मारुभूमि के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, किन्तु अकबर के सामने अपने घुटने टेक कर स्वामिमान का समर्पण नहीं किया। यह अर्थ एक राष्ट्रीय सन्दर्भ से जुड़ा हुआ है, जो किसी शब्द-शक्ति से अभिव्यक्ति नहीं होता, किन्तु अन्वित अवन्व्य है। यह अन्विताशक्ति एक प्रकार की विशिष्ट अभिधा अवन्व्य है। जहाँ कहीं वाच्यार्थ की पूर्ण प्रतीति नहीं होती, वहाँ क्लृप्ता तो समर्थ होती ही नहीं, व्यञ्जना भी वाच्य या प्रतीयमान अर्थ को जब व्यक्त नहीं कर पाती, तब अन्विताशक्ति अन्वयार्थ का बोध कराती है। इस अन्वयार्थ का सम्बन्ध ऐसे प्रतीकों से है, जो अप्रतिष्ठ हैं या किन्हीं विशिष्ट सन्दर्भों से अनुबद्ध हैं। अतएव अन्विता वह शब्दशक्ति है, जो वाच्य, क्लृप्त और व्यञ्ज्यार्थ से भिन्न अन्वयार्थ को प्रतीकों के माध्यम से किन्हीं विशिष्ट सन्दर्भों में प्रकट करती है। इसे और स्पष्ट रूप से समझने के लिए 'युग की गंगा' जैसे प्रतीक मात्र के कहने से अन्विताशक्ति नहीं हो जाएगी, क्योंकि वह प्रतीक से भिन्न है और पूरे वाक्य में अन्वित प्रतीक-सन्दर्भगत अर्थ का बोध कराने वाली है। इसलिये 'युग की गंगा' भ्रान्तिकारी, प्रगतिशील, समालोचनी या किसी आध्यात्मिक चेतना की प्रतीक हो सकती है, जिस का अर्थ-बोध हमें केवल वाक्यगत सन्दर्भ से ही हो सकता है। अभिधा और अन्विता में केवल एक ही बात की समानता है कि दोनों में अर्थ सन्दर्भगत होता है, किन्तु अन्विताशक्ति का सन्दर्भगत अर्थ विशिष्ट एव पूर्ण प्रतीकात्मक होता है, यही इन दोनों में अन्तर है।

अर्थ-परिवर्तन की दिशाएँ

भाषा में शब्द और उनके अर्थों में परिवर्तन होते रहना स्वाभाविक है। शब्द की अपेक्षा अर्थ में व्यापकता अधिक है, क्योंकि मनुष्य अनेक बार शब्द प्रयोग के बिना भी अक्षि संकोच, पाणि विहार और शिर चालन, आदि संकेतों के माध्यम से भी अपने मनोभावों को व्यक्त करता है। इसलिए शब्द की अपेक्षा अर्थ में परिवर्तन अधिक शीघ्रता से होते हैं। भाषिक रूपों में कोई भी ऐसा अज्ञ नहीं है, जिस में परिवर्तन न होता हो, किन्तु शब्द स्थूल होते हैं और अर्थ सूक्ष्म। अर्थ सूक्ष्म और बौद्धिक होने पर भी निम्नलिखित दिशाओं में बदलते हैं। यह स्पष्ट है कि अर्थ परिवर्तन में मुख्य रूप से नियोजित होने वाला मानव-संस्तिष्क है। और इधीकिए किसी शब्द के अर्थ-परिवर्तन की दिशाएँ निम्न नहीं की जा सकतीं, परन्तु जिसने प्रकार के परिवर्तन घटित होते हैं, उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। अपने गम्भीर अध्ययन के परिणामस्वरूप ग्रीक ने अर्थ-विकास की प्रमुख तीन दिशाएँ मानी हैं : अर्थ विस्तार (Expansion of meaning), अर्थ संकोच (Contraction of meaning) और अर्थ-दिक्क (Transference of meaning)। अर्थ-दिक्क का भी यही अर्थ है।

अर्थ-विस्तार—जब सामान्य शब्द विशेष अर्थ में और विशिष्ट शब्द सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होता है, तब अर्थ विस्तार हो जाता है। अर्थ के विस्तार के कारण अर्थ अपने शाब्दिक अर्थ से अधिक बढ जाता है। मर्तृहरि ने बहुत विस्तार के साथ इस का विचार किया है। उन का कथन है कि विशेष की अविचक्षा और सामान्य की विवक्षा से प्रायः अर्थ विस्तार हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि जब सामान्य रूप से कथन की प्रवृत्ति मुरय होती है, तब अर्थ का प्रसार अनिवार्य हो जाता है, उदाहरण के लिए संस्कृत में प्राचीन काल में 'तेल' शब्द का अर्थ था—तिल का द्रवित सार पदार्थ (तिल का तेल)। बाद में सरसों, मूँगफली, महुआ, अलसी, आदि कई पदार्थों का तेल निकलने लगा। युग-युगो म वस्तुएँ और उन के द्रवित सार अर्थ बदलते रहे, किन्तु 'तेल' शब्द ज्यों का त्यों बना रहा क्योंकि सामान्य कथन की प्रवृत्ति बराबर बनी रही। यह सामान्य कथन की प्रवृत्ति यहाँ तक बढ गई कि हम 'घासलेट' या 'मिट्टी के तेल' को भी तेल कहने लगे और जब मनुष्य काम करते-करते थक कर चूर हो जाता एव उस का पसीना निकल जाता, तब हम कहने लगते कि 'उस का तो तेल निकल गया।' इसी प्रकार के अन्य उदाहरण हैं—प्रवीण, कुशल, गवेषणा, निपुण, गबाक्ष और स्याही, आदि। पहले वीणा बजाने में सिद्धहस्त को 'प्रवीण' कहते थे। किन्तु अब उस से निपुणता का बोध होता है। इसी प्रकार किसी फाँस या खरोंच के लगे बिना कुश को उखाड लाने वाला पहले कुशल माना जाता था। अब किसी भी कार्य में दक्षता पाने वाले को 'कुशल' कहा जाता है। पहले गाय को ढूँढ लाने को 'गवेषणा' कहते थे, किन्तु आज सभी प्रकार के शोध अनुसंधान को 'गवेषणा' कहा जाता है। इसी प्रकार किसी समय विशेष पुष्प कमाने वाले को 'निपुण' कहते थे, परन्तु आज वह चतुराई का वाचक है। गबाक्ष पहले गाय की आँख को कहते थे। बाद में इस का अर्थ झरोखा और आज खिडकी प्रचलित हो गया है। इसी तरह 'स्याह' का अर्थ काला और 'स्याही' का अर्थ काली स्याही था किन्तु आज हरी, लाल, बैंगनी और न जाने कितने रंगों की मसि (स्याही) स्याही हो गई है।

अर्थ विस्तार के कई कारण माने गए हैं। जब कोई शब्द सामान्य से विशिष्ट हो जाता है, तब यदि उस का प्रयोग अतिशयता से किया जाता है तो भावों के सादृश्य या रूपात्मक सम्बन्ध के कारण उस के अर्थ में विविधता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए सादृश्य और सामीप्य से भी अर्थ में विस्तार हो जाता है। वेदों में 'कवि' का अर्थ भ्रान्तिदर्शी है। कैयट और नागेश ने 'कवि' का अर्थ मेधावी किया है, किन्तु उन विशेष अर्थों को छोड कर किसी भी पद्य-रचना करने वाले को हम सामान्य रूप से कवि कहते हैं। गन्धर्व और अप्सरा शब्द के पहले कई अर्थ थे, किन्तु अब ये केवल आतिवाचक हैं। मर्तृहरि का कथन है कि अर्थ का कोई आकार निश्चित नहीं होता, इसलिए एक ही शब्द विभिन्न प्रत्ययों के मेल से विभिन्न

शब्दों को बतलाते हैं; उदाहरण के लिए, संस्कृत में मिली सम्य 'रधि' का अर्थ था—
 कस्य अन्तर्गता वशी । इसी प्रकार 'उत्तरक' का अर्थ था—जलाई वाष्प रही और
 'निधीनक' का अर्थ था—बिना जमा हुआ वही; किन्तु कालान्तर में सभी वही
 (रधि) कहै जाने लगे । इसी प्रकार शराब के लिए संस्कृत में कई शब्द प्रचलित
 थे । मद्य, मदिरा, मदिरा, परिक्षुता, कस्य, परिस्कुत्, मधु, कापिषायन, गन्धोत्तमा,
 कस्य, इरा, परिष्कृता, कादम्बरी, स्वादुरसा, हलिप्रिया, कुष्ठा, हाळा, हारहूर, प्रसभा,
 वाक्पी, सुरा, माध्वीक, मदना, देवसृष्टा, कापिष, अन्धिका, माधवक, मैरैव, शीघु
 और आसव, ये सभी सामान्य रूप से मद्य के नाम हैं । इन के अतिरिक्त भी कुछ
 अन्य नामों का उल्लेख मिलता है । गुड़ से निर्मित होने वाली दारु के दो नाम ये—
 गौडी और वास्कली । महुओं के फूलों के द्वारा बनाई जाने वाली शराब को
 'मध्यासव' कहते थे । नारियल से बनाई गई सुरा को 'नलिनी' कहा जाता था ।
 ताड़ के फलों से बनाई जाने वाली दारु को ताड़ी या 'ताली' कहते थे । कदंब के
 फूलों से बनाई गई शराब 'कादम्बरी' कहलाती थी । इसी प्रकार महुए की शराब को
 'माध्वीक', कटहल से तैयार की गई शराब को 'पानस', अमरुतों से बनाई गई 'द्राक्ष',
 खजूर से बनाई जाने वाली को 'खार्जूर', ताड़ से 'ताली' और गन्ने के रस से बनाई
 गई सुरा को 'ऐश्व' , सरि की शराब को 'मैरैय', शहद से बनाई गई शस्य को
 'माक्षिक' और नारियल से बनाई जाने वाली शराब को 'नारिकेलज' कहते थे । इस
 प्रकार बारह प्रकार के मद्य प्रसिद्ध थे ।^{११} अब इन में से कुछ ही नाम शेष रह गए
 हैं और वे भी सामान्य रूप से शराब के लिए प्रसिद्ध हैं । अलग अलग वस्तुओं से
 बनाई गई शराब के लिए केवल दो चार नाम ही आज प्रचलित हैं । इसी प्रकार
 अंग्रेजी भाषा में भी मदिरा के लिए पन्द्रह बीस शब्द हैं, लेकिन तीन-चार प्रकार की
 शराब ही विशेष रूप से प्रचलित हैं । अस्पष्टता से भी अर्थ में विकास हो जाता है ।
 उक्त शब्दों का अर्थ स्पष्ट न होने से कादम्बरी, शीघु और सुरा आदि शब्द आज
 पर्यायवाची बन गए हैं । सादृश्य से भी अर्थ-विकास सम्भव है । वस्तु सादृश्य
 के कारण चित्रों और मूर्तियों को शिव, विष्णु, जिन और बुद्ध, आदि कहते हैं ।
 इसी प्रकार प्राचीन काल में 'मधु' का अर्थ 'सोमस्स' या । कालान्तर में सोमस्स
 जैसी उपयोगी और मधुर शहद को और बाद में मद्य को भी 'मधु' कहने लगे ।
 इसी प्रकार पक्षी के सादृश्य पर सूर्य और पतंग को भी 'पतंग' कहने लग गए ।
 चूहे के कान जैसे पत्ते होने के कारण 'मूषककर्णी' को मूसाकानी कहना और पक्षियों
 में बड़ी टाँगोंवाला होने के कारण 'सारस' को 'दीर्घपाद' कहना वस्तु-सादृश्य की प्रकृति
 को शीतल करता है । अधिकतर वन-कृतियों, ओषधियों और पक्षियों आदि के नाम
 वस्तु-सादृश्य को सूचित करते हैं । सामान्य व्यवहार वस्तु-सादृश्य को देखकर ही
 चलता है । अतएव नामकरण के मूल में वस्तु-सादृश्य बहुत कार्य करता है ।

कल्पना से भी अर्थ का विस्तार हो जाता है । कल्पना में प्रथम अर्थ आसक्ति होता है, पर
 बाद में सूक्ष्मार्थ को दबा देते हैं और तब सूक्ष्मार्थ बन जाती है । पहले 'गौ' शब्द का अर्थ

‘पृथ्वी’ था, किन्तु अब वह कई अर्थों का वाचक है। इस में विशेषता यह है कि दूसरे मुख्य अर्थों को बता कर भी वह अपने मुख्यार्थ को सुरक्षित बनाए हुए है, किन्तु कक्षणा में मुख्य अर्थ सुरक्षित नहीं रहता, उदाहरण के लिए गुजराती और मराठी में ‘गंगा’ नदी को कहते हैं।” इसी प्रकार संस्कृत में पहले ‘अभ्यास’ का अर्थ बार-बार बाध फेंकना था। ‘गोहार’ का अर्थ गाय की पुकार और ‘प्रणाम’ का अर्थ अन्धी तरह से नीचे झुकना था। इस तरह के और भी शब्द हैं, जिन का मुख्य अर्थ अभी तक बना हुआ है।

आलंकारिक प्रयोगों के द्वारा भी अर्थ का विकास हो जाता है, जैसे कठोर को पत्थर दिल कहना, सीधे को गौ और चालाक को कौआ कहना। इसी प्रकार मुहावरे और लोकोत्तियों के प्रयोग से भी अर्थ में वृद्धि हो जाती है, उदाहरणार्थ बहुत गरीब के लिए ‘छप्पर पर फूस न होना’, बहुत दुःख देने वाले से कहना ‘छाती पर मूँग दलते हो’, बहुत भूख लगने पर ‘पेट में चूहे वृद्धना’ और निराश हो जाने पर ‘मरता क्या न करता’, आदि प्रयोग इसी तरह के हैं।

अर्थ-संकोच—भाषा के विकास के साथ ही मानवीय संवेदनाओं की सूक्ष्मता और बौद्धिकता के विस्तार के कारण सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव और वस्तुओं की क्रियाओं के प्रकटीकरण की शक्ति का भी विकास होता रहता है। ऐसे समय परस्पर भेदों को प्रकट करने के लिए जब किसी सामान्य अर्थ वाले शब्द को विशेष अर्थ में सीमित कर देते हैं तो अर्थ संकोच स्वाभाविक हो जाता है। इसी प्रकार व्यक्तिगत सन्दर्भ के जितने कारण या परिस्थितियाँ हो सकती हैं, उन सब में अर्थ का संकोच होता है। यदि हम ‘युत्पत्तिमूलक अर्थ के आधार पर किसी व्यक्ति का नामकरण करता प्रत्येक ‘तक्षण’ क्रिया, छिलाई करने वाले को ‘तक्ष’ और माग पर चलने वाले को ‘अश्व’ कहना पड़ेगा। इसी प्रकार ‘सर्प’ का मूल अर्थ सरकना और ‘नेत्र’ का अर्थ प्रकाश करने वाला या नेता है और ‘पक्व’ का अर्थ कीचड़ में जन्म लेने वाला है, किन्तु ये सभी शब्द आज किसी रूढ़ अर्थ में प्रचलित हैं। ग्रीक महोदय ने उचित ही कहा है कि जो राष्ट्र या जाति जितनी अधिक विकसित होगी, उस में अर्थ संकोच उतना ही अधिक होगा। यदि इस प्रकार से अर्थ का संकोच न हो तो सभी शब्द सभी अर्थों का वाचक हो जाएँगे। अर्थ के संकोच में सांस्कृतिक परिवर्तन विशेष महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। यही कारण है कि भरण पोषण का कार्य किसी युग में पत्नी करती थी, इसलिए उसे ‘माया’ कहते थे, किन्तु अब उस का अर्थ सीमित हो गया है। इसी प्रकार श्रद्धा से किए जाने वाले कार्य को ‘श्राद्ध’ कहा जाता था, किन्तु अब वह एक धार्मिक कार्य बन कर रह गया है। फारसी में ‘मुर्ग’ का अर्थ चिड़िया (शाहमुर्ग, शुतुरमुर्ग) है, किन्तु हिन्दी में उस का अर्थ ‘मुगा’ प्रचलित है। वैदिक काल में ‘मुग’ शब्द का सामान्य अर्थ पशु प्रचलित था, किन्तु अब वह पशुविशेष ‘हिरण’ के अर्थ में सीमित है। अर्थ के संकोच का एक कारण यह भी है कि चालू शब्दों का प्रयोग

अधिकतर निम्न वर्ग के लोगों के द्वारा किया जाता है। वे अपने भावों को प्रकट करने के लिए केवल काम चलाऊ अर्थ निकाल लेते हैं। जब वही शब्दावली शिक्षा लोगों के पास पहुँचती है, तब वे अपने स्तर के अनुरूप उस में गौरव का भाव ला देते हैं; जैसेकि—'वेदना' सुख-दुःखात्मक अनुभव को कहते हैं, किन्तु सामान्य लोग उसका अर्थ पीड़ा समझते हैं। 'वेदन' शब्द 'अनुभवन' अर्थ में अभी तक बना हुआ है। मूल में 'विद्' धातु से वेद यानी ज्ञानना अर्थ विकसित हुआ, किन्तु उसे भूल कर लोग पीड़ा का अनुभव करने लगे और समझदार लोग उसे 'सवेदना' तक ले गए। यही हाल 'गन्ध' और 'वास' का है। दोनों का अर्थ एक समझा जाता है, किन्तु 'गन्ध' का अर्थ न तो सुगन्ध है और न दुर्गन्ध, केवल बू है। परन्तु 'वास' उसे कहते हैं, जो गन्ध कुछ समय तक बस चुकी हो अर्थात् अपनी वास देने लगी हो। वास्तव में ये अर्थ बौद्धिक स्तर के हैं।

अर्थावेश—इस में शब्द अपने मूल अर्थ से हट जाता है। प्रायः यह देखने में आता है कि किसी शब्द का पहले जो अर्थ था, वह अब बिल्कुल भुलाया जा चुका है। यथायत्न में सामान्य लोगों को इस का पता तक नहीं होता कि यह शब्द कभी उस अर्थ में प्रचलित भी था, जिसे हम भूल चुके हैं, उदाहरण के लिए आर्य-ईरानी काल में 'असुर' (अहुर) शब्द देवता का वाचक था, जो वैदिक काल में भी देवता विशेष के लिए प्रयुक्त होता था, किन्तु परवर्ती काल में उसका अर्थ राक्षस हो गया। इसी प्रकार 'देवाणुप्पिया' (देवाना प्रिय) सम्राट् अशोक की पदवी थी, किन्तु वह अर्थ विलुप्त हो गया और संस्कृत में उस का अर्थ मूर्ख प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार एक अर्थ के स्थान पर दूसरा अर्थ सामाजिक और राजनैतिक कारणों से भी बदल जाता है। 'पाकिस्तान' का शब्दार्थ पवित्र स्थान है, किन्तु आज के इतिहास को पढ़ कर कौन उसे पाकिस्तान कहेगा? पहले 'दुहिता' शब्द का अर्थ था—दूष दुहने वाली, किन्तु आज उसका अर्थ 'बेटी' है। 'वर' का अर्थ था—जिसे वरण किया जाता था। न आज स्वयंवर होते हैं और न दुर्लभ (दूहा) वर का वरण किया जाता है, परन्तु बारातों में आज भी वर ठाठ बाट से जाते हैं।

प्रायः ज्ञान या अज्ञान रूप से विचारों के सम्पर्क के कारण गौण अर्थ शब्द से सम्बद्ध हो जाता है, और वह अर्थ मुख्यार्थ बन जाता है। इस प्रकार एक अर्थ के स्थान पर दूसरा अर्थ हो जाता है, जैसेकि 'गँवार' शब्द का मूल अर्थ ग्रामीण है, किन्तु आम जनता मूर्ख मनुष्य को गँवार कहती है। इसी प्रकार बुद्धि, बुद्ध और बोधि शब्द में 'ज्ञान' अर्थ अभी तक बना हुआ है। शब्द विकास के इन्हीं रूपों में से 'बुद्ध' शब्द विकसित हुआ है, जिसका अर्थ बुद्धिमान है, परन्तु लोक में बुद्धिहीन को बुद्ध कहते हैं। इस प्रकार अर्थादेश में अर्थ अपने मूल अर्थ से भिन्न हो जाता है।

समास से भी अर्थ-परिवर्तन हो जाता है, जैसेकि देखते-देखते स्वर्ण का आभरण करने के कारण सुनार को 'पञ्चतोहर' और कानों में ऊसफुल्लाने के कारण सुमङ्गलेश

को सस्कृत में 'कर्णज्य' कहते हैं। इसी प्रकार डरपोक को 'धरघुसा' और भेड़पुरदप को 'धुबघसिह' कहा जाता है।

उपसर्ग के विविध प्रयोगों से भी अर्थ में परिवर्तन लक्षित होने लगता है; जैसेकि सस्कृत की 'हृ' धातु से 'हर' और 'हार' शब्द निष्पन्न होते हैं। हार के पहले 'प्र' उपसर्ग जोड़ देने से प्रहार, 'वि' जोड़ देने से विहार, 'आ' जोड़ देने से आहार और 'स' जोड़ देने से 'सहार', आदि विभिन्न अर्थ के वाचक शब्द बनते हैं।

विशेषण से भी अर्थ में परिवर्तन दिखलाई पड़ता है, जैसेकि शुकल 'सपेदी' को शीतल करता है वैसे ही 'कृष्ण कालेपन' को।

लोकप्रसिद्धि से भी अर्थ बदल जाता है उदाहरण के लिए रक्त, लोहित और शोण पर्यायवाची शब्द हैं, किन्तु सस्कृत में लाल घोड़ को 'शोण अश्व', काले घोड़े को 'हेम अश्व' और सपेद घोड़ को 'कर्क अश्व' कहते हैं। इसी प्रकार हिन्दी में साधारणतया शोध, अनुसंधान और आवषण शब्द एक ही अर्थ में प्रचलित हैं, किन्तु डाक्टर, वैद्य और हकीम की भाँति वैज्ञानिक गवेषणाओं के लिए 'अन्वेषण', साहित्यिक सशोधन या ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शोधन के लिए 'शोध-कार्य' और हस्तलिखित ग्रन्थों के आधार पर पाण्डुलिपियों के सम्पादन कार्य की प्रसिद्धि 'पाठा नुसंधान' के रूप में है।

प्रत्ययों के योग से भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है जैसेकि 'धन्या' का अर्थ धाय या उपमाता है, किन्तु 'क' प्रत्यय के योग से 'धन्याक' का अर्थ धनिया हो जाता है। इसी प्रकार 'वन' का अर्थ 'जगल' और 'वनी' का अर्थ छोटा वन है। रोट गेटी, गिलास गिलासी, कटोरा कटोरी, ताड़ ताड़ी और दाढ़ दाटी, आदि शब्द 'ई' प्रत्यय के भेद से भिन्न अर्थों के सूचक हैं।

अर्थ परिवर्तन की यह दिशा कभी ऽत्कर्ष (अच्छे अर्थ) और कभी अपकर्ष (बुरे अर्थ) की ओर प्रवाहित होती रहती है। अतएव इहे अलग से अर्थ-परिवर्तन की दिशाएँ मानना उचित नहा है। अर्थ सकोच और अर्थ विस्तार में ही इनका सम्भार हो जाता है। पहले 'साहसिक' डाकू को कहते थे, किन्तु अब वह 'साहसी' अच्छे अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार 'मुग्ध' का अर्थ पहले मूढ़ था, पर अब मुग्धा नायिका के अर्थ में प्रचलित है। 'कौपीन' का पहले 'अकार्य' अर्थ था, अब लंगोट अर्थ है। 'कर्पट' पहले सड़े कपड़े को कहते थे, अब उसका अर्थ कपड़ा या नया कपडा है। ये सभी अर्थोत्कर्ष के उदाहरण हैं। अयापकर्ष में अर्थ नीचे की ओर जाता है, जैसे महाजन, महाराज, दादा, गुरु, भैया, लुब्धा लगाडा, शीघ्र, इत्यादि। महाजन का अर्थ पहले महान् जन था, किन्तु आज बनिया है। महाराज का तो कहना ही क्या? रसोइया आज महाराज कहलाता है। इसी प्रकार 'दादा' अब गुंडों का सरदार होने लगा है और 'गुरु' उन सब का उस्ताद, तो 'भैया' शैख-

कबीले यां लेखक, वांछ हो गए हैं। केंचों का सुंजन करने वाले और समन रहने वाले दिशान्वर जैन साधु का वाक्यक 'सुचित्त-मन्थक' शब्द आज किस घुरे अर्थ में 'सुजा-संगारा' हो गया है। इसी प्रकार 'शौच' का अर्थ पहले पवित्रता था, किन्तु आजकल अश्लीलता से सम्बद्ध 'शुद्धी' अर्थ का बोधक है। अश्लीलता से सम्बद्ध अर्थों को व्यक्त करने के लिए भी अच्छे शब्दों का अर्थ निकृष्ट हो जाता है, जैसे सहवास, प्रसन्न, समायम, इत्यादि। इस प्रकार ये अर्थ-सकोच के उदाहरण हैं। अतएव इन दोनों में ही अर्थ का उत्कर्ष और अपकर्ष निहित है।

बौद्धिक-नियम

अर्थ-परिवर्तन के प्रवाह में बौद्धिक नियम का विशेष महत्त्व है। शब्दों के अर्थ विकास के मूल में विचार धाराओं का परिवर्तित होते रहना मुख्य कारण माना जाता है। अर्थ का सीधा सम्बन्ध मनुष्य के मनोभावों से है, किन्तु बुद्धि भी इन परिवर्तनों में विशेष रूप से क्रियाशील लक्षित होती है। बुद्धि के योग से होने वाले अर्थ-परिवर्तन को बौद्धिक कहते हैं। यह पहले ही कहा जा चुका है कि शब्द का प्राण एवं बुद्धि से पनिष्ठ सम्बन्ध है। शब्द जिस बुद्धिगत भाव को व्यक्त करता है, उसे अर्थ कहते हैं। इसलिए यह बौद्धिक प्रक्रिया जिन कारणों से अर्थ-परिवर्तनों को प्रस्तुत करती है, उन कारणों को बौद्धिक नियम कहा जाता है। ध्वनि नियमों की भाँति बौद्धिक नियम देश, काल की सीमा से बँधे हुए नहीं होते। ध्वनि नियमों का सम्बन्ध ध्वनि विकास से है, और बौद्धिक नियम का अर्थ विकास से। बौद्धिक नियम के अन्तर्गत अर्थ में होने वाले परिवर्तनों के कारणों का विचार कर नियम स्थिर किए जाते हैं। इन में से पहला नियम है—विशेष भाव का नियम।

विशेष भाव का नियम (Law of specialization)—भाषा में एक ही भाव को प्रकट करने के लिए अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं। कारणवश ये शब्द कम हो जाते हैं, परन्तु शब्दों की कमी होने पर भी एक ही शब्द विशेष भाव को प्रकट करने लगता है। इस में वस्तुतः बुद्धि की वह प्रवृत्ति काम करती है, जो सब रूपों को छोड़ कर किसी एक रूप या प्रयोग के प्रति अपना विशेष भाव बना लेती है। संस्कृत के तर, तम, ईयस् और छ, आदि प्रत्ययों की सत्ता सुरक्षित होने पर भी हिन्दी में इन का अब बहुत कम प्रयोग होता है। इन सब के स्थान पर 'ते' (उस से बढ़िया), अपेक्षा (राम की अपेक्षा श्याम पढ़ने में तेज है), से बढ़ कर (यह अंगूर से भी बढ़ कर मीठा है), और बढ़िया से बढ़िया (मैं सभी धारों में से बढ़िया से बढ़िया चादर खूँट कर लाया हूँ) कह कर काम चलाते हैं। हिन्दी में विभक्तियों की कमी इसी विशेष भाव के नियम के कारण हुई है। इसी प्रकार भाषा में व्याकरणिक नियमों का विकास अर्थ-विकास के इस नियम के अन्तर्गत माना जा सकता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि वास्तव में यह शब्दों के प्रयोग का नियम है, इस का अर्थ से कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिए इसे बौद्धिकता के नियम के

अन्तर्गत नहीं मानना चाहिए। किन्तु इस का सम्बन्ध शब्दों की कमी से नहीं है, वरन् उन सभी गुणवाचक प्रत्ययों से उत्पन्न होने वाले भावों से है, जिन के किये हिन्दी में परसर्ग या स्वतन्त्र शब्दों का व्यवहार किया जाता है। ये बौद्धिक इसलिये हैं कि इन के प्रयोग में बुद्धि का योग रहता है कि कहाँ उस से घट कर या उससे बढ़ कर और कहाँ सब से बढ़ कर या सब से घट कर बताना है। यह बुद्धि पर निर्भर करता है।

भेदीकरण का नियम (Law of Differentiation)—एक ही मूल स्रोत से विकसित समानार्थक शब्दों को अलग अलग करने वाले नियम को भेदीकरण का नियम कहा जाता है। प्रायः पर्यायवाची शब्द धात्वर्थ या किसी ऐतिहासिक कारण से भिन्न भिन्न अर्थों के बोधक होते हैं। यह लक्षण भाषा की उन्नति का द्योतक है। विभिन्न जातियों के परस्पर आदान प्रदान और सघर्ष से भी भाषा का शब्द भण्डार बढ़ता है। इस नियम में मुख्य रूप से सामान्य अर्थ में भिन्न अर्थ की कल्पना बौद्धिक आधार पर की जाती है। प्रत्येक भाषा में एक अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन जातियों के सम्पर्क तथा सगम से जब कोई शब्द किसी भाषा में घुल मिल जाते हैं, तब वे इसी अर्थ भेद के द्वारा अपना व्यक्तित्व प्रदर्शित करते हैं, जैसे डाक्टर, वैद्य, हकीम पाठशाला, विद्यापीठ, कॉलेज और विश्वविद्यालय, आदि शब्दों में अर्थ भेद स्पष्ट है।

विभिन्न भाषाओं के शब्दों में ही नहीं, एक ही भाषा के समानार्थक शब्दों में भी अर्थ भेद की प्रवृत्ति काय करती है, जैसेकि गर्भिणी, गाभिन, वत्स, बच्चा, बाछा, बछड़ा, पडवा, मेमना भद्र, भदा, मला, इत्यादि। इसी प्रकार प्रणाम, नमस्कार, चरण छुना, नमस्ते, वदना, पालागे, जय जय, जय श्रीकृष्ण, जय राम, आदि में भी सूक्ष्म अर्थ भेद है।

बौद्धिकता के कारण ही धातु और यौगिक अर्थों में भी अर्थ भेद हो जाता है, उदाहरण के लिए जैन आचार्यों ने 'इद्र' शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ 'आत्मा' किया है। इसी प्रकार आ० हेमचन्द्र ने 'कौपीन' शब्द का अर्थ किया है—जिसे पहन कर कुएँ में सरलता से प्रवेश किया जा सके, उसे कौपीन कहते हैं। " यौगिक शब्दों में 'प्रत्यासत्ति' का अर्थ देश और काल की अपेक्षा किया गया है। " 'सम्प्रति' का अर्थ कामों में अपना अभिप्राय प्रकट करना है। हिन्दी में 'बुद्धि' से 'बोध' और 'श्रद्धा' से 'साध' इसी प्रक्रिया में विकसित हुए हैं।

विचार और बुद्धिगत सस्कारों से भी शब्दों के अर्थ में भिन्नता लक्षित होने लगी है, जैसे प्रसाद पाना, भोग लगाना, चने चवाना, दौरा पड़ना और रफू-चक्कर होना, इत्यादि। यथायत्न अर्थ भेद सभ्यता के विकास से सम्बन्ध रखता है। ज्यों-ज्यों समाज में विकास होता जाता है, त्यों-त्यों अर्थ की उदरणी होती जाती है। यहाँ यह ध्यान में रखने योग्य है कि अर्थ भेद की एक सीमा यह है कि वह विद्यमान शब्दों में

ही होता है। अतीत की शब्दावली से सम्बन्ध होने पर भी उन अर्थों से जो बीत चुके हैं, उन से सम्बन्ध नहीं होता, किन्तु अर्थ-विचार में जीते हुए और वर्तमान सभी शब्दाओं का अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है।

उद्योतन का नियम (Law of Irradication)—जब कोई शब्द किसी प्रत्यय आदि के बोध से अच्छे या बुरे अर्थ का उद्योतन करने लगता है, तो उसें उद्योतन का नियम कहा जाता है। इस नियम के अन्तर्गत शब्द अच्छे या बुरे अर्थ में रूढ़ हो जाता है, यथा साहब से साहिबी, नेता से नेतागिरी, नवाब से नवाबी, गवर्नर से गवर्नेरी और बादशाह से बादशाही, आदि। इन शब्दों में 'ई' प्रत्यय संयुक्त होने के कारण गर्व का भाव प्रकट हो रहा है।

विभक्तियों के अग्रावशेष का नियम (Survival of Inflections)—यद्यपि ध्वनि-परिवर्तन की प्रक्रिया में भाषा की पुरानी विभक्तियाँ बिस पिस जाती हैं, फिर भी नए रूपों के साथ विभक्तिगत पुराने प्रयोग चलते रहते हैं। वास्तव में यह प्राचीनता के प्रति मोह का ही बौद्धिक कारण है, जैसे प्रकृत्या, सामान्यतया, वस्तुतः, अतः, एव प्रकारेण, कृपया, गंगातीरे, पूर्णतया, देवात्, येन केन प्रकारेण, इत्यादि।

मिथ्या प्रतीति का नियम (Law of perception)—अज्ञानवश अर्थ में जो परिवर्तन हो जाता है, उसे मिथ्या प्रतीति का नियम कहते हैं। इस नियम में भ्रम से असत्य अर्थ में भी सत्य अर्थ का भ्रान्त होने लगता है, यथा सस्कृत में 'मल्य' शब्द दक्षिण की भाषाओं से आया है। आर्येतर भाषाओं में 'मल्य' का अर्थ पवत है, किन्तु सस्कृत वालों ने मल्य नामक पर्वत समझ कर 'मल्यगिरि', 'मलयाचल', आदि प्रयोग किए, जो मिथ्या प्रतीति के सूचक हैं। इसी प्रकार हिन्दी का 'बावला' शब्द है। लोक भाषाओं में इस का अर्थ पागल है। बहुत एक प्रकार के सयासी होते थे, जो प्रायः धूमते रहते थे। आत्मचिन्तन में लीन रहने के कारण उन्हें अपने शरीर और बाहरी जीवन की सुधबुध नहीं रहती थी। अब भी बंगाल में तथा अन्य अनेक स्थानों पर 'बाउल' नाम के सन्धासी साधना में लीन दिखलाए पड़ते हैं। ऐसे सयासियों को भ्रमपूर्वक 'बावला' देख कर लोग पागले अर्थ में 'बावला' शब्द का प्रयोग करते चले आ रहे हैं। इसी प्रकार 'सम्भ्रान्त' शब्द है, जिस का अर्थ है—अज्ञात, जिस के विषय में भ्रम पैदा हुआ हो, किन्तु हिन्दी वालों ने 'सम्भ्रम' शब्द के अर्थ आदर के भ्रम से 'आदरणीय' व 'कुलीन' कर लिए हैं। इसी तरह के हिन्दी में प्रचलित शब्द प्रयोग हैं—विन्ध्याचल पहाड़, विन्ध्यगिरि पर्वत, हिमाचल शैल, अभी ही, केवल मात्र, सज्जन लोग, सुखागतम्, दरअसल में, दरहकीकत में, बेफजूल और स्वाकिस के लिए निस्वाकिस, आदि।

उपमात्त का सादृश्य का नियम (Law of Analogy)—किसी प्रकार की समानता के आधार पर जो अर्थ में परिवर्तन होता है, उसे उपमान का नियम कहा जाता है। भाषा में रूप-सादृश्य से भी अधिक अर्थ-सादृश्य का महत्त्व है। ग्रीक

साहचर्य के अनुसार यह नियम भाषा में अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य करता है। साहचर्य का प्रयोग मुख्य रूप से चार रूपों में होता है। प्रथम भाषा प्रकाशन की कठिनाई को दूर करने के लिए, दूसरे भाव में अधिक स्पष्टता लाने के लिए, तीसरे किसी बात पर बल देने के लिए और चौथे दो तुलनात्मक विषयों में समति बताने के लिए। इन के अतिरिक्त अनुकरण के आधार पर प्रायः नए शब्दों का कल्पना की जाती है, जैसेकि संस्कृत के 'दण्ड' शब्द से जिस से दड दिया जाता था 'डंडा' शब्द का विकास हो गया, किन्तु दडवाचक 'डाड' या 'डडना' शब्द भी चलते हैं। हिन्दी में 'डडे' के साहचर्य पर ही 'डंड पेलना', 'डंडाबोली' और 'डंडी' आदि शब्दों का विकास हुआ है। इसी प्रकार संस्कृत के 'हस्त' शब्द के साहचर्य पर 'हत्था', 'हथेली', 'हथौड़ा', 'हथौड़ी', 'हथौना' और 'हथियाना', आदि का विकास केवल हाथ को ध्यान में रख कर किया गया जान पड़ता है। साहचर्य के ही कारण भाषा में श्लिष्ट शब्द इत्ययक परिलक्षित होते हैं, यथा स्नेह, दीप, बिटु, पिंड, सुमन, भुति, मानस, सुदर्शन, इत्यादि। साहचर्य-रचना के आधार पर ही प्रतीकों का निर्माण किया जाता है, उदाहरण के लिए रसिक और भ्रमर में रसपान क्रिया का साहचर्य होने से 'अलि' रसिक युवक और 'कलि' कुमारी का प्रतीक है। इसी प्रकार 'हँसवा' और 'हथौड़ा' मार्क्सवादी व्यवस्था के प्रतीक है।

हिन्दी में संस्कृत के व्यञ्जनात् शब्दों को इसी नियम के अनुसार स्वरान्त बना लिया गया है जैसेकि पिता (पितृ), माता (मातृ), चाम (चर्मन्), काम (कर्मन्), राजा (राजन्), भगवान (भगवत्), नाम (नामन्), आदि।

इन के अतिरिक्त 'नए लाभ का नियम' और 'अनुपयोगी रूपों का विनाश' इन दोनों नियमों की चर्चा भी बौद्धिक नियम के अंतर्गत की जाती है। पुराने शब्दों तथा शब्द रूपों के घिस पिस जाने पर जब नए रूपों की उपलब्धि होती है, तो उसे नए लाभ का नियम कहते हैं। हिन्दी में परसर्गों का विकास इस का श्रेष्ठ उदाहरण है क्योंकि यह भाषा की नई उपलब्धि है। पुरानी विभक्तियों के खिर जाने पर हिन्दी में नई विभक्तियाँ परसर्ग के रूप में विकसित हुईं, जिन का स्वरूप अध्यय की भौति है। जब एक अथ के वाचक कई शब्द-रूप होत हैं तो उन में से अनुपयोगी रूपों का विनाश हो जाता है। संस्कृत में अनेक क्रिया रूप रहे हैं, किन्तु हिन्दी तक पहुँचते पहुँचते कई अनावश्यक रूपों का हास हो गया। आधुनिक भारतीय आयभाषाओं में क्रिया रूपों की कमी का यही मुख्य कारण है। यह एक प्रकार से नए लाभों की पृष्ठभूमि है। इन नियमों में से अन्तिम छह बौद्धिक नियमों का सम्बन्ध रूप विकास से अधिक है। रूप विकास के जिन कारणों की ध्वनि प्रक्रिया या व्याकरणिक रूप-प्रक्रिया के अंतर्गत व्याख्या करना सम्भव नहीं है, उन की विश्लेषात्मक व्याख्या बौद्धिक नियमों के आधार पर की जाती है। साहचर्य की प्रवृत्ति केवल अर्थ-विकास में ही नहीं, ध्वनि परिवर्तन और रूप विकास के मूल में भी क्रियाशील कक्षित होती है।

अर्थ-परिवर्तन के कारण

शब्दों का आन्तरिक विकास अर्थ-परिवर्तन कहलाता है। भारतीय व्याकरण अर्थ-परिवर्तन के बारह कारण मानते हैं—सादृश्य, लक्षणा, सादृश्य, सांस्कृतिक विकास, मानवसुखमत्सङ्गन, प्रकरण, समास, उपसर्ग-सयोग, वाच्य, लिंग, स्वरभेद और आलंकारिक प्रयोग। अर्थ-परिवर्तन में नए विचारों की प्रवृत्ति, पुराने विचारों में कुछ परिवर्तन और नए पदार्थों के आविष्कार से विकास की सम्भावना बढ़ जाती है। ध्वनि-परिवर्तन की अपेक्षा अर्थ परिवर्तन की प्रक्रिया और उस के कारण जटिल हैं। अर्थ विकास मूलतः बौद्धिक एवं मनोवैज्ञानिक है। जिन कारणों से अर्थ-परिवर्तन की प्रक्रिया क्रियाशील होती है, उन्हें विभिन्न ढंगों में विभाजित किया जा सकता है। ये षड्यं आठ हैं साहित्यिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, बौद्धिक, प्रमाद व अज्ञान, भावावेश तथा भ्रम्य, व्याकरणिक प्रयोग एवं कतिपय स्फुट कारण।

शब्द-प्रयोग की अतिशयता—जब कोई शब्द अधिक प्रयुक्त होता है तो उस का अर्थ व्यापक हो उठता है। अर्थ की उस व्यापकता से शब्द प्रभावहीन होने लगता है और अर्थ का अपकर्ष हो जाता है, उदाहरण के लिए बाबूली, श्रीमान्, गुन जी, आचार्य और दादा, आदि शब्दों की अर्थ-कहानी इसी तथ्य को प्रकट करती है।

अलंकारों का प्रयोग—लोक और साहित्य में भी आलंकारिक भाषा के प्रयोग से अर्थ में परिवर्तन देखा जा सकता है, जैसे मूल को गधा, चालाक को कौआ, लोभी को मक्खीचूस और श्रेष्ठ को जवाहर कहना। इस प्रकार के प्रयोग रूप-भावों को भी मूर्तमान वस्तुओं की भाँति व्यक्त करते हैं। कपटी को काला दिक्, कठोर को पत्थर इदध और बनने वाले को रुखी हँसी वाला कहना, इसी तरह के प्रयोग हैं। ग्रीक महोदय के कथनानुसार अन्य कारणों से अर्थ में परिवर्तन धीरे धीरे होता है, किन्तु अलंकारों से क्षण भर में ही परिवर्तन हो जाता है।

पुनरुक्ति—तीसरा कारण पुनरुक्ति है। पहले यह अनावधानी से होती है, फिर महत्त्वपूर्ण बन जाती है। इस प्रकार अनावश्यक शब्द भी कुछ न कुछ अर्थ देने लगता है, जैसे सज्जन पुरुष, पावरोटी, मलयगिरि पर्वत, दरअसल में, दरहकीकत में, अभी भी, इत्यादि।

बुरे सामाजिक या सांस्कृतिक ढंग में शिक्षता का भाव ही मुख्य कारण है। समाज में चाहे अनचाहे शिक्षावध कुछ शब्द विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं; जैसेकि : हुजूर, गरीबपरवर, अन्नदाता, आप ही हमारे माई-बाप हैं, आदि।

विभिन्न प्रयोग से शब्दों के लिए भी हम किसी अर्थ को अन्य शब्द-प्रयोग से व्यक्त करते हैं, वथा अन्धे को खुरास, चमार को रैदास, भंजी को मेहसद, दूरी को खम्बिस, चपरासी को साथी और रसोइया को महाराज कहना, इसी अर्थों के चोटक है।

इसी प्रकार अशुभ या अमंगल बात को दूसरे शब्दों में प्रकट किया जाता है; जैसे चूड़ी फूटना, हाथ खाली होना, गगालाभ करना, स्वर्गवास या गोलोकवास होना, भिड़्डी में जाना, चिराग बढ़ाना और लघुशका या दीर्घशका की बाधा होना।

नम्रता प्रदर्शन से भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, जैसेकि हुजूर ! मैं आप का गुलाम हूँ, मेरे गरीबखाने में तशरीफ़ लाइए, मेरी कुटिया पवित्र कीजिए और मुझे भी दर्शन लाभ दीजिए।

ऐतिहासिक वर्ग में पहला कारण है—समय के प्रवाह में वातावरण में परिवर्तन हो जाना, उदाहरण के लिए ऋग्वेद में 'उष्ट्र' का अर्थ भैंसा था, बाद में उस का अर्थ ऊँट हो गया। इसी प्रकार 'घृणा' का अर्थ पिघलना या दया था, बाद में नफरत हो गया। इसी प्रकार 'देवाना प्रिय' का अर्थ मूर्ख और 'बुद्ध' का अर्थ 'बुद्धिहीन' सामाजिक संघर्ष के परिचायक हैं। वातावरण के परिवर्तन में सांस्कृतिक परिवर्तन विशेष महत्त्व रखता है। युग युगों के परिवर्तन से या पीढ़ी दर पीढ़ी के परिवर्तन से भी अर्थ में परिवर्तन लक्षित होने लगता है, जैसे पत्र शब्द का कागज, चिड़ी, प्रश्नपत्र, समाचारपत्र, आदि। इसी प्रकार तार, पात्र और टिकट शब्द हैं।

किसी एक भाषा का शब्द अन्य भाषा में पहुँच कर बदल जाता है। संस्कृत का 'चाटिका' शब्द हिन्दी में वाड़ी और बगला में घर अर्थ का वाचक है। गुजराती में 'वाड़ी' बगीचा का कहते हैं। संस्कृत का प्रेमवाचक 'राग' शब्द बगला और मराठी में 'कुपित' अर्थ का बोधक है। विभिन्न वृक्ष, पशु-पक्षी और रंगों के अर्थ में भी इसी प्रकार परिवर्तन हो जाता है जैसेकि गुजराती में 'नीलो' का अर्थ हरा है, जो संस्कृत के नील शब्द से विकसित हुआ है। इसी प्रकार संस्कृत में 'कटु' का अर्थ चरपरा और 'तित्त' का अर्थ कड़वा है किन्तु हिन्दी और गुजराती में 'कटु' कड़वा को कहते हैं और 'तित्त' तीखे चरपरे को कहते हैं। अतएव स्वाद के सम्बन्ध में भ्रम होने से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है।^१

अन्य जातियों के सम्पर्क से भी अर्थ में परिवर्तन होने लगता है। विदेशी भाषाओं के शब्दों के आदान प्रदान से होने वाला अर्थ परिवर्तन भी इस के अन्तर्गत कहा जाएगा, जैसेकि फ़ारसी का 'दरिया' शब्द गुजराती में समुद्र अर्थ देने लगा। फ़ारसी का 'मुर्गी' शब्द हिन्दी में मुगा अर्थ का वाचक हो गया। इसी प्रकार अंग्रेजी का 'ग्लास' शीशा या काँच शब्द हिन्दी में 'गिलास' अर्थ का बोधक है।

केवल अन्य भाषाओं के शब्दों को अपनाने से ही नहीं, देशी भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करने पर भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं का परस्पर अध्ययन किया जाए तो वह महत्त्वपूर्ण तथ्यों का प्रकाशन होगा उदाहरण के लिए तमिल भाषा में 'कुडि' का अर्थ घर है, किन्तु पंजाबी में 'कुडि' का अर्थ लड़की है। द्रविड़ और देशीनाममाला की भाषा में 'कोट्ट' का

अर्थ भग्न है, किन्तु संस्कृत में 'परक्रोटा' और हिन्दी में 'क्रिया' अर्थ है। इसी प्रकार संस्कृत का 'भक्त' हिन्दी में 'भात', 'धीर' 'खीर' और 'भद्र' भद्र बन गया है।

भ्रषा के परम्परागत अवशेष भी ऐतिहासिक वर्ग में परिगणित किए जाते हैं। यद्यपि युग प्रवाह में सामाजिक रीति रिवाज और विभिन्न पद्धतियों में आमूल परिवर्तन हो जाता है, किन्तु पुराने शब्द ज्यों के त्यों चलते रहते हैं, जैसे कूर्ण > कुण्ण > कूना, कज्जमान, पुरोहित, ठाकुर, कुँवर, राणा-रानी, बर, इत्यादि।

चौथा बौद्धिक वर्ग है। बौद्धिक कल्पना से सादृश्य के आधार पर नए अर्थों में प्रायः पुराने शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उदाहरण के लिए पहले कलम का खत काटा जाता था, अब बालों का भी खत काटा जाता है। इसी प्रकार पहले 'गोस्वामी' (इन्द्रियों का मालिक) शब्द धार्मिक और सम्मानित व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता था, फिर साधु-सन्तों को भी गोस्वामी, गोसाईं कहने लगे। पतंग के सादृश्य पर सूर्य को भी 'पतंग' कहा गया। एक शब्द के अनेक अर्थ भी सादृश्य के आधार पर प्रवर्तित होते हैं। भेदीकरण के नियम से भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, जैसेकि साहु साधु, भद्र भद्र भला, परीक्षक पारखी, गर्मिणी-गाम्बिन, यन्त्र जन्तर, मन्चन मचना और चिन्तना चेतना, प्रभृति।

प्रयत्न-लाघव से भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जिस प्रकार ध्वनि परिवर्तन के मूल में प्रयत्नलाघव मानसिक श्रम की बचत का परिणाम माना जाता है, उसी प्रकार अर्थ परिवर्तन के मूल में भी यह एक प्रमुख कारण कहा गया है। इस मानसिक आलस्य के कारण ही हम रेलगाड़ी को गाड़ी, पोस्टल स्टाम्प को स्टाम्प, मोटरकार को कार, पानी की टकी को टंकी और रजिस्टर्ड डेटर को रजिस्ट्री कहते हैं।

प्रमाद और अज्ञान के अन्तर्गत कुछ ऐसे कारण हैं, जिन से सहज ही अर्थ-परिवर्तन हो जाता है। इन में से पहला प्रयोग की असावधानी है। असावधानी के कारण ही हम 'लब्धप्रतिष्ठ' के स्थान पर 'लब्धप्रतिष्ठित', 'प्राथित' के स्थान पर 'प्राथनीय', 'सकुल' के स्थान पर 'संकुलित' और 'अज्ञानवश' के स्थान पर 'अज्ञानतावश' लिखते या बोलते हैं।

अन्धविश्वास से भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, जैसेकि क्रियाँ अपने पति का नाम नहीं लेती हैं, इसलिए वे अपर नाम से सम्बोधित करती हैं। कभी कभी इस प्रकार के प्रयोग उस क्षेत्र में बहुत व्यापक हो जाते हैं। मालिक, बरवाली, शीतल, भाता, आदि इसी प्रकार के प्रयोग हैं।

भाषावेश और व्यंग्य से भी अर्थ में तुरन्त परिवर्तन कल्पित होने लगता है। प्यास के आवेश में 'अबे ! बदनशाश', पाजी, शैतान, नालायक, आदि कह बैठते हैं। व्यंग्य में—क्या कहना, तीन हाथ की बुद्धि वाले हो, कहो माई, आजकल तुम्हें घोड़ी नहीं

मिलता, तुम तो पूरे पण्डित हो, आजकल तो दूज के चाँद हो गए हो, ऐसे प्रबोध विपरीत अर्थ में ही प्रयुक्त होते हैं।

व्याकरण से भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उदाहरणार्थ लिंग परिवर्तन से—चक्का चक्की, गाढ़ा गाड़ी, घडा घड़ी, नाड़ा नाड़ी, नाका-नाली, इत्यादि। संस्कृत में 'सार' शब्द पुल्लिंग में श्रेष्ठ अर्थ का और नपुंसक लिंग में तत्त्व अर्थ का वाचक है। स्वर भेद से भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है जैसे नल नाल, दल-दाल, कल काल, खिलना-खेलना, मिलना-मेलना, बुलना घोबना, आदि। आगम से भी अर्थ भेद सम्भव है, क्योंकि एक ही शब्द का अर्थ मान्यताओं की भिन्नता के कारण भिन्न-भिन्न आगम ग्रंथों में विभिन्न अर्थ का वाचक होता है, जैसेकि विधि, कर्म, शक्ति, शील और मुक्ति, इत्यादि। वक्ता और प्रकरणादि से भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता करता है। इसी प्रकार वाक्य प्रकरण से भी अर्थ-परिवर्तन हो जाता है। संस्कृत में एक ही 'प्रकृष्टे' शब्द अलग अलग वाक्यों में भिन्न भिन्न अर्थ रखता है, यथा पर दाया प्रकृष्टे (परस्त्रीगमन करता है), घात प्रकृष्टे (सङ्घ में सौ लगाता है), जनापवाद प्रकृष्टे (निन्दा करता है)। हिन्दी में 'बनाना' के प्रयोग हैं—बह पुस्तक बनाता है, टोकरी बनाता है, घड़ी बनाता है, रुपया बनाता है, बात बनाता है, मचाक बनाता है, राव से शक्कर बनाता है और मानवता की राह बनाता है।

कतिपय स्फुट कारणों से देश या प्रान्त परिवर्तन से अर्थ भेद हो जाता है, जैसेकि उत्तरप्रदेश के 'भैया' बम्बई पहुँच कर सेवक या नौकर 'भइया' हो जाते हैं। इसी प्रकार दक्षिण की भाषाओं का 'पिल्ले' हिन्दी में पिछा हो गया है। स्पेनिश गुरिल्ला शब्द जो युद्ध में बाधा डालने वाले सैनिक के लिए प्रयुक्त होता था, हिन्दी में छापामार का वाचक हो गया। लताओं और बेलों के नाम पर नामकरण करना भी अर्थ-परिवर्तन का एक कारण कहा जा सकता है, जैसे लुइसुइ, रजवती, सुरजमुखी, इत्यादि। उच्चारण की अस्पष्टता से भी अर्थ परिवर्तन सम्भव है, जैसेकि भ्रम से भरम, चक्क से चाक और अमरूद से अमरुद, इसी प्रकार के उदाहरण हैं।

अनुवाद

अनुवाद का अर्थगत विश्लेषण और सन्दर्भगत अर्थ नियमों से अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है, क्योंकि भाषा में अर्थ का सम्बन्ध एक ही प्रकार का नहीं होता, वरन् विभिन्न उच्चार-अर्थों और परस्पर के सांस्कृतिक और मौक्तिक वातावरण से भी उस के अनेक तरह के सम्बन्ध होते हैं। अतएव जब विदेशी भाषाओं को सीखते हैं, तब उमय भाषाओं में बोले जाने वाले उच्चारों और उन के सम्बन्धों पर भी ध्यान रखना पड़ता है। मेलिनोव्स्की के शब्दों में अनुवाद 'सांस्कृतिक सन्दर्भ की एककृतता' (the unification of cultural context) है।¹⁴ देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण करने के लिए अनुवाद का विशेष महत्त्व है। क्योंकि सभी भाषाओं का साहित्य राष्ट्रभाषा में अनूदित हो जाने पर विचारों का आदान प्रदान होगा, जिस से भाषाशास्त्र

एकता स्थापित हो सकेगी। शब्दों के अनुवाद में जब कभी सांस्कृतिक शब्दों का प्रयोग है, तब केवल प्रयोग्य शब्दों का प्रयोग करने से वह सांस्कृतिक अनुवाद नहीं हो सकता। अतएव अनुवाद में उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करना अपने आप में एक कला है। अनुवाद की कला सब से कठिन है, क्योंकि इस की प्रक्रिया दुर्लभ है। यदि अन्य और अनुवाद में किसी एक भाषा के शब्द का अर्थ अस्पष्ट रह जाय तो वह उभय भाषिक शब्दों की नासमझी का परिणाम माना जाता है। यही नहीं, अनुवाद की कई प्रकार की समस्याएँ हैं।

अनुवाद की समस्याओं को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं—अर्थ-बोध की समस्या और संश्लेषण की समस्या। अर्थ-बोध की प्रक्रिया अत्यन्त जटिल है। जब हमें अपनी ही भाषा समझने में कठिनाई होती है, तो अन्य विदेशी भाषा—जिस के सांस्कृतिक परिवेश से हम सदा दूर रहते हैं, उसे बिल्कुल ठीक कैसे समझ सकते हैं? यह एक सिद्धान्त की बात है कि जो किसी रचना का अर्थ भलीभाँति नहीं समझता है, वह उस का अनुवाद नहीं कर सकता। प्रायः अनुवाद करने में यही भूल होती है कि हम समझते हैं कि इस रचना का अर्थ हमारी समझ में आ गया है, किन्तु वास्तव में हम उस का अर्थ ठीक से नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए अनुवाद में अस्पष्टता का बलु का रूपान्तरण भलीभाँति नहीं हो पाता। वस्तुतः वस्तु के रूप में अनुवाद में अर्थ रूपान्तरित होता है। अनुवाद की प्रक्रिया में अर्थ ही वह तत्व है, जो वाक्य रचना में और अनुवाद की मूल रचना में सम्पूर्ण वाक्य में व्याप्त रहता है। मूल कृति में और अनूदित रचना में, दोनों में ही समान अर्थ की व्याप्ति का नाम सफल अनुवाद है। यह अर्थतत्त्व वाच्य और व्यंग्यार्थ का जहाँ ठीक-ठीक बोध कराता है, समझना चाहिए वहाँ अर्थ बोध सम्यक् रूप से होता है। डॉ० वूस्टर ने ठीक ही कहा है कि “अनुवाद का अभिप्राय है किसी एक भाषा की वाक्य रचना के स्थान पर दूसरी भाषा की उसी अर्थ की व्यञ्जक वाक्य रचना की स्थापना।”¹¹ अनुवाद प्रक्रिया का मूल तत्व शब्दों और अवधारणाओं का भाषान्तरण नहीं है, क्योंकि ‘अहिंसा’ शब्द का अनुवाद ‘नॉन वायलेन्स’ कर देने से पूरा भाव-बोध नहीं हो पाता और ‘शील’ तथा ‘अपरिग्रह’ शब्द का तो अनुवाद ही नहीं हो सकता। इन शब्दों के पीछे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, जिसे प्रायः उपेक्षित कर दिया जाता है। शब्दों में केवल वाच्य और व्यञ्जक ही नहीं, सांस्कृतिक अर्थ भी होते हैं। ये सांस्कृतिक अर्थ साहित्यिक रचना के साथ-साथ अन्य रचनाओं में भी व्यंग्यार्थ रूप से निहित रहते हैं। किसी भी कृति में शब्द निरोध एवं निहान्त शब्दार्थहीन नहीं होते। उनका अस्तित्व प्रतीकवाच्यों के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक परिप्रेष्य में माना गया है, जो उन परम्पराओं से सम्बन्धित रहते हैं। सार्कर ने ऐसे कितने ही शब्दों का उल्लेख किया है, जो शब्द और अपारिग्रहिक समझे हैं; किन्तु प्रतीक-सन्दर्भ में अर्थयुक्त हो गए हैं—नास्तिक, शिल्प, लोक, परिग्रह, आश्रम, युद्ध, शीघ्र, निकमिष, अतिरिक्त, अतिरिक्त इत्यादि शब्दों के अर्थ हैं।

उदाहरण के लिए, 'ब्लिट्स' शब्द का प्रस्तुत सन्दर्भ में विशिष्ट अर्थ है। फ्रेडो के अनुसार सामाजिक संरचना में मनुष्य के द्वारा अपने नियत कर्म के सम्पादन का साधन 'ब्लिट्स' है। न्याय शब्द में यह अर्थ कहाँ है? इसी प्रकार 'दमन' का अर्थ 'अप्रेषण' नहीं है। दमन का मूल अर्थ है—शान्त होना, किन्तु अब यह शब्द निरोध का अर्थ में चल पड़ा है। यथार्थ में दमन, तयम और ब्रह्मचर्य, आदि शब्दों के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है और न गढ़ा जा सकता है, क्योंकि सांस्कृतिक परम्पराएँ मिश्र-मिज हैं। इस प्रकार के शब्दों के पीछे एक प्राचीन दीर्घ परम्परा संयुक्त है। अतः अनुवाद करना बहुत टेढ़ी खीर है।

अनुवाद करने में दूसरी सबसे बड़ी समस्या है—किन्हीं दो भाषाओं में शब्द-साम्य देख कर समानार्थी या समानान्तर मान लेना जैसेकि 'बैंक' शब्द का साम्य बन्धक से मान कर उस के लिए 'बन्धक' शब्द निश्चित करना। यह भी कल्पना से अर्थ लगा लेना कि जिस प्रकार भारत में साहुकारी प्रथा के अतर्गत गिरवी रख कर साहुकार लेन देन करते थे, उसी प्रकार बैंक करते हैं, इसलिए इस शब्द का यह अनुवाद उपयुक्त होगा। वास्तव में यह एकपक्षीय विचार है। 'बैंक' शब्द इटालियन भाषा के 'banca' (बक) शब्द से बना है। उस का अर्थ है—बैंच। प्राचीन काल में मिश्र, आदि देश के लोग अपना कारोबार बैंच पर बैठ कर किया करते थे, जो किसी देवाल्य के अहाते में रखी जाती थी। वहीं सब तरह के लेन देन के काम किए जाते थे। अतएव 'बैंक' के लिए 'बन्धक' या 'अधिकोष' शब्द बनाना कहाँ तक उपयुक्त कहा जा सकता है। हाँ, बैंकरूट (Bankrupt) का दिवालिया अर्थ उपयुक्त है, क्योंकि rupt का अभिप्राय है—टूटा हुआ। जिन की बैंक अथात् साल टूट गयी हो, वे व्यापार पुनः कैसे कर सकते हैं? दिवालिया शब्द में यह भाव निहित है। दिवालिया का अर्थ केवल धन का चुक जाना ही नहीं, साल का समाप्त हो जाना भी है।

श्री मेरियो पेह लिखते हैं कि जिन शब्दों के लिए दूसरी भाषाओं में समानार्थी शब्द नहीं हैं, उन शब्दों का प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघ के विवादों में प्रबल तथा प्राथमिक रूप से सामने लाया गया था। रूसी अनुवादक अंग्रेजी शब्द 'ज्युरिस्टिकशान' की टकर का रूसी शब्द न दे सका और अन्त में उसे छह शब्दों के गाल-मोल, वक्रोक्तिपूर्ण या टारलमटोल बात कर सन्तुष्ट होना पड़ा। चीनी अनुवादक को सान क्रौन्सको की समा में एक हज़ार से भी अधिक नए समानार्थक शब्द गढ़ने पड़े थे।¹⁹ यह तो निश्चित है कि अधिकतर गढ़े हुए शब्द किसी न किसी दृष्टि से ठीक नहीं होते हैं और ऐसे शब्दों के शब्दार्थ का विमर्श करते समय यही अध्ययन किया जाता है कि इन में से कौन शब्दार्थ मूल के अधिक निकट है। केवल 'मक्षिका' के स्थान पर 'मक्षिका' रख देना, किसी अनुवाद की सफलता नहीं कही जा सकती। अनुवाद का मुख्य उद्देश्य अर्द्धित भाषा में मूल भाषा का वास्तविक अर्थ-बोध प्रकट करना है। किन्तु यह कह जा चुका है कि मूल भाषा से अनुवाद की भाषा में पूर्णतया शब्दार्थ अर्द्धित

करना सम्भव नहीं है। उस भाषा का केवल मातृभाषी ही किया जा सकता है। इसीलिए अनुवाद की तीव्र-समस्या पूर्णतया अनुवाद की है। पूर्ण अनुवाद वह कह जाया है, जिस में मूल भाषा और बोली दोनों की प्रतिस्वभावा अभिव्यक्ति होती है। परन्तु जो शब्द और रसगतत्व की कमी के कारण पूर्णतया अनुवाद सम्भव नहीं होता, उस केवल भाव और विषय को ही शब्दों में उतारना जाता है। जो किसी वस्तु या भाव को अपने शब्दों में ज्यों का त्यों उतारने में कुशल होगा, वह निश्चय ही सफल अनुवादक होगा।

अनुवाद की चौथी समस्या शब्दानुवाद की है। कभी-कभी मूल भाषा में प्रयुक्त प्रतीकात्मक शब्द को अपनी व्यावहारिक भाषा के शब्द में प्रकट करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में केवल समानार्थी शब्द का ही प्रयोग किया जा सकता है। फिर, अनुवाद विषय-वस्तु और कथन की प्रवृत्ति पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। कहीं-कहीं एक शब्द के कारण ही ऐसी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है कि जब तक उस का आशय स्पष्ट नहीं होता, तब तक पूरा वाक्य बेवृत्त रह जाता है। ऐसे समय शब्द-चयन पर विशेष ध्यान देना होता है, न केवल दूसरी भाषा के शब्द-चयन का, वरन् अपनी भाषा के शब्द-चयन का भी। यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि अनुवाद की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। शब्दार्थ की स्पष्टता और भावों की स्पष्टता बनाए रखने से अनुवाद की बहुत कुछ समस्याएँ अपने आप ही सुलझ जाती हैं।

अनुवाद की अन्य समस्या उस समय उत्पन्न होती है, जब सैद्धांतिक या समीक्षात्मक ग्रन्थ का अनुवाद करना होता है। इस में भाषा विशेष की उच्चस्तरीय साहित्यिक रचनाओं, काव्यशास्त्र, चिंतनपूर्ण व्याख्याओं और शास्त्रीय विषयों का समावेश होता है। इन के अनुवाद विशिष्ट पाठकों के लिए होते हैं। इनका सम्यक् अनुवाद करना सब से कठिन माना जाता है, क्योंकि विषय के ज्ञान के साथ ही पारिभाषिक शब्दावली का पर्याप्त ज्ञान और नए शब्दों की रचना तथा प्रयोग की मनीषीयता दोनों ही अनुवाद के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी होती है। इस प्रकार ऐसे अनुवाद अर्थ-प्रक्रिया के विषय-बोध, अर्थ-सत्त्व और पारिभाषिक अर्थ व्यंजना के तीनों सूत्रों से समन्वित रूप में संश्रित होते हैं।

विभिन्न विषयों के अनुवाद की अपनी-अपनी मूलभूत समस्याएँ हैं। जो विषय सर्वथा नवीन हैं, उन को शब्दावली की आवश्यकता और पुराने शब्दों को नया रूप और नए अर्थ देने की समस्या मुख्य है। प्रत्येक विषय के अनुवाद में केवल वस्तु और भाव का ही स्थानान्तरण नहीं होता, वरन् सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक रूप का भी स्थानान्तरण होता है। केवल अर्थ-अर्थ विषयों की ही नहीं, वरन् साहित्यिक, दार्शनिक और राजनीतिक विषयों की अनुवाद विषयक समस्याएँ

मूल विषय में ही निहित रहती हैं। जिस या जिन स्थितियों के कारण अपने अलग-अलग रूपों में विभिन्न विधाएँ लक्षित होती हैं, उन के मूल गुण या तत्त्व अनुवाद में भी झलकने चाहिए। उदाहरण के लिए, नाटक एक सवादात्मक विधा है। नाटक में विषय-वस्तु, चारित्र्य, भाव और संघर्ष, आदि सभी सवादों के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं, इसलिए पात्रों के अनुरूप संवादों की भाषा का अनुवाद करना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है, क्योंकि भिन्न भिन्न भाषा और भावों से ही पात्र विभिन्न चारित्र्य और वातावरण की सृष्टि करते हैं, जिन में नाटकीय तन्त्र झलकता है। परन्तु अलग-अलग पात्रों की अलग अलग भाषा का अनुवाद कर सकना कठिन है। इस के लिए भाषा की सूक्ष्मता, अभिव्यजनात्मकता और रागतत्व की विशदता के साथ ही मुद्रावरणों की भी प्रचुरता चाहिए, जिस से भाषा में लोच आ सके। इस से भी जटिलतर समस्या बोलियों के अनुवाद की है। आधुनिक नाटक में पात्रगत बर्णनावाद के लिए अथवा चारित्र्य की स्वाभाविकता तथा वातावरण की स्थापना के लिए बहुत से पात्र अपने क्षेत्र या प्रदेश की बोली में कथोपकथन करते हैं। बंगला के नाटकों में इसका बहुत ही प्रचार है, और बहुत से अमरीकी नाटकों में भी स्थानीय बोली का प्रयोग प्रायः होता है।¹⁴ क्या बोलियों के अनुवाद में भी हिन्दी की बोली या बोलियों का प्रयोग किया जा सकता है? संस्कृत व नाटक आधुनिक नाटकों से सर्वथा भिन्न है, इसलिए उन की समस्याएँ भी भिन्न भिन्न हैं। वे सर्वथा भिन्न प्रकार की सांस्कृतिक भाषा तथा बौद्धिक पृष्ठभूमि वाले दर्शकों के लिए रचे गए थे। अनुवादकों को उसके रंग शिल्प और उसकी मौलिक मान्यताओं और रुढ़ियों से परिचय प्राप्त किए बिना उन के अनुवाद में हाथ नहीं लगाना चाहिए।¹⁵ संस्कृत के सभी नाटक अभिनयता की दृष्टि से प्रदशन के लिए रचे गये थे, केवल कविता पाठ की भौति पठन-पाठन के लिए निबद्ध नहीं किए गए थे।

उपन्यास के अनुवाद की समस्याएँ नाटक से कुछ भिन्न हैं। उस में देश, काल और वातावरण की प्रधानता होती है। सकलनत्रय के माध्यम से ही उपन्यास में सामाजिक व्यवस्था का चित्रण किया जाता है। अतएव अनुवाद करते समय केवल भाषागत भाव का ही नहीं, समाज व्यवस्था का भी स्थानान्तरण होता है। काव्य रचना के अनुवाद की समस्या इस से भी जटिल होती है, क्योंकि उसमें कवि की मानसिक प्रक्रिया का ही रूपान्तरण अनुवाद के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। कथा और वार्त्ताओं में स्थानीय रंग रूपों की मुख्यता होती है, इस प्रकार भिन्न-भिन्न विधाओं के मूल में उस के गुण अन्तर्हित रहते हैं। उनका प्रकाशन करना ही सफल अनुवाद का लक्ष्य होता है।

सरल शब्दों में अनुवाद का सम्बन्ध विचारों के ताने-बानों के साथ ही उस मानसिक प्रक्रिया से भी सम्बद्ध है, जिस में मूल रचना स्फुटित हुई है और जिसे समझने के लिए उस स्थिति से गुजरना पड़ता है, जिस स्थिति में मूल रचनाकार ने

उसे कल्प दिया था। साहित्यिक रचनाओं के सम्बन्ध में यह प्रक्रिया पूर्वजन्म कल्पिता ही होती है। जो अनुवादक इस प्रक्रिया से सुन्दर सकता है, उसे अनुवाद करने में सफल होती है।

अनुवाद का दूसरा वर्ग है—संप्रेषण की समस्या। इस के अन्तर्गत पहली खण्डिका है—अभिचारित यन्त्र की भाँति पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करना। पारिभाषिक शब्दकोश के अनुसार अमुक शब्द के लिए अमुक शब्द रख देने से ही संप्रेषण की क्रिया संचालित नहीं हो जाती, क्योंकि केवल पारिभाषिक शब्दों से ही संप्रेषण नहीं होता। संप्रेषण की प्रक्रिया शरीर में प्राणों की प्रतिष्ठा करने की भाँति है। अर्थबोध की संप्रेषणीयता विभिन्न शब्दवर्गों, वाक्य विन्यास, व्याकरणिक रचना-पद्धति और ध्वनिश्रेणियों के विविध सयोगों और सम्मिश्र में निहित रहती है। ध्वनि और अर्थत्व की परस्पर सम्बद्धता ही अर्थबोध की जनक है। भाषा के अभिव्यक्ति पक्ष से इस का विशेष सम्बन्ध है। अतएव रचना के प्रत्येक अंग में संप्रेषणीयता समाहित रहती है। इस संप्रेषणीयता के अभाव में अनुवाद करना असम्भव हो जाता है।

भाषा की अभिव्यक्ति पक्ष की अनेक समस्याएँ व्याकरणिक रचना के साथ सम्बन्ध रखती हैं। इसलिए अनुवाद की कठिनाइयाँ तब उत्पन्न होती हैं, जब शब्दों की सभी जटिल अभिव्यक्तियों का भाषिक रूपों के बाहर के सन्दर्भ में और वाक्य विन्यास में तथा उसी प्रकार से वाक्य की अपनी प्रमानुकूलतानुसार अनुवाद के साधन के चयन में निर्धारण एवं परस्पर मूल्यांकन किया जाता है। अपने व्यावहारिक रूप में यह विकल्प बना ही रहता है कि शब्दश मूलार्थ और साहित्यिक अर्थ इन दोनों में से किसे ग्रहण किया जाए। जहाँ पर अनुवाद में मूल के सन्निकट अथवा समीकृत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ उन का दूसरा पक्ष भी है कि वे शैलीगत अप्रभावोत्पादकता और अनौचित्य के कारण मूल से पृथक् पड़ जाते हैं। इस प्रकार की कठिनाई विशेष रूप से साहित्यिक रचनाओं के अनुवाद करते समय उत्पन्न होती है। इस में वे सभी भाषिक स्तर अन्तर्हित होते हैं—जैतेकि वाक्यों के व्याकरणिक रूप और शब्दों के ध्वन्यात्मक रूप तथा शैली की दृष्टि से वाक्यगत साहित्यिक रूप। अन्य विषयों के अनुवाद से भी अधिक कठिन कविता का अनुवाद करना होता है, क्योंकि उस में मूल रचना की सभी अभिव्यक्त्यात्मक स्थितियों तक पहुँचना सम्भव नहीं है। इस प्रकार काव्यानुवाद की समस्याएँ और भी गम्भीर तथा कठिन होती हैं। यद्यपि ये, अनुवाद में भाषा और शैली अत्यन्त महत्वपूर्ण तत्व हैं। वे ही वे तत्व हैं, जिन से अनुवाद मूल से भी अधिक प्रभावोत्पादक और सुन्दर प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए, हिन्दी में महाकवि काकिकास के 'मेषकूत' के कई अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं, जिन में राजा रामानुजप्रसाद सिंह और आचार्य केदारप्रसाद सिंह से लेकर डॉ० बाबुदेवशरण अग्रवाल तक के हिन्दी अनुवाद हैं। भाषा और शैली

की मिस्रता के कारण इन सभी अनुवादों में भेद मिलेगा। परन्तु तुलनात्मक दृष्टि से हिन्दी पद्यानुवाद में आचार्य केशवप्रसाद मिश्र का और गद्य में डॉ० वासुदेवप्रसाद मिश्र का अनुवाद श्रेष्ठ प्रतीत होता है। इस का मुख्य कारण भाषा तथा शैलीगत अभिव्यञ्जना है। यह हमारे अनुभव की बात है कि शब्दश किया जाने वाला अनुवाद अच्छा नहीं होता। फिर, भावात्मक अनुभूति की कठिनाई तो केवल सादृश्यमूलक व्यञ्जना की अभिव्यक्ति से ही दूर की जा सकती है। वैज्ञानिक प्रियोदोर खार्बरी ने भाषा-शैली की महत्ता इन शब्दों में स्वीकार की है—'अनुवादविषयक उन सब मान्यताओं को विज्ञान-विषयों के अनुवाद में भी बिना सकोच के क्यों की त्यों स्वीकार कर लेनी चाहिए, जिन में कहा गया है कि अनुवाद में मूल रचना की सी सहजता रहनी चाहिए, जिस से यह पता न चले कि किस भाषा से अनुवाद किया गया है और मूल तथा अनुवाद की तुलना में इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलना चाहिए कि कौन सी कृति मूल है और कौन सा अनुवाद।' साहित्यिक कृतियों का अनुवाद तो साहित्यिक भाषा में किया ही जाना चाहिए, किन्तु अन्य विषयों के अनुवाद में सरलता, स्पष्टता और सरसता का बराबर ध्यान रखना चाहिए, जिससे अनुवाद सफल और अभिव्यक्त सिद्ध हो सक।

अनुवादविषयक भूलें

हिन्दी में अन्य भाषाओं के अनुवाद से सम्बन्धित कई प्रकार की भूलें परिलक्षित होती हैं, यहाँ पर वाक्यों तथा वाक्यांशों की भूलों का विवेचन करना सम्भव नहीं है, केवल शब्दविषयक कतिपय भूलों का उल्लेख किया जा रहा है। हिन्दी में आजकल बहुत शोधनिबन्ध तथा प्रबंध प्रकाशित हो रहे हैं। इन सभी में सन्दर्भ निर्देश की आवृत्ति व लिए 'वही' शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो लैटिन शब्द 'आइबिडेम' के सक्षिप्त रूप 'इबिड' का शब्दार्थ है। अंग्रेजी शब्दकोशों में 'Ibid' का अर्थ 'उसी स्थान पर' (In the same place) मिलता है। अतएव हिन्दी में इसका अनुवाद 'वही' (उसी में या उसी स्थान पर) होना चाहिए 'वही' लिखना अशुद्ध है।

इसी प्रकार संस्कृत में 'वेद' शब्द का अर्थ ज्ञान है। किन्तु अनुवाद करते समय उस का अर्थ 'ज्ञान' करना उचित न होगा। वेद का भाव बताने के लिए 'वेद' (ज्ञान) कोष्ठक में लिखा जा सकता है। वेद शब्द बहुवचन है। वेद चार हैं। उन में से एक यजुर्वेद भी है। यजुर्वेद के दो भेद हैं—कृष्णयजुर्वेद और शुक्ल-यजुर्वेद। किसी अंग्रेजी लेखक ने कृष्णयजुर्वेद का शब्दश अनुवाद 'Black yajurveda' कर दिया। उस पुस्तक का जब हिन्दी में अनुवाद किया गया, तो अनुवादक ने उस शब्द का अनुवाद 'श्याम यजुर्वेद' कर दिया, जबकि कृष्णयजुर्वेद करना चाहिए था, क्योंकि श्याम नाम का कोई यजुर्वेद नहीं है। अतः सांस्कृतिक

परमार्थ से अभिव्यक्ति होने के कारण उस से वह मूल शब्द में ही हो गई। इसी प्रकार कुछ ऐतिहासिक और वैज्ञानिक प्रयोगों की जानकारी न होने से तथा सांस्कृतिक परम्परा की अनिश्चितता से शब्दों का अनुवाद करना असम्भव हो जाता है। अतएव ऐसे शब्दों और पदों को ज्यों का त्यों दे देना अधिक उपयुक्त होगा।

संक्षेप में, अनुवाद में शब्दों के माध्यम से अर्थगत अभिव्यक्तता को स्पष्ट किया जाता है। इसलिए इस बात की आवश्यकता ही नहीं, अनिवार्य भी है कि जिन शब्दों की शब्दान्तरों में स्थानान्तरित किया जाता है, उन के साथ स्थानान्तरित अर्थ-व्यक्तता ज्यों की त्यों अभिव्यक्त हो रही है अथवा नहीं। वास्तव में अनुवाद की सभी संश्लेषण-क्रियाएँ जितनी भाषा और उस के अभिव्यक्तता पक्ष से सम्बन्धित हैं, उस से कहीं अधिक मूल रचना के भाव और विषय-वस्तु से सम्बद्ध हैं। इस के अतिरिक्त मूल रचनाएँ जिन-जिन विषयों की हैं, उन उन विषयों के व्यावहारिक, वैज्ञानिक और प्रायोगिक, आदि अनुभवों का ज्ञान विशेष रूप से अनुवाद के लिए अपेक्षित है। इस प्रकार अनुवाद एक कला होने के साथ ही महती साधना है। जो ज्ञान और चिन्तन में डूब कर इसे सम्पादित करता है, वही सफल अनुवाद कर सकता है।

अर्थ और शैली

भाषिक संरचना में अर्थ शैलीगत वह रूप है, जिस में शब्दों के संयोजन और प्रस्तार में अर्थवत्ता अभिव्यक्त की जाती है। शैली रचना या वस्तु विन्यास नहीं है। रचना का सीधा-सादा अर्थ उपयुक्त शब्द-विन्यास है। केवल शब्दों का ही नहीं, वाक्यों और अनुच्छेदों का भी विन्यास इस प्रकार किया जाता है कि एक क्रम में ठीक अर्थ-बोध होता है। यह शैली का एक तत्व माना जाता है। हब्सन के अनुसार मोटे तौर पर शैली का निर्माण बौद्धिकता, भावुकता और सौन्दर्य इन तीन तत्वों से होता है।¹⁰ बौद्धिकता का सम्बन्ध लेखन-कला से है। लेखन-कला में शब्दों का औचित्यपूर्ण सन्निवेश, शब्द विन्यासगत चान्य में अर्थ की स्पष्टता, शब्दों का जल्प प्रयोग और विचार तथा अभिव्यक्ति की पूर्ण अन्विति रहती है। भावुकता तत्त्व का सम्बन्ध विचारों के स्पष्टतया प्रस्तुतीकरण से है। जिस लेखन में लेखक केवल अपने भावों को ही नहीं भरता है, बल्कि अपने प्रभाव को उत्पन्न करने वाली मानसिक दशा को भी अभिव्यक्त कर देता है, वास्तव में वह एक कला है। सौन्दर्य तत्व से शैली में कलात्मक मजबूती आती है, जो दूरन्त ही समीक्षात्मकता और चिन्तात्मकता का आनन्द प्रदान करती है। ये तीनों तत्व परस्पर संयुक्त हो कर जिस रूप को उत्पन्न करते हैं, उसे शैली कहा जाता है।¹¹ शैली एक मौखिक कला भी है। इसलिए जो कहना आवश्यक है, यदि उसे ठीक से कहा जाए तो उस में शैलीगत विशेषता किसी न किसी रूप में प्रकट हो सकती है। भावुक की शैली उस के व्यक्तित्व और चरित्र से बनना आवश्यक है। यह उसी प्रकार से व्यक्तित्व है, जैसेकि शोक-याक। इन सभी परिणितों को मिलाकर

शैली का अर्थ है (Style is the man) । शैली में मनुष्य की प्रतिभा निहित रहती है ; अतएव जहाँ कहीं शैली है, वहाँ मनुष्य है । यह प्रतिभा बौद्धिक या अर्थगत शैली है, इसलिए अर्थ और शैली का वही सम्बन्ध है, जो बुद्धि और मानसिक प्रक्रिया का है, जिसके उत्तेजित होने पर ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं और शब्दगत रूप ग्रहण करती हैं । वास्तव में अर्थ और शैली एक दूसरे से सयुक्त और सूक्ष्म रूप हैं, जिन्हें पृथक् नहीं किया जा सकता । यही कारण है कि रचना में अर्थगत शैली और शैलीगत अर्थ की व्यंग्यता अनिवार्य रूप से निहित रहती है । शैली अर्थ को प्रकट करती है और अर्थ में शैली का अमूर्त रूप विद्यमान रहता है । उदाहरण के लिए, कविता की निम्नलिखित पक्तियाँ हैं

जिन में डूबी डूबी दिखती

ध्यानमग्न तस्वीर बोधितरु के नीचे की ।

(गिरिजाकुमार माथुर नाश और निमाण)

इस में शैलीगत अर्थ के कारण महात्मा बुद्ध का प्रतीक बोधितरु के माध्यम से एक चित्रात्मक रूप में अभिव्यक्त हो रहा है ।

शैली का सम्बन्ध एक ओर वस्तु रूप से है और दूसरी ओर अर्थ से । वस्तु रूप के अन्तर्गत वाक्य विन्यास का विचार किया जाता है और अर्थ में भाव-पक्ष निहित रहता है । अभिव्यक्ति के उद्देश्य से जिस पद्धति में शब्द विन्यास किया जाता है, उसे ही सामान्य रूप से शैली कहा जाता है । यद्यपि शैली सदा बाह्य-वस्तु है, किन्तु उसे केवल बाह्य ही नहीं समझना चाहिए, जैसाकि डी क्वेन्सी ने कहा है कि वह विचारों की मूर्तिक अवतारणा है और जैसाकि बेन ज्ञानसन ने कहा है कि सभी भाषण में शब्द और अर्थ शरीर और आत्मा की भाँति हैं ।¹² शैली वस्तु रूप को मूर्तिमान् करती है और अर्थ उसे अभिव्यक्ति प्रदान करता है । इस प्रकार अर्थ और शैली का सम्बन्ध अभिन्न है । शैली में वस्तु रीति ग्रहण करती है और अर्थ से प्रकाशित होती है । शैली यदि वस्तु की देह है तो अर्थ उसका प्राण है । दोनों के संयोग से ही भाषा अपने रूप को अभिव्यक्त करती है ।

शैलीतत्त्व

हिन्दी में 'शैली' शब्द अंग्रेजी के 'स्टाइल' (Style) शब्द का समानार्थी माना जाता है, जिस का उद्भव लेटिन 'स्टिलस' (Stulus) से कहा जाता है, जो प्राचीन काल में उस यज्ञ का वाचक था, जिस से मांस लगी हुई पटिया पर लिखा जाता था ।¹³ आधुनिक युग में यह सामान्य रूप से भाषा में भावों की अभिव्यक्ति के ढंग का वाचक है । भारतीय काव्यशास्त्र में इस का समानार्थी शब्द 'रीति' कहा जा सकता है । 'रीति' शब्द केवल अलंकारशास्त्र की पद्धति का ही नहीं, बल्कि सौन्दर्यबोध का भी अर्थ प्रदान करता है । अस्तु ने स्पष्टता, शुद्धता, औचित्य, और उदात्तता के

साथ आत्मकारिकता को भी शैली का विशेष गुण माना है। होरेस, सिस्रो और औचित्य की निष्पत्तियों की समानता आ० वाग्म के रीति-सिद्धान्त में परिकल्पित होती है। आकाश में रीति विषयक भारतीय मान्यता आ० खेमेन्द्र के औचित्य और कुन्तक के श्लोकिक सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में समझे बिना पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सकती। इन तीनों ही मान्यताओं में वस्तुपरक विवेचन एवं दृष्टिकोण परिलक्षित होता है। किन्तु पाश्चात्य साहित्य में अब शैली की व्याख्या आत्मपरक दृष्टिकोण से की जाने लगी है। बास्टर पेटर ने इसे आन्तरिक स्वप्नों को स्थान देने वाली उत्कृष्ट कला की संज्ञा से अभिहित किया है, तो स्टेन्डल (Stendhal) ने इस के माध्यम से विचारों का प्रभावोत्पादक बनाने की दृष्टि से बाह्य परिस्थितियों के ऐसे समग्र नियोजन की चर्चा की है, जो उसे इस विशिष्टता से अभिहित करने में समर्थ हो। 'बफन' (Buffon) ने शैली को ही व्यक्तित्व मान लिया, तो 'शापेनहावर' (Schopenhauer) ने इसे मस्तिष्क की 'बाह्य आकृति' की संज्ञा से अभिहित किया है। न्युमेन (Newman) ने इसे भाषा के माध्यम से सोचने की प्रक्रिया के रूप में व्यक्त किया है। इस प्रकार विवेचन से रीति का सम्बन्ध स्थापित करना उपयुक्त है।¹³ अतएव रीति शब्द सामान्य रूप से ही शैली का समानार्थक हो सकता है।

शैली के अन्तर्गत मुख्य रूप से शब्द चयन का विचार किया जाता है। सभी रीति और पद्धतियों के बीच जब लेखक के सामने चयन करने का प्रश्न उत्पन्न होता है, तो यह उसका विकल्प होता है कि वह वाक्यविन्यासात्मक रचना और कोशगत तत्त्वों का चयन करे, जो शैली तत्त्व के विषय हैं।¹⁴ शैली विज्ञान एक अधुनातन विषय है। इस के अन्तर्गत साहित्यिक भाषा का विश्लेषण शैलीगत तत्त्वों के आधार पर किया जाता है। इस में आल्फारिक और वाक्यविन्यासात्मक साँच्चों एवं उन सभी रीतियों का अध्ययन किया जाता है, जिन का अभिव्यजनात्मक मूल्य होता है।¹⁵ काव्यालोचन के विभिन्न दृष्टिकोण हैं। काव्य रूप के अध्ययन करने का उद्देश्य भी दुहरा होता है। प्रथम काव्य के ध्वनि-रूप का अध्ययन किया जाता है, जो कि रुढ़ या पारम्परिक होता है। दूसरे, यह व्याख्या की जाती है कि उन का यह रूप क्यों है। भाषा के लिखित तथा मूर्त रूप में सौन्दर्यात्मक औचित्य का भी अध्ययन किया जाता है। काव्य के अनुशीलन करने की अधुनातन पद्धति के अनुसार स्थूल रूप से चार वर्ग माने जाते हैं¹⁶—(१) शास्त्रीय, (२) सगीतात्मक, (३) शरीरप्रक्रियात्मक और (४) भाषातात्त्विक। शास्त्रीय पद्धति अपने परिवेश में एक ओर शक्ति, भाविक तथा संवात्मक छन्दों से अन्वित रहती है और दूसरी ओर काव्यशास्त्र के नियमों से अनुपबन्धित। यह पद्धति आज भी सभी प्रकार के काव्य-रूपों के लिए प्रचलित है। संगीतात्मक पद्धति इस कल्पना पर आधारित है कि सभी काव्यों की कव्य समवायिक होती है; किन्तु संगीत में आक्षरों की माप की शान्दता सर्वदा एक जैसी ही होती है। यह किसी विशिष्ट काव्य-विधा के लिए लागू नहीं होती। शरीरप्रक्रियात्मक पद्धति में अपने

सर्वोच्च रूप में वह माना जाता है कि पठित काव्य के परिष्कारस्वरूप जो वायु-तरंगों उत्पन्न होती हैं, उन से ही काव्य की परिचिति होती है। यह पदार्थगत होने की सम्बन्ध सभी पद्धतियों में सर्वाधिक व्यक्तित्व है, क्योंकि इन दो कारणों से वायु-तरंगों एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती हैं। प्रथम, एक व्यक्ति की स्वरतन्त्री दूसरे व्यक्ति से भिन्न देखी जाती है और दूसरे, शारीरिक रचना एक मनुष्य से दूसरे की भिन्न होती है। इसी प्रकार सभी व्यक्तियों की मनोदशाएँ भी भिन्न होती हैं। अतएव कविता की परिभाषा में यह कहा गया है कि वह वायु-तरंगों की श्रेणी न हो कर ध्वनि-रूपों (Sound forms) की श्रेणी है।¹⁴ अधुनातन भाषावैज्ञानिक पद्धति एक सांख्यिकीय पद्धति है। इस में उन भाषातात्विक रूपों का अन्तर निर्दिष्ट किया जाता है, जो कि सौन्दर्य के अनुरूप तथा उन से भिन्न हैं किन्तु सौन्दर्य की दृष्टि से सापेक्षिक अनुवृत्ति (frequency) रूप वाले होते हैं।¹⁵ अर्वाचीन समीक्षा ने काव्य के इतर अंगों की तुलना में भाषा विषयक चिन्तन को अधिक प्रमुखता दी है। इस विषय पर आइ० ए० रिचर्ड्स, जे० सी० रेन्सम और टी० एस० इलियट के विचार महत्वपूर्ण हैं। 'काव्यत्व शब्दार्थ नहीं है, किन्तु उन से अनुबद्ध अनुभूतियों और वृत्तियों का सम्पूर्ण रूप है।' रिचर्ड्स की इस मान्यता में काव्यालोचन में अर्थ को केन्द्रीय स्थान प्रदान किया गया है। उन्होंने प्रयोग की दृष्टि से भाषा के दो भेद माने हैं—तथ्यात्मक (referential) और रगात्मक (emotive)। इस रगात्मकता की भिन्नता के कारण ही शैलीगत वैविध्य परिलक्षित होता है। इलियट ने 'अनुभूतियों' और 'सवैगों' को काव्य का केन्द्रबिन्दु माना है। इन सभी त्रैचिन्त्रियों के कारण काव्य एक सूक्ष्म पदार्थ माना जाता है और उस की अथवत्ता के सम्बन्ध से ही उस की शैलीगत भिन्नताओं की चर्चा की जाती है। भाषा में शैली का विभिन्न दृष्टियों से अध्ययन किया जाता है। सेवक ने मुरय रूप से शैलीगत अध्ययन के चार रूपों का उल्लेख किया है¹⁶—शैली का व्याकरणात्मक रूप, ध्वन्यात्मक, छन्दस और भाषातात्विक रूप।

एडवर्ड गिबन (Edward Gibbon) ने उचित ही कहा है कि शैली में लेखक के विचारों की प्रतिभा होनी चाहिए, किन्तु इसके साथ ही भाषा पर अधिकार होना भी अपेक्षित है, क्योंकि इसमें विचारों को क्रमबद्ध रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। जिस प्रकार कवि शब्द के प्रयोग के सम्बन्ध में सजग रहता है, उसी प्रकार पाठक भी पढ़ते समय सावधान रहता है। शैलीतत्त्व का सम्बन्ध अभिव्यक्तनात्मक तत्त्व से है। इस का अध्ययन ध्वनिप्राप्तीय स्तर पर किया जाता है, जो सघटनात्मक भाषाशास्त्र का विषय है। अर्थतत्त्व की भाँति शैलीतत्त्व का सम्बन्ध केवल अभिव्यक्तना से ही न हो कर चिन्तन की पद्धति से भी है। वस्तुरूप में वह वर्णात्मक लय तथा छन्दों से और कल्पना एवं बिम्बों से आकृति ग्रहण करती है। भाषिक अध्ययन में उस के दो विभाग किए गए हैं¹⁷ भाषातात्विक सघटकों का अध्ययन और छन्दस संरचना का

अभिव्यक्तः। फिर, आध्यात्मिक संघर्ष के भी दो खेद किए गए हैं : कल्प के अभिव्यक्ति-आत्मक संघर्ष तथा वाक्य-विन्यास। कल्प के उद्देश्य से एक आधाक में उच्चरित आकर मूल रूप में दो वर्गों में व्यवस्थित किए जाते हैं—तीन में भी—उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसी प्रकार विविध छान्दस स्तरों पर शब्द, वाक्य-रेखाओं में, श्लोकों में और पद्यों में विन्यस्त किए जाते हैं। उन की स्थिति निमित्त करने की दृष्टि से रेखाएँ दो प्रकार की होती हैं—सम-अक्षरगतक और सम-व्यत्यात्मक। शैली की यह विशेषता कही जाती है कि वह वैषम्य और वैविध्य के बीच भी स्थिर बनी रहती है। वास्तव में वही शैली की उपयोगिता है कि हम जो लिखना चाहते हैं, सरलता से बारी लिख सकते हैं तथा जो लिखते हैं, वही पढ़ते हैं वा समझते हैं।

व्यवस्था में, शैली रूपात्मक अभिव्यजना है। अनुभूति की मूर्त संवेदना को 'रूप' कहा जाता है। इस रूप की अभिव्यजना ही शैली में परिकल्पित होती है। शैली के द्वारा ही साहित्यिक संरचना की पहचान कर उस का समीक्षात्मक अध्ययन किया जाता है। साहित्यिक-समालोचक और भाषावैज्ञानिक दोनों ही किसी रचना के मूल तक पहुँचने के लिए उस की भाषा का सर्वप्रथम अध्ययन करते हैं। प्रत्येक रचना के मूल में दो बातें अनिवार्य रूप से पाई जाती हैं—ढाँचा (Design) और सौन्दर्यबोध (Aesthetic sense)। भाषा के माध्यम से इन की अभिव्यक्ति कैसी होती है, इसी का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन तीन स्तरों पर किया जाता है—(१) व्याकरण, (२) शब्दकोश, और (३) ध्वनि प्रक्रिया। इन तीनों ही स्तरों से भाषा का अभिव्यजनात्मक रूप अभिव्यक्त होता है। यह कला-सृजन की सम्पूर्ण प्रक्रिया से अनुविद्ध रहता है। इस में मुख्य रूप से कलाकृति का मौलिक मूर्त रूप प्रकट होता है। इस के सृजन में भाव-तत्त्व प्रधान रूप से वस्तु-रूप में निहित रहता है। नया शैली, नया रीति और नया बक्रोकि सभी का आधार कल्पना है। साहित्यिक संरचना में कल्पना-तत्त्व तिल में तेल और दूध में घी की भाँति परिव्याप्त रहता है। शैलीविज्ञान हमें भाषा की उस स्थिति तक ले जाता है, जहाँ मानव प्रतिभा की संरचना, कल्पना, भाषा का फैलाव और उसका प्रभाव, आदि सज्जित रहते हैं। शैलीतत्त्व के अन्तर्गत इन्हीं सब का अध्ययन किया जाता है।

अर्थात्चीन समीक्षा ने काव्य के अन्य अंगों की अपेक्षा भाषा सम्बन्धी अध्ययन पर विशेष बल दिया है। क्योंकि संरचना के प्रत्येक स्तर पर भाषा मूर्त और अमूर्त दोनों ही स्तरों से संशुक्त रहती है। इसलिए नव्य मय में काव्य का काव्यत्व शब्दार्थ में नहीं, उस से सम्बद्ध अनुभूतियों और वृत्तियों में कल्पित होता है। इस सम्बन्ध में आइ० ए० रिचर्ड्स, जे० वी० रेंसम और इत्यादिक इंग्लैंड के विचार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। इनके 'द न्यू क्रिटिसिज्म एंड द लैंग्वेज ऑफ़ पोएट्री' में काव्यीका के अर्थ का समीक्षात्मक रेंसम ने रिचर्ड्स के दृष्ट मय पर विशेष प्रकट किया है कि काव्य की भाषा वैज्ञानिक रूप से आपत्तिहीन होती है। जॉन कोबरेन्स ने यह मय अस्त

किया है कि काव्य में अर्थ और छन्द के बीच एक सम्बन्ध रहता है, किन्तु काव्य की भाषा सामान्य भाषा से भिन्न नहीं है। काव्य की भाषा के माध्यम से ही काव्य तक पहुँचा जा सकता है।

प्राचीनों में आचार्य वामन से ले कर आ० दण्डी और आनन्दवर्धन तक काव्य-संरचना पर भलीभाँति विचार किया गया। आ० वामन 'रीति' कह कर जिस काव्यात्मक सघटना का विशद विवेचन करते हैं, उसी का 'रसवदलङ्कार' के रूप में आ० दण्डी और आनन्दवर्धन ने तथा बक्रोक्ति के रूप में आ० कुन्तक ने प्रतिपादन किया है। केवल विषय प्रतिपादन की रीति की भिन्नता है। आ० आनन्दवर्धन ने काव्य-संरचना का विचार करते हुए तीन मुख्य बिंदुओं की चर्चा की है। ये हैं (१) कविमानस, (२) काव्य-रचना, और (३) सद्दय की संवेदना। साहित्यिक संरचना के समय कवि प्रतिभा जिस काव्य रूप के निमाण में निरत थी, उस का सम्यक् अध्ययन करना ही वास्तविक समीक्षा है। टी० एस० इलियट ने इसे ही वस्तुमूलक प्रतिरूपता (objective correlative) कहा है। काव्य-संरचना से जो प्रभाव प्रतिफलित होता है, उसे ही काव्य-रचना कहा जाता है। काव्य रचना के अनुकूल ही सद्दय का अनुभव संवेदनशील होता है। अतएव अवाचीन और प्राचीन दोनों प्रकार की समीक्षाओं में उक्त तीनों बातें सश्लेष रूप में निहित रहती हैं। इन तीनों के ही संयुक्त रूप को आ० वामन ने एक सामान्य शब्द 'रीति' नाम से अभिहित किया है। साहित्य में लेखक की अनुभूतियाँ कलात्मक रूप में अभिव्यजित की जाती हैं। उस में रागात्मक तत्त्व सामान्य भाषा की अपेक्षा अधिक गहन एवं सश्लेष लक्षित होता है। शैलीतत्त्व के माध्यम से हम वक्ता या लेखक की उस मन स्थिति तक पहुँचने में समर्थ होते हैं। हॉकेट ने ठीक ही कहा है कि किसी भाषा के जब दो उच्चारण लगभग समान संवेदाय के सूचक होते हैं किन्तु जो भाषिक संरचना में भिन्न होते हैं, तब यह कहा जाता है कि वे शैली में भिन्न हैं।^{१८} वस्तुतः भाषिक चयन, भाषिक पद्धति एवं संहिता के आनुपातिक सम्बन्धों में शैली का संयोजन होता है। एन्कविस्ट का कथन है कि शैली रचनागत प्रक्रिया का वह समुच्चय समानुपात है, जो कि ध्वन्यात्मक, व्याकरणिक तथा कोशीय रूपों और व्यावहारिक रूपों के मध्य सन्दर्भात्मक मानक से सम्बद्ध परिलक्षित होते हैं।^{१९} इस प्रकार शैलीतत्त्व एक अभिव्यजनात्मक रूप है, जो वस्तुगत रूप को अभिव्यक्त करता है और जिसे क्रोचे ने कला का रूप माना है। अभिव्यजना और कला दोनों में ही रूप की प्रधानता है। हमारी संवेदनाएँ वस्तु या सामग्री का काय करती हैं, किन्तु अभिव्यजना से रूप का जनन होता है।^{२०} काव्यशास्त्र में ध्वनिसिद्धान्त के रूप में अभिव्यजना एक ऐसी शक्ति मानी गई है, जो लेखक और पाठक के बीच एक सामान्य भाव भूमि पर अनुभूतियों एवं संवेदनाओं के सम्प्रेषण का कार्य सम्पादित करती है, जिसे साधारणीकरण कहते हैं। साधारणीकरण के माध्यम से ही पाठक संवेदना को प्राप्त

होता है। दूसरे शब्दों में, भाषा के माध्यम से जब पाठक या श्रोता किसी लेखक की रचना से तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित कर लेता है—उसे पढ़ कर या सुन कर उस में समझी हो जाता है और उस भाव-दशा में पहुँच जाता है, जिस भाव-दशा को प्रकट करने के लिए लेखक या बक्ता ने भाषा का प्रयोग किया है, तब उस प्रक्रिया को साधारणीकरण कहा जाता है। चार्ल्स आसगुड इसी बात को प्रकारान्तर से कहते हैं : रचना-प्रक्रिय में शैली-मानकों से वैयक्तिक अतिक्रमणों के रूप में परिभाषित की गई है, जिस से लेखक या बक्ता भाषा की संहिता का प्रयोग करता है। ये अतिक्रमण उन लघटनात्मक रूपों के साहित्यकी गुणों के कारण होते हैं, जिन का अस्तित्व किन्हीं रूपों में अपनी संहिता से चयन करना होता है।^{१५} ये अतिक्रमण कई प्रकार के हो सकते हैं—व्यक्तिमूलक, परिस्थितिमूलक और भावमूलक, आदि, किन्तु काव्य में केवल व्यक्तिमूलक अतिक्रमण किया जाता है क्योंकि इस के बिना साधारणीकरण स्थापित नहीं होता। इसी बात को अधिक स्पष्टता के साथ यों कहा जा सकता है कि साहित्यकार निर्धारित भाषात्मक रूपों का समुचित अतिक्रमण करता है, भाषा को नए रूप में ढालता है, सँवारता है और नई संरचना प्रदान करता है, उस में नए शब्दों का निमाण करता है, नए परिवर्तन लाता है तथा उसे व्यापक आवाम में समेटता है। यही उसका अभिव्यजनात्मक व्यवहार (Expressive behaviour) है, जो शैली का प्रमुख लक्षण है।^{१६} आ० कुन्तक ने सामान्य भाषा से काव्य की भाषा और काव्य की भाषा से शास्त्र की भाषा को भिन्न कहा है। इन में जो भिन्नता उत्पन्न करने वाला तत्त्व है, उसे बक्रता और जो उक्ति है, उसे बक्रोक्ति कहा गया है। बक्रोक्ति को ही विचित्रोक्ति भी कहा गया है। शब्द और अर्थ का वैचित्र्य चमत्कारजन्य कहा गया है। यह चमत्कार काव्य-रचना में परिष्कृत रहता है। अतएव भाषिक संरचना में नाद, ध्वनि, लय, शब्द, पद और वाक्य, आदि का विचार किया जाता है। काव्यगत अनुभूतियाँ विम्बों में अभिव्यजित होती हैं। इसलिये व्याकरणिक अध्ययन से काव्यगत सौन्दर्य या कला की परख नहीं की जा सकती। काव्यकला का प्रतिफल तिर्यक् रूप में होता है, जिसे श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सकता। इसे ही काव्यशास्त्र की भाषा में बक्रतावाद कहा गया है। व्यवहार में भी 'यह सामने दूँट खड़ा है' यह कहने की अपेक्षा 'यह नीरस तरु सम्मुख शोभायमान हो रहा है' कहने में एक विशेष चमत्कारजन्य शैली का बोध होता है। इसी प्रकार यह कहने के बजाय कि 'आप का नाम क्या है' यह कहना कि 'कौन से पुण्यशास्त्री अक्षर आप के नाम की सेवा करते हैं' चमत्कारजनित है। इसे ही ध्यान में रख कर आचार्य कुन्तक ने सुकुमार, विचित्र और मध्यम, ये तीन प्रकार के अपने युग के व्यावहारिक मार्ग प्रामे हैं।^{१७} काव्य-रचना के ये तीन मार्ग (भाषा, प्रयोग, शैली) कहे गए हैं। द्वैतविशेष की शक्ति तथा ब्रह्म के आधार पर अलग-अलग आचार्यों ने भिन्न भिन्न शब्दों में विभिन्न काव्य-रचना की रीतियों का वर्णन किया है। आचार्य आनन्दचर्य ने संस्कृत काव्य-संघटना का विचार सप्रस के आधार पर किया है। संस्कृत एक

समासप्रधान भाषा है। उस की मुख्य विशेषता समासनिष्ठ होना है। अतएव संस्कृत से काव्य-संघटना के भेद समास की अल्पता, मध्यमता, प्रचुरता, रसनिर्देश और साहित्य के साधारण पर किए गए हैं। संस्कृत में कथा मय में तथा प्राकृत, अपभ्रंश, आदि भाषाओं में पद्य में कहने का विधान रहा है। वस्तुतः यह शैली का विषय रहा है। 'ध्वन्यालोक' में आ० आनन्दवर्धन ने काव्य संघटना का विचार करते हुए शैलीगत भेद (पर्यायवाच) से परिकथा, खण्डकथा, सकलकथा और उपकथा, आदि का विवेचन किया है। काव्यवाच के ये भेद प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य में ही मिलते हैं। इस प्रकार प्राचीनों के द्वारा भी काव्य-संघटना का अनुशीलन भाषागत शैली के सन्दर्भ में किया गया है।

प० अ० बरानिकोव ने 'आधुनिक हिन्दी में शैली पर्याय' नामक निबन्ध में ई० प० चेल्लिखेव का उल्लेख करते हुए कहा है कि आधुनिक हिन्दी भाषा को छह शैलियों में विभक्त किया जा सकता है (१) विशुद्ध हिन्दी, (२) संस्कृतबहुल हिन्दी, (३) चल्ती हुई साधारण हिन्दी, (४) ठेठ हिन्दी (तन्त्रव शब्दों का प्राधान्य), (५) उर्दू मिश्रित हिन्दी, और (६) विशुद्ध उर्दू (जिस में कतिपय विशेषणों, परसगों एवं सरल क्रियाओं के अतिरिक्त शब्दावली एवं साहित्यिक शैली अरबी फारसी की होती है)। युग युगों की परिवर्तनशीलता की भाँति भाषा और शैली में भी परिवर्तन होता रहता है। भाषा और शैली का भी अपना जीवन और आदर्श होता है। खड़ी बोली और उस के इतिहास के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि खड़ी बोली और साहित्यिक हिन्दी की शैली में क्या अन्तर है।

शैली और शैलीतत्त्व को समझ लेने के बाद प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या भाषा की साधुता का नाम शैली है? ठीक भाषा और शैली में क्या अन्तर है? क्या सम्बन्ध वाक्य विन्यास शैली नहीं कहा जा सकता? प्रयोग करने वाला बोलियों के किन् प्रचलित रूपों का प्रयोग करता है, वे सब ठीक होते हैं। भाषाशास्त्र की दृष्टि में किसी भी प्रकार के ग्रामीण, क्षेत्रीय या बोलीगत प्रयोग असाधु या असंगत नहीं होते। हिल महोदय का कथन उचित ही है कि—साधुता (correctness) कहना कोई तर्क नहीं है, क्योंकि व्यापक रूप से सभी भाषाएँ अतार्किक हैं। साधुता के मूल में कोई सौन्दर्य नहीं है, जो वस्तु रूपों में निहित हो। इसलिए यदि किसी बोली में 'अ' और 'ब' दो रूप प्रयुक्त होते हों तो यह कहना असम्भव है कि एक ठीक है और दूसरा ठीक नहीं है। हाँ, यह कहा जा सकता है कि इस सन्दर्भ और स्थिति में 'ब' की अपेक्षा 'अ' ठीक है। किन्तु इन दोनों से भिन्न एक तीसरी स्थिति भी हो सकती है, जिस में शैलीगत भिन्नता का कोई कारण लक्षित न हो। अतएव साधुता का विचार व्याकरण करता है, किन्तु शैली का सम्बन्ध साहित्यिक सौन्दर्य से होता है। उदाहरण के लिए

अबला जीवन ! हाथ तुम्हारी यही कहानी।

राम । तुम्हारा इस स्वप्न ही काम्य है ।

'अपवर्ण', 'दार्प' और 'दृष्ट' शब्दों के प्रयोग से जो अभिव्यंजना व्यक्त हो रही है, वह पर्यायवाची शब्दों से प्रकट नहीं हो सकती । इस प्रकार के लयीक और सार्थक शब्दों से ही सौन्दर्य अभिव्यंजित होता है । यद्यपि विक्रियम स्कून्क ने लैडी के तन्त्रों की कर्षा करते हुए प्रयोगों के सामान्य नियमों का उल्लेख किया है और रचना के प्रारम्भिक नियमों एवं लैडी विषयक इकीस बातों पर ध्यान देने का निर्देश किया है^{१०}, किन्तु मुख्य रूप से वह विषय भाषा के अभिव्यक्ति पक्ष से सम्बद्ध है, इसलिए अभिव्यक्ति की स्पष्टता, साक्षरता, सहजता और विन्मात्मकता जितनी व्यंजक तथा स्वीत होगी, लैडी उतनी ही अच्छी मानी जाएगी ।

कल्पना

कल्पना शब्द का अर्थ 'रचना' है । साहित्यशास्त्र में सामान्य रूप से मौलिक उद्भाषना को कल्पना कहा जाता है । आइ० ए० रिचर्ड्स ने कल्पना को रूपान्तरण की क्रिया माना है ।^{११} वह एक प्रकार की मानसिक प्रवृत्ति है, जो ढाँचा निर्माण करती है । कोल्ब्रिज ने कल्पना को मौलिक रचना के रूप में स्वीकार किया है और सांगीतिक आनन्द प्रदान करना कल्पना की देन मानी है ।^{१२} कल्पना के द्वारा ही लेखक या बक्ता किसी शब्द का प्रयोग करता है । इस सन्दर्भ में शब्द विचार और अर्थ की स्वच्छालित इकाई कहा जाता है । क्योंकि शब्द पढ़ते ही कोई न कोई विषयगत चित्र हमारी आँखों के सामने आ जाता है । यह चित्र या बिम्ब विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशिष्ट क्रिया आदि का होता है, सामान्य का नहीं । इसे ही हम वृत्त शब्दों में यह कह सकते हैं कि कल्पना का कार्य किसी विशिष्ट मानसिक स्थिति का निर्माण करना है, जिस की रचना बिम्बों के माध्यम से अभिव्यंजित होती है । अतएव कल्पना का कार्य बिम्ब निर्माण करना, अमूर्त को मूर्तिक रूप प्रदान करना है । इसे बिम्ब-रचना का पूर्वरूप भी कहा जा सकता है, जिस में स्मृतियों को जगाने का मुख्य कार्य कल्पना करती है । वास्तव में बिम्ब का मुख्य आधार कल्पना ही है । कल्पना से ही समस्त सृष्टि की रचना हुई ! प्रत्येक रचना के मूक में कोई न कोई कल्पना अवश्य ही निहित रहती है । मौलिक जगत् के वैज्ञानिक अनुसन्धानों एवं आविष्कारों का स्रजपात कल्पना से हुआ है । साहित्य की सृष्टि विना कल्पना के असम्भव ही है । कित लेखक की कल्पना-शक्ति जितनी उर्वर और स्वीत होगी, उस की रचना उतनी ही स्फूर्ति एवं आनन्ददायक होगी । इस प्रकार साहित्य में कल्पना एक मूक वस्तु या प्रयुक्त बिम्ब के रूप में लक्षित होता है ।

कल्पना के कई स्तर माने गए हैं । आदिस बिम्बों के निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए आधुनिक सलीसक राविन स्केटन ने उन के विकास के तीन स्तर माने हैं—कल्पित कल्पना (fancy), कल्पना (imagination) और परमणी

कल्पना (Vision) । पहला स्तर प्रत्यक्ष और भौतिक अनुभव का स्तर है, जो कवि के मन में बाह्य यथाथ के आभास के रूप में प्रतिबिम्बित होता है । इन मानसिक प्रतिबिम्बों की व्याख्या सामान्य अनुभव के धरातल पर की जा सकती है । वे प्राथमिक बिम्ब बौद्धिक धारणाओं से भिन्न नहीं होते । परन्तु जब कवि-प्रतिभा इन प्राथमिक बिम्बों का पुनर्निर्माण करती है, तो वे अधिक व्यवस्थित और परिष्कृत हो कर विकास-प्रक्रिया की दूसरी स्थिति में पहुँच जाते हैं, जिसे विशुद्ध कल्पना का स्तर माना गया है । इन कल्पनात्मक बिम्बों की व्याख्या प्राथमिक बिम्बों के आधार पर ही की जा सकती है यथाथ स्थितियों के आधार पर नहीं, क्योंकि कविता कल्पना को उद्बुद्ध करती है । कहा भी है कि कल्पना और अनुभूति से उत्पन्न विचारों को मधुर शब्दों में अभिव्यक्त करने की कला कविता है ।¹⁴ कविता में बिम्बों का निर्माण कल्पना के द्वारा होता है । ललित कल्पना (fancy) मस्तिष्क की वह शक्ति है, जिसके द्वारा वह अतीत के बिम्बों और प्रभावा को जगाती है, प्रस्तुत करती है या प्रकट करने के हेतु उत्पन्न करती है ।¹⁵ व्यापक अर्थ में कविता कल्पना का क्रिया-कलाप कही गई है । कोलरिज ने प्रतिभावान (genius) और बौद्धिक (talent) का अन्तर निदिष्ट करते हुए बताया है कि प्रतिभावान कल्पना के समान है, जो रचनात्मक होता है और बौद्धिक ललित कल्पना (fancy) की भाँति है, जो केवल सायौगिक है । प्रतिभावान जन्मजात होता है और बौद्धिक उपलब्धि है । कवि जन्मजात प्रतिभासम्पन्न होता है, वह बनाया नहीं जाता ।¹⁶ कहा जाता है कि स्पेन्सर (Spenser) की कविता में कल्पना दशाओं के अन्तर्गत ललित कल्पना (fancy) प्रयुक्त हुई है । उन की रचनाओं में कल्पनात्मक ललित्य (imaginative fancy) है, किन्तु कल्पना नहीं है ।¹⁷ ललित कल्पना (fancy) के सम्बन्ध में वास्तविक रूप से वर्ड्सवर्थ और कोलरिज के विचारों में कोई अंतर नहीं है । यद्यपि कोलरिज ने ललित कल्पना को परिभाषित करते हुए कल्पना का भी क्रियात्मक योग उस में माना है, किन्तु वे ललित कल्पना को रचनात्मक शक्ति के रूप में नहीं मानते ।¹⁸ वह केवल वस्तुओं का तथा दृश्यों का चयन करती है । कल्पना की भाँति वह उन्हें आकृति प्रदान नहीं करती । वह चिन्तन की मौलिक सामग्री है, जो विभिन्न सयोगों के रूप में प्रकट होती है । एक कविता में वे ही तत्त्व व्याप्त होते हैं, जो कि किसी गद्य रचना में लक्षित होते हैं । उन दोनों में अन्तर केवल सयोग का होता है । वर्ड्सवर्थ की दृष्टि में ललित कल्पना रचनात्मक शक्ति है, किन्तु वास्तव में वह यादृच्छिक रूप से दूरवर्ती वस्तुओं का आकलन कर उन्हें एकरूपता प्रदान करती है । नए सयोग में भी ललित कल्पना अपरिवर्तित रहती है । इस प्रकार कोलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों के विचार समान हैं । दोनों के अनुसार ललित कल्पना और कल्पना में अन्तर यह है कि एक सायौगिक है और दूसरी एकरूपात्मकता की शक्ति । यह कह सकते हैं कि इन दोनों में वही अन्तर है, जो मिश्रण और यौगिक की उत्पत्ति में परिलक्षित होता है ।

मिथ्या की शक्ति कल्पना में मूल गुण ज्यों के त्यों बने रहते हैं, किन्तु कल्पना की उत्पत्ति में वे नई वस्तु में परस्पर मिलीन, विस्तृत, और भ्रष्ट हो जाते हैं। शेक्सपियर और मिल्टन की कविता की महत्ता का प्रमुख गुण कल्पना है।^{१५} यथार्थ में, ललित कल्पना स्मृति-शक्ति (mode of memory) से भिन्न नहीं है, जो काल और अन्तरिक्ष की व्यवस्था से निर्मुक्त है।^{१६} स्मृति किसी नवीनता का सर्वज्ञ नहीं कर सकती, किन्तु कवि की कल्पना पूर्ण रूप से भाषा और मानस प्रतिमा के रूप में प्रकट होती है। साहित्यिक रचना का पूर्ण व्यापार कल्पना का कार्य है। चिन्तन और रचना में कल्पना का ही कार्य लक्षित होता है। कल्पना म सकलित अनुभवों की आवृत्ति होती है। काव्य में जैसे कि द्रव्य का रूपान्तरण 'शैली' है, वैसे ही सकलित अनुभवों का संयोजन 'कल्पना' है।

कल्पना की रचना-प्रक्रिया

कोलरिज ने कल्पना के दो भिन्न स्तरों का उल्लेख किया है। उन का कथन है कि कल्पना या तो मौलिक होती है अथवा अपरागत। मौलिक कल्पना (primary imagination) उस सजीव शक्ति और मानवीय अनुभवों की प्रधान साधिका है, जो परिमित मस्तिष्क में अनन्त आत्मा के नित्य रचना-कार्य की एक आवृत्ति के समान है। अपरागत कल्पना (secondary imagination) को मैं पूरा कल्पना का ही प्रतिबिम्बित रूप मानता हूँ।^{१७} प्रत्येक साहित्यिक रचना का कोई न कोई रूप होता है। वस्तु और रूप एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। काव्यगत प्रतिमा का शरीर सुन्दर अर्थ है, ललित कल्पना उस का परिवेश है, भाव ही उस का जीवन है और कल्पना उस की आत्मा है, जो सभी रूपों में सब ओर लक्षित होती है।^{१८} वास्तव में, कल्पना से हमारा अभिप्राय कोलरिज के द्वारा उल्लिखित उस अपरागत कल्पना से है, जो मानव चेतना की शक्ति के रूप में प्रयुक्त होती है और जो मौलिक कल्पना से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं होती। वह नए सत्त्वों के अर्थ प्रक्षिप्त करती है और रचती है। व्यापक अर्थ में अपरागत कल्पना काव्य विषयक क्रिया कलाप है।^{१९} कल्पना रचनागत कार्य में एकरूपता प्रस्थापित करती है। इसे कल्पना शक्ति भी कहा गया है।

कविता का सत्य जात उद्देश्य आनन्द प्रदान करना है, न कि सत्य को प्रकट करना है। काव्यगत आनन्द उस के गुणों में निहित रहता है। कविता यदि वास्तव में कविता है तो उस को वह गुण कल्पना प्रदान करती है, जो उस की रचना-प्रक्रिया में अन्तर्हित रहता है। एक आदर्श कवि अपनी कविता को रचते समय उच्च प्रकार की कल्पना एवं अभिव्यञ्जना का उपयोग करता है। कल्पना के द्वारा ही वह वस्तु को वह रूप प्रदान करता है, जिसे हम ढाँचा (design) कहते हैं। किसी भी वस्तु को रूप देने के लिए कल्पित कल्पना (fancy) स्मृतियों और अनुभवों की सतही सच्चा निर्माण करती है, जबकि कल्पना (imagination) अपना रूप स्वयं रचती है और उत्पन्न करती है। कल्पना की क्रिया की तुलना ऐच्छिय या वैयक्तिक बुद्धि और उसके रूपों से की जा सकती है, जो ऐच्छिय रूपों को विकसित करने के लिए 'आवृत्ति प्रणय करती

और रूपान्तरण की शक्ति' है, जोकि ललित कल्पना की 'आकलित और संयुक्त शक्ति' की विरोधिनी है। कल्पना ही कवि को ढाँचा प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। कोलरिज ने कविता-संरचना की अपेक्षा इस का विवेचन प्रकृति तथा कल्पना के कार्य के सन्दर्भ में किया है।^{१५}

काव्य में अनुभूतियाँ व्यञ्जित की जाती हैं। कवि के मस्तिष्क में जिन अनुभूतियों का सकलन होता है, वह उन पर नियन्त्रण करता है, उन्हें कोई न कोई रूप प्रदान करता है, किन्तु वह उन के स्वरूप को नहीं बदल सकता। प्रत्येक अनुभूति जीवन के कार्य व्यापार से सम्बद्ध होती है। वह उसी रूप में प्रकट होती है, जिस रूप में जगत् में घटित होती है। सप्ताह में हम जिन वस्तुओं के सम्पर्क, स्थितियों के संयोग और विभिन्न दशाओं की घटनाओं के सान्निध्य में आते हैं, वे ही स्मृति के रूप में कल्पना को जगाते हैं। अतएव कल्पना की रचना प्रक्रिया जीवन और जगत् की सामान्य अनुभूतियों से सम्बद्ध है। जय वह विशिष्ट अनुभूतियों को प्राप्त होती है, तब विम्बों का निमाण करती है, क्योंकि उस के बिना भाव रस-दशा को प्राप्त नहीं होते। कल्पना का यह कार्य अन्तर्दृष्टि या पश्यन्ती कल्पना की सहायता से होता है। हर्बर्ट रीड (Herbert Read) का यह कथन उचित ही है कि सभी प्रकार की कला का जन्म प्रतिभा या पश्यन्ती कल्पना की क्रिया से होता है। पश्यन्ती कल्पना (Vision) में वे दोनों शीतिषाँ सम्मिलित हैं, जिन में वस्तुएँ कवि के अर्थों से टकराती हैं और जो तदनन्तर अपने मस्तिष्क में प्रभावों को क्रमबद्ध करती हैं। इलियट की कविता में पश्यन्ती कल्पना निश्चित रूप से अनुभूति के अर्थ के साथ प्रारम्भ होती है, जो तुरन्त ही मानसिक विम्बों में विस्तृत हो जाती है। सम्भवतः इस के लिए सर्वोत्तम शब्द 'जागृति' या विशेषण 'जागरूक' है। ये दोनों ही शब्द उन की कविता में प्रमुखता से प्रयुक्त हुए हैं।^{१६} कल्पना शक्ति असीम है। उच्च स्तर के काव्य में वह विभिन्न अलंकारों तथा विम्बों को जन्म देता है।

बिम्ब और प्रतीक

प्लेटो का यह कथन कितना सटीक है कि कला जीवन का बिम्ब है, और विषय वस्तु का बिम्ब शैली है। प्लेटो की दृष्टि में बिम्ब का प्रथम अर्थ छाया है और दूसरा अर्थ जल में या घनी बुनी हुई स्वच्छ सतह पर प्रतिबिम्बित होने वाली वस्तु का बिम्ब है। किन्तु इस प्रकार के बिम्बों का अपना कोई जीवन नहीं होता। वे मौलिक यथार्थता से भिन्न होते हैं।^{१७} बिम्ब मस्तिष्क की आँखा से देखा जाने वाला रूप है। इसलिए लेखक और पाठक दोनों के ही मन में यह बात विद्यमान रहती है कि कविता में वर्णित वस्तु चित्र के रूप में हमारे सामने आनी चाहिए। वास्तव में, कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है। ज्यो-ज्यों हमारे जीवन में और सम्बद्ध समस्याओं में परिवर्तन होता जाता है, त्यों नित नवीन बिम्ब उत्पन्न होते रहते हैं। बिम्ब एक प्रकार से हमारे जीवन का चित्रात्मक रूप है। इस सन्दर्भ में टी० ई० ब्लूम

का कथन उचित ही है कि कविता केवल विनिमय की भाषा नहीं है, किन्तु एक वास्तविक पदार्थ भी है।" विम्ब मूल और कर्मल दोनों प्रकार के हो सकते हैं, किन्तु काव्य-विम्ब वास्तविक एवं मूर्त होते हैं। अद्यपि वे प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने नहीं आते, किन्तु कल्पना उन्हें जो रूप प्रदान करती है, वह वास्तविक प्रतिविम्ब की भाँति विम्ब रूप में मानसिक आँसों के सामने उद्बुद्ध होते हैं। इन विम्बों को जगाने में कल्पना के साथ ही नए शब्दों और अर्थों का योग रहता है। डॉ० नगेन्द्र के शब्दों में "कवि को अपनी समृद्ध भावना तथा कल्पना के द्वारा इन विम्बों को फिर से उभासना पड़ता है या शब्दों को नए विम्बों से गर्भित करना पड़ता है। यही भाषा का भाव-कल्पनात्मक प्रयोग है। संस्कृत साहित्य शास्त्र की रक्षणा और व्यंजना इसी कल्पनात्मक प्रयोग के माध्यम उपकरण हैं। सामान्य विम्ब से काव्य विम्ब में यह भेद होता है कि १ इसका निर्माण सक्रिय या सर्जनात्मक कल्पना से होता है, और २ इसके मूल में राग की प्रेरणा अनिवार्यत रहती है। इस प्रकार काव्य विम्ब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस-छवि है, जिस के मूल में भाव की प्रेरणा रहती है।" काव्य विम्ब के सम्बन्ध में जो परिभाषाएँ मिलती हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं—

- (क) विम्ब एक प्रकार का शब्द चित्र है।
- (ख) विम्ब वस्तुओं के आन्तरिक सादृश्य का प्रत्यक्षीकरण है।
- (ग) विम्ब ऐन्द्रिय माध्यम के द्वारा आध्यात्मिक अथवा तार्किक सत्तों तक पहुँचने का एक मार्ग है।
- (घ) विम्ब एक अपूर्व विचार अथवा 'भावना' की पुनर्रचना है।
- (ङ) विम्ब दो विरोधी संवेदनाओं अथवा अनुभूतियों का आन्तरिक तनाव है।
- (च) विम्ब कोई पदार्थ नहीं है, किन्तु पदार्थ की प्रतिकृति अथवा प्रतिच्छवि है।
- (छ) किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप की पुनर्रचना या अनुकृति का नाम विम्ब है।
- (ज) विम्ब अनुभूयमान या दृश्यात्मक प्रस्तुतीकरण है।
- (झ) विम्ब प्रतीकों के माध्यम से विचारों और उद्देश्यों को कलात्मक रूप में अभिव्यक्त करने वाला कला कौशल है।
- (ञ) विम्ब एक ऐसा शब्द है जो कि ऐन्द्रिय भावानुभूतियों को जाग्रत करता है। वस्तुतः सादृश्य विधान के जितने रूप हो सकते हैं, वै सभी विम्ब कहे जा सकते हैं। कविता अनुभूतियों का विम्बात्मक रूप है। सामान्यतः विम्ब के दो रूप कहे गए हैं—वस्तुगत और भावगत। विम्बों को प्रत्यक्ष और परोक्ष अनुभवों से सम्बद्ध वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रत्यक्ष अनुभवों से सिद्ध विम्बों का सम्बन्ध पाँचों इन्द्रियों से है। परोक्ष अनुभव से सम्बद्ध विम्ब के भेद हैं—

१. अनुविम्ब, २. प्रत्यक्ष-विम्ब, ३. स्मृति-विम्ब, ४. कल्पना-विम्ब, ५. स्वप्न-विम्ब, ६. सपना-विम्ब, ७. मिथ्याप्रत्यक्ष-विम्ब-आदि।

संक्षेप में, विम्ब एक विज्ञ, शब्द या प्रत्यक्ष (Concept) का मानसिक रेखा-चित्र है।

दूसरे शब्दों में, उसे चित्रात्मक प्रत्यय भी कह सकते हैं। बिम्ब का मुख्य कार्य है—कोई न कोई चित्र खड़ा कर देना। ये बिम्ब दृश्य, वस्तु, क्रिया और भाव की भिन्नता से कई प्रकार के हो सकते हैं। अलग-अलग सन्दर्भों में विविध बिम्बों का उल्लेख मिलता है। सामान्य रूप से बिम्ब के निम्नलिखित भेद माने जा सकते हैं —

- १ दृश्यात्मक बिम्ब (visual image),
- २ श्रौत बिम्ब (auditory image),
- ३ नाद बिम्ब (sound image),
- ४ वस्तु बिम्ब (object image),
- ५ मिश्रित बिम्ब (synthetic image),
- ६ गतिशील बिम्ब (motor image),
- ७ ठोस या मूर्त बिम्ब (concrete image),
- ८ धारणाओं का सायोगिक बिम्ब (syncretic image) ।

आदिम लोगो की भाषा बिम्बा और प्रतीका से अत्यन्त समृद्ध थी। स्टोर्च (Storch) के अनुसार आदिम विचार धारा में भ्रमूत प्रत्यया की अपेक्षा ठोस या मूर्त बिम्बों का व्यवहार प्रचलित था, जो उन का विशेष लक्षण माना जाता था।^{१२} बाइबिल में कहा गया है कि इश्वर ने मनुष्य का अपने बिम्ब (मानसिक चित्र) के अनुरूप बनाया।^{१३} कविता मानव मन की प्राथमिक प्रक्रिया कही गई है। मनुष्य शाश्वत नियमों को रचने के पहले काल्पनिक निचारों को रचता है। इसी प्रकार पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करने के पूर्व वह रूपों का प्रयोग करता है।^{१४} सभी प्रकार के काव्य का विषय परिवर्तित होता रहता है, किन्तु बिम्ब सदा बना रहता है। प्रत्येक कविता अपने आप में एक बिम्ब है। काव्यगत विधाओं के प्रयोग चलते रहते हैं। एक विधा आती है, दूसरी विधा जाती है, शब्द वियोग बदलता है, छन्दोविधान परिवर्तित होते हैं, यहाँ तक कि प्रारम्भिक विषय-वस्तु तक बदल जाती है, किन्तु काव्य के जीवन सिद्धांत की भाँति रूप-रूप कवि के यश काय के रूप में सदा वर्तमान रहते हैं।^{१५} बिम्ब में अनुभूति, भाव, आवेग और ऐंद्रियता प्रमुख तत्त्व के रूप में निहित रहते हैं। सिसिल डे लुईस ने बिम्बों का विवेचन करते हुए उन के निम्नांकित गुणों का मान्यता दी है, जो किञ्चित् परिवर्तन के साथ यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं^{१६} —

- १ भावनाओं को उच्चजित करने की शक्ति (evocativeness),
- २ भाव को तीव्रता के साथ प्रस्तुत करने की सामर्थ्य (intensity),
- ३ अभिव्यक्ति की नवीनता (novelty) एवं ताजगी (freshness),
- ४ परिपक्वता (familiarity),
- ५ उर्वरता (fertility),
- ६ औचित्य (congruity) ।

इस प्रकार बिम्ब वस्तु, भाव, अनुभूति या क्रिया के आधार पर उत्पन्न होने वाला मानसिक चित्र है। काव्य में मुख्य रूप से सचेदना, अमूर्त भावों को मूर्तता और अमूर्त-स्पर्शी तथा गूढ़ रहस्यों को अभिव्यक्त करना बिम्ब का मुख्य कार्य माना जाता है।

यह पहले ही कहा जा चुका है कि भाव एक प्रतीकात्मक पद्वति है। प्रकवर्द्ध सेवीर ने इसे चाण्डूच बिम्ब के नाम से अभिहित किया है। प्रत्येक शिल्प की अपनी भाषा की सृष्टि अपने आप करनी पड़ती है। वह अपनी भाषा का विकास शब्दचिह्नों के संकलन से करता है। ज्यों ज्यों बालक को सामान्य से विशेष का ज्ञान होता जाता है, त्यों-त्यों वह सामान्य की विशेषता बताने के लिए विशिष्ट वस्तुओं एवं रूपों का प्रयोग करने लगता है। किसी भाव, वस्तु, रूप, गुण, और क्रिया का उत्कर्ष दिखाने के लिए हमारे कथन के जितने ढंग हो सकते हैं, वे सब अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के मूल में सादृश्य या विशिष्टता को बताने वाला कोई न कोई वस्तु-रूप, क्रिया, या गुण अवश्य बिम्ब के रूप में निहित रहता है। साहित्यशास्त्र में इसे उपमान कहा जाता है। प्रत्येक उपमान का कोई न कोई बिम्ब अवश्य होता है। उपमान के सादृश्य से ही उपमेय के विशिष्ट सौन्दर्य की अनुभूति होती है। अतएव काव्यगत सौन्दर्य की अनुभूति कराने में उपमान एक विशिष्ट साधन है, जो बिम्ब के रूप में वस्तुगत धर्म का व्यञ्जक चित्र मूर्त रूप में प्रस्तुत करता है, और उपमान-उपमेय के सादृश्य को व्यक्त करता है। जब उपमान किसी वस्तु के लिए रूढ हो जाता है, तब प्रतीक कहलाता है। काव्य में हस, घट, मानस, वीणा, नाग, दीपक, शलभ, चाँदनी, उषा, आदि शब्द किसी सन्दर्भ विशेष में विशिष्ट अर्थ में रूढ हो जाने के कारण प्रतीक बन गए हैं। कभी कभी एक ही प्रतीकायक शब्द दूसरे प्रतीक का भी व्यञ्जक बन जाता है। वास्तव में, प्रतीक किसी न किसी सन्दर्भ से सयुक्त रहते हैं, और सन्दर्भगत रहने पर ही वे विशिष्ट अर्थ के अभिव्यञ्जक होते हैं। बिम्ब के साथ किसी सन्दर्भ का सयोग होना आवश्यक नहीं रहता। बिम्ब स्वर अपनी परिस्थिति और वातावरण की व्यञ्जना करता है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का कथन अत्यन्त स्पष्ट है कि काव्य में अथ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिम्ब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह बिम्ब ग्रहण निर्दिष्ट, गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है।^{१५} आ० शुक्लजी ने बिम्ब को विशिष्ट ही माना है, सामान्य नहीं। वास्तव में मूर्ति निर्माण और बिम्ब-रचना का कार्य समान है। दोनों ही विशिष्ट और मूर्त होते हैं, जो कल्पना की आँखों से ही मलीभौति निरखे तथा परखे जा सकते हैं। किस प्रकार से कल्पना का अन्तिम सम्पन्न कार्य मौलिक उद्भावना है, उसी प्रकार बिम्ब का महत्त्वपूर्ण सम्पन्न कार्य जानी-पहचानी मूर्त खड़ी करना है। जीवन के सभी क्षेत्रों में गणित, मनोविज्ञान, पुराणशास्त्र, ज्योतिष, कला, वास्तु और दर्शनशास्त्र, आदि में प्रतीकों का व्यवहार व्यापक रूप से होता है। किन्तु सभी विषयों में प्रयुक्त होने वाले प्रतीक और उन का रूप भिन्न भिन्न होता है। सभी प्रतीक रूढ़, परम्परागत और सांकेतिक होते हैं। नई वस्तुओं के निर्माण और आविष्कार होने पर नवीन प्रतीकों के आने का मार्ग खुल जाता है। इन प्रतीकों के बिम्ब-निर्माण और सम्पन्न विषयों का सांख्यिक ज्ञान नहीं होता।

बिम्ब-निर्माण की प्रक्रिया

बिम्ब-रचना पूर्वगत एक मानसिक प्रक्रिया है। मन में वस्तु-भाव के प्रतिबिम्ब मिलने

परिष्कृत, स्पष्ट और संश्लिष्ट होंगे, बिम्ब उतने ही अधिक स्फूर्त और व्यञ्जक होंगे। मन की स्थिति जैसी कार्यशील और कल्पना-सम्पन्न होगी, बिम्ब भी उसी प्रकार निर्मित होंगे। कभी-कभी स्तब्धित, विकीर्ण, व्यस्त या धसम्बद्ध बिम्ब इसलिए परिलक्षित होते हैं कि कल्पना किन्हीं अनुभूतियों में उलझ कर अनुभूत वृत्तियों को ठीक से रंग-रूप नहीं दे पाती। ऐसे बिम्बों में अस्पष्टता अवश्य लक्षित होती है। किन्तु जहाँ कवि या लेखक की अनुभूति स्पष्ट रूप से किसी शब्द चित्र का आकलन करती है, वहाँ बिम्ब स्पष्ट रूप में ही अनुभूयमान होता है, उदाहरण के लिए अपभ्रंश के महाकवि स्वयम्भू श्रीमाला का वर्णन करते हुए कहते हैं —

“वह पुर को प्रकाशित करने वाली उस दीपशिखा की भाँति है, जो अग्रिम भाग को प्रकाशित करती हुई पीछे अधकार को छोड़ कर आगे बढ़ जाती है।” कवि ने यहाँ पर गत्यात्मक सौन्दर्य (dynamic beauty) को बिम्ब के रूप में चित्रित किया है।

डॉ० नेगेट्र ने काव्यगत बिम्ब रचना के तीन सोपानों का निर्देश किया है —

१ अनुभूतियों का निवैयक्तिकरण—सर्वप्रथम कवि अनुभूति से सम्बद्ध मूल परिस्थितियों—पदार्थों और व्यक्तियों—की स्मृत के आधार पर, आत्म याह्य उपकरणों के प्रयोग तथा अपर पदार्थों अथवा व्यक्तियों पर अनुभूति के आरोपण द्वारा, प्रसंग विधान या विभावानुभाव-योजना करता है, और इस प्रकार आत्मनिष्ठ अनुभूति को वस्तुनिष्ठ रूप प्रदान करता है।

२ साधारणीकरण—इस के बाद प्रसंग विधान व अगभूत ‘विशेष’ से सामान्य, सहृदय-सवेद्य धमा का उभारता हुआ प्रमुख तत्वा का साद्रीकरण करता है।

३ शब्दार्थ के माध्यम से अभिव्यक्त—अन्त में लक्षणा के प्रयोग के द्वारा रूप रेखाओं में रंग भर कर और अप्रस्तुत विधान की सहायता से कलेवर को समृद्ध करता हुआ बिम्ब को पूर्णता प्रदान करता है।

यथाथ में, बिम्ब अनुभूति के साथ पूणत संश्लिष्ट रहता है। काव्यगत बिम्ब मानसिक बिम्ब का प्रतिबिम्ब कहा जा सकता है। अनुभूति से मानसिक चित्र या बिम्ब का और मानसिक बिम्ब से काव्य बिम्ब का निमाण होता है। अनुभूति चेतन अवचेतन मन और इन्द्रियों के विषयों से सम्पृक्त होकर अमूर्त से मूर्त रूप ग्रहण करती है। अनुभूति व मूर्तिक रूप में परिणमन होने की रचनात्मक प्रक्रिया को ही बिम्ब निमाण की प्रक्रिया कहा जाता है। इस प्रक्रिया में विद्यमान संस्कार, संवेदना और कल्पना का पूर्ण संश्लिष्ट योग रहता है।

काव्यगत साँचों के विविध रूप

सामान्यत साँचा (pattern) शब्द का प्रयोग बाह्य आकृति या रूप (form) अथवा ढाँचा (structure) अर्थ में किया जाता है। कोश में इसके तीन अर्थ मिलते हैं — १ अनुकरण के लिए कोई रूप या नमूना प्रस्तावित करना,

२. काल्पक या साहित्यिक ढाँचा, ३ साहित्यिक वा सांघीतिक रचना में रूप का श्रेणी। साहित्यिक वस्तु की वास्तविक अभिव्यक्ति के लिए उसे कोई न कोई रूप का ढाँचा प्रदान करना होता है। यह ढाँचा आन्तरिक वा सघटनात्मक एकात्मकता से युक्त होता है। इस में भीतर और बाहर सभी ओर एक अभिवृत्ति लक्षित होती है। इसलिये इसे रूप कहने की अपेक्षा रचना की आन्तरिक समति (internal consistency) कहना अधिक उपयुक्त होगा। यथार्थ में, यह काव्य-रचना का विषय है। काव्य अपनी रचना प्रक्रिया में टल कर, विचल कर जब विभिन्न भावों से सखिल्ल कोई सहायनिक रूप ग्रहण करता है, तो उसे हम काव्य का साँचा कहते हैं। यह काव्य संरचना की एक प्रक्रिया है, जिस में से प्रत्येक काव्य-रूप को गुजरना पड़ता है। इस संरचना के सम्बन्ध में ब्रुकस का कथन है—“यह रुढ़ अर्थ में रूप (फॉर्म) नहीं है, यानी वह रूप जो लिफाफे की तरह वस्तु (कांटेंट) को अपने भीतर रख लेता है। संरचना में न तो तार्किकता होती है और न विवेकपूर्ण (रैशनल) अर्थ होता है, जिसे गद्य में अनूदित करा दिया जाता है। उन के शब्दों में—“संरचना का मतलब अर्थ, मूल्यांकन और अयापन की संरचना है। इस में अन्विति का सिद्धान्त निहित होता है, जो व्यापकता (कनोटेसन), अभ्युद्देश (पेटिट्यूड) और अर्थों की समतिपूर्ण और सतुलित बनाता है। अन्विति की प्रकृति जटिल होती है। यह एक ही प्रकार के अनेक तत्त्वों को समजित नहीं करती, बल्कि एक-दूसरे के विरोधी तत्त्वों में सामंजस्य स्थापित करती है।” इस प्रकार काव्यगत साँचा बाह्य आकृति या सामान्य रूप न होकर रचना का वह मूल ढाँचा है, जो आन्तरिक संरचना या विशिष्ट रूप का वाचक है। यह विशिष्ट रूप किसी साहित्यिक विधा या साहित्य-रूप का बोध नहीं कराता, किन्तु इस में उन सभी तत्त्वों का संयोजन एक अन्विति के रूप में निहित रहता है, जिन से काव्य-संरचना को कोई रूप मिलता है। यह वास्तव में साहित्यिक रचना का मूल रूप है। अतएव इसे बाह्य रूप या परिवेश समझना उचित न होगा।

काव्यगत साँचा का मूल रूप विम्ब-सघटना में निहित रहता है। किसी भी विम्ब का निर्माण निरपेक्ष रूप से नहीं होता। अकेला विम्ब भी किसी न किसी परिवेश में घटित होता है। किन्तु विम्ब वास्तविक रूप को तभी ग्रहण कर पाता है, जब वह कवि या लेखक के भावों को संप्रेषित करने में अपनी प्रक्रिया को मूर्त रूप में प्रकट कर लेता है। कल्पना से ले कर विम्ब निमाण तक की पूरी की पूरी प्रक्रिया आन्तरिक एवं संरचना से सम्बद्ध प्रक्रिया है।

विम्ब कई प्रकार के होते हैं। प्रकार से हमारा मतलब साँचों से है। काव्यगत संरचना में विम्ब कई तरह के साँचों में ढले हुए लक्षित होते हैं। कोल्ब्रिज का कथन उचित ही है कि कवि केवल जीवन का विचण कर सन्तुष्ट नहीं हो जाता, किन्तु जीवन तो उस की शब्दावली में निहित रहता है। वह अपने विचारों और प्रवृत्तियों के अनुसार सान्द्र जीवन को एक रूप प्रदान करता है, जिस में परस्पर काव्यात्मक अन्विति रहती है। इस के मूल में आदि से अन्त तक कल्पना : एक विम्ब जो कि कई विम्बों से

निर्मित होता है, सभी अवयव परस्पर वैसे ही सम्बद्ध रहते हैं, जैसे कि मग्नवीय ढाँचा सम्पूर्ण अवयवों और षड् से प्रयुक्त होता है।^{१०} कला के सिद्धान्त के रूप में इसे बिम्बों की परस्पर सापेक्षता कहा गया है। डॉ० सिंह के शब्दों में “एक सफल कविता का बिम्बविधान ऐसा होना चाहिए कि एक बिम्ब दूसरे के लिए, दूसरा तीसरे के लिए, तीसरा अपने बाद वाले बिम्ब के लिए मार्ग प्रशस्त करता-सा जान पड़े। इस प्रकार प्रत्येक बिम्ब का दोहरा कार्य होता है। वह अपने पहले वाले बिम्ब की ध्वनि को तीव्रतर बनाता है और आगे वाले बिम्ब के लिए एक पर्युत्सुक बातावरण की सृष्टि करता है। इस पूरे सघटन में सब से महत्वपूर्ण और निर्णायक स्थिति उस बिम्ब की होती है, जो कविता के आरम्भ में आता है।”^{११} उदाहरण के लिए

गूढ कल्पना-सी कवियों की,
अज्ञाता के विस्मय-सी,
ऋषियों के गम्भीर हृदय सी,
बच्चों के तुतले भय-सी।

कवि पन्त ने कल्पना का काव्यगत वैभव चित्रित करते हुए मूर्तिक छाया का वर्णन अमूर्त कल्पना, विस्मय तथा भय के भावों के रूप में किया है, जो क्रमबद्ध बिम्बों में अभिव्यक्त हो रहा है। उक्त पंक्तियों में प्रथम पंक्ति में मूर्त छाया का सादृश्य अमूर्त कल्पना के रूप में चित्रित किया गया है, जो इस कविता का मुख्य बिम्ब है और जिस आन्तरिक रचना में विस्मय, गम्भीर हृदय और तुतले भय व साथ एकरूपता प्रदान की गई है। इस प्रकार आन्तरिक रचना में बिम्बों में सद्बल्लिष्टता तथा एकरूपता लक्षित होती है, जो सब मिला कर किसी एक चित्र का अधिक स्पष्ट, स्पीत एव पूण बनाते हैं। कविता में छन्दोयोजना या पद्यात्मक शब्द विन्यास को बदल देने से आन्तरिक रचना में कोई भेद उत्पन्न नहीं होता। इसलिए बात चाहे गद्य में कही जाए, चाहे पद्य में, बिम्ब योजना और उपमानगत प्रयोगों के आधार पर काव्यगत साँचा एक रूप ही रहता है। प्राचीन काव्य की उपमाओं में उड़ उपमानों से छोटे उपमेयों का सादृश्य विधान प्रचलित था जैसेकि मृगनयनी, पिकबयनी, और चद्रवदनी, आदि। किन्तु आधुनिक हिन्दी कविता में उपमान के आकार को, उपमेय के अनुकूल छोटा कर लिया गया है। पन्तजी ने ‘गिरती हुई स्याही की बूँद’ के लिए ‘गोल तारा-सा नभ से बूँद’ कह कर अनुपात की कोई चिन्ता नहीं की। तारा के टूटने की भयकरता का बूँद के गिरने से क्या साम्य है? लोक-असिद्ध बातों में उपमा नहीं होती। अतएव आन्तरिक रचना केवल बिम्बों से ही नहीं, भावों से और भावों के साँचों के अनुरूप भाषा से भी सद्बल्लिष्ट रहती है। इस आन्तरिक रचना का विचार करने में उपमान की भाँति रूपक भी सहायक होते हैं। प्राचीन कविता में रूपक बाह्यार्थ निरूपणी शैली के साधक समझे जाते थे, किन्तु आधुनिक कविता में उन का प्रयोग सांकेतिकता, साकेतात्मक से व्याख्यात्मक शैली और अन्त्यान्तरिक रूप

के सिद्ध किया जाता है। काव्यगत साँचे लगभग सभी समान होते हैं। उन में केवल माधानुभूतियों, विम्ब-बोधना और विम्बों की पूर्णता और अपूर्णता एवं असङ्गता वा स्पष्टता के ही भेद मिलते हैं। इन सब का सम्बन्ध मूल रूप में कल्पना से होता है, इसलिए कल्पना की रचना प्रक्रिया से ले कर शैली और रूप-रचना तक कहीं कोई भेद होने पर भी समान रूप से समता लक्षित होती है। किन्तु नाटकों का साँचा भिन्न होता है। उन में जीवन की यथार्थता वास्तविक धातु पर चित्रित की जाती है। इसलिए उन में जीवन्त क्रियाओं का सर्जन, तनाव तथा विरोध मुख्य रूप से परिलक्षित होता है। डॉ० बच्चनसिंह के शब्दां में “उपन्यास का रूप विन्यास मिश्रित होता है, उसका पैटर्न प्रायः विरोधों से भरा रहता है। वर्णनात्मक उपन्यासों में रूपगत एकता मिलती है, पर रूप-सम्बन्धी निर्बन्धता के लिए उसे पूरी छूट है। पत्र, डायरी, प्रतीक, विम्ब, दृश्य, सवाद, चैतकी, सभी का समावेश उस में हो सकता है। यह अनेक साहित्यिक विधाओं का सहिल्ल रूप है, यद्यपि यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक उपन्यास में यह सहिल्लता मिले ही। प्रेमचन्द का औपन्यासिक पैटर्न साफ-सुथरा और सपाट है।”^{१२} जैनेन्द्र के उपन्यासों का साँचा (पैटर्न) किञ्चित् जटिल व मिश्रित है, किन्तु अज्ञेय का आपन्यासिक पैटर्न जटिल तथा उल्लास भरा हुआ है। पैटर्न एक प्रकार का विशिष्ट रचनागत रूप है, जो काव्य नाटक और उपन्यास, आदि साहित्यिक विधाओं में भिन्न रूपों में उपन्यस्त किया जाता है उदाहरण के लिए निरालाजी की ‘राम की शक्ति पूजा’ और ‘तुलसीदास’ का पैटर्न नितान्त भिन्न है। उन की कविता में निहित उदात्तता और मार्वा की सक्रमणशीलता मुख्य रूप से एक ऐसे पैटर्न के रूप में अभिव्यजित होती है, जो बदलते हुए जीवन दर्शन का सांस्कृतिक बोध वास्तविक संवदनाओं के माध्यम से कराने में समर्थ है। पैटर्न काव्य के रूप, शैली और वाक्य विन्यास, आदि से बिल्कुल भिन्न है। मुक्तिबोध की ‘अधरे में’ कविता में जो जटिलता है, वह ‘राम की शक्ति पूजा’ में नहीं है। अज्ञेयजी के उपन्यासों में ही नहीं, कहानियों में भी जटिलता लक्षित होती है। अतएव पैटर्न की यह भिन्नता मूलतः संरचना प्रक्रिया की भिन्नता है। भाषिक संरचना में काव्यात्मक-विन्यास रचना व उन सिद्धान्तों पर निर्धारित है, जो भाषा के ध्वनि एवं अर्थ विषयक आयामों के अनुरूप है तथा जो चाक्षुष अथवा दृष्टिपरक आयामों (लिपि) से भिन्न है, एवं जिस का स्थान एक ओर रूपात्मक (formal) तथा दूररी ओर नितान्त क्रियात्मक (functional) के बीच कहीं है। अधिकांश साहित्य रूपात्मक और क्रियात्मक इन दोनों छोरों के बीच सन्तुलन की स्थिति में होता है।^{१३} आपेक्षिक दृष्टि से उपन्यास का पैटर्न शिथिल होता है, इसलिए उपन्यास लिखना सरल माना जाता है। किन्तु नाटक का पैटर्न रूपक-सर्वों के नियमों के आन्धर पर बना जाता है, फिर उस में प्रत्येक परिस्थिति और मनःस्थिति की अभिव्यक्ति भी बराबर संलक्षित होनी चाहिए, क्योंकि नाटक और एकांकी में सर्जनात्मक कला का गतिशील कार्य-व्यापार अभिव्यक्त किया जाता है। इसलिए नाटक-रचना का कार्य सरल नहीं है। परन्तु पैटर्न की दृष्टि से

नाटक में तत्त्वों, कायावस्थाओं, अर्थप्रकृतियों और सन्धियों, आदि के सघटनात्मक निबन्धों से एक विशिष्ट रूप स्वयमेव प्रकट हो जाता है। परन्तु उपन्यासकार को अपनी रचना का रूप किसी विशिष्टता को लेकर चुनना पड़ता है। जिस प्रकार भूत और जुनने की क्रिया से बुलाशा वस्त्र का निर्माण करता है, उसी प्रकार वस्तु और भाविक संरचना से साहित्य-वसन का निर्माण होता है, किन्तु निर्माणगत वस्तु का रूप बहुत कुछ साँचो पर निर्भर करता है। साँचा जिस प्रकार का होता है, वस्तु भी उसी प्रकार टल कर गर्भ से बाहर आती है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि रूप विधान की सम्पूर्ण क्रिया कल्पना से आरम्भ होती है। आ० शुक्लजी का कथन है— “जहाँ तक काव्य की प्रक्रिया का सम्बन्ध है, वहाँ तक रूप और व्यापार कल्पित ही होते हैं। कवि जिन वस्तुओं और व्यापारों का वर्णन करने बैठता है, वे उस समय उस के सामने नहीं होते, कल्पना में ही होते हैं। पाठक यह भ्रोता भी अपनी कल्पना द्वारा ही उन का मानस-साक्षात्कार करके उनके आलम्बन से अनेक प्रकार के रसानुभव करता है।” यहाँ पर इतना और समझ लेना चाहिए कि जिन रूपां में मानस-साक्षात्कार होता है, वह पैटर्न है। भारतीय साहित्य का मूल पैटर्न एक ही था, जो कि प्रबन्ध-आत्मक था। लगभग उसी प्रकार की सघटना रूपक तथा नाटकों में जब अपनाई जाने लगी, तब प्रबन्ध-काव्य की मूल बातें नाटकों के लिए भी स्वीकृत हो गईं। इस प्रकार काव्य और नाटक का मूल पैटर्न लगभग एक रहा है, किन्तु कथा और उपन्यासों का पैटर्न प्राग्भ से ही भिन्न रहा है। इस सक्रमणशील युग में इन में कई प्रकार के रूप लक्षित होते हैं। आधुनिक युग में ही नहीं, मध्यकाल में भी सस्कृत और प्राकृत तथा परवर्ती काल में अपभ्रंश की काव्य तथा कथा-रचनाओं में स्पष्ट रूप से पैटर्न की भिन्नता परिलक्षित होती है। इस पैटर्न की भिन्नता के कारण ही प्रतिमान बदल जाते हैं। सस्कृत काव्य शास्त्र के प्रतिमान प्राकृत और अपभ्रंश के प्रबन्ध-कार्यों पर तथा अपभ्रंश काव्य के प्रतिमान हिंदी काव्य पर लागू नहीं किए जाने चाहिए। हिन्दी में भी प्राचीन और आधुनिक काव्य में और उन के प्रतिमानों में भी विशेष अन्तर है। अतएव युग के परिवर्तन के साथ ही पैटर्न और काव्यगत तथा अन्य साहित्यिक रूपों में भी परिवर्तन होता रहता है। वास्तव में, यह बहुत कुछ वाक्य-रचना पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रत्येक वाक्य वास्तविकता का कथन या वास्तविकता के पोषक विचार का असन्दिग्धार्थ कथन है। यह कथन की स्पष्टता रचना में सभी उतर सकती है, जब लेखक के मन में वैसी ही स्पष्टता हो। यही प्रक्रिया साधारणीकरण और पैटर्न को जन्म देती है।” सघटना की दृष्टि से वाक्य-व्यवस्था में पैटर्न स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। अंग्रेजी भाषा के अनेक पैटर्न दो भागों में विभाजित किए जाते हैं—जो वाक्य से पूर्णतया सम्बद्ध होते हैं, और जो व्यक्तिगत अवयवों के रूप में वाक्य में निहित रहते हैं।” इसलिए भाषाशास्त्र में प्रत्येक क्षण पर (ध्वनि, ध्वनिग्राम, पद और पदग्राम, आदि) अखण्ड रूप में तथा खण्ड रूप में पैटर्न का विश्लेषण किया जाता है। भाषा में ध्वनि विषयक जो आदेश, विनियम या

स्थापनापकता देखी जाती है, वह पैटर्न के कारण। पैटर्न की स्थापनापकता के कारण ध्वनि में परिवर्तन हो जना स्थापनापक है।¹⁰ अंग्रेजी साहित्य में इसका विचार छन्दोपीठना के अन्तर्गत लय के प्रकरण में किया गया है। शुद्ध साहित्यिक आलोचना के स्तर पर जब हम कहते हैं कि इस कविता का शिल्प प्रारम्भ में छाया-चित्र की शक्ति है, तो हमारा बहुत कुछ अभिप्राय उस के पैटर्न से होता है। पैटर्न का स्पष्ट रूप-रंग वस्तु की बुनावट (texture) में निहित रहता है। वस्तु के साँचों में जिस प्रकार के रंग-रूपों में वस्तु 'आकार-ग्रहण' करती है, वह उस की निर्माण-प्रक्रिया से सम्बद्ध है, जिसे हम पैटर्न कहते हैं। वह वस्तु के मूल ढाँचे (structure) से मिल है। रेन्सम ने कविता की सरचना और बुनावट का अन्तर बताते हुए कहा है कि कविता की बुनावट अपने समृद्ध स्थानीय मूल्या से निर्मित होती है। उस वस्तु का गुण उस के 'वस्तुत्व' में निहित रहता है। सरचना कविता का तर्क (argument) है। वह कविता को वैसा ही रूप प्रदान करती है, जैसी कि वह वस्तु स्वयं होती है।¹¹ आचार्य कुन्तक ने वक्रोक्ति के अन्तर्गत 'वाक्योपनिबन्ध' के रूप में काव्य रचना में बुनावट को ही महत्त्व दिया है। उन की दृष्टि में कवि की मूल वस्तु शब्द है, जो विवक्षित अर्थ का एक मात्र वाचक है। उन के अनुसार काव्य के दोनों गुण (औचित्य और सौमन्य) रचनाश्रित रहते हैं।¹² औचित्य ही काव्य-सरचना का प्राणतत्त्व कहा जा सकता है। औचित्य के बिना काव्य के सभी प्रस्थान, सभी मार्ग सौन्दर्यहीन एवं काव्यश्री से विहीन हैं, क्योंकि अनौचित्य के अतिरिक्त रसभंग का अन्य कोई कारण नहीं है।¹³ औचित्य का सम्बन्ध जहाँ भावों और रसों से है, वही रचना-श्रुति और गुणों से भी है। इस प्रकार भारतीय साहित्य समालोचकों ने काव्य-सरचना का विचार उस के आन्तरिक रूप को ध्यान में रख कर किया था। इसी सन्दर्भ में वण विन्यास, पयाय, उपचार, विशेषण, संवृत्ति, वृत्ति, लिंगवैचित्र्य, आदि पद एवं प्रबन्धगत वक्रोक्ति और उस के भेदोपभेदों का वर्णन किया गया है। दूसरे शब्दों में, काव्य के बाह्य बेश विन्यास की उपेक्षा नहीं की गई है। कविता के शब्द और शब्दांशों का भलीभाँति सौन्दर्यमूलक विश्लेषण आ० कुन्तक ने किया है। काव्यशास्त्र में 'रीति' शब्द तो रचना-पद्धति का ही वाचक है। रचना की पद्धति या रीति ही सामान्यतः पैटर्न कही जाती है।

बिम्बारमक प्रयोग

प्रायः बिम्ब विधान में कवि वस्तु रूप, गुण, या क्रिया व सादृश्य पर अमूर्त वस्तुओं को मूर्त रूप में एवं मूर्त वस्तुओं के सूक्ष्म रूपों को बिम्बित करने के लिए अमूर्त रूप में चित्रित करता है। काव्य में अलंकारों का प्रयोग भी साधर्म्य या वैधर्म्य निरूपण के लिए किया जाता है, जो किसी व किसी सादृश्य पर अवलम्बित रहते हैं। हिन्दी के छायावादी कवियों में बिम्ब विधान की प्रवृत्ति विशेष रूप से परिलक्षित होती है, जैसेकि —

गिरिधर के डर से उड़ उड़ कर
उन्हाकांक्षाओं - से तरहर

हैं झाँक रहे नीरव नभ पर
अनिमेष, अटल, कुछ चिन्ता पर

(पन्त उच्छ्वास)

उक्त पंक्तियों में कवि ने विराट् पर्वत पुरुष का वर्णन बिम्बों के रूप में किया है, जिस से एक साकार प्रतिमा ही मानो हमारी आँखों के सामने प्रस्तुत हो जाती है। वहाँ पर उपमान सादृश्य योजना से मूल की उपमा अमूर्त से दी गई है। कहीं कहीं रूपक योजना के द्वारा बिम्ब विधान अनुस्यूत होता है उदाहरण के लिए

इस हृदय कमल का घिरना
अलि अलका की उलझन में
आँसू मरद का गिरना
मिलना निश्वास पवन में

(प्रसाद आँसू)

कवि ने साध्या काल के उस दृश्य को अंकित किया है, जिस में सूर्यास्त होने पर कमल सकुचित हो गया है और भौंरा उससे बाहर ही रह गया है। यह उस नायक रूपी भ्रमर की निष्ठुरता थी, जिस से आँसू रूपी पराग झर झर कर निश्वास रूपी पवन में विलीन हो रहा था।

इस प्रकार कवि बिम्बात्मक प्रयोग का आधार पर एक पूर्ण चित्र का सफल अंकन करता है। बिम्ब योजना में कवि की कल्पना साकार हो जाती है। पाठक के मन में स्थित कल्पना या स्मृति शब्द बिम्बा के माध्यम से उद्बुद्ध हो जाती है। इस प्रकार से बिम्ब रचना साहित्य में दुहरा काय सम्पन्न करती है। अप्रस्तुत विधान में भी यही प्रक्रिया कार्य करती है। आचार्य गुक्लजी ने प्रथम प्रकार की आभ्यन्तर रूप प्रतीति का स्मृति द्वितीय प्रकार का मूर्ति विधान को कल्पना, और प्रत्यक्ष अनुभव किए हुए बाहरी रूप विधान के भेद से तीन प्रकार माने हैं^{१००} — १ प्रत्यक्ष रूप विधान, २ स्मृति रूप विधान, और ३ कल्पित रूप विधान। इन तीनों प्रकार के रूप विधानों में भावों को इस रूप में जागरित करने की शक्ति होती है कि वे रसकोटि में आ सकें। कल्पित रूप विधान द्वारा जागरित मामिक अनुभूति तो सर्वत्र रसानुभूति मानी जाती है। प्रत्यक्ष या स्मरण द्वारा जागरित वास्तविक अनुभूति भी विशेष दशाओ में रसानुभूति की कोटि में आ सकती है।^{१०१} अतएव कवि जहाँ साद्र एव अमूर्त भावों व विचारों को चित्रित करता है, वहाँ अनिवार्य रूप से उसे बिम्बों के प्रयोग का आश्रय लेना पड़ता है। बिम्ब ही कवि की सघन कल्पना को मुखर करते हैं जैसे —

जो गूँज उठे फिर नस नस में

मूर्च्छना समान मचलता-सा

आँवों के साँचे में आ कर

गम्भीर रूप बन दबता-सा,

नवनों की नीलम की घाटी
जिस रस घन से छा जाती हो,
वह कौंच कि जिस से अंतर की
शीतलता ठंडक पाती हो।

(प्रसाद + लज्जा)

हिन्दी के प्राचीन काव्य में भी इसी प्रकार के बिम्बात्मक प्रयोग परिलक्षित होते हैं। जायसी का 'पद्मावत' तो अप्रस्तुत-योजना से निबद्ध होने के कारण बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव को बिम्ब योजना के बिना अभिव्यजित ही नहीं कर सकता था, उदाहरण के लिए

नैन जो देखे कबल मा निरम्ब नीर सरीर ।
हँसत जो देखे हँस मा दसन जोति नग हीर ॥

इसी प्रकार कबीर का एक दोहा है—

दुर्लभ मानुस जनम है, देह न बारबार ।
तरवर ज्यो पत्ता झड़े, बहुरि न लगै डार ॥

कैलाश वाजपेयी ने ठीक ही कहा है कि बिम्बों की दृष्टि में सुरदास अपने युग के सब से धनी कवि हैं। उन क कुछ बिम्ब ता काव्य शिल्पविधि की दृष्टि से अद्वितीय है, जिन में एक सफल बिम्ब क मभी गुण विद्यमान हैं, १०० जैसेकि

पिय त्रिनु नागिनि कारी रात ।
जौ कहु जामिनि उगति जुन्हैया, डसि उलठी है जात ।
जत न फुरत मत नहिं लागत, प्रीति सिरानी जात ।
सूर स्याम त्रिनु विकल बिरहिनी, सुरि सुरि लहरं खात ॥

बिम्बों की हृदयात्मक संवेदनाओं का सम्बन्ध भी शब्दों से होने के कारण श्रोत्रप्राप्त है। रिचर्ड्स क अनुसार बिम्बों के संवेदनात्मक गुण उन की सजीवता, स्पष्टता और वर्णन की पूर्णता में निहित हैं। उन का प्रभावों से कोई नित्य सम्बन्ध नहीं है। इस दृष्टि से बिम्बों में भेद हाने पर भी अन्तत वे समान होते हैं। १०० यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास के बिम्ब संक्षिप्त हैं, पर स्पष्ट और पूण है, यथा

जासु ग्यानु रवि भवनिशि नासा ।
चंचन किरन मुनि कमल बिकासा ॥

तथा—

भरत बिमल जसु बिमल विधु सुमति चकोरकुमारि ।
उदित बिमल जन हृदय नभ एकटक रही निहारि ॥

यथा—

बरसहिं जलद भूमि निअरापैं । जया नवहिं लुध बिद्या पापैं ॥
जुद अजगत लहिं गिरि कैचे । खल के वचन संत सहें जैसे ॥

इन काव्य-चित्रों का सम्बन्ध कहीं रागात्मकता से है, कहीं अनुभूति से और कहीं मत्स्य-कल्पना की चित्रात्मकता से। इन के अतिरिक्त प्रयोगवादी काव्य में द्रव्य चित्रों की बहुलता लक्षित होती है, जैसे

ये हवा धूप मिली
लहर-सी आके लिपट जाती है,
कभी हल्के से उडा देती है बाल
कभी छत पर बैठी ललनाओं के,
सौधे तन गंध भरे आँचल को
गोरे कन्धों से उडा देती है,
और उड जाते हैं सूपते कपड़े,
ऊँची सीमेट की मुँडेरों से।

(गिरिजाकुमार माथुर धूप के धान)

इस प्रकार हिन्दी काव्य में विविध प्रकार के चित्रों का प्रयोग स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। युग की परिवर्तनशील प्रवृत्तियों के अनुरूप चित्र विधान की प्रवृत्ति में भी पर्याप्त अन्तर लक्षित होता है। वाजपेयी का कथन उचित ही जान पड़ता है कि छायावादी काव्य का प्रमुख आधार उस का सूक्ष्म कल्पना चित्रण होने के कारण छायावाद में भाव एव साद्रचित्रों का बाहुल्य था। प्रगतिशील युग में चूँकि कल्पना और रोमान्टिकता का स्थान बौद्धिकता और यथार्थ ने ले लिया, अतः इस युग में वस्तु विवृत और प्रति चित्रात्मक चित्रों का आधिक्य है।¹⁴ यथार्थ में, चित्र कह प्रकार के हो सकते हैं। उन सभी प्रकार के चित्रों को परिगणित करना सम्भव नहा है। उदाहरण के लिए, एक काव्य चित्र है—

गूँजती हुई आवाजों को सुनती हुई
पके हुए खेतों की बालों में—
चंद्र लोक को जाते हुए, राकेटों की छाया-सी
तिरछी कुछ हिलती हुई, विज्ञान की सहेली-सी
जानकारी की अधिक से अधिक फसल काटती है।

इसी प्रकार 'युग की बालू-रेत में भुनी हुई अन्धविश्वास की मूँगफली', 'सब स्नाता ज्योत्स्ना में दीप्तिमान ये छाया चित्र', आदि नवीन प्रयोग हैं। प्रयोगों की नवीनता सदा ही प्रवर्तमान रहेगी, क्योंकि कवि की कल्पना के विकास के लिए यही एक मात्र माध्यम है।

प्रतीक रचना

यदि दार्शनिक दृष्टि से विचार किया जाए तो जीवन और जगत् के तथा अखण्ड चेतना की उपलब्धि के सभी साधन प्रतीक मात्र हैं। क्या मन्दिर, क्या मसजिद, क्या चैत्य, और क्या स्तूप तथा विभिन्न प्रतिमाएँ, मूर्तियाँ सभी प्रतीक हैं। भाषा भी विचारों की प्रतीक है। प्रतीक के सम्दर्भ में कोलरिज का कथन है कि

कविता वस्तु और विषय के अन्तर्गत चिन्तन की एक पद्धति है। आर्य-ए० विचारों के पहले शब्दों की वास्तविक संकेत-मानता थी, किन्तु बाद में वह भी इस विचार-विस्तार तक पहुँच गया कि भाषा एक प्रतीकात्मक रचना है।^{१९} प्रत्येक भाषा का कार्य एक प्रतीकात्मक विधि से विचारों का संकेत करना है। अपूर्ण विचारों को भाषा ही किसी सीमा तक मूर्तिमान करती है, यहाँ तक कि शब्द भी अर्थ का प्रतीक है। जिस प्रकार शब्द घिसते, मँजते, चमकते हैं और बदलते रहते हैं, उसी प्रकार प्रतीक भी चमकते हुए जिस पिठ आते हैं, और कालान्तर में बलन के बाहर हो जाते हैं। उनमें समय-समय पर नए अर्थ भावों को भरते रहते हैं, और पुराने अर्थ रिक्त होते रहते हैं। काव्य का समस्त व्यापार शब्द से सम्पन्न रहता है। काव्य में शब्द एक ऐसी अन्विति है, जो अर्थ से, रूप से, सन्दर्भ से एवं विषय प्रतीक आदि से सञ्चलित रहती है। काव्य की संरचनात्मक अन्विति में अर्थवान शब्दों का औचित्य ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। अश्लेष का यह कथन विस्तृत ठीक लगता है कि काव्य सब से पहले शब्द है। और सबसे अन्त में भी यही बात बच जाती है कि काव्य शब्द है। सारे कवि धर्म इसी परिभाषा से निरस्त होते हैं। शब्द का ज्ञान, शब्द की अर्थवत्ता की सही पकड़ ही कृतिकार को कृति बनाती है। ध्वनि, लय, छन्द, आदि के सभी घन इसी में से निकलते हैं और इसी में विलय होते हैं। इतना ही नहीं, सारे सामाजिक सन्दर्भ भी यहाँ से निकलते हैं।^{२०} काव्य में शब्दों के उचित सन्निवेश से ही वह भाषा तथा विचारों की वास्तविकता को अभिव्यक्त करता है। सम्भवतः इसी कारण इलियट ने काव्य की भाषा को वास्तविक विचार की भाषा कहा है। उन के शब्दों में "काव्य वास्तविक विचार या वास्तविक भावों की भाषा है। उस की वास्तविकता केवल अनिश्चित नहीं है और न केवल वह बाह्य विषय वस्तु के औचित्य में सन्निहित है, प्रत्युत उस का पूर्ण औचित्य कवि की मानस की तथा चेतना की क्रियाशीलता में निहित है। और यह काव्यगत विषय रचना में प्रकाशित होती है"^{२१} ।

विषय हमारी मानसिक कल्पना का एक चित्र है। इसलिए विषय-विधान में चित्रात्मक वर्णन चित्रात्मक शैली में किया जाता है। एक ही विषय का प्रयोग भिन्न भिन्न सन्दर्भों में विभिन्न रूपों में किया जा सकता है। सध्या-कालीन अस्तंगत रवि का प्रतिविम्ब शोक, निराशा, मिलन, उदात्तता, बौवन के उद्दाम रूप और साधु-जीवन के विविध प्रसंगों की मौलिक उद्भावनाएँ प्रकरणगत अर्थों से संबन्धित चित्रों के रूप में कर सकता है, क्योंकि विषयात्मक प्रयोग के लिए चित्रात्मकता का होना अनिवार्य है। दूसरे शब्दों में, हम विषय को चित्रात्मक उपमान भी कह सकते हैं। लोक-कथकों में जिस प्रकार कोई विचार या प्रत्यय अनेक बार आवृत्त हो कर रुढ़ हो जाने पर कथानक-रुढ़ि बन जाता है, उसी प्रकार एक ही विषय की जब आवृत्ति होने लगती है, तो वह विषय विषय न रह कर केवल प्रतीक बन जाता है। नई कविता में 'बन्द कमरा' का वर्णन बहुत मिलता है। यह 'बन्द कमरा' कुंठाओं से अवरुद्ध अन्तःकरण का प्रतीक है। कमरे के विषय की अनेक बार आवृत्ति हो चुकी है तथा ही रही है, अतः

वह रूढ हो कर विम्ब से प्रतीक में परिणत हो गया है।¹¹⁰ व्यवहार में मनुष्य परम्परागत दिखलाई पड़ता है। परम्परा से चले आ रहे व्यवहारों को ही वह सामान्य रूप से अपने जीवन में अपनाता है। नित नए प्रयोग करने के लिए उस के पास अवकाश कहाँ है? किसी भी महाकवि की रचना में अपने मौलिक विम्ब कितने होते हैं? इने-गिने थोड़े से। अधिकतर विम्ब परम्पराओं के अनुषंग होते हैं। विम्ब और प्रतीक में मौलिक अन्तर यह है कि प्रतीक का स्रोत कवि के व्यक्तिगत अनुषंगों (associations) में हो सकता है, परन्तु उसका आकलन आनुषंगिक नियमों के आधार पर नहीं होता। उस के निमाण में, अज्ञात रूप से ही सही, एक प्रकार की अन्तर्दृष्टि या सूक्ष्म बोद्धिक प्रेरणा अवश्य रहती है। परन्तु विम्ब का सम्पूर्ण साचा आनुषंगिक नियमों के द्वारा बुना जाता है। इसलिए उस के सघटन में प्रायः अबोधिता, अन्तर्विरोध और व्यतिक्रम पाया जाता है। प्रतीक मूल और अमूर्त दोनों ही हो सकता है। इस के विपरीत विम्ब के लिए ज्ञानेन्द्रिय के किसी भी स्तर पर मूर्त होना आवश्यक है। यह मूर्तता केवल दृष्टिविषयक ही नहा होती, नाद, घ्राण और स्वादपरक भी हो सकती है। प्रतीक किसी वस्तु का चित्राकन नहा करता, केवल संकेत द्वारा उस की किसी विशेषता को ध्वनित करता है। इसीलिए प्रतीक का ग्रहण सन्दर्भ से अलग और एका त रूप में भी सम्भव हो सकता है, पर विम्ब की प्रेषणीयता उस के पूरे सद्भ के साथ होती है।¹¹¹ साहित्य में ही नहीं, व्यावहारिक जीवन में भी हम रात दिन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। गधा मूखता का, शेर वीरता का, कौवा चालाकी का, कालानाग खटरनाक का, घट शरीर का, दीपक ज्ञान का, और पछी आत्मा का प्रतीक है। प्रत्येक राष्ट्र का कोई न कोई प्रतीक आदर्श रूप में उस के राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित रहता है। यथाथ में, प्रतीक के शब्द चिह्न हैं, जिन में संक्षेप में अधिक-से अधिक अर्थ भरपूर रहता है। एक ही शब्द में सम्पूर्ण भाव को प्रकट करने के लिए ही सम्भवतः प्रतीक का जन्म हुआ। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतीकों का व्यवहार किया जाता है। धार्मिक सम्प्रदायों (creeds) को भी प्रतीक कहा गया है। यद्यपि प्रतीक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग व्यवहार में धार्मिक रहस्यों को निर्दिष्ट करने के हेतु रूपकों के माध्यम से हुआ था, जो कि ग्रीक भाषा में चिह्न या संकेत (signor token) के अर्थ में और संस्कृत में प्रतिरूप अर्थ में प्रचलित रहा है। वह प्रतीक शब्द तर्कशास्त्र, गणितशास्त्र, अर्थ विज्ञान, निदान विज्ञान, और प्रकृति विज्ञान में भी प्रयुक्त होता है। ब्रह्मविज्ञान में तो इस का एक दीप इतिहास मिलता है। उस में प्रतीक सम्प्रदाय का पर्यायवाची शब्द है। कल्पित कलाओं और कविता में इस का प्रयोग व्यापक है। बीजगणितीय और तर्कशास्त्रीय प्रतीक पारम्परिक हैं, जो चिह्नों से समन्वित हैं परन्तु धार्मिक प्रतीक किसी वास्तविकता पर आधारित होते हैं, जिन का सम्बन्ध संकेत और सांकेतिक वस्तु के मध्य आल्कारिक या रूपकीय होता है।¹¹² सामान्य रूप से हम किसी भी विशिष्ट घटना, कथा, पात्र या वस्तु को प्रतीकात्मक कहते हैं। जिन प्रस्तुत वस्तुओं पर अप्रस्तुत का आरोप किया जाता है, उन्हें भी प्रतीक

कर देते हैं। इस प्रकार रूपककाव्य भी प्रतीककाव्य मान लिये जाते हैं। किन्तु वास्तव में प्रतीक से अभिप्राय भाषा के सांकेतिक रूप से है। कहा भी है कि “प्रतीक वह है जो अपने साहचर्य, अनुपम, रुचि या संयोग के कारण किसी वस्तु से अपना सम्बन्ध संकेपित करता है और विशेष रूप से अदृश्य वस्तु का संकेत करने के लिए एक वास्तुव विह्व है।”^{११९} भाषाशास्त्री और साहित्यकार दोनों ही यह मानते हैं कि प्रतीक एक ‘वास्तुव विम्ब’ है। प्रथम यह नेत्रप्राप्त है, और तब श्रोतृप्राप्त। सैपीर का कथन है— “भाषा विचारों, भावों और अनुभूतियों को संप्रेषित करने के लिए एक विशुद्ध मानवीय अन्तर्जातप्रवृत्ति विहीन पद्धति है, जिस के द्वारा स्तैच्छिक रूप से प्रतीक उत्पन्न होते हैं।”^{१२०} इस से यह भी स्पष्ट है कि प्रतीक अनुभूतियों के अनुपम होते हैं। यथार्थ में, साहित्य की रचना ही कल्पना और अनुभूतियों के अनुपमों से होती है। अतएव प्रतीक अनुभूतियों से ठीक वैसे ही लिपटे रहते हैं, जैसे कि विम्ब कल्पना से।

केवल नई कविता ही नहीं, हिन्दी की छायावादी कविता में भी नए तथा गूढार्थ अभिव्यञ्जना को व्यक्त करने वाले प्रतीकों का प्रचुर प्रयोग परिलक्षित होता है। पन्त जी के ‘पल्लव’ में ‘आँसू’ की पक्तियाँ हैं—

उषा का था उर में आवास,
मुकुल का मुख में मृदुल-विकास,
चाँदनी का स्वभाव में मास,
विचारों में बच्चों के (की) सौंस।

आ० शुक्ल जी ने छायावादी काव्यधारा की लक्षणात्मक वक्रता का उल्लेख करते हुए इसी कविता में ‘आह, यह मेरा गीला-गान’ और ‘उन्झूठ’ के अन्तर्गत ‘धूलि की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय-गान’ में प्रयोगों के आधार पर साम्य-भावना निर्दिष्ट की है। उन के ही शब्दों में—“इन प्रयोगों का आधार या तो किसी-न किसी प्रकार की साम्य भावना है अथवा किसी वस्तु का उपलक्षण या प्रतीति के रूप में ग्रहण। दोनों बातें कल्पना ही के द्वारा होती हैं। उपलक्षणों या प्रतीकों का एक प्रकार का चुनाव है, जो मूर्तिमत्ता, मार्मिकता या आतिशय्य आदि की दृष्टि से होता है— जैसे शोक या विषाद के स्थान पर अश्रु, हर्ष और आनन्द के स्थान पर हास, प्रिय प्रेमी के लिए मुकुल-मधुप, शौचन काल या स्याग के लिए मधुमास, शुभ्र के स्थान पर रक्त या हास, दीप्त के स्थान पर स्वर्ण, इत्यादि। यह सारा व्यवसाय कल्पना ही का है।”^{१२१}

आ० शुक्ल जी ‘प्रतीक’ को एक विशेष प्रकार का उपमान मानते हैं। पन्त जी की उक्त पक्तियों में ‘उषा’ आनन्द की प्रतीक है, ‘मुकुल’ प्रफुल्लता का, ‘चाँदनी’ स्वच्छता की और ‘बच्चों की सौंस’ सरलता या निष्कपटता की प्रतीक है। वस्तुतः प्रतीक अप्रस्तुत ही होते हैं। प्रयोजनवती लक्षणा के कारण ही वे प्रायः बाह्य अर्थ देते हैं। सादृश्य-सम्बन्ध के आधार पर प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद किए जाते हैं—गौणी तथा शुद्ध। जहाँ अप्रस्तुत और प्रस्तुत में सादृश्य-सम्बन्ध होता है, वहाँ गौणी और जहाँ कार्य-कारण भाव

आदि सम्बन्ध लक्षित होते हैं, वहाँ शुद्धा लक्षणा होती है। जो यह कह कर श्लोक की का विरोध करते हैं कि प्रतीक विशिष्ट उपमान नहीं है, क्योंकि उपमान में सादृश्य की अपेक्षा होती है, किन्तु प्रतीक में नहीं—वे भूल करते हैं। उपमान का प्रयोग मुख्य रूप से सादृश्य, साधर्म्य और प्रभावसाम्य के आधार पर किया जाता है। किन्तु प्रतीक में सादृश्य भले ही न हो, पर साधर्म्य या प्रभावसाम्य अवश्य गमित रहता है। गुण, जाति या क्रिया व साधर्म्य के बिना प्रतीक-रचना कैसे हो सकती है? डॉ० जगन्नाथ के शब्दों में “प्रत्येक प्रतीक अपने मूल रूप में उपमान होता है, धीरे धीरे उसका बिम्ब-रूप या चित्र रूप संचरणशील न रह कर स्थिर या अचल हो जाता है। अतः प्रतीक एक प्रकार का अचल बिम्ब है, जिस के आयाम सिमट कर अपने भीतर बन्द हो जाते हैं।”^{११९} प्रतीक के सम्बन्ध में हम यह भी कह सकते हैं कि वे निश्चित उपमान होते हैं। छायावादी कविता में ‘उषा’ और ‘संध्या’ सुख दुःख के प्रतीक हैं। ‘वसन्त’ बौबन का, ‘मानस’ हृदय का, ‘नीलम की घाटी’ नेत्र तथा ‘छाया’ विषाद के प्रतीक हैं। ‘अभु’ और ‘हास’ दुःख-सुख के प्रतीक हैं। जिस प्रकार एक ‘आँसू’ उपमान के लिए हिम हारक, नयनों के बाल और शीतल ज्वाला, आदि अनेक उपमानों का प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार ‘सूर्य’ ज्ञान, नई चेतना, जागृति, विकास और प्यार तथा परमात्मा, आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार भारतीय साहित्य में ‘दीपक’ ज्ञान, निवाण, नेत्र तारा और प्राण, आदि अनेक अर्थों में प्रतीक के रूप में प्रयुक्त होता रहा है। अतएव उपमान जब साहित्य में निश्चित और रूढ हो जाते हैं, तब वे ही प्रतीक बन जाते हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण ‘सुधाशु’ ने प्रतीक के दो भेद माने हैं—भावोत्पादक (emotional) और विचारोत्पादक (intellectual)। किन्तु सहल ने उद्भावनाओं के आधार पर प्रतीक विधान के तीन प्रकार बतलाए हैं^{१२०}—सादृश्य प्रतीक विधान, साधर्म्य प्रतीक विधान और विरोधमूलक प्रतीकविधान। काव्य में प्रयुक्त प्रतीकों के विभिन्न वर्गों का विभाजन करके उह तीन भागों में विभक्त किया गया है^{१२१}—वैयक्तिक प्रतीक, परम्परागत प्रतीक और प्रकृत प्रतीक। कुल मिला कर प्रतीकों के आठ प्रकार कहे गए हैं। सांस्कृतिक प्रतीकों के अतगत पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक प्रतीकों का उल्लेख किया जाता है। प्रकृत प्रतीकों में जड़ और चेतन प्रतीकों की गणना की जाती है। सैद्धान्तिक प्रतीकों में वैज्ञानिक, दार्शनिक और राजनीतिक प्रतीक कहे गए हैं। वास्तव में प्रतीकों के भेद उपभेदों का पूर्णतया वर्णन कर सकना सम्भव नहीं है। तरह-तरह के प्रतीकों का प्रयोग काव्य और साहित्य में आए दिन होता रहता है। उन सब का बर्गीकरण करना न तो अपेक्षित है और न वह इस पुस्तक का विषय ही है।

प्रतीकों से अर्थोद्भाषना

प्रतीकों का मुख्य कार्य भावोद्घोषण है। भावोद्घोषण की क्षमता उन में स्वाभाविक रूप से निहित रहती है। अतएव काव्य जगत् में ऋग्वेद से ले कर आज तक निरन्तर प्रतीकों का प्रयोग होता रहा है। इन प्रतीकों की अर्थोद्भाषना प्रायः प्रसंगगत होती है।

पसन्द नहीं करीं और विशेषकर वैदिक साहित्य में एक ही प्रतीक से विभिन्न अर्थों की उद्घाटना की जाती है। ऐसी स्थिति में अर्थोद्घाटना का प्रश्न खटित हो जाता है। उदाहरण के लिए, अश्वमेध की एक कथा है—

चत्वारि ऋद्धा त्रयो अस्य पादा

द्वे शीर्षे सप्त इस्तासो अस्य ।

विधा बद्धो वृषभो रोरवीति

महादेवो भर्त्यान् आ विवेश ॥ (४, ५८, ३)

इस का वाच्यगत अर्थ है—महादेव ने मर्त्यलोक में प्रवेश किया। उस के चार सींग हैं, तीन पैर हैं, दो सिर हैं, सात हाथ हैं और तीनों ओर से बँधा हुआ साँढ के समान उद्घोष करने वाला है। यहाँ पर चार सींग का अर्थ चार वेद या ब्रह्मा, उद्गाता, होता, अध्वर्यु अथवा अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त चारित्र्य और अनन्त सुख भी किया जाता है। क्योंकि जिस महादेव का वर्णन किया गया है, वह स्वयं प्रतीक है। इस लिए उस के तीन पैर तीन सवनपाद या तीन वेद अथवा रत्नत्रय हो सकते हैं। इसी प्रकार दो सिर इष्टियाँ या हविर्धान, प्रवर्ग्य अथवा कैवल्य और मुक्ति कहे जाते हैं। उस के सात हाथ सात छन्द, या होता, छन्द, प्रात, माघ्यन्दिन, रहतीय, सवन, आदि अथवा सात व्रत कहे गए हैं। वह मन्त्र, ब्राह्मण, कल्प या प्रात, मध्वाह्न, सायंकाळों से अथवा मन, वचन, काय इन तीन योगों से बँधा हुआ है। इतना ही नहीं, इस की भाषापरक व्याख्या भी की गई है। वहाँ चार सींग का अर्थ नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, तीन पैरों का अर्थ तीन पुरुष या तीन काळ, दो सिर का अर्थ कार्यता और व्यंग्यता किया गया है। उस के सात हाथ सात विभक्तियाँ हैं और तीन वचनों से वह निबद्ध है। इस प्रकार महादेव का अर्थ प्रतीक रूप में वेद, यज्ञ, वृषभ तथा भाषा किया गया है। उपनिषदों में भी ओम् वेद का, ख ब्रह्म का और आकाश का, अक्षर विद्या का और सत्य ब्रह्म का प्रतीक है। औपनिषदिक प्रतीक वस्तुतः बौद्धिक और ब्रह्मज्ञान से सम्बन्धित हैं। सूक्ष्म एवं अव्यक्त विचारों के प्रकटीकरण के हेतु उन में प्रतीकों का प्रयोग किया है। उपनिषदों का अधिकतर भाग प्रतीकात्मक है। अतएव प्रतीकों को समझे बिना औपनिषदिक विद्या का रहस्य विदित नहीं हो सकता।

हिन्दी के प्राचीनकाव्य में भी सिद्ध, नाय और सन्त-साहित्य में प्राचीन और नवीन प्रतीकों के विविध प्रयोग कथित होते हैं। कबीर की कविताओं में तो विशेष रूप से प्रतीक गुम्फित हैं। प्रतीक-बोधना की प्रमुखता के कारण ही कबीर की कविता क्लिष्ट मानी जाती है। उदाहरण के लिए, उन की कविताओं में 'ससम' शब्द व्यापक रूप से मिलता है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि उपनिषद्-साहित्य में अक्षर स्वयं प्रतीक हैं। उस में 'स' आकाश का प्रतीक है और 'सम' समान का वाचक है। इस प्रकार 'ससम' का अर्थ 'गगनोपम' है। किन्तु कुछ विद्वान् धारणी 'स्वस्य' से हिन्दी के 'ससम' शब्द का विकास मानते हैं, जिस का अर्थ आत्मिक, स्वामी एवं पति है। श्री

परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार 'खसम' शब्द जीव के लिए प्रयुक्त लक्षित होता है। किन्तु डॉ० योगध्यान आहूजा 'पति' के अर्थ में प्रयुक्त मानते हैं।^{११८} हमारे विचार में 'गगनगुफा' की भाँति 'खसम' शब्द भी ब्रह्मरथ के लिए प्रयुक्त प्रतीक है। श्री महेन्द्र कुमार ने कबीरदास के प्रतीको को चार वर्गों में विभाजित किया है —^{११९}

- (१) साधना पद्धति से सम्बन्धित—गगनगुफा, गगनमडल, चाँद, सूर, औंधा कुआ, आदि।
- (२) सख्यावाच्यी शब्दों से युक्त प्रतीक—शरीर के लिए एक कुवाँ, इन्द्रियों के लिए पाँच पतिहारी, पंच बलधिया, पाचउ लरिका, ब्रह्मरथ के लिए दसवाँ द्वार, इत्यादि।
- (३) रूपक, अयोक्ति के माध्यम से प्रस्तुत भावमूलक प्रतीक—आत्मा के लिए दुलहिन, घर के लिए घट, भरतार के लिए परमेश्वर, प्रेम भक्ति के लिए हिंडोलना, परमेश्वर के लिए नणद के बीर, शरीर के लिए कागद की पुडिया, आदि।
- (४) उल्लंघनसिया के प्रतीक—सिंह (ज्ञान), गाय (इन्द्रिय), जल (माया), मछली (मन), मुरगा (ज्ञानी मन), कुत्ता (काल), उँदरी (आत्मा), मृग (विषय वासना), आदि। छायावादी काव्य में प्रयुक्त कुछ प्रतीक निम्न लिखित हैं —

गीला गान—वेदना से पृण। त्रिभुवन के मनाविकार—काम भाव। धूलि की डेरी—असुन्दर वस्तुएँ। ललाट—भाग्य। खल लेखा—चिन्ता। तम व सुन्दरतम रहस्य—अधकार में प्रकाशित होने वाल तारे। वाडव ज्वाला—पूर्व कालिक स्मृतियाँ। जीवन की डाल—हृदय। हीरा—कठोर। कुमुद—उरोज। उराजो का विकास—वय सधि। तरगो में डूबे—आनन्द मग्न। माती—आँसू। दीप—जीवन। मर्म-पीडा के हास—मेरे पीडित मन। आकाश—शून्यता, उदासी। शैशव—चपकता। बिन्दु—यक्ति। सि धु—समष्टि। अरुण ज्वाल—नवीन चेतना। अन्तर सौरभ—स्नेह। अमृत घन—आनन्द। कनक छाया—भोर। काँटे—दुख। रस बूँद—आशा की किरण। झंझा—क्षोभ, भावों का सवर्षपृण तूफान। शकोर—तडपन। गर्जन—कचोट। बिजली—कसक, पीडा। नीरदमाला—पृण निराशा। मधुराका—मिलन। मधुप—प्रेमी। नीलम की प्याली—आँख। तरी, तरणि—जीवन। तन्त्री—हृदय। जीवन—गति, विश्वास। झरना—प्रेम प्रवाह। मद—यौवन। किसलय—नेत्र। निर्भोक—जीणता। चिरनिद्रा—मृत्यु। गुलाब—लालिमा। मधुकाल—शैशव। कलिका—प्रिया। बादल-विद्रोही।

इसी प्रकार प्रगतिवादी काव्य का प्रतीक विधान है —

शोषण के पौलादी हाथ—शाषकों के अत्याचार। उग रही तलवार की फसलें—हिंसा मयी क्रान्त जम ले रही है। पृथ्वी के गाल—धरातल। गोरे रंग के अभिमान—आभिजात्य वर्ग। यौवन के सौदागर—धनी लोग। नशील चाँद—विश्वास पूर्ण जीवन। जवान लाश—असमर्थ युवक। मिट्टी का पुतला—किसान। तथा—

तम के जो बन्दी थे,
सूरज ने मुक्त किए,

किरनों से रंग ढोला
करती की रंग दिवे । —नरेशकुमार

प्रतीकों के विभिन्न प्रयोग

काव्य-रचना में कवि का मुख्य व्यापार सौन्दर्य की अभिव्यक्ति में निहित रहता है। रचना की अन्तर्बोजना में अनेक शब्दों, ध्वनियों, नाद योजना तथा रूप, आदि का प्रकृत विन्यास किया जाता है, उस भाषिक रचना में कवि का ध्यान मुख्य रूप से सौन्दर्य पक्ष पर रहता है। भाषा का सौन्दर्य भी शब्दों के उचित विन्यास से प्रकट होता है। साहित्य में औचित्य का निर्वाह प्रत्येक स्थिति में आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य माना गया है। काव्य में उपमा या उपमान की योजना करते समय भी औचित्य का ध्यान अवश्य रखना पड़ता है। आचार्य शुक्ल जी ने अपने शब्दों में इसे यों कहा है कि 'भारतीय काव्य पद्धति में उपमान चाहे उदासीन हों, पर भाव के विरोधी कभी नहीं होते। 'भाव' से मेरा अर्थ वही है जो साहित्य में लिया जाता है। 'भाव' का अभिप्राय साहित्य में तात्पर्य बोध मात्र से नहीं है, बल्कि वह वेगयुक्त और जटिल अवस्था विशेष है, जिस में शरीरवृत्ति और मनोवृत्ति दोनों का योग रहता है।' भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही काव्यशास्त्रिया की दृष्टि में सौन्दर्य एक ऐसा तत्त्व है, जिसे काव्य की प्राण धारा कहा जा सकता है। सौन्दर्य सदा प्रतीयमान होता है। सौन्दर्य की प्रतीति कराने के लिए रचनाकार साकेतिक या बिम्बात्मक भाषा का प्रयोग करता है। हिन्दी की नई कविता तो प्रतीकों की भाषा की कविता कही जाती है। वास्तव में, प्रतीकात्मकता के सभी रूपों में से भाषा सब से अधिक उन्नत, अत्यन्त सूक्ष्म और अत्यधिक जटिल है। भाषा के श्रेष्ठतम बिम्बों में प्रतीकात्मकता किसी न किसी रूप में अन्तर्हित रहती है। क्योंकि साहित्यिक रचना में प्रयुक्त प्रतीक बीजगणितीय प्रतीक की भाँति शब्द मात्र या किसी विशिष्ट अर्थ का द्योतन नहीं करते, बरन् ध्वनियों तथा शब्दों के अनुपमों में पूरा एक चित्र प्रस्तुत करते हैं। बिम्ब विधान में भी प्रतीकात्मक शब्द की भाँति पूरा वृत्तचित्र किसी मुख्य शब्द से सञ्चित रहता है। इस प्रकार काव्य निर्माण की प्रक्रिया में कला की सार्थकता इस में है कि वह मूर्त तथा अमूर्त दोनों प्रकार के भावों को सौन्दर्य बिम्बों में रूपायित करे। वास्तव में, सौन्दर्य का कथन या बणन नहीं किया जा सकता, वह तो साकेतिक रूप से अभिव्यक्त होता है। प्रतीकों के विभिन्न प्रयोग वस्तुगत सौन्दर्य को साधर्म्य के आधार पर अभिव्यक्त करने के लिए किए जाते हैं। इन प्रतीकों में अधिकतर एक ही वस्तु विभिन्न प्रतीकों के रूप में विभक्त लक्षित होती है। इसलिए दीपक कहीं आस्था का प्रतीक है, तो कहीं व्यथा का दीप है। कहीं दीप मानव-मूर्तियों की प्रतिष्ठा का प्रतीक है, तो कहीं मिट्टी-पत्थर का और कहीं निवेदन का दीप है। एक ही कवि की रचनाओं में सन्ध्या के अनेक चित्र प्रतीकों से अनुविद्ध संलक्षित होते हैं। अज्ञेय की कविताओं में सन्ध्या कहीं किरण-परी है, कहीं लक्ष्मी काँझ है, अम्बाली है, कहीं जेठ की सन्ध्या का अच-

साद भरा धूमिल नभ है और कहीं सहमी सी बिजली है । न जाने ! उस के कितने रूप हैं । भोर के भी अनेक प्रतीकात्मक चित्र उन की रचनाओं में भरे पड़े हैं । इसी प्रकार एक अकेले सूरज को ले कर नई कविता में अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया गया है । अश्वेय जी की पक्ष्यन्ती कल्पना में सूरज नैवेद्य का जवा-कुसुम है, जिसे खगर अपने हाथों से अर्पित कर रहा है । किन्तु वैज्ञानिक युग में सूर्य काल के समान है, जिस ने विज्ञान-शोक को जन्म दे कर अपनी ही किरणों से हिरोशिमा को सोख कर मटियामेट कर दिया । कवि के ही शब्दों में—

मानव का रचा हुआ सूरज
मानव को भाप बना कर सोख गया ।
पत्थर पर लिखी हुई यह
जली हुई छाया
मानव की साखी है । (हिरोशिमा)

किन्तु गिरिजाकुमार माधुर की कल्पना में सूरज एक स्तनपायी शिशु है । यथा—

बत्सल छाती सी पहाड़ियाँ
दूध पिलाने आतुरा
बच्चे सा सूरज सा जाता
ले कर मुँह में आँचरा
नम रहती पलास की चोली
रिसती बूँदे दूध की । (शिलापल चमकीले)

दुष्पन्त सूर्योदयी भावना के कवि माने जाते हैं । उन का सूर्य ज्योति किरणों से भरपूर है । उन की आस्था के स्वर है—

देखो ना ।
मुझ में ही झूना था सूर्य कभी,
सूर्योदय मुझ में ही होना है,

परन्तु नरेश मेहता समाज की घुटन और टूटन को बिलखारव से भरे सूरज के रूप में देखते हैं, जिस का वियोग नित्य अवश्यभावी है—

मध्यरात्रि के इस निणय से
जाने कितने सूर्य
आज ही कल के लिए मर चुके
जाने कितने अनागतों दिवसों की
घायल हसियाँ

रोती रहीं रात भर । (सशय की एक रात)

इसी प्रकार के अनेक अनुविद्ध चित्र अल्पम की भाँति दिखलाई पड़ते हैं । एक यथार्थता का प्रतीक इन शब्दों में रूपायित है—

मेरी हाथ में टूटा पहिया,
 गिरावटी आग-की संख्या,
 बदन पर एक फूटा कवच
 सारी देह क्षत-विधत
 धरती खून में ज्यों सनी कल्पवृक्ष काश
 तिर पर गिर सा मेंबर रहा आकाश । (चक्रव्यूह कुंवरनारायण)

कहीं-कहीं तो संवेदनाओं की तराश ही प्रतीक बन कर रूपायित परिरक्षित होती है ।
 एक सरल और स्पष्ट रूप है—

या भूखा होना कोई
 गुरी बात नहीं है
 दुनिया में सब भूखे होते हैं
 सब भूखे " " "
 —कोई अधिकार और लिप्सा का,
 —कोई प्रतिष्ठा का
 —कोई आदर्शों का
 और कोई धन का भूखा होता है
 ऐसे लोग अहिंसक कहाते हैं
 मांस नहीं खाते हैं
 मुद्रा खाते हैं
 किन्तु जीवन की भूख
 बहुत कम लोगों में होती है ।

(एक कठ विषपायी दुष्यतकुमार)

सुक्तिबोध के प्रतीक इन सबसे भिन्न हैं । उन की पश्यन्ती कल्पना अन्तररचना में अन्त-
 विरोधों से टकराती है । अतः उन्हें आधुनिक सभ्यता सकट की एक रेखा प्रतीक
 होती है—

नीचे उल्टो, खुरदरा अंधेरा सभी ओर
 वह बड़ा तना, मोटी डालें,
 अधजले फिके कण्डे व राख
 नीचे तक में ।
 वह पायलक सुवती सोई है
 मैली दरिद्र ली अस्त दवस्त—
 उस के विश्वरे हैं बाल व स्तन लटका-सा
 अवगिनत बासना-मस्तों का मन अटकता था !

(चौद का मुँह देना है - सुक्तिबोध)

अनुष्यों की अनुबिद्ध प्रतीक परम्परा का एक उद्धरण है—

विज्ञप्ति की भाषा में
कालजयी पुरुष के—
शब्दों का,
कर रहे हम
एक अथवान सस्कार ।

सांस्कृतिक वर्ग में प्रतीकों के पौराणिक, धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक विविध प्रकार के सफल प्रयोग लक्षित होते हैं । ऐतिहासिक प्रतीकगत एक उदाहरण है—

आदम का पुत्र बहुत
भठका अँधेरों में
चगेजी न्यायो के
खून भरे घेरो में ।

इसी प्रकार दार्शनिक और वैज्ञानिक प्रतीकों के भी विभिन्न प्रयोग मिलते हैं । उन सभी के उद्धरण देना समुचित न होगा ।

कोशविज्ञान

कोशविज्ञान शब्दा और अर्थों से सम्बन्धित व्यावहारिक भाषाशास्त्र का एक नवीन विषय है । बोल चाल में 'शब्दकोश' का लक्षित शब्द रूप 'कोश' का व्यवहार होता है । इसलिए इसे काशविज्ञान कहने लगे हैं । सस्कृत में कोश तथा कोष दोनों शब्दों का प्रयोग शब्दकोश के अर्थ में लक्षित होता है । कोश या कोष शब्द के अनेक अर्थ सस्कृत में कोशा में मिलते हैं । किन्तु मुख्य रूप से इस शब्द में दो ही अर्थ कहे गए हैं—शब्दपथायज्ञापक ग्रन्थ और भाषाशास्त्र । मेदिनीकोश में इस का अर्थ शब्दादिसग्रह है और अनेकाथसग्रह में कोष तथा अथचय है ।^१ यद्यपि सस्कृत के कोशों में कोश और कोष समानार्थी शब्द हैं, किन्तु अर्थ च्योतन की दृष्टि से हिन्दी में अथ भेद लक्षित होता है । अतएव 'कोश' शब्द 'शब्द सग्रह' का और 'कोष' भाषाशास्त्र या खजाने अर्थ का वाचक है । अंग्रेजी में इस के लिए 'डिक्शनरी' और 'लेक्सिकन' शब्द प्रचालित हैं । दाना का अर्थ एक है । शब्दकोश में अकारादि क्रम से शब्द संयोजन किया जाता है । पहले इस का अर्थ एक पारिभाषिक शब्द-सूची मात्र समझा जाता था । किन्तु अब 'डिक्शनरी' शब्द का अर्थ है—एक ऐसा सन्दर्भ ग्रन्थ जिस में शब्द रूपों की परिचिति, उच्चारण, कार्य, व्युत्पत्ति, अर्थ, वाक्यात्मक विन्यास तथा मुहावरे के प्रयोगों के साथ शब्दों का वर्णनादि क्रम से संयोजन किया जाता है ।^२

कोश का कार्य दुरुह एवं जटिल समझा जाता है । क्योंकि उसमें शब्द के प्रत्येक अंग की पूर्ण जानकारी प्रामाणिक स्रोतों से सकलित की जाती है । शब्द का साधु रूप, उस का उच्चारण, लिंग निणय, व्युत्पत्ति, धातुगत अर्थ, पर्यायवाची शब्द, व्याकरणिक निर्देश, अनवृद्ध या अपरिचित वस्तुओं के अर्थ-बोध के लिए चित्र-अंकन तथा अर्थ-

शब्दों के चयन के लिए शब्द प्रयोग, श्लोकोक्ति, मुहावरे, आदि का संकलन कर संक्षिप्त व्याख्या शब्द-कोश में प्रस्तुत की जाती है।

कोशविज्ञान का और अर्थ-विज्ञान का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। शब्दकोश में केवल शब्दों का संकलन ही नहीं किया जाता, बल्कि अर्थ निर्धारण भी शब्द-संग्रह की प्रवृत्ति में शामिल रहता है। बिना अर्थ के जाने केवल शब्द-संग्रह कर देने से कोई कोश नहीं बन जाता। अर्थ भाषागत शब्दों के प्रयोग और व्यवहार में संरक्षित होता है। इसलिए एक ही शब्द विभिन्न सन्दर्भों में भिन्न भिन्न अर्थ का बोध कराता है। कोशविज्ञान में शब्दों और अर्थों के सम्बन्ध में मुख्य रूप से दो प्रकार के शब्दों का विश्लेषण करना पड़ता है। प्रथम, वे जो अनेकार्थक हैं। एक शब्द कई कारणों से अनेक अर्थों का वाचक होता है। कभी कभी सादृश्य के कारण एक शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं और कभी कभी पुराना शब्द किसी दूसरे अर्थ में प्रचलित हो जाने के कारण अपना संस्कारगत अर्थ समानार्थी शब्द के लिए छोड़ देता है। शब्दों और उन के अर्थों में उलट पुलट हो जाने से भी एक शब्द के कई अर्थ हो जाते हैं। शब्दों के अर्थ बदल जाने पर भी परम्परागत अर्थ किसी न किसी रूप में बने रहते हैं। दूसरे, वे शब्द हैं जो भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही अर्थ के व्यञ्जक हैं। इन में कहीं न कहीं अर्थगत सूक्ष्म भेद रहता है या किया जाता है, जो बौद्धिक नियमों के अन्तर्गत विश्लेषित किए जाते हैं। सिडनी एम० लेम्ब ने इस प्रकार के शब्दों और अर्थों के छह प्रकार के सम्बन्धों का विश्लेषण किया है^{१५} १ अनेकार्थक शब्द, २ विभिन्न शब्द एकार्थक, ३ सहयोगी विनिश्चयायक शब्द ४ सयोगी शब्दों का अर्थ निणय, जैसेकि— ऊष्मा ताप, विध्वंस विस्फोट, लूटना और शापण, आदि, ५ विषयय शब्द, और ६ सामान्य गमित अर्थ का चयन करने वाले शब्द, जैसे—‘पेड़’ शब्द में पौधे का भाव भी निहित रहता है। वास्तव में, जितने तरह के शब्द और उनके अर्थ सम्बन्ध हो सकते हैं, उन सब का विचार कोश विज्ञान में किया जाता है। शब्दों का अर्थ निणय करना अर्थ विज्ञान का विषय है। मुख्य रूप से कोशविज्ञान अर्थविज्ञान से सम्बन्धित है। अर्थ निर्णय के भी कई पक्ष होते हैं। कहीं वह सामाजिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक, आदि तथ्यों से अनुबन्धित होता है, और कहीं शब्दों के मूल रूप से। शब्दों के मूल रूप का विश्लेषण करना व्युत्पत्तिमूलक अध्ययन कहा जाता है, जो कोशविज्ञान का प्रधान अंग माना जाता है। जैसाकि हमारे बृहत् (Comprehensive) कोशों से संसूचित होता है, शब्द-संग्रह की मुख्य समस्याएँ अर्थविज्ञान (प्रत्येक शब्द के अर्थ) और व्युत्पत्ति (उन शब्दों का इतिहास, उद्भव और विकास) से सम्बन्ध हैं। इन दोनों में से विशेषकर दूसरा (व्युत्पत्ति) वर्णनात्मक भाषाविदों की अपेक्षा ऐतिहासिक भाषावैज्ञानिकों के लिए विशेष रुचिकर विषय है।^{१६}

सामान्यतः कोशविज्ञान में शब्दकोश के सम्पादन या निर्माण-कार्य की पद्धति का अध्ययन किया जाता है। सिद्धान्ततः कोशविज्ञान भाषा के सांकेतिक शब्द-रूपों या पदियों के संग्रह के साथ भाषिक समुदाय (निकाय) में वह संयोजना है, जो अर्थपूर्ण

स्थितियों के सन्दर्भ में प्रकट होती है। सामान्य बोलचाल में हम कहते हैं कि कोश का शरीर शब्दों या पदों से निमित्त होता है, जो वर्णादि क्रम से शब्द-रूची के साथ सम्बन्ध साकेतिक स्थितियों में संयोजित किए जाते हैं।^{१५} कोशगत शब्द यादृच्छिक व्यवहार खण्ड कहा जाता है, जो भाषा के एक या एक से अधिक मुक्त रूपों से निर्मित होता है। पदिस भी न्यूनतम साकेतिक या अर्थपूर्ण इकाई कही जाती है। कोश का कार्य एक शब्द-भाण्डार की भाँति अधिक से अधिक मुक्त रूपों का संकलन करना और संप्रेषण पद्धति में शब्द और अर्थ के परस्पर सम्बन्धों का निर्धारण करना है। इस प्रकार कोशविज्ञान को दूसरे शब्दों में कोशरचना शास्त्र भी कह सकते हैं।

श्री रामचन्द्र वर्मा के शब्दों में “कोश-रचना एक कला है। अच्छा कोशकार नहीं हो सकता है जो अच्छा आलोचक भी हो। क्योंकि कोश-रचना में आदि से अन्त तक एकरूपता का निर्वाह करना पड़ता है।”^{१६} कोश की संकलना में संकलित शब्दों की भिन्नता के सभी कारणों की छान बीन कोशकार को करनी पड़ती है। वह शब्दों की विभिन्नता में एकस्रता खोज कर साधु, सम्यक् और प्रचलित रूपों को विभिन्न वर्गों में विभाजित करता है। एक ही शब्द के बोली तथा उपबोलियों तथा व्यक्तिगत बोलियों में मिलने वाले अन्य रूपों का वह एक ही स्थान पर संयोजित करता है। इसी प्रकार समानार्थी शब्दों में सम्बन्ध में अलग-अलग स्थानों पर विवरण न देकर सन्दर्भ मात्र से सूचित करता है। प्रत्येक कोशकार को उपबोली, बोली और मानक भाषा के शब्दों का आकलन करना पड़ता है। कोश में संकलित शब्दों का अध्ययन दो स्तरों पर किया जाता है—समकालिक (synchronic) और ऐतिहासिक (diachronic)। समकालिक स्थिति का भी अध्ययन दो तरह की पद्धतियों से किया जा सकता है। यदि हम किसी जीवित स्थिति का अपने अनुभव से वर्णन कर रहे हों, जैसे किसी भाषा का—तो हम दो प्रकार से भाषा की आंतरिक स्थिति तक पहुँच सकते हैं। वर्तमान भाषा का यदि कोई लिखित साहित्य न मिलता हो और वह केवल परम्परा से मौखिक प्रचलित हो, तो हम वास्तविक वाक्यप्रवृत्तियों और उच्चारणों के रूप में सामग्री संकलित करेंगे। यदि वह बोली के साथ लिखित भाषा भी है, जो लिखित सकेतों में और वास्तविक उच्चारणों के रूप में मिलती है, तो ऐसी दशा में हमारी सामग्री मुख्य रूप से साहित्यिक मानक रूप पर आधारित होगी और प्रसंगत उपमानक तथा क्षेत्रीय रूपों पर।^{१७} अतएव कोश-सम्पादन एक कला न हो कर वैज्ञानिक विधि है। इस में एक विधि तथा पद्धति का अनुसरण किया जाता है। यद्यपि कोश का जन्म एक कदम के रूप में हुआ और दीर्घ काल से कोश कला प्रचलित चली आ रही है। किन्तु आज कोश का सम्पादन एवं रचना कार्य एक वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। यदि हम भाषा की वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार किसी भाषा के कोश का सम्पादन करना चाहते हैं, जिस भाषा की लेखन पद्धति का आज तक चलन नहीं है, तो ऐसी दशा में हम सर्वप्रथम व्यक्तिगत उच्चारणों को अभिलेख के रूप में समझीत कर सम्बद्ध व्यक्तिगत, व्यक्तिगत,

व्यक्तिगत और पदपर्यायिक विश्लेषण कर पत्थर शब्दों के उच्चारण का सटीकता करना चाहिए।¹⁰⁰ प्रत्येक शब्द के उच्चारण के विश्लेषण की एक पद्धति है, जिस का विकास से विवेचन भाषाशास्त्र के अन्तर्गत किया जाता है। प्रत्येक उच्चारण पूर्णतः क्रमिक कोशीय तथा व्याकरणिक रूपों में किया जाता है। यह ध्यान में रखने योग्य बात है कि अर्थों को विज्ञान के शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। कोशीय रूपों में न्यूनतम अर्थवान इकाइयों को पदियों के समान तथा उन के अर्थों को सक्रिय अर्थ-इकाइयों के समान और इसी प्रकार न्यूनतम अर्थवान व्याकरणिक रूप की इकाइयों को कारकों के समान एवं उन के अर्थों को सक्रिय अर्थवान इकाई के समिकट कहा जाता है।¹⁰¹ भाषा का व्यावहारिक जगत् सक्रिय अर्थवान इकाइयों से निर्मित होता है। भाषिक संरचना में हम पदियों का विश्लेषण विभिन्न इकाइयों के रूप में करते हैं। भाषिक अध्ययन सदा ध्वन्यात्मक रूप से आरम्भ होता है, न कि अर्थ से। भाषाशास्त्र का मुख्य विषय है—पदग्रामिक अर्थ का विश्लेषण करना। पदिस का अर्थ ही सक्रिय अर्थ इकाई (sememe) है। भाषाशास्त्री यह मान कर चलता है कि प्रत्येक सक्रिय अर्थवान इकाई पद के अर्थ की दृष्टि से स्थिर और निश्चित है। वह अपने अर्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ से अन्वित हो सकता है, किन्तु अन्य अर्थ के समान नहीं होता। भाषा का प्रत्येक मिश्र रूप पदियों से बना हुआ होता है। पदियों की रचना ध्वन्यात्मक रूपों से होती है। भाषा का सम्पूर्ण पदिस भाण्डार कोश कहलाता है।¹⁰² कोश विज्ञान में शब्दों की उत्पत्ति और उन के विकास के साथ ही शब्दों के अर्थों का इतिहास तथा उन के सांयोगिक परिणामों की विवेचना की जाती है। भाषा-विज्ञान में कोशरचनाशास्त्र सभी शाखाओं में समन्वय सम्बन्ध बनाने वाला तथा प्रत्येक शब्द की उत्पत्ति और अर्थ निश्चित करने वाला, शब्द की प्राचीनता और उन का सम्बन्ध निरूपित करने वाला एवं विशिष्ट वाक्य विन्यास में शब्द प्रयोग के सम्बन्ध को निर्दिष्ट करने वाला शास्त्र है।¹⁰³

यद्यपि शब्दकोश या कोश का निर्माण शब्दों से होता है, किन्तु कोशपत्र शब्दों में तथा शब्द में अन्तर किया जाता है। एक शब्द में जो कि पूर्णतः व्याकरणिक रूप (Lexeme) है और एक कोशगत शब्द में निश्चित अन्तर है। 'मुझे फल खाने की चाह है' इस वाक्य में 'चाह' एक कोशीय शब्द है। परन्तु 'वह फल खाना चाहता है' में 'चाहता' कोशीय शब्द नहीं है। यद्यपि वाक्यरचना में दोनों समान स्थिति में हैं, किन्तु प्रथम 'चाह' शब्द मुक्त पदिस है और दूसरे 'चाहता' के 'चाह' शब्द में यह आबद्ध रूप है; इसलिए इन दोनों में भेद है।¹⁰⁴ कोशरचना शास्त्र और व्याकरण शास्त्र में अभिन्न मौलिक सम्बन्ध है। कोशरचना एक प्रकार की नवीन व्याकरण की अनुक्रमणिका कही जा सकती है, जिस में भाषा-संरचना का सभी प्रकार से अध्ययन किया गया है। इस प्रकार संरचना की दृष्टि से कोश और व्याकरण में समानता संसंधित होती है, किन्तु शब्द-व्यवस्था में दोनों भिन्न हैं। कोशीय शब्द-रूप व्याकरण की प्रतीक

विन्यास में शैली के सन्निकट होते हैं।¹¹⁴ भाषिक संकेतों के अर्थवान् लक्षण दो प्रकार के हैं—कोशीय रूप, जिन में ध्वनिप्राम और व्याकरणिक रूप एवं व्याकरणिक लक्षण (taxemes) भी व्याप्त हैं। प्रत्येक कोशीय रूप व्याकरणिक रूपों से दोनों ओर से सम्बद्ध है। एक ओर से, साराश रूप में वह अर्थवान् व्याकरणिक संरचना है, और दूसरी ओर से, भाषिक रूप में वह वास्तविक उच्चार है, जो सदा व्याकरणिक रूप से समन्वित रहता है।¹¹⁵

भाषाशास्त्र के विभिन्न रूपों के अध्ययन की भाँति कोशविज्ञान या कोशरचनाशास्त्र का अध्ययन मुख्यतः तीन रूपों में किया जाता है—वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक। इन तीनों ही रूपों का सामान्यतः उपर्युक्त समकालिक और ऐतिहासिक दोनों ही पद्धतियों से अध्ययन और विवेचन किया जाता है। केवल भाषिक संरचना की दृष्टि से मुक्त शब्द रूप का अध्ययन किया जाता है। उस के मूल शब्द तथा सयोगी शब्द रूपों को ध्यान में रख कर शब्दांश एवं सहयोगी शब्दों का अर्थ-निर्णय अथ विज्ञान के आधार पर निश्चित किया जाता है, जो कोशगत सम्बद्ध पक्ष है। यह एक व्यावहारिक पद्धति है। इस के आधार पर प्रत्येक शब्दकोश का सम्पादन किया जाता है। किन्तु ऐतिहासिक पद्धति के अन्तर्गत कालक्रमानुसार शब्द तथा अर्थ का निर्धारण किया जाता है। इस के अतिरिक्त कोश-सम्पादन में वर्णानुक्रम से प्रत्येक शब्द को व्यवस्थित रूप में सयोजित किया जाता है। व्याख्यात्मक कोशों में ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर ही उस के पूर्वरूपों का तथा ऐतिहासिक विवरण का उल्लेख किया जाता है। तुलनात्मक पद्धति में शब्दों की उत्पत्ति तथा मूल स्रोत के आधार पर विकास की दिशा और आधुनिक भाषाओं के प्रचलित तथा विभिन्न परिवारों की अलग अलग भाषाओं के कोशीय शब्द रूपों का अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है। परस्पर विरोधी भाषाओं के कोशगत शब्दों का अध्ययन भी इस पद्धति के अनुसार किया जाता है।

कोशीय शब्दों को अलग करने और उन को सयोजित कर कोश का रूप देने में कई प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। सर्वप्रथम, कोशीय शब्दों की पहचान करना और उन का समुचित सयाजन करना एक महान् कार्य है। प्रत्येक भाषा का अपना शब्द-भाण्डार होता है। उसमें अपने शब्द फिटने हैं और विदेशी भाषाओं के कितने शब्द किन किन रूपों में कब समा गए हैं, उन के आज तक के रूपों में कितने परिवर्तन हुए हैं। मूल शब्द क्या था, किस भाषा का था, उस का क्या अर्थ था—इन सब बातों का विचार करना आवश्यक हो जाता है। एक एक बात का पता लगाने में कई प्रकार की कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शब्दों के इतिहास का पता लगाने के समय यह सदा ध्यान में रखने योग्य है कि किसी शब्द के प्राचीन होने से वह प्राथमिक या श्रेष्ठ नहीं हो जाता। इसी प्रकार ऐतिहासिक कोश के सम्पादन में स्पष्टता के साथ देखना चाहिए कि ऐतिहासिक दृष्टि से अनेकार्थक शब्दों का क्या इतिहास है

और उन की क्या व्याख्या है।¹²¹ शब्दों के उच्चारण और उन के अर्थ में जहाँ व्याकरणिक संरचना का विचार किया जाता है, वहीं परम्परा और प्रचलन को भी ध्यान में रखना चाहिए, उदाहरण के लिए, 'गुहार' और 'जौहर' शब्द मूल में संस्कृत 'हु' धातु से निष्पन्न हुए हैं, जो होम्ना अर्थ का वाचक है। किन्तु परम्परा से गुहार या जुहार शब्द का अर्थ प्रथम प्रचलित रहा है। इस का सम्बन्ध सम्भवत युद्ध-क्षेत्र में सर्वप्रथम बाण-सन्धान कर अपना परिचय देने से है। इसी प्रकार मूल शब्द के निर्धारण में भी बड़ी कठिनाई होती है। कभी-कभी उच्चारण भेद से भी बोलियों के कई शब्द साहित्यिक भाषा में प्रचलित हो कर साहित्यिक शब्द बन जाते हैं, जैसेकि—अर्द्ध मागधी 'पल्लक' शब्द संस्कृत में 'पर्यङ्क, पत्यङ्क' हिन्दी में पालकी, बंगाल में पालकी, गुजराती में पालली, उड़िया में पलक, मलयालम में पालकि और जावा में पर्यक है। कहीं यह पालकी अर्थ का वाचक है और कहीं पलग का।¹²² इसी प्रकार बहुत स द्रविड भाषाओं के शब्द संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तथा आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं ने अपना लिए हैं। संस्कृत के बहुत से शब्द डच तथा इण्डोनेशिया की भाषाओं ने उधार ग्रहण कर लिए हैं। उन सब का ठीक से पता लगाना और प्रामाणिक तथा निश्चित जानकारी देना एक जटिल एवं महत्त्वपूर्ण कोश कार्य है। समालोचनात्मक एवं व्याख्यात्मक कोशों का हिन्दी में नितान्त अभाव है। इस दृष्टि से भारतीय आर्यभाषाओं के शब्दकोशों में ट्रेन्कर की '७ क्रिटिकल पाली डिक्शनरी' एक मात्र शब्दकोश है। इसी प्रकार हिन्दी में निरुक्तिकोश का भी अभाव है। कोशरचना के क्षेत्र में पारिभाषिक शब्दावली के निमाण और शब्द संग्रह के अतिरिक्त इस प्रकार के महत्त्वपूर्ण कार्यों को, जो वास्तव में गोष व अनुसन्धान के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं, कोई कार्य नहीं हो रहा है।

कोश प्रकार

कोश निर्माण का कार्य कई स्तरों पर कई प्रकार से किया जा सकता है। सामान्यतः कोश तीन प्रकार व कहे गए हैं—भाषाकोश, विषयकोश और लेखककोश। भाषाकोश भी कई प्रकार के हो सकते हैं—एक भाषाकोश, दिभाषाकोश, त्रिभाषाकोश और अनेकभाषाकोश। आधुनिक आवभाषाओं के लिए ऐसे अनेक प्रकार के कोशों की आज आवश्यकता है।¹²³ अभी तो हमारे यहाँ विभिन्न बोलियों के क्षेत्रों का तथा बोलियों का न तो पुनः सर्वेक्षण कार्य हुआ है और न बोली कोशों का निर्माण ही। वास्तव में, भाषा के इतिहास को बताने के लिए बोलीकोश जीवित इतिहास के साँचे होते हैं। बोलीकोश का निर्माण केवल शब्द और उस के अर्थ पर ही आधारित नहीं हो, बरन् भाषिक दृष्टि से मूल उच्चारों को द्योतित करने वाले सकेतों के साथ ध्वनि-वर्णीय स्तर पर बोले जाने वाले शब्दों के मूल स्रोत तथा विभिन्न रूपों का आकलन करने वाला भी होना चाहिए। बोली भूगोल के रूप में हमें मानचित्र के साथ उस क्षेत्र का सभी दृष्टियों से अध्ययन करना पड़ता है, जहाँ कि बोली का सम्बन्धन किया जाता

है। बोलीशास्त्र (Dialectology) भाषाशास्त्र का एक स्वतन्त्र विषय है। इसका आधीनकाल का विकास ही साक्षात्कार रहा है। स्ट्रूमपील्ड ने ठीक ही कहा है कि शब्द बोलीकोश में साहित्य की भाषा से भिन्न बोले जाने वाले एक ही शब्द के विभिन्न रूपों को बयान करनेवाले रूपों के साथ सभी शब्दों के उचित सावधानी से परिभाषित किए गए अर्थों को चमकते हैं।¹³⁹ वर्तमान कोशों में वर्णानुक्रम, ठीक उच्चारण, निरुक्ति, इतिहास, शब्द-प्रयोग और पर्यायवाची शब्दों आदि का निर्देश किया जाता है किन्तु प्राचीन काल के कोशों में ये सभी बातें नहीं मिलतीं। संस्कृत के कोश मुख्य रूप से पर्यायवाची या समानार्थी और अनेकार्थक मिलते हैं। हिन्दी में भी यही परम्परा रही है। संस्कृत में ही नहीं, ग्रीक भाषा में पॉलेक्स का कोश, पुरानी अंग्रेजी में एल्फ्रिक की शब्दावली, लैटिन पुरानी उच्च जर्मन में 'इनरिसी सुमेरियन', 'लैटिन कार्निंस' में कोट्टोनियन शब्दावली, इसी प्रकार के कोश हैं। वर्तमानकालीन प्रमुख यूरोपीय भाषाओं में सादृश्यमूलक (analogical), वैदलेषिक (analytical), सैद्धान्तिक (idea logical), रीत्यात्मक (methodical), सावलेषिक (synthetic), विषयात्मक (topical) एवं सर्वाधिक अनुकरण किया जाने वाला रॉसेट का 'थेसारस' विषयानुक्रम में वर्गीकृत है।¹⁴⁰ ससार के इतिहास में सब से अधिक कोश संस्कृत के लिखे गए हैं। इनकी संख्या लगभग पाँच सौ कही जाती है। इन में से अधिकतर अप्रकाशित हैं। दक्षिण भारत में मिलने वाले संस्कृत कोशों की संख्या इन से भिन्न है—धनजयनिघण्टु, समन्तभद्रनिघण्टु, हर्षकवि कृत द्विरूपकोशनिघण्टु, अभिधानमाला, इत्यादि।

भाषाकोशों के अन्तर्गत शब्दकोश, शब्दपरिवारकोश, पर्यायवाचीकोश, लोकोक्ति मुहावरे कोश और प्रयोगकोश, आदि आते हैं। कोश की अपेक्षा शब्दकोश विशद तथा व्याख्यात्मक होते हैं। ये प्रायः साहित्य के आधार पर निमित्त होते हैं। इन में शब्द की सक्षिप्त व्याख्या वेन्स्टर्स की इंगलिश डिक्शनरी की समानता पर की जाती है। हिन्दी में इस प्रकार का 'मानविकी पारिभाषिक कोश' है। भारतवर्ष में बोलीकोश का कार्य उन्नीसवीं शताब्दी में प्रारम्भ हुआ। मद्रास से सन् १८२२ में प्रकाशित सी० पी० ब्राउन कृत 'जिला डिक्शनरी' प्रथम बोलीकोश माना जाता है।¹⁴¹ सन् १८४५ में आगरा से एच० एम० इलियट विरचित 'ए ग्लासरी ऑव इंडियन टर्म्स' आठ जिल्दों में प्रकाशित हुई¹⁴², जिस में अनेक बोलियों के ठेठ बोली रूपों का अध्ययन किया गया है। डॉ० भारद्वाज कृत 'हरियाणा की सांस्कृतिक शब्दावली' भी इसी प्रकार का अध्ययन है। इन में जे० आर० रीड की 'आजमगढ़ ग्लासरी', जॉन्स, रेवरेड न्यूटन, आदि की 'छुबियाणा पञ्जाबी डिक्शनरी' विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। तुलनात्मक अध्ययन के रूप में डॉ० हॉनल की 'ग्रेमर ऑव ईस्टर्न हिन्दी क्रमियर्ड विद द अदर गौडियन लैंग्वेजेस', डॉ० अर्नेस्ट ट्रम्प की 'ग्रेमर ऑव द सिन्धी लैंग्वेज क्रमियर्ड विद द संस्कृत प्राकृत एड द काम्प्रेट इंडियन वर्नाक्युलर्स', सर जॉर्ज अनाहम प्रियर्सन

की 'निहार-डिक्टो-वर्ड्स' और आर० एल० टर्नर द्वारा 'नैपाली डिक्शनरी' इस विधा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा उत्कृष्टनीय कार्य हैं ।

विषय के अनुसार निर्मित हुए कोशों में कई प्रकार के कोश मिलते हैं । इन में आनुवंशिक के वैद्यक शब्द-सिन्धु से ले कर विज्ञान, राशित, दर्शन, प्राकृतिक इतिहास, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, वायुविज्ञान, मन्वननिर्माण कला, रंगशास्त्री, संगीत, भेषज, शाल्वचिकित्सा, शरीरविज्ञान, राजनीति, कूटनीति, विधि, भूगोल, भौतिक, समाजशास्त्र, कृषि, ग्रामीण अर्थशास्त्र, वागमानी, वाणिज्य, समुद्री विज्ञान, छुड़काजी, युद्धकला, भाषाविज्ञान, साहित्य एवं मञ्जीन (यन्त्रशास्त्र), आदि विषयों के कोश निर्मित हो चुके हैं । इसी प्रकार से शब्दकोश भी प्रकाशित हो चुका है, जिस में वार्षिकी पत्रमाओं का विवरण ऐतिहासिक सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है । भूगोलशास्त्र कोश 'गैजेट्तेर' (Gazetteer) कहा जाता है । इस में समस्त विश्व, महाद्वीप, विशिष्ट देश, मूलण्ड, कस्बे, गाँव, गगनजुम्बी अष्टाकिका, मठ, नगर, पर्वत तथा नदियों के सम्बन्ध में मुख्य बात निर्देशित की जाती हैं ।¹²¹ इसी प्रकार 'जीवनी कोश' में राष्ट्रीय व्यक्तियों के चरित्र, कार्य तथा विशेषताओं का वर्णन एवं मूल्यांकन किया जाता है । विषयकोशों में मुख्य रूप से शब्द किसी ज्ञानविषयक पद्धति का स्रोतन करता है । वर्तमान जीवन के विषयों को गिनामा सम्भव नहीं है, और जितने विषय हैं, उन सभी के कोश बन सकते हैं ।

लेखककोशों में प्रसादकोश, तुलसीकोश, सुरकोश, आदि की रचना हो चुकी है । इस प्रकार के कोशों में एक लेखक की सम्पूर्ण रचनाओं के आधार पर शब्दों का सकलन तथा अर्थ-निर्देश किया जाता है । जब केवल एक ही कृति का कोश निर्मित किया जाता है, तो उसे कृतिकोश कहते हैं, जैसेकि—रामचरितमानसकोश, कामायनीकोश और शकेतकोश, आदि ।

इन कोशों के अतिरिक्त विश्वकोश (Encyclopaedia) भी हिन्दी में लिखे गए हैं । विश्वकोश में ज्ञान की सम्पूर्ण शाखाओं की विशद जानकारी वर्णानुक्रम से प्रस्तुत की जाती है । अज्ञात एवं अप्रसिद्ध वस्तुओं को चित्रों तथा रेखाचित्रों की सहायता से दर्शाया जाता है । विश्वकोश एक प्रकार से कोशों के ही विस्तृत रूप होते हैं, जिन में अधिक से अधिक प्रामाणिक सामग्री एवं जानकारी प्रस्तुत की जाती है ।

अभ्युत्पत्ति-विज्ञान

अभ्युत्पत्ति शब्द का कर्म्य अर्थ है—विशिष्ट उत्पत्ति । किसी शब्द के रूप-निर्माण में मूलधार मूल शब्द होता है । मूल शब्द प्रकृति और प्रत्यय के योग से विश्व रूप में आकार ग्रहण करता है, उसे व्युत्पन्न होना कहा जाता है । यह शब्द के विकास-विकास का निर्देश करती है । ओम्ब्रेजी के 'इटिमोलॉजी' (etymology) शब्द का समानार्थी व्युत्पत्तिविज्ञान शब्द है । इस की व्याख्या इस प्रकार की गई है—शब्द के रूप में अधिक रूप का इतिहास निर्देश करते हुए प्राचीन अभिलेखों के आधार पर जहाँ यह शब्द निकला

है, उस का विकास बताया जाता है और एक भाषा से दूसरी भाषाओं में स्थानान्तरित होने तथा मूल उत्पत्ति का स्रोत दर्शाया जाता है।¹⁷⁹ व्युत्पत्तिशास्त्र में मुख्य रूप से शब्द की उत्पत्ति का इतिहास बताया जाता है। मूल शब्द के स्रोत का पता लगाने के लिए रूप-सम्बन्धों की स्थापना वशानुक्रम के स्तर पर की जाती है। डॉ० कत्रे के शब्दों में “सजातीय रूपों की तुलना के द्वारा हम उस सामान्य स्रोत के ध्वनात्मक और पद वैज्ञानिक स्वरूप तक पहुँच जाते हैं, जिस से कि वे पृथक् प्राप्त किए हुए रूप हैं। व्युत्पत्तिशास्त्र और ऐतिहासिक व्याकरण में एक बहुत बड़ा अन्तर है। ऐतिहासिक अध्ययन में जहाँ कालक्रमिक ध्वनि-प्रक्रियाएँ एवं पद रचना सजातीय भाषाओं में अधिक से अधिक सम्बन्धों का सचय करता है, वहाँ व्युत्पत्तिशास्त्र किसी शब्द के एक ही ऐसे पद से अथवा शब्द-रूपों के समूह से सम्बन्ध रखता है और उस पद का सम्बन्ध उन सम्भाव्य सजातीय पदों से करता है, जिस की मान्यता कालक्रमिक ध्वनि प्रक्रियाएँ एवं कालक्रमिक पद-रचना के परिणामों को यथार्थरूपेण प्रयुक्त करने पर स्थिर किए गए हैं। यह अन्तर इस वक्तव्य से और भी स्पष्ट किया जा सकता है कि ऐतिहासिक व्याकरण किसी बड़ी पार्श्वभूमि पर किए गए रोगन के बड़े पर्त के समान है और व्युत्पत्तिशास्त्र उस रोगन के क्षुद्रतम बिन्दुओं में बड़ी सफाई से की गई लघुतम रगसाजी है।”¹⁸⁰ हिन्दी शब्दों की व्युत्पत्ति जानने के लिए सर्वप्रथम हमें सजातीय रूपों से मिलान करना पड़ेगा और तब प्राचीन भारतीय आर्यभाषाओं के क्रमिक विकास में ध्वनि प्रक्रिया और पद रचना के स्तरों पर विभिन्न रूपों के कालक्रमिक भेदों का अन्तर निदिष्ट करना पड़ेगा। डॉ० कत्रे के शब्दों में “यदि हमें आन्तरिक पुनर्निर्माण अथवा तुलनात्मक पुनर्निर्माण के द्वारा मध्यवर्ती श्रृंखला-रूपों का पुनर्निर्माण आवश्यक प्रतीत होता है, जिस से कि प्रामाणिक सजातीय रूपों को जोड़ने वाले विकास का क्रम स्पष्ट किया जा सके, तो इन पुनर्निर्माणों में काल की गहराई होनी चाहिए और इन्हें स्थान एवं काल के प्रतिबन्धों से सन्तुष्ट करना चाहिए। प्रत्येक पद पर जहाँ हम व्युत्पत्तिशास्त्रीय समीकरणों की स्थापना करते हैं और पुनर्निर्मित रूपों को विच्छेदपूर्ति के हेतु बनाते हैं, वहाँ परिस्थितिगत सदम में स्थान, काल के विषय में सचेत रहना चाहिए। ऐतिहासिक और तुलनात्मक व्याकरण उस विस्तृत रूप में, जिस के द्वारा वे ऐतिहासिक ध्वनि प्रक्रिया और ऐतिहासिक पद रचना से सम्बन्धित वक्तव्यों की रचना करते हैं, हमारी सहायता कर सकेंगे,¹⁸¹ उदाहरण के लिए—प्राचीन संस्कृत साहित्य में ‘उजयिनी’ शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। ‘उज्जण’ या ‘उज्जेनी’ शब्द मध्यकाल की देन है। प्राकृत अपभ्रंश साहित्य में इसका प्रचुर प्रयोग मिलता है। इस शब्द की व्युत्पत्ति न तो ‘उत् + जयिनी’ से निष्पन्न हुई है और न ‘अवन्तिका’ से। इस का इतिहास उदयन से सम्बद्ध है। सूर्योदय की भाँति उदयन ने इस राज्य को एक नई आभा और ज्योति प्रदान की थी, इसलिए यह उदैण या उमौण नाम से युग युगों तक बोल चाल में प्रसिद्ध रही। बाद में तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी में जब ‘द’ ध्वनि का उच्चारण

'ज' में परिवर्तित हो गया, तब 'उजैणी' उजैणी बन गई। वास्तव में, उजैणी वा उजैनी का अर्थ उदित होना (सूर्योदय) है। इसी का पूरक शब्द 'आजुणी' है, जिस का प्रयोग बोलियों में रहा है और जो सूर्यास्त का वाचक है। बुन्देलखंड में शाम के भोजन के लिए 'अन्यउ' शब्द आज भी प्रचलित है। इस के सहवर्ती अत्यगद्य, अत्यवषण (अस्तंगत, अस्तमन), आदि शब्द भी साहित्यिक रचनाओं में मिलते हैं। इस प्रकार के शब्दों का अध्ययन और उन की निरुक्ति की वास्तविकता का पता हम ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक भाषा विज्ञान की सहायता से ही लगा सकते हैं। हिन्दी में समागत अरबी, फ़ारसी, पहलवी, तुर्की और पस्तो, आदि के मूल शब्दों का इतिहास जानने के लिए स्टाइनगास की बृहत् अरेबिक डिक्शनरी, पेशियन डिक्शनरी, रेवर्टी की पस्तो डिक्शनरी, रेडहाउस की बृहत् तुर्की डिक्शनरी, कामा, भस्वा, आदि के पहलवी कोश, जहागीर के समय में संकलित 'फ़रहग ए पहलवीक', बार्थोलोमाय कृत 'प्राचीन इरानी कोश', अब्दुल हक़ द्वारा आठ जिल्दों में सम्पादित 'फ़रहग-ए इस्तिलाहात', आदि अत्यन्त उपयोगी कोश हैं।¹¹⁹

व्युत्पत्तिमूलक अध्ययन के परिणामस्वरूप कोशीय शब्दों का अनुसन्धान फलित होता है, जो ऋण रूप में अभिग्रहीत हुए हैं असम्बन्धित भाषाओं से, पूर्वकालिक या समकालिक सम्बन्धित भाषाओं के सक्रमण से, पृथक् सक्रमित उधार लिए गए शब्दों के वक्ष परम्परागत रूप में। उधार लिए गए शब्दों की समस्या अत्यन्त कठिन है, और विशेषकर भारोपीय, द्राविडीय और आस्ट्रो एशियाई परिवार के सम्बन्ध में।¹²⁰ कोशरचना करते समय कोशकार एक ही शब्द के मिलने वाले विभिन्न अर्थों को एक ऐतिहासिक क्रम में संयोजित करता है, जो उन के विकास-क्रम के सूचक होते हैं। जब एक ही शब्द के कई अर्थ मिलते हैं, तब उन में सामान्य या विशेष की विवक्षा अवश्य निहित रहती है। धातु के आधार पर निश्चित किया गया अथ विशेष की विवक्षा द्योतित करता है, किन्तु सामान्य की अपेक्षा शब्द और अर्थ के सादृश्य पर विभिन्न अर्थों का अभिधान किया जाता है। सामान्य की प्रवृत्ति व्यापक है। यह प्रवृत्ति केवल शब्द और उन के अर्थों में ही नहीं, निरुक्ति निर्वचन में भी परिलक्षित होती है। अतएव 'मङ्गल' शब्द की निरुक्ति कई प्रकार से की जाती है जो सुख को देता है, पाप को नष्ट करता है, हित करता है, संसार-नाश करता है, आत्मा को भूषित करता है, पूज्य बनाता है और आनन्दित करता है।¹²¹ ये सभी अर्थ अलग अलग निरुक्ति से ज्ञात होते हैं। एक शब्द में इतने अर्थ वस्तु में अनन्त गुणों की भाँति रहते हैं। जब इन में से विशेष प्रधान हो जाता है, तो वह अर्थ (व्युत्पत्तिलभ्य) रूढ हो जाता है। अनेक शब्दों की निरुक्तियाँ कई प्रकार से की गई मिलती हैं। प्रवृत्ति के अनुसार उन में से सभी गुणमूलक अथ प्रसिद्ध या अप्रसिद्ध रहे हैं। उन में से आज भी कोई अर्थ प्रसिद्ध या मौख हो सकता है। इस अध्ययन से यह भी फलित होता है कि किसी भी शब्द का कोई एक मूल रूप या मूल अर्थ कभी नहीं रहा। यद्यपि महर्षि वास्क, भार्गवर्षि, आदि

आन्वयों का यही कथन है कि शब्दों का विकास मूल धातुओं से हुआ है, शब्द आख्यातक हैं, किन्तु वास्तव में शब्द और अर्थ लोक से उत्पन्न हुए हैं। उन का कोई न उत्पादक है और न नियन्ता। इसलिए शब्द किसी विशिष्ट अर्थ में सदा निश्चित नहीं रहते। समय और परिस्थिति के अनुसार उन में परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन स्वाभाविक रीति और गति से जाने अनजाने होता है। यदि इन का कोई नियन्त्रण या शासन करने वाला होता, तो एक शब्द सदा एक ही अर्थ में प्रयुक्त रहता और उस शब्द की निरुक्ति भी भिन्न भिन्न नहीं होती। किन्तु यास्क के निरुक्त में एक 'अकूपार' शब्द के आदित्य, समुद्र, कच्छप, आदि अनेक अर्थ मिलते हैं।^{११०} इसी प्रकार 'हर' के निरुक्तिमूलक अनेक अर्थ हैं—जो तम का हरण करे ऐसी ज्योति का 'हर' कहते हैं, स्नेह को हरने वाले क्रूर को भी 'हर' कहते हैं, जल को और लोक को भी 'हर' कहते हैं।^{१११} इस प्रकार केवल शब्द ही नहीं, निरुक्ति मूलक शब्दार्थ भी विभिन्न अर्थों के वाचक होते हैं। एक ही शब्द की कई प्रकार से निरुक्ति की गई है, जैसे—कवच, कोश, आदि।^{११२}

पाठालोचन

पाठालोचन के लिए हिन्दी में कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है पाठ सम्पादन, पाठ शोध, पाठानुसंधान और पाठ विज्ञान, आदि। विभिन्न हस्तलिखित प्रतियों का आधार पर मूल रचना का जो पाठ सम्पादित किया जाता है, उसे पाठ-सम्पादन कहते हैं। प्राचीन कवियों तथा लेखकों की स्वहस्तलिखित मूल प्रतियाँ आज उपलब्ध नहीं होतीं। अधिकतर उन की प्रतिलिपियाँ ही मिलती हैं। प्रतिलिपि करते समय शब्द की अस्पष्टता, लिपि-दोष या विषय की अनभिज्ञता के कारण प्रतिलिपिकार से अशुद्धियों का रह जाना या हो जाना स्वाभाविक है। अतएव प्रत्येक हस्तलिखित प्रतियों में पाठविषयक भिन्नता प्राप्त होती है। कोई भी दो हस्तलिखित प्रतियाँ आज तक अक्षरशः समान प्राप्त नहीं हुईं। इस भिन्नता का एक कारण समय की भिन्नता भी है। विभिन्न युगों में लिखी जाने वाली रचनाओं में ही नहीं, अलग-अलग युगों में प्रतिलिपि की जाने वाली प्रतिलिपियों में भी बोली भेद के कारण यत्किंचित् परिवर्तन अवश्य लक्षित होता है। इन परिवर्तनों को ध्यान में रख कर और प्रमादवश होने वाली भूलों के प्रति सजग रह कर विविध पाठों में जिस पद्धति से एकरूपता निधारित की जाती है, उस विधि को पाठालोचन कहते हैं। इस का पाठालोचन नाम इसलिए भी उपयुक्त है, क्योंकि पाठ भेद का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन करने के उपरान्त (प्रकरण, भाषा, विषय, आदि की सम्यक् आलोचना के बाद ही) तर्कपूर्ण अथान्वेषी पाठ निर्धारित किया जाता है। मूल में पाठ अर्थानुगामी होता है। किन्तु अर्थानुगामी पाठ को मूल रूप में ढूँढ पाने में कुछ सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। अब तक पाठ-सम्पादनों के जो प्रयास हुए हैं, उन में सर्वप्रथम डॉ० ग्रियर्सन ने ही प्राप्त प्रतियों के पाठों के विश्लेषण के द्वारा उन के सापेक्षिक महत्त्व के निर्धारण का प्रयत्न किया था और अपने विश्लेषण के

आधार पर उन्होंने कुछ व्यापक सिद्धान्तों का निरूपण किया था और पुनः उन सिद्धान्तों के आधार पर सम्पादन का प्रयास किया था।¹ संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाएँ एवं आर्येतर भाषाओं में प्रसूत साहित्य तथा भारतीय वाङ्मय के प्रामाणिक प्रकाशन के हेतु सम्पादन की इस विधि का ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक है। इस नई विधि के आलोक में ही ग्रन्थ-रचना में प्रक्षिप्त, अपूर्ण, अशुद्ध और प्रमादवश भ्रष्ट हुए पाठों का सम्यक् संशोधन किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, पाठालोचन का उद्देश्य रचना के मूलपाठ का पुनर्निर्माण करना है।

भारतवर्ष में पाठ सम्पादन के क्षेत्र में संस्कृतविषयक महत्त्वपूर्ण कार्य डॉ० डी० डी० कोसाम्बी द्वारा सम्पादित भर्तृहरि से सम्बद्ध सूक्तियों और डॉ० वी० एस० सुकठनकर द्वारा सम्पादित 'महाभारत' का आलोचनात्मक संस्करण हैं। संस्कृत में पूना से प्रकाशित रामायण और महाभारत के संस्करण वास्तव में पाठ सम्पादन के उत्तम निदर्शन हैं। इसी प्रकार प्राकृत में स्टेनकोनोव, डॉ० पी० एल० वैद्य, डॉ० ए० एन० उपाध्ये और डॉ० हर्मन जेकोबी द्वारा सम्पादित पाठ अच्छे कहे जा सकते हैं। अपभ्रंश में डॉ० अल्सडोफ, डॉ० हीरालाल जैन, और डॉ० ह० चू० मायाणी के सम्पादित संस्करण उत्तम कोटि के हैं। हिन्दी में प० विश्वनाथप्रसाद मिश्र का कार्य उत्तम है।

हस्तलिखित प्राचीन प्रतियाँ प्रायः ताडपत्र, भोजपत्र, हाथ के बने हुए कागज और कभी कभी बख, लकड़ी, धातु, चमड़ा, पाषाण और ईंट, आदि पर भी लिखी हुई मिलती हैं। हस्तलिखित प्रति के आधार पर पाठ सम्पादन करते समय कई बातों पर ध्यान दिया जाता है। उन में से कुछ निम्नलिखित हैं—

१ किसी रचना की कितनी हस्तलिखित प्रतियाँ मिलती हैं। उन में भी समान पाठ वाली कितनी हैं और भिन्न पाठ वाली कितनी प्रतियाँ हैं। विभिन्न पाठ वाली प्रतियों की स्थिति में अध्ययन और अनुमान से मूल आदर्श प्रति का पता लगाया जाता है। फिर, पुनर्निर्माण की विधि से पाठ निश्चित किया जाता है।

२ जिस रचना की एक ही प्रति उपलब्ध होती है, उस की भाषा, रचना और शैली की दृष्टि से पाठ-संशोधन किया जाता है। अनेक पुस्तकें एक ही प्रति के आधार पर प्रकाशित हो चुकी हैं। उन में से कुछ के नाम हैं—विश्वनाथ का कोशकल्पतरु, भीमदेव का भारतभाष्य, धनपाल की भविष्यत्तकहा (जर्मन संस्करण) और पृथ्वीराज विजय, आदि।

३ जो प्रतियाँ प्रायः अशुद्ध होती हैं, उन में भी कहीं-कहीं शुद्ध और मौलिक पाठ मिलते हैं, इसलिए उन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

४, प्रतिलिपि की प्रामाणिकता का परीक्षण बहुतकर लिपिकाल पर भी निर्भर रहता है। इसी प्रकार जिन स्थानों से प्रतिलिपियाँ प्राप्त हुई हैं, उन पर भी विचार करना कभी-कभी आवश्यक हो जाता है।

५ आलोचनात्मक सान्नी का चुनाव हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर ही किया

जाता है। जिन प्रतियों को सम्पादन के लिए अनुपयुक्त समझा गया है, उन के कारणों का भी उल्लेख करना नितान्त आवश्यक है।

६ अधिकतर हस्तलिखित प्रतियों के अन्त में प्रशस्तियाँ लिखी हुई मिलती हैं। इन प्रशस्तियों में प्रायः ऐतिहासिक एवं महत्त्वपूर्ण विवरण का उल्लेख किया जाता है। अतएव इन प्रशस्तियों का विस्तृत विवरण देना आवश्यक समझा जाता है।

७ विभिन्न हस्तलिखित प्रतियों का पारस्परिक सम्बन्ध वंशपरम्परा के अनुसार किया जाना चाहिए।

८ प्रत्येक प्रति के लिए कोई-नकोई साकेतिक चिह्न का प्रयोग करना चाहिए, जैसे—क, ख, ग, घ अथवा अ, ब, स, द आदि।

९ पाठों की समानताओं और असमानताओं का स्पष्ट और आलोचनात्मक निर्देश करना चाहिए।

१० हस्तलिखित प्रतियों का सम्पादन जिस रीति से किया जाए, उस विधि का उल्लेख करना चाहिए।

श्री पॉल मास ने विशिष्ट प्रकार के विभिन्न पाठों के लिए निम्नलिखित चिह्नों के उपयोग का सुझाव दिया है^{१५}

१ ऊहात्मक उदाहरणों का अंकन < > चिह्न द्वारा किया जाना चाहिए। अनुमान के आधार पर स्वीकृत सामग्री इस चिह्न के बीच में लिखी जानी चाहिए।

२ ऊहा के आधार पर अस्वीकृत पाठ को दोहरे कोष्ठक ([]) में लिखा जाना चाहिए।

३ मैथनिकल दोषों को हटा कर शुद्ध किए गए पाठ को बर्गाकार कोष्ठकों में □ लिखा जाना चाहिए।

४ भ्रामक स्थानीय दोषों से युक्त पाठ को प्रतीक + चिह्न द्वारा अंकित करना चाहिए।

प्रतियों में दोषों और उन के कारण

प्रायः हस्तलिखित प्रतियाँ में बाह्य और आन्तरिक दोषों के दोष मिलते हैं। बाह्य दोषों में प्रति का त्रुटित होना, अत्यधिक जीर्ण होने से किनारे अथवा किन्हीं वर्णों का त्रुटित होना, सीढ़न नमी से या अन्य किसी प्रभाव से मरि का धूमिल हो जाना, अक्षरों की लिपि सुवाच्य न होना अथवा वर्णों का सकीर्ण होना सम्मिलित है। आन्तरिक दोषों का सम्बन्ध मुख्य रूप से अज्ञानता या नासमझी से है। लिपिभ्रम, अक्षरभ्रम, पुनरावृत्ति तथा अनुचित विग्रह के कारण जब पाठक सन्देह में पड़ जाता है, तब प्रायः ऐसी भूल हो जाती है, जिन्हें हम आन्तरिक दोष कहते हैं। देवनागरी लिपि में प, य, ष, ध, ख, र, व, भ, म, आदि में भ्रमवश विपर्यय हो जाता है। हस्तलिखित प्रतियों में व-च, द-ज, ड-ज, त-ञ और त-र में प्रायः भ्रम परिलक्षित होता है। लिपिभ्रम की भाँति शब्दभ्रम भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, रामचरितमानस के किन्हीं संस्करणों में

‘सकइ उठाइ सरासुर मेरु । सोउ हियं हारि गयउ करि फेरु ।’

(बालकाण्ड, १, २९२, ७)


यहाँ पर सरा + असुर = सरासुर शुद्ध पाठ है । किन्तु किसी ने ‘सरासुर’ को न समझ कर ‘सुरासुर’ कर दिया है, जो उपयुक्त नहीं है । इसी प्रकार लिपि के कुछ विशिष्ट प्रयोगों को न जानने अथवा न समझने के कारण भी भूलें हो जाती हैं । डॉ० वासुदेवधरण अप्रवाल द्वारा प्रकाशित ‘तिल्लहण कवि और उनका कुट्टनीरासक’ के टिप्पण में श्री कपिलदेवगिरि, शोषसहायक, प्राकृत टेक्स्ट सोसाइटी, वाराणसी ने ‘रुक्णु’ शब्द को अशुद्ध मान कर ‘रुक्खणु’ को शुद्ध माना है । वास्तव में, लिपि में ‘रुक्णु’ लिखा जाता है और पढ़ा जाता है—रुक्खणु । अपभ्रंश के अधिकतर हस्तलिखित ग्रन्थों में ऐसा ही लिखा हुआ मिलता है । अतएव वह अशुद्ध नहीं है, वरन् ‘रुक्खणु’ ही शुद्ध है । इसी तरह ‘ष’ का प्रयोग ‘स’ के लिए न हो कर ‘ख’ (सन्मु) के लिए मिलता है । ‘तुज्जु’ में ‘क्ष’ दो न हो कर प्रथम ‘ज्’ को ही ‘क्ष’ जैसा लिखा जाता है । इसी प्रकार एक ही शब्द विभिन्न प्रतियों में भिन्न भिन्न रूपों में मिलता है यथा—ऊ, ज, डें, व, आदि ।

अन्य आन्तरिक दोषों में भाषागत ध्वनियों में परिवर्तन, किसी अक्षर का बढ़ जाना, किसी वर्ण का लोप हो जाना, किसी वर्ण का विपर्यय हो जाना तथा किसी अक्षर की दो बार आवृत्ति हो जाना या भूल से दो बार किसी शब्द का लिखा जाना एव समान शब्दान्तर न्यास भी है । इसी प्रकार हाशिए के शब्दों, टिप्पणों, आदि का मूल पाठ में समावेश हो जाना, वाक्य के अन्य शब्दों के प्रभाव से किसी शब्द के रूप में परिवर्तन हो जाना, विचार व्यतिक्रम से वाक्यगत शब्दों का आगे पीछे हो जाना, व्याकरण, आदि के अशुद्ध प्रयोगों को प्रतिलिपिकार के द्वारा सुधार कर लिखा जाना, उच्चारण भेद मिलना और भाषा की अनियमितता से एक ही शब्द के यह, येह, यह, दुह, दोउ, दोइ एव सुनाएउ, सुनायेहु, सुनायेउ, आदि रूप मिलना । इन के अतिरिक्त नाद में मिलाए गए (प्रक्षिप्त) अक्षर भी किसी किसी प्रति में मिलते हैं । संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश के हस्तलिखित ग्रन्थों में प्रायः एक ही लक्ष्मी पक्ति में कई वाक्य लिखे हुए होने के कारण कभी-कभी समास-विग्रह तथा संधि विच्छेद की असावधानी से भी पाठ भेद और प्रतियों में कई प्रकार के परिवर्तनगत दोष लक्षित होते हैं । कहीं-कहीं मात्रा या अक्षर के छूट जाने के कारण भी दोष परिलक्षित होता है । इसी प्रकार कई बार गद्य को पद्य या पद्य को गद्य समझ लिया जाता है । प्राकृत, अपभ्रंश की रचनाओं में ऐसे स्थल विशेष रूप से लक्षित होते हैं ।

पुनर्निर्माण की विधि

किसी भी प्राचीन कवि की मूल कृति स्वहस्तलिखित नहीं मिलती । यही नहीं, प्रथम प्रतिलिपि भी उपलब्ध नहीं होती । प्रतिलिपि की प्रायः प्रतिलिपि मिलती है । प्रतिलिपिकार स्वेच्छा से या प्रमादवश कई प्रकार की विकृतियों जाने-अनजाने उत्पन्न कर देते हैं । उन विकृतियों को समझ कर किसी रचना के मूलपाठ का पुनर्निर्माण करना

पाठालोचन का उद्देश्य है। पाठालोचन एक से अधिक हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर किया जाता है। जिस की केवल एक ही प्रति मिलती है, उस में लेखानुसंगत यथावश्यक सशोधन किया जा सकता है। किन्तु मान लीजिए जिस ग्रन्थ की आठ प्रतियाँ उपलब्ध हैं, उन में से पाँच प्रतियों का एक गण है और तीन प्रतियों का दूसरा गण। पाँचों प्रतियाँ काल्पनिक 'य' के आधार पर लिखित हैं और दोष 'र' के अन्तर्गत हैं। निरीक्षण व अध्ययन से यह भी पता चलता है कि 'य' गण के भी तीन उपगण हैं। क, ख, का काल्पनिक आदर्श 'ल' है और इन में से भी ख 'क' की प्रतिलिपि है। ग, घ का काल्पनिक आदर्श 'व' है। सभी का मूल स्रोत काल्पनिक मूलादर्श 'श' है। इसे हम या समझ सकते हैं



इस उदाहरण में सब प्रतियों को असकीर्ण माना गया है। यदि यह निश्चित है कि 'ख' 'क' की प्रतिलिपि है, तो पाठ पुनर्निर्माण में इसकी उपेक्षा हो सकती है। इस का प्रयोग केवल उन स्थानों में किया जा सकता है, जहाँ 'ख' के लिपिकृत होने के पश्चात् 'क' त्रुटित हो गया है। अतः अब क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, (और उचित स्थल पर र) प्रतियों के आधार पर काल्पनिक मूलादर्श 'श' का पुनर्निर्माण करना है। जो पाठ सब में समान है, वही 'श' का पाठ है। यह सम्पादन का मूल सिद्धान्त है कि सब प्रतियों का समान पाठ मौलिक पाठ है। यदि 'य' गण में एक पाठ है और 'र' गण में दूसरा पाठ है, तो हम निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते कि 'श' का पाठ कौन सा था, क्योंकि दोनों में से कोई भी पाठ मौलिक हो सकता है। ऐसी स्थिति में अधिकतर प्रतियों में मिलने वाला पाठ ही मौलिक नहीं मान सकते। उन की विश्वसनीयता का परीक्षण कई दृष्टियों से आवश्यक हो जाता है। संकीर्ण धाराओं के आधार पर विभिन्न धाराओं को शुद्ध माना जाता है। उन भिन्न भिन्न पाठों को देख कर हम नहीं कह सकते कि उन में से कौन-सा मौलिक है। फिर भी, पुनर्निर्माण के लिए कुछ नियमों का उल्लेख किया जाता है, जो इस प्रकार हैं^१ —

^१ सुवार (सगत पाठ प्रकरणानुसार),

२. विषयानुसंगति (अर्थचिन्त्य के साथ ही भाव-भाषा, छन्दोभंग न हो, विचार-धारा न टूटे और पुनरुक्ति न हो),
३. लेखानुसंगति (जैसे अविधिवा लिखा हुआ देख कर प्रसंगोपात्त अभिव्यक्ति की समति निश्चित करना),
४. प्रत्येक पाठ की परीक्षा के चार परिणाम कक्षित होते हैं —
 - (क) स्वीकृति—अमुक पाठ रचयिता को अभीष्ट था ।
 - (ख) सन्देह—निर्णय न कर सकने की स्थिति में सन्देह बना रहता है, किन्तु विषयानुसंगति से एक पाठ ठीक होता है, तो लेखानुसंगति से दूसरा पाठ ठीक हो सकता है । सम्पादक ऐसे पाठों को टिप्पणी में विशेष रूप से दे सकता है ।
 - (ग) त्याग—किसी पाठ के औचित्य पर सन्देह होने पर उसे त्याग दिया जाता है । ऐसे पाठ को कोष्ठक में लिखा जाता है ।
 - (घ) सुधार—विषयानुसंगति और लेखानुसंगति को ध्यान में रख कर सम्पादक यथावश्यक सशोधन व सुधार करने का प्रयत्न करता है । इस प्रकार के सशोधन तब और भी आवश्यक हो जाते हैं, जब प्रति भ्रष्ट मिलती है अथवा प्रतियों में भाषा व व्याकरण-सम्बन्धी भूलों की भरमार होती है ।

पाठ की अर्थभेदगत समस्याएँ

अधिकतर लोग यह समझते हैं कि वैज्ञानिक पाठ-सशोधन में शब्द की प्रधानता होती है और साहित्यिक सम्पादन में अर्थ की । वास्तव में, किसी भी रचना के सम्यक् सम्पादन के लिए शब्द और अर्थ दोनों की समति पर ध्यान देना आवश्यक होता है । शब्द और अर्थ की समति विषय तथा प्रसंग पर निर्भर रहती है । ठीक शब्द और अर्थ के आधार पर ही शुद्ध पाठ का निर्धारण किया जाता है । शब्द अर्थ से सन्निष्ठ होता है । रचना के मूल तक पहुँचने के लिए शब्द के अनुषंगों से अर्थ की उपलब्धि करना ही अध्येता एवं पाठक का मुख्य उद्देश्य कहा जा सकता है । वस्तुतः रचनाकार की मन-स्थिति तक पहुँचने बिना रचना का मूल अर्थ प्रकट नहीं होता । ऐसे स्थलों पर तो शब्द की अर्थविवशक समस्या ही उत्पन्न हो जाती है, जहाँ सामान्य शब्द भी किसी अप्रसिद्ध अर्थ में रचनाकार जाने अनजाने प्रयुक्त करता है । उदाहरण के लिए, सुरदास ने 'कंज' शब्द का प्रयोग 'कुमोदनी' अर्थ में, जायसी ने 'नाइत' शब्द का प्रयोग सामुद्रिक व्यापारी अर्थ में, देव ने 'मजि' शब्द का प्रयोग 'कोश' (फूलों का गुच्छ) अर्थ में, रहीम ने 'पामडी' शब्द का प्रयोग 'शाल' (बहुमूल्य ऊनी वस्त्र) अर्थ में, जायसी ने 'हुकत' शब्द का प्रयोग 'छुपने' अर्थ में, 'सर' शब्द का प्रयोग 'झिता' अर्थ में, कबीर ने 'रोज' शब्द का प्रयोग 'विषाद' अर्थ में और बनानन्द ने 'छला' शब्द का प्रयोग 'अँगूठी' (छला) अर्थ में और 'बासति' शब्द अर्थ में प्रयुक्त किया है । आज भी कुन्देरुखर में छला और बसरी शब्द प्रचलित हैं ।

एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। रचनाकार एक ही रचना में प्रसंगानुसार एक शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग करता है। इसलिए कभी-कभी यह निर्णय करना भी कठिन हो जाता है कि अमुक स्थल पर अमुक शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए। फिर भी, प्रसगत अर्थ निर्णय किया जाता है। कहीं कहीं पर एक ही कवि की विभिन्न रचनाओं के टीकाकार समान अर्थ होने पर भी एक ही शब्द के भिन्न-भिन्न अर्थों का उल्लेख करते हैं १९ जैसेकि

- १ रहिभनशतक—कूर—खराब (लाला भगवानदीन),
- २ रहीमरत्नावली—कूर—मूढ़ (मायाशकर याशिक),
- ३ रहिभनविलास—कूर—दुष्ट (बाबू अजरत्नदास)।

इस तरह के एक नहीं, अनेक शब्द हैं। भाषा के तीव्र परिवर्तन के प्रवाह में हम अपने ठेठ एवं जनबोलियों के शब्दों से दिनोदिन अपरिचित होते जा रहे हैं, जिस से प्राचीन काव्यों की अथगत समस्या जटिल होती जा रही है। अवधी, ब्रज, बुन्देली, भोजपुरी, मगही और मैथिली, आदि भाषाओं के जब तक सभी शब्दों का बृहत् सक्लन शब्दकोशों के रूप में प्रकाशित नहीं हो जाता, तब तक अथभेदगत समस्या बनी ही रहेगी। यथार्थ में, ऐसे पाठालोचनों में बोलियों तथा भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से बहुत योग मिलता है। एक ही भाषा की विभिन्न रचनाओं में एक शब्द के विभिन्न अर्थगत प्रयोगों के उदाहरण हैं २०

- १ धुरते मधुर मधुरसह विधुर करे, मधुरस बेधि उर गुरु रह पूरी है।
—देव और विहारी (कृष्णविहारी मिश्र)।
- २ धुरही ते रगतो खायो है।—भ्रमरगीतसार (रामचंद्र शुक्ल)।
- ३ धुरकी लगन लगी अति गाढी, बाढी चोप चटक अति प्यारी।
—घनानन्द।

४ भयो है उचाट करनाट नरनाहन, डाल उठी छाती गोलकुडा ही के धुरकी।

—भूषणप्रयावली।

- ५ उर सों लगी ही बधू विधुर अधर चूमि, मधुर सुधान बातें सुनिबे सुभाव की।
—देवसुधा (मिश्रबन्धु)।

पहली पक्ति में 'धुरते' का अर्थ 'ठेठ' से है। दूसरी पक्ति में उसका अर्थ प्रारम्भ से है। तीसरी पक्ति में 'धुरकी' का अर्थ 'चरम सीमा' और चौथी पक्ति में उसका अर्थ 'शीघ्रस्थान' किया गया है। पाँचवीं पक्ति में 'विधुर' का अर्थ कौपना है।

यही नहीं, प्रचलित समान शब्दों में भी अर्थ की भिन्नता परिलक्षित होती है। इसलिए यदि किसी बोली विशेष में कोई अर्थ प्रचलित रहा हो, तो यह आवश्यक नहीं है कि आज भी वही अर्थ चलता हो। शब्द कम हैं और अर्थ अधिक। अतएव शब्द नहीं बदलते या बहुत कम बदलते हैं, पर अर्थ बदल जाते हैं, उदाहरण के लिए—ब्रजभाषा में 'अँचैना' का प्रयोग 'पीने' अर्थ में होता है, किंतु बुन्देलखंड और बघेलखंड

में 'अँचैना' का अर्थ भोजन करने के उपरान्त हाथ-मुँह धोना है। इसी प्रकार ब्रजभाषा में 'खिस्वानो' और 'अकरी' के अर्थ में क्रमशः 'लक्षाना' और 'मँहगा' शब्द प्रचलित हैं, परन्तु कुन्देली में क्रमशः 'नाराज होना' और 'पँडायदी' या 'कसैली' वस्तु है। इसी तरह 'सुधर' शब्द ब्रजभाषा में 'चतुर' अर्थ का वाचक है, किन्तु अवधी और कुन्देली में 'सुन्दर' अर्थ में प्रयुक्त होता है। कुन्देली में 'जुहार' का अर्थ अमिवादन है, पर ब्रज में 'गुहारना' या 'चिल्लाना' है। अपभ्रंश में 'कल्होड' शब्द का प्रयोग युवा बछड़े के लिए परिलक्षित होता है।^{१५} 'जबूसामिचरित' के अनुवाद में

कल्होडबइल्ले जायरेल्लु सघाहुल्लालिउ गयउ तेल्हु । ५ ७ २३ इस का अर्थ किया गया है—दुष्ट बैल के द्वारा (तेलवाहक बैलों की) जोड़ी को लात मार देने से तेल नष्ट हो गया।

इस अर्थ में 'दुष्ट बैल' के साथ जुड़ा हुआ दुष्ट विशेषण अर्थ की दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि 'कल्होड' का अर्थ दुष्ट नहीं है। डॉ० विमलप्रकाश जैन ने अनुवाद करते समय 'दुष्ट' अर्थ किया है, पर शब्दकोश के अन्तर्गत लिखा हुआ है—

कल्होड—(दे०) वत्सतर, बछड़ा (दे०, पृ० ३०४)।

'वत्सतर' शब्द का अर्थ संस्कृत के कोशों में क्षुद्र वत्स है, परन्तु क्षुद्र वत्स का अर्थ दुष्ट नहीं होता। वाचस्पत्यकोश में इसका विवरण इस प्रकार है

वत्सतर पुस्त्री क्षुद्रवत्स अल्पत्वे तरप् । क्षुद्रवत्से ।

अप्राप्तदशनकाले गवादौ अमर स्त्रिया डीप् । वत्सतरी ।

(पृ० ४८४४)।

वस्तुतः 'कल्होड' शब्द देशी है, इसलिए प्राकृत के शब्द कोशों में नहीं मिलता। 'पाइअसहमहणव' में यह शब्द देशी नाममाला से सकलित किया गया है। उस में इस का वत्सतर अर्थ ही दिया गया है। कहा भी है—

कल्होडा वच्छयरे बगम्मि कडूरकाउल्ला । दशी० १, ९ ।

'वत्सतर' का अर्थ क्षुद्र वत्स न हो कर जवान बछड़ा है या जिस के अमी दाँत नहीं निकले हैं। इस का एक अर्थ गाड़ी, हल, आदि में जोतने योग्य बैल भी कहा गया है—

वत्स शकृत्करिस्तर्णो दम्यवत्सतरो समो । अभिधानचिंतामणि, ४, ३२६ ।

अल्पावस्था वाले बच्छा-बछियों को वत्स, शकृत्करि तथा तर्ण कहते हैं। जूतने योग्य बैल को दम्य और वत्सतर कहते हैं। अतः यहाँ 'कल्होड' का अर्थ जोतने योग्य बैल है, दुष्ट बैल नहीं। अधिक से अधिक हम उसे युवा बैल कह सकते हैं। हमारे अर्थ की पुष्टि गोस्वामी तुलसीदास के प्रयोग से भी होती है। कवितावली की पक्तियाँ हैं—

सौहै सितासित को मिलिबौ, तुलसी हलसै हिय हेरि हलौरे ।

मानों हरे तून चारु चरै बगरे सुरधेनु के धौल कलौरे ॥ १४४ ॥

यहाँ पर 'कलौरे' शब्द जवान बछड़े के लिए प्रयुक्त है। शब्द विकास की दृष्टि से 'कलौरे' शब्द 'कल्होड' का ही विकसित रूप है।

कल्होड > कल्होड > कलोड > कलोर ।

इसी प्रकार—णाहल > णाहर > नाहर ।

इत्यादि उदाहरणों से स्पष्ट है कि अपभ्रंश तथा हिन्दी के प्राचीन काव्य की अर्थ-विषयक समस्या को सुलझाने में उत्तर मध्यकालीन काव्यों के अध्ययन से भी अर्थ निर्णय करने में बहुत सहायता मिलती है ।

— — —

सन्दर्भ-सकेत

- १ रॉबर्ट ए० हाल फ० इट्रोडक्टरी लिक्विडिटीस, पृ० २०८ ।
- २ स्वाणुग्य भारहर किलाभूत्,
वेदान्तधीत्य यो न जानात्यथम् ।
- ३ आकृतिभिश्च शब्दाना सम्बन्धो न व्यक्तिभि यस्तीना आनन्त्यात् सम्बन्धाप्रेणानुपपत्ते ।
—वेदान्तसूत्र-भाष्य, १, ३, २८ ।
- ४ बर्ट्रेण्ड रसेल एन इन्क्वारी इन टु मीनिंग एण्ड टू थ छठा संस्करण १९६१, पृ० २४ ।
- ५ “एक्स्यैवात्मनौ भेनै शब्दार्थावपृथक् स्थितौ ।”—वाक्यपनीय २ ३१ ।
- ६ “यद्येन शब्द एवस्मिन् तथै नियत स्यात् तत एतद् युज्यते वक्तुम् यतस्त्वनियम तत प्रकृतरेव मयै अर्था स्यु ।” प्रदीप, महाभाष्य १ २ ४५ ।
- ७ डॉन एण्ड विन्सन (स०) एमेज ऑन लैंग्वेज एण्ड यूमेन (के अन्तगत “ग्रेमर इन ए न्यु बी ’ शीषक निबन्ध) ओ० यु० पी० १९६३, पृ० २१० ।
- ८ शुश्रूषा श्रमण चैव ग्रहण धारण तथा ।
ऊहापोहोऽथविज्ञान तत्त्वज्ञान च धीयुष्ण ॥ महाभारत प्रनपव २ १९ ।
- ९ ‘अथस्य ।’—तत्त्वाथवातिक १ १७ ।
- १० बर्ट्रेण्ड रसेल एन इन्क्वारी इन टु मीनिंग एण्ड टू थ, पृ० २७ ।
- ११ वहीं पृ० ६७ ।
- १२ जे० एन० पिन्डले लैंग्वेज माइन्ड एण्ड वेल्थु लन्दन, प्रथम संस्करण, १९६३, पृ० २०८ २०९ ।
- १३ वहीं पृ० २११ ।
- १४ वागर्थविव सपृत्तौ वागर्थप्रतिपत्तये ।
जगत पितरौ बन्ध पावतीपरमेश्वरौ ।—रघुवश, १ १ ।
तथा—गिरा अरथ तल बीचि मम वहिअत भिन्त ा भिन्त ।
—रमचरितमानस, बालकाण्ड, १८ ।
- १५ डॉ० गौरीनाथ शान्त्री ए फिलासफी ऑव वड एण्ड मीनिंग, बलवत्ता, १९५९, पृ० १०५ ।
- १६ वहीं पृ० १०६ ।
- १७ हरश शर्मा भाषा विज्ञान की रूप रेखा, पृ० १९१ से उद्धृत ।
- १८ आर० एच० रॉबिन्स जनरल लिक्विडिटीस, पृ० २२ ।
- १९ वहीं पृ २२ ।
- २ शक्तिग्रह व्याकरणोपमानबोधात्वाक्याद् व्यवहारतद्वच ।
वाक्यस्य गेषाद् दिवृत्तेर्वन्ति मान्निध्यत मिद्धपदस्य वृद्धा ॥
- २१ ‘चतुष्पथी शब्दाना प्रवृत्ति, जातिगुणक्रियायच्छाशाब्गाद्वेति ।”
- २२ शक्यमन्-थो लक्षणा । ‘शक्यतावच्छेदकारो लक्षणा’ इत्यपि केचित् ।
शक्यतावच्छेदरूपेण लक्ष्यमानस्य स्वीकारात् ।—रमगङ्गाधर द्वितीयानन ।

- २३ इदमुत्तममतिशायिनि व्यङ्ग्ये वाच्यत्वात् ध्वनिर्गुणैः कथिता ।
वाच्यशक्तिशायिनि व्यङ्ग्ये ध्वनिस्तस्मात्तन्मन् ॥ काव्यप्रकाश, १, ५ कारिका ।
२४. रमणीयार्थप्रतिपादक-शब्द काव्यम् । रमणीयता च कीकोत्तराह्वारजनकज्ञानगोचरता ।—
रसमङ्गलधर, १, १ ।
- २५ यत्रार्थो वाच्यविशेषो वाचकविशेषः शब्दो वा ।
तमर्थव्यङ्ग्यकृत स काव्यविशेषो ध्वनिरिति ॥ ध्वन्यालोक, १, १३ कारिका ।
- २६ माध्वीक पानस द्राक्ष खाजूर तालमैत्रवम् ।
मैत्रव माक्षिक गङ्क मधुकं नारिकेलजम् ।
सुख्यमन्नविकारोत्थ मषानि ह्यान्नौव तु ॥
- २७ “गोलोतो गंगा धरे रे अङ्गे उजला थया छे केश ।”—नरसिंह मेहता ।
- २८ “इन्दतीति इन्द्र । इन्द्र आत्मा । इन्द्रियम्—” सिद्धहैमशब्दानुशामन, ७, १, १७४ ।
“कृपप्रवेशनमर्हतीति कीपीन ।” वही, ६, ४, १८५ ।
- २९ “सामोष्यं देशकृता कालकृता वा प्रत्यासत्ति ।”—वही ७, ४, ७९ ।
- ३० डॉ० आइ० जे० एस० तारापुरवाला एलीमेन्ट्स ऑव द साइन्स ऑव लैंग्वेज, १९६२ तु०
मं०, पृ० ६५ ।
- ३१ वही, पृ० ६६ ।
- ३२ आर० एच० रॉबिंसन जनरल लिग्विस्टिक्स, पृ० २९ ।
- ३३ ‘भाषा’ वष ५, अक ३, पृ० ११ से उद्धृत ।
- ३४ वही, पृ० १२ से उद्धृत ।
- ३५ माहत्याल जैन हिन्दी शब्द-रचना, पृ० १२९ से उद्धृत ।
- ३६ ‘भाषा’, वर्ष ३, अक १, सितम्बर, १९६३, पृ० २५ से उद्धृत ।
- ३७ वही, पृ० २९ से उद्धृत ।
- ३८ डब्ल्यु० एच० हडमन इन्डोइकेशन टु द स्पडी ऑव इग्लिश लिटरेचर, पृ० ७९ ।
- ३९ डॉ० ब्रजाधीश प्रसाद ए बेनग्राउण्ड टु द स्पडी ऑव इग्लिश लिटरेचर, द्वितीय संस्करण,
१९६१ पृ० २२२ ।
- ४० आर० ए० स्त्रॉज जेम्स द मेकिंग ऑव लिटरेचर लन्डन १९६३, पृ० ३०४ ।
- ४१ ए मेरियम वेबस्टर वेबस्टर मेविथ न्यु कॉलिजिएट डिक्शनरी भारतीय संस्करण, १९७१,
पृ० ८७२ ।
- ४२ डॉ० शिववरण सिंह आलोचना के बदलने मानण्ड और हिन्दा साहित्य, १९६७, पृ० १३८
से उद्धृत ।
- ४३ रॉबर्ट ए० डॉल प्र० इन्डोइकरी लिग्विस्टिक्स, पृ० ४०९ ।
- ४४ ए मेरियम वेबस्टर वेबस्टर मेविथ न्यु कॉलिजिएट डिक्शनरी, भारतीय संस्करण, १९७१,
पृ० ८७३ ।
- ४५ एल० कैसर मेन्युल ऑव फोनेटिक्स, १९५७, पृ० ३९५ ।
- ४६ वही, पृ० ३९५ ।
- ४७ वही, पृ० ३९६ ।
- ४८ थॉमस ए० सेवाक (स०) स्पाइल इन लैंग्वेज, न्यूयार्क, १९६०, पृ० १९ ।
- ४९ वही, पृ० १४५ ।
- ५० वही, पृ० ४२१ ।

- ५१ सी० एफ० हॉकेट्ट ए वी० इन मॉडर्न लिक्विडिक्स १९७०, पृ० ५५६ ।
- ५२ नील्स एरिक् एक्सविस् लिक्विडिक्स एण्ड स्टाइल, लन्डन, १९६७, पृ० २८ ।
The style of a text is a function of the aggregate of the ratios between the frequencies of its phonological, grammatical and lexical items and the frequencies of the corresponding items in a contextually related norm '
- ५३ डॉ० रामअवध द्विवेदी साहित्य मिष्ठान्त, १९६३, पृ० १५९ ।
- ५४ थॉमस ए० नवाक (स०) स्टाइल एन लंग्वेज, न्यूयार्क १९६० पृ० २९३ ।
- ५५ डा भोलानाथ तिवारी और डॉ० रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव (स०) भाषावी, खूब पक्ष, भारतीय भाषा परिषद्, १ ७१, पृ० ९६ से उद्धृत ।
- ५६ सम्प्रति तत्र ये मागा वक्षिप्रस्थानहेतव ।
सुकुमारो विचित्रश्च मध्यमश्चोभयात्मन ॥ वक्रोक्तिजीवित, १, २४ ।
- ५७ असमाना समानेन मध्यमेन च भूषिता ।
तथा दीघसमामेति त्रिधा सघनोदिता ॥ ध्वन्यालोः ३ ५ ।
तथा—वहीं ३ ७ ।
- ५८ ग्राहम विलसन (स) ए लिक्विडिक्स रीडर यूयाक, १९६७, पृ० ५० ।
- ५९ वहीं पृ० ५१ ।
- ६० ज़० विलियम स्ट्रूक एण्ड ई० वी० हाइ ट एलीमेन्ट्स ऑव स्टाइल, न्यूयार्क आठवों संस्करण १९६०, पृ १ ७१ ।
- ६१ आइ० ए० रिचर्ड म प्रिन्सिपल्स ऑव लि गरी क्रिटिजिज्म, लन्डन चौहवाँ संस्करण, १९५५, पृ १९२ ।
- ६२ वहीं, पृ० २४५ ।
- ६३ डॉ० वेणारनाथ मिह आधुनिक हिन्दी कविता में विम्बविधान १९७१, पृ० ८४ ८५ से उद्धृत ।
- ६४ थॉमस वेविडसन (स०) चेंबर्स टुवैगी व सेचुरी डिक्शनरी लन्डन, १९३७, पृ० ७०७ ।
"Poetry is the art of expressing in melodious words the thoughts which are the creations of feeling and imagination "
- ६५ वहीं पृ० ३३४ ।
Fancy is that faculty of the mind by which it recalls, represents, or makes to appear past images or impressions "
- ६६ डॉ० मनाधीशप्रसाद एन इ ट्रायक्शन टु इग्लिश क्रिटिजिज्म, १९६५ पृ० १८९ ।
- ६७ वहीं, पृ० १८३ ।
- ६८ वहीं, पृ० १८१ ।
- ६९ वहीं, पृ १८२ १८३ ।
- ७० एस० टो० बोलरिज वायोआफिया लिटरेरिया अध्याय १३ १, पृ २०२ ।
- ७१ वहीं, पृ २०५ ।
- ७२ डेविड डायचेम क्रिटिकल एप्रोचेज टु लिटरेचर, निल्ली १९६७, पृ० १ ५ ।
- ७३ वहीं पृ० १०७ ।
- ७४ वहीं पृ० १०९ ।
'Fancy constructs surface decorations out of new combinations of memories and perceptions while the imagination 'generates and

produces a form of its own" The operation of the imagination can be compared to organic or biological growth and the forms it produces are organic forms, developing under its 'shaping and modifying power' which is contrasted with "the aggregative and associative power" of the fancy

७५ क्रिस्चियन रिमट पोहरी एण्ड विलीफ इन द बक ऑव टी० एस० इलियट, लन्दन, १९६१, पृ० ११७ ।

७६ एस० सी० मेनगुप्ता टुवल्स ए ब्योरी ऑव द इमेजीनेशन, कलकत्ता, १९५९, पृ० १४ ।

७७ टी० ई० ब्लूम स्वीकुलैशन पृ० १३५ ।

"Poetry is not a counter language but a visual concrete one"

७८ डॉ० नगेन्द्र काव्य विम्ब, १९६७, पृ० ५ से उद्धृत ।

७९ डॉ० केदारनाथ सिंह आधुनिक हिन्दी कविता में विम्बविधान, १९७१, पृ० २५ से उद्धृत ।

८० डॉ० नगेन्द्र काव्य विम्ब, १९६७, पृ० २७ से उद्धृत ।

८१ एल० एस० न्यगोत्स्की थॉ एण्ड लैंग्वेज (अमेजी अनुवाद), तृतीय संस्करण १९६७, पृ० ७२ ।

८२ "So God created man in his own image in the image of God created he him, male and female created he them"—ओल्डटेस्टामन्ट, १२७ ।

८३ सी० डा० लेविम पोश्टिक इमेज पृ० २६ ।

८४ वहीं, पृ० १७ ।

८५ डॉ० सुधा सक्सेना जायसी की विम्ब योजना, १९६६, पृ० ४२ से उद्धृत ।

८६ आचार्य रामचन्द्र शुक्ल रस मीमांसा, पृ० १६७ से उद्धृत ।

८७ डॉ० नगेन्द्र काव्य विम्ब, १९६७, पृ० ५२ ५३ से उद्धृत ।

८८ ए० मेरियम वेब्स् र वेब्स्सं सविन्ध्य न्यू कॉलेजिज डिक्शनरी, द्वितीय भारतीय संस्करण, १९७१, पृ० ६१८ ।

८९ डॉ० बच्चन सिंह आलोचक और आलोचना १९७०, पृ० ७६ से उद्धृत ।

९० आर० ए० स्कॉट जेम्स द मेथिंग आव लिटरेचर, लन्दन, १९६३ पृ० २४२ ।

९१ डॉ० केदारनाथ सिंह आधुनिक हिन्दी कविता में विम्बविधान, १९७१, पृ० ८६ से उद्धृत ।

९२ डॉ० बच्चन सिंह आलोचक और आलोचना, १९७०, पृ० ८८ से उद्धृत ।

९३ डॉ० लोटार हुत्से साहित्य विविध सदन, अक्षर प्रकाशन, दिल्ली, १९६८, पृ० १८ १९ म उद्धृत ।

९४ रामचन्द्र शुक्ल चिन्तामणि, पहला भाग, १९६६ पृ० २३२ २३३ से उद्धृत ।

९५ हर्बर्ट रीड इंग्लिश प्रोजेक्शन, लन्दन, पुनर्मुद्रित, १९५६, पृ० ८९ से उद्धृत ।

'This process involves more than a power of generalization, more than the scientific methods of induction and deduction it involves also the capacity to discern a pattern in events (which power we might perhaps call 'intuition' if intuition is to have any meaning not covered by the word 'perception'), and it also involves the capacity to see the significant among a series of events (which power we might call 'insight') (p 89)

९६ मार्सेट एम० क्रिप्ल्ट मोडर्न इंग्लिश एण्ड इट्स हेरिटेज न्यूयार्क, जाठवॉ सस्करण, १९५९, पृ० २१७।

९७. हेनरी एम० होइग्सवाल लैंग्वेज चेंज एण्ड लिग्विस्टिक्स रिक्न्सट्रक्शन, शिकागो विश्व-विद्यालय, १९६०, पृ० ७९ से उद्धृत।

“The replacement pattern of change—or of the hypothetical replacement pattern of changes which have not occurred—may itself be looked upon as another factor favorable or unfavorable to sound change” (p 79)

९८ विलियम के० विम्साट, ज० एण्ड क्लीन्थ बुक्स लिटररी क्रिटिसिज्म ए शॉर्ट हिस्ट्री, येल यूनिवर्सिटी पृ० ६२७ से उद्धृत।

‘Ransom drew a crucial distinction between the texture and the structure of a poem The texture of a poem is constituted of its rich local values, the quality of things in their thinginess’ The structure is the “argument” of the poem It gives the poem such shape as it has it regulates the assemblage of sensory data, promoting order and direction’ (p 627)

९९ एतत्त्रिष्वपि मागेषु गुणद्वितयमुज्ज्वलम्।

पदवाक्यप्रवधाना न्यापवत्वेन वतत ॥ वक्रोक्तिजीवित १ ५७।

१०० अनौचित्याद्यते नायद् रमभट्ट गस्य वारणम्।

प्रमिद्धौचित्यबन्धस्तु रमस्योपनिषत् परा ॥—आनन्दवधन ध्वन्यालोक।

तृतीय उद्योत, १४ कारिका की दीपिका।

१०१ रामचन्द्र शुक्ल चिन्तामणि, पहला भाग, प्रयाग १९६६, पृ० २३०।

१०२ वही, पृ० २३१ से उद्धृत।

१०३ बैलाश वाजपेयी आधुनिक हिन्दी कविता में शिल्प, १९६३, पृ० १०४ से उद्धृत।

१०४ आइ० ए० रिचर्ड्स प्रिन्सिपल्स ऑव लिटररी क्रिटिसिज्म, लन्दन, चौदहवॉ संस्करण, १९५५ पृ० ११९ से उद्धृत।

The sensory qualities of images, their vivacity clearness, fullness of detail and so on, do not bear any constant relation to their effects Images differing in these respects may have closely similar consequences” (p 119)

१०५ बैलाश वाजपेयी आधुनिक हिन्दी कविता में शिल्प, १९६३, पृ० २१८ से उद्धृत, विशेष जानकारी के लिए पृ० २१८-२२९ द्रष्टव्य है।

१०६ विलियम के० विम्साट, ज० एण्ड क्लीन्थ बुक्स लिटररी क्रिटिसिज्म, येल यूनिवर्सिटी, पृ० ६४२।

१०७ अक्षय (स०) तारसप्तक, पृ० ३०९ से उद्धृत।

१०८ क्रिस्तियन रिमट पोस्ट्री एण्ड विलीफ इन द वर्क ऑव टी० एस० इलियट, लन्दन, १९६१, पृ० ११० से उद्धृत।

‘Poetry is the language of actual thought, or actual ideas. Its actuality is not merely contingent, and does not merely lie in its

faithfulness to an external subject-matter it reads for more in its faithfulness to the movements of the mind and spirit of the poet And this is manifested in the poetic use of imagery " (p 110)

- १०९ सुरेशचन्द्र सहल नयी कविता और उसका मूल्यांकन, १९६३, पृ० ४१ से उद्धृत।
- ११० डॉ० कैदारनाथ सिंह आधुनिक हिन्दी कविता में विम्बविधान, १९७१, पृ० ३० से पूर्ण उद्धृत।
- १११ वेल्क एण्ड वारन थ्यूरी ऑव लिटरेचर, पृ० १९३, जायसी की विम्ब योजना, पृ० ९६ द्रष्टव्य है।
- ११२ ए मेरियम वेब्स्टर वेब्स्टर सेबन्ध न्यू कॉलेजिएट डिक्शनरी, १९७१, पृ० ८९२ से उद्धृत।
"Symbol something that stands for or suggests something else by reason of relationship, association convention or accidental resemblance especially a visible sign of something invisible " (p 892)
- ११३ एडवर्ड सैपीर लैंग्वेज पन इट्रोडक्शन टु द स्टडी ऑव स्पीच, न्यूयार्क, १९४९, पृ० ८ से उद्धृत।
"Language is a purely human and non-instinctive method of Communicating ideas emotions and desires by means of a system of voluntarily produced symbols " (p 8)
- ११४ रामचन्द्र शुक्ल चिन्तामणि, पहला भाग, १९६६, पृ० २५७ से उद्धृत।
- ११५ डॉ० नगन्द्र वाच्य विम्ब, १९६७, पृ० ८ से उद्धृत।
- ११६ सुरेशचन्द्र सहल नयी कविता और उसका मूल्यांकन, १९६३, पृ० ४२।
- ११७ कैलाश नाजपेयी आधुनिक हिन्दी कविता में शिश्य, १९६३, पृ० ७७-७८।
- ११८ हिन्दुस्तानी भाग १९, अंक ४, पृ० ४३।
- ११९ विजयेन्द्र स्नातक (सं०) बनौर, पृ० २१६।
- १२० रामचन्द्र शुक्ल जायसी ग्रथावली, भूमिका, पृ० १०३ से उद्धृत।
- १२१ एस० आइ० हायाकावा लैंग्वेज इन थॉट एण्ड एक्शन, लन्दन, द्वितीय संस्करण, १९५९, पृ० २७ से उद्धृत।
'Of all forms of symbolism, language is the most highly developed, most subtle and most complicated ' (p 27)
- १२२ "जातिकोविर्णसङ्घाते पेश्यां प्राच्यां सिङ्घग्रहे ।" मेनिनीकोश, ३०, ६।
"कोष इवाण्डको । कुड्मले चषके दिव्येऽर्धचये योनिश्चिन्धयो ।"—अनेकार्थसंग्रह, २, ५६०।
- १२३ ए मेरियम-वेब्स्टर वेब्स्टर सेबन्ध न्यू कॉलेजिएट डिक्शनरी, १९७१, पृ० २३१।
- १२४ प० ए० हिल (सं०) लिनिवस्टिकस, १९६९, पृ० ४५।
- १२५ मेरियो पेई इन्विटेशन टु लिनिवस्टिकस, लन्दन, १९६५, पृ० १९ से उद्धृत।
"As indicated by our comprehensive dictionaries, the main problems connected with vocabulary are semantics (the meaning of individual words) and etymology (their history, evolution, and development) Both these topics, especially the second, are of greater interest to the historical than to the descriptive linguist." (p 19)
- १२६ डॉ० सुमित भगेश कवे केक्सिकोग्राफी, १९६५, पृ० ११ से उद्धृत।

‘Lexicography principally deals with the collection of the significant forms or morphemes of the language and their ordering in the linguistic corpus with reference to the meaningful situations in which each occurs. In common parlance we say that a lexicon consists of a body of words or vocables (whence vocabulary) alphabetically arranged, with a list of meanings which they bear in significant situations.’ (p 11)

१२७ गमचन्द्र वर्मा कोश कला वि० सं० २००९ पृ० १३।

१२८ डॉ० सुमित्र मंगेश वझे लेक्सिकोग्राफी १९६५, पृ० ११-१२।

१२९ वही, पृ० १३।

१३० लियोनार्ड ब्लूमफील्ड लैंग्वेज, लन्दन, १९५८, पृ० १६६ से उद्धृत।

‘In the case of lexical forms we have defined the smallest meaningful units as morphemes and their meanings as sememes, in the same way the smallest meaningful units of grammatical form may be spoken of as tagmemes and their meanings as episememes (p 166)

१३१ वही, पृ० १६२।

१३२ विलियम ज० एटविस्ले आस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, लन्दन १-११ पृ० २१७ से उद्धृत।

Lexicography It is a co-ordination of all branches of linguistic science to determine the origin and meanings of each word, their dates and relations and the use of the word in typical sentences (p 257)

१३३ मरियो पेइ इन्विटेशन टु लिंग्विस्टिक्स लन्दन, १९६५, पृ० ६९।

१३४ डॉ० जेस्पमन द फिलॉसफी ऑफ ग्रैमर आठवॉ मस्करण, १९५८, पृ० ३४०।

‘In the matter of word order there are a great many similar conflicts many of which fall under the head of style rather than of grammar’ (p 340)

१३५ लियोनार्ड ब्लूमफील्ड लैंग्वेज लन्दन, १९५८, पृ० २६४-६५।

१३६ डॉ० सुमित्र मंगेश वझे लेक्सिकोग्राफी १९६५, पृ० १९ से उद्धृत।

It seems obvious that an historical dictionary must apply the historical view point also to the exposition of the different meaning of the polysemantic word. The oldest meaning is not necessarily the primary or the dominant one” (p 19)

१३७ डॉ० च० गाडगा सरकृत इन इण्डोनेशिया नागपुर, १९५२, पृ० ९७।

१३८ डॉ० सुमित्र मंगेश वझे लेक्सिकोग्राफी, १९६५, पृ० ४६ से उद्धृत।

‘we may have for the modern lexicons in the Indian as in other fields, either mono-, bi-, tri- or quadrilingual or polyglot dictionaries” (p 46)

१३९ लियोनार्ड ब्लूमफील्ड लैंग्वेज, लन्दन, १९५८, पृ० ३२३ से उद्धृत।

"Today we expect a dictionary of a local dialect to give all the words that are current in non-standard speech, with phonetic accuracy and with reasonable care in the definition of meanings." (p 82S)

- १४० डॉ० अचलानन्द जखमोला मध्यकालीन हिन्दी कोश-साहित्य, 'हिन्दुस्तानी', भाग २३, अंक १, पृ० ५९ से उद्धृत ।
- १४१ भाषा, वष ८, अंक २ पृ० १५४ ।
- १४२ रामप्रसाद कुलश्रेष्ठ "अध्ययन और अन्वेषण" के अन्तगत हिन्दी के कृषि कोश, पृ० १५८ ।
- १४३ डॉ० अचलानन्द जखमोला कोशविज्ञान एक परिचय, 'हिन्दुस्तानी' भाग २६, अंक १२, पृ० ८१ से उद्धृत ।
- १४४ लिओनार्ड ब्लूमफील्ड लैंग्वेज, १९५८, पृ० ४ ।
"The analogists believed that the origin and the true meaning of words could be traced in their shape, the investigation of this they called etymology"
- १४५ डा० सुमित्र मंगेश बन्ने व्युत्पत्तिशास्त्र और ऐतिहासिक व्याकरण, भारतीय साहित्य, वर्ष ३, अंक ४, अक्टूबर, १९५८, पृ० ६ से उद्धृत ।
- १४६ वही, पृ० ७ से उद्धृत ।
- १४७ भाषा, अगस्त, १९६१ पृ० ५३ से उद्धृत ।
- १४८ डा० सुमित्र मंगेश बन्ने लेखिमकोशिका, १९६५, पृ० ३२ ।
- १४९ अङ्ग सुख लाति दनातोति मङ्गलम् ।—आप्तपरीक्षा ।
मङ्ग्यते अधिगम्यते हितमनेन इति मङ्गलम् । (जा० हरिभद्रसूरि दशवैकालिक गीका) ।
मां गालयति भवार्ति मङ्गल ससारात्पनयति ।
मङ्ग्यते अलक्रियते आत्मा इति मङ्गलम् ।—विशेषावश्यक भाष्य,
मो०न्त अनेन इति मङ्गलम् । मङ्गान्त पूज्यन्त अनेन इति मङ्गलम् ।
- १५० आदित्योऽप्यकूपार, समुद्रोऽप्यकूपार वृक्षोऽप्यकूपार—इत्येतेषु निगमा पर्येष्या ।—
निरुक्त, नैगमवाण्ड ४ अ०, ३ पा०, २ खण्ड ।
- १५१ 'हर (४०)"—इत्येतदनेवाथम् । हरते' इति व्युत्पत्ति । 'ज्योतिहर उच्यते' तद्धि
हियते, हरति वा स्नेहम्, विरुद्धी करोति । हरति वा तम इति हर । "उदक हर उच्यते" तद्धि
हियते प्राणिभि जीवनाय । "लोरा हरांस्युच्यन्ते" तेभ्यो हि क्षीणपुण्या प्राणिनो हियन्ते ।—
निरुक्त, नैगमवाण्ड, ४ अ०, ३ पा०, ३ खण्ड ।
- १५२ 'धनुषा कवचं वा कवचं कु अञ्चितं भवति काञ्चित भवति कायेऽञ्चित भवतीति वा ।—
निरुक्त, नैगमवाण्ड, ५ अ०, ४ पा०, ७ खं० तथा —"कोश कुष्णातीर्विकुषितो भवत्ययमपीतर'
कोश एतस्मादेव सञ्चय आचितमात्रो महान् भवति ।" वही ५, अ०, ४ पा०, ८ खण्ड ।
- १५३ क हैयासिंह—वैज्ञानिक पाठ सम्पादन—एक विमश, हिन्दुस्तानी, भाग २५, अंक १४,
जन० दिस० १९६४, पृ० २०७ से उद्धृत ।
- १५४ डॉ० एस० एम० बन्ने (अनु०—डॉ० उदयनारायण तिवारी)—भारतीय पाठालोचन की
भूमिका, १९७१, पृ० ९८ से उद्धृत ।
- १५५ मुलराज जैन भारतीय सम्पादन-शास्त्र, ओरियन्टल कॉलेज मेगकोन, लाहौर, नव० १९४२,
पृ० ५० ५१ से उद्धृत ।
- १५६ हिन्दुस्तानी, भाग २६, अंक १-२, जन०—जून, १९६५, पृ० १२२ से उद्धृत ।

१५७. वहीं, पृ० १२० से उद्धृत ।

१५८ देवेन्द्रकुमार शास्त्री—अपभ्रंश कोश एक परिचय, हिन्दुस्तानी, भाग ३१, अंक १२, जन०
जून, १९७०, पृ० २६-२७ ।

अध्ययन व विमर्श के लिए पठनीय पुस्तकें

- (१) रॉबर्ट ए० हॉल फ्र० इन्ट्रोडक्टरी लिग्विस्टिक्स ।
- (२) आर० एच० रॉबिन्स जनरल लिग्विस्टिक्स ।
- (३) डॉ० आइ० जे० एम० तारापुरवाला एलीमेंट्स आव् साइन्स ऑव लैंग्वेज ।
- (४) डॉ० गौरीनाथ शास्त्री ए फिलासफी ऑव वड एण्ड मीनिंग ।
- (५) डॉ० कपिलदेव द्विवेदी अर्थ विज्ञान और व्याकरण दर्शन ।
- (६) आइ० ए० रिचर्ड्स प्रिंसिपल्स ऑव लिटरेरी क्रिटिसिज्म ।
- (७) आइ० ए० रिचर्ड्स प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ।
- (८) डेविड डायचेम क्रिटिकल एप्रोचेज टु लिटरेचर ।
- (९) डॉ० ब्रजधीशप्रसाद एन इन्ट्रोडक्शन टु इंग्लिश क्रिटिसिज्म ।
- (१०) डब्ल्यु० एच० हडसन इन्ट्रोडक्शन टु द रग्डी ऑव इंग्लिश लिटरेचर ।
- (११) डॉ० रामअवध द्विवेदी साहित्य सिद्धान्त ।
- (१२) थामस ए० मेवान् स्टाइल इन लंग्वेज ।
- (१३) एस उल्मन लैंग्वेज एण्ड स्टाइल ।
- (१४) एम० उल्मन ए प्रिन्सिपल्स ऑफ सीमेटिक्स ।
- (१५) आर० फाउलर (म०) एमेज आन स्टाइल एण्ड लैंग्वेज ।
- (१६) डोनाल्ड मा० फ्रांमैन लिग्विस्टिक्स एण्ड लिटरेरी स्टाइल ।
- (१७) डॉ० बच्चन सिंह आलोचक और आलोचना ।
- (१८) डा० सुमित्र मंगेश कत्रे लेक्सिकोग्राफी ।
- (१९) रामचन्द्र वसा कौशकला ।
- (२०) एल० लूमफोल्ड लंग्वेज ।
- (२१) डॉ० एस० एम० कत्रे (अनु०—डॉ० उन्मयनागायणतिबागी) भारतीय पाठालोचन की भूमिका ।
- (२२) वन्हैयासिंह पाठ सम्पादन के सिद्धान्त ।
- (२३) एफ० एडवर्गन पब्लिशिंग रिज सट्रक्टेड ।
- (२४) वो० एम० सुगठनकर प्रायोग्यता टु द क्रिटिकल एडिशन ऑव द आदिपर्वन् ऑव ए महाभारत ।
- (२५) डॉ० भोगनाथ तिवारी अनुवात विज्ञान ।
- (२६) डॉ० मिथिलेश और विमलश वान्ति पाठालोचन ।
- (२७) देवेन्द्र नाथ शर्मा भाषा विज्ञान व भूमिका ।

राष्ट्रभाषा हिन्दी और देवनागरी लिपि

संसार में अनगिनत भाषाएँ हैं। यद्यपि अनेक बार विश्व की भाषाओं और बोलियों का पता लगाया गया, किन्तु वास्तविकता यही है कि सभी बोलियों की परिगणना आज तक नहीं हो सकी है। कहा जाता है कि संसार की भाषाएँ लगभग २,७९६ हैं। बोलियाँ इन से पृथक् हैं। बोली जाने वाली भाषाओं में १३ भाषाएँ सब से अधिक महत्वपूर्ण हैं। इन के नाम हैं—चीनी, अंग्रेजी, हिन्दी, रूसी, स्पेनी, जर्मन, जापानी, फ्रांसीसी, हिन्देशियाई, पुर्तगाली, बंगला, इतालवी, और अरबी। उक्त लगभग तीन सहस्र भाषाओं में एक सहस्र से अधिक अमेरिकी इण्डियन भाषाएँ सम्मिलित है, जिनके बोलने वाले वर्तमान में कुछ ही हजार अथवा प्रत्येक भाषा के कुछ ही सौ हैं। पाँच सौ से अधिक भाषाओं में बोलने वाले अफ्रीका की नीग्रो जाति के हैं और लगभग पाँच सौ या उस से कुछ अधिक भाषाओं का उपयोग करने वाले आस्ट्रेलिया, न्यू गाइनिया एवं प्रशांतसागरीय द्वीपों के मूलनिवासी हैं। कुछ सैकड़ों भाषाएँ एशिया में पृथक् वर्गों में बोली जाती हैं, जिन की लोगों को बहुत कम जानकारी है। विश्व के भाषाई प्रदेशों का जो भौगोलिक सर्वेक्षण किया गया है, उस के अनुसार चार क्षेत्र बतलाए गए हैं^१ १ अमेरिका, २ प्रशान्तमहासागर, ३ अफ्रीका, और यूरेशिया। अमेरिका के दो भाग हैं—उत्तरी और दक्षिणी। अमेरिका की लगभग चार सौ छोटी बड़ी भाषाएँ तीस वर्गों में विभाजित की जाती हैं। प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में अनेक भाषाएँ, विभाषाएँ, तथा बोलियाँ बोली जाती हैं, जिन सब का भली भाँति अध्ययन नहीं हो सका है। ये पाँच वर्गों में विभक्त की गई हैं —

- १ इंडोनेशियाई अथवा मलयाई कुल,
- २ मलेनेशियाई कुल,
- ३ पालीनेशियाई कुल,
- ४ पापुआई कुल,
- ५ आस्ट्रेलियाई कुल।

अफ्रीकी परिवार की भाषाओं में कई विलक्षण बातें मिलती हैं। इस परिवार की भाषाओं में अत्यन्त विविधता भी परिलक्षित होती है। इस विविधता के कारण ये भाषाएँ दस कुलों में विभक्त की गई हैं, जिन में से मुख्य निम्नलिखित हैं —

- १ बुशमैन कुल,
- २ बाद् कुल,
- ३ सडान कुल,

- ४ हैमेटिक या हामी कुल,
५ सैमेटिक या सामी कुल ।

अत्यन्त प्राचीन काल से यूरोशिया का एक बहुत बड़ा भू-भाग महान् ज्वलितियों के सांस्कृतिक एवं मानवीय कार्यों के उत्थान की दिशा में प्रगतिशील रहा है, इसलिये यदि इस क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण भाषाकुल मिलते हैं, तो इस में आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यहाँ की अधिकांश भाषाएँ सन्तोषजनक रीति से वर्गीकृत की गई हैं। यह क्षेत्र एक प्रकार से प्राचीन और वर्तमान भाषाओं के बीच में असमान भाषाओं का प्रदेश है। यूरोशिया के महत्वपूर्ण भाषाई कुल हैं —

- १ सुदूर उत्तर की भाषाएँ (अमरीकी समुदाय की आर्कटिक),
- २ यूगाल कुल (फि नो उग्री, समयद),
- ३ अस्ताइ कुल (तुर्की, मंगोल, मचू),
- ४ काकेशस कुल (किरकेशियाई, करतेवेलियाई),
- ५ तिब्बत-चीनी कुल (यनिस्ती औस्त्यक, थाई चीनी, तिब्बत-बर्मी),
- ६ सैमेटिक या सामीकुल (पूर्वी सामी, पश्चिमी सामी, उत्तरी बग, दक्षिणी वर्ग),
- ७ भारोपीय कुल (बन्डुम बग, शतम् वर्ग),
- ८ द्रविड कुल (तामिल, मलयालम, कन्नड, तुलु, गोडी, तेलगू, और ब्राहुइ आदि),
- ९ आस्ट्रियाई कुल अथवा मले पालीनेशियाई कुल (इडानेशियाई या मलयाई),
- १० अवर्गीकृत भाषाएँ ।

भारोपीय भाषाएँ

भौगोलिक दृष्टि से लगभग सम्पूर्ण यूरोप, दक्षिण पश्चिमी एशिया तथा उत्तर पूवा भारत, सम्पूर्ण पश्चिम के अर्द्धक्षेत्र, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया, दक्षिण अफ्रीका, पूरे अफ्रीका, भारत, दक्षिण पूर्वा एशिया और प्रशान्त महासागर के द्वीपों में भारोपीय भाषाएँ बोली जाती हैं। इन के बोलने वालों की संख्या लगभग एक अरब है। इन भाषाओं की बनावट मूलतः प्रत्ययमूलक और सश्लिष्ट है। इन की मुख्य शाखाएँ हैं —

- १ जर्मनिक उत्तरीय (या स्के डेनेवीय) आइसलैंडिक, दनो नार्वेजियन, स्वीडिश पश्चिमीय अंग्रेजी, उच्च और निम्न जर्मन, डच फ्लेमिश,
- २ रामास हिस्पेनिक, स्पेनिश, पुर्तगाली, केन्टन, फ्रेन्च, इतालिक, रूमानि,
- ३ केल्टिक आयरिश, वेल्श, आदि,
- ४ बाल्तोस्लाविक बाल्तिक लिथुआनी, लेट्टिश,

स्लाविक पूर्वी रूसी, उक्रैयानी, श्वेत रूसी,

पश्चिमी पोलिश, चैक, स्लोवाक,

दक्षिणी सर्बो क्रोवियन, स्लोवेनी, बुल्गारी,

ग्रीक,

- ६ आल्बनीय,
- ७ आर्मेनीय,
- ८ ईरानीय फारसी, कुर्दी, बलोची, फ्लो,
- ९ भारतीय आर्य भाषाएँ और दक्षिणी सिन्धी ।

डॉ० उदयनारायण तिवारी के अनुसार भारोपीय परिवार के अन्तर्गत दश भाषाओं की गणना की जाती है, जो इस प्रकार हैं —

१ केस्तिक, २ इतालिक, ३ जर्मनिक अथवा थ्यूटनिक, ४ ग्रीक, ५ बाल्टो-स्लाविक, ६ आल्बनीय, ७ आर्मेनीय, ८ खत्ती अथवा हत्ती, ९ तुखारीय १० भारत ईरानी अथवा आय । इन में से खत्ती और तुखारीय भाषाएँ छुट हो चुकी हैं । आज केवल आठ भाषाएँ ही प्रचलित हैं ।

भारोपीय परिवार की भाषाएँ दो समूहों में विभक्त हैं वे टुम् और शतम् । मूल भारोपीय भाषाओं की पुर कण्ठ्य स्पर्शव्यञ्जन ध्वनियाँ जिन भाषाओं में सुरक्षित रह गईं, वे के-टुम् समूह की भाषाएँ हैं । आगे चलकर वे ही ध्वनियाँ पश्चात्कण्ठ्य ध्वनियों में परिणत हो गईं । परन्तु जिन भाषाओं में मूलभाषा की 'क' ध्वनि 'स' या 'श' में परिणत हो गईं, वे शतम् वर्ग की भाषा कहलाईं । इस प्रकार का विभाग सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से सन् १८७० में अस्कोस्की ने किया था । उस का कथन है कि पैतृक भारोपीय बोली में ताल्प्य ध्वनिवर्ग सुरक्षित था । उन में से 'क' ध्वनि का विकास विभिन्न शाखाओं में दो रूपों में हुआ । एक समूह की भाषाओं में उस का विकास कण्ठ्य या 'क' ध्वनि के रूप में और दूसरे समूह में उस को ऊष्म (श् या स्) हो गया । 'शत' (सौ) शब्द के वाचक इन दो शब्दों को ले कर सर्वप्रथम पश्चिमी और पूर्वी भाषाओं को ध्यान में रख कर यह विभाग किया गया था किन्तु बाद में तुखारी और हित्ती की रोज से यह निर्णय बदल देना पड़ा, क्योंकि के-टुम् भाषाएँ भी पूव में पाई जाने लगी ।^१

यद्यपि भाषावैज्ञानिक अध्ययन से यह सिद्ध हो चुका है कि मूल भारोपीय भाषा के ह्रस्व ए ओ तथा उदासीन अर्द्धस्वर अ (०) ग्रीक, लैटिन, आदि भाषाओं में सुरक्षित हैं, और इन ए, ओ के स्थान पर आर्यभाषा में ह्रस्व अ एव अ हो जाता है, किन्तु इसे अन्तिम तथ्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता । भले ही ताल्प्य नियम की खोज से ग्रीक, लैटिन, आदि भारोपीय भाषाओं में पाई जाने वाली मूल ध्वनि सिद्ध हो गई हो, किन्तु भाषा की रचना और उस की विकास धारा का अध्ययन करने से यह स्पष्ट लक्षित होता है कि मूल भारोपीय भाषा की मूल ध्वनि उदासीन अर्द्धस्वर अ (०) रही होगी । मूल स्वर 'अ' ही है । विकास-क्रम के अध्ययन में इस के विभिन्न रूपों का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन कर अनुसंधान किया जा सकता है कि वास्तव में मूल भारोपीय भाषाओं की मूलध्वनि 'अ' स्वर थी, न कि इ (०) । आज ही नहीं, लगभग पाँच हजार वर्षों के इतिहास में भारतीय संस्कृति की उत्तम निदर्शन आयभाषा अपने कुल में सर्वोत्कृष्ट रही है । अतएव कुछ भारतीय

विद्वानों का यह भी कथन है कि संस्कृत में 'ट' वर्ग द्रविड़ों के सम्पर्क से और 'न्' वर्ग तालव्यीकरण की प्रक्रिया से नहीं आए हैं। वस्तुतः ये उस के मौलिक वर्ग हैं। परन्तु उनका यह विचार चिन्तनीय है।

भारोपीय भाषा-परिवार में हिन्दी

डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी का कथन है कि यूरोप, एशिया, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, आर्शोनिया एवं अमरीका में जिन विभिन्न भाषा कुलों से संबंधित भाषाएँ तथा बोलियाँ बोली जाती हैं, उन में सब से महत्वपूर्ण भारतीय आर्यभाषा ही है। पृथ्वी पर इस के बोलने वालों की संख्या सब से अधिक है और इस के अन्तर्गत कुछ ऐसी अत्यन्त प्रभावशाली प्राचीन एवं अवाचीन भाषाएँ आती हैं, जिनका स्थान मानव की प्रगति के इतिहास में पिछले पचीस सौ वर्ष से सर्वाग्र रहा है। भाषावैज्ञानिक, समाजविज्ञानी, इतिहासविद् और नृतत्वज्ञानी, आदि सभी एक स्वर से यह मानते हैं कि भारतवर्ष में आर्य लोग बाहर से, मध्य एशिया से आए थे। यह भी कई प्रकार के अध्ययनों से स्पष्ट हो चुका है कि ई० पू० १,५०० के लगभग इरानी और भारतीयों की भाषा और संस्कृति में बहुत कुछ समानता थी। भारोपीय भाषा-परिवार की एक शाखा का नाम आर्य या भारत इरानी भी है। आर्य लोग अपने मूल स्थान से भ्रमण करते हुए जब ओक्सस घाटी के पास पहुँचे, तो उन का एक समुदाय ईरान चला गया, दूसरा कश्मीर में और उस के आसपास तथा तीसरा भारत में आ बसा था। भारत इरानी शाखा के विषय में तीन प्रकार के मत हैं। स्टेन कोनोव भारतीय और इरानी ये दो शाखाएँ मानते हैं। वे दरद को इरानी के अन्तर्गत ही मानते हैं। ज्यूल् ब्लॉख तथा कुछ अन्य विद्वान् भी इस की दो शाखाएँ मानते हैं, किंतु दरद को भारतीय शाखा में स्थान देते हैं। तीसरा मत ग्रियर्सन का है। वे भारत इरानी की तीन शाखाएँ मानते हैं— भारतीय, इरानी और दरद। प्रथम आर्यशाखा की भाषा है—वेद और दूसरी शाखा की अवेस्ता है। इन दोनों में परस्पर बहुत साम्य है। यथाथ में, इरानी जाति एक आर्य जाति कही जाती है। इस की भाषा प्राचीन पारसी है। लिखित रूप में इस का प्राचीनतम रूप शिलालेखों में सम्राट् दारिउस के काल में ई० पू० ५२२-४८६ में मिलता है। हिटाइट के कुछ नमूनों को छोड़ कर भारोपीय भाषा का यह प्राचीनतम लिखित साहित्य माना जाता है। पारसियों का प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ अवेस्ता है। अवेस्ता समग्र एक ग्रंथ नहीं है। इस साहित्य का सकलन छठी शताब्दी में सासानी काल में हुआ, कहा जाता है। इसके तीन भाग अत्यन्त प्रसिद्ध हैं—यसन, विस्पेरेद और वंदीदाद। यसन में गाथा भाग सर्वप्राचीन है। गाथाएँ छन्दों में हैं। इन की उत्पत्ति पारसी महर्षि जरथुस्त्र के श्रीमुखवाक्य से मानी जाती है। गाथाओं की भाषा वैदिक संस्कृत से बहुत कुछ मिलती है। प्रो० जैक्सन के अनुसार गाथाओं के छन्द नियमित वण परिवर्तन के साथ वैदिक छन्द बन जाते हैं। अवेस्ता भाषा की कुछ विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

१. एक ही शब्द कई रूपों में मिलता है, जैसे कि—आयु अयु, हॅमो-हामो, हुतयतम् हुतायतम्, अदानम् अदनम्, इत्यादि ।
- २ वैदिक संस्कृत के अन्त्य आस् का प्रतिनिधि अवेस्ता में 'आ' होता है, यथा—सेनावास्—हएनया, भूवास्—बुवा (तू हो) ।
- ३ संस्कृत अन्त्य अस् अवेस्ता में प्राकृत की भाँति 'ओ' हो जाता है—नो (हमारा), बो (तुम्हारा), आदि ।
- ४ संस्कृत के स्, त्, ग्, भ्, ऋ और द् को क्रमशः ह्, य्, ग्, ब्, अर तथा त् हो जाता है, उदाहरणार्थ—हॅम (सम), पुथ (पुत्र), गर्भो (धर्मम्), भूमी (भूमि), मातर (मातृ) और चित् (चिद्) ।
- ५ संस्कृत के दीर्घ ई, ऊ, स्वर अवेस्ता में ह्रस्व इ, उ, हो जाते हैं, यथा—तनुनाम् ।
- ६ अवेस्ता में स्वरभक्ति की बहुलता है । सौवरी (इ, उ,) वैयाजनी और सायौगिकी तीनों प्रकार की स्वरभक्ति अवेस्ता में परिलक्षित होती है ।

शिलालेखों की भाषा पश्चिमी इरान की भाषा है । इसे ही पुरानी फारसी कहते हैं । इस से पहलवी और पहल्वी से वर्तमान फारसी का विकास हुआ है । अवेस्ता के पहलवी अनुवाद तथा भाष्य का नाम जेन्द है । इस की लिपि बाएँ से दाएँ लिखी जाती है ।

भारत में आए हुए आर्यों का प्राचीनतम साहित्य वेद है । प्रो० हट्टेल की यह निश्चित धारणा है कि आर्यों के भारत आगमन के पूर्व ही ऋग्वेद की प्राचीनतम ऋचाओं की रचना ईरान में हो चुकी थी । कतिपय ऋचाओं की रचना आर्कोशिया (वर्तमान अफगानिस्तान) में हुई थी, किन्तु कुछ ऋचाएँ यमुना के तटवर्ती प्रदेशों में रची गई थी ।^{१०} यथार्थ में, ऋग्वेद एक व्यक्ति या एक काल का साहित्य नहीं है । विभिन्न ऋषि द्रष्टाओं के द्वारा वेद साहित्य विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कालों में लिखा गया था । जब आयजजाएँ भारत में आईं, तब उन के पास जो परम्परागत मान्यताएँ थीं, देव सृष्टि की जो कल्पनाएँ थी और यज्ञयाग की जो पद्धतियाँ थी, वे सभी आर्यभाषा की भाँति आर्य ईरानी काल की देन थी । वेदों का भलीभाँति अध्ययन-परीक्षण करने पर यह निश्चित हो चुका है कि वेद आम जनता की रचना नहीं है । 'ऋग्वेद रिपीटीशन' में ब्लूमफील्ड ने यह स्पष्ट रूप से बताया है कि ऋग्वेद में लगभग १५ पाद का पुनरावर्तन हुआ है । इस से यह निष्कर्ष फलित होता है कि ऋग्वेद की भाषा वगविशेषकी साहित्यिक भाषा थी । ऋग्वेद का कवि बार बार यह कहता है कि जैसे कोई बढई विभिन्न काष्ठ उपकरणों को आकलित कर रथ का निर्माण करता है, उसी प्रकार मैं अपना काष्ठ बनाता हूँ ।^{११} आर्य जाति आज भी विशुद्ध रूप में जर्मन में पाई जाती है । जर्मन के लोग अपने को विशुद्ध आर्य जाति का मानते हैं । ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अध्ययन से भी पता चलता है कि 'जर्मन' 'शर्मन' शुद्ध आर्य रहे हैं, जब कि भ्रमणशील

आर्य जाति विविध प्रदेशों में विस्थापित हो कर अनेक जातियों के सगम से मिश्रण को प्राप्त हो गई। अतएव उन की विचारधारा, रहन-सहन, शारीरिक-रचना, षण, आदि में परवर्ती काल में अत्यधिक अन्तर परिलक्षित होता है। अनुसन्धानों से प्राप्त तथ्यों से भी इस की पुष्टि होती है। इन सब परिवर्तनों के कारण भाषा में परिवर्तन होना भी स्वाभाविक था।

आर्यों के आगमन के पूर्व और भाषास्तरों—आस्ट्रिक, किरात तथा द्रविड ने नेग्रिटो भाषा को बिल्कुल ढक लिया था, इसलिए कुछ भी अवशिष्ट बचा प्रतीत नहीं होता। आर्य लोग जो इन से बहुत पीछे आए, शायद इन्हें नहीं मिले, कम से कम पंजाब और गंगा के समतल क्षेत्रों में तो नहीं ही मिले, उन की भाषा में इन के लिए नाम ही नहीं है।^{१५} यथार्थ में, सहस्र वर्षों की सीमाओं में भारतवर्ष एव आर्यावर्त की सीमाएँ बदलती रही हैं। इस देश में न जाने कितने भाषों से कितनी ही प्रकार की जातियाँ आती रही हैं। उन सब का सम्मिश्रण और सगम विभिन्न युगों में होता रहा है। इस सम्बन्ध में कई विद्वानों की लिखी हुई अनेक पुस्तकें मिलती हैं। किन्तु अभी तक यह ठीक से निश्चय नहीं हो पाया है कि कितनी जातियाँ और कब कब भारत में आती रही। डॉ० चटर्जी के अनुसार भूमध्य जातियों की विभिन्न शाखाओं के प्रतिनिधि द्रविड दक्षिण देशियों के पश्चात् आए प्रतीत होते हैं। यह भी सम्भव है कि द्रविड लोग दक्षिण देशियों से पहले आए हों। आधुनिक द्रविड भाषाओं का अपना बिल्कुल अलग ही एक समूह है। तमिल, मलयालम, कन्नड, टोडा, कोडगु, तुलु, तलुगु, कुह, गोड, कुड्डल और माल्टो भाषाएँ क्रमशः भारत के दक्षिणी, मध्य तथा पूर्वी अन्त प्रदेश में बोली जाने वाली द्रविड भाषाएँ हैं। इन में अतिरिक्त बिलोचिस्तान में क्वटा के आस पास बोली जाने वाली ब्राहुई भाषा है, जो कि इरानी कुल की पदती एव बलोची तथा भारतीय आय सिन्धी के निकट या बीचों बीच बोली जाने वाली एक पृथक् द्रविड भाषा है। द्रविड के योगात्मक गठन की तुलना अल्ताइ यूराली भाषाओं से हो सकती है, परन्तु द्रविड के शब्द रूप, घातुएँ, प्रत्यय, आदि किसी भी निकट या दूरस्थ भाषा के कुल से नहीं मिलते।^{१६} किन्तु यह मत अब माय नहीं है। कारण कि आर्य तथा आर्येतर प्रजाओं के सगम से आर्य प्रजा के प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद में 'गगा, शाल्मलि, शिम्बल, कपात, मयूर, लालल', आदि सुष्ठा भाषाओं के शब्द माने जाते हैं। इसी प्रकार द्रविड भाषाओं के अनेक शब्दों का प्रयोग ऋग्वेद में परिलक्षित होता है।^{१७} इस अध्ययन के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आर्य तथा आर्येतर प्रजाओं का समय-समय पर सम्मेलन होता रहा है और केवल रीति रिवाज तथा धार्मिक विश्वासों को ही नहीं, भाषा को भी बहुत कुछ अंशों में आर्येतर प्रजाओं ने प्रभावित किया था।

अब प्रश्न यह है कि जब आर्यों के इस देश में आने के पूर्व यहाँ पर आदिवासी निषाद, मील, कोल, शबर, आदि अनेक आर्येतर प्रजाएँ बसी हुई थीं, तो उन को

परिचित कर आर्य लोग किस प्रकार इस देश में बसे राधे ? इस के तीन मुख्य कारण कहे जाते हैं—आर्यों का सुसंगठित हो कर एक ही भाषा को निश्चित रूप में 'बोली' के रूप में प्रयोग करना, बहुत अच्छी घोड़े की सवारी करना और धनुर्विद्या में पारगत होना । भारतीय संस्कृति की पुरस्कर्ता मूल चार जातियाँ कही जाती हैं—निषाद, द्रविड, किरात, और आर्य । इन सब में आर्य जाति मुख्य रही है—ज्ञान और विज्ञान की उन्नति के कारण ।

कालान्तर में आय तथा आर्यतर प्रजाओं में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरोध होने के साथ ही साथ भाषागत भेद भी परिलक्षित होने लगा । अतएव पतंजलि महाभाष्य से ले कर मीमांसा दर्शन में और पुराणों से ले कर भरतमुनि के नाट्यशास्त्र और आचार्य व्याडि तक भाषा भेद की एक अविरत परम्परा की चचा मिलती है । सामान्य रूप से भाषाओं की मुख्य दो कोटियाँ मानी गई हैं—साधुभाषा और म्लेच्छभाषा । म्लेच्छभाषा में न केवल द्रविड भाषाओं, पारसी, बर्बर, यवन, और रोमकादि भाषाओं का उल्लेख किया गया है, बरन् प्राकृत, अपभ्रंश, आदि अपशब्दजनित भाषाएँ भी म्लेच्छ कही गई हैं । शबरमुनि का कथन है कि जिन शब्दों का प्रयोग आर्य लोग किसी अर्थ में नहीं करते, किन्तु म्लेच्छ लोग किसी अर्थ में उन का प्रयोग करते हैं, जैसेकि पिक, नेम, सत, ताम्रस, आदि शब्दों में सन्देह है ।^{१५} रत्ति और मित्ताजि भाषाएँ जोकि आय भाषाएँ मानी जाती हैं, लगभग ४,००० वर्ष प्राचीन कही जाती हैं । इन भाषाओं में आर्यभाषा के प्राचीनतम रूप आज तक सुरक्षित है । बोगाजकोर्ड में ईंटों पर उत्कीर्ण खतियों की तरह साँ पुस्तक तथा मिश्र, सीरिया, बैबलिन, आदि में जो उत्कीर्ण स्तम्भ मिले हैं, उनके अध्ययन से पता चलता है कि इन के रचयिता खति या क्षत्रिय वीर थे, जिन के समक्ष महाप्रतापी मिश्र को झुकना पड़ा और बैबलिन ने माथा टेक दिया था । खतियों की वीर नारियाँ भी रण कौशल दिखाने में निपुण थीं । इस अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि आय जाति किसी समय पश्चिमी एशिया में राज्य करती थी ।^{१६} आर्यों का प्रसार पश्चिम से पूर्वी एशिया तक रहा है । भारत में भी उत्तर पश्चिम से ले कर पूर्वी प्रदेशों में उन का वर्चस्व रहा है ।

जहाँ तक ऋग्वेद की भाषा का प्रश्न है, भाषावैज्ञानिक यह स्पष्ट एवं निश्चित रूप से मानते हैं कि वेदों की भाषा साहित्यिक है । सामान्य रूप से भी वेदों की अलङ्कृत भाषा को देख कर यह कथन उचित ज्ञान पड़ता है । वेदों के अधिकतर वर्णन प्रतीकात्मक हैं, जो उसकी साहित्यिकता को भलीभाँति सप्रकृत करते हैं । भाषा विकास की दृष्टि से भी स्टेनली रुडले का यह कथन कि वर्तमान में जो भी बोलियाँ परिलक्षित होती हैं, वे किसी न किसी परम्परागत ऐतिहासिक क्रम में अनुस्यूत हैं, उन के पीछे सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं भौगोलिक कारण निहित हैं, बोली के स्वतन्त्र अस्तित्व का निर्देशक है । संस्कृत भाषा के रूप में परिपूर्णता तक पहुँचाई गई, सवारी हुई भाषा है, जो आरम्भ से ही साहित्य के पद पर आसीन रही है । अतएव वैदिक युग की

बोली जाने वाली स्वाभाविक बोलियों प्राकृत कही जाती थी। जब इन प्राकृतों का भी साहित्यिक रूप में विकास हुआ, तब वे साहित्यिक सस्कृत से प्रभावित नहीं। यथायथ में, उस युग के व्याकरणों ने ऐसे विशिष्ट नियमों का वर्तन किया, जिन से सस्कृत प्राकृतों में परिवर्तित की जा सके, जिस से यह पता लग सके कि वास्तविक प्राकृत खो गई है और साहित्यिक प्राकृत सस्कृत का भ्रष्ट या तोड़ा मरोड़ा निम्नलिखित रूप है।^१

ज्यूल ब्लॉख ने भारतीय आयभाषा की जिन दो मुख्य विशेषताओं—मूर्धन्वों के नवीन वर्ग की उत्पत्ति और ज एव जँ का लोप—का उल्लेख किया है,^२ वस्तुतः उन का सम्बन्ध प्राकृत बोलियों से है। वैदिक युग में एक ओर ईरानी और दूसरी ओर प्राकृत बोलियों में जनप्रचलित थीं। इन प्राकृत बोलियों की विकास परम्परा से ही हिन्दी का जन्म हुआ। भारतवर्ष में जितनी आर्यभाषाएँ हैं, वे साहित्यिक और भाषिक परम्परा के रूप में सस्कृत से विकसित हुई हैं किन्तु जहाँ तक बोलियों का प्रश्न है, उन का विकास बोल चाल की प्राकृतों या अपभ्रंशों से हुआ है। हिन्दी का जन्म न तो सस्कृत से हुआ है और न किसी अरबी, फारसी से। ठेठ हिन्दी का एक भी ऐसा शब्द नहीं है, जो परम्परा से आगत न हो उदाहरण के लिए, हिन्दी का अचानक शब्द लीजिए— इस शब्द का विकास अपभ्रंश के अजाणक (जाना हुआ नहीं) शब्द से हुआ है। सस्कृत में इस का मूल रूप नहीं मिलेगा। इसी प्रकार के अनेक शब्द हैं जिन में से कुछ निम्नलिखित हैं —

झगल (झगडा), डुग, डुगर, टाल, तल, तलर, (ताल, तालाब), बापीह, (पपीहा), टोप्य, टोप्पी, टोप्यर (टोप, टोपी, टोकरा), छापड (छोपडी), रालि (रोला), साह (साडी, मलाई), हहाहह (होहहा), णाहल (नाहर), कल्लोड (कलोर), टिविल (तबला), गोल्ली, पहाड, गूडर (गूड) घाड (घानी), लल्ल (लला), टोर (पत्र), टक्कुर (ठाकुर) हूडु (होड), कड्य (कडा), टिटर (टिटहरी), आदि।^३ हिन्दी का विकास इसी शब्द परम्परा से हुआ है। यद्यपि खड़ी बोली से हिन्दी भाषा में और हिन्दी से वर्तमान हिन्दी में बहुत परिवर्तन लक्षित होता है। अनेक पुराने शब्दों का आज हिन्दी में प्रयोग ही नही होता है। दिनान्दिन नई शब्द तथा भाव-सम्पदा हिन्दी में वृद्धिगत होती जा रही है। फिर भी, हिन्दी की अपनी एक परम्परा है और उस के विकास क्रम की एक धारा है, जिस में हिन्दी का विकास हुआ। लगभग पचास वर्ष पूर्व हिन्दी में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता था, आज उन में बहुत परिवर्तन लक्षित होता है। हिन्दी के कुछ भूले हुए शब्द निम्नलिखित हैं —

इडुआ (इडुरी), अकना (भूल करना), ओगाह (गहरा), बाछना (चुनना), भकुआ (बेवकूफ), पिडाना (दर्द करना) अर्बाना (घबडाना), अर्कट (चतुरता), अगनी (कपड़ मुलाने की रस्सी), अडैच (दुश्मनी), उजबाना (उत्तेलवाना), उरेव (धोखा), उपराला (सहायता), भदेसल (भडा), मोकस (जावूशर),

शत फेंकना (चिड़ाना), अगोरिया (चौकीदार), पोटना (लेटना), फर्द (पोसा), रकता (बेस्वाद), टपूर (सर चकराना), ठेसरा (खाना), छतनार (चिपटा), दिगवार (चौकीदार), डुकुरिया (बुढ़िया), और कटर (कजूस), इत्यादि ।^{१०} ये तो अभी कुछ वर्षों के ही शब्द हैं, जिन का प्रचलन उठ गया है। इस से ही पाठक अनुमान लगा सकते हैं कि प्राकृत अपभ्रंश की परम्परा से चले आ रहे देशी एवं ठेठ शब्द ही यथार्थ में हिन्दी की अपनी सम्पदा थे। अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिऔध ने भी 'ठेठ हिन्दी का टाठ' लिख कर यही सिद्ध किया है। वास्तव में, हिन्दी किसी फारसी या उर्दू भाषा से न निकल कर परम्परागत भाषा है।

हिन्दी और उस का महत्त्व

हिन्दी की अपनी परम्परा और उस का क्रमबद्ध इतिहास है। सामान्यतः हिन्द की भाषा को हिन्दी कहा जाता रहा है। लगभग पचीस सौ वर्ष पूर्व के शिलालेखों में, जो डेरियस नामक ईरान के प्रतापी सम्राट् ने उत्कीर्ण कराए थे, हिंद, हिन्दु, शब्द लिखे हुए मिलते हैं। इस शब्द का प्रचार अरब में भी सैकड़ों वर्षों से प्रचलित है। जब भारतीय एक अरब पहुँचे तो अरब वालों ने उन अको का नामकरण 'हिंद-सा' किया। भारतीय ज्योतिष के एक अनूदित ग्रन्थ को अरबी में 'हिंद सिध' कहते हैं। इसी प्रकार लगभग ग्यारह सौ वर्ष पहले इब्नबतूता ने अपनी भारत-यात्रा का वर्णन जिस अरबी पुस्तक में किया है, उसका नाम है—तवारीख उल् हिंद। उपरुन्ध भारतीय साहित्य में आज तक 'भारत' के लिए 'हिंद' शब्द का प्रयोग किसी भी पुस्तक में नहीं मिलता है। इस से स्पष्ट है कि भारत देश के लिए 'हिंद' शब्द का प्रयोग लगभग ढाई हजार वर्ष से ईरानी, अरबी, तथा अन्य विदेशियों के द्वारा प्रयुक्त चला आ रहा है। वास्तव में, हिंदी, हिंदवी, और हिन्दू शब्द फारसी के हैं। भाषा के लिए 'हिंदी' शब्द के प्रयोग का इतिहास भी फारस और अरब से ही आरम्भ होता है। छठी सदी ई० क कुछ पूर्व से ही ईरान में 'जबान ए हिदी' का प्रयोग भारत की भाषाओं के लिए होता रहा है।^१ डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी के शब्दों में "१२वीं १३वीं शती की तुर्की विजय के पश्चात् (पूर्वी पंजाब से बंगाल तक के) उत्तर भारत में बोली जाने वाली सब बोलियों तथा भाषाओं का प्राचीनतम एवं सरलतम नाम 'हिन्दी' ही है।"^२ भौगोलिक दृष्टि से प्राचीन परम्परागत सम्पूर्ण मध्यदेश की साहित्यिक भाषा का नाम हिन्दी है। व्यापक अर्थ में, भारतवर्ष के उत्तर में गढ़वाल, अलमोड़ा, नैनीताल, पश्चिम में बीकानेर और जैसलमेर, तथा दक्षिण में खण्डवा व निमाड प्रदेश में एवं मैथिली और छत्तीसगढ़ प्रदेशों में भी साहित्यिक रूप में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह हिन्दी है। डॉ० धीरेन्द्र वर्मा के शब्दों में "आज बीसवीं सदी ईसवी में भागलपुर तक समस्त गंगा की घाटी में केवल एक साहित्यिक भाषा हिन्दी है, जिस का मुख्याधार मेरठ बिजनौर प्रदेश की खड़ी बोली है। किन्तु साथ ही मारवाड़ी, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, बुधेली, आदि अनेक बोलियों अपने अपने प्रदेशों में जीवित अवस्था में मौजूद

हैं।^{११} २६ जनवरी, १९५० से हिन्दी सम्पूर्ण भारत देश की सवैधानिक राष्ट्रभाषा के रूप में समस्त जनवासियों की गरिमामण्डित, एकता के सूत्र में बाँधने वाली एक प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान अपना चुकी है। संविधान के अनुच्छेद ३५१ में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि संविधान की व्यवस्था के अनुसार पन्द्रह वर्षों के भीतर १९६५ ई० तक हिन्दी का विकास इस प्रकार किया जाएगा कि राष्ट्रभाषा हिन्दी का व्यवहार सम्पूर्ण देशवासियों के लिए अनिवार्य हो जाएगा। वस्तुतः हिन्दी को यह गौरवपूर्ण स्थान इसलिए मिल सका, क्योंकि यह बीस करोड़ जनता की बोली या समझी जाने वाली भाषा है और राष्ट्र की तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार देश में एक ऐसी जनभाषा की आवश्यकता थी, जो सयोजक-सम्पर्क भाषा बन सके। स्पष्ट रूप से हिन्दी का चुनाव इस कारण से नहीं किया गया कि कुछ लोग इसे भारत की सबसे समृद्ध या सर्वोत्तम भाषा मानते हैं, बल्कि इसका कारण तो यह है कि अन्य प्रादेशिक भाषाओं की अपेक्षा हिन्दी समझने और बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है। हिन्दीभाषी क्षेत्रों के बाहर भी हिन्दी समझी जाती है और यह बहुत समय से बड़े-बड़े नगरों के बाजारों तथा तीर्थस्थानों की भाषा रही है। उत्तरी भारत की अधिकतर भाषाओं के यह बहुत निकट है।^{१२}

खड़ी बोली और हिन्दी

डॉ० चटर्जी ने 'पड़ी' शब्द के रूप-सादृश्य पर 'खड़ी' शब्द का अनुमान करते हुए कहा है कि संस्कृतपूर्ण नागरी हिन्दी तथा फारसी अरबी मय उर्दू दोनों के ही देशज रूपों का 'याकरण' लगभग एक ही है। इन दोनों भाषाओं में समान रूप से निहित इस मूल भाषा को 'खड़ी बोली' कहा गया है, और हिन्दी उर्दू रपड़ी बोली समूह में पृथक् 'याकरण' वाली प्रत्येक उत्तर भारतीय भाषा या बोली 'पड़ी बोली' कही जाती है।^{१३} वास्तव में रपड़ी और पड़ी शब्द का यह अर्थ अनुमान पर आधारित है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से लेकर पश्चिम में दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, आदि के निकटवर्ती क्षेत्रों की जनबोली को खड़ी बोली कहा जाता रहा है। खड़ी बोली किसी प्रदेश विशेष की बोली नहीं थी हालांकि प० किशोरीदास वाजपेयी ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से पश्चिम में मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ तथा देहरादून के जिलों का 'कुरुजनपद' के नाम से उल्लेख किया है और कुरुजनपद की भाषा को कौरवी तथा रपड़ी बोली का विकास माना है।^{१४} भाषाशास्त्रीय दृष्टि से यह क्षेत्र खड़ीबोली क्षेत्र (जिला मेरठ) तथा ब्रजभाषाभाषी क्षेत्र (जिला अलीगढ़) के मध्य स्थित है और इसी कारण यह पश्चिमी हिन्दी की दो प्रमुख बोलियों का सक्रान्तिक्षेत्र है। ब्रजभाषा एवं खड़ीबोली के सक्रान्तिक्षेत्र में कई बोलियाँ हैं।^{१५} इसलिए केवल उक्त प्रदेश को ही किसी असुक्त प्रदेश का क्षेत्र न मान कर रपड़ी बोली और ब्रजभाषा का विचार प्राचीनतम ध्वनियों के अध्ययन के आधार पर किया जाना चाहिए। खड़ी बोली की प्राचीनतम सामग्री शिलालेखों तथा अप्रकाशित हस्तलिखित पुरानी हिन्दी की

रचनाओं में उपलब्ध होती है। बारहवीं शताब्दी से पूर्व का अभी तक कोई शिलालेख नहीं मिल सकता है। हिन्दी की प्राचीन सामग्री में 'खड़ी' के लिए 'खरी' शब्द का प्रयोग मिलता है, 'र' और 'ड' का अभेद अत्यन्त प्राचीन काल से चला आ रहा था। हिन्दी में नारी-नाडी, सारी-साड़ी, जरी जड़ी, खरी-खड़ी आदि, शब्द प्रयोग व्यापक रूप से मिलते हैं। जैन कवियों की हिन्दी-रचनाओं में 'खरो', 'खरी', शब्द के प्रचुर प्रयोग मिलते हैं। अधिकतर प्रयोगों में 'अत्यन्त' अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया गया है।^{१८} अतएव हमारे अध्ययन के अनुसार 'खड़ी' शब्द मूल में 'खरी' या 'खड़ी' शब्द था, जिस में 'ड' के नीचे बिन्दी फारसी-लेखन के प्रभाव से हिन्दी में आई और जो उत्तर प्रदेश की बहुभाग की सवप्रचलित भाषा थी, उसे खरी या खड़ी बोली कहा गया। 'खरी' का अर्थ यहाँ 'शुद्ध' या 'खड़ी हुई' भाषा नहीं है, जैसी कि विद्वानों की मान्यता है। डॉ० ग्राहम बेली ने 'खड़ी' का अर्थ प्रचलित (current) किया है। यथाथ में, विभिन्न सन्दर्भों में प्रयुक्त 'खरी' शब्द 'अत्यन्त' या 'ठीक' अर्थ का वाचक है, जिस से यही समझना चाहिए कि 'अत्यन्त प्रचलित' या 'साधु' बोली को 'खड़ी बोली' कहते आ रहे हैं। यह बोली उस समय की टकसाली थी, जब देश में आक्रामक मुस्लिम सैनिक विजेता बन कर मेरठ के आस पास की छावनिषों में बसे हुए थे और उस प्रदेश की प्रचलित भाषा को विचारों के आदान प्रदान के लिए अपनाने लगे थे। हिन्दी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ने किया, यह अज्ञात है। सम्भवतः भारतीय मुस्लिम कवियों ने ही इस शब्द का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है। साहित्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली का आरम्भिक प्रयत्न भी मुसलमान कवियों के द्वारा किया गया। खुसरो का हिन्दी का प्रथम कवि कहा जाता है, पर इस में सन्देह है। श्री राहुल सांकृत्यायन के शब्दा में "खुसरो का समय अथात् तेरहवीं सदी का अन्त अपभ्रंश और आधुनिक भाषाओं का सन्धि काल था। उस समय प्राकृत (अपभ्रंश) तत्सम शब्दों का प्रयोग ज्यादा होता था। खुसरो के समकालीन फारसी इतिहासकार राजपूत के लिए 'राउत' शब्द का प्रयोग करते हैं, जो स्पष्ट रूप से राउत का ही अरबी लिपि द्वारा भ्रष्ट लेख है। ऐसे शब्दों का खुसरो की कविता में अभाव है। दूसरे, खुसरो की कविताओं का कोई भी समकालीन या उस के तीन-चार सौ वर्ष बाद के हस्तलेख नहीं मिलते। इस प्रकार खड़ी बोली हिन्दी के सर्वप्रथम कवि यही दक्खिनी कवि थे। एक ओर उन्होंने बोलचाल की कौरवी का साहित्यिक भाषा का रूप दिया, तो दूसरी तरफ उन की कृतियों ने उर्दू कविता का प्रारम्भ किया।"^{१९} डॉ० भोलानाथ तिवारी ने स्पष्ट रूप से 'खालिकवारी को खुसरो की रचना नहीं माना है। उन के अनुसार वह खुसरो के बहुत बाद के किसी खुसरोशाह की रचना है।"^{२०} अतः खुसरो को हिन्दी का प्रथम कवि नहीं माना जा सकता है। दक्खिनी हिन्दी कवियों का रचना-काल लगभग चौदहवीं शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी तक माना जाता है। इन कवियों की भाषा से ही दक्षिण में हिन्दी का विकास हुआ। मुहम्मद हुसैन आजाद उर्दू को ब्रजभाषा की पुत्री बताते हैं और खड़ी बोली को उर्दू और ब्रज के मिश्रण से

निर्मित मानते हैं।¹¹ हिन्दी की मूल भाषा अब कौरवी बोली मानी जाती है, जो ब्रजबोली से सर्वथा भिन्न है। यद्यपि कौरवी और ब्रज का कुछ प्रदेश सामान्य रहा है और वहाँ कई बोलियाँ बोली जाती रही हैं, पर राहुल सांकृत्यायन, पं० किशोरीदास वाजपेयी, आदि विद्वान् खड़ी बोली का जन्म कौरवी बोली से मानते हैं। यह कौरवी और कुछ नहीं कुरुजनपद की अपने युग की प्राकृत बोली थी। खड़ी बोली अपने जन्म काल से ही ब्रजभाषा से भिन्न रही है। अतएव जो लोग यह मानते हैं कि ब्रज से खड़ी बोली का जन्म हुआ, किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी के बिचार में खड़ीबोली उत्पन्न होने की स्थिति से ही बोली के रूप में ब्रज और कन्नौजी से भिन्न रही है, जो कि 'अउ' या 'ओ' बोलियाँ हैं। इस का कारण यह है कि खड़ी बोली पूर्वी पंजाबी की निकटता से अधिक सम्बद्ध परिलक्षित होती है। सम्भवतः यह खड़ी बोली की पूर्वज एक प्रकार की पश्चिमी अपभ्रंश थी, जो कि अत्यन्त स्थिति में राजस्थानी और ब्रज की बोलियों से भिन्न हो गई थी।¹² आधुनिक सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि एक समय था जब ब्रजभाषा खड़ीबोली (कौरवी) का अतिक्रमण करती जा रही थी, जिस से ब्रज का क्षेत्र विस्तार में अभिवृद्धि हुई। किन्तु परवर्ती काल में कौरवी के साहित्यिक रूप में प्रतिष्ठित हो जाने पर ब्रजभाषा का क्षेत्र कम हो कर अत्यन्त सीमित हो गया। आज ब्रज तथा खड़ी बोली के सङ्गम-क्षेत्र में वाक्य रचना का अध्ययन से पता चलता है कि दोनों में वाक्य-स्तर पर उच्चारणगत भेद ही नहीं, कतिपय इकाईगत भेद भी परिलक्षित होते हैं। दोनों बोलियों के सम्मिश्रण से निश्चयात्मक रूप में अनेकानेक परिवर्तन उपस्थित होते जा रहे हैं।¹³

प्रत्येक भाषा की कोई न कहीं निजी विशेषता होती है। ससार की ऐसी कोई भाषा नहीं है, जो अपनी किसी विशेषता का कारण अन्य भाषा से भिन्न न हो। भाषा की मूल विशेषता उस की प्रकृति में निहित रहती है। इसी को पं० किशोरीदास वाजपेयी ने 'चाल' नाम से अभिहित किया है। उन के ही शब्दों में "सा, प्रत्येक भाषा की अपनी प्रकृति होती है, अपनी चाल होती है। उस के विरुद्ध कोढ़ जा नहीं सकता। हिन्दी में 'जरूरत' आदि तद्रूप फारसी शब्दों का प्रयोग अब कहाँ होता है? कोई समय था, जब बट बड महारथी जैसे प्रयोग करते थे। परन्तु हिन्दी की प्रकृति ने उसे स्वीकार नहीं किया।"¹⁴ किन्तु यह यान में रखने योग्य है कि यह चाल भाषा की बाहरी चाल न हा कर भीतरी हाती है। क्योंकि यक्ति और जाति के गुणों की भाँति भाषा में भी कुलगत तथा नैयत्तिक गुण निहित रहते हैं। अतएव प्रकृति किसी भिन्न वस्तु या अमुक गुण का नाम नहीं है। भाषा की व्यवस्था, उस के चलने के अपने नियम और अभि यन्त्रक प्रवृत्तियों से ही प्रकृति का ज्ञान होता है। श्री रामचन्द्र वर्मा के अनुसार प्रत्येक भाषा की प्रकृति उस के याकरण, भाव व्यञ्जन की प्रणालियाँ, मुहावरों, क्रिया प्रयोगों और तद्भव शब्दों के रूपा या बनावटों, आदि में निहित रहती है।¹⁵ भाषा की प्रकृति उस की जीवन्तशक्ति होती है, जिस से वह किसी भाषा के शब्दों को अपनाने और नए शब्दों की रचना में सक्षम देखी जाती है। भाषा की सहज गति

और परिवर्तनशीलता भी उस की प्रकृति के मौलिक गुण के अनुसार प्रवृत्ति रूप में लक्षित होती है। इस प्रकार प्रकृति प्रत्येक भाषा की मूल एवं आन्तरिक गुणात्मक शक्ति होती है। अतएव किसी भाषा के मौलिक गुणों को समझने के लिए उस की प्रकृति का परिचय आवश्यक हो जाता है। हिन्दी की प्रकृति को ध्यान में रख कर उस के निम्नलिखित गुणों का निर्देश किया जा सकता है —

१ हिन्दी एक विशिष्ट भाषा है। इस में विभक्तियों का प्रयोग स्वतन्त्र रूप से किया जाता है। दक्खिनी हिन्दी कवियों की भाषा में हमें स्पष्ट रूप से कूँ, से, तैँ, का, की, के, मैँ, को, आदि का प्रयोग विशिष्ट विभक्तियों के रूप में लक्षित होता है। वास्तव में, पुरानी हिन्दी से ही भाषा में परसर्ग विकसित हो चले थे। हिन्दी में इन की स्थिति परसर्ग की है।

२ हिन्दी की प्रवृत्ति आकारान्त है। यद्यपि पुरानी हिन्दी में आकारान्त रूप विकल्प से बनने लगे थे, याजी लोक-जीवन में उन का प्रचलन हो चुका था, किन्तु भाषा और साहित्य में इस की पूर्ण प्रतिष्ठा खड़ी बोली में साहित्य-रचना के साथ ही हुई। खड़ी बोली में आकारान्त प्रवृत्ति वस्तुतः अपभ्रंश से आई है।^{१६}

३ हिन्दी में वृद्धन्त रूपों की बहुलता है। क्रियारूपों में वर्तमान काल तथा भूतकाल में वृद्धन्त और सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। अपभ्रंश भाषा में वर्तमान काल में तिङन्त और वृद्धन्त दोनों रूप मिलते हैं, किन्तु भूतकाल में वृद्धन्त रूप ही प्रयुक्त होते हैं।

४ हिन्दी में अपभ्रंश की भाँति 'ह्रस्वादेश' की प्रवृत्ति है। भाषा की यह प्रवृत्ति इतनी स्पष्ट है कि हम देखते हैं कि दिनादिन दीर्घ उच्चारण भी ह्रस्व उच्चरित हान लगे है, जैसेकि नाई को नाइ, बाजार को बजार और औरत को औरत सामान्यतः बोलते हैं।

५ हिन्दी में दो स्वरों का संयोग मिलता है। अपभ्रंश और हिन्दी में ही स्वर के पश्चात् स्वर देखा जाता है, किन्तु संस्कृत में स्वर के पश्चात् स्वर का प्रयोग नहीं होता, उदाहरण के लिए—गइ, आई, नहाइ, खाओ, पिओ, नाइ, बाई, आदि।

६ आकारान्त पुङ्गिग शब्द हिन्दी में अधिकृत रूप में प्रयुक्त होते हैं। अपभ्रंश और दक्खिनी हिन्दी में भी यही प्रवृत्ति परिलक्षित होती है।

७ हिन्दी भाषा की प्रवृत्ति सरलीकरण की है। उस की ध्वनियाँ, वर्णमाला, शब्द और अर्थ एव उस की अभिव्यञ्जना स्पष्ट और निश्चित है। केवल मनुष्य की वाक् उच्चरित ध्वनियों का ही नहीं, पशु पक्षियों की ध्वनियों को भी ठीक से निरूपित करने के लिए हिन्दी में ध्वनि-संकेत विद्यमान हैं।

८ हिन्दी एक अर्जनशील भाषा है। विदेशी ध्वनियों, शब्दों और उन के रूपों को अपनाने और अपनी प्रकृति में ढालने के लिए हिन्दी पूर्ण सक्षम भाषा है। गत दो शताब्दियों में हिन्दी ने विभिन्न जातियों और उन के भाषा-साहित्य के सम्पर्क से इतना अधिक ग्रहण कर उसे रचा पचा कर अपनी प्रकृति में ढाल लिया है कि अब उन के मूल स्रोतों को खोजने में कठिनाई होती है।

९ हिन्दी अब भी एक सजीव भाषा है। भाषा की परिवर्तनशीलता ही इस का सब से बड़ा प्रमाण है।

१० यद्यपि हिंदी को पराश्रयी भाषा कहा जाता है, क्योंकि वह अन्य भाषाओं से नए शब्दों को उधार ले कर अपना काम चलाती है, नए शब्दों को प्रायः नहीं गढ़ना चाहती। डा० चन्नी ने आधुनिक भारतीय भाषाओं, अंग्रेजी और जापानी भाषा को भी पराश्रयी भाषाएँ माना है। उन के ही शब्दों में “विशुद्ध अंग्रेजी शब्द घातु प्रत्यय जोड़ कर अब वह प्रायः नए शब्दों को नहीं गढ़ पाती। उसे पग पग पर फ्रांसीसी, लातीनी तथा ग्रीक का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। जापानी भाषा भी उसी प्रकार चीनी की कृपा पर निर्भर है। जापानी लोग किसी भी चीनी शब्द को सानन्द स्वीकार कर लेते हैं। उन की अपनी भाषा में नए शब्द गढ़ने की शक्ति अब नहीं है। आत्मवश भाषा में जर्मन का नाम लिया जा सकता है।” किन्तु इसे नकारा नहीं जा सकता है कि हिन्दी में गन्द निमाण की क्षमता नहीं है। वास्तव में हिन्दी का वैसा विकास ही नहीं हुआ। आज भी देश के विद्वान्, पण्डित, वैज्ञानिक, शिक्षक, आदि सस्कृत का पढ़ा पकड़ कर ही हिन्दी का विकास करना चाहते हैं, क्योंकि लोक बोलियों में उन की निष्ठा नहीं है। परन्तु उक्त अध्ययन से पता लगता है कि हिन्दी की अपनी परम्परा और विशेष चाल ढाल है। इसीलिए सस्कृत का ज्ञान प्राकृत अपभ्रंश की परम्परा से होता हुआ कहीं ग्यान हो जाता है तो कहीं जानना। पुरानी हिन्दी के ‘जाणउँ, जाण्या, जाण’ आदि रूप हिंदी में आ कर ‘जानउँ, जानूँ, जान्यो, जाने’, आदि रूप बन जाते हैं।

११ वर्तनी की दृष्टि से हिंदी अपने परिवार की सभी भाषाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस भाषा की विशेषता है कि जैसा उच्चारण करते हैं, वैसा ही लिखते हैं।

१२ हिन्दी में लिंग भेद भी विशिष्ट है। सस्कृत में तीन लिंग हैं और अंग्रेजी में चार किन्तु हिन्दी में दो ही लिंग हैं। अपभ्रंश की उत्तरकालिक स्थिति में ही दो लिंग रह गए थे। इसीलिए अपभ्रंश में लिंग सम्बन्धी अनिश्चित एव अतन्त्र व्यवस्था मिलती है, किन्तु हिन्दी में वह निश्चित और यवस्थित है। अपभ्रंश की भाँति हिंदी में भी सस्कृत के कुछ नपुंसक लिंग शब्द पुल्लिंग में परिवर्तित हो गए और कुछ स्त्रीलिंग में। ‘काव्य की आत्मा’ और ‘काव्य का आत्मा’ जैसे प्रयोगों की अनिश्चितता का मूल कारण अपभ्रंश की परम्परा रही है। और इस का एक मात्र समाधान यही है कि सस्कृत के कर्मन्, शर्मन्, ब्रह्मन् और आत्मन् जैसे नकारान्त नपुंसक लिंग शब्द हिन्दी में पुल्लिंग हो जाते हैं।

हिंदी की लिंग सम्बन्धी दूसरी विशेषता है कि क्रिया में भी लिंग की व्यवस्था देखी जाती है। सस्कृत के क्रियापदों में लिंगभेद नहीं है। अंग्रेजी में भी इस प्रकार का लिंग भेद नहीं है। यह केवल हिन्दी की अपनी विशेषता है। अपभ्रंश की क्रियाओं में भी लिंग भेद नहीं है। हिन्दी में क्रियाविषयक लिंग भेद अपभ्रंश के कृदन्त बहुल प्रयोगों से आया हुआ जान पड़ता है। क्योंकि अपभ्रंश की भाँति हिंदी में भी कृदन्त

रूपों की प्रचुरता है। अतएव अपभ्रंश के 'मौमिब्रत' से 'मोंगा' और 'मैल्कतिय', 'चल्कतिय' से मेलती, चळती हुई, आदि का विकास हुआ।

१३ हिन्दी में स्वराघात में भी विशेषता है। हिन्दी के शब्दों में बलात्मक स्वराघात वैदिक संस्कृत, अंग्रेजी, आदि से बिल्कुल भिन्न है। प्र० फल के शब्दों में "कुछ भाषाएँ ऐसी होती हैं, जिन के शब्दों में बलाघात के स्थान को परिवर्तन कर देने से उन के अर्थ में भेद पड़ जाता है। जिन भाषाओं में इस प्रकार का भेद नहीं उत्पन्न होता, उन्हें बलाघातहीन भाषाएँ कहा जाता है। बलाघातहीन भाषाओं में हिन्दी, मराठी, उड़िया, और जापानी, आदि आती हैं।"^{१३८}

१४ हिन्दी के क्रिया रूपों में भी विशेषता लक्षित होती है। संस्कृत प्राकृत तथा अन्य भाषाओं के स्रोत से आगत विभिन्न धातुओं के तद्भव क्रिया रूप हिन्दी में विकसित हो चुके हैं। अंग्रेजी 'फिल्म' शब्द से 'फिल्माना', संस्कृत के 'विलम्ब' शब्द से 'विलम्बाना', नहलाना, दहलाना, दफनाना और कबूलाना, आदि क्रियाओं का हिन्दी में बहुत प्रयोग होता है।

हिन्दी क्रियाओं की एक अन्य विशेषता है कि उन के साथ सहायक क्रियाओं का भी प्रायः प्रयोग होता है जैसेकि ले लेना, ले देना, ले जाना, ले जमना, ले मरना, ले पडना, ले आना, ले सकना, ले पाना, ले गिरना, इत्यादि।

१५ हिन्दी की सब से बड़ी विशेषता उसकी उदारता है। भाषा की सजीवता और उदारता के कारण ही हिन्दी में अनेक भाषाओं और बोलियों के शब्द समा गए हैं। केवल शब्द ही नहीं, विभिन्न वचोभगियों का समावेश भी हिन्दी में लक्षित होता है। हिन्दी में मूलतः दो प्रकार की वचोभगियाँ कही जाती हैं। प्रथम प्रकार की वचोभगी पौर्वात्य है। इस के अतर्गत भारतीय परिवार की सम्पूर्ण भाषाओं की वचोभगियों का समावेश हुआ है। दूसरे प्रकार की पाश्चात्य वचोभगी है, जिस में मारोपीय परिवार की भाषाओं के वाक्य विन्यास का अनुसरण परिलक्षित होता है।

हिन्दी और उस की बोलियाँ

१८८० ई० में डॉ० हॉर्नले ने ऐतिहासिक अध्ययन के फलस्वरूप यह विचार प्रतिपादित किया था कि आर्य लोग मध्य एशिया से भारतवर्ष में कम से कम दो बार आये। आर्यों का प्रथम दल गिलगित और चित्राल के मार्ग से मध्य देश में आकर बस गया और दूसरा दल विभिन्न जातियों के सघर्षों के कारण कई दिशाओं में विभाजित हो कर पूर्वी, दक्षिणी, तथा पश्चिमी भागों में स्थापित हो गया। डॉ० उदयनारायण तिवारी के शब्दों में "इन नवागत आर्यों ने ही वस्तुतः सरस्वती, यमुना, तथा गंगा के तट पर यज्ञपरायण संस्कृति को प्रकटित किया। उन्हें मध्यदेश अथवा केन्द्र में होने के कारण केन्द्रीय या भीतरी आर्य के नाम से अभिहित किया गया और चारों ओर फैले हुए पूर्वागत आर्य बाहरी आर्य कहलाए।"^{१३९}

डॉ० जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार समस्त भारतीय आर्यभाषाओं को सामूहिक रूप से निम्नलिखित समुदायों में विभाजित किया जा सकता है —

अ — बाहरी उपशाखा

(क) उत्तर पश्चिमी समुदाय

- १ लहदा या पश्चिमी पंजाबी,
- २ सिंधी,

(ख) दक्षिणी समुदाय

- ३ मराठी,

(ग) पूर्वी समुदाय

- ४ उडिया,
- ५ बिहारी,
- ६ बंगाली,
- ७ असमी,

आ — मध्य उपशाखा

(घ) बीच का समुदाय

- ८ पूर्वा हिन्दी,

इ — भीतरी उपशाखा

(ङ) केन्द्रीय अथवा भीतरी समुदाय

- ९ पश्चिमी हिन्दी,
- १० पंजाबी
- ११ गुजराती,
- १२ भीली,
- १३ खानदेशी,
- १४ राजस्थानी,

(च) पहाड़ी समुदाय

- १५ पूर्वा पहाड़ी या नेपाली,
- १६ मय या केन्द्रीय पहाड़ी,
- १७ पश्चिमी पहाड़ी ।

इस सूची में मराठी तथा पूर्वी हिन्दी बालियों के समुदाय हैं, न कि भाषाओं के । पहाड़ी समुदाय की भाषाएँ हिमालय की तराई में बोली जाती हैं । पूर्वी पहाड़ी अथवा नेपाली को वहाँ के बोलने वाले 'खसकुरा' नाम से पुकारते हैं । केन्द्रीय पहाड़ी के अन्तर्गत नैनीताल तथा मसुरी के आस पास की पर्वतीय बालियों भी सम्मिलित हैं । ये हैं—कुमायूनी और गढ़वाली । पश्चिमी पहाड़ी से तात्पर्य पंजाब के उत्तर में स्थित पर्वतीय बोलियों के समुदाय से है । ये हैं—जौनसारी, सिरमौरी, न्यौठाली, कुल्लुड तथा चमआली । भारतीय आर्यभाषाओं की सम्पूर्ण संख्या प्रायः यूरोप की अनुमानित जनसंख्या की आधी से अधिक है ।^{१०}

ध्वनितत्व और रूपतत्व के अध्ययन के साथ डॉ० चटर्जी ने भाषाओं के विकास

की परम्परा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया है —

- (क) उदीच्य (उत्तरी)
 १ सिन्धी,
 २ लहदी,
 ३ पूर्वी पंजाबी,
 (ख) प्रतीच्य (पश्चिमी)
 ४ गुजराती,
 ५ राजस्थानी,
 (ग) मध्य देशीय
 ६ पश्चिमी हिन्दी,
 (घ) प्राच्य (पूर्वी)
 (अ) ७ कोशली या पूर्वी हिन्दी,
 (आ) मागधीप्रसूत
 ८ बिहारी,
 ९ उडिया,
 १० बगला,
 ११ असमिया,
 (ङ) दाक्षिणात्य (दक्षिणी)
 १२ मराठी।

कश्मीरी, पूर्वी पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी की उत्पत्ति डॉ० चटजा खस अथवा दरदीय भाषा से मानते हैं।^१ उन का यह वर्गीकरण भाषागत क्रमिक विकास की दृष्टि से प्रामाणिक तथा उचित जान पड़ता है। क्योंकि वैदिक काल से ही भारतीय आर्य भाषाओं में पूर्वी और पश्चिमी भेद चले आ रहे थे।^{११} मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषाओं में इस प्रकार के विभिन्न रूप अत्यन्त स्पष्टता से मिलते हैं। आ० भरतमुनि इन भेदों की चर्चा बहुत पहले कर चुके थे। विष्णुधर्मोत्तर तथा अथ पुराणों में भी भाषा भेद के उल्लेख मिलते हैं। पतञ्जलि के महाभाष्य में कई स्थलों पर भाषा भेद का विवेचन मिलता है। महाभाष्य का आरम्भ ही असुर लोगों के उच्चारण भेद के उल्लेख से होता है। लोक में भाषा भेद होना स्वाभाविक है। इस में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हमारे विचार में तो भाषा भेद सदा से रहा है और अनन्त काल तक रहेगा।

भाषावैज्ञानिक दृष्टि से हिन्दी प्रदेश की उपभाषाओं और बोलियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है—पश्चिमी हिन्दी और पूर्वी हिन्दी। पश्चिमी हिन्दी और पूर्वी हिन्दी नाम की कोई उपभाषाएँ नहीं हैं। वास्तव में, प्रदेश विशेष की समान बोलियों के समुदाय के लिए यह नाम रख लिया गया है। पश्चिमी हिन्दी पञ्जाब स्थित

हरहिन्दी तथा उत्तरप्रदेश स्थित इलाहाबाद के मध्यवर्ती क्षेत्र की भाषा है। बस्तुतः यह भूभाग प्राचीन काल का मध्यदेश है, जो आर्यों की पवित्र जन्मभूमि भी है। उत्तर में पश्चिमी हिन्दी तराई तक यह विस्तृत है, किन्तु दक्षिण में पूर्व दिशा के अतिरिक्त, जहाँ यह बुन्देलखण्ड के अधिकांश भाग तथा मध्यप्रदेश के कुछ भाग को आवृत्त करती है, वहीं यह यमुना के काठे से अधिक दूर नहीं जाती।¹³ पश्चिमी हिन्दी के अन्तर्गत हिंदुस्तानी, ब्रज कनौजी, बुन्देली और बागल बोलियाँ गिनी जाती हैं। पश्चिमी हिन्दी के अतगत जिन पाँच उपभाषाओं अर्थात् प्राचीण बोलियों को लिया गया है, उन्हें हम दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं—प्रथम वर्ग में हरियानी और खड़ी बोली आती है तथा द्वितीय वर्ग में ब्रज, कनौजी और बुन्देली गृहीत है। यह वर्गीकरण भाषा की प्रकृति को ध्यान में रखकर किया गया है। पश्चिमी हिन्दी के मूल रूप के दर्शन जिस प्राचीनतम प्राप्त पुस्तक में किए जा सकते हैं, वह 'प्राकृतपैंगलम्' है। इस में हमें खड़ीबोली और ब्रजभाषा के मूल रूपों के स्पष्ट उदाहरण प्राप्त होते हैं। यद्यपि इस में यत्र तत्र पूर्वो हिन्दी के बीज भी दृष्टिगोचर होते हैं, किन्तु प्रमुख रूप से इस में पश्चिमी हिन्दी (खड़ीबोली और ब्रजभाषा) की ही संज्ञाओं और क्रियाओं के मूल प्राकृत रूपों के स्पष्ट उदाहरण मिलते हैं।¹⁴ जिस प्रकार ब्रजभाषा साहित्यिक पद प्राप्त करने पर केवल ब्रज प्रदेश तक ही सीमित नहीं रही, अपितु सारे उत्तरी भारत की कण्ठहार बनी, उसी प्रकार शौरसेनी प्राकृत ने भी महाराष्ट्री नाम से महाराष्ट्रता प्राप्त की और साहित्य के उच्चासन को सुशोभित किया। डॉ० वूलनर ने 'इण्डोडक्शन टु प्राकृत' में महाराष्ट्री प्राकृत को शौरसेनी (मध्यदेश) की ही भाषा बताया है। उन का कथन है कि महाराष्ट्री प्राकृत महाराष्ट्र की भाषा नहीं है। यह तो मध्यदेश की भाषा के लिए स्तुतिमय पद था। वास्तव में, शौरसेनी और महाराष्ट्री विभिन्न प्रदेशों में और विभिन्न लोगों के द्वारा व्यवहार में लाई गई भाषाएँ नहीं, अपितु विभिन्न रचनाओं की सूचक थीं। गद्य रचना के लिए 'शौरसेनी' शब्द का तथा पद्य रचना के लिए 'महाराष्ट्री' शब्द का व्यवहार होता था। भाषाशास्त्रियों ने अब 'महाराष्ट्री' को 'शौरसेनी' प्राकृत के रूप में मध्यप्रदेश अथवा गंगा यमुना के मध्यवर्ती विशाल प्रदेश की भाषा स्वीकार कर लिया गया है। शौरसेनी प्राकृत की ही विकास परंपरा में शौरसेनी अपभ्रंश से 'पश्चिमी हिन्दी' का जन्म हुआ।¹⁵ पश्चिमी हिन्दी की हरियानी और खड़ी बोली को छोड़ कर शेष जनपदीय बोलियाँ नाम और आख्यात रूपों में ओकारान्त या ओकारान्त हैं जैसे छोटै, कारौ (ब्रज), छोटो, कारो (कनौजी), छोटै, कारौ (बुन्देलखड़ी)। केवल हरियानी और खड़ीबोली ही ओकारान्त हैं। इस ओकारान्तता का कारण पञ्जाबी का प्रभाव नहीं है, जैसा कि डॉ० उदयनारायण तिवारी, डॉ० अम्बाप्रसाद 'सुमन' और अन्य विद्वान् मानते हैं। किन्तु बाबू श्याम सुन्दरदास, डॉ० टेस्तिरी, डॉ० भोलानाथ तिवारी, डॉ० देवेन्द्रकुमार शास्त्री तथा अन्य कुछ विद्वान् इसे अपभ्रंश की देन मानते हैं। डॉ० भोलानाथ तिवारी ने हिन्दी

के कगमश सभी व्याकरणिक रूपों में खड़ी बोली की आकारान्त प्रवृत्ति का उल्लेख करते हुए अपभ्रंश का एक उदाहरण दिया है :—

तहख गंध सज्जा किया, अम्बणु लाइबि जे गया ।

जो गुण गोबह अप्पणा, दोल्हा मई तुहु वारिया ॥

अपभ्रंश तथा पुरानी हिन्दी में इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं । अतएव खड़ी बोली में यह प्रवृत्ति परम्परागत है ।

डॉ० सुमन ने पश्चिमी और पूर्वी हिन्दी की भेदकरेखा विवृत्ति मानी है । उन के ही शब्दों में “पश्चिमी हिन्दी की बोलियों में विवृत्ति नहीं पाई जाती अर्थात् दो स्वर पृथक् रूप से साथ साथ नहीं देखे जाते, जिस तरह कि पूर्वी हिन्दी की बोलियों में देखे जाते हैं, जैसे ‘स्यार’ (खड़ीबोली, हरियानी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुदेल्खड़ी में) और ‘सिआर’ (अवधी में) । इसी विवृत्तिहीनता की प्रवृत्ति के आधार पर हरियानी, खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी और बुदेल्खड़ी उपभाषाएँ पश्चिमी हिन्दी के अन्तर्गत मानी जाती हैं । पश्चिमी हिन्दी सज्ञा और विशेषणों में जहाँ आकारान्त या औकारान्त (ओकारान्त भी) है, वहाँ पूर्वी हिन्दी अकारान्त है जैसे खोटा, खोटौ, खोटो (पश्चिमी हिन्दी में) और खोट (पूर्वी हिन्दी में)।”^{११०} लेकिन वास्तव में यही एक मात्र कारण नहीं माना जा सकता । क्योंकि प्रथम खड़ी बोली और हरियानी को छोड़ कर ब्रज, कन्नौजी और बुदेली में भी कुछ ऐसे शब्द रूप मिलते हैं, जिन में दो पृथक् स्वरों का संयोग मिलता है, जैसे भइया, पइसा, गउअन, सिआनपन, ठिया, बताउत, चाउत, दुपिया, लगाउत, कोउ, अइसो, ‘कोउ बताउत नइयाँ,’ रुपइया, मढइया, दाऊ, इत्यादि । यह सच है कि पूर्वी हिन्दी में इन की बहुलता है, पर पश्चिमी हिन्दी में भी इस प्रकार के कुछ रूप आज भी बोलियों में प्रयुक्त होते हैं । अत्यन्त प्राचीन काल से संस्कृत का प्रदेश पश्चिमी भारत रहा है, इसलिए उसमें कर्मणि प्रयोग प्रचलित हैं । परन्तु पूर्वी प्रदेश पालि और प्राकृत का प्रधान क्षेत्र रहा है । अतएव पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित बगाली, बिहारी, भोजपुरी, आदि भाषाओं में कर्मणि प्रयोग नहीं है । हिन्दी की वर्तमान बोलियों में पूर्वी क्षेत्र की किसी भी बोली में कर्मणि प्रयोग नहीं रहा है । यही कारण है कि पूरब वाले ‘ने’ का प्रयोग ठीक से नहीं करते । हिन्दी में ‘ने’ परसर्ग का प्रयोग प्रायः कर्मणिवाच्य में होता है । दूसरे, पश्चिमी हिन्दी की ‘ड’ और ‘ढ’ मूर्धन्य ध्वनियों ‘र’ तथा ‘रह्’ हो जाती हैं । किन्तु इस के अपवाद भी मिलते हैं । इसी प्रकार ‘र’ और ‘ळ’ के परिवर्तन में पर्याप्त भेद प्राप्त होते हैं । तीसरे, पश्चिमी हिन्दी के अकारान्त, औकारान्त तथा ओकारान्त शब्द पूर्वी हिन्दी में अकारान्त या व्यञ्जनान्त हो जाते हैं । डॉ० तिवारी के अनुसार पश्चिमी हिन्दी में आकारान्त शब्द का रूप कर्त्ता में सुरक्षित रहता है, किन्तु तिर्यक् में ‘आ’ ‘ए’ में परिणत हो जाता है । पूर्वी हिन्दी तथा भोजपुरी में कर्त्ता तथा तिर्यक् दोनों में आकारान्त रूप सुरक्षित रहता है, उस में परिवर्तन नहीं होता है ।”

हिन्दुस्तानी

यह मेरठ, सहारनपुर, रामपुर, अम्बाला, मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद और बिजनौर, आदि प्रदेशों की बोली है। इसे खड़ीबोली, नागरी हिन्दी, सरहिन्दी तथा वर्नाक्युलर हिन्दुस्तानी भी कहा जाता है। इसकी चार उपबोलियाँ मानी गई हैं—पूर्वी, पश्चिमी, पहाड़ताली और बिजनौरी। साहित्यिक स्तर पर इस के चार विकसित एवं स्वतंत्र रूप परिलक्षित होते हैं—हिन्दी, उर्दू, दक्खिनी और रस्ता। यद्यपि खड़ी बोली किन्हीं विशिष्ट जनपदों की बोली रही है, किन्तु हिन्दी सम्पूर्ण उत्तरभारत की आधुनिक साहित्यिक भाषा है। ग्यारहवीं शताब्दी के 'राउलवेल्' शिलालेख में मालवी, मराठी, गौड़ी (बंगला), ब्रज तथा अवधी के अतिरिक्त राउली (पश्चिमी राजस्थानी) एष टक्की के प्राचीनतम रूप उपलब्ध होते हैं। डॉ० माताप्रसाद गुप्त के शब्दा में "यह वर्णन कुछ पक्तियों का ही होते हुए भी खड़ी बोली का प्राचीनतम रूप हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इस से ज्ञात होता है कि खड़ी बोली केवल दिल्ली मेरठ की ही भाषा नहीं थी, वह टक्की की भी भाषा थी, जो पहले पंजाब और अब हरियाणा प्रदेश में आता है। इस से यह भी प्रमाणित होता है कि खड़ी बोली भाषा आर साहित्य का इतिहास उतना ही प्राचीन है, जितना कि उत्तरभारत की अन्य आधुनिक भाषाओं का है।"¹ दक्षिण भारत की मध्ययुगीन मुसलमानी रियासतों में इसी भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था और इस में साहित्य-रचना भी की गई थी। बाद में इसे ही 'दक्खिनी' कहा जाने लगा था²। डॉ० भोलानाथ तिवारी के अनुसार उर्दू के लिए विभिन्न कालों में हिन्दुस्तानी, हिन्दवी, रस्ता, हिन्दी तथा हिन्दवी, उर्दू, आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है। रस्ता या रस्ता शब्द का प्रयोग उर्दू में एक प्रकार की 'गजल' तथा एक प्रकार की भाषा के लिए मिलता है। मूलतः यह शब्द फारसी के 'रेस्तान्' मस्तर से बना है, जिस का अर्थ रचना, बनाना, डालना, मिलाना, तोड़ना, आदि होता है। 'रस्ता' का फारसी में अर्थ 'गिरा हुआ' है। 'भावाय की दृष्टि से फारसी हिन्दी शब्दों, रूपों, छन्दों, आदि के मिश्रित रूप को 'रस्ता' कहा गया है। रस्ता उर्दू मिश्रित हिन्दी रूप समझना चाहिए। डॉ० चटर्जी फारसी शब्द मिश्रण के विकीर्ण रूप को रस्ता मानते हैं। उन के ही शब्दों में दिल्ली की हिन्दुस्तानी के फारसीमय रूप में सबसे प्रथम कवि बली माने जाते हैं। वे दक्खिन में रह चुके थे। उस समय की भाषा परवर्ती उर्दू की भाँत फारसी से बिल्कुल लुप्त हुई नहीं थी। फारसी के शब्द अपेक्षाकृत कम संख्या में मिलाए जाते थे, जो एक पंक्ति में कहाँ कहीं छितरे हुए (रस्ता) रहते थे। इसलिए आधुनिक उर्दू हिन्दुस्तानी पद्य की भाषा का आद्य रूप 'रस्ता' कहा जाता था। १५वीं शती के कबीर के कुछ पद ही नहीं, १५-१६वीं शती के बाबा फरीद के पद्य भी 'रस्ता' में कह कर पुकारे जा सकते हैं।"³

प्रायः 'दक्खिनी हिन्दी' से दक्षिण की हिन्दी अर्थ लिया जाता है, किंतु इस का मूल खड़ी बोली या देहली (दिल्ली जनपद की हिन्दुस्तानी) है। हैदराबाद और

उस के निकटवर्ती क्षेत्रों में जिस 'हिन्दी' का साहित्य के रूप में प्रयोग किया गया, उस के कवि और शायर लखनऊ से आते समय मातृभाषा के रूप में जिस बोली को साथ में लेते गए थे, वही मध्यकालीन हिन्दी भाषा 'दक्खिनी हिन्दी' कही जाती है। इस भाषा का विकास विशेष रूप से दक्षिण के कवियों के द्वारा हुआ। लेकिन उत्तरभारत में भी इस प्रकार की भाषा का लोक में और साहित्य में प्रचलन रहा है। 'कुतुबशातक' की 'हिन्दुई' इस बात का ज्वलन्त प्रमाण है। विषय वस्तु की दृष्टि से ही नहीं, भाषा और रूप रचना की दृष्टि से भी यह 'दक्खिनी हिन्दी' के समान ही है। डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने इस रचना के अध्ययन में स्थान-स्थान पर यह निर्दिष्ट किया है कि दक्खिनी हिन्दी की मूलभूत प्रवृत्तियाँ खड़ी बोली से ही परम्परा रूप में उसे प्राप्त हुई हैं। इस के अन्य नाम हिन्दी, हिंदवी, दकनी, दखनी, दक्खिनी, देहलवी, गूजरी, हिन्दुस्तानी, जवाने हिन्दुस्तान, दक्खिनी हिन्दी, दक्खिनी उदू, मुसलमानी, दक्खिनी हिन्दुस्तानी, आदि हैं। दक्खिनी मूलतः हिन्दी का ही एक रूप है। इस का मूल आधार दिल्ली के आसपास प्रचलित १४वीं-१५वीं सदी की 'खड़ी बोली' है। मुसलमानों ने भारत में आने पर इस बोली को अपनाया था। मसऊद, इब्नसाद, खुसरो तथा फरीदुद्दीन गकरगजी, आदि ने अपनी हिन्दी कविताएँ इसी में रची थी। १५वीं-१६वीं सदी में फौज, फकीरों तथा दरवेशों के साथ यह भाषा दक्षिण भारत में पहुँची और वहाँ प्रमुखतः मुसलमानों में, तथा कुछ हिन्दुओं में जो उत्तर भारत के थे, प्रचलित हो गई। इस के क्षेत्र मुख्यतः दक्षिण भारत (बीजापुर, गोलकुण्डा, अहमदनगर, आदि), बरार, बम्बई तथा मध्यप्रदेश, आदि हैं।^{३१}

'उर्दू' का अर्थ 'लश्करी' है। मुसलमान फौजी पडाव में, छावनी या लश्कर के बाजार में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता था, उसे 'उर्दू' कहते हैं। यह भाषा मूल में खड़ीबोली ही थी, जो अरबी-फारसी तुर्की शब्दों से सम्पन्न और कहीं कहीं पंजाबी या ब्रज से मिश्रित तथा बागूरु से प्रभावपन्न थी। देश के अधिकतर विद्वान् उर्दू को हिन्दी की एक शैली विशेष मानते हैं। कुछ विद्वानों का यह भी कथन है कि उर्दू और हिन्दी में केवल लिपि का भेद है। हिन्दी का छुकाव सस्कृत शब्दों की ओर है और उर्दू का अरबी फारसी शब्दों की ओर। परन्तु केवल शब्द भेद या लिपि भेद कह देने से किसी भाषा का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो जाता। फिर, भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रत्येक भाषा का स्वतन्त्र अस्तित्व होता है। उसकी अपनी स्वतन्त्र प्रवृत्ति और व्यवस्था होती है। वास्तव में, उर्दू में सर्वनाम, क्रियापद और वाक्य रचना खड़ीबोली या हिन्दुस्तानी की परिलक्षित होती है। लिपि फारसी है, कहने का ढंग और लहजा फारसी का है और कहीं कहीं वाक्यों की बनावट भी अरबी फारसी जैसी देखी जाती है। उर्दू के सम्बन्ध में जिन विभिन्न मतों का उल्लेख किया जाता है, उन का सारांश यही है कि खड़ीबोली या हिन्दुस्तानी अरबी-फारसी से मिश्रित हो कर उर्दू तथा सस्कृत का आँचल पकड़ कर साहित्यिक हिन्दी में परिणत हो जाती है। वास्तव में, हिन्दी और उर्दू का नामकरण भी

मुसलमानों के द्वारा किया गया। जहाँ तक हमारी जानकारी है उस के अनुसार ब्रज भाषा, खड़ीबोली, हिन्दी और उर्दू, आदि नाम सत्रहवीं शताब्दी में प्रकट हुए। हिन्दी के प्राचीनतम नमूने ग्यारहवीं शताब्दी के पूर्व के नहीं मिलते। उर्दू हिन्दी के जन्मकाल के बहुत बाद में प्रचलित हुई। लगभग दो सौ वर्षों का अन्तर इन दोनों भाषाओं में निश्चित रूप से है। 'उर्दू की जवान' वस्तुतः एक वर्ग विशेष की भाषा है और यह नितान्त कृत्रिम ढंग से हिदुस्तानी अथवा ठेठ हिन्दी या खड़ीबोली में अरबी-फारसी शब्दों तथा मुहावरों का सम्मिश्रण करके बनाई गई है। यह कार्य भी दिल्ली में ही किया मुअल्ला में सम्पन्न हुआ। यही कारण है कि इस का नाम जवाने उर्दू ए-मुअल्ला पडा। 'दरिया ए लताफत' से उद्धृत सैयद इशा अल्ला के शब्दों में "

"यहाँ (शाहजहानाबाद) के खुशबयानों (साधु वक्ताओं) ने मुत्तफिक (एकमत) हो कर मुताहिक (परिगणित) जवाना से अच्छे अच्छे लफ्ज निकाले और बाजी इबारातों (वाक्यों) और अल्फाज (शब्दों) में तसरूफ (परिवर्तन) करके और जवानों से अलग एक नई जवान पैदा की, जिस का नाम उर्दू रखा।"

अमीर खुसरो ने अपने समय की प्रचलित भाषाओं का उल्लेख करते हुए 'हिन्दुई' को हिन्द की मुख्य और जीवित भाषा कहा है। वे कहते हैं कि हिन्दुई भाषा का अस्तित्व पहले भी था और अब भी है। उन के ही शब्दों में

हिन्द हमीन काइदह दरद ब खुबुन

हिन्दुई बुद अस्त दर अय्यामे कुहन ॥५९॥

अमीर खुसरो का यह भी कथन है कि यद्यपि फारसी इरान में उत्पन्न हुई, किन्तु उस का शुद्ध स्वरूप वहाँ नहीं मिलता। उस का शुद्ध रूप तो दरी के रूप में मावरा उन्नहर अर्थात् बलख, बुखारा, आदि प्रदेशों में पाया जाता है। दरी भाषा को खुसरो ने एक श्रेष्ठ और शक्कर के समान मधुर भाषा बताया है। उर्दू का जन्म इस से ही मानना चाहिए। दरी और फारसी दोनों ही भारत इरानी आर्यभाषाएँ कही जाती हैं। यह फारसी की एक बोली है। इस का प्रयोग बलख, बदरगान, बुखारा, आदि प्रदेशों में किया जाता है। जब फारसी ने राजकीय विस्तारों के साथ हाथ पैर फैलाए, तब दरी भाषा प्रभावित हुई। यही आगे चल कर फारसी बन गई। "भारत में भी इस दरी भाषा से उर्दू का जन्म हुआ, प्रतीत होता है। क्योंकि राजकाज की भाषा में मुसलमान राजाओं के समय में यही फारसी प्रचलित थी। जब यह आम जनता की जवान बनी, तब हिन्दू मुसलमानों के मेल-जाल से इस का जो सरल प्रचलित रूप बना, वह 'उर्दू' का था। किन्तु उसे कोई नाम नहीं दिया गया था। इसीलिए खुसरो ने जिन अवधी, बगला, आदि भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उन में उर्दू का नाम नहीं है।

बागरू

'बागरू' शब्द 'बागर' से बना है, जिस का अर्थ है—ऊँची-नीची पथरीली भूमि। यह प्रदेश सतलुज सिंधु और गंगा यमुना के मध्य का क्षेत्र है। इसे प्राचीन काल में 'सारस्वतप्रदेश' कहा जाता था। बागर देश की बोली को बागरू कहा जाता है। इस

के बोलने वालों की संख्या लगभग २५ ३० लाख है। इस के कई स्थानीय नाम भी हैं। हरियाणा से सम्बद्ध क्षेत्रों में यह हरियानी, देसवाली, देसी या देसड़ी, कहलाती है। इसी प्रकार जाटों के प्रदेश में जाटू और दिल्ली के चमारों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इसे चमरवा भी कहते हैं। यह दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र, रोहतक, करनाल, नाभा, पठियाला के पूर्वी भाग तथा हिसार जिले के पूर्वी भाग में बोली जाती है। स्थानीय भेद के कारण इस की चार प्रमुख उपबोलियाँ कही जाती हैं। इन के नाम हैं—हरियानी, जाटू, चमरवा और बागड़ी।

ब्रजभाषा

यह पश्चिमी हिन्दी की पुरानी बोली मानी जाती है। यह प्रमुख रूप से ब्रजमण्डल की भाषा है, जो लगभग ५०० ६०० वर्षों तक साहित्य के पद पर समासीन रह चुकी है। इस का जन्म शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। इस के अन्तर्वेदी, माथुरी, ब्रिजकी और ब्रजभाखा आदि नाम भी हैं। आगरा, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और इटावा की बोली को अन्तर्वेदी कहा जाता है। ब्रजभाषा मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा, बदायूँ, बरेली, धौलपुर, भरतपुर, ग्वालियर, बुन्देसहर, मैनपुरी, पीलीभीत, आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। इस के तीन उपरूप माने जा सकते हैं पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। इस की निम्नलिखित उपबोलियाँ कही जाती हैं—

१ गाववारी, २ टोलपुरी, ३ भरतपुरी, ४ जादोवाटी, ५ सिकरवाड़ी, ६ कठेरिया, ७ डागी, ८ का कछुकी, ९ माथुरी।

कन्नौजी

कन्नौज देश में बोली जाने के कारण इसे कन्नौजी या कनौजी कहते हैं। इस का जन्म पाचाली प्राकृत की अपभ्रंश शाखा से माना जाता है। यह उत्तरप्रदेश के इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, हरदोई के पश्चिमी भाग तथा कानपुर जिलों में बोली जाती है। वास्तव में, यह शौरसेनी का ही प्रदेश है। १,००० ई० के पूर्व ब्रज, कन्नौजी और बुन्देली तीनों एक थीं। बाद में राज्य प्रभाव और विस्तार के कारण 'कान्यकुब्ज' और वहाँ की जनप्रचलित बोली विकसित होते-होते कनौजी या कन्नौजी बन गई। इस की उपबोलियाँ हैं—

१ तिरहारी, २ तिषारी, ३ पचदआ, ४ भुक्सा, ५ सडीली, ६ इटावी, ७ बगराही, ८ शाहजहाँपुरी, ९ कानपुरी, १० पीलीभीती।

कन्नौजी की प्रवृत्ति उकारान्त कही जाती है। कहीं कहीं ओकारान्त शब्दों की भरमार भी मिलती है। यथाय में, औ और ओ की इत्थान्त प्रवृत्ति कन्नौजी में है। कन्नौजी का क्षेत्र ब्रज और बुन्देली के बीच का है।

बुन्देली

बुन्देलखण्ड की बोली बुन्देली है। बुंदेले राजपूतों की भूमि बुन्देलखण्ड कही जाती है। यह उत्तरप्रदेश के हमीरपुर, बाँदा, जालौन, झौंसी तथा मध्यप्रदेश के ग्वालियर,

सागर, भोपाल, ईसागढ, विदिशा, टीकमगढ, पन्ना, छतरपुर, चरखारी, समथर, दतिया ओरछा, विजावर, अजयगढ, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, सोहागपुर, होशंगाबाद, सिवनी, छिदवाडा और बालाघाट आदि स्थानों में बोली जाती है। कन्नौजी की भाँति बुन्देली साहित्य को भी ब्रज के अन्तर्गत माना जाता है। बुन्देली कवियों में आचार्य केशवदास, भूषण और पद्मकर, आदि अत्यन्त रयातिप्राप्त हुए। बुन्देली बोलने वालों की सरया लगभग एक करोड़ से ऊपर है। बुन्देली की उपबोलियों में पाँच मुख्य मानी जाती हैं—

- १ पवारी—यह ग्वालियर के उत्तर पूर्व और दतिया टीकमगढ की ओर बोल जाती है।
- २ राठौरी या लाधौती—हमीरपुर और जालान के कुछ भाग में तथा चरखारी के निकटवर्ती प्रदेश में यह बोली जाती है।
- ३ खटौली—सागर, दमोह, अजयगढ, पन्ना, छतरपुर, के अन्त तक के क्षेत्र की बोली है।
- ४ भोपाली—विदिशा से भोपाल तक के क्षेत्र में बोली जाती है।
- ५ नारमदी—नर्मदा सभाग में होशंगाबाद में सुहागपुर, गाडरवारा, नरसिंहपुर आर जबलपुर तक इस भा क्षेत्र विस्तार है।

सीमांत क्षेत्रों की मिश्रित बोलियों की दृष्टि से यदि सर्वेक्षण किया जाए तो तिरहारी कुण्डी, निमट्टा, बनापरी, भदावरी तावरगढी, गौडी और भोपाली विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

‘तिरहारी’ का क्षेत्र हमीरपुर जिले के त्रिनार यमुना नदी का तटवर्ती है, जो आगे जालौन तक विस्तृत है। बॉटा और हमीरपुर जिलों को पार करने वाली यन नदी के दोनों ओर के प्रदेशों में ‘कुण्डी’ का बोली क्षेत्र है। हमीरपुर के ‘तिरहारी’ बोली के प्रदेश जालान जिले के विशुद्ध बुन्देली क्षेत्र के मध्यभाग की बोली का नाम ‘निमट्टा’ है। हमीरपुर के दक्षिण पूर्व ओर बुन्देलखण्ड के पूर्वा भाग में जो बोली जाती है और जिस में ‘आल्हा’ काव्य लिखा हुआ मिलता है, वह ‘बनापरी’ बोली है। ‘भदावरी’ और ‘तोतरगढी’ उस भाग की बोलियाँ हैं, जहाँ चम्बल नदी ग्वालियर की ओर आगरा इटावा की सीमा निर्धारित करती है। इन बोलियों का प्रवेश सीमा पार आगरा इटावा के कुछ भाग तक है। बुन्देली का वह क्षेत्र जो बालाघाट आर मडला की सीमा को स्पष्ट करता है, ‘गौडी’ मिश्रित बोली का क्षेत्र है। ‘भोपाली’ मालवी बुन्देली की एक मिश्रित बोली है, जिस पर उर्दू हिन्दी का रंग भी चला हुआ है। इन बोलियों के और भी क्षेत्रीय रूप हैं, जिन्हें उपबोलियाँ में विभाजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, नारमदी बुन्देली में नरसिंहपुरी, सुहागपुरी और जबलपुरी भेद भी हैं। आगे इन के भी उपभेद हैं जैसे—जबलपुरी बुन्देली में पन्वेली, हवेली, आदि अलग अलग प्रकार हैं। इसी प्रकार दक्षिण की लोधी, काष्टी, कुम्भारी तथा नागपुरी बोलियाँ वास्तव में मराठी और बुन्देली का सम्मिश्रण हैं।

कुछ विद्वान् निमाडी को भी पश्चिमी हिन्दी की एक बोली मानते हैं। हमारे विचार में निम्नलिखित कारणों से निमाडी को पश्चिमी हिन्दी के अन्तर्गत मानना उचित है —

१ निमाडी का क्षेत्र मालवी है। मध्यवर्ती मालवी के अन्तर्गत 'निमाडी' को 'दक्षिण मालवी' माना गया है। यह निमाड और नर्मदा उपत्यका की बोली है।

२ मालवी और निमाडी का सीधा सम्बन्ध अवन्ती अपभ्रंश से है। निमाडी मध्य भारत के दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती है। भौगोलिक स्थिति के अनुसार निमाड क्षेत्र मालवा के अन्तर्गत ही रहा है। किन्तु भाषिक दृष्टि से यह बुन्देली क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम में बोली जाती है। यह बुन्देली और मालवी दोनों से आत्रान्त है।

३ निमाडी न तो पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है और न भाषा रूप की दृष्टि से पूर्वी भाषाओं से कुछ साम्य रखती है। यह राजस्थानी की अपेक्षा पश्चिमी हिन्दी की बोलियों के अधिक निकट है। भीली और मालवी का झुकाव भी ब्रजभाषा, बुन्देली तथा खड़ीबोली की ओर रहा है।

४ मालवी की प्रवृत्ति ओकारान्त है, जो पश्चिमी हिन्दी की सामान्य विशेषता है। मालवी और निमाडी दोनों का विकास उस पश्चिमी अपभ्रंश से हुआ, जो विक्रम की दसवीं शताब्दी से ले कर चौदहवीं शताब्दी के बीच गुजरात से ले कर मेरठ सहारनपुर तक विकसित हो चुकी थी।

निमाडी

मालवी के अन्तर्बर्ती विभाजन में काठल, रागड, राठ साधवाड, उमठवाड, खिची वाडा और निमाड, आदि का उल्लेख किया जाता है। डॉ० प्रियसन इस की आधारभूत भाषा मालवी मानते हैं। उन के अनुसार उत्तरी निमाड तथा मध्यभारत की भोपलर प्लेन्सी के सीमावर्ती प्रदेशों में मालवी का स्थानदेशी तथा भीली भाषाओं से इतना अधिक मिश्रण होता है कि वहाँ यह एक नवीन भाषा 'निमाडी' का रूप धारण कर लेती है। हमकी कुछ अपनी निजी विद्वानताएँ हैं। जिस अर्थ में हम मारवाडी, जयपुरी, मेवाती और मालवी को राजस्थानी की विभाषाएँ मानते हैं, उस अर्थ में निमाडी को हम बड़ी कठिनाता से एक शुद्ध विभाषा की सजा दे सकते हैं।¹⁴ इस बोली के बोलने वालों की संख्या लगभग पैंतीस लाख कही जाती है। इस की निम्नलिखित उपबोलियाँ हैं —

१ बजारी, २ कुनबी, ३ गूजरी, ४ नागरी, आदि।

डॉ० प्रियसन ने पूर्वी हिन्दी की तीन विभाषाएँ मानी हैं—अवधी, बघेली और छत्तीसगढी। उन्होंने यह भी निर्देश किया है कि पूर्वी हिन्दी की तीनों बोलियाँ एक दूसरी से अत्यधिक मिलती जुलती हैं। वास्तव में, बघेली तथा अवधी में इतना कम अन्तर है कि यदि पृथक् विभाषा के रूप में बघेली का अस्तित्व जनता में स्वीकृत न होता तो मैं इसे अवधी की ही एक बोली मानता।¹⁵ डॉ० बाबू राम सक्सेना ने अवधी की तीन उपभाषाएँ मानी हैं—१ पश्चिमी अवधी, २ केन्द्रीय अवधी, और ३ पूर्वी

अवधी । खीरी (लखीमपुर), सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव तथा फतेपुर की अवधी पश्चिमी अवधी के नाम से प्रसिद्ध है । बहराइच, बाराबकी तथा रायबरेली की बोली को केन्द्रीय अवधी कहते हैं और गोंडा, पैजाबाद, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, जौनपुर और मिजापुर की बोली पूर्वी अवधी के अंतर्गत आती है । वस्तुतः अवधी और बघेली एक हैं । इन सब का जन्म मागधी अपभ्रंश से हुआ है । डॉ० ग्रियसन और डॉ० उदयनारायण तिवारी के अनुसार मागधी अपभ्रंश की परम्परा में मैथिली, मगही और भोजपुरी की भी गिनती की जाती है । हिन्दी प्रदेश के पूरब में भोजपुरी का भी क्षेत्र है । यह मुख्य रूप से उत्तरप्रदेश के गोरखपुर और बनारस सभाग में तथा बिहार प्रान्त के शाहाबाद, चम्पारन और सारन, जिलों में बोली जाती है । मैथिली और मगही तो आपस में मिलती जुलती सी हैं, किन्तु भोजपुरी इन दोनों से भिन्न है । त्रिया, विभक्ति, परसर्ग और सवनाम शब्दों में भोजपुरी पूर्वी हिन्दी की उपभाषाओं के निकट बैठती है ।^५ अतः पूर्वी हिन्दी की उपभाषाओं के अन्तर्गत इस का विवरण प्रस्तुत करना तर्कसंगत प्रतीत होता है । यह उत्तरप्रदेश के कुछ भाग और नेपाल की तराइ से ले कर मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ एवं बस्तर जिले तक तथा राजस्थान के कुछ भागों में बोली जाती है । बिहार के मगही तथा मैथिली क्षेत्रों के मुसलमान भी इस बोली का प्रयोग करते हैं ।

अवधी

पूर्वी हिन्दी की यह सब से महत्वपूर्ण बोली है । अवधी की मूल्य बोली होने के कारण यह अवधी कहलाती है । हरदोई जिले को छोड़ कर यह अवधी के लखीमपुर, बहराइच, गोंडा, बाराबकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, पैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, जौनपुर और मिजापुर के पश्चिमी भाग में तथा फतेहपुर और इलाहाबाद में भी अवधी बोली जाती है । इस के बोलने वाले की संख्या लगभग दो करोड़ है । इस के अर्थ नाम पूर्वी और कोसली भी कहे जाते हैं । इस के पूर्वी, पश्चिमीय और केन्द्रीय तीन रूप माने गए हैं । इस की छह उपबोलियाँ कही जाती हैं —^६

१ मिजापुरी, २ बिहारी, ३ बनौधी, ४ पूर्वी, ५ उत्तरी, तथा ६ बैसवाडी ।
गोस्वामी तुलसीदास तथा अनेक सूफी कवियों की प्रबल काव्य रचनाएँ अवधी भाषा में लिखी हुई मिलती हैं । साहित्य की दृष्टि से यह अत्यन्त सम्पन्न भाषा है ।

बघेली

बघेलखण्ड में बोली जाने के कारण इसे बघेली कहते हैं । इस का मुख्य केन्द्रीय स्थान रीवा है । कुछ विद्वान् इसे स्वतंत्र बोली नहीं मानते । यह रीवा, दमोह, जबलपुर, मडला, बालाघाट, फतेहपुर तथा मिर्जापुर और बाँदा, हमीरपुर जिलों के कुछ भागों में बोली जाती है । इस की ग्यारह उपबोलियाँ कही जाती हैं, जो इस प्रकार हैं —^७

१ तिरहारी, २ बुंदेली, ३ गहोरा (पथा अतरपथा), ४ जुडार (कुड़ी, बग्रावल, अथर), ५ बनाफरी, ६ भरारी, ७ पोंवारी, ८ कुमारी, ९ ओझी, १० गोडवानी, ११ केवटी ।

छत्तीसगढ़ी

मध्यकाल में दक्षिण कोशल के दण्डकारण्य के निकटवर्ती जनपदों में छत्तीस मुख्य जनपदों की गणना की जाती थी। इन सभी प्रदेशों में छोटे-छोटे माडलिक दुर्ग थे, इस लिए इन की सामूहिक संज्ञा 'छत्तीसगढ़' थी। छत्तीसगढ़ की बोली छत्तीसगढ़ी कहलाती है। यह रायगढ़ एवं सारंगगढ़ के कुछ भागों से लगा कर बिलासपुर, रायपुर, संबलपुर, के पश्चिमी भाग, काकेर, शक्ति, दुर्ग, कवर्धा, खैरागढ़, बस्तर, निहार और बालाघाट के पूर्वी भागों में, तथा चाँदा के उत्तर पूर्वी भाग में बोली जाती है। इस के बोलने वालों की संख्या लगभग ४० लाख कही जाती है। इस की दस उपबोलियाँ कही जाती हैं^{१५} —

१ सरगुजिया, २ सदरी कोखा, ३ बैगानी, ४ विंशवारी, ५ कलगा, ६ मुलिया, ७ सतनामी, ८ काकेरी, ९ बिलासपुरी, १० हल्बी।

राजस्थानी

राजस्थान प्रदेश की भाषा राजस्थानी है। यह राजपूताना, मध्यभारत के पश्चिमी भाग, मध्यप्रदेश सिंध तथा पंजाब के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। मुख्य रूप से यह मरुभूमि की भाषा है। डॉ० ग्रियर्सन ने इसे चार विभागों में विभक्त किया है^{१६} — मारवाड़ी, मध्य पृवाय समुदाय (जिस की विशिष्ट बोली जयपुरी है), पश्चिमोत्तरी समुदाय (जिस की विशिष्ट बोली मेवाती है) तथा मालवी। इन्हीं चारों को राजस्थानी की चार मुख्य विभाषाओं के रूप में स्वीकार किया गया है। डॉ० चटर्जी ने राजस्थानी बोलियों को पश्चिमी और पूर्वी इन दो वर्गों में समाहित किया है। किन्तु डॉ० तिवारी इन के चार वर्ग मानते हैं^{१७}—१ पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, २ पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, किशनगढ़ी, अजमेरी, हाडौती, आदि, ३ दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी मालवी, ४ दक्षिणी राजस्थानी भीली, सौराष्ट्री। इन के अन्तर्गत प्रसिद्ध उपबोलियाँ हैं^{१८} — पूर्वी मारवाड़ी—मगरा की बोली, मरवाड़ी, मारवाड़ी, गिरासिया की बोली, मारवाड़ी दुहारी, गोड़ावाटी, मेवाड़ी तथा मेरवर मारवाड़ी दक्षिणी मारवाड़ी-गोहवाटी तथा मारवाड़ी गुजराती, पश्चिमी मारवाड़ी थली तथा दटक, उत्तरी मारवाड़ी-बीकानेरी शेखावाटी तथा बागडी। साहित्यिक दृष्टि से मारवाड़ी समृद्ध है।

जयपुरी की प्रमुख उपबोलियाँ निम्नलिखित हैं^{१९} —

१ तोरावाटी, २ काठेडा, ३ चौरासी, ४ नागरचाल, ५ राजावाटी।

मेवाती

यह उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की एक बोली मानी गई है। यह पश्चिमी हिन्दी के अत्यन्त निकट है। इस की उपबोलियाँ हैं —

१ राठी मेवाती, २ नहेडा मेवाती, ३ कटेर मेवाती, ४ गुजरी।

मालवी

मालवी दक्षिणी-पूर्वी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली मानी जाती है। मालवी में गुजराती, राजस्थानी और बुन्देली का पुट है। भोपाल की ओर का बुन्देली-क्षेत्र मालवीपन

लिए हुए है, दक्षिण की ओर का राजस्थानी क्षेत्र मालवी से आक्रान्त है और मालवा का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र गुजराती से प्रभावापन्न है। अत्यंत प्राचीनकाल से इस क्षेत्र का मुख्य केन्द्र भवन्ती रहा है। आ० भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में जिस 'ओकारबहुला' और 'आचन्ती' का उल्लेख किया है, उसी से मालवी का विकास हुआ है। मालवी दक्षिण में नर्मदा नदी के और मध्य में निमाड, भोपाल, नरमिहगढ, राजगढ, दक्षिण झालावाड, मन्दसौर, नीमन्, रतलाम, पृथ झाबुआ, धार, इन्दौर, देवास, उज्जयिनी, राजगढ और झाजापुर, आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। कोटा के डोंग प्रदेश में भी मालवी बोलने वालों की बस्ती है। यहाँ की बोली का डगोसरी कहते हैं। रतलाम के निकट बोली जाने वाली 'डुगरी' बोली का स्वरूप भी इस के अनुरूप है। मालवी भाषा के प्राचीनतम प्रयोग आठवाँ सदी के प्राकृतकवि उद्योतनसूरि की 'कुचलयमालाकथा' में उपलब्ध होते हैं। डॉ० श्याम परमार ने इस के चार रूपों का निर्देश किया है^{६६}—उत्तरी मालवी, दक्षिणी मालवी, पूर्वी मालवी और पश्चिमी मालवी। इस की उपबोलियाँ हैं —

उत्तरी मालवी सोदवाडी (उत्तरपृथ), मन्दमारी, डगोसरी (डुगरी), और रतलामी।

दक्षिणी मालवी—निमाडी।

पूर्वी मालवी—उमठवाडी।

पश्चिमी मालवी—बागडी।

इन के अतिरिक्त रजवाडी या रागडी को भी मालवी की उपभाषा माना जाता है। यह मुख्य रूप से मालवा के राजपूतों की बोली रही है, जो राजस्थानी से प्रभावित है। मालवी की कुछ अन्य बोलियों का भी उल्लेख किया जाता है, जिन में धोलेवाडी, भोयारी, पाटवी और कटियाह का नाम लिया जा सकता है।

डिगल

ब्रज की साहित्यिक भाषा को 'पिगल' और राजस्थान की साहित्यिक भाषा को 'डिगल' कहा जाता है, जो आरम्भ में एक ग्राम्यभाषा समझी जाती थी। टस्तिटरी के अनुसार 'डिगल' शब्द का अर्थ है—गाँवारूभाषा डिगल को 'भाटभाषा' भी कहते हैं। आरम्भ में चारण भाटों का ही डिगलकाय रचना पर एकाधिकार था। डिगल के प्रसिद्ध कवियों में पृथ्वीराज, बाकीनास दुरसा जी, सुरजमल एवं नरपति नाह, आदि की गणना की जाती है। डिगल का साहित्य समृद्ध है।

सौराष्ट्री

सौराष्ट्र के जो लोग अपने प्रान्त के बाहर बस गए हैं, वे जिस बोली का प्रयोग करते हैं, उसे सौराष्ट्री कहते हैं। इस 'पटलूणी' भी कहते हैं। यह लगभग छह हजार लोगों की बोली है।

बजारी

राजस्थान की बजारा जाति की यह बोली है। इसे 'लभानी' भी कहते हैं।

भीली

यह भी राजस्थानी जाति की एक मुख्य बोली है। इसे 'भिळोदी' भी कहते हैं। इस की दो उपबोलियाँ हैं—राठवी और भिलाली।

पहाड़ी

पहाड़ी प्रदेशों में प्रयुक्त होने के कारण इसे 'पहाड़ी' कहा जाता है। इस का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में भद्रवाह के उत्तर-पश्चिम से ले कर नेपाल के पूर्वी भाग तक माना जाता है। इस के तीन प्रमुख रूप हैं—पश्चिमी पहाड़ी, माध्यमिक पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी। यह सम्पूर्ण क्षेत्र भाषा स्थिति की दृष्टि से पहले शूरसेन प्रदेश से सम्बंधित था। इसलिए विद्वानों का अनुमान है कि पहाड़ी बोलियों का जन्म शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। डॉ० चटर्जी इस का मूल आधार पेशाची अपभ्रंश से मानते हैं, जो उचित ज्ञान पड़ता है। इसकी निम्न लिखित उपबोलियाँ हैं —

माध्यमिक पहाड़ी—कुमायूनी, गढ़वाली। कुमायूनी की भी उपबोलियाँ विकसित हो गई हैं, जिन में मुख्य हैं—खसपरजिया, कुमर्याँ या कुमैयाँ, पल्दकोटिया, पलाह, चौगर रिया, गगोला, दानपुरिया, सीराली, सोरियाली, अस्कोटी, जोहारी, रउचामैसी तथा भोटिया हैं। कुमायूनी पर राजस्थानी का इतना अधिक प्रभाव है कि वे दोनों समान प्रतीत होती हैं। कुमायूनी की भाँति गढ़वाली में भी कई उपबोलियाँ विकसित हो चुकी हैं। उन में से प्रमुख हैं—श्रीनगरिया, राठी, लोहव्या या लोबयाली, बघानी, दसाल्या, माँझ कुमैया, नगपुरिया, सलानी और टेहरी। कुमायूनी में साहित्य लिखा हुआ मिलता है, पर गढ़वाली में केवल लोक साहित्य उपलब्ध होता है। गत दो दशकों से इन में अच्छा साहित्य लिखा जा रहा है। साहित्य रचना के कारण ये बोलियाँ पश्चिमी वर्ग के कुछ निकट जान पड़ती हैं। आज भी इन पर प्राकृत अपभ्रंशों का बहुत प्रभाव लक्षित होता है।

पश्चिमी पहाड़ी की प्रमुख बोलियाँ हैं—जोनसारी, सिरमौरी, बघाटी, चमेवाली, और क्योठली। इन के अतिरिक्त सतलुज वर्ग की बोलियाँ (बाहरी सिराजी, शोदोची), कुल वर्ग की बोलियाँ (कुलुई, भीतरी सिराजी), मडी वर्ग की बोलियाँ (मडेवाली, मडेवाली पहाड़ी, सुकेती) तथा भद्रवाह वर्ग की बोलियाँ (पाडरी, भलेसी, भद्रवाही) भी इसी के अन्तर्गत आती हैं। इन के अतिरिक्त लोहली और हमीरपुरी भी पश्चिमी पहाड़ी की उपबोलियाँ मानी जाती हैं। पश्चिमी पहाड़ी पंजाब के उत्तरी पूर्वी पहाड़ी भाग में भद्रवाह, चबा, मडी, शिमला, चकराता और लाहुल-स्पिति, आदि में बोली जाती है। किन्तु पूर्वी पहाड़ी भारतवर्ष के पूर्वी भाग की नेपाली भाषा कही जाती है। डॉ० प्रिय संन के अनुसार इस राज्य की मुख्य भाषा तिब्बती बर्मी परिवार की है, जिस में 'नेवारी' का प्रमुख स्थान है। 'नेवार' नाम भी नेपाल से ही निकला है। पूर्वी पहाड़ी के अन्य नाम हैं—परबतिया, गोरखाली तथा खसकुश। यह नेपाल राज्य में बोली जाती है। इस की चार उपबोलियाँ हैं पाल्पा, दही (दडी), देनवार (दोनवार) और कुबवार (कबवार)।

बिहारी

हिन्दी प्रदेश की यह मुख्य उपभाषा मानी जाती है। प्रमुख रूप से यह बिहार, छोटा नागपुर और उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजीपुर, पूर्वी फैजाबाद, पूर्वी जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी, देवरिया और गोरखपुर आदि जिलों में बोली जाती है। डॉ० तिवारी ने बिहारी को पूर्वी बिहारी और पश्चिमी बिहारी इन दो वर्गों में विभाजित किया है। पूर्वी बिहारी के अन्तर्गत वे मैथिली और मगही को मानते हैं तथा पश्चिमी बिहारी में केवल भोजपुरी को। डॉ० चट्जा भी भोजपुरी को मैथिली और मगही से भिन्न मानते हैं।^{१०} अतः पृवा और पश्चिमी भेद ही इन बोलियों का मूल आधार माना जा सकता है।

भोजपुरी

भोजपुरी यह नाम जिला शाहाबाद के 'भोजपुर' पगाने के एक छोटे से कस्बे के नाम से प्रचलित हुआ। इसे परबी भी कहते हैं। यह उत्तर में नेपाल की दक्षिणी सीमा रेखा के आसपास से ले कर दक्षिण में छोटे नागपुर तक और पश्चिम में पूर्वी मिर्जापुर, वाराणसी, एवं पूर्व में पूर्वी फैजाबाद से ले कर राँची और पटना के पास तक बस्ती (कुछ भाग), गोरखपुर, देवरिया, सारन, मिर्जापुर (दक्षिणी पूर्वी), वाराणसी, जौनपुर (पूर्वी), गाजीपुर, बलिया, शाहाबाद, पालामऊ तथा राँची (कुछ पूर्वी भाग छोड़ कर) में बोली जाती है। भोजपुरी की चार प्रमुख उपबोलियाँ हैं^{११} — उत्तरी भोजपुरी, दक्षिणी भोजपुरी, पश्चिमी भोजपुरी, और नगपुरिया। इन के अतिरिक्त थारु भोजपुरी, मधेसी, बगरही और सारन वाली का भी उल्लेख किया गया है।

मगही

'मागधी' प्राकृत अपभ्रंश में विकसित तथा मगध प्रदेश की बोली मगही कही जाती है। आज भी पढ़े लिखे लोग इस मागधी कहते हैं। यह सम्पूर्ण गया जिले में तथा पटना, हजारीबाग, मुंगेर, पालामऊ, भागलपुर और राँची के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। इस का मुख्य केन्द्र गया है। इस की प्रमुख बोलियाँ निम्नलिखित हैं^{१२} —

१ आदर्श मगही—यह वर्तमान पटना और गया जिले से ले कर राजगढ़, हजारीबाग, मुंगेर के कुछ भाग, दक्षिणी-पश्चिमी भागलपुर, सरायकेला, सिहभूमि, रारसावाँ, पुरलिया और मानभूमि के सभाग में प्रयुक्त होती है।

२ पूर्वी मगही—यह हजारीबाग (दक्षिण पृवा भाग), मानभूमि, माव्दा (जिले का पश्चिमी भाग), राँची, खारसावाँ, बामरा और मयूरभञ्ज क्षेत्रों में बोली जाती है। इस की प्रमुख उपबोलियाँ कुडमाली, खोटाली, पाचपगानियाँ तथा सदरी कोल हैं।

३ जगली मगही—यह गया, राजगिर, और छोटे नागपुर के जंगलों में प्रयुक्त होती है।

४ टलहा मगही—यह पूर्ण मोकामा, बडहिया थाना, बूढ़ उपसभाग के पूर्वी भाग, गिद्धौर, पटुहाँ और लक्खीसराय थाना के उत्तरी भाग में बोली जाती है।

५. सीमांतकी प्रणाली—यह पटना और गया के सोन नदी के तटवर्ती क्षेत्रों की बोली है। इस प्रकार की कुछ अन्य स्थानीय उपबोलियाँ अभी खत हो सकती हैं।

मैथिली

यह मिथिला प्रदेश की बोली है। मैथिली का क्षेत्र बिहार के उत्तरी-भाग में पूर्वी चम्पारन, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पुनिया तथा उत्तरी संथारपरगना में है। इस के अतिरिक्त यह बोली मास्दह और दिनाजपुर के साथ भागलपुर एवं तिरहुत समान की सीमा के निकट नेपाल की तराई में भी बोली जाती है। इस की कुछ उपबोलियाँ हैं, जो इस प्रकार हैं—उत्तरी मैथिली, पूर्वी मैथिली, पश्चिम मैथिली, छिकाछिकी तथा ओलहा बोली। इस भाषा का लिखा हुआ प्राचीन साहित्य भी मिलता है। मैथिल-कोकिलविद्यापति अच्युतचंद्र, देशीभाषा (मैथिली) और हिन्दी के प्रसिद्ध कवि थे।

इस प्रकार उक्त सभी बोलियाँ हिन्दी की मानी जाती हैं। भारतीय आर्य भाषाओं के समूह में पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी इन पाँच भाषाओं के विकसित प्रवाह से अनेक बोलियों तथा उपबोलियों का जन्म हुआ। इन की संख्या लगभग छह सौ कही जाती है। इस गति और प्रवाह के योग से प्रवाहशील हो कर हिन्दी का भी विकास हुआ। अतएव भाषा के वर्तमान रूप पर इन का प्रभाव लक्षित होता है। भाषा विकास की दृष्टि से भी संस्कृत की अपेक्षा बोलियों की धारा से ग्रहण और स्वीकार करने की प्रवृत्ति बनी रही तो हिन्दी मविध्य में ससार की एक श्रेष्ठ भाषा सिद्ध हो सकेगी।

हिन्दी भाषा का विकास

वैदिक काल से ही स्पष्ट रूप से भाषागत दो धाराएँ परिलक्षित होती हैं, जिनमें से प्रथम छान्दस् या साहित्य की भाषा थी और दूसरी जनबाणी या लोकभाषा थी। इस के स्पष्ट प्रमाण हम अवेस्ता, निय प्राकृत तथा सर्वप्राचीन शिलालेखों की भाषा में मिलते हैं। पालि-साहित्य की भाषा के अध्ययन से भी यह निश्चित हो जाता है कि उस समय तक कुछ ही भाषाएँ तथा भाषागत रूप व्यवस्थित एवं परिमार्जित हो सके थे, अनेक भाषाएँ अपरिमार्जित ही थीं। ऋग्वेद में विभिन्न प्राकृत बोलियों के लक्षण मिलते हैं। उदाहरण के लिए, प्राकृत बोलियों में आरम्भ से ही 'ऋ' वर्ण नहीं था, इसलिए संस्कृत के व्याकरण की रचना को देख कर जब प्राकृत-व्याकरण की रचना हुई, तब यह विधान किया गया कि संस्कृत 'ऋ' के स्थान पर प्राकृत भाषा में 'अ, इ, या उ' आदेश हो जाता है। किन्तु वेदों की कई ऋचाओं में 'कृत' के लिए 'कट', कृत के लिए 'कुड' तथा 'भृत' के लिए 'भड' शब्द प्रयुक्त मिलते हैं। 'पाइअ-सद् महणयो' की भूमिका में ऐसे तैरह विशिष्ट लक्षणों का विवेचन किया गया है, जिन से वैदिक और प्राकृत भाषा में साम्य परिलक्षित होता है। इन प्राकृत बोलियों की एक प्रमुख विशेषता 'देशी' शब्दों की बहुलता भी है। ऋग्वेद, आदि में प्रयुक्त 'वंक (वंक), मेह (मेघ), पुराण (पुराणन), तितउ (चाकनी), जर्ण (जूता, पुराना) और उन्वेक (उन्वेक)', आदि प्राकृत

बोलियों के शब्द उपलब्ध होते हैं। इन देशी शब्दों की ग्रहणशीलता 'देशी' के प्राचीन पूर्व रूप को सिद्ध करता है। डॉ० ज्यूल ब्लार ने भी 'देशी' को प्राकृत का प्राचीन पूर्व रूप कहा है। इस से उसे छोड़ कर अज्ञात भाषाओं के अस्तित्व का पता चलता है।^{१५} प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक बीम्स के अनुसार देशी शब्द सदा से लोकबोलियों में प्रयुक्त रहे हैं, साहित्य की भाषा में उन के प्रयोग नहीं मिलते। किन्तु इस से सस्कृत भाषा की प्राचीनता सिद्ध नहीं हो जाती। वस्तुतः जनबोलियाँ ही प्राचीनतम हैं।^{१६} डॉ० जॉर्जग्रियर्सन, बाकरनागल, रिचर्ड पिशेल और प्रो० ए. त्वान् मेर्ये प्रभृति भाषावैज्ञानिकों ने वैदिक युग की प्रादेशिक बोलियों के विकास से शिलालेखों की प्राकृत तथा साहित्यिक प्राकृतों का उद्भव और विकास माना है। वैदिक युग की प्राकृत बोलियों को प्राचीन या प्राथमिक प्राकृत (२,००० ई० पू०-५०० ई० पू०) नाम दिया गया है। डॉ० ग्रियर्सन के शब्दों में "अशोक (२५० ई० पू०) के शिलालेखों तथा महर्षि पतञ्जलि (१५० ई० पू०) के महाभाष्य के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि ई० पू० तीसरी शताब्दी में उत्तर भारत में आर्यों की विविध बोलियों से युक्त एक भाषा प्रचलित थी। जनसाधारण की नित्य व्यवहार की इस भाषा का क्रमागत विकास वस्तुतः वैदिक युग की बोलचाल की भाषा से हुआ था। इस के समानान्तर ही इन्हीं बोलियों में से एक बोली से ब्राह्मणों के प्रभाव द्वारा एक गौण भाषा के रूप में लौकिक सस्कृत का विकास हुआ। कालान्तर में इस ने मध्ययुगीन लैटिन की ही भाँति अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। शताब्दियों से भारतीय आयभाषा 'प्राकृत' नाम से पुकारी जाती रही है। प्राकृत का अर्थ है— नैसर्गिक एवं अकृत्रिम भाषा। इस के विरुद्ध सस्कृत का अर्थ है—संस्कार की हुई, तथा कृत्रिम भाषा। 'प्राकृत' की इस परिभाषा से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन वैदिक मंत्रों की बोलचाल की भाषाएँ बाद के मंत्रों की कृत्रिम सस्कृत भाषा की तुलना में वास्तव में प्राकृत (नैसर्गिक) भाषाएँ थी। वस्तुतः इन्हें भारतवर्ष की प्रथम प्राकृत कहा जा सकता है।^{१७}

ई० बी० कावेल के मतानुसार 'प्राकृत' एक सामान्य शब्द है, जिस के द्वारा हम विभिन्न भारतीय बोलियों का अधिग्रहण करते रहे हैं। यद्यपि वैयाकरणों के द्वारा 'प्राकृत' शब्द का अर्थ 'व्युत्पन्न' अर्थात् मूल सस्कृत है और सस्कृत से व्युत्पन्न प्राकृत है। कहा भी है—'प्रकृति सस्कृत तत्रभवत तत आगत वा प्राकृतम्', किन्तु मौलिक रूप से इस कथन का अभिप्राय यही है कि प्राकृत 'जन सामान्य' की 'असस्कृत, अपरिष्कृत' भाषा है, जैसा कि महाभारत में कहा गया है (दुर्वेदा वा सुवेदा वा प्रकृति सस्कृति तथा)।^{१८} प्राकृत के सभी वैयाकरणों ने विभिन्न प्राकृतों को बोली रूप में निर्दिष्ट किया है। उपलब्ध सभी प्राकृत भाषाएँ व्याकरणिक और कोशीय लक्षणों में वैदिक भाषा के समान हैं, जिन की विशेषताएँ सस्कृत में नहीं मिलतीं।^{१९} इस प्रकार प्राकृत बोलियों की एक परम्परा चली आ रही थी, जिस की जड़े जनता की भाषा में निहित थीं। स्टेनली कन्डले ने भाषा और बोली का अन्तर स्पष्ट करते हुए बताया है कि सस्कृत एक कृत्रिम तथा पूर्ण साहित्यिक भाषा थी, जबकि प्राकृत बोलचाल की भाषा थी। समय-समय पर प्राकृतों

पर संस्कृत का भी प्रभाव पड़ा है, जिस के कारण व्याकरणों ने संस्कृत को प्राकृत में बदलने के लिए व्याकरण के रूप में विशिष्ट नियमों का प्रतिपादन किया और इस के परिणामस्वरूप वास्तविक प्राकृतों को भुल हो जाना पड़ा। लिखित प्राकृतों पर संस्कृत का प्रभाव होने के कारण वे अत्यधिक भ्रष्ट मिलती हैं।¹⁹ वेदों की भाँति अवेस्ता और प्राकृत भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि अवेस्ता की भाषा में कुछ विशेषताएँ प्राकृतों की भी मिलती हैं। किन्तु ऋग्वेद के संग्रहण में ऋग्वेद की भाषा की एक नई आवृत्ति होती है। जब ऋचाओं की सकलना हुई तब संहिताकार के समय की भाषा परिस्थिति किसी न किसी रूप में ऋग्वेद में प्रतिबिम्बित हुई। इस लिए ऋग्वेद में कभी कभी अन्यान्य बोलियों के रूप एक साथ मिल जाते हैं, जैसे 'र' और 'ळ' की व्यवस्था। ऋग्वेद की रचना एक समय की और एक व्यक्ति की नहीं है। अतएव समय-समय पर उस में बहुत परिवर्तन होता रहा। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल की भाषा से दशम मण्डल की भाषा में अन्तर लक्षित होता है। उस के प्राचीनस्तर में जो व्यवस्था थी, वह दसवे मण्डल में नहीं दिखाई पड़ती है। ऋग्वेद की अधिकांश रचना भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में की गई थी। अतएव उस प्रदेश की बोलियों से और इरानी भाषा से उस का साम्य होना स्वाभाविक है। भारत की पूर्व की बोलियों में 'र' और 'ळ' के स्थान पर 'ळ' का ही प्रचलन था, किन्तु ऋग्वेद में भी 'ळ' वाले शब्दों के प्रयोग अपना लिए गए।²⁰

प्राकृत भाषाएँ इस देश में ही नहीं, एशिया के सुदूर देशों में भी प्रयुक्त होती थीं। डॉ० चटर्जी के शब्दों में 'ई० पू० तीसरी शताब्दी में भारतीय प्रवासियों का पंजाब और पश्चिमोत्तर प्रदेश से अपनी प्राकृत भाषा के साथ खोतन प्रदेश में जा कर बसने का पता चला है। यह पश्चिमोत्तरी 'गांधारी प्राकृत' है। मध्य एशिया (दक्षिणी सिन्-क्यांग या चीनी तुर्किस्तान) में इस प्राकृत का अपना स्वतन्त्र इतिहास बना। दूसरी एक प्राकृत भाषा ई० पू० छठी शताब्दी के मध्य में गुजरात (काठियावाड़) से सीलोन या लंका पहुँचाई गई।²¹ भारत से बाहर जो प्राकृत के लेख, अभिलेख या साहित्यिक रचनाएँ प्राप्त हुई हैं, भाषा की दृष्टि से वे बहुमूल्य हैं। उन में प्राचीनतम भाषा के निदर्शन मिलते हैं। अदकवोष के संस्कृत नाटकों की हस्तलिखित खण्डित प्रतियाँ मध्य एशिया में मिली हैं, जिन का सम्पादन जर्मन विद्वान ल्यूडर्स ने जर्मनभाषा में किया है। इसी प्रकार खोतन में खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए कुछ लेख मिले थे, जिन में एक 'धम्मपद' भी है। इस की भाषा 'निय' प्राकृत से मिलती जुलती है। 'निय' प्रदेश में प्राकृत में लिखे हुए कई लेख प्राप्त तथा प्रकाशित हो चुके हैं। ये भारत की प्राचीनतम पश्चिमोत्तरी बोली में लिखे हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार भारत में तथा अन्य देशों में प्राकृत का विशेष प्रचार रहा है।

डॉ० चटर्जी के विचारों में 'वैदिक' या 'संस्कृत', 'प्राकृत' और 'भाषा' शब्दों का प्रयोग सक्षिप्त और सुविधानुसार है। किन्तु इस की बजाय इन शब्दों का व्यवहार भारतीय आर्यभाषाओं की तीन विभिन्न अवस्थाओं के खोतन के लिए किया जाता

है। प्राकृत और भाषा के मध्य विशेषकर जो प्राकृत या मध्यकालीन भारतीय आर्य-भाषा के युग की ही एक रचना है, सुविधा की दृष्टि से अपभ्रंश कही जा सकती है।^{६५} स्त्रुमपीटड में कुछ शब्दों के अध्ययन से यह निष्कर्ष फलित किया कि पाणि-प्राकृत में प्राक्-वैदिक बोलियों के शब्द रूप निहित हैं।^{६६} वेदो म शिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है। वैदिक युग की बोलचाल की भाषा प्राकृत ही थी, जो कुछ बातों में संहिताओं की साहित्यिक भाषा से भिन्न थी।^{६७} अनेक वैदिक शब्द आज भी लोकभाषाओं में ज्यों के त्यों अथवा उच्चार भेद के साथ प्रयुक्त मिलते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ शब्द इस प्रकार हैं—अजगर, भेड, लावा, रोट, चरु, चमस, असुर, देव, मेह, शूर्प (स्या) मुसल (मूसल), दाति (दाँता), उलखल (ओखली), लाजा (लाई), जूर्ण (जूना), सूर्य, नदी, पात्रा (पात्तर), मिश्र तथा घन प्रभृति। आठवीं शताब्दी के प्राकृत के महाकवि वाक्पतिराज ने अपने 'गउडवहो' नामक महाकाव्य में प्राकृत को लोकव्यापी बोली के रूप में चित्रित किया है। महाकवि ने शब्दों में—

सयलाओ इम वाया विसति एत्तो य णति वायाओ ।

एति समुद् चिय णति सायराओ च्चिय जलाइ ॥९३॥

अर्थात् सभी भाषाएँ इस प्राकृत भाषा में प्रवेश करती हैं (समा जाती हैं) और सभी भाषाएँ इस से निर्गत (विकास) हुई हैं। जिस प्रकार जल (नदी नालों का) समुद्र में प्रवेश करता है और समुद्र से ही बाहर (वाष्प रूप में) निकलता है, उसी प्रकार प्राकृत भाषा भी समुद्र की भाँति है।

अतएव भारतीय आर्यभाषाओं की तीन अवस्थाओं को एक दूसरे से उत्पन्न मानना भ्रमपूर्ण होगा। वास्तव में भाषा विकास की दो अवस्थाएँ मानी जा सकती हैं—प्राचीन तथा वर्तमान। किन्तु भाषाशास्त्रियों के अनुसार भारतीय आर्यभाषाओं के विकास की तीन अवस्थाएँ रही हैं। यह निश्चित है कि आर्य जातिका प्राचीनतम साहित्य वेद है। यह लगभग दो हजार वर्ष ई० पू० का लिखा हुआ माना जाता है। प्रो० मेक्समूलर ने यह समय ई० पू० १,५०० माना है। इस ही डा० प्रियर्सन ने प्राकृत भाषाओं के प्रथमस्तर का काल निरूपित किया है। उन के अनुसार आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय होने के पूर्व भारतीय आर्य भाषाएँ प्राकृतभाषाओं के तीन स्तर पर कर चुकी थी। 'प्राकृत' कहने का उन का अभिप्राय लोकबोली से है। डॉ० चटर्जी भी वेदों की भाषाएँ इस से अधिक प्राचीन नहीं मानते। उन के ही शब्दों में "गाथाओं और वेदों की भाषाएँ तो यमज बहनों सी दीरती हैं, और वैदिक भाषाओं का काल २,००० वर्ष ई० पू० से प्राचीनतर होना नहीं सकता, क्योंकि (प्राग् वैदिक तथा प्राग्भाषा की जननी) आर्यभाषा तब तक इरानी और भारतीय आर्य शाखाओं में अन्विभाजित न हो कर एक ही भाषा रही प्रतीत होती है, जैसा कि मेसोपोतामिया तथा दक्षिण-माइनर के दस्तावेजों से उपलब्ध थोड़े-बहुत प्रमाणों से सिद्ध होता है।"^{६८} इस प्रकार भारतीय आर्यभाषाओं के विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं का वर्गीकरण किया जा सकता है —

१. प्राचीन भारतीय आर्यभाषाएँ—ई० पू० २,००० से ई० पू० ६,००, २

२. मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषाएँ—ई० पू० ६,०० से २,००० ई०, ३

३. आधुनिक भारतीय आर्यभाषाएँ—१,००० ई० से आज तक ।

व्यर्थ में भाषा की ये अवस्थाएँ वास्तविक नहीं हैं, केवल अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अवस्था, स्तर या भूमिका के नाम से अभिहित की गई हैं ।

प्राचीन भारतीय आर्यभाषाएँ

यह पहले ही कहा जा चुका है कि वैदिक काल और उस के पूर्व की सभी बोलियों को प्राकृत नाम दिया गया है । आर्यभाषा का बोली रूप में प्राचीनतम निदर्शन 'प्राकृत' एव साहित्य के रूप में वेदों की भाषा 'छान्दस्' में परिलक्षित होता है । प्रथम अवस्था में सभी प्राकृत बोलियों और वेदों की भाषाओं में स्वर और व्यञ्जन, आदि के उच्चारण में तथा विभक्तियों के प्रयोग में कोई विशेष अन्तर लक्षित नहीं होता । इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि उस युग की बोलियों के लेख या अभिलेखों के कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होते । चाहे बहुत बोलियों के जो नमूने मिलते हैं, वे भी अधिकतर साहित्य की भाषा के रूप में प्रयुक्त पाए जाते हैं । अतएव उन का विशुद्ध रूप नहीं मिलता । उस युग की भाषाओं का जो भी अध्ययन किया जाता है, वह मुख्य रूप से ऋग्वेद तथा वेदों की भाषाओं के आधार पर तथा गौण रूप से अवेस्ता की भाषा और प्राकृत बोलियों अथवा ऋग्वेदादि में प्रयुक्त वैकल्पिक रूपों को ध्यान में रख कर किया जाता है । वेदों और स्मृतियों में एव पौराणिक साहित्य में अनेक स्थानों पर कहा गया है कि पहले भी अनेक भाषाएँ बोली जाती थी । शिष्य के अनुरूप ही सस्कृत, प्राकृत तथा देशी भाषा आदि का व्यवहार करना चाहिए । " मरत कृत 'गीताल्कार' में सब से अधिक ४० भाषाओं का उल्लेख मिलता है । उन के नाम हैं— महाराष्ट्री, विराटी, म्लेच्छी, सोमकी, चोलकी, काची, मालवी, काशिसंभव, देविका, कुशावत्ता, सुरसेनिका, वापी, गूर्जरी रोमकी, कानमूसी, देवकी, पंचपत्तना, सैन्धवी, कौशिकी, भद्रा, भद्रभोजिका, कुन्तला, कोशला, पारा, यावनी, कुर्कुरी, मध्यदेशी तथा काम्बोजी प्रभृति । ये बयालीस भाषाएँ गीत रचना में प्रयुक्त होती थीं । वास्तव में, ये उस युग की बोलियाँ थी, जिन में गीत रचे जाते थे । सस्कृत और प्राकृत में भी किसी युग में बहुत गीत लिखे जाते थे, जिन में प्राकृत के गीत प्रशस्त बहे गए हैं । " तीर्थंकर महावीर के युग में ई० पू० ६,०० के लगभग १८ महाभाषाएँ और ७,०० लघुभाषाएँ (बोलियाँ) प्रचलित थीं । उन में से जैन साहित्य में प्रादेशिक भेदों के आधार पर आवश्यक, औपपातिक, विपाक, शत्रुधर्मकथंग, राजप्रक्रीय, आदि आगमग्रन्थों तथा 'कुवलयमालाकहा' में अठारह प्रकार की प्राकृतों का उल्लेख पाया जाता है । निशीथचूर्णि में अठारह देशी भाषाओं से निबत भाषा को अर्द्धभाषी कहा गया है । उद्योतनसुरि ने 'कुवलयमालाकहा' में विस्तार के साथ बोल्ल, मगध, अन्तर्वेदि, कौर, टक्क, सिन्धु, मरु, गुर्जर, क्वाट, माकवा, कर्णाटक, तामिक, कोशल, महाराष्ट्र और कर्णाटक प्रभृति अठारह देशी भाषाओं का विवरण दिया है, जो कई दृष्टियों से अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

ऋग्वेद की भाषा में निर्विभक्तिक प्रयोग, विभक्ति विनिमय चतुर्थी के लिए षष्ठी और षष्ठी के लिए चतुर्थी, शब्द-रूप तथा विकरण के व्यत्यय होने तथा निपात एवं उपसर्गों की बहुलता से और समास की स्वच्छन्दता से अनेक रूप मिलते हैं। इसी प्रकार ऋग्वेद में पादान्त और पादादि में प्राकृतिक सन्धि परिलक्षित होती है।^{१६} डॉ० श्यामसुन्दरदास ने 'हिन्दी भाषा' में वेदों की भाषा विषयक अव्यवस्था के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन किया है। डॉ० पुसालकर ने याकरण सम्बन्धी अनियमितताओं के कारणों पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि जनबोलियों से प्रभावित होने के कारण वेदों की भाषा में भी अनेक वैकल्पिक रूप आ गए। एक कारण यह भी था कि मूल बोलियाँ प्राकृत थीं, किन्तु हटात् उह सस्कृत में अन्वित किया जा रहा था। वैदिकपाठ भी प्राकृतों से प्रभावापन्न लक्षित होते हैं। प्राकृतों से प्रभावित होने के कारण काव्यों और पुराणों में भी तथा शास्त्रीय सस्कृत-साहित्य के पूर्व की रचनाओं में भाषाविषयक अनियमितता परिलक्षित होती है।^{१७} बोलियों में प्रवाह में जब भाषाविषयक अनियमितता वृद्धिगत होती गई, तब भाषा के 'सस्कार' का प्रश्न सहज ही उत्पन्न हुआ। फल्स्वरूप पाणिनि और कुमार, आदि के नियमों से आन्वित भाषा 'मस्कार' प्राप्त करके सुधर, सँबर कर 'सस्कृत' कहलाई। भाषा की स्थिरता के लिए वैयाकरणों ने दो महान् प्रयत्न किए। प्रथम प्रयत्न में उ होने गणों की व्यवस्था की और पाणिनि ने 'पृषोदरादि' गण बना कर शब्द सिद्धि का एक नया मार्ग ही उभक्त कर दिया। दूसरे प्रयत्न में स्वार्थिक प्रत्यय का विधान करके देशी तथा म्लेच्छ भाषाओं से शब्दों का उधार ले कर अपनाने की तथा रचाने-पचाने की एक नई रीति को जन्म दिया। इन दोनों ही कार्यों से सस्कृत का शब्द भण्डार विशाल हो गया और भाषा स्थिर तथा निश्चित हो गई। उस में फिर शब्दानुशासन की रचना के अनन्तर वैदिक भाषा की भौति अस्थिरता एवं अव्यवस्था नहीं रही, और इसी कारण से 'सस्कृत' भाषा सदा के लिए 'अमर' हो गई। महर्षि पतञ्जलि के महाभाष्य में उल्लेख से भी स्पष्ट है कि जनभाषा के सस्कार से सस्कृत भाषा का जन्म हुआ था, जो साहित्य की भाषा रही है।^{१८} ऋग्वेद में भी इस साहित्यिक भाषा का उल्लेख किया गया है।^{१९} यद्यपि 'भाषा' परिमार्जित और परिष्कृत होकर 'सस्कृत' बन गई थी किन्तु जनबोलियों का प्रभाव सतत उस पर बना रहा। महर्षि यास्क के 'निरुक्त' के अध्ययन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि वेदों की भाषा के समय जन बोलियाँ प्रचलित थीं। निघण्टु में जिन शब्दों का निवचन किया गया है, उस में भी प्रत्येक शब्द की लोकप्रचलित व्युत्पत्ति दी गई है। फिर, जिसे मूल शब्द कह सकते हैं, ऐसे अनेक शब्द वेदों की भाषा में ही परिवर्तित मिलते हैं, जैसे कि—'अग्र' के लिए 'अहगुलि' (३ अ० २ पा० २ ख०), 'हिंस' के लिए 'सिह' (३ अ० ४ पा० १ ख०) 'रघु' के लिए 'रघु' (शीघ्र अथ म), आदि तथा देशभाषा प्रसिद्ध विभाग भी उत्तर में कुछ और पूर्व में कुछ शब्दों के प्रयोग भिन्न अर्थ में लक्षित होते हैं।^{२०} इस प्रकार प्रादेशिक भिन्नता के कारण भाषा भेद और शब्द भेद वैदिक काल से चले आ रहे हैं। इस बात की पुष्टि निघण्टु रचना से भी होती है। वास्तव में निघण्टु क्यों रचे गए ?

क्या इसलिपि रचे गए कि महर्षि यास्क के समय में लोग वेदों के शब्दों का अर्थ भूल गए थे अथवा वे शब्द अपने मूल रूप से रचना या अर्थ में बहुत भिन्न हो गए थे ? हमारे विचार में निरुक्त लिखने का एक प्रमुख कारण वह था कि एक शब्द के कई रूप और कई अर्थ प्रचलित थे। अर्थ की भिन्नता तो इतनी अधिक थी कि एक शब्द कई तरह से स्युस्पन्न होता था। व्युत्पत्ति भेद से अर्थ भेद की अतिशयता थी। अतएव किसी निश्चित अर्थ के द्योतन के लिए निघण्टु रचना आवश्यक हो गई थी। क्योंकि कि शब्दों में हमारे जीवन का अनुभव निहित रहता है। वे केवल ध्वनि मात्र नहीं होते। उन में युग-युगों के जीवन का बिम्ब अन्तर्हित रहता है। यही कारण है कि शब्द प्रतीक माना जाता है। शब्द कैसा भी हो, चाहे साधु हो अथवा असाधु हो, वह हमारे जीवन के अनुभव को अभिव्यजित करने में समर्थ होता है। व्याकरण तो केवल ध्वन्यात्मक, रूपात्मक और वाक्य रचनात्मक सौँच्चों का वर्णन मात्र है। एक युग था, जब व्याकरण अपनी प्रकृति से दार्शनिक चिंतन प्रस्तुत करता था, किन्तु जब उस का उद्देश्य ही बदल गया तब वह वर्ण और अब ध्वनियों तक में सिमट गया है। यास्क के समय में इसके विश्लेषण के मुख्य बिन्दु थे नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। उन में से सभी नाम 'आख्यातज' थे, यह शाकटायन और यास्क का मत है, किन्तु गार्ग्य सभी को आख्यातज नहीं मानते^५। यास्क ने धातु के छह भेद माने हैं—प्रकृत्यन्त, सनन्त, यङ्न्त, यङ्लुक्, ष्यन्त और ष्यन्तसनन्त। वह सब वैदिक भाषा की उत्तरकालिका व्यवस्था थी, जो आज परम्परा के रूप में हमें प्राप्त होती है।

मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषाएँ

यह पहले ही कहा जा चुका है कि भाषा का विकास लोकबोलियों से होता है। लोक में प्रचलित शब्द और अर्थ के सम्बन्ध जब रूढ़ हो जाते हैं, तब वे एक भाषा का रूप धारण कर लेते हैं। महर्षि पतञ्जलि ने स्पष्ट रूप से लोकव्यवहार से अर्थ के अनुसार शब्दप्रयोग माना है, क्योंकि जिस प्रकार लोग कुम्हार की बस्ती में जा कर बड़ा बनाने के लिए कहते हैं, उसी प्रकार वैयाकरण या भाषाशास्त्री के पास जा कर कोई शब्द तैयार करने के लिए नहीं कहता^६। अतएव लोकबोलियों की परम्परा से भाषा के विकास की धारा आरम्भ होती है। मध्यकाल में इस विकसित धारा के कई स्पष्ट रूप परिलक्षित होते हैं। अतएव मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषाओं को चार कालों में विभक्त किया जाता है। ये निम्नलिखित हैं —

१ प्राथमिक-स्तर ६०० ई० पू० २०० ई० (अशोक के शिलालेखों की प्राकृत तथा पालि आदि)।

२ संक्रमणकालीन स्तर २०० ई० पू० २०० ई० (खरोष्ठी, ब्राह्मी, आदि में लिखित प्राथमिक अभिलेख)।

३ द्वितीय स्तर २०० ई० ६०० ई० (संस्कृत-नाटकों में प्रयुक्त प्राकृत तथा साहित्यिक प्राकृत)।

४ तृतीय स्तर ६०० १,००० ई० (अपभ्रंश भाषा)।

सम्राट् अशोक के उत्कीर्ण कराये हुए लगभग चौत्तीस अभिलेख उपलब्ध हैं। इन की संख्या इस प्रकार है १४ धर्मलेख, ७ स्तम्भलेख, १ बभ्रू शिलालेख, २ कच्छु शिलालेख, २ कलिंग अभिलेख, २ तराई अभिलेख, ३ लघुस्तम्भलेख, ३ गुहालेख। इन अभिलेखों में चार प्रकार की बोलियों के नमूने स्पष्ट रूप से मिलते हैं, जिन के नाम हैं —

- १ पश्चिमोत्तरी प्रादेशिक भाषा प्राकृत,
- २ पश्चिमी या दक्षिण पश्चिमी विभाषा शौरसेनी,
- ३ मध्यपूर्वी विभाषा—मागधी,
- ४ पूर्वी विभाषा—मागधी तथा अर्द्धमागधी।

इन शिलालेखों में पेशाची, मागधी और शौरसेनी प्राकृत की प्रवृत्तियाँ लक्षित होती हैं। पश्चिमोत्तरी प्रादेशिक भाषा में पेशाची प्राकृत की, पूर्वी में मागधी तथा अर्द्ध मागधी की, दक्षिण-पश्चिम में शौरसेनी की एवं मध्यपूर्वी समूह में शौरसेनी और मागधी की मिश्रित प्रवृत्तियाँ प्राप्त होती हैं। डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री ने अभिलेखों की भाषागत प्रवृत्तियों का निर्देश करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि सम्राट् अशोक के समय की पश्चिमोत्तरीय (पेशाच गांधार), मध्यभारतीय (मागध), पश्चिमीय (महाराष्ट्र), और दक्षिणात्य (आंध्र कणाटक) बोलियाँ उस समय की जनभाषाएँ थीं। पश्चिमोत्तरीय वर्ग की बोली में शाहबाजगनी और मानसेहरा के अभिलेख, मध्यभारतीय बोली में वैराट, दिल्ली टोपरा, सारनाथ और कलिंग अभिलेख, पश्चिम में गिरनार और बम्बई में सोपारा के अभिलेख एवं दक्षिणात्य में दक्षिणी अभिलेख सम्मिलित हैं। पश्चिमोत्तरीय में दीर्घ स्वरों का अभाव, ऊष्म व्यंजनो का प्रयोग, अन्तिम हल्न्त व्यंजनों का अभाव, रेफ का प्रयोग एवं प्रथमा विभक्ति एक वचन में एकारान्त शब्दों का अस्तित्व पाया जाता है। मध्यभारतीय बोली में 'रू' के स्थान पर 'लू', प्रथमा एक वचन में एकारान्त रूप का सद्भाव, स्वरभक्ति का अस्तित्व, 'अहू' के स्थान पर 'हूक' का प्रयोग 'तु' के स्थान पर 'तवे', तुम्हाण अथवा तुज्झाण के स्थान पर 'तुफाक' एवं 'कू' धातु के 'त्त' के स्थान पर 'ट' का प्रयोग पाया जाता है। पश्चिमीय बोली में 'र' का प्रयोग अधोवर्ती रेफ का शीषवर्ती रेफ के रूप में प्रयोग, 'न्य' और 'ञ्ज' के स्थान पर 'ज' तथा 'ट' में पण्वलन, प्रथमा एक वचन में ओकारान्त रूप, 'ड' के स्थान पर 'डूड' एवं सप्तमी विभक्ति के वचन में 'स्मि' के स्थान पर 'मिह' का प्रयोग पाया जाता है। दक्षिणात्य बोली में मूर्द्धय 'ण' का प्रयोग, तालव्य 'ज' का प्रयोग, स्वरभक्ति की प्राप्ति, 'त्स' के स्थान पर 'त्स', ऊष्म वणा का दन्त्य वर्णों के रूप में प्रयोग एवं 'तु' के स्थान पर 'तने' का प्रयोग मिलता है^१। वास्तव में, प्राकृत की बोलियों के ये भेद कोई नए नहीं थे। वैदिक काल में भी इन का अस्तित्व था। किन्तु अभिलेखों में प्रयुक्त होने के अनन्तर एक लिखित प्रमाण के रूप में प्रकट हो सके। भाषाओं की विकास-धारा को समझने के लिए इन का अध्ययन तथा विश्लेषण यथार्थ में अत्यन्त उपयोगी है।

भारतीय आर्यभाषाओं के विकास के इतिहास में मध्यदेश की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण

मूलिका रही है। सामान्य रूप से दक्षिण में दृष्टकारण के पूर्व से लेकर मध्य और पश्चिम में विन्ध्यशिखि की शृंखलाओं तक तथा उत्तर में हिमालय की तराही तक का भाग मध्यदेश कहा जाता रहा है। अशोककालीन प्राकृत ही नहीं, सम्पूर्ण आर्यप्रजाओं की सांस्कृतिक भाषा 'मध्यदेशीय' रही है। देश के मध्य में होने के कारण तथा स्थिर शासन और लोकप्रचलन होने से मध्यदेश की भाषा प्रख्यात रही है। हम इतिहास के किसी भी युग को फलट कर देखें इस आर्यावर्त की मुख्य या केन्द्रीय भाषा मध्य देशीयभाषा ही मिलेगी। यही कारण है कि अशोक के शिलालेखों (ई०पू० २७०-२५० ई० पू०) की भाषा राजभाषा कही जाती है और उसी के विकासक्रम में राष्ट्रभाषा हिन्दी का नाम लिया जाता है। हिन्दी मध्यदेशीय बोलियों के विकास की उत्तरकालिक अवस्था विशेष है, जिस का प्रसार सम्पूर्ण मध्यदेश में रहा है। हिन्दी कभी किसी जनपद की भाषा नहीं रही है। इसी प्रकार से न केवल वह उत्तरप्रदेश की भाषा रही है। दक्षिण में हैदराबाद, नागपुर, छत्तीसगढ़, पूरब में बिहार तथा उत्तरप्रदेश, पश्चिम में राजस्थान और मालवा तथा उत्तर में हरियाणा प्रदेश बहुसंख्यक हिन्दी भाषा भाषी रहा है। यह मध्ययुगीन देशी भाषाओं का परिणाम है, जो कुछ भिन्न होने पर भी अपने मूल रूप में सदा परस्पर सम्यक् रही हैं और जिन का विकास स्वाभाविक गति से हुआ है।

पालि

कहा जाता है कि भगवान् गौतमबुद्ध जिस भाषा में उपदेश देते थे, वह 'पालि' भाषा है। वास्तव में बुद्ध और महावीर मागधी बोली में ही बोलते थे। भाषा के अर्थ में 'पालि' शब्द का प्रयोग बहुत बाद में किया गया। पहले इसे 'मागधी' ही कहा जाता था। सिंहल के महायेर सुमंगल ने 'बालावतार' पर अपनी टीका लिखते हुए इसे मागधी कहा है^{१०}। बुद्धघोष ने अपने ग्रंथों में कई स्थानों पर 'पाली' के लिए 'मागधी' शब्द का प्रयोग किया है^{११}। आचार्य मोग्गल्लान ने अपने पालि-व्याकरण के प्रारम्भ में ही इसे मागधी क्यों कहते हैं, इसका सप्रमाण विवेचन किया है^{१२}। सिंहल देश की स्थविरवादी परम्परा पालि को मागधी कहती आइ है। उन के अनुसार मागधी मूलभाषा भी है।^{१३} कहा भी है—

सा मागधी मूलभासा नरा वायादिकण्डिका ।

ब्राह्मणतो चस्तुतात्मपा सम्बुद्धा चापि मासरे ॥

अर्थात् वह मागधी प्रथम कल्प के मनुष्यों, ब्रह्माओं तथा अभ्रुत वचन वाले विशुओं की मूल भाषा है तथा बुद्धों ने भी इसी भाषा में व्याख्यान दिया था।

अनता की बोली किसी सम्प्रदाय की भाषा नहीं होती। लोगों का यह सोचना और कल्पना ठीक नहीं है कि पालि बुद्ध की और मागधी महावीर की भाषा है। अतएव 'पालि' का अर्थ 'रक्षित' बुद्ध साहित्य की रक्षित भाषा उचित प्रतीत होता है।^{१४} 'पा' चाय 'रक्ष्' अर्थ में प्रयुक्त कही गई है। इसी प्रकार 'पाल' का अर्थ भी 'रक्षित' है।

प्राकृत की प्रथम अवस्था में ऋ, लृ ध्वनियों का लोप हो गया और ऐ, औ, के स्थान पर ए, ओ, का प्रयोग होने लगा। सयुक्त व्यंजनों में सावर्ण्यभाव की प्रवृत्ति लक्षित होने लगी तथा अय्, अब्, ध्वनि रूपों का स्थान ए, औ, ने ग्रहण कर लिया। मध्यवर्ती स्पर्श व्यंजनों का घोष भाव इसी अवस्था में आरम्भ हो गया था। प्राचीन आर्यभाषा में प्रचलित सगीतात्मक स्वराघात का स्थान बलात्मक स्वराघात ने ले लिया। शब्द एवं धातु रूपों में भी अनेक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों से आर्यभाषा की एक नवीन रूप प्राप्त हुआ और उसका मध्यकालीन रूप प्रस्फुटित होने लगा। उदीच्य भाषा में ये परिवर्तन उतनी तीव्रता से नहीं हुए, जितनी तीव्र गति से प्राच्य भाषा में परिवर्तन हुए। मध्यदेश की भाषा इन से कुछ ही प्रभावित हुई। अतएव पालि, प्राकृत, जैसे भेद पूर्वो भाषाओं में लक्षित होते हैं। मध्यदेश की भाषाओं में भाषागत स्तर पर ऐसे भेद परिलक्षित नहीं होते।

मध्यभारतीय आर्यभाषाओं के सन्नान्तिकाल (२,००६००० २,००६०) में कई प्रकार की बोलियों के नमूने मिलते हैं। इन में से प्रथम सिंहलीय अभिलेख की बोली है, जिस का समय ६०० प्रथम शताब्दी से ६० की तृतीय शताब्दी के मध्य कहा जाता है। यह बहुत कुछ अशो में मध्यपूर्वीय बोली समूह व समान है। दूसरे, अश्वघोष के नाटकों में प्रयुक्त बोलियों के नमूने हैं। म य एशिया से प्राप्त अश्वघोष के नाटकों में जो प्रकीर्ण पद्य मिलते हैं, उनका समय लगभग प्रथम शताब्दी कहा जाता है। जर्मन भाषा में ये नाटक एच० ल्युडर्स के द्वारा सम्पान्ति हो कर प्रकाशित हो चुके हैं।^{१०२} इनमें तीन तरह की बोलियाँ मुख्य रूप से मिलती हैं। इन के नाम हैं प्राचीन मागधी, प्राचीन शौरसेनी और प्राचीन अद्धमागधी। सर ऑरेल स्टीन ने मध्य एशिया से खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए जिन आलेखों को ढूँढ निकाला था, वे नियस्थान से प्राप्त होने के कारण नियप्राकृत में लिखे हुए कहे जाते हैं। अधिकतर आलेख राजकीय दस्तावेज हैं, जिनमें जिला अधिकारियों तथा अन्य कार्यालयों के आदेश व जारी किए गए पत्र भी हैं। ये लगभग तीसरी शताब्दी के लिखे हुए कहे जाते हैं।^{१०३} इसी प्रकार खरोष्ठी में लिखा हुआ 'धम्मपद' भी नियप्राकृत के सदृश है। इन सभी की भाषा अशोक के शिलालेखों से साम्य रखती है। भाषा की इस अवस्था में स्वरमध्यग अघोष यजनों के स्थान पर सघोष यजना का व्यवहार होने लगा। सावर्ण्यभाव की प्रवृत्ति दिनोदिन बढ़ने लगी और लिंगप्रयोग में आनयमितता लक्षित होने लगी। इसी काल में महायानियों ने पालि और संस्कृत के मश्रण से ऐसी भाषा का प्रयोग किया, जिसमें वर्ण यत्यय व उदाहरण प्रचुरता से मिलते हैं और जिसे विद्वानों ने 'गाथा-संस्कृत' नाम दिया है। एडगटन ने इसे 'मिश्रित बौद्ध संस्कृत' कहा है। वास्तव में, यह पालि की अपेक्षा तत्कालीन बोली से प्रभावपूर्ण ही नहीं, किंचित् मिश्रित भी है। इकार तथा उकारबहुला होने के कारण यह अपभ्रंश की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। इसी सामान्य संस्कृत में पुराणों की रचना हुई थी, जिनमें प्रयुक्त भाषागत व्यंजनों को ध्यान में

रख कर कीलहाने तथा कीय प्रभृति विद्वानों ने यह विचार व्यक्त किया था कि पुराणों का पाणि अथवा अन्य किसी प्राकृत से संस्कृत में रूपान्तर किया गया है और उस रूपान्तर में मूल के अवशेष बच-सच रह गए हैं।¹⁶ इस प्रकार साहित्य तथा बोलचाल की प्राकृतों में अन्तर रहा है। जो प्राकृत बोलियाँ संस्कृत के प्रभाव से दूर रही हैं, वे अधिक परिणमनशील एवं विकासशील रहीं। भारत के बाहर के देशों में मिले प्राकृत भाषाओं के नमूनों में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से लक्षित होती है।

मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा की द्वितीय अवस्था (२,००ई० ६,००ई०) में परिवर्तनशील प्रवृत्तियाँ अधिक स्पष्टता के साथ परिलक्षित होती हैं। सन्नान्ति काल में कथन किया जा चुका है कि स्वरमध्यग अधोष स्पर्श व्यंजन सघोष होने लगे थे। ईसा की तीसरी चौथी शताब्दी में उच्चारण की इस प्रवृत्ति में अभिनव परिवर्तन प्रकट हुए, जिन्होंने मध्य भारतीय आर्यभाषा का रूप बहुत बदल दिया। स्वरमध्यग सघोष स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण में शिथिलता आ गई, जिस से वे ऊष्मध्वनि के समान बोले जाने लगे। यह स्थिति बहुत काल तक नहीं रही और कुछ समय बाद ही सघोष व्यंजन ध्वनियों छुट होने लगीं।¹⁷ इस से द्वितीय अवस्था में बहुत परिवर्तन आ गया। इस परिवर्तन का एक मुख्य कारण उठ खड़ी होने वाली बोलियाँ का बढ़ता हुआ प्रभाव भी था। वास्तव में, संस्कृत के नाटकों तथा प्राकृतभाषा के साहित्य में भाषा का जो आदर्शरूप मिलता है, उसे हम साहित्यिक प्राकृत के नाम से जानते हैं।

आ० भरतमुनि ने प्राकृत का 'जातिभाषा' अर्थात् जनभाषा के रूप में उल्लेख किया है। उसकी प्रवृत्ति का संकेत करते हुए उन्होंने तीन रूपों का निर्देश किया है तत्सम, विभ्रष्ट और देशी। उनके अनुसार सस्कारहीन भाषा प्राकृत है और सस्कारयुक्त संस्कृत।¹⁸ आ० भरतमुनि, अभिनवगुप्त और लक्ष्मीधर के विचार समान हैं। प्राकृत जनभाषा थी और नाटक के पाठ्य लोकबोली में प्रयुक्त होते थे, इसलिए संस्कृत नाटकों का लगभग भाषा भाग प्राकृत से युक्त होता है। जिन पात्रों को संस्कृत भाषा के उच्चारण में कठिनाई होती थी तथा जो विशेष पदे लिखे नहीं होते थे, वे संस्कृत की बजाय प्राकृत में ही बोलते थे। दूसरे शब्दों में, प्राकृत को सय समझते थे, किन्तु संस्कृत केवल शिक्षावर्ग तक ही सीमित थी। संस्कृत के नाटकों में शौरसेनी, महाराष्ट्री, आदि प्राकृतों के अतिरिक्त जनबोलियों के रूप में अपभ्रंश के भी पद्य मिलते हैं। आ० भरतमुनि ने उत्तर-पश्चिम की जिस 'उकारबहुला' भाषा का उल्लेख किया है, वह अपभ्रंश के अतिरिक्त अन्य कोई भाषा नहीं है। इसी प्रकार से मध्यदेश की 'ओकारान्त' भाषा का निर्देश किया गया है, जो विशुद्ध प्राकृत थी। प्राकृत के प्रमुख पाँच भेद माने गए हैं—शौरसेनी, महाराष्ट्री, पेशाची, मागधी और अर्द्धमागधी। पुरुषोत्तमदेव ने 'प्राकृतानुशासन' में महाराष्ट्री, शौरसेनी और मागधी के अतिरिक्त प्राच्या, आवन्ती, शक्यारी, चाण्डाली, शाक्यी, टाक्यी, कैकेय पेशाची और शौरसेनपेशाची का भी स्वरूपनिर्देश किया है। यही नहीं, उन्होंने नागर और ज्ञाचड अपभ्रंश का भी विवेचन किया है।

विष्णु-अमरपुराण में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि प्राकृतलक्षण का विवेचन संक्षेप में किया गया है, विशेष प्रयोग लोक से जानना चाहिए। देश देशों में इन के जो पृथक् विभिन्न रूप मिलते हैं, उनका वर्णन करना सम्भव नहीं है, इसलिए लोक में जो अपभ्रंश सक्त हैं, उन्हें देशविदा से समझ लेना चाहिए।^{१००} आ० भरतमुनि ने सात प्रकार की प्राकृतों का उल्लेख किया है —^{१०१} मागधी, अवन्तिजा, प्राच्या, सौरसेनी, अद्रमागधी, वास्तीका और दाक्षिणात्या। प्राकृत के सबसे अधिक भेद २७ कहे गए हैं^{१०२} —

१ ब्राह्मि, २ लाट, ३ वैदभ, ४ उपनागर, ५ नागर, ६ बार्बर, ७ अवन्त्य, ८ मागध, ९ पाचाल, १० टकक, ११ मालव, १२ कैकेय, १३ गौड, १४ औद्री, १५ वैचपन्चात्य, १६ पाञ्च्य, १७ कौन्तल, १८ सैहल, १९ कालिंग, २० प्राच्य, २१ कार्णाट, २२ कान्य, २३ द्राविड, २४ गोजर, २५ आभीर, २६ मध्यदेशीय, २७ वैताल।

प्राकृतों में न तो व्यजनान्त शब्द हैं और न समासबहुलता। भाषा की वियोग दशा के सूचक चिह्न इस में परिलक्षित होते हैं। कृदन्तरूपों का प्रयोग आरम्भ होने लगा था और रूपों में पहले से बहुत सरलता आ गई थी। द्विवचन और आत्मनेपद का प्रयोग बिल्कुल हट गया था। नपुंसकलिंग ञ प्रयोग भी तिर्नोदिन कम होते गए। षष्ठी और चतुर्थी विभक्ति एक हो गई। वैकल्पिक रूपों की गृहलता होने लगी। अधिकांश तद्भव और देशी शब्दों का ही प्रयोग किया जाने लगा। देशी शब्दों में द्रविड और आस्ट्रिक एव कुछ ग्रीक, इरानी, अरबी, आदि शब्द भी प्रयुक्त होने लगे, क्योंकि जनबोलियों में उनका प्रयोग होने लगा था।

अपभ्रंश

मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषाओं की तीसरी अवस्था (६००-१,२०० ई०) अपभ्रंश की है। संस्कृत के वैयाकरण संस्कृत से भिन्न शब्दों को अपभ्रंश तथा भाषा को अपभ्रंश कहते हैं। उन की दृष्टि में 'प्राकृत' अव्युत्पादित तथा असंस्कृत (संस्कार रहित) भाषा है। इसी प्रकार अपभ्रंश संस्कृत या प्राकृत का अपभ्रंश रूप है। यहाँ पर यह ध्यान में रखने योग्य है कि जिस प्रकार किसी भाषा का शून्य में जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भाषा का यह सामान्य सिद्धान्त है कि कोई भाषा बोली को जन्म नहीं दे सकती। प्राकृतभाषा की प्राचीनतम रचनाओं को देखने से प्रतीत होता है कि प्राकृत युग में ही बोली के रूप में अपभ्रंश का जन्म हो गया था।^{१०३} अपभ्रंश प्राचीन भारतीय आर्यभाषाओं की अन्तिम अवस्था का नाम है। कुछ विद्वान् प्राकृतों की अन्तिम अवस्था को ही अपभ्रंश नाम देते हैं, इसी प्रकार कुछ लोग प्राकृत को ही अपभ्रंश समझते हैं। यह सच है कि प्राकृतों की प्रायः सभी विशेषताएँ अपभ्रंश में मिलती हैं, पर यह भी सच है कि अपभ्रंश प्राकृत से भिन्न है। दोनों की प्रकृति और प्रवृत्तियाँ भिन्न हैं।

अपभ्रंश प्राचीन भारतीय आर्यभाषाओं तथा नव्य भारतीय आर्यभाषाओं के बीच की कड़ी है, जो नव्य भारतीय आर्यभाषाओं की पुरोगामिणी कही जाती है। यह प्राकृतों की उस अन्तिम अवस्था का विकास है, जिसमें जन-जन की भावनाओं का समवेत स्वर अपने वास्तविक रूप में मुखरित हुआ था।¹¹¹ डॉ० जैन के अनुसार “अपभ्रंश को देशी कहा जा सकता है, पर एक निश्चित सीमा में। नई काव्यभाषा को देशी कहने की प्रथा इस देश में बहुत पुरानी है। स्वयं पाणिनि ने ‘संस्कृत’ को लौकिक भाषा कहा है (लोकै वेदे च)। संस्कृत नाम उन्होंने नहीं दिया। बाद में, भाषा शब्द संस्कृत के अर्थ में रूढ़ हो गया, लेकिन जब नई भाषाएँ उठीं तो संस्कृत से भेद बताने के लिए उन्हें प्राकृत नाम दिया गया। प्राकृत के बाद एक और भाषा काव्य का वाहन बनी। दसवीं सदी में पुण्यदन्त ने इसे ‘अपभ्रंश’ कहा है। स्वयम्भू शायद इसे ‘भाषा’ कहते थे, उन के ‘शाभिकभाषा’ शब्द से तो यही ध्वनि निकलती है।¹¹² आ० हेमचन्द्र ने भी ‘ग्राम्यभाषा’ के रूप में इस का उल्लेख किया है। अतः इन सब को देख समझ कर वही उचित प्रतीत होता है कि अपभ्रंश एक देशी परम्परा है। इस का जन्म पश्चिमोत्तर प्रदेश की प्राकृत बोली से हुआ, जो वैदिक काल से उस अंचल में जनबोली के रूप में प्रचलित रही है। अपभ्रंश का अधिकतर साहित्य पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा मध्यदेश में लिखा गया। राजेश्वर ने ‘काव्यमीमांसा’ में अपभ्रंश के कवियों का बैठने का स्थान पश्चिम में बताया है और इसे मारवाड़, वतमान पूर्वी पंजाब तथा महावर की भाषा कहा गया है। अतएव अपभ्रंश का प्रसार उत्तर पश्चिम से मध्यदेश की ओर हुआ होगा। राजशेखर के अनुसार उत्तर में संस्कृत, पूर्व में प्राकृत, पश्चिम में अपभ्रंश और दक्षिण में भूतभाषा का प्रचार था। मध्यदेश में बहुभाषाविदों तथा कई भाषाओं के जानकार कवियों का निवास था।¹¹³ गुजरात, पश्चिमी सौराष्ट्र और मारवाड़ में दसवीं-न्याारहवां शताब्दी में अपभ्रंश का विशेष प्रचार था।

प्राकृत काल में ही मध्यगव्यजनों के लोप की प्रवृत्ति प्रारम्भ हो गई थी, जो अपभ्रंशों में विशेष रूप से लक्षित होने लगी। ‘ओकारान्त’ की प्रवृत्ति ‘ह्रस्वादेश’ के कारण ‘उकारान्त’ हो गई और उत्तरवर्ती काल में ‘आकारान्त’ रूपों के प्रयोग की ओर भी उन्मुख हो गई। अपभ्रंश में निश्चित रूप से दो ही लिंग रह गए—पुंल्लिङ्ग और स्त्रील्लिङ्ग। विभक्ति रूपों में बहुत कमी आ गई। द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति लगभग समान हो गईं। प्रायः कृदन्त-रूपों का प्रयोग होने लगा। परसर्ग विकासोन्मुख होने लगे और छुप्तविभक्तिक पदों के प्रयोग दिनों-दिन अधिक बढ़ने लगे। एक ही शब्द के विविध रूप और प्रयोग लक्षित होने लगे तथा देशी रूपों का प्राधान्य हो गया। आ० भरत-मुनि (तीसरी शताब्दी) से ले कर सोलहवीं शताब्दी तक लगातार संस्कृत साहित्य के समालोचक तथा अपभ्रंश के कवि एवं अन्य साहित्यकार ‘देशी’ का भाषा के रूप में उल्लेख करते रहे हैं। प्राकृत के भी उद्योतनसूरि, पादलिप्तसूरि और कोउहल, आदि इसे ‘देशी’ कहते हैं। इसी परम्परा में विश्वामित्र ने अपनी भाषा को ‘दक्षिण वज्रवाचकनभिट्टा’ कहा है। प्राचीन आचार्य और वैयाकरण इस में एक मत हैं कि संस्कृत

को छोड़ कर सब भाषाएँ प्राकृत हैं। इसलिए आज तक महाराष्ट्र में मराठी को 'देशी' या 'प्राकृत' कहने का चलन है। मराठी के प्रसिद्ध सतों ने अपनी भाषा को 'देशी' कहा है।^{११५} रामानन्द, एकनाथ, नामदेव, आदि भारतीय सतों ने अपनी बानियों की रचना देशी भाषा में की है। कबीरदासजी ने स्पष्ट कहा है—'कबिरा ससकरत कूप जल, भाखा बहता नीर।' गोस्वामी तुलसीदास ने भी 'भाषा मनिति, गिरा ग्राम्य और मनिति मदेस एव की हैं प्राकृत' आदि कह कर इसी ओर संकेत किया है।

श्री एस० एन० घोषाल के अनुसार त्रियर्सन और अय भाषाशास्त्रियों ने अपभ्रंश और उस के विभिन्न रूपों को ठेठ बोलियों माना है, जिन का जन्म बोलचाल की प्राकृतों से हुआ और जिनका व्याकरणिक रूप तथा सघटन भी प्राकृतिक बोलियों से निमित्त हुआ। उन की अपेक्षा नाटकों की प्राकृत साहित्यिक तथा कुछ कृत्रिम रूप में मिलती है। अपभ्रंश ने साहित्य का स्थान छटी शताब्दी में प्राप्त किया।^{११६} यद्यपि अपभ्रंश का साहित्य सत्रहवीं शताब्दी तक लिखा जाता रहा, किन्तु आठवीं से तेरहवीं शताब्दी तक इस का साहित्य आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं और उन के साहित्य को विशेष रूप से प्रभावित करता रहा।

अपभ्रंश की विभिन्न बोलियों से आधुनिक भारतीय आयभाषाओं का जन्म माना जाता है। डॉ० भोलानाथ तिवारी के शब्दों में आज की आयभाषाओं की जननी व रूप में निम्नांकित अपभ्रंश बोलियाँ उल्लेख हैं —

- १ शौरसेनी से पश्चिमी हिन्दी, इसी अपभ्रंश के नागर रूप से—राजस्थानी, गुजराती, इसी अपभ्रंश के पावतीय अचल बोली रूप से पहाड़ी, २ पैशाची से लहदा और पंजाबी (शौरसेनी से प्रभावापन्न), ३ ब्राह्मण से सिंधी, ४ महाराष्ट्री से मराठी, ५ अधमागधी से पूर्वी हिन्दी, ६ मागधी से बिहारी, बंगाली, उडिया और असमिया।

इस प्रकार अपभ्रंश आधुनिक भारतीय आयभाषाओं की एक सामान्य भूमिका रही है।

आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं का जन्म बारहवीं शताब्दी के पूर्व किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। क्योंकि बारहवा शताब्दी के पूर्व किसी भी आधुनिक भारतीय आर्यभाषा की रचना नही मिलती। अधिकतर शिलालेख भी बारहवीं शताब्दी के और उसके बाद के मिलते हैं। डॉ० माताप्रसाद गुप्त रोड़ा कृत 'राउल्लेख' को जो कि धार का शिलालेख है, ग्यारहवीं शताब्दी का शिलालिखित काय मानते हैं। डॉ० भायाणी इसे अपभ्रंशकाय कहते हैं। वास्तव में यह उत्तरकालिक अपभ्रंश है, जो अबहट्ट के निकट है। सामान्य अपभ्रंश होने के कारण डा० गुप्त ने नायिका के छहों नखशिख रूप वणन को अवधी, मराठी, पश्चिमी हिन्दी, पंजाबी, बंगाली और मालवी इन छह बोलियों में वर्णित माना है। उन का यह भी कथन है कि सम्पूर्ण शिलालेख एक ही बोली में पुरानी दक्षिणी कोसली में निबद्ध है। वास्तव में, यह परस्पर विरुद्ध कथन है। तथ्य यही है कि पूरा शिलालेख उत्तरकालिक अपभ्रंश में लिखा गया है, जो आ० भा०

आर्य भाषाओं की सामान्य भूमिका रही है, जिसे गुजराती 'जूनी गुजराती', राजस्थानी या मारवाड़ी 'प्राचीन राजस्थानी', बयाली, मराठी 'प्राचीन बागला', 'प्राचीन मराठी' और बिहारी, उड़िया, असमिया, आदि अपनी प्राचीन भाषा मानते हैं। ब्रज और हिन्दी के लोग इसे 'पुरानी हिन्दी' कहते हैं। इसके उदाहरण हैं — "त्रिष जोह पबज्जइ बंट किय" (पृथ्वीराजरासो, २११, ४), तथा — "मदगंध गयदनि सुक्कि गय" (वहीं, २८८, ४)। पं० गुलेरी के शब्दों में "विक्रम की सातवीं शताब्दी से ग्यारहवीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिन्दी में परिणत हो गई इस में देशी की प्रधानता है। विभक्ति घिस गई हैं, खिर गई हैं, एक ही विभक्ति 'ह' या 'आह' कई काम देने लगी है। एक कारक की विभक्ति से दूसरे का भी काम चलने लगा है। वैदिक भाषा की अविभक्तिक निर्देश की विरासत भी इसे मिली। विभक्तियों के खिर जाने से कई अव्यय या पद छुट विभक्तिक पद के आगे रखे जाने लगे, जो विभक्तियाँ नहीं हैं। त्रियापदा में मार्जन हुआ।" इस पुरानी हिन्दी से ही हिन्दी का विकास विकास हुआ है। कुछ विद्वान् अपभ्रंश और हिन्दी व बीच में 'अवहट्ठ' को भी बीच की एक अवस्था मानते हैं। किन्तु 'अवहस', अवस तथा 'अवहट्ठ' आदि शब्द अपभ्रंश के ही पयायवाची हैं। भाषा विकास की दृष्टि से भी अवहट्ठ अपभ्रंश की उत्तरकालिक अवस्था है। अपभ्रंश के आदि महाकवि स्वयम्भू ने आर्यदेव की रचना का एक उदाहरण दिया है —

काह करउ हउ माए, पिउ ण गणइ लग्गी पाए,
मण्णु धरतेहौ जाइ, कटिण उत्तरग भणाइ।

इस की ब्रजभाषा से तुलना कीजिए वा करौ हौं माइ, पिउ न गणै लग्गी पाए।
राजस्थानी में तो आज भी बोलते हैं पाए लागी, पिउ ण गणै, काइ करउ। इसी प्रकार का एक अ्य उदाहरण है —

मल्ला हुआ जो मारिआ बहिणि महारा कतु।

खड़ी बोली में—भला हुआ जो मार्या बहिन हमारा कन्त।

इसी प्रकार—ढोल्ल मह तुह वारिया मा कुरु दीहा माणु।

हिन्दी में शब्दानुवाद है—ढोल मैं तुहु वार्या मा कर दीरघ मान।

डॉ० सिंह के शब्दों में "आ० हेमचन्द्र के अपभ्रंश दोहों की भाषा ब्रज के और भी नजदीक मालूम होती है। मारव, सक्षेप, लोच और शब्दों के अत्यन्त विकसित रूपों के कारण इस भाषा का स्वरूप प्रायः पुरानी ब्रज जैसा ही है। नीचे कुछ चुने हुए वाक्य उद्धृत किए जाते हैं" —

अपभ्रंश

ब्रज

१ अगहि अग न मिलिउ ४।३३२

१ अगहि अंग न मिलो

२. हउ किन जुत्तउ दुहु दिसहि ४।३४०

२ हौं किन जुत्तों दुहु दिसहिं

३ कम्पीहा पिउ-पिउ भणवि कित्तिउ क्वहि

३ पपीहा पिउ पिउ मनि कित्ति

ह्वास ४।३८२

क्यै ह्वास

- | | |
|--|---|
| ४ जह ससणेही तो मुबइ जह खीवइ विजेह
४।३६७ | ४ जो खखनेही तो मुवै जो खीवै
विनुनेह |
| ५ वप्पीहा कइ बोखिएण निग्घिण वारइ
वार । सायरि भरिया विमल जल लहइ
न एकइ घार ॥ ४।३८२ | ५ पपीहा कै बोखिए निर्घुण वारहि
वार । सागर भरियौ विमल जल
लहै न एकौ घार ॥ |
| ६ साव सलोणी गोरडी नवखी कवि विस
गठि | ६ साव सलोनी गोरी नोखी किस
क गांठि । |

इस प्रकार की अनेक अद्भुतियाँ, पत्तियाँ, दोहे ब्रजभाषा से मिलते जुड़ते हैं। अब 'शाउलवेल्' की टक्की भाषा का नमूना प्रस्तुत है, जिसे डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने अपभ्रंश की स्थिति से निकल कर आधुनिक औत्किक भाषा की स्थिति में माना है।^{११}

केहा टेखिएपुत तुहु झाखहि । अ दु बेहु तुहु आख (हि) ॥
बेहु एककु सौ एथु वन्निजइ । अक्खदह ही आ भिज्जइ ॥
अड्डा केह पाहु जो बदा । सोपर तेहा गोरी लडा ॥
चद सवाणा टीका किय्यइ । जे मुहु एक्येणवि मडिय्यइ ॥

यहाँ पर 'टेखिएपुत (तु)', तुहु, एककु, बेहु, पाहु, आदि स्पष्ट रूप से अपभ्रंश के शब्द हैं। इसी प्रकार वन्निजइ, भिज्जइ, किय्यइ (किज्जइ) और मडिय्यइ, आदि अपभ्रंश के क्रिया पद हैं। यहाँ तक कि 'तुतुवशतक' की भाषा जो कि उर्दूनिष्ठ है अपभ्रंश के निकट है

जउ जोरौ तउ तुज्ज ही जउ गौरा तउ तुज्ज ।
एह करदा मुज्ज हइ अउर करदा बुज्ज ॥ ३७ ॥
साहिब सौ सरत्तियाँ हू (हउ) मालन हइ कम्म ।
जिउ किउ दकरा पल्लियाँ जाणि विलग्गइ अब ॥ ९ ॥

वस्तुतः उक्त भाषा अपभ्रंशनिष्ठ हिन्दुस्तानी है। पढ़ने के साथ ही बोल चाल के भाषा रूप स्पष्ट हो जाते हैं। वास्तव में, भाषा का यह प्रवाह परम्परागत है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि हिन्दी का जन्म किसी विदेशी भाषा से न हो कर लोकबोली अपभ्रंश से हुआ है, जो पश्चिमोत्तर प्रदेश की तथा मध्यप्रदेश की जनता में प्रचलित रही है। केवल हिन्दी की प्रवृत्ति पर ही नहीं, प्रकृति पर भी अपभ्रंश का अत्यन्त प्रभाव परिलक्षित होता है। हिन्दी की आकारान्त प्रवृत्ति तो अपभ्रंश से रिकथ रूप में मिली है। वैसे पुरानी रचनाओं में उकारान्त प्रवृत्ति भी लक्षित होती है। किंतु हिन्दी भाषा और उस के क्षेत्र का सीधा सम्बन्ध 'उकारबहुला' अपभ्रंश से रहा है। श्री 'फिराक' गोरखपुरी का यह कथन उचित ही है कि यद्यपि भाषाशास्त्र की दृष्टि से उर्दू का आधार पश्चिमी उत्तरप्रदेश तथा पूर्वी पंजाब के हरियाना प्रदेश की प्राचीन भाषा शौरसेनी प्राकृत है और यद्यपि उर्दूसाहित्य का मुख्य विकास उत्तरभारत में ही हुआ, तथापि इस भाषा में साहित्य-सर्जन के पहले नमूने हमें लगभग एक हजार मील दूर दक्षिण में मिलते

हैं।^{१२०} जो लोग यह कहते हैं कि संस्कृत से हिन्दी का जन्म हुआ है, वे भूल जाते हैं कि हिन्दी में तत्सम शब्दों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति उस समय आई, जब उर्दू की कच्चीरी की तथा राजकीय भाषा बनाने के प्रयत्न चल रहे थे। बारहवीं शताब्दी के बाद लगभग छह सौ वर्षों तक हिन्दी-भाषी जनता पर तुर्क, अफगान तथा मुगलों का शासन रहा। अतः इस समय सैकड़ों विदेशी शब्द प्रायः बोलियों तक में घुस आए। तुर्की और अरबी जैसे वैष्णव महाकवियों की विशुद्ध हिन्दी भी विदेशी शब्दों के प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकी। हिन्दी में प्रचलित विदेशी शब्दों में सब से अधिक संख्या फारसी शब्दों की है, क्योंकि समस्त सुसलमान शासकों ने, चाहे वे किसी भी नसल के क्यों न हों, फारसी को ही दरबारी तथा साहित्यिक भाषा की तरह अपना रखा था। अरबी, तुर्की तथा पस्तो के शब्द फारसी के द्वारा ही हिन्दी में आए हैं।^{१२१} 'उर्दू' जो कि तुर्की शब्द है और जिसका अर्थ 'बाजार भाषा' है, उस के सर्वोत्तम कोश 'फरहगे आसफिया' के पचपन हजार के लगभग शब्दों में से उसी कोशकार के प्रयास से बत्तीस हजार के लगभग शुद्ध हिन्दी हैं, जो तद्भव और अर्द्धतत्सम के रूप में हैं। राजा शिवप्रसाद 'सितारे-हिन्द' के समय में कन्नहरियों में फारसी के स्थान पर उर्दू आ गई थी, और लिपि तथा भाषा का प्रश्न खुरी तरह से उलझ गया था। ऐसे समय में राजा शिवप्रसाद ने मिश्रित हिन्दी को अपनाया, जिसमें उर्दू फारसी शब्दों की बहुलता है। उदाहरण के लिए—

"अब इस नई जवान को अर्थात् उस प्राकृत को जिसमें फारसी और अरबी मिली, हिन्दी कहो चाहे हिन्दुस्तानी भाषा कहो, चाहे ब्रज भाषा, रेखता कहो, चाहे खरी बोली उर्दू कहो चाहे उर्दूहमुल्ला उस के बीज तभी से बोए गए जबकि महमूद गजनवी ने चढाई की और मुसलमानों की इस मुल्क पर तबजुह हुई आठ सौ बरस से जियादा गुजरते हैं।" किन्तु राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृतनिष्ठ शुद्ध हिन्दी के पक्षपाती थे। 'शकुन्तला नाटक' के हिन्दी अनुवाद में उन की भाषा का नमूना देखिए—

"हे देव, बुढापा भी मनुष्य को कैसी आपदा है। इस अवस्था में मनुष्य की बुद्धि बुझते दीपक के समान मन्द कमी चैतन्य हो जाती है। (इधर-उधर फिर कर देख कर) महाराज वह बैठे हैं, अभी अपनी प्रजा का सन्तान के सदृश समाधान करके एकान्त में गये हैं, जैसे गजराज दिन में सब हाथियों को इधर-उधर भेज कर आप शीतल छाह में विभ्राम लेने जाता है।"

हिन्दी भाषा का विकास राजा लक्ष्मणसिंह की भाषा की आदर्श लीक पर हुआ है। न तो इस में राजा शिवप्रसाद की चकती भाषा का प्रवाह है और न भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की भाषा की भौति पत्रकारिता की स्वीकृत पद्धति, वरन् एक मिला-जुला रूप है, जिस में आदर्श और शुद्ध हिन्दी कहने का अर्थ संस्कृत तथा तत्सम शब्दों की भरती है।

किसी भी भाषा का विकास ज्ञानने के लिए उस के सर्वनाम और किनापदों का अध्ययन विशेष रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक भाषा में अन्य भाषाओं

के अनेक शब्द मिलते हैं। तरह-तरह की भाषाओं के शब्दों को रचा पचा कर अपना बना लेना, यह सजीव भाषा का गुण माना जाता है। इस दृष्टि से हिन्दी में विषय की सभी प्रमुख भाषाओं के शब्द किसी न किसी रूप में मिलते हैं। जब भाषा का सब कुछ बदलने लगता है, तब सर्वनामों पर प्रभाव पड़ता है। हिन्दी के सर्वनामों का सम्बन्ध आज भी अपभ्रंश से सरलता से जोड़ा जा सकता है। हिन्दी के सर्वनाम हैं —

मैं, तुम, तू, हम, हमारा, मुझ, तुझ, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोइ, अपना, आप, इत्यादि। अपभ्रंश और हिन्दी दोनों में 'मैं' का प्रयोग कर्मणिवाच्य में होता है। अपभ्रंश में 'मह्' मैं के लिए और 'तह्' तू, या तैं के लिए प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार 'अम्ह' हम के लिए और 'अम्हार' हमारे अर्थ में आता है। 'मुज्झ' और 'तुज्झ' मुझ, तुझ के लिए और 'एह्', 'ओह्', यह, वह तथा 'एइ', 'ओइ' यही, वही, वो के लिए प्रयुक्त देखे जाते हैं। जु, जो, सु, सो, काइ, कउणु, कवणु, अप्पणु, आदि अपभ्रंश के सवनामिक रूपों से ही हिन्दी के सर्वनामों का विकास हुआ है। इन का सस्कृत से कोइ प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। 'कुतबशतक' में अपभ्रंश भाषा के जउ, तउ, तुज्झ, मुज्झ, बुज्झ, जग, कग, दिट्ठ, पिट्ठ, निट्ठ, समट्ठ, बुट्ठ, अ'भ, भज्ज, भग्ग, भम्म, थल्ल, हल्ल, लल्ल, दम्म, जिण, कुण, रुन्न, लिन्न, मज्झ, सज्झ, तत्त, रत्त, नयण, मयण, सट्ठि, लट्ठि, नट्ठ, पक्क, लोअ, आदि शब्द ही नहीं, वरन् क्लृप्ति, भयति, चुणति, विलग्गइ, उप्परि, लीणी, न जाणइ, अखत पटावउ, धरि धरि लग्गी लाइ, आदि कृदन्त रूप तथा क्रियापद भी परिलक्षित होते हैं। अतएव यह निश्चित है कि हिन्दी का विकास सस्कृत से न हो कर अपभ्रंश से हुआ है।

आधुनिक भारतीय आयभाषाओं में परसर्गों का विकास स्पष्ट रूप से प्राकृत तथा अपभ्रंश के प्रत्ययों से हुआ है। सम्बन्धकारक में अपभ्रंश में बप्पहो, बप्पकेरको, ये दो रूप बनते हैं। केर की भौति तण प्रत्यय भी अपभ्रंश में व्यापक रहा है। अवधी तथा छत्तीसगढ़ी भाषा में आज भी इन प्रत्ययों से निमित्त बहुत से शब्दों का प्रचलन है। गुजराती में 'तणा' प्रत्यय का प्रयोग होता है। श्री किशोरीदास वाजपेयी बगला के 'एर' प्रत्यय से इस का विकास मानते हैं। किन्तु बगला के कइ प्रत्यय तथा सर्वनामों का विकास अपभ्रंश से माना जा सकता है। अपभ्रंश में 'डार' प्रत्यय के संयुक्त होने पर अम्हार, तुम्हार, आदि रूप बनते हैं। बगला का आमार, गुजराती का म्हेर, राजस्थानी का म्हारा, आदि रूप अपभ्रंश के प्रत्ययों से विकसित हुए हैं।¹⁴ अवधी में 'कर' भोजपुरी, मगही और मैथिली में 'क', असमिया में 'र' और छत्तीसगढ़ी में 'के' एव कर तथा राजस्थानी में 'रा' को अपभ्रंश के 'केर' के 'र' का अर्थ माना जा सकता है। रामचरितमानस, पदमावत और कबीर की रचनाओं में स्पष्ट रूप से केर या केरा प्रत्यय का प्रयोग मिलता है।¹⁵ इसी प्रकार हिन्दी के भाववाचक 'पन' प्रत्यय का विकास अपभ्रंश के 'प्पणु' प्रत्यय से हुआ है। राजस्थानी और डिगल में यह 'पण' मिलता है। इसी तरह से क्रियार्थक क्रिया 'कर' का विकास अपभ्रंश के 'इ' के रूप में

रामचरितमानस में लक्षित होता है, जैसे 'कहिइउ देखि प्रीति अति तोरी।' यहाँ पर 'देखि' का अर्थ देख कर है। 'स्वारथ लागि करहि सबप्रीति' इस में 'लागि' परसर्ग के लिए अर्थ में प्रयुक्त है, जो अपभ्रंश के 'लगि' से विकसित हुआ है। इसी प्रकार प्राकृत अपभ्रंश के 'इल्ल, उल्ल' प्रत्ययों से हिन्दी में 'वाल्ड' प्रत्यय प्रचलित हुआ है। अपभ्रंश के स्वारथिक प्रत्यय 'अ, उ और उल्ल' से हिन्दी के 'आ' (साजना, बलमा, मोहना आदि), 'डा' (मुखडा, दुखडा), 'रा' (हिवरा, जियरा, पपीहरा), 'ला' (चूडला, छुडला, गदोला) और 'टा' (छिनट्टा, चोट्टा, त्विरोटा, बहूटी), आदि का विकास हुआ है। हिन्दी की सहायक क्रिया 'है' का विकास भी अपभ्रंश के 'हइ' से हुआ है। 'कुतबशतक' में "साहिजादा हसता हइ। पग देखि देखि ऊरुसता हइ। साहिजादइ दीनी हइ।" में 'हइ' का प्रयोग मिलता है। मारवाड़ी में आज भी 'हुवइ' 'हुअइ', 'हुह' आदि प्रयोग प्रचलित है। ब्रज में 'हवे', कन्नौजी में 'हैगो', बुन्देली में 'हओ' हअ, वैसवाड़ी में 'आहि', मगही में 'हइ' और छत्तीसगढी में 'हवे' मिलता है। पश्चिमी अवधी और बघेली में इसका शुद्ध रूप 'है' ही है। आबू सिरोही क्षेत्र की भाषा में भी 'है' प्रयोग चलता है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने 'अहै' का प्रयोग किया है। इसी प्रकार अपभ्रंश के 'यिय' से हिन्दी का 'था' विकसित हुआ है। हिन्दी क्रिया-रूपों के विकास में पुरानी हिन्दी के क्रियारूपों का पर्याप्त योगदान है। अपभ्रंश-काल से ही वृद्धन्तों के योग से क्रियाविभाव की पद्धति चली आ रही है। परन्तु, वास्तव में, इस प्रवृत्ति का पूरा विकास पुरानी हिन्दी से ही दिखाई देता है। इसी के प्रभावस्वरूप आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं में संयुक्त क्रियाओं का महत्त्वपूर्ण प्रयोग देखा जाता है।¹⁴ इतना ही नहीं, संस्कृत में क्रियाओं में लिंग भेद नहीं है किन्तु हिन्दी में है। अपभ्रंश से ही यह हिन्दी में आया है। एक उदाहरण देखिए —

पाइ बिलगगी अतडी सिरु ल्हसिउ खंधसु ।

तथा—पहिया दिटठी गोरडी दिट्ठी मम्गु निअत ।

चलेहि बल्लंतेहि लोअणेहि जे तई विट्ठा बालि ।

इसी प्रकार लग्गा, लग्गी, बइट्टा, बइट्टी, चल्ला, चल्लिय, चल्ली, थक्का, थक्की, थक्कइ, आदि क्रिया रूपों में लिंग भेद की विकासोन्मुख प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से लक्षित होती है। अतएव सभी दृष्टियों से पुरानी हिन्दी से वर्तमान हिन्दी का विकास मानना उचित और प्रामाणिक सिद्ध होता है। केवल हिन्दी के ही नहीं, गुजराती, मराठी, आदि भारतीय आर्यभाषाओं के ठेठ या देशी शब्द अपभ्रंश परम्परा के हैं।¹⁵ पुरानी और आधुनिक हिन्दी में यह भेद स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

हिन्दी भाषा की सवैधानिक स्थिति

इस देश की सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी को प्रतिष्ठित करने के प्रयत्न लगभग पचास वर्षों से चल रहे हैं। सन् १९२० में भारत की स्वतन्त्रता का सन्नाह आरम्भ हुआ था। उस समय देश के बड़े-बड़े नेता, शिक्षाशास्त्री और भाषावैज्ञानिक राष्ट्रभाषा के

रूप में हिन्दी के महत्त्व का प्रतिपादन कर चुके थे। स्वयं राष्ट्रपिता स्व० महात्मा गांधी किस प्रकार देश की स्वतन्त्रता के लिए सकस्य ले चुके थे, उसी प्रकार राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को अंगीकार कर चुके थे। काका कालेलकर के शब्दों में "अब गांधी जी ने मुझे राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार का कार्य सौंप दिया। मेरा क्षेत्र एकदम विद्यालय हो गया। हिन्दी को हम ने इसलिए पसंद किया कि उस में भारत की सब भाषाओं का समन्वय करने की शक्ति है। आज जिसे हम भावात्मक एकता कहते हैं, और जिसे मैं सांस्कृतिक समन्वय (Cultural integration) कहता हूँ, उस की शक्ति सन्तों के आशीर्वाद से हिन्दी में है। यह देख कर उसी हिन्दी का भारत की राष्ट्रभाषा के तौर पर प्रचार करने का काम गांधी जी ने शुरू किया।"^{१२५} भारत में ब्रिटिश-शासन स्थापित होने के अनन्तर अंग्रेजों ने एक सम्पर्क भाषा बनाने के लिए कई बार विचार किया था। परिणामस्वरूप मिशनरी केन्द्रों की स्थापना और पीट विलियम कॉलेज की संस्थापना की गई। बाद में आर्थसमाजियों ने हिन्दी भाषा व प्रसार के लिए बहुत कार्य किया। पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी, माधवराव सप्रे, श्री पुरुषोत्तमदास टडन और सेठ गोविन्ददास, आदि ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अग्रसर हो कर कार्य किया। १६ मार्च, १९२७ को 'कौंसिल ऑव स्टेट' में सेठ गोविन्ददासजी ने माँग की कि भारतीय विधान-मंडल में हिन्दी या उर्दू में भी भाषण करने की अनुमति मिलनी चाहिए।^{१२६} इसी प्रकार देश के स्वतन्त्र हो जाने पर सेठ जी की माँग थी कि संविधान मूल में राष्ट्रभाषा में बने, क्योंकि बिना राष्ट्रभाषा के कोई देश राष्ट्र नहीं हो सकता। राष्ट्र की अपनी मातृभाषा होनी चाहिए। यही विचार कर देश की संविधान परिषद् ने १४ सितम्बर, १९४९ को हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में और देवनागरीलिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में स्वीकृति दे दी। किन्तु संविधान सभा से अभी तक राजभाषा विधेयक स्वीकृत नहीं हो पाया था। यह कार्य २६ जनवरी, १९६५ को संविधान के अनुच्छेद ३४३ व अधीन हिन्दी सच को राजभाषा बना देन से पूर्ण हो गया। इस से सरकारी न्यायालयों में हिन्दी के प्रयोग की रुचि और प्रेम उत्पन्न हो गया है। इस देश की लगभग १५ करोड़ जनता में से २३ करोड़ लोग हिन्दीभाषी हैं। इस प्रकार संसार में हिन्दी भाषियों का तीसरा स्थान है। आज तो अनेक देशों में हिन्दीभाषी लोग रहते हैं और विभिन्न देशों में हिन्दी में शिक्षण दिया जाता है। विश्व के लगभग सभी बड़े देशों में हिन्दी के अध्ययन अध्यापन कार्य चल रहे हैं। देश में राजभाषा के रूप में सैधानिक मान्यता मिल जाने पर हिन्दी के व्यापक प्रचार, शिक्षण एवं प्रसार के लिए केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना हो चुकी है। इस के अन्तर्गत 'भाषा' पत्रिका के प्रकाशन से ल कर हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली एवं शब्दकोश, महत्त्वपूर्ण अंग्रेजी पुस्तकों के प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद, हिन्दी टाइप-राइटर और टेलिप्रिंटरों का निर्माण, प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना और विचार-गोष्ठियाँ, आदि कई प्रकार के महत्त्वपूर्ण कार्य किए जा चुके हैं और अब भी किए जा रहे हैं। शिक्षा तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली

आयोग, दिल्ली और केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा हिन्दी के बहुविध विकास में संलग्न हैं। निदेशात्मक और आयोग के तत्वावधान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानसिकी और समाज विज्ञान, भौतिकी एवं आयुर्विज्ञान, तकनीकी, कृषि आदि क्षेत्रों तथा प्रशासन की अखिल भारतीय पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। सम्प्रति पारिभाषिक शब्दकोशों एवं समाज-विज्ञान के विद्वत्कोश पर कार्य हो रहा है। भारत के सविधान के अनुच्छेद ३५१ में स्पष्ट रूप से हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश है —

“केन्द्रीय सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा के विकास को इस प्रकार उन्नत बनाए कि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के समस्त तत्त्वों की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए विकसित हो सके तथा हिन्दुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों को रूप और शैली में हस्तक्षेप किए बिना आत्मसात् करते हुए और अपनी शब्दावली के लिए जहाँ आवश्यक अथवा अपेक्षित हो, प्राथमिक रूप में संस्कृत तथा गौण रूप में अन्य भाषाओं से शब्द ले कर उसे सम्पन्न बनाए।”

हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप में

एक भाषाशास्त्री की दृष्टि में हिन्दी में राष्ट्रभाषा के गुण अन्तर्निहित हैं। हिन्दी की सब से बड़ी विशेषता सरलता और व्यक्तता है। इस के अतिरिक्त हिन्दी के पास सर्वनात्मक शक्ति भी पर्याप्त है। नए नए शब्दों की रचना में हिन्दी विश्व की किसी भी भाषा से पीछे नहीं है। आवश्यकता है, ठीक ने भावों को व्यंजित करने के लिए उचित शब्दों के प्रयोग की। हिन्दी के स्वाभाविक विकास के लिए यह उचित ही नहीं, आवश्यक भी समझा जाता है कि क्षेत्रीय बोलियों से यथेष्ट शब्दों को ग्रहण कर यह अपनी सम्पत्ति अर्जित कर सकती है। हिन्दी भाषा में संस्कृत-शब्दों का ग्रहण उपयोगी और लाभदायक है, किन्तु हिन्दी भाषा को सर्वथा संस्कृत ही बना देना लाभदायक नहीं है। इसी प्रकार संस्कृत शब्दों की भरमार से वस्तु-संस्त भाषा की प्रतिक्रियास्वरूप हिन्दुस्तानी को चलाते रहना भी उचित नहीं है। सामान्य रूप से हिन्दी भाषा की प्रकृति के अनुसार जैसी उस की ग्रहणशीलता और प्रवृत्ति है, उस के अनुसार ही इस भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए। महामहोपाध्याय श्री गिरधर शर्मा चतुर्वेदी ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए हिन्दी में अप्रसिद्ध शब्दों और जटिल संज्ञाओं के नमूने प्रस्तुत करते हुए कहा था कि आवश्यकतानुसार हिन्दी में संस्कृत शब्दों का ग्रहण होना चाहिए, इसे सर्वथा संस्कृत ही बना देना लाभदायक नहीं है। उदाहरण के लिए^{१५}—सकलक्षयशैलश्रृंग, अनल्पकल्पकल्पना, जलप्रशान्तरेणुकाभयमार्ग, सहानुभूति-जनित हृदयसमता, शुभाग्नि सुपचना, सुकला सुकला, सत्पुष्पसौरभक्षती, गिरिशृंगस-किनी, इत्यादि।

व्यर्थ में, देश की भावात्मक एकता के सम्बन्ध में सन्देह नहीं होना चाहिए।

भावात्मक एकता से हमारा अभिप्राय विभिन्न मतों और जातियों की भिन्न-भिन्न विचारधारा में समन्वय और एकात्मकता से है। भाषा के सम्बन्ध में भी यही सजीवता हो सकती है। जिस प्रकार भाषा की चेतना उस की अभिव्यक्ति में निहित है, उसी प्रकार राष्ट्र की चेतना राष्ट्रभाषा में स्पन्दित होती है। अतएव हमें इस बात पर ध्यान दिए बिना कि कहाँ की भाषा (उत्तर या दक्षिण, पूर्व या पश्चिम की भाषा) राष्ट्रभाषा है, उस के प्रति यथाय अनुराग रख कर सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को स्फुरित करना चाहिए। कबीर के ही शब्दों में—

का भाखा का सतकिरत, प्रेम चाहिए साँच ।

हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाएँ

हिन्दी के राष्ट्रभाषा बन जाने के कारण उस का क्षेत्र व्यापक हो गया है। आज वह अन्तरराष्ट्रीय भाषा का स्वरूप ग्रहण करने लगी है। प्रायः दक्षिणभारत के लोग यह समझते हैं कि हिन्दी को संस्कृत के माध्यम से सरलता से सीखा जा सकता है, किन्तु यह केवल भ्रम है। हिन्दी में कुछ शब्द ही नहीं, कई ऐसे नियम हैं जिन का सम्बन्ध संस्कृत से नहीं है। संस्कृत के तत्सम शब्दों को ग्रहण करने की हिन्दी की प्रवृत्ति का इतिहास वास्तव में हिन्दी भाषा आन्दोलन से सम्बद्ध है, इसलिए वह आधुनिक युग की देन है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए हिन्दी की प्रगति और विकास के लिए यह उचित और न्यायसंगत प्रतीत होता है कि हिन्दी को अन्य प्रान्तीय भाषाओं से भी बहुत कुछ ग्रहण करना चाहिए क्योंकि यह हिन्दी की एक परम्परा रही है। डॉ० राजनारायण मौय ने शब्दों में “सम्पूर्ण महागण्ड में हिन्दी के तीन रूप मिलते हैं— नागपुरी हिन्दी, दक्खिनी हिन्दी और शिष्ट हिन्दी। हिन्दी की प्रकृति को ध्यान में रख कर यदि मराठी से कुछ लिया जा सकता है, तो केवल शब्द भण्डार।”^{१०} प्रो० ना० नागप्पा के अनुसार कन्नड में मुहावरों और लोकोत्तियों की सञ्चल परम्परा है, जिसे हिन्दी में ग्रहण किया जा सकता है। कन्नड में ही नहीं, बल्कि बंगाल, मलयालम और गुजराती आदि में सांस्कृतिक विशिष्टता के ऐसे अनेक शब्द, मुहावरे और लोकोत्तियाँ हैं, जिन्हें हिन्दी में ग्रहण किया जा सकता है। डॉ० भवानीदत्त उप्रेती के शब्दों में “पहाड़ी भाषाओं में अनेक ऐसी शब्दावलियाँ और अभिव्यक्तियाँ हैं जो हिन्दी में नहीं पाई जाती, अतः उन्हें लिया जा सकता है। हिन्दी और कश्मीरी में कुछ समान शब्दावली भी है, जिस में थोड़ा बहुत उच्चारण में अन्तर भी है, लेकिन अपनी प्रकृति में अनुसार उस का समान रूप में उपयोग किया जा सकता है।”^{११} हिन्दी के विकास में तेलुगु बहुत सहायक हो सकती है। कहा जाता है कि जितना अधिक लचीलापन तेलुगु भाषा में है, उतना अन्य किसी भाषा में नहीं है। डॉ० तेजनारायण लाल के अनुसार अथत्त्व और सम्बन्धत्त्व दोनों भाषाओं में समान हैं। उपसर्ग, परसग तथा प्रत्यय लगाने की प्रकृति भी हिन्दी और तेलुगु में समान है। इतना ही नहीं, कई ठेठ तेलुगु शब्द दक्खिनी हिन्दी में अपनाए जा चुके हैं। हिन्दी और तेलुगु में बहुत अधिक

समानचार्य भी हैं।^{१२} प्राकृत और पाणि के माध्यम से भी हिन्दी और तेलुगु में महत्त्व सम्बन्ध है। अतएव हिन्दी को अपनी प्रकृति के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषाओं से भी शब्दादि को ग्रहण करना चाहिए।

लिपि और भाषा

लिपि भाषा का मूर्त रूप है। भाषा मौखिक है और उस का लिखित रूप लिपि है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि इस वैज्ञानिक युग में भी अमेरिका, अफ्रीका, आदि कई देशों की सड़कों भाषाओं को अभी तक लिखित रूप नहीं मिल सका है। यद्यपि भाषाशास्त्र में संसार की प्रत्येक भाषा के ध्वन्यात्मक रूप को लिपि में अंकित किया जा सकता है, किन्तु स्वतन्त्र भाषा की ध्वनियों की अकनव्यवस्था के रूप में वर्णमाला की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है। विगत दो तीन दशकों में अनेक अलिखित भाषाओं को लिखित रूप देने के लिए भाषा विशेष की ध्वनियों के अनुरूप वर्णमाला निमित्त करने की विधि का प्रचलन किया गया है, जिस से उस का ध्वन्यात्मक तथा स्वनिमात्मक प्रतिलिखन किया जा सके। क्योंकि वर्णमाला ही एक ऐसी प्राचीनतम पद्धति है, जिस से ध्वनियों को साकेतिक चिह्नों में लिपिबद्ध किया जा सकता है। इन साकेतिक चिह्नों की अकन पद्धति का ही 'लिपि' के नाम से अभिहित किया जाता है। डॉ० कैलाशचन्द्र भाटिया के शब्दों में "यदि वर्णमाला किसी भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों की वैज्ञानिक व्यवस्था है, तो लिपि उस वर्णमाला को दृश्य साकेतिक चिह्नों में परिवर्तित करने की विधि मात्र है।"^{१३} वर्णमाला और लिपि में अन्तर यह है कि वर्णमाला ध्वनियों की साकेतिक चिह्नात्मक पद्धति है और लिपि उन साकेतिक चिह्नों के अकन की विधि है। अतएव लिपि को दृश्यभाषा भी कहा जाता है। लिपि चक्षुःग्राही है और भाषा श्रोत्रग्राही। भाषा उच्चरित एव मौखिक है और लिपि अंकित एव दृश्य है। दूसरे शब्दों में, भाषा को अंकित एव स्थायित्व देने की विधि को लिपि कहा जा सकता है। जिस प्रकार भाषा एक प्रतीकात्मक पद्धति है उसी प्रकार लिपि भी एक प्रतीकात्मक पद्धति है। दोनों में अन्तर केवल इतना है, कि भाषा श्रोत्रग्राह्य प्रतीकों की पद्धति है और लिपि चक्षुःग्राह्य प्रतीकों की पद्धति है। भाषा को सुरक्षित बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से लिपि का प्रयोग किया जाता है। लिपि का कार्य है—भाषा के ध्वन्यात्मक रूप को साकेतिक चिह्नों में अंकित करना।

मनुष्य में अमर होने की भावना अदम्य है। प्राणी मात्र का व्यक्त रूप भाषा है। मनुष्य के मन में जब अपने व्यक्त रूप को चिरस्थायी बनाने की प्रबल आकांक्षा उत्पन्न हुई होगी, तभी लिपि का जन्म हुआ होगा, मले ही लिपि का प्रचलन लेख के रूप में बहुत बाद में हुआ हो। क्योंकि भाषा और लिपि दोनों का मुख्य उद्देश्य भाषा की अभिव्यक्ति करना है। लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग सम्भवतः घटनाओं और दृश्यों के चित्रात्मक अकन के रूप में किया जाता था। विश्व के कई देशों में और भारत में भी पाषाण-युग के विभिन्न भिन्न चित्र गुफाओं में अंकित मिलते हैं, जो प्रतीक-चित्र

हैं। मुख्य रूप से लिपि के विकास की चार अवस्थाएँ मानी जाती हैं : प्रतीकलिपि, चित्रलिपि, भावलिपि और ध्वनिलिपि।

प्रतीकलिपि

भाषा का लिपि के साथ गहरा सम्बन्ध है। वाणी को प्रत्यक्ष रूप से हृदयंगम करने के लिए लिपि का जन्म हुआ। अत्यन्त प्राचीन काल में भाषा और लिपि अपनी मूल अवस्था में थे। इसलिए उन में सक्षिप्तता विशेष रूप से विद्यमान थी। केवल भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व के विभिन्न देशों में प्रतीको के माध्यम से सन्देश भेजने की रीति प्रचलित थी।^{१११} युद्धस्थल में युद्ध के पृथक् तीर भेजना, बहनों का रक्षा व धनसूत्र भेजना, विवाह के पूर्व रुग्ण-पत्रिका के साथ पीले चावल भेजना, विवाह में हल्दी की गूँठ बाँधना, आदि सामाजिक कार्यों में आज भी प्रतीको के द्वारा भाषागत अभिप्रायों का बोध होता है।

चित्रलिपि

चीनी विशेष रूप से प्रतीकात्मक चित्रलिपि है। सामान्य रूप से यह मान लिया गया है कि लेखन पद्धति का विकास चित्रात्मक चिह्नों से हुआ है।^{११२} वास्तव में, यह वस्तु के चित्राफन की विधि है। इसी के विकास चिह्न हमें रज्जु या ग्रन्थलिपि, रेखालिपि, भाव प्रकाशनलिपि, ध्वनिप्रकाशक चित्रलिपि और व्यञ्जनमूलक लिपि में देखने को मिलते हैं। प्राचीन जैन हस्तलिखित ग्रन्थों में लेखक यदि तेली है तो अपना नाम, गोन न लिख कर कोरुह का बैल चित्रित कर के अपने आप को व्यक्त करता था। इस प्रकार अपने अपने कार्यों के द्वारा चित्र रूप में अपने आप को अभिव्यञ्जित करने की पद्धति अत्यन्त प्राचीन है। इस प्रकार के चित्र शिलाओं, वृक्ष की छालों, जीव जन्तुओं के चर्मों, हड्डियों, सींगों और दाँतों, आदि अनेक वस्तुओं पर चित्रित उपलब्ध होते हैं। ये चित्र कैल्पोनिया की घाटियों, स्काटलैण्ड की शिलाओं, ओहियो रियासत की वृक्षछालों, लैपलैण्ड में ढोनों ओर ओवर्न (फ्रांस) में सींगों पर उत्कीर्ण आज भी मिलते हैं। एक सम्पूर्ण घटना चक्र को चित्रों के रूप में प्रकाशित करने की प्रथा अमेरिका के आदिवासियों में प्रचलित थी। भिन्न भिन्न वस्तु के लिए भाव बोधन के चित्र सनेत (Ideograph) मैक्सिको तथा मिस्र के आदिवासियों में भी प्रचलित थे।^{११३} इस प्रकार यह प्रत्येक देश में विभिन्न वस्तुओं पर अंकित चित्रों के रूप में प्राप्त होती है। चित्र लिपि लेखन कला का प्राथमिक रूप माना जाता है। वर्ण-माला का विकास लेखन चित्रों से हुआ है।^{११४} प्राचीन युग के मानव ने इस का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और यह लिपि मिस्र, मैसेपोतामिया, फोनेशिया, फ्रीट, स्पेन, दक्षिणीफ्रान्स तथा अन्य देशों में भी उपलब्ध होती है। मध्य-अफ्रीका, उत्तरी-अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया के प्राचीन मानव ने भी इस लिपि का उपयोग किया था। विभिन्न देशों में भोजपत्र, काष्ठपट्टिका, मृग तथा अय पशुओं के चर्म, अस्थि, हाथीदाँत एवं सभतल चट्टानों पर चित्रलिपि के नमूने उपलब्ध हुए हैं।^{११५}

भाषलिपि

विशिष्ट भाषों के बीचन के लिए जिन चित्रात्मक संकेतों का उपयोग लिखित रूप में किया जाता है, सामान्यतः उसे भाषलिपि कहते हैं। चित्रलिपि एक अनुकृति है, किन्तु भाषलिपि में चित्र वस्तुओं के प्रतिनिधि नहीं होते। वे केवल विशिष्ट अर्थ या भाषों के द्योतक होते हैं। उदाहरण के लिए, सूरज का गोलाकार चित्र केवल प्रकाश या ऊष्म के लिए ही नहीं, बल्कि उदय-काल, दिन तथा देवता का भी द्योतन करता है।

ध्वनिलिपि

वर्तमान युग की अधिकतर उन्नत लिपियाँ ध्वन्यात्मक हैं। इन में चित्र वस्तु या भाषों को प्रकट न कर ध्वनियों को व्यक्त करते हैं, उदाहरण के लिए--'कमल' शब्द में छह ध्वनियाँ हैं। इन ध्वनियों की लिपि को ही वर्णमाला कहते हैं। इस प्रकार ध्वनिलिपि के दो भेद हैं (१) अक्षरात्मक (Syllabic) और (२) वर्णात्मक (Alphabetic)। अक्षर के तीन भेद कहे जाते हैं—संज्ञाक्षर, व्यञ्जनाक्षर और लब्ध्याक्षर। विभिन्न लिपियों के लिखने में जो प्रयुक्त होते हैं, उन्हें 'संज्ञाक्षर' कहते हैं। 'अ' से ले कर 'ह' वर्ण पर्यन्त जिन का उच्चारण किया जाता है, वे 'व्यञ्जनाक्षर' कहे जाते हैं। शब्द को सुनने या रूप के देखने, आदि से अर्थ-प्रतीति के साथ जो अक्षरों का ज्ञान होता है, वह 'लब्ध्याक्षर' कहलाता है। अक्षरात्मक लिपि में स्वर और व्यञ्जन को संयुक्त कर लिखते हैं। अधिकांशतः स्वरों को ही अक्षर का आधार माना जाता है। अक्षर दो प्रकार के होते हैं—मुक्त और आवद्ध। जिस अक्षर के अन्त में स्वर होता है, उसे मुक्त और जिस के अन्त में व्यञ्जन होता है, उसे आवद्ध कहा जाता है।^{१८} लिपि विज्ञानियों के अनुसार लिपि के विकास में सबसे ऊँचा स्थान वर्णों का है। प्रत्येक वर्ण ध्वनि का प्रतीक होता है। वैदिक भाषा में कुल ५२ प्रतीक अथवा वर्ण हैं।^{१९} 'समावायगसूत्र' में अठारह लिपियों का उल्लेख मिलता है ब्राह्मी, यवनी, दोषा पुरिता, क्षरोष्ठी, पुष्कारसारि, प्रहासतिगा, उच्चतरिया, अक्षरपृष्ठिका, गणितलिपि, भोगवतिका, वैषकिया, निहनविका, अकलिपि, गन्धर्वलिपि, आदहीलिपि, माहेश्वरी लिपि, द्राविडीलिपि और पोलिदी लिपि। इस में यह भी उल्लेख किया गया है कि ब्राह्मीलिपि में ४६ मूल अक्षर थे, जिन में क, ख, ल, लृ, और ल अक्षर सम्मिलित नहीं किए जाते थे। पत्र, बलकल, काण्ठ, दाँत, लोहा, ताँबा और चाँदी, आदि के ऊपर अक्षरों के लेखन, उत्कीर्णन, सीने और सुनने का उल्लेख किया गया है। ये अक्षर पत्र, आदि को छिन्न-भिन्न कर के, दग्ध करके और सक्रमण (एक दूसरे से मिलाकर) करके बनाए जाते थे।^{२०} भारतीय प्राचीनतम शिक्षालेखों में ४४ अक्षरों की उपलब्धि होती है। उन में से २२ अक्षरों में सैमिटिक लक्षण मिलते हैं।^{२१} जॉर्ज ब्युलर के अनुसार ई० पू० पाँचवीं सदी शताब्दी में भारतवर्ष में जनसाधारण में लेखन का प्रचार हो चुका था। इस के साहित्यिक प्रमाण मिलते हैं।^{२२}

कहा जाता है कि भारतवर्ष की सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी है। ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों लिपियों का उल्लेख जैन और बौद्ध आगमग्रन्थों में मिलता है। जैन अनुश्रुति के अनुसार कृषि युग के प्रारम्भ में भ० ऋषभदेव ने लिपि का आविष्कार किया था। उन्होंने दाहिने हाथ से वर्णमाला और बाएँ हाथ से अक्षर लिखे थे। भ० ऋषभदेव ने अक्षर से ले कर ह्रस्व वर्णमाला का उपदेश ब्राह्मी नामक अपनी पुत्री को दिया था। गणित अर्थात् अकविद्या का बाएँ हाथ से लिख कर उस का उपदेश उन्होंने अपनी पुत्री सुन्दरी को दिया था।¹³⁷ भारतीय वर्णमाला के सम्बन्ध में वेद, छान्दोग्योपनिषद् और अष्टाध्यायी में भी उल्लेख मिलते हैं। 'नारदपुराण' में कहा गया है कि यदि ब्रह्मा वर्णमाला की उत्पत्ति करते, तो सारा लोक-यवहार ज्ञान से शून्य हो जाता। कहा गया है कि यूरोप की 'कदमो' नामक पृथ्वी जाति को वर्णमाला का सबसे पुराना ज्ञान था। उन से फोनीशियनों ने यह शिक्षा प्राप्त की। उस को सरल बना कर उन्होंने यूनानियों का वर्णमाला सिखाई। यूनानियों से रोम वाले ने वर्णमाला का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वहाँ से सम्पूर्ण यूरोप में इस का प्रचार हुआ। ई० पू० तेरहवीं शती तक यूरोप वाले वर्णमाला से सबथा अपारचित थे।¹³⁸ मसार के प्राचीनतम हस्तलेख मिट्टी की टिक्रियाँ और पेपरी की छालों पर लिखे हुए उपलब्ध होते हैं। कई देशों में मिट्टी पर ग्रथ खोदने का रिवाज था। मिट्टी की गीली टिक्रियों पर अक्षर उत्कीर्ण करके उन्हें धूप या आग में सुरा लिया जाता था। पैबिलोन की खुदाई में इस प्रकार की सहस्रों मिट्टी की ईंटें तथा टिक्रियाँ मिली हैं, जिन का समय ई० पू० २,००० कहा जाता है। मिश्र के प्रतिभाशाली मनस्वियों ने इस की हजारों शताब्दियों के पूर्व लेखन-कला का आरम्भ इन पेपरी वृक्षों की छालों पर किया था। ये पेपरी पोथियाँ पत्राकार न हो कर कुण्डलीनुमा होती थीं।¹³⁹ ईसा से लगभग तीन शताब्दी पूर्व बॉस का कागज लिखने के काम आने लगा था।

ब्राह्मी और खरोष्ठी के अतिरिक्त भारत में सिन्धुघाटी की लिपि भी मिलती है। इस लिपि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। चूँकि सिन्धु घाटी की सभ्यता द्रविड़ों की थी, इस लिए एच० हेरास तथा जॉन मार्शल इस की उत्पत्ति द्रविड़ से मानते हैं। एल० ए० वैडेल तथा डॉ० प्राणनाथ के अनुसार यह सुमेरी लिपि से निकली है और कुछ अन्य लोगों के अनुसार प्राचीन एलामाइट, सुमेरी तथा मिश्री लिपियों से साम्य होने के कारण आय या असुर जाति से इस की उत्पत्ति हुई है।¹⁴⁰ इस लिपि के कुछ चिह्न तो चित्र जैसे हैं और कुछ अक्षरों की भाँति हैं। यह पहले ही कहा जा चुका है कि इस देश की प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी मानी जाती है, जिस के आविष्कारक ब्रह्मा या ऋषभदेव माने जाते हैं। यह ई० पू० छठी शताब्दी में इस देश में भलीभाँति प्रचलित थी। इसी ब्राह्मी से आधुनिक सभी भारतीय लिपियों का विकास हुआ है। सिन्धु-सभ्यता के आदि कदम हड़प्पा एवं मोहन-जो-दरो में भी ब्राह्मी लिपि के १५ वर्ण उपलब्ध हुए हैं। उन के अध्ययन से भी ब्राह्मी लिपि की प्राचीनता सिद्ध की

सह है।^{११} प्राकृत भाषाओं की सभी लिपियाँ ब्राह्मी से उत्पन्न हुई हैं। नागरीलिपि का जन्म भी ब्राह्मी से हुआ है।

इस में कोई सन्देह नहीं है कि ब्राह्मी पूर्णतः एक भारतीय लिपि है। ई०पू० ५,०० से ३,०० ई० पू० तक इस देश में ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों लिपियाँ प्रचलित थीं। आगे चल कर ब्राह्मी तीन बर्गों में विभक्त हो गई उत्तरी लिपि, दक्षिणी लिपि और पात्की। देवनागरी लिपि का जन्म उत्तरी लिपि से हुआ है। तमिल, तेलुगु, कन्नड, आदि भाषाओं की लिपियाँ दूसरे बर्ग से सम्बन्ध रखती हैं और सिंहलद्वीप तथा जावा की भाषाएँ तृतीय बर्ग की हैं।

देवनागरी लिपि का उद्भव एवं विकास

मौर्यकाल में ब्राह्मी लिपि का प्रचलन सम्पूर्ण देश में था। ईसा की लगभग तीसरी शताब्दी तक इस देश में ब्राह्मी लिपि का प्रचार रहा। चौथी शताब्दी के आरम्भ में ही उत्तर और दक्षिण की ब्राह्मीलिपि में अन्तर लक्षित होने लगा। आगे चल कर इस उत्तरी लिपि की प्रचलित शैली को 'गुप्तलिपि' कहा गया। गुप्त राजाओं के समय में इसका व्यापक रूप से चलन होने के कारण इसे गुप्तलिपि कहा जाता है। गुप्तसाम्राज्य के प्रभाव के कारण इस का प्रचार चौथी पाँचवीं शताब्दी में सम्पूर्ण उत्तर भारत में था। इस के नमूने हमें गुप्तकालीन शिलालेख तथा ताम्रपत्रादि में मिलते हैं। श्री ओझा जी के शब्दों में "गुप्तों के समय में कई अक्षरों की आकृतियाँ नागरी से कुछ कुछ मिलती हुई होने लगीं। सिरों के चिह्न जो पहले बहुत छोटे थे, बढ कर कुछ लम्बे बनने लगे और स्वरों की मात्राओं के प्राचीन चिह्न लुप्त हो कर नए रूपों में परिणत हो गए।"^{१२} गुप्त लिपि के विकसित रूप को ही आगे चल कर 'कुटिल' नाम दिया गया। इस अवस्था में पहुँच कर स्वरों की मात्राओं की आकृति कुटिल होने लगी थी, इसलिए इसे कुटिललिपि कहा गया। उत्तर भारत में छठी शताब्दी से ले कर नवीं शताब्दी तक यह लिपि प्रचलित रही। इस काल के शिलालेखों और दानपत्रों, आदि में इस लिपि के नमूने प्राप्त होते हैं। कुटिललिपि से ही नागरी तथा कश्मीर की प्राचीन लिपि शारदा विकसित हुई।

'नागरी' शब्द की उत्पत्ति के सम्बन्ध में बहुत मतभेद हैं। कुछ विद्वान् इस का सम्बन्ध 'नागर ब्राह्मणों' से मानते हैं। उन के अनुसार जो लिपि नागर ब्राह्मणों में प्रचलित थी, वह 'नागरी' कहलाई। कुछ विद्वान् 'नगर' शब्द से सम्बन्ध स्थापित कर इसे नगरों में प्रचलित होने के कारण नागरीलिपि मानते हैं। एक मत यह भी है कि तांत्रिक यन्त्रों में प्रचलित कुछ चिह्न 'देवनागर' कहलाते थे, उन से सम्बन्ध होने के कारण

इसे 'देवनागरी' कहा जाने लगा। इसी प्रकार नवीं दसवीं शताब्दी में देवनागरी या देवनागरी की जो लिपि थी उसे भी कुछ लोग 'देवनागरी' कहते हैं। उत्तर भारत में इस का प्रयोग नवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही मिलता है, किन्तु दक्षिण भारत में कुछ लेख आठवीं शताब्दी के प्राप्त होते हैं। दक्षिण की नागरीलिपि 'नन्दिनागरी' नामसे प्रख्यात है। आज भी दक्षिण भारत में संस्कृत की पुस्तकों के लिखने में इस का प्रयोग किया जाता है। नागरी की पूर्वी शाखा से दसवीं शताब्दी के लगभग बगलालिपि का जन्म हुआ। इसी नागरी लिपि से ग्यारहवीं शताब्दी के अनन्तर नेपाली, उडिया, मैथिली का भी विकास हुआ। दक्षिणी लिपि से गुजरात, काठियावाड़, खानदेश, आदि भारत के पश्चिमीय भागों में 'पश्चिमी लिपि', मध्यदेश, हैदराबाद के उत्तरी विभागों में 'मध्यप्रदेशीलिपि', शोलापुर, बीजापुर, कडप्पा, नैदर, आदि मण्डलों में 'तेलुगु कन्नड़ी लिपि', मद्रास के विभिन्न भागों में 'ग्रन्थलिपि', मद्रास के चिकाकोल और पलाव के मध्यदेश में 'कलिंगलिपि', मलाबार प्रदेश में 'तमिललिपि' और मद्रास के दक्षिण भाग में तमिल से निकली 'बट्टलेत्तु' लिपि प्रचलित हुई।^{५५} इस प्रकार भारत की सभी लिपियाँ ब्राह्मी से निकली हैं।

नागरी लिपि में निरन्तर विकास होता रहा है। श्री ओझा जी के अनुसार ई० सन् की दसवीं शताब्दी की उत्तरी भारतवर्ष की नागरी लिपि में कुटिल लिपि की भाँति अ, आ, ष, प, म, य, ष और स के सिर दो अक्षरों में विभक्त मिलते हैं, परन्तु ग्यारहवीं शताब्दी से वे दोनों अक्षर मिल कर सिर की एक लकीर बन जाती है और प्रत्येक अक्षर का सिर उतना लम्बा रहता है, जितनी कि अक्षर की चौड़ाई रहती है। ग्यारहवीं शताब्दी की नागरीलिपि वर्तमान नागरी से मिलती जुलती है और बारहवीं शताब्दी से वर्तमान नागरी बन गई है। ई० सन् की बारहवीं शताब्दी से लगा कर अब तक नागरीलिपि बहुधा एक ही रूप में चली आती है।^{५६} बारहवीं शताब्दी से इस लिपि के रूप में स्थिरता आ गई। परन्तु केवल इ और ध की बनावट में पुनर्नापन है, ए, ऐ, ओ और औ की मात्राओं में अवश्य कुछ अन्तर प्राप्त होता है। इसी प्रकार परवर्ती काल में क, क्ष, म, ण, व, श, स और ह, आदि वर्णों की आकृति में भी कुछ अन्तर आ गया। इधर कुछ वर्णों में एकरूपता की दृष्टि से 'अ' का प्रचलन उठ गया है, अब केवल 'अ' का ही प्रयोग होता है। इसी प्रकार 'ण' के स्थान पर अब केवल 'ण' और 'ऋ' के स्थान पर 'ऋ' का ही प्रयोग चलता है। देवनागरी लिपि का क्रमिक विकास निम्नांकित चित्र को देख कर समझा जा सकता है।

अंक : विकारात्मक

१	-	-	१	१	१	१	१
२	-	=	२	२	२	२	
३	-	≡	३	३	३	३	
४	-	+	४	४	४	४	
५	-	५	५	५	५		
६	-	६	६	६			
७	-	७	७	७	७		
८	-	८	८	८	८	८	८
९	-	९	९	९	९	९	९
			०	०	०	०	

नागरी तथा अन्य लिपियाँ

नागरी.	गुर.	बंगला	गुज				
क	२	क	६	प	५	प्र	५
ख	३	ख	७	फ	६	फ	६
ग	४	ग	८	ब	७	ब	७
घ	५	घ	९	भ	८	भ	८
ङ	६	ङ	१०	म	९	म	९
च	७	च	११	य	१०	य	१०
छ	८	छ	१२	र	११	र	११
ज	९	ज	१३	ल	१२	ल	१२
झ	१०	झ	१४	व	१३	व	१३
झ	११	झ	१५	श	१४	श	१४
ट	१२	ट	१६	ष	१५	ष	१५
ठ	१३	ठ	१७	स	१६	स	१६
ड	१४	ड	१८	क्ष			
ण	१५	ण	१९	ज्ञ			
त	१६	त	२०	अ	१	अ	१
थ	१७	थ	२१	इ	२	इ	२
द	१८	द	२२	उ	३	उ	३
ध	१९	ध	२३	ऋ	४	ऋ	४
न	२०	न	२४	ॠ	५	ॠ	५

मात्राओं का विकास-क्रम

।	ᳵ	ᳶ	᳷
᳸	᳹	ᳺ	᳻
᳼	᳽	᳾	᳿
᳠	᳡	᳢	᳣
᳤	᳥	᳦	᳧

इस प्रकार देवनागरीलिपि के विकास-क्रम में एक ही वर्ण कई आकृतियों एवं रूपों में परिवर्तित होता हुआ आज इस अवस्था को प्राप्त हुआ है। तेरहवीं शताब्दी से लेकर पन्द्रहवीं शताब्दी के बीच उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में जिस लिपि का प्रचलन रहा है, उस नागरी में वर्णों की आकृति में कुछ अन्तर होने पर भी सामान्य रूप से कोई बड़े परिवर्तन लक्षित नहीं होते। इस काल में इसे बोल-चाल की भाषा में 'पड़ी लिपि' कहते थे, क्योंकि इस में मात्राओं का प्रयोग त्ण के ऊपर न किया जा कर नीचे ही किया जाता था। उदाहरण के लिए, 'जे' 'ज' रूप में और 'जो' 'जा' रूप में लिखते थे। सबसे पहले हिन्दी की लिपि में 'खड़ी पाइ' का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसे 'खड़ी बोली' कहते हैं। पड़ी और खड़ी इन दोनों का सम्बन्ध मात्राओं से है, भाषा से नहीं। अतः मात्राओं के प्रयोग में भेद होने के कारण लिपि में भी सामान्य रूप से भेद बना रहा। नागरी में उच्चारण के अनुसार बोली के सूक्ष्म भेदों को भी लिपि के सहारे पता लगाया जा सकता है। पाणिनि ने जिसे 'रग' के नाम से अभिहित किया है और जन साधारण जिसे अनुनासिक या गुन्ना कहते हैं, लिपि में वह उच्चारण भेद बराबर लक्षित होता है। स्वर के उच्चारण में रग लाने के लिए इस का उपयोग किया जाता है।^{११} नागरीलिपि की लगभग दो सौ वर्ष पुरानी कह हस्तलिखित पाण्डुलिपियाँ ऐसी मिलती हैं, जिन में अनुनासिक, अनुस्वार और विशिष्ट उच्चारण के लिए बिंदी का प्रयोग किया गया है। कई प्रतियों में बिन्दी का प्रयोग वर्ण के सामने किया हुआ मिलता है। अतः 'ड' के लिखने से उन का अभिप्राय 'ड' से होता है। इस प्रकार के अन्य भी कुछ परिवर्तन परिलक्षित होते हैं, जिन से भाषा ही नहीं, लिपि की गति और उस के विकास का परिचय मिलता है।

देवनागरी एक बौद्धिक लिपि है। समय समय पर इस में परिवर्तन व विकास होता रहा है। इस में स्वर और व्यंजनों को पृथक्-पृथक् रूप से लिपिबद्ध करने की

कमता है। इसे वह एक सांकेतिक रूप में आगे ले चलाने पर हम दुःखी हैं। अतः एक युग के अन्तर्ग यह एक वैज्ञानिक लिपि भी बनती है। अतः एक के अन्तर्ग में 'देवनागरी लिपि के वैज्ञानिक होने पर भी इस से संबंधित आधुनिक भारतीय भाषाओं की लिपियाँ पूर्ण रूप से अविचारित न बनती हैं, जो भी वे लिपियाँ अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी लिपियों से कहीं अधिक वैज्ञानिक हैं। भारतीय भाषाओं में तमिल भाषा की केलव-प्रणाली उत्तर भारतीयों के लिए कठिन मान्य पड़ती है। हमारे एक वर्ण 'क', ख, ग, घ के लिए तमिल में केवल एक उचित 'क' का ही व्यवहार होता है। इसलिए तमिल भाषाभाषी लिखते हैं 'कान्ति' और पढ़ते हैं 'शान्ति'। मलयालम भाषा में भी स्थिति तमिल जैसी ही है। फिर भी इन लिपियों में नियम हैं, व्यवस्था है, जितने समझ लेने पर कोई कठिनाई नहीं रहती। अंग्रेजी, फ्रांसीसी जैसी भाष्यवस्था इन में भी नहीं है। हिजे में अव्यवस्था होने के कारण अंग्रेजी को बहुत कुछ हानि पहुँची है। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद जब एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता का अनुभव लोगों को हुआ, तो कुछ लोगों ने अंग्रेजी को इस पद पर प्रतिष्ठित करने का सुझाव रखा था। परन्तु जेस्पर्सन ने अंग्रेजी में हिजे की अव्यवस्था दिखा कर उसे इस पद के लिए अप्रमाणित कर दिया था।"^{११}

देवनागरीलिपि की वैज्ञानिकता

विश्व की आधुनिक सभी लिपियों में देवनागरी लिपि का स्थान श्रेष्ठ है, क्योंकि यह ससार की लिपियों में सब से अधिक वैज्ञानिक है। इस की वैज्ञानिकता के निम्न लिखित कारण हैं —

१. एक ध्वनि : एक सांकेतिक चिह्न—देवनागरी लिपि में सभी स्वरों के ह्रस्व और दीर्घ रूप के लिए अलग-अलग संकेत-चिह्न हैं। सभी स्वरों की मात्राएँ निश्चित हैं। अतएव इस लिपि में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होता। किन्तु उर्दू में 'स' ध्वनि के लिए तीन वर्ण (सीन, त्वाद, से), 'ज' के लिए चार वर्ण (जाळ, जे, जहे, ज्वाद, जोय), 'त' के लिए दो वर्ण (ते, तोब), और 'ह' के लिए तीन वर्णों (छोटी हे, बड़ी हे, द्वि चस्मी हे) का प्रयोग करने से कभी-कभी भ्रम हो जाता है। अंग्रेजी में तो ध्वनि चिह्नों की इतनी विभिन्नता है कि 'थ' ध्वनि को प्रकट करने के लिए क्लाम्प ग्यारह बारह सांकेतिक चिह्नों का प्रयोग करना पड़ता है। इसी प्रकार 'श' वर्ण को व्यक्त करने के लिए चौदह चिह्न मिलते हैं . Sugar, shoe, issue, mansion, mission, nation, suspicion, ocean, nauseous, conscious, search, shaperon, schist, factious, Pshaw अन्य सांकेतिक चिह्नों की भी यही स्थिति है। इसी प्रकार रोमन लिपि में लिखने के लिए छोटे-बड़े दो रूप आता है, और सुझाव के लिए अलग हैं।

२. एक सांकेतिक चिह्न : एक ध्वनि—देवनागरी लिपि में एक सांकेतिक चिह्न से एक ही ध्वनि का बोध होता है। ख, घ, ङ मिल-मिल होने के कारण भ्रम उत्पन्न नहीं

को व्यक्त करते हैं। डॉ० तिवारी के अनुसार यदि इस लिपि में मसूठी 'ळ' को मिला ले तथा 'ए, ओ, इ, ट' ये चार वण और मिला लें, तो देवनागरीलिपि सभी भारतीय भाषाओं को लिख सकती है।^{१५}

३ लिपि में स्वर और व्यंजन की क्रमबद्धता—इस लिपि में प्रथम असंयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, फिर व्यंजन और संयुक्तव्यंजन, आदि एक वैज्ञानिक क्रम में नियोजित हैं। आज की अन्तर्राष्ट्रीय वणमाला में भी यही क्रम मिलता है। किन्तु फारसी और रोमन लिपियों में स्वर और व्यंजन किसी पृथापरक्रम से नहीं लिखे जाते। उन में पहले स्वर, फिर व्यंजन और फिर स्वर बीच में आते हैं।

४ वर्णमाला की पूर्णता एवं सम्पन्नता—देवनागरी लिपि में ५२ वर्ण हैं। इतने अधिक वर्ण विश्व की किसी अन्य लिपि में नहीं हैं। रोमन लिपि में २६ वर्ण ही हैं। उन में से १२ मूल स्वर हैं और १४ व्यंजन। किन्तु अंग्रेजी में कुल स्वरध्वनियाँ २१ हैं। अतः उन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए अन्य ध्वनियों का संयोग करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, हिन्दी के अ, आ, इ, ई, उ, ए, ओ, औ, अं, अः, अक्, अऑ, अउ, अः, अः, आदि ध्वनियों के लिए अंग्रेजी में कोई स्वतंत्र साकेतिक चिह्न नहीं है। इसी प्रकार २४ व्यंजन ध्वनियों को प्रकट करने के लिए उस के पास केवल १८ ध्वनि चिह्न हैं। इन साकेतिक चिह्नों की कमी के कारण रोमनलिपि में हिन्दी, बंगाली, मराठी, आदि भाषाओं को लिखने में बड़ी कठिनाई होती है और उन में भ्रम भी उत्पन्न हो जाता है। भारतीय हलन्त व्यंजन को तो रोमन लिपि में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता।

५ उच्चारण और लेखन में एकरूपता—हिन्दी में जैसा बोला जाता है, लेखन में वैसा ही लिपिवद्ध किया जाता है। हिन्दी की पुरानी से पुरानी हस्तलिखित प्रतियों में 'सिध', 'दस', 'करम', 'करतव' और 'बरत', आदि लिखा हुआ मिलता है, जो उच्चारण के अनुरूप है। इसी प्रकार 'ड', 'ज' के लिए अनुस्वार का ही प्रयोग मिलता है। वास्तव में, रोमन और उर्दू, आदि लिपियों की तुलना में उच्चारण की दृष्टि से देवनागरीलिपि सर्वोत्तम मानी जाती है।

६ स्पष्टता—इस लिपि में स्पष्टता इतनी है कि उच्चारित ध्वनियाँ ही लिखी जाती हैं। रोमन की भाँति इस में ऐसा नहीं है कि लिखा जाए कुछ और पढ़ा जाए कुछ। अंग्रेजी के अनेक शब्दों में आदि तथा मध्यवता (Knife Calf Calk Calm) ध्वनियाँ उच्चारित ही नही होती। यह लिपि की अस्पष्टता का प्रमाण है। हिन्दी में प्रत्येक लिखी जाने वाली ध्वनि का उच्चारण किया जाता है।

७ सरलता—रोमन लिपि की भाँति इस लिपि की वर्णमाला तीन तरह की न हो कर एक ही तरह की है। इस से सीखने में सरलता होती है। अंग्रेजी में वाक्य का पहला अक्षर बड़े रूप (कैपिटल) में लिखा जाता है। उस में लिखने की वर्णमाला अलग है और पढ़ने की अलग। हिन्दी में यह कठिनाई नहीं है। किन्तु उर्दूलिपि में 'करम' को कर्म या क्रम पढ़ना सहज नहीं है। उस में भ्रम को 'भ्रम' ही पढ़ा जा सकता है। इसी प्रकार 'कर्म' या 'क्रम' को 'करम' ही पढ़ा जा सकता है।

४. वर्णानुसङ्ग आकृति—हिन्दी में 'उ' औपम्य वर्ण है। इस का उच्चारण ओंठ की सहायता से होता है। इसलिए इस की बनावट भी ओंठ जैसी है। यद्यपि सामान्य रूप से वह दांत सभी वर्णों पर लागू नहीं होती, किन्तु यह बात बहुत कुछ संशयों से सच है। कहा जाता है कि एक पाश्चात्य भाषाशास्त्री ने देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता का पता लगाने के लिए देवनागरी अक्षरों के मिट्टी के प्रतिरूप तैयार किए। जब उस ने उस में हवा फूँकी तो वह यह जान कर आश्चर्यचकित रह गया कि 'अ' ध्वनि 'अ' प्रतिरूप में से आई और 'आ' की ध्वनि आ प्रतिरूप में से निर्गत हुई। इसी प्रकार अन्य अक्षर-प्रतिरूपों का निर्माण हुआ है।^{१७}

५. वर्णविन्यास वर्गीकरण—देवनागरी लिपि की वर्णमाला में वर्णों का वर्गीकरण वर्णों में किया गया है, जैसेकि—कवर्ग (क से च तक), चवर्ग (च से झ तक), टवर्ग, आदि। उच्चारणों के स्थान और प्रयत्नों के आधार पर वर्गीकृत वर्णों का विन्यास इस प्रकार किया गया है कि उस में एक सुव्यवस्था परिलक्षित होती है। किसी भी लिपि की सुव्यवस्था उस को वैज्ञानिकता को प्रकट करने वाली होती है। इस व्यवस्था के कारण ही हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ सकते हैं। किन्तु उर्दू में 'शांति' को 'शाती', 'भ्रम' को 'भ्रम' और 'शक्ति' को 'शक्ती' ही पढ़ सकते हैं।

१०. ध्वन्यात्मकता—रोमन लिपि की अपेक्षा देवनागरी का ध्वन्यात्मक मूल्य (Phonetic Value) अधिक है। अपने इस गुण के कारण ही कुछ नए ध्वनि-चिह्नों को अपना कर देवनागरी लिपि एक अन्तराष्ट्रीय लिपि बनने की क्षमता अजित कर सकती है।

देवनागरी लिपि की त्रुटियाँ और सुधार

यद्यपि देवनागरी लिपि संसार की अन्य लिपियों की अपेक्षा अधिक पूर्ण, स्पष्ट तथा वैज्ञानिक है, फिर भी अभी तक इस में कई त्रुटियाँ दिखलाई पड़ती हैं। जो विद्वान् रोमनलिपि का समर्थन करते हैं, उन का कथन है कि देवनागरी अक्षरात्मक है वर्णात्मक नहीं। अक्षरात्मक होने के कारण देवनागरी के प्रत्येक साकेतिक चिह्न में स्वर और व्यंजन मिले हुए रहते हैं। अतएव सयुक्त व्यंजनों को लिखने के लिए कभी-कभी व्यंजनों का आधा रूप लिखना पड़ता है, जैसे कि—'विन्ना', 'खाव', 'सयुक्त' और 'धर्म', आदि शब्दों के लिखने में व्यंजन का रूप बदल जाता है। इन शब्दों में न तो 'द' अपने मूल रूप में है और न 'क्त' एव 'र्' ही। डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी के अनुसार वैज्ञानिक लिपि की दो विशेषताएँ हैं—उस में शुद्ध लिखा जाए और उस में ध्वनि विश्लेषण सरलता से हो सके। देवनागरी में शुद्ध तो लिखा जाता है, किन्तु वह अर्द्ध अक्षरात्मक है, इसलिए ध्वनि विश्लेषण सरलता से नहीं हो सकता, जैसेकि—देवनागरी में 'धर्म' में दो अक्षर 'व' और 'म' हैं। इन में न तो स्वर-वर्ण स्पष्ट हैं, न धातु और प्रत्यय। इस के विपरीत रोमन लिपि में 'DHARMA'।

दो स्वर भी स्पष्ट हैं और साथ ही धातु 'धर्' और प्रत्यय 'म' भी।^{१८}

२ एक वैज्ञानिक लिपि में एक ध्वनि के लिए एक ही ध्वनि-चिह्न होना चाहिए। देवनागरी लिपि में अ, ष, ञ, झ, ज, आदि कई ऐसे सांकेतिक चिह्न हैं, जिन में दो ध्वनियों का संयोग है।

३ कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं, जिन का आज उच्चारण ही नहीं होता। क, ख, का प्रयोग केवल समुक्ताक्षरों के रूप में किया जाता है। किन्तु हिन्दी में इन का उच्चारण 'न' जैसा होता है। इस लिए इन क स्थान पर 'अनुस्वार' से काम लिया जा सकता है। इसी प्रकार ऋ, लृ, आदि ध्वनियों का उच्चारण ठीक से नहीं होता है। संयोगी शब्दों में 'ऋ' का उच्चारण 'रि' किया जाता है।

४ वैज्ञानिक लिपि की दृष्टि से उच्चारण के क्रम क अनुसार ही ध्वनि-चिह्नों का प्रयोग किया जाना चाहिए। किन्तु देवनागरी लिपि में 'रि' में 'इ' की मात्रा पहले लिखी जाती है और 'र' बाद में, जबकि उच्चारण में 'र' का उच्चारण पहले किया जाता है और 'इ' का बाद में। इसी प्रकार अन्य मात्राओं तथा अनुस्वार का प्रयोग उच्चारण की दृष्टि से व्यञ्जन के पश्चात् होना चाहिए। नागरी लिपि में इन मात्राओं को खाने की विधि ठीक नहीं है।

५ कुछ ध्वनि चिह्न आज अनावश्यक माने जाने लगे हैं, यथा—ध, ञ, झ। इसी प्रकार कुछ अक्षरों के दो रूप प्रचलित हैं अ-अ, झ-झ, ञ-ञ, ल-ल, श-श, ह-ह आदि। इन में से किसी एक रूप को स्वीकार किया जाना चाहिए।

६ लिपि में स्पष्टता भी आवश्यक है। हिन्दी में ख, घ, म, न, ण में कभी-कभी भ्रम हो जाता है, जैसे कि—खाना—खाना, शिरोरेखा न रहने पर म-भ, घ-घ एक से हो जाते हैं 'अण्डा' को 'अ ण्डा' भी पढ़ा जा सकता है।^{१५}

७ म्, ल्ह, र्ह, ळ, अब हिन्दी में समुक्त व्यञ्जन न हो कर मूल महाप्राण व्यञ्जन हैं। इस लिए इन के स्वतन्त्र ध्वनि चिह्नों का बना लेने की आवश्यकता है। इसी प्रकार अरबी फारसी तुर्की, आदि शब्दों में नुक्त का प्रयोग करना उचित ही है।^{१६} अंग्रेजी ध्वनियों के लिए भी जैसे—डॉक्टर के 'ऑ' के लिए तथा ह्रस्व ऐ, ओ के लिए भी नए ध्वनि चिह्नों को अपनाने की आवश्यकता है। जो ध्वनि चिह्न हमारे यहाँ नहीं हैं, उन्हें हम अन्य भाषाओं से भी ग्रहण कर सकते हैं।

वास्तव में, हिन्दी की लिपि-समस्या अंग्रेजी से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि अंग्रेजी में वर्णों से उच्चारण को पहचानना बहुत ही कठिन है। फिर, लिपि की समस्या सदा वर्तनी की समस्या नहीं होती। यह समस्या तो केवल उन दो-चार ध्वनियों के संबंध में हो सकती है, जिन की वर्तनी निश्चित नहीं है। जिन की वर्तनी निश्चित है, उन की कोई समस्या नहीं है। वर्तनी की समस्या के समाधान का एक ही मार्ग है और वह है—वर्णों के ध्वनि-मूल्यां का विश्लेषण। हिन्दी के वर्णों के अध्ययन करने से पता लगता है कि हिन्दी में व्यञ्जन ७३, स्वर २३, गुच्छ १०, और अनुस्वार १३; इस तरह कुल ११९ ध्वनियाँ हैं। इसी प्रकार हिन्दी के कुल वर्णग्राम हैं^{१७} ४२ व्यञ्जन, १२ स्वर, ८ गुच्छ और ११ अनुस्वार।

हिन्दी की लिपि-समस्या मुख्य रूप से लेखन-पद्धति से सम्बन्धित है। यह वर्ण-समस्या के कारण, जो वर्णों के ध्वनिक्रम को आशय मान कर चलते हैं। इस कारण 'क' और 'ख' के उच्चारण-भेद, ध्वनि-भेद और लिपि-भेद की रक्षाने में कठिनाई होती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए हम लेखन-पद्धति में वर्णों को अव्यय-अक्षर लिख सकते हैं, जैसे कि—विद्या, साध्य, संकट, आदि। जब 'इ' की मात्रा की कोई समस्या है, उसे भी इस प्रकार लिख कर सुलझाया जा सकता है, जैसे-शक्ति, अनुशक्ति को 'शक्ति', 'अनुशक्ति' लिखा जा सकता है। यदि वर्ण हलन्त हो तो स्वतन्त्र रूप से लिख सकते हैं—शुद्धि, मद्दा, चिह्न, आह्वान, इत्यादि। ऊपर की 'र' रेफ का प्रयोग भी कर सकते हैं : अरु, वर्धन, उत्तरार्द्ध, आदि। इस लिपि की दूसरी मुख्य कठिनाई अनुस्वार और अनुनासिकता की है। अनुस्वार से कई ध्वनियों का बोध होता है। हिन्दी के केवल दो वर्ण हैं, जिन पर अनुनासिक का ध्वनि चिह्न प्रयुक्त होता है : 'अ, आ, उ, ऊ, ए, शून्य, ङ, ञ'। आक्षरिक वर्ण ञ, ह तथा अन्य भाषाओं के आ, ए, ओ, षणों के साथ अनुनासिकता का उच्चारण नहीं होता। संयोगी 'इ' में सादृश-सिक उच्चारित नहीं होती। जिन स्थानों पर अनुस्वार व्यञ्जन का रूप ग्रहण नहीं कर सकता, ऐसे शब्द हैं—सम्मिलित, उन्मीलित, सम्यक्, सम्बुद्ध, गणा, गुणा, सवाटा, किन्तु, परन्तु, विहित, बन्धु, किन्धु, अन्त, कान्त, वसन्त, आदि। यथार्थ में, इस प्रकार के शब्द हिन्दी में संस्कृत से आगत हैं। इसलिए संस्कृत भाषा में जैसे ये लिखे जाते हैं, वैसे ही हिन्दी में ठीक माने जाते हैं। इसी प्रकार संस्कृत के 'अंश, कस, सवींग, सवाद, संकट, संक्षेप, संख्या, संगति, सगम, सयम, संरम्म, ससार, उशय, सस्कार, आदि शब्दों में अनुस्वार के स्थान पर व्यञ्जन का प्रयोग करना ठीक नहीं माना जाएगा। किन्तु संस्कृत से हिन्दी में आगत जिन शब्दों के अन्त में हलन्त व्यञ्जन का प्रयोग होता है, हिन्दी में उन्हें अनुस्वार हो जाता है, जैसेकि एव, पर, स्वय अह और अहकार, आदि। परन्तु अन्य भाषाओं से आए हुए शब्दों में 'न' के लिए दो प्रकार के ध्वनि-चिह्नों का प्रयोग होता है, उदाहरण के लिए—हिंदी हिन्दी, इतान-इत्तान, जिंद जिन्द, खान-ख़ां, जवान जवां, बयान-बयां, जहान-जहाँ, आदि।

यथार्थ में, भाषा की लिपि-पद्धति की सबसे बड़ी समस्या तब उत्पन्न होती है, जब किसी भी भाषा में अन्य भाषाओं की ध्वनियाँ अस्वीकृत की जाती हैं। यद्यपि प्रत्येक भाषा विभिन्न भाषाओं की ध्वनियों को अपनी-अपनी रीति से अपनाती हैं, किन्तु व्यवहार में वह उन का उच्चारण किसी भी प्रकार करे, परन्तु लिपि में उन भिन्न ध्वनियों के सार्वभौमिक चिह्नों का संरक्षण आवश्यक हो जाता है। ध्वनि-चिह्नों के अभाव में हम किसी भी भाषा की विशिष्ट ध्वनि को व्यक्त नहीं कर सकते। रोमन लिपि की यह स्थिति बड़ी कमी है कि उस में कई ध्वनियों के लिए अक्षर से कोई चिह्न नहीं है। बड़ी कल्पना है कि 'दूद' और 'दूत' को, 'दूध' और 'दूद' को तथा 'बाक' और 'बाक' को जब अंग्रेजी में लिखा जाता है, तब उन की बर्तनी में कोई भेद नहीं दिखाया जा सकता है। हिन्दी में

यह बात नहीं है। क्योंकि देवनागरीलिपि में नई ध्वनियों के लिए चिह्न विकसित होते रहे हैं और होते जाएँगे। इस में संसार की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं की ध्वनियाँ आती रही हैं और आती रहेंगी। इन ध्वनियों को अपनाने के साथ ही नए चिह्नों का प्रयोग किया जा रहा है। अतएव हिन्दी में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। देवनागरी इस दृष्टि में अत्यन्त प्राणवान् और सजीव लिपि है।

प्रथम-समय पर देश के शिक्षाशास्त्रियों और मनीषियों का ध्यान देवनागरी के संशोधन की ओर भी गया है। परिणामतः अगस्त, १९५८ वं शिक्षा-मन्त्रियों के सम्मेलन में देवनागरीलिपि का अन्तिम संशोधित रूप स्वीकार कर लिया गया। इस में खड़ी पाई वाले व्यंजनों का रूप पूर्ववत् है। इनमें केवल ख, म और घ के रूप में किञ्चित् परिवर्तन कर दिया गया है। शिरोरेखा व्यों की त्यो है। केवल फुलस्टॉप (पूर्णविराम) को छोड़ कर अंग्रेजी के शेष सभी विरामचिह्न अपना लिए गए हैं। देश के सभी मुद्रणालयों (प्रसा) म प्रफ शीडिंग (संशोध्य पत्र) के चिह्नों का प्रयोग किया जाता है। विगत पाँच वर्षों में भारतीय मानक सस्था ने एक ऐसी मानक पद्धति तैयार की है, जो किसी भी भाषा के लिए प्रयुक्त हो सकती है। एक लिपि व संशोधन और विशिष्ट-यत्र (टाइपराइटर) के निमाण की ओर भी अनेक संस्थान ध्यान दे रहे हैं। इस प्रकार देवनागरीलिपि के सभी प्रकार के उपयोग और सुधार के सम्बन्ध में गत वर्षों में पर्याप्त विचार किया जा चुका है।

एक राष्ट्रीय लिपि के रूप में

लिपि भाषा से सर्वथा असंयुक्त नहीं है, इसलिए राष्ट्र की एक भाषा की भाँति लिपि का प्रश्न भी उस से सम्बद्ध है। सभी भारतीय भाषाओं के लेखन के लिए एक सामान्य लिपि की आवश्यकता नितान्त अनिवार्य है। सामान्यलिपि का यह अर्थ नहीं है कि विभिन्न प्रान्तों के लोग अपनी लिपि छोड़ कर देवनागरी या किसी अन्य राष्ट्र-लिपि में लिखने लग जायें, किन्तु अपनी अपनी लिपियों के अतिरिक्त सामान्यरूप से एक ऐसी लिपि की भी आवश्यकता है, जिस के प्रचलन से प्रशासनिक कार्य में सुविधा हो और देश की एकता को बल मिले। लिपि की भाँति अकों का प्रयोग भी सम्पूर्ण राष्ट्र में एक सा होना चाहिए। जहाँ तक राष्ट्रीय लिपि का प्रश्न है, देवनागरी ही एक ऐसी लिपि है, जिसे भाषावैज्ञानिक और शिक्षाशास्त्री राष्ट्रीयलिपि के सर्वथा योग्य बतलाते हैं। डॉ० चटर्ज व शब्दों में “देवनागरी लिपि में उस की ऐतिहासिक महत्ता के अतिरिक्त और भी कई विशेष गुण हैं। उस का भारत की अन्य प्रांतीय लिपियों से सहोदर बहना या चन्चरी बहना का मा सम्बन्ध है। बंगला असमी, मैथिली, उडिया, गुजराती तथा देवनागरी एक दूसरे से इतनी निकट रूप से सम्बद्ध हैं एव एक-दूसरे से इतनी अभिन्न मिलती जुलती हैं कि हम उन्हें एक ही लिपि की विभिन्न शैलियों तक कह सकते हैं। सारे भारत में (ठीक आवृत्ति में नहीं, परन्तु सिद्धान्ततः) सभी लिपियों देवनागरी लिपि की स्वगोत्र या कौटुम्बिक लिपियाँ ही सिद्ध होती हैं।”^{११७} देवनागरी लिपि के अति-

रिक्त रोमन और फारसी लिपि बन रही हैं। अरबी-फारसी लिपि भी आधुनिक हैं। यह पहले ही कहा जा चुका है कि रोमन लिपि अत्यन्त सरोफ एवं सुविपूर्ण है। प्रस्तावित 'परिवर्तनीय या सुकारी' वाली फारसी-अरबी लिपि को भी भारत की 'एकमात्र' ही बना एक राष्ट्र लिपि बनाने का भी बं तो अवसर प्राप्त हो सकता है और न इस के लिए उस का अधिकार ही है। वास्तव में, स्वभावतः देवनागरी ही भारत की एकमात्र राष्ट्रीय लिपि है, साथ ही उस में निहित उस के गुण भी—विरुद्ध प्रत्यक्ष हैं।^{१२} सन् १९०५ में फारसी-नागरीप्रचारिणी-सभा के अधिवेशन में भाषण देते हुए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक सामान्य लिपि के रूप में देवनागरी लिपि को अपनाने का प्रबल समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि देवनागरी रोमन लिपि की तुलना में कहीं अधिक उपयुक्त है। श्री वी० के० गोकाक ने देवनागरी की उत्कृष्टता तथा वैज्ञानिकता के संबन्ध में अन्य विकल्पों की अपेक्षा के आधार पर कहा है कि देवनागरी लिपि से कई लाभ हैं। आन्तरी पर संस्कृत भाषा और साहित्य के भी विद्यार्थी इस से परिचित हैं। यह रोमन लिपि की अपेक्षा अधिक ध्वन्यात्मक है। अंग्रेजी भाषा से जो नई ध्वनियाँ ग्रहण की गई हैं, उन्हें व्यक्त करने के लिए कुछ नए अक्षरों को छोड़ कर यह लिपि सभी भारतीय भाषाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। मलयालम भाषा के विद्वान् श्री एन० वी० वृष्ण वारियर ने एक समान लिपि की अनिवार्यता पर विचार करते हुए अपना अभिमत व्यक्त किया है कि देश में जो लिपि सब से अधिक चालू हो उसे सामान्य राष्ट्रलिपि बनना चाहिए। देवनागरी लिपि भारत में सर्वाधिक प्रचलित है, इस लिए इसे ही राष्ट्रलिपि बनाना उचित होगा।^{१३} प्रसिद्ध भाषावैज्ञानिक डॉ० ए० ए० ए० कत्रे ने देवनागरी लिपि के वैज्ञानिक गठन तथा उस की ऐतिहासिक महत्ता पर बल देते हुए उसे अपवाद के रूप में प्रतिष्ठित किया है। उन के विचार से अन्य लिपियों के साथ देवनागरी की तुलना अनावश्यक है। उत्तरी और दक्षिणी भाषाओं की महान् लिपियों के बीच म ही नहीं, भारतीय आर्य तथा द्राविड़ वर्गों की लिपियों के बीच में भी देवनागरी ने एक कड़ी का काम किया है।^{१४} हिन्दी के अतिरिक्त संस्कृत और मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। देश की लगभग सात करोड़ जनता देवनागरी लिपि का व्यवहार करती है। यह संख्या देश के साक्षर लोगों की तुलना में पचास प्रतिशत के लगभग है। बहुसंख्यक लोगों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण तथा वैज्ञानिक सुणों से भरपूर होने के कारण ही देवनागरी लिपि सम्पूर्ण भारत की एक सामान्य राष्ट्र लिपि के रूप में प्रतिष्ठित मानी जाती है। आचार्य विनोबा भावे भारत की सभी भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखने के पक्ष में हैं। उन के सुझावानुसार तैल्लु का 'साम्य-योग्य' साप्ताहिक पत्र पूर्ण रूप से देवनागरी लिपि में छपने लगा है। गुजराती का 'भूमिपुत्र' दशवारिक (दशवासीय) पहले से ही देवनागरी में छपता है। सम्प्रति बंगाल का 'भूदान' भी देवनागरी में छपने लगा है। पिटमन के शब्दों में "चाँद संसार में कोई पूर्ण वर्षमाका है, तो वह हिन्दी की है।"

देवनागरी लिपि के लेखन की सरल तथा वैज्ञानिक विधि का विचार-विश्लेषण

अभी बल शक्त है। क्योंकि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी की लिपि में यथासम्भव एक-रूपता लाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनायाना ही एकमात्र उपाय है। अनेक दिशा में वर्णों में धाई जाने वाली विभिन्नता को यथासम्भव स्थिर बनाए रखने की आवश्यकता है। देवनागरी लिपि में प्रचलित कुछ वर्णों के दो-दो रूपों में से अ-अ, क-क, ख-ख, ख-ख, ख-ख, ख-ख वर्णों का मानकीकरण हो चुका है। दक्षिण की भाषाओं के लेखन के लिए देवनागरी वर्णमाला में दो नए चिह्न स्वीकार किए गए हैं—ठ और ष। इसी प्रकार अन्य भारतीय लोकभाषाओं में प्रचलित ह्रस्व 'ए' तथा 'आ' स्वरध्वनियों को भी स्वीकार कर लिया गया है। अतएव देवनागरी ही एक राष्ट्रीय लिपि के रूप में उभर कर हमारे सामने आती है।

कुछ भारतीय विद्वान् रोमन लिपि को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रचलित होने के कारण उसे भारत की सामान्य राष्ट्रीय लिपि बनाने के पक्ष में रहे हैं। किन्तु अंग्रेजी वर्णमाला इतनी अव्यवस्थित है कि वर्णमाला के पहले वर्ण 'अ' की ध्वनि को अंग्रेजी में कइ ध्वनि चिह्नों से व्यक्त किया जाता है, जैसे कि—rub, son double, flood does arise fountain, parliament, dudgeon, family, purpose ferm, firm इत्यादि।

अंग्रेजी में एकाक्षरी शब्दों या समोच्चारितों की बहुलता के कारण so sow, scw, meat meet metc का भेद बर्तनी से ही सम्भव है। जैसे तो कोई भी वर्तमान लिपि अपनी भाषा के सभी सकेतों को ठीक ठीक अंकित नहीं कर सकती, जैसे कि हिन्दी में भी 'वह काम करता है' और 'वह इस का कर्ता है' में 'करता' और 'कर्ता' का उच्चारण तो एक ही है, पर उन की बतनी भिन्न भिन्न है।^{१५} वास्तव में, हिन्दी की लिपि में यह अन्तर वहीं रुक्षित होता है, जहाँ कि अन्य भाषाओं की ध्वनियों का उच्चारण हिन्दुस्तानी रीति से किया जाता है। यदि हिन्दी में केवल 'करता' और 'करतार' का ही प्रचलन हाता, तो इस प्रकार की कठिनाई परिष्कित नहीं होती। किन्तु इस का समाधान और उपाय भी है। यथाय में, उच्चारणगत सूत्रभेद लिपि के द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। स्पान और फाल के भेद से उन में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, किन्तु लिपि एक प्रकार से स्थायी होती है, उस में सहज और शीघ्र परिवर्तन नहा होता। फिर, प्रत्येक लिपि में कोई न कोई स्वाभाविक त्रुटि होती है। सभी प्रकार के सशोधन करना सम्भव और उचित भी नहीं है। अतएव अन्य लिपियों की अपेक्षा वैज्ञानिक और अधिक गुणवती होने के कारण देवनागरी लिपि पूरे देश की राष्ट्रीय लिपि बनने में पूर्ण सक्षम है।

देवनागरी लिपि में लेखन और मुद्रण में प्रयुक्त होने वाले कुछ चिह्न इस प्रकार हैं —

(क) विराम चिह्न—

१ अल्प विराम—,

२ अर्द्ध विराम—,

३. पूर्व विधान—
४. प्रत्ययसूचक चिह्न—?
५. अव्ययसूचक चिह्न—
६. निदेशक चिह्न—
७. निष्कालिक या समानभावसूचक चिह्न—
८. विभाक्तिसूचक चिह्न—

(ल) कोष्ठक—

१. लघु—()
२. मध्य—{ }
३. बृहत्—[]

(ग) अन्य—

१. अवतरण चिह्न—“ ”
२. रेखांकित चिह्न— — — (शब्द के नीचे रेखा अंकित करना)
३. पुनरुक्तिसूचक चिह्न— , ,
४. स्थानपूरक चिह्न— .
५. समाप्तिसूचक चिह्न— — ० —
६. परिवर्द्धनसूचक चिह्न— ^
७. तुल्यतासूचक चिह्न— =
८. अपूर्णतासूचक चिह्न— × × ×
९. तारक चिह्न— #
१०. टिप्पणीसूचक चिह्न— + +
११. विशिष्ट चिह्न— †

संदर्भ-संकेत :

१. मेरिओ ए० पेड द वर्ल्ड्स चीफ लैंग्वेजेज, तृतीय संस्करण, १९६१, पृ० १५ ।
२. डॉ० आइ० जे० एस० तारापुरवाला एन्डीमेन्ट्स ऑफ द साइन्स ऑफ लैंग्वेज, १९६२, पृ० २२८-२६३ ।
३. वही, पृ० २६८-६९ से उद्धृत ।
४. मेरिओ ए० पेड द वर्ल्ड्स चीफ लैंग्वेजेज, तृतीय संस्करण, १९६१, पृ० २५-२६ ।
५. डॉ० उदयनाथराव तिवारी हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास, प्रथम संस्करण, पृ० ८ ।
६. डॉ० आइ० जे० एस० तारापुरवाला एन्डीमेन्ट्स ऑफ द साइन्स ऑफ लैंग्वेज, १९६२, पृ० २७० ।
७. डॉ० सुनीतिकुमार बटर्जी भारतीय आर्यभाषा और हिन्दी, द्वितीय संस्करण, १९५७, पृ० १७ से उद्धृत ।
८. डॉ० ओलानाथ तिवारी हिन्दी भाषा, १९५६, पृ० २५-२६ से उद्धृत ।

- ९ प० राजाराम अवेरना, लाहौर, वि० सं० १९९१ ।
- १० सर्र जॉर्ज अब्राहम प्रियर्सन (अनु०-डॉ० उदयनारायण तिवारी) भारत का भाषा-सर्वेक्षण, खण्ड १, भाग १, १९५९, पृ० २१२ ।
- ११ डॉ० प्रबोध बेचरदास पंडित प्राकृत भाषा, १९५४, पृ० १२ १३ ।
- १२ डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी भारतीय आयभाषा और हिन्दी, द्वितीय संस्करण, १९५७, पृ० ४७-४८ से उद्धृत ।
- १३ वही, पृ० ५४ ५५ से उद्धृत ।
- १४ द्रष्टव्य है—परिषद् पत्रिका, वर्ष ८ अंक ३४, भाषा-सर्वेक्षणक, पृ० ५४ ।
- १५ अथ यान् शब्दान् आर्या न कस्मिंश्चिदर्थे आचरति भ्लेच्छास्तु कस्मिंश्चित् प्रयुजते, यथा पिक नेम सत तामरस आणि शब्दा तेषु सन्देह ।—मीमांसादर्शन, अ० १, पा० ३, सू० १०, अ० की टीका तथा—'ये शब्दा न प्रसिद्धा स्तु । तद्यथा द्राविडादिभाषामीदृशी स्वच्छन्दकल्पना तदा पारसी ववर यवन रौमकादि भाषासु किं विचरन्त्य किं प्रतिपत्स्यन्ते इति न विदम ।' कुमारिल (तत्रवातिक) ।
- १६ डॉ० हेमचन्द्र जोशी दो आयभाषा खति और मिश्रान्ति, भाषा, वर्ष पाँच, अंक १, सितम्बर, १९६५, पृ० ४१ ४२ ।
- १७ ग्राहम विल्सन (सं०) ए लिन्विस्टिक्स रीडर, न्यूया, १९६७, पृ० ८७ ।

The same process took place in the case of sanskrit, which was an artificially perfected literary language. The natural dialects were known as Prakrits and as these prakrits developed literatures of their own even they became influenced by the literary Sanskrit. Infact the grammarians of the day developed special rules for turning Sanskrit into prakrit. So that the real prakrit tended to be lost to the written language and the literary prakrit became a definite mutilation of Sanskrit"—p 87

- १८ ज्यूल ब्लाख (अनु०-डॉ० लक्ष्मीसागर वाजपेयी) भारतीय आर्यभाषा १९६३, पृ० २ ।
- १९ विशेष जानकारी के लिए द्रष्टव्य है—हिन्दुस्तानी, भाग ३१ अंक १२, जन० जून, १९७०, पृ० १९ ३९ ।
- २० प्रो० अमरनाथ झा हिन्दी के कुछ भूले हुए शब्द हिन्दुस्तानी, १९३७, पृ० २६७-२७७ द्रष्टव्य हैं ।
- २१ डॉ० भोलानाथ तिवारी हिन्दी भाषा १९६६ पृ० १२६ ।
- २२ डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी भारतीय आयभाषा और हिन्दी, द्वितीय संस्करण १९५७, पृ० १५५ ।
- २३ टा० धीरेन्द्र वर्मा हिन्दी भाषा का इतिहास १९६९, ६ ५० ।
- २४ भाषा, वर्ष १ अंक १, अगस्त १ ६१ पृ० २५ ।
- २५ (१) डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी भारतीय आयभाषा और हिन्दी, द्वितीय संस्करण, १९५७, पृ० १७८ ।
(२) "Does kharī Bol mean nothing more than rustic speech"—टी० ग्राहम बेली ।
- २६ प० विश्वोरीणास वाजपेयी हिन्दी शब्दानुशासन, द्वितीय संस्करण, पृ० ८९ ।
- २७ डॉ० उदयनारायण तिवारी भाषाशास्त्र की रूपरेखा, पृ० २३१ २३२ ।

- २८ (१) कस्तूरत खात्र करी पछुतरि, ओर देखि न आपुन खरिह । (उदयनारायण तिवारी का काल युगक) ।
 (२) अपने मन की बात कहूँ खोसो खरी ।—श्रीपालकथा, २८३ ।
- २९ राहुल सांकृत्यायन दक्षिण हिन्दी-काम्यधारा, १९५९, भूमिका से ।
- ३० डॉ० भोलानाथ तिवारी हिन्दी भाषा, पृ० १४८ ।
- ३१ मुहम्मद हुसेन आजाद आविह्यात, पृ० ६ ।
- ३२ डॉ० प्रेमप्रकाश गौतम खड़ी बोली का उद्भव और उसकी आकाशमिता, विशालनगर, सितम्बर १९६४, पृ० १२६ ।
- ३३ डॉ० मनोहरलाल गौड़ 'अमर' प्रज तथा खड़ी बोली के सक्रमणक्षेत्र में वाक्य-संरचना, परिषद् पत्रिका, वर्ष ८, अंक ३४, भाषा-सर्वेक्षणक, पृ० २०९ ।
- ३४ प० किशोरीदास बाजपेयी हिन्दी-शब्दानुशासन, द्वितीय संस्करण, पृ० ५९ ।
- ३५ रामचन्द्र वर्मा अच्छी हिन्दी दसवीं संस्करण, पृ० १६ ।
- ३६ 'स्यारी तीर्थ हस्तौ ।'—सिद्धहेमशब्दानुशासन ।
- ३७ डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी भारत की भाषा और भाषा मन्त्री समरथाप, पृ० ७२ ।
- ३८ गोलोक बिहारी धल ध्वनिविज्ञान, १९५८, पृ० २३६ से उद्धृत ।
- ३९ डॉ० उदयनारायण तिवारी हिन्दी भाषा का उद्भव और विकास, १९५५, पृ० १६२ ।
- ४० सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन (अनु०-डॉ० उदयनारायण तिवारी) भारत का भाषा-सर्वेक्षण, खण्ड १, भाग १, १९५९, पृ० २०२ २२३, पृ० उद्धृत ।
- ४१ डॉ० उदयनारायण तिवारी हिन्दी भाषा का उद्भव और विकास, १९५५, पृ० १७ १७६ ।
- ४२ "तस्मादुदीच्यां प्रज्ञाततरा वाग उद्यत, उदञ्च उ एव यन्नि वाचं शिक्षितम्, यो वा तत् आगच्छति, तस्य वा शुश्रवन् इति ।"—कौषीतिके ब्राह्मण ७-६ ।
- ४३ सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन (अनु०-डॉ० उदयनारायण तिवारी) भारत का भाषा-सर्वेक्षण, खण्ड १, भाग १, १९५९, पृ० २९९ ।
- ४४ डॉ० अम्बाप्रसाद 'सुमन' पश्चिमी हिन्दी और उसकी विभिन्न उपभाषाओं का स्वरूप, हिन्दुस्तानी, भाग २५, अंक १४, जन० विस०, १९६४, पृ० २२९ से उद्धृत ।
- ४५ वही, पृ० २२८ से उद्धृत ।
- ४६ डॉ० भोलानाथ तिवारी हिन्दी भाषा, १९६६, पृ० २३१ ।
- ४७ डॉ० अम्बाप्रसाद 'सुमन' पश्चिमी हिन्दी और उसकी विभिन्न उपभाषाओं का स्वरूप, हिन्दुस्तानी, भाग २५, अंक १४, पृ० २४८ ।
- ४८ डॉ० उदयनारायण तिवारी हिन्दी भाषा का उद्भव और विकास, १९५५, पृ० २२० ।
- ४९ डॉ० माताप्रसाद गुप्त कुतुबशतक और उसकी हिन्दुई, १९६७, प्रस्तावना, पृ० ५ ।
- ५० वही, पृ० २६ ।
- ५१ डॉ० भोलानाथ तिवारी हिन्दी भाषा, १९६६, पृ० २३१ ।
- ५२ डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी भारतीय आर्यभाषा और हिन्दी, द्वितीय संस्करण, १९५७, पृ० २१४ ।
- ५३ डॉ० भोलानाथ तिवारी हिन्दी भाषा, १९६६, पृ० २३४ से उद्धृत ।
- ५४ डॉ० उदयनारायण तिवारी हिन्दी भाषा का उद्भव और विकास, १९५५, पृ० २०५ ।
- ५५ परिषद् पत्रिका, भाषा-सर्वेक्षणक, पृ० २५० ।
- ५६ सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन (अनु०-डॉ० उदयनारायण तिवारी) भारत का भाषा-सर्वेक्षण, खण्ड १, भाग १, १९५९, पृ० ३१८ ।

११०. वही, पृ० २६१-२९२।

११८. डॉ० अन्नामममाय "सुमन" पूर्वी हिन्दी और उसकी मूलक उद्योगधर्म, हिन्दुस्तानी, भाग २६,

अंक ३४, जुलाई दिस०, १९६५, पृ० १३१ एवं १४८ से उद्धृत।

११९. डॉ० भोलानाथ तिवारी हिन्दी भाषा, १९६६, पृ० २६०-२६१।

१२०. वही, पृ० २६९-२७०।

१२१. वही, पृ० २७८-२७९।

१२२. सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन (अनु०-डॉ० उदयनारायण तिवारी) भारत का भाषा-सर्वेक्षण, खण्ड १, भाग १, पृ० ३१६।

१२३. डॉ० भोलानाथ तिवारी हिन्दी भाषा, १९६६, पृ० २८२।

१२४. वही, पृ० २९१।

१२५. वही, पृ० ३०२-३०६।

१२६. डॉ० इयाम परमार मध्यभारत की बोलियाँ और मालवा, बीणा, मालवीअंक, सितम्बर अक्टूबर १९७१, पृ० २५।

१२७. डॉ० भोलानाथ तिवारी हिन्दी भाषा १९६६, पृ० ३१३।

१२८. वही, पृ० ३२१।

१२९. सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन (अनु०-डॉ० उदयनारायण तिवारी) भारत का भाषा-सर्वेक्षण, खण्ड १ भाग १, पृ० ३३४।

१३०. डॉ० भोलानाथ तिवारी हिन्दी भाषा, १९६६, पृ० ३४१।

१३१. वही, पृ० ३४२।

१३२. वही, पृ० ३६०, ३६१।

१३३. वही, पृ० ३६२।

१३४. ज्यूल ब्लोख (अनु०-डॉ० लक्ष्मीसागर बाण्येय) भारतीय आर्य भाषा, १९६३ पृ० १५।

१३५. जॉन बीन्स कम्पेरिटिव ग्रैमर ऑफ मॉडर्न आर्यन लैंग्वेजेज ऑफ इण्डिया, प्रथम खण्ड, १८७२, पृ० २४।

१३६. सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन (अनु०-डॉ० उदयनारायण तिवारी) भारत का भाषा-सर्वेक्षण, खण्ड १ भाग १, पृ० २२४ से पूरा उद्धृत।

१३७. ई बी० वानेल शॉर्ट इन्ट्रोडक्शन टु आडिनरी प्राकृत ऑफ द संस्कृत ब्रामाण्ड, लन्दन १८७५ पृ० ६।

१३८. आर पिरील (अनु -सुमद्र शा कम्पेरिटिव ग्रैमर ऑफ द प्राकृत लैंग्वेजेज, द्वितीय संस्करण, १९६५, पृ० ४।

'All the prakrit languages have a series of common grammatical and lexical characteristics with the vedic language, and such are significantly missing from saṅskṛit"—p 4

१३९. ग्राहम विलसन (म०) ए क्लिबिस्टिक्स रीडर, न्यूयार्क, १९६७, पृ० ८७।

१४०. डॉ० प्रबोध बचरवास पंडित प्राकृत भाषा, १९५४, पृ० १४।

१४१. टा० मुनीतिकुमार चटर्जी भारतीय आर्यभाषा और हिन्दी, १९५७, पृ० ८३।

१४२. डॉ० मुनीतिकुमार चटर्जी द ओरिजन एण्ड डेवलपमेंट ऑफ द बंगाली लैंग्वेज, कलकत्ता, १९२६, पृ० १७।

१४३. एम० ब्लूमफील्ड ऑन द पोसिबल प्रि वैदिक फॉर्म इन फाकि एण्ड प्राकृत, जर्नल ऑफ द अमेरिकन ओरियन्टल सोसायटी, खण्ड ४१, १९२१ ई०, पृ० ४६५-४६६।

- ८४ विवेकचन्द्र शरकर, र. विमल जीव व वाक्य आदेश, मुद्रिका, पू० १० ।
- ८५ डॉ० कुन्दाकिण्णकर कर्करि ३ आत्मीय-आर्ष आचार और शिष्य, १९५७, पू० ७० ।
- ८६ "अन्व विद्यते मनुष्य शिष्यस्य" ।
- मानसमार्गं शिष्यो शिष्यस्य । अथर्ववेद १२।१।४ ।
- तथा—वासतीकि रामायण सुंदरकांड ३।१७।१९ ।
- सृष्टि मं उल्लेख है—“संस्कृतं प्राकृतं वाक्यं शिष्यमनुसृतम् ।
- देशभाषादनुपायैश्च बोधनेत् स शुभः रक्षकः ॥”
- ८७ भरत गीतालकार, भाषाप्रकरण, अध्याय १४ ।
- ८८ लक्षकता पायता जेष कुशा भण्डो जो लाहिया ।
- सरमंडलमि गिज्जति पसरथा इतिमासिता ॥—अनुवीगद्वारद्वय
- ८९ बटकुण्ण खेष प्राकृतिक सन्धि इन द कम्पहिता, इण्डियन लिग्विस्टिक्स, बिल्ड ९, भाग १, पू० २९ ।
- ९० डॉ० ए० डी० पुसालकर देवर द पुराणाज ओरिजिनली इन प्राकृत १, आचार्य भुवस्मादक ग्रन्थ, भाग ३, पू० १०१ १०४ ।
- ९१ महर्षि पतञ्जलि महाभाष्य, अ० १, पा० १, आ० १ ।
- तथा—अष्टाध्यायी ३, २, १०८, अ २, ८८, २ ३, ३९ ।
- ९२ “परि त्वा गिर्वणो गिर इमा भवन्तु विश्वस ।”—ऋग्वेद १ मं १ अ० १०, पू० २० ।
- ९३ “शयसिर्गतिकर्मा कम्बोजैश्चैव भाष्यते कम्बोजा कम्बलोजा कमनीयभोजा वा कम्बल कम नीयो भवति विकारमस्याभ्येषु भाषन्ते शक इति दासिर्भवनाथे प्राष्येषु दात्रमुदीच्येष्वेवमेकपदानि निम्नं वात् ।”—निरुक्त, २ अ०, १ पा०, ४ ख० ।
- ९४ “ह्रीमानि चत्वारि पदजातान्यनुक्रान्तानि नामास्मते चोषसर्गनिपाताश्च तत्र नामान्वाख्यातजानीति शाकटायनो नैरुक्तसमयश्च न सर्वाणीति गार्ग्यो ॥” बर्ही, १ अ०, ४ पा०, १ ख० ।
- ९५ “सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे । कथ पुनर्ज्ञायते सिद्ध शब्दोऽर्थ सम्बन्धश्चेति । लोकत । वल्लोकेऽर्थ-मर्थमुपादाय शब्दान्मनुष्यते नैवा निर्बुत्तौ यत्न कुर्वन्ति । ये पुन कार्वा भावा निवृत्तौ तावसेषां यत्न क्रियते । तत्रथा । घटेन कार्य करिष्यन्कुम्भारकुळं शरबाह कुरु घट कार्यमनेन करि ध्यामीति । न तदच्छब्दा-प्रयोक्ष्यमाणो वैचारणकुळं शरबाह कुरु शब्दान्प्रयोक्ष्य इति । तथा —“लोकतोऽर्थप्रबुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनिबन्ध । यथा लौकिकवैदिकेषु ।”—महाभाष्य, अ० १, पा० १, आ० १ ।
- ९६ डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री अशोककालीन भाषाओं का भाषाशास्त्रीय सर्वेक्षण, परिषद् पत्रिका, भाषा-सर्वेक्षणक, पू० ७८ से पूर्ण उद्धृत ।
- ९७ मिथु सिद्धार्थ बुद्धिस्टिक स्टडीज, पू० ६४१ ।
- ९८ “भागधिकाय सन्तप्तान मूलमसाय ।” “द्वैतभासा नाम एकसतवोहारकुसलता विस्तेज्य यन मागधिके कोसलक ।”—विशुद्धिमन्त्र, पू० ३४, ३०६ ।
- ९९ सिद्धमिद्धगुण साधु नमस्तिस्त्वा तत्रगत ।
- सम्पन्नसंज्ञं भासितं संज्ञं सधलक्षण ॥ श्रीमद्भक्तानन्द्याकरण, १ ।
- १०० गुणरत्नशेखर कम्पनयनेत्याकरण की मुद्रिका, पू० २ ।
१०१. शालिसदो शालिष्ये तलकाशालिय वि च ।
- द्विस्तरे कर्मिष्यं जेष इति जेष्यं विज्ययता ॥—अभिधानपदीपिका मुद्रा, पू० २३६ ।
- या रक्षणे कि, शालि रक्षतीति शालि, शालीति एकशब्दे ।

- १०२ एच० लुडसे (म०) मुखश्लोक बुद्धिशिटरत्नर जेमन, बर्लिन, १९११ ।
- १०३ डॉ० सुकुमार सेन कम्पैरेटिव ग्रेमर ऑफ मिडिल इन्डो-आर्यन, १९६०, पृ० ३३ ।
- १०४ लक्ष्मीनारायण तिवारी वचनायन व्याकरण की भूमिका, १९६२, पृ० ४२ ।
- १०५ डॉ० उदयनारायण तिवारी हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास, १९५५, पृ० ११३ ।
- १०६ भरतमुनि नाट्यशास्त्र, १७ १६ ।
- १ ७ देशेषु देशेषु पृथग् विभिन्न न शक्यते लक्षणतस्तु वक्तुम् ।
लोकेषु यत् स्यादपभ्रष्टसंज्ञं श्रेयं हि तद्देशविदोऽधिकारम् ॥
—विष्णुधर्मोत्तर, ७ ११ ।
- १०८ मागध्यकम्पितजाप्राच्या शौरसेनयर्द्धमागधी ।
वाल्मीका दाक्षिणात्या च सप्तभाषा प्रकीर्तिता ॥ नाट्यशास्त्र १७, ४९ ।
- १०९ डॉ० नामवर सिंह हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग, १९५४, पृ० ३७ ।
- ११० “सदेशेण पीई, पीईड रईड बीरुम्भो ।
बीमभाओ पणओ, पन्चविह वडदए पिम्भ ।
जह जह करोमि नेह तह तह नेहो मे वडदए तुमभिम् ।
तेण नाडिओमि वलिय ज पुच्छसि दुम्बलतरोत्ति ॥
—बृहत्कल्पभाष्य ।
- विशेष जानकारी के लिए द्रष्टव्य है अपभ्रंश भाषा और साहित्य को शोध प्रवृत्तियाँ”
परिशिष्ट (२) प्राकृत साहित्य में उपलब्ध नतिपय अपभ्रंश पत्र, पृ० २३७ ।
- १११ डॉ० एम० एम० कप्रे प्राकृत लैंग्वेज एण्ड देयर कम्प्लेक्स्युशन डु इण्डियन कल्चर, पृ० २२ ।
- ११२ डॉ० देवेन्द्रकुमार चैन अपभ्रंश भाषा और साहित्य, १९६५ पृ० १७ ।
- ११३ राजशेखर नाथ मीमासा, अध्याय १० ।
- ११४ आता मस्कृता अथवा प्राकृता ।
भाषा जाली ज हरिकथा ॥—एकना १ ।
तथा—प्राकृत लोक न जाणति मूल, जगंच इला कविताती सवाइ ।
“देशी हो का महराठी, परी उपनिषदाची च राहाटी !”—विक्कसिंधु ।
“अम्हो प्राकृतो देशीकारे वधे गीता ।”—ज्ञानद्वार ।
- ११५ डॉ० एस० एन० घोषाल अपभ्रंश एण्ड पोस्ट अपभ्रंश फीचम इन द अर्ली प्राकृतस,
इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टली, जिल्द ३० नं ३, पृ० २४५ २६३ ।
- ११६ डॉ० भोलानाथ तिवारी हिन्दी भाषा, १९६६, पृ० ९५ ।
- ११७ प० चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिन्दी, प्रथम संस्करण, पृ० ८ ।
- ११८ डॉ० शिवप्रसाद सिंह सूरपूर्व जनभाषा आर उसका साहित्य १९५८, पृ० ६ ।
- ११९ डॉ० माताप्रसाद गुप्त कुतुबशतक और उसकी हिन्दुई, १९५७, पृ० ७३ ।
- १२० रघुपति सहाय ‘फिराक गोरखपुरी उर्दू भाषा और साहित्य, १९६२, पृ० १ ।
- १२१ डॉ० धीरेन्द्र वमा हिन्दी भाषा का इतिहास, १९४९, पृ० ७० से उद्धृत ।
- १२२ विशेष जानकारी के लिए द्रष्टव्य है हिन्दी परमर्गों का विकास सप्तसिंधु, विसम्बर,
१९६१ पृ० १ १४ ।
- १२३ बरनि न आइ दशा तिन्ह वेरी । लहि जनु रंकन्ह सुर मनि डेरी ॥
—रामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड, ११३, ३ ।
निठुर होइ जिह बधसि परावा । हरया केर न होहि छर आवा ॥—पद्मनाभत ।
पानी कैरा बुदबुदा, अस मानुन की जाल ।

- १२४ डॉ० बालमुकुन्द हिन्दी क्रिया स्वरूप और विश्लेषण, १९७०, पृ० १०० ।
१२५. प्रकृत है—अपभ्रंश भाषा और साहित्य की शोध-प्रवृत्तियाँ, पृ० ३१ ।
- १२६ हिन्दी शब्द-रचना, प्राक्कथन, पृ० ६७ से उद्धृत ।
- १२७ कश्मीरन्द हिन्दी-भाषा-आन्दोलन, १९६३, पृ० ३ से उद्धृत ।
१२८. म० म० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी वर्तमान हिन्दी में संस्कृत शब्दों का ग्रहण, नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, भा० १०, अंक १२, पृ० २२३ ।
- १२९ 'चौदहभाषा-गोष्ठी,' ज्ञानपीठ पत्रिका, फरवरी, १९६७, पृ० ४१ ।
- १३० वहाँ, पृ० ३६ ।
- १३१ वहाँ, पृ० ३८ ।
- १३२ भाषा, वर्ष ८, अंक २, पृ० ३६ ।
- १३३ डॉ० उदयनारायण तिवारी हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास, १९५५, पृ० ५४६ ।
- १३४ एच० ए० षलीसन, ज० एन इन्डोडनशन टु डिस्क्रेडिट क्विबिस्टिक्स, समोषित सस्क
रण, १९६६, पृ० ४१२ ।
१३५. वाचस्पति गैरोला अक्षर अमर रहे, १९५९, पृ० २८० ।
- १३६ ई० एच० स्तुर्वाकेन्त लिब्रिस्टिक चेन्ज, १९६१, पृ० ७८ ।
- १३७ डॉ० उदयनारायण तिवारी हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास, १९५५, पृ० ५४७ ।
- १३८ डॉ० भोलोक बिहारी धल ध्वनिविज्ञान, १९५८, पृ० २०८ २०९ ।
- १३९ डॉ० उदयनारायण तिवारी हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास, १९५५, पृ० ५४९ ।
- १४० डॉ० जगदीशचन्द्र जैन जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज, १९६५, पृ० ३०० ।
- १४१ जॉर्ज ब्युलर ऑन द ओरिजिन ऑव द इण्डियन ब्राह्म अल्फाबेट, १९६३, पृ० ८२ ।
- १४२ वहाँ, पृ० ५३ ।
- १४३ आचार्य जिनसेन महापुराण, १६, १०४ १०८ ।
- १४४ वाचस्पति गैरोला अक्षर अमर रहे, १९५९, पृ० २० ।
- १४५ वहाँ, पृ० २३ ।
- १४६ डॉ० भोलानाथ तिवारी हिन्दी भाषा, १९६६, पृ० ३०६ ३०७ ।
- १४७ कैदारनाथ सि धु सभ्यता का आदि वेद हकम्पा, पृ० २१४ ।
- १४८ गौरीशंकर हीराचन्द ओझा भारतीय प्राचीन लिपिमाला, पृ० ३२ ।
- १४९ भाषा १, १, पृ० ३५ ।
- १५० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा भारतीय प्राचीन लिपिमाला, पृ० ६८ ७० ।
- १५१ "यथा सौशात्रिका नारी तत्र इत्यभिभाषत ।
एव रक्षणा प्रवोक्तव्या --॥ पाणिनिशिक्षा, २६ ।
- १५२ डॉ० भोलोक बिहारी धल ध्वनिविज्ञान, १९५८, पृ० २९ पूर्ण उद्धृत ।
- १५३ डॉ० भोलानाथ तिवारी हिन्दी भाषा, १९६६, पृ० ३२६ ।
- १५४ श्री० दा० सतबलकेकर देवनागरी प्राचीनतम और पूर्ण वैज्ञानिक लिपि, भाषा, ५, १,
सितम्बर, १९६५, पृ० २२ ।
१५५. डॉ० गुणावन्द जुमाल हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास, १९६६, पृ० १४८ ।
- १५६ डॉ० भोलानाथ तिवारी हिन्दी भाषा, १९६६, ३२७ ।
- १५७ वहाँ, पृ० ३२७ ।
- १५८ श्री० दा० जगन्नाथन हिन्दी की लिपि-स्वरूप और समस्याएँ, गवेषणा, सितम्बर, १९६६,
पृ० ४६ ।

भाषाशास्त्र तथा हिन्दी भाषा की सम्प्रदाय

१५९. वही, पृ० ४८ ४९ ।

१६०. डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी भारतीय आर्यभाषा और हिन्दी, १९५७, पृ० २३६ ।

१६१. वही, पृ० २३८ ।

१६२ भाषा, वर्ष ६, अंक, ४, पृ० ६ से उद्धृत ।

१६३. वही, पृ० ६ ।

१६४ शासकीय महाविद्यालय पत्रिका, नीमन्च, वर्ष १८, अंक १७, पृ० ५१ ।

अध्ययन व विमर्श के लिए पठनीय पुस्तकें

- (१) फ्रेडरिक ब्रदमर द लूम भाष लैंग्वेज ।
- (२) मेरिओ ए० पेइ द वर्ल्ड्स चीफ लैंग्वेजेज ।
- (३) डॉ० उदयनारायण तिवारी हिन्दी भाषा का उद्भव और विकास ।
- (४) डॉ० भोलानाथ तिवारी हिन्दी भाषा ।
- (५) , भाषा विज्ञान ।
- (६) गौरीशंकर हीराचन्द्र जोशी भारतीय प्राचीन लिपिभाला ।
- (७) , " नागरी अक्षर और अक्षर ।
- (८) डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी भारतीय आर्यभाषा और हिन्दी ।
- (९) डॉ० रामबली पाण्डेय पेलियोग्रॉफी ।
- (१०) डॉ० धीरेन्द्र वर्मा हिन्दी भाषा का इतिहास ।
- (११) ज्यूल ब्लॉख भारतीय आर्यभाषा ।
- (१२) डॉ० इन्द्रचन्द्र शास्त्री भारत की आर्यभाषाएँ ।
- (१३) न० चि० चोगलेकर (स०) देवनागरी लिपि स्वरूप विकास और समस्याएँ
- (१४) डॉ० अम्बामसाद 'सुमन' हिन्दी और उसकी उपभाषाओं का स्वरूप ।
- (१५) डॉ० हरदेव बाहरी हिन्दी उद्भव, विकास और रूप
- (१६) नदिनी मोहन सान्याल बिहारी भाषाओं की उत्पत्ति और विकास ।
- (१७) डॉ० वैलाशचन्द्र भाटिया जनभाषा तथा खड़ी बोली ।
- (१८) डॉ० सतीशकुमार रोहरा भाषा एवं हिन्दी भाषा ।

पारिभाषिक शब्दावली

अंग्रेजी-हिन्दी

<p>A</p> <p>Absolute निरपेक्ष</p> <p>Abstraction पृथक्करण</p> <p>Ablaut अप्रियुक्ति</p> <p>Academic विद्वत्परिषद्, अकादमी</p> <p>Accent आघात, स्वराघात</p> <p>Accented आघातयुक्त</p> <p>Acoustic श्रोत, श्रवणात्मक</p> <p>Acoustical श्रौतग्राह्य</p> <p>Acoustic Phonetics श्रौतिकी ध्वनिविज्ञान</p> <p>Acute उदात्त</p> <p>Adam's apple टेंडुआ, वठ</p> <p>Adapt रूपान्तर करना</p> <p>Addendum परिशिष्ट</p> <p>Adhere मसक्त रहना</p> <p>Adjoining sound सन्निकृष्ट ध्वनि</p> <p>Advanced अग्रवर्ती</p> <p>Affinity साम्य</p> <p>Affix प्रत्यय</p> <p>Affricate स्पर्शसघर्षी</p> <p>Agglutinate सङ्कलित, चिपका हुआ</p> <p>Allegory रूपक</p> <p>Allegro सजीव, तीव्र गति से</p> <p>Allergo form निर्बल रूप</p> <p>Allograph उपवर्णग्राम</p> <p>Allophone संस्वन, लपकनियाम</p> <p>Allophonic संस्वनीय</p> <p>Alphabet वर्णमाला</p> <p>Alveolar बल्लर्य, दन्त-कोटर</p> <p>Alveoli बल्लर्य</p> <p>Alveopalatal बल्लर्यतालव्य</p> <p>Amphitheatre रंगभूमि</p> <p>Amplitude प्रकापन-विस्तार, दोलनांक</p> <p>Analepsis संकलन, साहित्यिक संस्वन</p> <p>Analogous सदृश, समान</p>	<p>Analogy सादृश्य, समानता</p> <p>Analysis विश्लेषण</p> <p>Analyst विश्लेषक</p> <p>Analytic, Analytical विश्लेषणात्मक</p> <p>Anaptyxis स्वरमक्ति</p> <p>Anatomy शरीररचना विज्ञान</p> <p>Ancillary आनुषंगिक</p> <p>Anecdote उपाख्यान</p> <p>Anglo अंग्रेज जाति का</p> <p>Angular कोणयुक्त</p> <p>Annotate टीका लिखना, टिप्पणी करना</p> <p>Anthropology नृतत्त्व विज्ञान, मानव-शास्त्र</p> <p>Antilogy उक्ति विरोध</p> <p>Antiquary पुरातत्त्वविद्</p> <p>Antiquity प्राचीनता</p> <p>Antithesis प्रतिपक्षीय, विरोधात्मकता</p> <p>Apex नोक, सिरा</p> <p>Aphesis आदि स्वर लोप, शब्द के आरम्भिक स्वर का लोप (e) <i>square</i></p> <p>Apical जिह्वानीक, जीम की नोक</p> <p>Apocope अन्त्याक्षर लोप</p> <p>Apostil उपान्तस्थ टिप्पणी, हाशिये का नोट</p> <p>Appendix परिशिष्ट</p> <p>Arbitrary यादृच्छिक</p> <p>Argot गुटबोली</p> <p>Articulation उच्चारण</p> <p>Aspirate महाप्राण व्यंजन</p> <p>Assimilation समीकरण</p> <p>Assonant समस्वरयुक्त</p> <p>Atonic स्वराघातहीन</p> <p>Attune एक सुर करना</p> <p>Audible श्रव्य, जो सुना जा सके</p> <p>Auditory श्रुतिग्राह्य</p> <p>Argument वाक्यम</p>
---	---

B

- Back पश्च
 Back rounded पश्च वृत्ताकार
 Back vowel पश्च स्वर
 Bass मन्द्र, मन्द्र ध्वनिवाला
 Bibliography सन्दर्भ-ग्रन्थ सूची, ग्रन्थ-सूची
 Bilabial द्वयोष्ध्य
 Bilingual द्विभाषिक
 Blade of the tongue जिह्वाफलक
 Borrowed word गृहीत शब्द
 Breath द्वांस
 Breathed (voiceless) अघोष
 Bronchi ह्वासनली के दो मुख्य भाग, श्रैवेय
 Broad transcription प्रशस्त प्रतिलिखन
 Buccal cavity मुख विवर

C

- Cacoepey अशुद्ध उच्चारण
 Cacography अशुद्ध वर्तनी
 Calligraphy सुलेख
 Cant किसी वर्ग की निजी अपभाषा या बोली
 Cardinal consonant मान व्यंजन
 Cardinal vowel मान स्वर
 Cartilage उपास्थि
 Case कारक, विभक्ति
 Catachresis अर्थ विपर्यय
 Catalogue अनुक्रमणिका, सूची
 Category कोटि
 Catharsis भाव विरेचन
 Cavity विवर
 Central vowel केन्द्रीय स्वर
 Character लक्षण
 Chart रेखाचित्र
 Chord तन्त्री स्वरों का तारतम्य
 Chrono दीघता
 Chronology कालक्रम
 Cingalese सिहली भाषा
 Circumflex स्वरघात
 Classification वर्गीकरण
 Close सञ्चुत
 Close Vowel सञ्चुत स्वर

Cluster (व्यंजन वा स्वरध्वनियों का गुच्छ
 गुच्छ)

- Coarticulation समकालिक प्रवृत्त
 Code गद्दर
 Code संहिता, सकेत
 Cognate सजातीय
 Coinage गद्दा बुझा, गद्दत
 Collate परस्पर पाठुलिपि का मिलान करना
 Collinear एकरेखीय
 Colloquial बोलचाल का, प्रचलित
 Colophon पुष्पिका
 Coloured vowel अनुरजित स्वर
 Complementary distribution
 परित्पूरक वितरण
 Complex जटिल, भिन्न
 Complicate जटिल बनाना
 Component घटक
 Compose रचना करना
 Composite सयुक्त
 Composition संघटन
 Composer अक्षर-बोजक
 Compound सामासिक, समास पद बनाना,
 समास
 Comprise समाहित करना
 Compute गणना करना
 Concept तथ्य, विचारणा, धारणा
 Concrete sound मूर्त ध्वनि
 Conditional परेद्भूत
 Conflated मिश्रित
 Conglutarate परस्पर चिपकना
 Conjugate रूप चलाना, रूपान्तर बनाना
 Conjunct सद्दिलुट
 Connote सकेत करना
 Consonant Cluster व्यंजनगुच्छ
 Consonantal vowel व्यंजनीय स्वर
 Constitute संघटन करना
 Constitutive सघटक
 Content विषयवस्तु
 Contentives मूल शब्द
 Context अन्वय, सन्दर्भ

Contiguous सन्निकट, सन्निकट
 Contingent सांकेतिक
 Continuous सतत
 Contour आकृतिरेखा
 Contraction संकुचन, संकुचन
 Contrast स्वतिरेक, विपरीत
 Contrastive स्वतिरेकी
 Conversion परिवर्तन, रूपान्तर
 Cord रज्जु, तानी
 Corpus मांसपत्र, निकास (समुदाय)
 Corpuscular theory आणविक सिद्धान्त
 Corresponding अनुकूल, समक
 Corrupt विकृत
 Counter अनुरूपता, समानता
 Counterpart प्रतिरूप
 Crest of sonority मुखरता शीर्ष
 Critic समालोचक
 Criticism समालोचना
 Crystallizing form रचना प्रक्रिया-रूप
 Current चालू, प्रचलित
 Curving power अबरोधक शक्ति

D

Denasalisation अनासिकयीकरण
 Denominative नामधातु
 Dental दन्त्य
 Depict चित्रण करना
 Derivation व्युत्पत्ति
 Derivational व्युत्पादक
 Descended परम्परागत, डल कर
 Descriptive Linguistics वर्णनात्मक

भाषाशास्त्र

Descriptive procedure वर्णनात्मक विधि
 Design परिकल्पना, ढाँचा
 Device विधि, अभिलक्षण
 Devoted समर्पित
 Diachronic ऐतिहासिक
 Diacritic mark ध्वनिलेखकचिह्न, मांसा-चिह्न
 Dialect बोली
 Dialectology बोली-विज्ञान
 Diaphragm धर-मांसीर

Diction विहित पर-योगना, शब्द-चयन
 Digraph द्विवर्णमय विन्यास, दो वर्णों का समूह जो एक ही ध्वनि का मापक हो
 Diphthong संयुक्त स्वर
 Diphthongisation संयुक्तस्वरीकरण
 Disparate विषम, असंबद्ध
 Dissect विभाजित करना
 Dissimilation विषमीकरण
 Distributional वितरणीय
 Ditto पूर्वाक्त, उपर्युक्त, वही
 Divergence अपसरण
 Diversion परावर्तन
 Divisible विच्छेद्य, बँटने योग्य
 Division विभाग
 Dorsal पश्च-जिह्व
 Dorsum जिह्वा-पश्च
 Dotty बिन्दुओं के द्वारा चिह्नित
 Double articulation द्वित्व-प्रवृत्त
 Double Consonant द्वित्व-व्यंजन
 Double Stop द्वित्व स्पर्श
 Double Stress द्विगुणावात
 Dramatically अकस्मात्
 Drift भाव, अभिप्राय
 Dual द्विसंख्य, दिवाचक, द्वैती
 Duet वाहिनी
 Dumb गूंगा, मूक
 Durative (Spirant) संघर्षी, ऊष्म
 Dynamic गतिशील, क्रियात्मक
 Dyslogistic अपकर्ष, तुरे अर्थवाला शब्द-प्रयोग

E

Ear drum वर्णपट्ट
 East middle मध्यपूर्व
 Ecology परिस्थितिकी, परिस्थिति-विज्ञान
 Economy of effort प्रयत्न-ऊर्ध्व
 Eclat सजस्योक्ता
 Edit सम्पादन करना
 Edition संस्करण, आवृत्ति
 Editor सम्पादक
 Egressive air stream बहिर्गामी वायु-प्रवाह
 Electric वैद्युत

Electro motion विद्युत्तरंग
Elegant सुन्दर, ललित
Element मूल तत्त्व
Elision लोप (स्वर, अक्षर लोप)
Embody मूल रूप देना
Emend सशोधन करना (पुस्तक पाठादि का)
E-motion भाव, सवग
Energy ऊर्जा
Epenthesis अपिनिहिति
Epenthetic अपिनिहित्यात्मक
Epic महाकाव्य
Epiglottis स्वर्य-त्रावरण
Epigraph उत्कीर्ण लेख
Episode उपख्यान
Equivocal अनेकाधिक
Erotic श्रृंगारिक प्रेमकाव्य
Esperanto एक कृत्रिम विश्व भाषा
Ethology मानव जाति विज्ञान
Etymology युत्पत्तिशास्त्र, निरुक्त
Euphony श्रुतिमधुर
Event वृत्त घटना
Evolution विकास
Exclusive एकान्तिक, अतिरिक्त
Expansion विस्तार
Explosion स्फोट
Extant उपलब्ध

F

Fable कल्पित कथा
Factor निमित्त
Faculty मन्त्राय
Fallacy भ्रांति
Falling tone अवरोही तान
False analogy मिथ्या सादृश्य
Fancy ललित कल्पना कल्पना तरंग
Fantasy कल्पना
Feature लक्षण
Fiction गल्प, कल्पित कथा
Flapped उल्लिख्य
Flexibility लोच, लचीलापन
Form रूप

Form Class रूप-वर्ग
Formation रूप रचना
Formative affix रचनात्मक उपसर्ग
Formula सूत्र
Fortis सबल, सशक्त
Free form मुक्त रूप
Free variation मुक्त परिवर्तन
Frequency आवृत्ति, बारंबारता
Friction घर्षण
Fricative सवर्षी
Front of the tongue जिह्वाग्र
Front vowel अग्रस्वर
Functional क्रियात्मक, क्रियाशील
Functor नामाख्यात

G

Gender लिंग
Genealogical वंशक्रमीय
Generate व्युत्पादित
Generator जनक
Genetic Classification उत्पत्तिमूलक
 वर्गीकरण
Gerund क्रियावाचक सज्ञा
Gesture language साकेतिक भाषा
Gist भावार्थ
Gland ग्रन्थि
Glide श्रुति
Gliding sound श्रुति ध्वनि
Glottal stop काकल्य स्पर्श
Glottis काकल, अलिजिह्वा
Grapheme वर्णग्राम
Gullet भोजन नली
Gum मसुका
Gutteral वज्र

H

Half close Vowel अर्ध-सङ्कुत स्वर
Half open Vowel अर्ध-विकृत स्वर
Hapology समाक्षर लोप
Hiatus अवग्रह
Homogeneous सजातीय
Homologous सजातीय

Homonym शिन्नाई शब्द
Homorganic समासबन्धी
Human speech आनुवंशिक वाक्
Humanitas मानविकता, विद्यावेतर विषय
Humour विनोदवृत्ति
Hyphen निम्नकियोजक चिह्न
Hypothetical काल्पनिक
I
Iconography प्रतिमा शास्त्र
Ideal sound आदर्श ध्वनि
Identical अभिन्न, वही
Identification अभिज्ञान, स्थिरीकरण
Identification of morpheme पद स्थिरीकरण
Idiolet उपबोली
Ideograph भाव लिपि
Illustration उदाहरण
Image चित्र, प्रतिच्छाया
Imagery कल्पना सृष्टि
Imagination कल्पना
Imitative words अनुकरणमूलक शब्द
Immanent अन्तर्निहित
Imperative आज्ञायक
Impression of syllable अक्षर का चित्राकन
Implosive अन्तविस्फोट्य
Inarticulate sound अव्यक्त ध्वनि
Incidental sound आकस्मिक ध्वनि
Inclusive अन्तर्गत समाविष्ट
Incompetent अक्षम
Incorporate मिलाना, अनुयोजना
Index अनुक्रमणिका, निर्देशिका
Indivisible length अविभाज्य दीर्घता
Infix अन्तःप्रत्यय
Inflection विभक्ति
Informant सूचक
Ingressive air stream अन्त प्रवेशी वायु प्रवाह
Inscription अभिलेख
Inspiration अन्त प्रवास, अन्त स्फुरण
Instinct सहजवृत्ति

Instrumental साधक
Inter change विनिमय
Internal change आन्तरिक परिवर्तन
Inter vocalic अन्तरस्वरसम्बन्ध
Intonation स्वरलहर
Intonation contour स्वरलहर रेखा
Intone सस्वर पाठ करना
Intransitive अकर्मक
Inversion विपर्यय
Irregular अनियमित
Isogloss bundle लक्षण समुच्चय
Isolation वियुक्ति, पृथक्ता, अलगाव

J

Jaw जबड़ा
Jest परिहासोक्ति, ठिठोली
Jester विदूषक
Journal पत्रिका
Junction सन्धि
Juncture विवृति, सन्धि
Juncture prosody सन्धि-राग
Jung grammatikar नव्य वैयाकरण

K

Key word सूचक शब्द
Kinds of phones स्वन प्रकार
Kymogram काइमोग्राम, ध्वनियों की नापने का एक यन्त्र
Kymograph काइमोग्राफ, दबाव के परि वर्तन या ध्वनि तरंगों के विभेद की नापने का एक यन्त्र

L

Labial ओष्ठ्य
Labial check ओष्ठ्य अन्त स्फोट
Labiodental दन्तोष्ठ्य
Labio velar ओष्ठ्यकण्ठ्य
Language भाषा
Language material भाषा सामग्री
Larynx स्वरयन्त्र
Lateral पार्श्विक
Law of palatalization तालव्यीकरण का नियम

Lex vowel किथिल स्वर
Legend आरेखान
Length दीर्घता
Lengthening दीर्घीकरण
Lexis अक्षर
Lento सवल, पूर्णरूप
Level स्तर
Level pitch समतान
Lexeme व्याकरणिक रूप
Lexicon शब्दकोश, अभिधान, निघण्टु
Lexicography कोश विज्ञान
Libido कामवासना रति
Linear रैखिक
Linguist भाषातत्त्वविद्
Linguistic भाषिक, भाषात्मक, भाषाशास्त्रीय
Linguistics भाषाशास्त्र
Linked sequences सम्बद्धानुक्रम
Lipography लेखन-प्रमाद
Liquid sound तरल ध्वनि, स्वर जैसी ध्वनि
Literal शाब्दिक
Literary साहित्यिक
Literator साहित्यकार
Literature साहित्य
Loan ऋण, आगत या गृहीत शब्द
Local colour स्थानीय रंगत
Locution वक्तृता शैली
Logograph शब्द चिह्न
Logomachy शब्द विवाद, शाब्दिक मत भेद
Long consonant दीर्घ यजन
Long vowel दीर्घ स्वर
Loutish गवारू, भद्दा
Low pitch निम्न तान, अनुदात्त
Lucubrate अभिव्यजित करना
Ludicrous हास्यास्पद
Lung फेफड़ा पुफ्फुस
Lynx प्रगीन

M

Macron दीर्घ चिह्न, स्वरों की दीर्घताएवक
 चिह्न (¯)
Mandible अधोहनु अस्थि, जबड़ा

Manuscript पाण्डुलिपि
Map मानचित्र
Masculine पुल्लिंग
Maternal सावत्री, वस्तु
Mathematical गणितीय
Matter विषय-वस्तु
Maxim कहावत, उक्ति
Maximum महत्तम, अधिकतम
Meaning अर्थ
Meaningful element अर्थवान् तत्त्व
Mechanical यान्त्रिक
Mechanism of speech भाषणावयव
Mechanize यान्त्रिक प्रक्रिया
Medieval मध्ययुगीन, मध्यकालीन
Mediopalatal region मध्यतालम्ब प्रदेश
Medium माध्यम, उपाय, साधन
Medium long vowel मध्यम दीर्घ स्वर
Melody स्वरानुक्रम, लय
Membrane झिल्ली
Mental process मानसिक प्रक्रिया
Morphological Classes गठन विषयक वर्ग
Meene मध्यवर्ती
Metaphor रूपक
Metaphrase शब्दश, दूसरे शब्दों में कहना
Metaphysics तत्त्वमीमासा
Metathesis विपर्यय, वणविपर्यय
Metonym वक्रोक्ति, कलकार
Metre छन्द, वृत्त
Microphone ध्वनिप्रसारक यन्त्र
Middle माध्यमिक, मध्यवर्ती
Middle Indo-Aryan (MIA) मध्य
 कालीन भारतीय आर्य (भाषा)
Middle of the tongue जिह्वामध्य
Mid pitch मध्यस्तर
Minimal } अल्पतम, न्यूनतम
Minimum }
Minimal pair अल्पतम युग्म
Minimal phonetic change अल्पतम
 ध्वन्यारम्भक परिवर्तन
Minimum unit लघुतम इकाई

Mixed vowel मिश्रित स्वर
Modal स्वीय, कृत्रिमिक
Mode शक्ति
Model प्रतिरूप, आदर्श, नमूना
Modern आधुनिक, वर्तमान
Modify स्वर-परिवर्तन करना
Mplar चयने वाला शक्ति, शक्ति
Molecule अणु
Momentum वेग, सुवेग
Monograph एक विषय पर लिखित प्रबंध
Monologue स्वगत भाषण
Monophone एकस्वनात्मक
Monosyllable एकाक्षर
Monophthong मूलस्वर
Monotony एकस्वरता, उकसाहट
Monotype एक एक अक्षर का टाइप निकालने वाली मशीन
Mood मन स्थिति, वृत्ति
Mora मात्रा
Morph पद
Morpheme पदग्राम, पदिम
Morphology पद विज्ञान
Morphological Class गठनविषयक वर्ग
Motif अनिप्राय
Motion गति
Motive गत्यात्मक
Motor प्रेरक या चालक
Motor nerve प्रेरक तंत्रिका
Motor unit गत्यात्मक इकाई
Motto आदर्श वचन, आदर्श वाक्य
Mouth cavity मुख-विबर
Mouth tracing मुखानुरेखण
Moving power प्रेरक शक्ति
Musical accent नीतात्मक स्वर
Mutable परिवर्तनीय, परिवर्तनशील
Mute signs सूक सकेत
Mysticism रहस्यवाद
Myth कथाकल्प, मिथक
Mythology पुराणशास्त्र

Narration वर्णन, कथन
Narrative आख्यायिका
Narrow transcription संक्षीप्त प्रतिक्रिया
Nasal अनुनासिक, नासिक्य
Nasal cavity नासिका-विबर
Nasality अनुनासिकता
Nasalization अनुनासिकीकरण
Nasalized सातुनासिक
Nasal plosion नासिक्य स्फोट
Nasopharynx नासिका-विष रोन्मुखी गलबिड
Negative निषेधात्मक, नकारात्मक
Neology नव शब्द रचना, नव-शब्द-प्रयोग
Nerve system स्नायु तन्त्र, तन्त्रिका-तंत्र
Neutral vowel उदासीन स्वर
New Indo-Aryan (NIA) नव्य भारतीय
 आर्य (भाषा)
Normative वर्त्ता कारक
Non aspirate अल्पप्रण
Non contrastive distribution अविरो-
 धात्मक वितरण
Non linguistic भाषेतर
Non segmental phoneme खण्डेतर
 ध्वनिग्राम
Non-speech sound अवाक् ध्वनि
Non-syllabic अनक्षरात्मक
Norm मानक, आदर्श
Notion भाव, विचार
Noun संज्ञा, नाम
Novel उपन्यास
Nucleus of a syllable अक्षराधार
 ○
Object कर्म
Objective वस्तुपरक
Objective—stress प्रत्यक्ष बलाघात
Oblique तिर्यक्, वक्र
Oblique form अंगरूप विकार
Occidental पश्चिमात्य
Octant } अष्टक
Octave }

Ocular जागृ
Ocularve स्पर्श
Odd विषय
Ode नीतिकान्ध
Oesophagus अन्ननली
Off glide परश्चुति
On glide पूर्वश्चुति
Open Vowel विद्युत स्वर
Operation क्रिया, काय सम्पादन
Operative प्रवर्तनशील
Oral cavity मुख विवर
Organic सावयव
Organ of speech भाषणावयव
Oriental प्राच्य
Origin उद्भव, उत्पत्ति
Orthography बण विन्यास, वतनी विचार
Oscillograph ध्वनियों के कम्पन के चित्र लेने वाला एक यन्त्र (ओसिलोग्राफ)
Overlapping of phonemes परस्पराच्छान्ति ध्वनिग्राम
Oxidize जारण क्रिया
P
Palaeography पुरालेख या शिलालेखों का अध्ययन
Palatal तालव्य
Paradigm शब्द रूपावली रूपतालिका
Paradigmatic approach रूपतालिकात्मक पद्धति
Paragraph अनुच्छेद
Parallel समानांतर
Parasynthetic समस्तपत् से युत्पन्न
Parataxis अमबद्ध व्यवस्था वाले उपवाक्य
Parasyllabic समाक्षर
Parody व्यंग्यप्रधान काव्य
Paronomasia झुल्लेख
Partial आंशिक सुर
Participle कृदन्त धातुओं में कृत् प्रत्यय मयुक्त कर बनाया हुआ शब्द
Pathos वरुण रस
Patois स्थानीय या जनपदीय बोली

Pattern सौंचा, प्रतिरूप
Pause विराम
Pejorative हासकारी
Perception प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष ज्ञान
Personification मानवीकरण
Pharyngeal उपालिजिह्वीय
Pharyngeal contraction उपालिजिह्वीय संकोचन
Pharynx उपालिजिह्वा
Phase वाक्यांश
Philologist भाषाविज्ञानी
Philology भाषाविज्ञान
Phonation process उच्चारण प्रक्रिया
phone स्वन
Phonematic स्वनग्रामिक
Phoneme ध्वनिग्राम
Phonemic ध्वनिग्रामीय
Phonemics ध्वनिग्रामशास्त्र
Phonemic system ध्वनिग्रामिक प्रणाली
Phonetic ध्वन्यात्मक
Phonetics ध्वनिशास्त्र
Phonetic script ध्वनिलिपि
Phonetic symmetry ध्वन्यात्मक साम्य
Phone type स्वनप्रकार
Phonic ध्वनीय
Phonography ध्वन्यात्मक शीघ्रलिपि प्रणाली
Phonological ध्वनिप्रक्रियात्मक
Phonology ध्वनिप्रक्रिया-विचार
Phonometer ध्वनिमापी यन्त्र
Phonoscope ध्वनिपरीक्षण-यन्त्र
Phonotype ध्वनिमुद्रण
Photozineography ब्लॉक बनाने की कला
Phrase मुहावरा कहावत, पदबंध
Physiology शरीरक्रियाविज्ञान
Pictorial सचित्र
Pitch तान, सुर
Pitch accent सुराघात
Pleasure सुख, प्रसाद
Plosion स्फोट
Plosive स्पर्श, स्फोटात्मक

Plot कथनक, चरतु
 Plural बहुवचन
 Poetic काव्यत्मक, सरस
 Polyglot बहुभाषाविद्
 Polyphonic अनेकध्वनिसुक्त
 Polysyllabic अनेकसंज्ञी
 Post Alveolar region पद्वचकस्तर्य प्रदेश
 Post Consonantal पश्च व्यञ्जनीय
 Post fix परसर्ग
 Post-position परसर्ग
 Postpositive परसर्गात्मक
 Postulate आधारतत्त्व
 Potential विधिलिङ्
 Practical व्यावहारिक, क्रियात्मक, सैद्धान्तिक
 Practice प्रक्रिया-विधि, पद्धति
 Precise यथा, जैसा वा तैसा
 Predicate विधेय
 Preface प्रस्तावना भविष्य, मुखवच
 Prefix उपसर्ग
 Preformation पूर्वरचना
 Prehistoric प्रागैतिहासिक
 Preliminary प्रारम्भिक
 Preposition पूर्वसर्ग, संबन्ध या विभक्तिसूचक
 अन्वय
 Prescriptive रीत्यात्मक, आदेशात्मक
 Previous पूर्ववर्ती, प्राथमिक
 Primary Accent प्रधान बलाघात
 Primary Root मूल शब्द
 Principal प्रमुख
 Principle सिद्धान्त
 Process प्रक्रिया
 Process of Aspiration महाप्राणीकरण
 प्रक्रिया
 Process of Deaspiration अल्पप्राणीकरण
 प्रक्रिया
 Process of Devocalisation ऋषोषीकरण
 प्रक्रिया
 Process of Vocalisation ऋषोषीकरण
 प्रक्रिया
 Profoundity गाम्भीर्य

Progressive पुरोवाच्यी, प्रगतिशील
 Projection प्रक्षेपण, आरोपण
 Prologue प्रस्तावना, पूर्ववर्ग, आमुख
 Prominence मुखरता, प्रमुख, उत्कर्ष
 Pronoun सर्वनाम
 Pronunciation उच्चारण
 Propriety औचित्य
 Prosaic गद्यात्मक
 Prosody छन्दशास्त्र
 Prosodic रागात्मक
 Prosodic feature राग लक्षण
 Prosodic System राग-पद्धति
 Prosody of Junction संधिराग
 Prothesis आदि स्वररागम
 Proverb लोकोक्ति
 Psychology मनोविज्ञान
 Psychophysical मनोभौतिक
 Psychophonic मनोध्वनिविज्ञान
 Pulsimeter नाडीमापक यंत्र, स्पन्दनसूचक
 Pursuit अनुशीलन

Q

Quality गुण
 Qualitative ablaut गुणात्मक अपिश्रुति
 Quantity मात्रा
 Quantitative ablaut मात्रिक अपिश्रुति
 Quotation उद्धरण

R

Radical समूल
 Rant आलङ्कारिक भाषा वा प्रयोग करना
 Rate of speaking वाग्देग
 Reaction प्रतिक्रिया, पुनरावर्तन
 Realisation of a sound ध्वनिव्यक्तीकरण
 Recension सशोधन, पाठ्ययन
 Receptiveness ग्रहणशीलता
 Reciprocal पारस्परिक, अन्योन्य
 Reconstituent पुनगठनकारी, पुनगठनार
 Reconstruction पुनरचना, पुननिर्माण
 Recorder ध्वनि-लेखक यंत्र
 Recurrent आवर्तक
 Reduce मूल अवस्था में लाना, छोटा करना,
 कृश बनाना

Reduplication द्विरूप, पुनरावृत्ति
 Reference book संदर्भ-ग्रन्थ
 Regressive पश्चगामी
 Relative सापेक्ष
 Relaxed शिथिल
 Release उन्मोचन
 Renaissance पुनर्जागरण
 Replacement प्रतिस्थापन
 Research अनुसंधान, शोध कार्य
 Residual अवशिष्ट
 Respiratory system श्वसन तन्त्र
 Restoration पुनरावतन
 Resultant Reaction परिणामी प्रतिक्रिया
 Retracted Articulation पश्चीकृत
 उच्चारण
 Retraction process पश्चीकरण प्रक्रिया
 Retroflex Plosive मूर्धन्य स्पर्श
 Retroflexion मूर्धन्यभाव
 Rhetoric अलंकारशास्त्र
 Rhythm लय
 Rising juncture आरोही विवृति
 Rising tune आरोही सुर
 Rolled लुठित
 Romantic कल्पनाप्रधान स्वच्छन्दतावादी
 Root of tongue जिह्वामूत्र
 Root stage धातु अवस्था
 Rounded Vowel वृत्ताकार स्वर
 Rural ग्राम्य
 Rustic ग्रामीण, अक्लक भाषा

S

Satire व्यंग्यपूर्ण रचना व्यंग्योक्ति
 Scar अक, चिह्न
 Scholar साहित्यमर्मज्ञ छात्र, विद्वान्
 Scholiast टीकाकार, भाष्यकार
 Scrabble घसीट लिखना
 Script लिपि
 Scripture धर्मग्रन्थ
 Sculpture मूर्ति, प्रतिमा
 Secondary cardinal vowels गौण
 मानस्वर

Secondary stress गौण बलव्यवहृत
 Segment खण्ड
 Segment of Utterance उच्चवार-खण्ड
 Segmental phonemes खण्डीय ध्वनिप्रकार
 Self expression व्यक्तप्रतिबन्धन
 Semantics अर्थ-विज्ञान
 Sememe सक्रिय अर्थ-संकाई
 Semi Plosive ईषत् स्पर्श
 Semi Vowel अर्धस्वर
 Semology प्रतीक विज्ञान
 Sensibility संवेदनशीलता
 Sensory nerve संवेदक कन्धिका
 Sentence stress वाक्यावयव
 Sentimental भावुक
 Sequence अनुक्रम, कथाक्रम
 Sequence of words शब्दक्रम
 Serial क्रमागत, आनुक्रमिक
 Shift sign परिवृत्ति चिह्न
 Short spoken अल्पमापी
 Sibilant ऊष्मवर्ण
 Sign चिह्न, संकेत
 Signal संकेतक, सञ्ज्ञापक
 Signalise सञ्ज्ञापन करना
 Significant अभिग्न्यञ्जक
 Silent अनुच्चरित
 Similar अनुरूप, समान, सदृश
 Similitude सादृश्य, अनुरूपता
 Simple Vowel मूल स्वर
 Singular एक बचन
 Situation स्थिति
 Sketch रेखाचित्र
 Slang ग्राम्य भाषा अपशब्दों का प्रयोग करना
 Slant तिर्यक्
 Slit type articulation विस्तृत प्रकार से
 उच्चारण
 Soft palate कोमलतालु, तालु का पिछला
 भाग
 Soliloquy स्वगतभाषण
 Somatology शरीर-रचना-विज्ञान
 Sonant सधोष

Sonnet गीतिका
Sonometer सङ्गमगीतः प्रतिरे की अवगच्छति
 भाषकालय
Sonority सुस्वराता
Sound attribute ध्वनिलक्षण
Sound quality ध्वनिगुण
Sound symbol ध्वनि-प्रतीक
Sound-track ध्वनि पथ
Sound wave ध्वनि तरंग
Source उद्गम
Speaker वक्ता, भाषक
Speaking circuit भाषणचक्र
Speech वाक, वाक् शक्ति
Speech habit वाकप्रवृत्ति
Speech organ भाषणावयव
Speech sound वाग्ध्वनि
Speech stretcher वाग्निस्तारक
Spelling वर्तनी, वर्ण-विन्यास
Spirant ऊष्म, संघर्षी
Spirit मनोदशा चेतना
Spontaneous Nasalization स्वतः अनु
 नासिकता
Standard आदर्श, प्रामाणिक
Standard pronunciation प्रामाणिक
 उच्चारण
Stem मूल शब्द, प्राविपदिक
Sternum उरुफलक
Stertorously धरधराइत
Stimulation स्तायविक उत्तेजना
Stop स्थान, अवरोध
Stress बलाघात
Stressed syllable बलाघातयुक्त अक्षर
Stria रेखांकन
Stroneme बलाघातप्राम
Structural संरचनात्मक, गठनात्मक
Structure गठन, निर्माण, संरचना
Staff सामग्री, उपादान
Style शैली
Stylistic शैली विद्यान, शैलीवाक्य
Subject विषय

Subjective आत्मविक, आत्मपक्ष
Subjective आत्मपक्ष पर मानविक
 बलाघात
Sublimation उदासीकरण
Sublime उदात्त
Subsequent परचाद्वर्ती, बाद का
Subsidiary पूरक, सहकारी
Substitute स्थानापन्न
Succeed परवर्ती होता
Succession अनुक्रम
Suction sound अन्तःस्फोट ध्वनि
Suffix प्रत्यय
Suggestive अभिव्यंजक, सांकेतिक
Superable अतिक्रमणीय
Superlative सर्वोत्तम
Supplement पूरक, परिशिष्ट
Suprasegmental खण्डेतर
Supreme परम सर्वश्रेष्ठ
Surd अघोष
Survey सर्वेक्षण
Suspicious Sequence संदिहास्पदक्रम
Syllable अक्षर
Syllabic division अक्षरिक विभाजन
Syllabic pattern अक्षरिक प्रणाली
Symbol प्रतीक, संकेत
Symbols प्रतीकविद्या
Symphony ध्वनिसाम्य, स्वरानुरूपता
Synchronous समकालिक
Synonym पर्यायवाची शब्द
Syntactic वाक्य विद्या
Syntactic structure वाक्य विन्यास-संघटन
Syntactical वाक्यविन्यासत्मक
Syntagmatic वाक्यरचनाक्रमत्मक
Syntax पदरचना पद्धति, वाक्य-विन्यास
Synthetic सहिलुप्त, संयोगात्मक
System पद्धति, प्रणाली, व्यवस्था
Systematic क्रमबद्ध
 †
Tact छद्मित, ध्वनित, ध्वनित
Tactile स्पर्शोत्पन्न

Tag गीत की टैक, तुक मिलाना
Talent प्रतिभा
Tangent स्पर्शरेखा
Tap मृदु आघात, धपकी
Taxeme व्याकरणिक लक्षण
Technical पारिभाषिक
Technique प्रविधि
Teeth ridge वर्तल
Tenacious ससक्त
Tendency प्रवृत्ति
Tense काल
Tenuise अधोष
Terminal अन्त्य
Terminology पारिभाषिक शब्दावली
Text मूलपाठ
Textual criticism पाठालोचन
Theoretical सैद्धान्तिक
Thesis शोध प्रबंध
Thorax वक्षस्थल
Throat कंठ
Thyroid cartilage गलग्रन्थिकास्थि
Timbre स्वनलक्षण, ध्वनि का गुणत्व
Time pattern कालरूप, काल प्रणाली
Title शीर्षक
Tone तान
Toneme तानग्राम
Tip of the tongue जिह्वाकोक
Topic विषय
Topically विषयानुसार
Totality पूरा ता
Trachea श्वासनली
tract पुस्तिका
Traction सक्चण
Traditional परम्परागत
Trait गुण, लक्षण
Transcript प्रतिलिपि
Transferred स्थानांतरित
Transform रूपान्तर करना
Transit सक्रमण
Transitional सक्रमणक्षालीन

Transitive सकर्मक क्रिया
Translate अनुवाद करना
Translation अनुवाद, स्थानान्तरण
Transliteration अनुलेखन, लिप्यन्तरण
Trefoil त्रिपर्णी
Trange त्रिवेण
Tringlot तीन भाषाओं में रचित
Trigram) एक ध्वनि को प्रकट करने वाले
Trigraph) तीन अक्षरों का समूह
Trill कल्पित स्वर
Trilled लुगित
Trilogy नाटकत्रय
Triphthong त्रिसंयुक्तस्वर
Triserial, late त्रिक
Trisyllabic त्र्यक्षरात्मक
Trope लाक्षणिक प्रयोग
Tropology लाक्षणिकता
Type प्रकार, प्ररूप
Typical आदर्श रूप
Typological प्ररूपात्मक

U

Ultralong लुन
Umlaut अभिधुति
Unaspirated अल्पप्राण
Unconditional स्वयम्भू
Under differentiation मात्रालयभेद
Unexploded stop अरफोट स्पर्श
Uniformity समानता, एकरूपता
Unison स्वरैक्य, स्वरमेल
Unit इकाई
Unrounded Vowel अर्धृत्ताकार स्वर
Unruled अरेखाकित, रेखाहीन
Unstable sounds अस्थिर ध्वनियाँ
Unstressed बलाघातहीन
Urbane शिष्ट, सुसंस्कृत
Usage प्रयोगविधि, प्रयोग
Utterance उच्चार
Uvula अलिजिह्वा, कौवा, कावळ
Uvular काकलीय, अलिजिह्वीय

V

Vacuum शून्य
Valency संयोगक्षमता
Valuation मूल्यांकन
Variant विभिन्न रूप
Variation विभिन्नता, विभेद
Variety भेद
Variophone अनिश्चित रूप ध्वनि
Velar fricative कण्ठ्य संघर्षी
Velarisation कण्ठधीकरण
Velo closure नासिक्यावरोध
Velum कोमल तालु
Verb क्रिया
Verbal शाब्दिक, मौखिक, क्रिया सम्बन्धी
Vernacular देशी, स्थानीय
Verse पद्य, कविता
Version अनुवाद, अनुवाद अंश
Vertex चरम बिन्दु, शीष
Vertical खड़ी रखा, उद्वृत्त
Vibration बम्पन, स्पन्दन
Vigorous शक्तिमान
Visible चाक्षुष, दृश्यमान
Visual image चाक्षुष चित्र
Visual symbol चाक्षुष प्रतीक
Vituperation अपशब्द, गाली
Vocable शब्द
Vocabulary शब्दावली
Vocal ध्वनित, स्वरोच्चरित
Vocal cord स्वरतन्त्री
Vocalic स्वरसमक
Vocal organ उच्चारणावयव
Voice नाद, धोष
Voiced सधोष
Voluntary ऐच्छिक, स्वतः प्रवृत्त

Vowel affinity स्वरसाम्य
Vowel gradation स्वरवस्थान
Vowel group स्वर समुदाय
Vowel harmony स्वर-संगति
Vowel quality स्वर गुण
Vowel neutral तटस्थ स्वर
Vowel system स्वर पद्धति
Vowel triangle स्वर त्रिकोण
Vowel variation स्वर विभेद
Vulgar गँवारू
Vulgarity गँवारूपन, ग्राम्यत्व दोष

W

Wave theory तरंगवाट
Weak form नियलरूप
Whisper फुसफुसाहट
Wide vowel प्रशस्त स्वर
Windpipe इवासनली
Wireless बेतार वा तार
Word शब्द
Word book शब्दमण्डार
Word picture शब्दचित्र
Writer लेखक

X

X ray photograph रड्जम रश्मिचित्र

Y

Yotization 'य' कारीकरण

Z

Zero Allomorph शून्यसहपद
Zero form शून्यरूप
Zero grade शून्य श्रेणी
Zero inflexion शून्यविभक्तिक
Zero modification शून्य सत्कार
Zoetrope जीवनचक्र
Zoology प्राणिविज्ञान

विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी द्वारा प्रकाशित

श्रेष्ठ, पठनीय एवं संग्रहणीय साहित्य

शोध-ग्रन्थ

अपभ्रंश और हिन्दी में जैन रहस्यवाद	डॉ० वासुदेव सिंह	१२-००
आदिकालीन हिन्दी-साहित्य	डॉ० शम्भूनाथ पाण्डेय	२० ००
दादूदयाल जीवन, दर्शन और काव्य	डॉ० संतनारायण उपाध्याय	२०-००
रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय	डॉ० भगवतीप्रसाद सिंह	२५ ००
मध्यकालीन भक्ति आन्दोलन का सामाजिक विवेचन	डॉ० सुमन शर्मा	(प्रेस में)
रीतिकालीन काव्य सिद्धान्त	डॉ० सुर्यनारायण द्विवेदी	१६ ००
शिवनारायणी संप्रदाय और उसका साहित्य :	डॉ० रामचन्द्र तिवारी	३० ००
भारते-दुर्कालीन हिन्दी-साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि	डॉ० कमला कानोडिया	३० ००
पं० बालकृष्ण भट्ट व्यक्तित्व एवं कृतित्व	डॉ० मधुकर भट्ट	३० ००
हिन्दी भाषा और साहित्य के अध्ययन में ईसाई मिशनरियों का योगदान	डॉ० पंजाबराव जाधव	५०-००
हिन्दी रगमच और प० नारायणप्रसाद 'बिताब'	डॉ० विद्यावती नम्र	६० ००
प्रसाद तथा मिश्र के नाटकों का तुलनात्मक अध्ययन	डॉ० शक्तिशेखर नैथानी	२० ००
प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी उपन्यासों का वस्तुरूपात्मक विकास	डॉ० कृष्णभवतार सिंहल	(प्रेस में)
हिन्दी काव्य पर आग्ल प्रभाव	डॉ० रवीन्द्रसहाय वर्मा	६ ००
पाश्चात्य साहित्यालोचन और हिन्दी पर उसका प्रभाव	डॉ० रवीन्द्रसहाय वर्मा	६ ००
आधुनिक हिन्दी गीतिकाव्य का स्वरूप और विकास (१९२० ६० ई०)	डॉ० आशा किशोर	३०-००
हिन्दी कहानियों में व्यक्तित्व विश्लेषण	डॉ० राजेन्द्रप्रसाद शर्मा	१८ ००
साहित्य-शास्त्र		
काव्यशास्त्र	डॉ० भगीरथ मिश्र	१२-५०
आलोचक और आलोचना :	डॉ० बन्धन सिंह	८-००
अभिनव का रस-विवेचन . नगीनदास पारेख तथा	डॉ० प्रेमस्वरूप शुक्त	२५-००
दशरूपक (हिन्दी टीका तथा समीक्षा सहित)	डॉ० रमार्थकर त्रिपाठी	१५-००

काव्य में अन्योक्ति डॉ० सूर्यनारायण द्विवेदी	७५०
दिग्विजय भूषण (अल्कार ग्रन्थ) डॉ० भगवतीप्रसाद सिंह	२५००
साहित्य का मूल्यांकन वर्सफोल्ड तथा डॉ० रामचन्द्र तिवारी	(प्रेस में)
पादचाल्य समीक्षा शास्त्र डॉ० मगीरथ मिश्र	(प्रेस में)

साहित्य-समीक्षा

सहज साधना प० हजारीप्रसाद द्विवेदी	३५०
हिन्दी का गद्य साहित्य डॉ० रामचन्द्र तिवारी	२०-००
तुलसीदास विभिन्न दृष्टियों का परिप्रेक्ष्य हिन्दी विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय	९००
मानस मथन डॉ० स्वामीनाथ शर्मा	१२६०
सृजन के आयाम ज्वालाप्रसाद खंतान	४५०
मध्ययुगीन काव्य साधना डॉ० रामचन्द्र तिवारी	४५०
साहित्य और सस्कृति स० डा० वासुदेवशरण अग्रवाल	२०००
सूर, तुलसी, कबीर और जायसी एक विवेचन रामअवध शास्त्री	५००

प्रसाद साहित्य-समीक्षा

कवि प्रसाद आँसू तथा अन्य कृतियाँ डॉ० विनयमोहन शर्मा	३००
कामायनी विमर्श मगीरथ दीक्षित	१०५०
कामायनी संवक्षण रामअवध शास्त्री	४८०
प्रसाद काव्य पुनर्मूल्यांकन डॉ० युगेश्वर	(प्रेस में)
प्रसाद का नाटक रचना और प्रक्रिया डॉ० जगदीशप्रसाद श्रीवास्तव	(प्रेस में)
प्रसाद तथा मिश्र के नाटकों का तुलनात्मक अध्ययन डॉ० शशिशेखर नैथानी	२०००

व्यक्तित्व और कृतित्व

सेनापति और उनका काव्य डॉ० रामचन्द्र तिवारी	(प्रेस में)
निराला व्यक्ति और कवि रामअवध शास्त्री	२०००
डॉ० मगीरथ मिश्र व्यक्तित्व और कृतित्व कुमारी पी० ललिताम्बा	१०-००
हरिऔध शती स्मारक ग्रंथ डॉ० किशोरीलाल गुप्त	१६००
अज्ञेय व्यक्तित्व और कृतित्व सपा० डॉ० विश्वनाथप्रसाद तिवारी	(प्रेस में)
मनीषी की लोकयात्रा (प० गोपीनाथ कविराज का जीवन दर्शन) डॉ० भगवतीप्रसाद सिंह	३०००



